मंगलवार, 3 मार्च 1981

12 फाल्गुन, 1902 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

# विषय सूची

अंक 13, मंगलवार, 3 मार्च, 1981/12 फाल्गुन, 1902 (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर :** | ... | 1—21 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 207, 211, 213, 214 और 216 से 218 | | |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर :** | ... | 22—224 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 208 से 210, 212, 215 और 219 से 226 | ... | 22—30 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 2001 से 2058, 2060 से 2073 और 2075 से 2200 | ... | 30—224 |
| **मन्त्रालयों द्वारा सदस्यों को विषय की जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में** | ... | 225—231 |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | ... | —232 |
| **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति** | ... | —233 |
| सोलहवां प्रतिवेदन | | |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** | ... | 234—246 |
| दिल्ली में लूटपाट और डकैती की घटनाओं में वृद्धि | | |
| श्री नवल किशोर शर्मा | ... | 234—237 |
| श्री योगेन्द्र मकवाना | ... | 234—246 |
| श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत | ... | 238—247 |
| श्री जैनुल बशर | ... | 240—242 |
| श्री मुकुन्द मंडल | ... | 242—244 |
| श्री हरिकेश बहादुर | ... | 245—247 |


*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित | ... | 247—251 |
| पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव | | |
| श्री प्रकाश चन्द्र सेठी | ... | 247—252 |
| श्री ज्योतिर्मय बसु | ... | 249—250 |
| श्री मुकुन्द मंडल | ... | —249 |
| श्री अजय विश्वास | ... | —250 |
| श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय | ... | —251 |
| नियम 377 के अधीन मामले | ... | —252 |
| (एक) सकल प्राइवेट लिमिटेड पेपर्स (महाराष्ट्र) द्वारा पालेकर पंचाट को लागू करने से मना किया जाना | | |
| श्री बी०एन० गाडगिल | ... | 252—253 |
| (दो) केरल में हथकरघा उद्योग की समस्यायें | | |
| श्री वी०एस० विजयराघवन् | ... | 253—254 |
| (तीन) राजस्थान में बिजली की सप्लाई में सुधार करने के उपाय | | |
| श्री रामसिंह यादव | ... | 254—255 |
| (चार) वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए पूर्व आंशिक परिष्कृत धागे का आयात करने की अनुमति देने का कथित निर्णय | | |
| श्री निरेन घोष | ... | 255—256 |
| (पांच) केरल की छः नई पन-बिजली परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना | | |
| श्री के०ए० राजन | ... | 256—257 |
| (छः) मेरठ पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की कथित हत्या | | |
| श्री सूरजभान | ... | 257—258 |
| श्री जैलसिंह | ... | 258—259 |
| (सात) भरतपुर (राजस्थान) में डाकुओं की गतिविधियों के कारण कथित आतंक | | |
| श्री राजेश पायलट | ... | 259—260 |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| रेल बजट, 1981-82 सामान्य चर्चा | ... | 260— |
| श्री नित्यानन्द मिश्र | ... | 260—262 |
| श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव | ... | 262—268 |
| श्री जे०सी० बरवे | ... | 268—270 |
| श्री रणवीर सिंह | ... | 270—274 |
| श्री ए०के० राय | ... | 274—278 |
| श्री रामसिंह यादव | ... | 278 —281 |
| डा०बी०एन० सिंह | ... | 281 — 285 |
| श्री अटल विहारी वाजपेयी | ... | 285—289 |
| श्री कमल नाथ झा | ... | 289—291 |
| श्रीमती कृष्णा साही | ... | 291—294 |
| श्री पीयूष तिरकी | ... | 294 — 296 |
| श्री प्रताप भानू शर्मा | ... | 296—298 |
| श्री रणजीत सिंह | ... | 298—300 |
| चौधरी मुलतान सिंह | ... | 300 —303 |
| श्री मल्लिकार्जुन | ... | 303—306 |
| श्री गुलाम रसूल कोचक | ... | 306 — 308 |
| श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी | ... | 308—310 |
| श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर | ... | 310—312 |
| श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा | ... | 312—316 |
| श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति | ... | 316—320 |
| श्रीमती सुशीला गोपालन | ... | 320—224 |
| श्री गिरधारी लाल व्यास | ... | 325—328 |
| श्री के० मायातेवर | ... | 328—332 |
| श्री कृष्ण प्रताप सिंह | ... | 333—336 |
| श्री कमला मिश्र मधुकर | ... | 336—338 |

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| श्री ई.ा अनबरासु | ... | 338—342 |
| श्री तपेश्वर सिंह | ... | 342—345 |
| श्री रामेश्वर निखरा | ... | 345—347 |
| श्री मुन्दर शर्मा | ... | 347—349 |
| श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत | ... | 349— |
| श्री भोला राउत | ... | 349—351 |
| श्री शांतुभाई पटेल | ... | 351—352 |
| श्री कालीचरण शर्मा | ... | 352—354 |
| श्री उत्तम राठौर | ... | 354—356 |
| डा० गोलम याजदानी | ... | 356—357 |

# लोक सभा

मंगलवार, 3 मार्च 1981/12 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### कोयले की गहरी खुदाई का कार्यक्रम

*207. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री चिंतामणि जैना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की कोयले की गहरी खुदाई कार्यक्रमों के बारे में यदि कोई योजना है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने बिजली संयंत्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार करने के लिए किस्म नियंत्रण और खानों के मुहानों पर कोयला ढुलाई संयंत्रों की स्थापना के लिए अपनी योजना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोयला उद्योग का विचार भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन 1980-81 के लगभग 79 मिलियन टन से बढ़ाकर 1984-85 में लगभग 96 मिलियन टन करने का है ।

(ख) जी हां ।

(ग) छठी योजना की अवधि में 11 कोयला वाशरियों और 66 कोयला रख-रखाव संयंत्रों का निर्माण किया जायेगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, 31 जनवरी, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल नोट में एडिटर ने चिन्ता व्यक्त की थी कि मुल्क में कोयले की भारी कमी होती जा रही है, सप्लाई डिमाण्ड से कम है, खानों में कोयला नहीं है, बड़े उद्योगों ट्रेनों और घरेलू कार्यों में कठिनाई उत्पन्न होती जा रही है और आगे चल कर विशेष कठिनाई होने वाली है । इसलिए उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है तथा खानों को डीप तक ले जाना होगा, गहराई तक खोदना होगा । इसके लिए बिजली संयंत्रों की आवश्यकता है । मैंने इसी आधार पर अपना प्रश्न दिया था लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मन्त्री जी ने शायद मेरे क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने उस क्वेश्चन को देखने तक की कोशिश नहीं की तथा जिस ढंग से जवाब दिया है, मैं कुछ

ज्यादा कहना पसन्द नहीं करता । मेरा प्रश्न था कि सरकार की कोयले को गहराई तक खुदाई कार्यक्रम के बारे में यदि कोई योजना है तो उसका क्या ब्योरा है, लेकिन उत्तर क्या दिया जा रहा है— "कोयला उद्योग का विचार भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन 1980-81 के लगभग 79 मिलियन टन से बढ़ा कर 1984-85 में लगभग 96 मिलियन टन करने का है।" मैंने यह नहीं पूछा है कि कोयले का उत्पादन कितना करना है, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि गहरी खुदाई कार्यक्रम के बारे में आपकी आगामी कोई योजना है ? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ दिया जा रहा है । इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं — इसकी खुदाई के बारे में, डीप-माइनिंग तक ले जाने के बारे में आपकी क्या योजना है ?

**श्री विक्रम महाजन** : 1980-85 में डीप माइनिंग का जो हमारा कार्यक्रम है वह यह है कि इस वक्त जो 332 डीप माइन्स हैं, उनको 400 के करीब तक ले जायेंगे । इस वक्त 70 फीसदी कोयला इन से मिलता है । 278 कोल माइंस हैं कोल इंडिया में जो डीप हैं । अंडरग्राउन्ड माइंस 72 से ज्यादा करनी हैं कोल इन्डिया में और 1 एस० सी० सी० एल० में करनी है । इस तरह से 73 हो जायेंगीं और इस ढंग से जैसा मैंने मेन जवाब में कहा है हमारा उत्पादन 79 मिलियन टन से बढ़कर लगभग 96 मिलियन टन हो जाएगा ।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : मैं संयंत्रों के बारे में पूछ रहा हूं कि योजना क्या है ?

**श्री विक्रम महाजन** : योजना क्या है, इसका जवाब मैंने दे दिया है और प्रोडक्शन कितना है, उसका भी जवाब मैंने दे दिया है । इसके अलावा और क्या आप चाहते हैं ?

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : मैं यह चाहता हूं कि उसके लिए जो यंत्र होते हैं और उनको जो आप बढ़ाने जा रहे हैं, वे विदेशों से मंगाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं । उन यंत्रों की टेक्नोलाजी क्या है ? अच्छे से अच्छे यंत्र लिए जांए, इसकी कोई योजना आप के पास है और विदेशों से कोई ऐसे यंत्र लेने की आवश्यकता आप समझ रहे हैं जिससे कोल की डीप माइनिंग करके उसकी कमी को पूरा कर सकें । आई वान्ट टू नो एबाउट यंत्र ?

**श्री विक्रम महाजन** : जहां तक नये यंत्रों का ताल्लुक है, दुनियां में जितने भी लेटेस्ट यंत्र हैं, वे सब हम दुनियां से ले रहे हैं और जहां तक मुल्क में एडवान्स्ड टेक्नोलाजी का सवाल है, उसके लिए हम दूसरे विदेशी मुल्कों से कोलाबोरेशन कर रहे हैं, जिससे हिन्दुस्तान में जो डीप अन्डरग्राउन्ड माइन्स हैं, वे आवश्यक लेटेस्ट टेक्नोलाजी लेकर डेवलप हो जाएं ।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : बड़ी अच्छी बात है कि आप सारी दुनियां से यंत्र ले रहे हैं ।

**श्री रामविलास पासवान** : 'सार देश' होगा, सारी दुनियां नहीं ।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : सारी दुनियां से यंत्र ले रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद ।

**श्री मलिक एम० एम० ए० खां :** देश कोई दुनियां के बाहर हैं।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** सारे वर्ल्ड से ले रहे हैं, सारी दुनियां से ले रहे हैं। ***(व्यवधान)*** ।

**अध्यक्ष महोदय :** इससे तो सारा टाइम ही चला जाएगा। आप सवाल कीजिए।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** ठीक है, वैसे ही मेरा एक दूसरा प्रश्न और था। उसमें मैंने यह पूछा था। क्या सरकार ने बिजली संयंत्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले कोयले की किस्म में सुधार करने के लिए किस्म नियंत्रण "सम्बन्धी कोई कार्यवाही की है। तो उसका हमको यह उत्तर दिया जा रहा है" "छठी योजना की अवधि में 11 कोयला वाशरियों और 66 कोयला रख-रखाव संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा" मान्यवर, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि कोयले की किस्म में कोई सुधार उसकी वेरायटीज में कोई सुधार किया जा रहा है और उसका उत्तर यह मिल रहा है कि यह निर्माण किया जाएगा। कृपया आप हमको इसकी किस्म के बारे में बताएं ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप का मतलब क्वालिटी कन्ट्रोल से है। इसके बारे में बताइए।

**श्री विक्रम महाजन :** जहां तक क्वालिटी कन्ट्रोल का ताल्लुक है, ये जो कोल हैन्डलिंग प्लान्ट्स और कोल वाशरियां हैं, इन से कोयले की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इनके इस्तेमाल से कोयले में सोड़ा एश कन्टेन्ट कम हो जाता है और इस ढंग से कोयला इम्प्रूव होता है, जिससे इन्डस्ट्रीज पावर प्लान्ट्स और स्टील प्लान्ट्स को अच्छी क्वालिटी का कोयला दिया जाता है इसी ढंग से जो कोयला का साइज है, उसको छोटा कर रहे हैं। वह भी उन्हीं मशीनों से होता है। दूसरा जो एक्सट्रेनियक मेटीरियल होता है, सोडा एश कन्टेन्ट होता है, वह सब इन्हीं प्लान्ट्स से साफ होता है। ये बेसिक चीजें हैं और क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस के अलावा दो-चार बातें और हैं जिन से क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं जैसे इन्सपैक्शन है कोल की क्वालिटी देखने के लिए, ज्वाइन्ट सैम्पिलंग है और मिनिस्टर साहब ने प्रोड्यूसर-कन्ज्यूमर की मीटिंग के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया है। हर जोन के जो कन्ज्यूमर हैं, उन के साथ हमारी कोल कम्पनीज के डाइरेक्टर बातचीत करेंगे और जो उनकी कम्पलेंट्स हैं उन को भी देखा जाएगा।

**श्री कमल नाथ :** मंत्री महोदय ने बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े दिए हैं। क्या ये आंकड़े केवल गहरी खानों के हैं ? अथवा ये आंकड़े खुली खानों से भी संबंधित हैं।

**श्री विक्रम महाजन :** ये आंकड़े केवल गहरी खानों से संबन्धित हैं। इस समय 343 खानें कोल इन्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत हैं तथा 57 खानें एस० सी० एल० के अन्तर्गत हैं। उनमें से 65 और 3 क्रमशः खुली खाने हैं। 1980 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत 85 तथा एस० सी० सी० एल० के अन्तर्गत 4 और अतिरिक्त खानों के किए जाने का प्रस्ताव है।

**"बिजली की चोरी-20 हजार फैक्टरियां लाइसेंस के बिना" शीर्षक समाचार**

*211. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'नवभारत टाइम्स' दिल्ली के 19 दिसम्बर, 1980 के संस्करण में "बिजली की चोरी, 20 हजार फक्टरियां लाइसेंस के बिना" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो बिजली की चोरी के कितने मामले दिल्ली प्रशासन के ध्यान में आए हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

(क) सरकार को समाचार के बारे में मालूम है । सामान्यत: उत्पादन शुरू करने से पहले औद्योगिक यूनिटों को औद्योगिक विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने होते हैं । तथापि, कुछ मामलों में प्रारम्भ में सप्लाई घरेलू/वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्राप्त की जाती है और बाद में ये उपभोक्ता अनधिकृत रूप से इसका प्रयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए करने लगते हैं और इसके लिए किसी प्रकार का लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है । औद्योगिक लाइसेंस दिल्ली नगर निगम द्वारा दिया जाता है न कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा । अनुमान है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रही लगभग 20,000 ऐसी अनधिकृत फैक्ट्रियां हैं जो घरेलू कनेक्शनों का प्रयोग अनधिकृत रूप से औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कर रही हैं । सप्लाई के दुरुपयोग के ऐसे मामलों में, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास अधिकार है कि उपभोक्ता को विधिवत नोटिस देने बाद उसका कनेक्शन काट दें । तथापि, व्यावहारिक रूप में, कनेक्शन काटने से उत्पादन में बाधा पहुंचेगी और परिणाम-स्वरूप औद्योगिक अशांति और बेरोजगारी बढ़ेगी । इसलिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अधिकतम टैरिफ लगाकर तथा विद्युत के दुरुपयोग/अधिक भार के उपयोग पर 25 प्रतिशत सरचार्ज लगाकर अपराधियों को दण्डित करता है ।

(ख) सीधे खम्बे से सप्लाई लेकर अथवा बिना मीटर के सप्लाई का उपयोग करके बिजली की चोरी के 9 मामले वर्ष 1980-81 के दौरान जनवरी, 1981 तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने पकड़े हैं ।

(ग) ऐसे सभी मामलों में, पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज कराने सहित, कार्यवाही की गई थी ।

**श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो बिजली की कमी है, इसके कारण घरेलू उद्योगों और घरों में काम आने वाली बिजली की अपर्याप्त सप्लाई से भंयकर संकट और हाहाकार मचा हुआ है। इस संदर्भ में नवभारत टाइम्स में एक बड़ी ही सनसनीपूर्ण खबर आई है। जिसमें कहा गया है कि बीस हजार फैक्ट्रियां दिल्ली में स्वीकृत बिजली के लोड से अनधिकृत रूप में अधिक लोड का उपयोग कर रही हैं और इसके कारण घरों में 60 वाट्स वाले बल्ब को 20 से 25 वाट तक बिजली मिलती है और उससे घरों में टी० वी० आदि के उपयोग में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। यह खबर 19 दिसम्बर, 1980 को छपी है। इसके बारे में मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें सूचित भी किया है कि घरेलू और विभिन्न उपयोगों के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा जो लायसेंस दिए जाते है उसमें से 20 हजार कनेक्शन अनअथोराइज्ड तौर पर काम कर रहे हैं ये विद्युत प्रदाय संस्थान से सांठगांठ के कारण चल रहे है। ये या तो खंभों से सीधे बिजली लेकर चलते हैं या अन्य प्रकार से बिजली की चोरी करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप तो भाषण कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछिए।

**श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या यह सही है कि एक संसद् सदस्य की नजफगढ़ में जो फैक्ट्री चलती है वह अनधिकृत रूप से अधिक लोड पर चल रही थी और उसकी लाइन काट दी गई थी ? इसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल महोदय से बातचीत की और उन्होंने 14 नवम्बर, 1980 को एक आदेश निकाल दिया कि वे ऐसे फैक्ट्री चला सकते हैं और स्वीकृत लोड से जो लोग अधिक बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उन सबको इस प्रकार से छूट दे दी गयी। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसा आदेश था और क्या ऐसे आदेश के कारण आम जनता को सफर नहीं करना पड़ रहा है ?

**श्री विक्रम महाजन** : जहां अनअथोराइज्ड फैक्ट्रीज का ताल्लुक है, यह सही है कि दिल्ली में 15-20 हजार फैक्ट्रीज अनअथोराइज्ड काम कर रही हैं। मगर इसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि कुछ फैक्ट्रीज ऐसी है जिनमें ढाई लाख से अधिक आदमी काम करते हैं। अगर हम सब की बिजली बन्द कर दें तो एक तो मजदूरों की स्थिति खराब हो जाएगी और ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम हो जाएगी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने यह डिसीजन लिया कि मजदूरों को हार्डशिप्स न हों, इसलिए अभी पावर डिसकनेक्ट न की जाए। अगर यह कर दी जाती है तो वीकर सेक्शंस को हार्डशिप्स होंगी और ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम हो जाएगी।

जहां तक रेवेन्यु का ताल्लुक है, हम इन फैक्ट्रीज से हायेस्ट रेट पर चार्ज करते हैं।

साथ हा साथ 25 प्रतिशत पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। इसलिए हमें इसमें कोई घाटा नहीं हो रहा है। जहां तक डायरेक्ट लाइन से चोरी का ताल्लुक है, हमारे डिपार्टमेंट की विजीलेंस शाखा ने केस-रेड किए हैं। 1980-81 में मीटर टेंपरिंग के 85 केस पकड़े गए और थैफ्ट डायरैक्ट सप्लाई फ्रोम मेन के 9 केस पकड़े गये। इसलिए हम चोरी रोकने की पूरी कोशिश कर

रहे हैं और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है कि इन्हें कोई अल्टरनेटिव साइट दी जाए ताकि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को असुविधा न हो।

जहां तक किसी एम० पी० का ताल्लुक है, हम इन्फर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक जो इन्फर्मेशन हमारे पास है उसके अनुसार किसी भी एम०पी० या उसके लड़के की फैक्ट्री जो अन-एथोराइज है, बिजली नहीं दी जा रही है।

जहां तक दिल्ली की पावर-जनरेशन का ताल्लुक है, आपको खुशी होगी कि सन् 1980-81 में 1979-80 से बैटर पोजीशन है और लोड-शेडिंग भी पिछले 3-4 महीने में बहुत कम है। (व्यवधान)।

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : प्रेस वालों से पूछें कि अखबार में कैसे छापते हैं।...(व्यवधान)।

**ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** : मैं आप को तथा सभा को आश्वसन दे सकता हूं कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ है। वास्तव में हुआ यह कि संबंधित सज्जन के कारखाने के बिजली के कनैक्शन को जिसके बारे में समाचार छपा है और जिसके बारे में आप कह रहे हैं, यह पता लगने पर कि स्वीकृत मात्रा से अधिक बिजली का उपयोग किया जा रहा है 12 नवम्बर, 1980 को काट दिया गया था। विवाद का विषय यह है कि वह स्वीकृत मात्रा से अधिक बिजली का उपयोग कर रहा था। 'देसू' को पता लगा कि 172 अश्वशक्ति बिजली का प्रयोग किया जा रहा है कारखाने में बिजली का कनैक्शन कुछ दिन कटा रहा। एक कारण बताओ नोटिस, जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, कारखाने को 4 नवम्बर, 1980 को दिया गया था। उनसे एक अभ्यावेदन दिनांक 4 नवम्बर 1980 को प्राप्त होने के पश्चात, जिसमें उन्होंने बताया था कि बिजली की स्वीकृत मात्रा लगभग 152 किलोवाट है न कि 40 हार्स पावर जैसा कि 'देसू' द्वारा बताया गया था, मुख्य अभिमन्ता द्वारा स्थगनादेश दिया गया ताकि वह पार्टी अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके। रिकार्डों की जांच करने पर उस पार्टी के बयान को गलत पाया गया। परिणाम स्वरूप कारखाने को बिजली की सप्लाई काट दी गयी। अतः, इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था।

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई पौलिटिकल प्रेशर नहीं है, खैर जो भी हो लेकिन ये 20 हजार जो इन्होंने मान लिया है कि 20 हजार फैक्ट्रियां स्वीकृत लोड से अधिक चल रही हैं और इन्हें हाई-टैरिफ लेकर नियमित कर दिया गया है और यह देश हित में उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी तक ये सब इतने दिनों से चल रहा था तब आपके अधिकारियों ने इसको नियमित क्यों नहीं कर दिया। और अब देश हित में रेगुलराइज कानून के तहत 20 हजार में से कितनी फैक्ट्रियों को रेगुलराइज किया गया है? इसी प्रकार आपने बताया है कि 9 केस एफ०आई०आर० किए गए हैं तो ये कवेशन करने के बाद हुए हैं या पहले हुए हैं और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है, जो मैं पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। ... (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर आगे कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

**श्री विक्रम महाजन** : मैंने अपने जवाब में पहले ही साफ कह दिया है कि बीस हजार के करीब फैक्ट्रीज है । यह भी मैंने बता दिया है कि इन में ढ़ाई लाख के करीब लोग काम करते हैं । उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम ने यह फैसला लिया है कि अभी हम ने कोई डिसकनैकशन नहीं करना है । जहां तक रेग्युलराइजेशन का ताल्लुक है अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है । दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि इस पर विचार करें कि किस ढंग से प्रावलंम को साल्व किया जा सकता है ।

जहां तक एफ.आई.आर. केसिस का ताल्लुक है सारे साल की फिगर्ज हैं । मोस्ट आफ दी केसिस आप के सवाल से पहले के है । कितने उसके बाद हुए हैं उसकी फिगर्ज मेरे पास नहीं हैं । अगर मिल जाएगी तो मैं भेज दूंगा ।

कितने आफिसर्स इस में इनवाल्व्ड हैं उसकी फिगर्ज मेरे पास नही हैं, अगर मिल जाएंगी तो मैं आपको भिजवा दूंगा ।

**श्री मलिक एम एम.ए. खान** : मंत्री महोदय ने बताया है कि दिल्ली में बीस हजार इलीगल फैक्ट्रीज हैं । मैं जानता हूं कि इनकी बिजली का कनैकशन कैसे मिला ? क्या बिजली का कनैकशन देने से पहले बिजली डिपार्टमेंट यह वैरिफिकेशन नहीं करता कि वे फैक्ट्रीज लीगली इंस्टाल की गई है या इलीगली ?

**श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी** : इन लोगों का कार्य करने का ढंग बिचित्र होता है ।

**श्री मलिक एम० एम० ए० खान** : मैं उनके नहीं, आपके अपने विभाग के बारे में पूछ रहा हूं ।

**श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी** : दिल्ली प्रशासन ? हमारा उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । ऊर्जा विभाग का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री मलिक एम० एम० ए० खान** : दिल्ली प्रशासन भी तो भारत सरकार के अधीन ही आता है । (व्यवधान) ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए ।

**श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी** : मैं उत्तर दे रहा हूं इस प्रकार से कार्य किया जाता है । वे घरेलू प्रयोग के लिए बिजली का क्वेश्चन मांगते है और फिर बाद में इसे व्यावसायिक में बदल देते हैं तथा फिर इसका उपयोग उद्योग के लिए करने लगते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : उनको जवाब तो पूरा दे लेने दीजिये ।

**श्री मलिक एम० एम० खां** : सवाल का जवाब नहीं आया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : जवाब तो उनको देने दीजिए ।

**श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी** : गैर कानूनी ढंग से घरेलू इस्तेमाल के लिए या वाणिज्यिक प्रयोग के लिए बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं और बाद में उसका उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए करने लगते हैं और ऐसा करते समय वे लाइसेंस नहीं लेते हैं । उनकी लाइसेंस जारी करने का दायित्व दिल्ली प्रशासन का है । (व्यवधान) ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र मेरे साथ सम्मत होंगे या नहीं । परन्तु तथ्य हमारे पास हैं, मैं उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं ।

**श्री मलिक एम० एम० ए० खां** : मैंने पूछा है कि कनेक्शन मंजूर करने के पहले डिपार्टमेंट वैरिफिकेशन करता है या नहीं करता है ?

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बता तो दिया है कि पहले डोमैस्टिक ले लेते हैं । जो लाइसेंस इशू होता है वह डोमेस्टिक यूज का होता है ।

**श्री मलिक एम० एम० ए० खां** : इस्तेमाल फैक्ट्री के लिए कर रहा है तो वैरिफिकेशन क्या करते हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : तब ये रिसपांसिबल है ।

**श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से तो दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम दिल्ली प्रशासन को क्षेत्राधिकार में आता है और उसके लिए उन्हे ही कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि औद्योगिक उपयोग करने के लिए लाइसेंस तो दिल्ली नगर निगम द्वारा ही जारी किया जा सकता है, परन्तु दुर्भाग्यवश यह एक असाधारण स्थिति है·····।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि स्थिति असाधारण है तो इसको ठीक करने के लिए आप असाधारण कदम उठाइये ।

**श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी** : हम इसको करने के लिए उपयुक्त कदम उठायेंगे ।

**श्री एच० के० एल० भगत** : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं (एक) क्या यह सच है कि ये 20,000 कारखाने कैसे हैं जो पिछले 20 या 15 या 10 वर्षों से चलते आ रहे हैं, (दो) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम नगर निगम के नियंत्रण में आता है, (तीन) क्या यह बात भी सच है कि समय-समय पर सभी राजनीतिक दल तथा संसद सदस्य इन्हें उन्हीं घरेलू कनेक्शनों के आधार पर नियमित कराने की मांग करते रहते हैं और इस समस्या के मानवीय पहलू को दृष्टिगत रख कर ही सरकार ने यह निर्णय किया है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह बात भी सच है कि इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम का शासन जनता सरकार के हाथ में रहा है ?

**श्री विक्रम महाजन** : यह सच है कि ये जो फैक्टरियां हैं वे काफी समय से चली आ रही हैं। कुछ 1977 के पहले थीं, कुछ 1977-80 के बीच में भी बनी हैं और कुछ थोड़ी बहुत उसके बाद बनी हैं जिसकी सूचना हमारे पास नहीं है। लेकिन काफी देर से यह फैक्ट्रियां चल रही हैं। यह भी सही है कि यह मामला डी०ई०एस०यू० के अधीन था जो हमेशा दिल्ली म्युनिसिपल कोरपोरेशन के अधीन रहा है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उसका बहुत कम ताल्लुक रहा है। हमने यह कोशिश की है कि इस प्रोबलम को सौल्व किया जाय।

और जहां तक पोलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है यह आप सभी जानते हैं कि दिल्ली म्युनिसिपल कोरपोरेशन को कौन पार्टी चला रही है·····।

**श्री एच० के० एल० भगत** : दिल्ली म्युनिसिपल कौरपोरेशन कौन सी पार्टी रन करती रही है, इसका जवाब नहीं दिया मंत्री जी ने।

**श्री विक्रम महाजन** : मैंने कह तो दिया।

**बंगलौर के लिए दूरदर्शन केन्द्र**

*213. **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल में बंगलौर में एक दूरदर्शन केन्द्र की इमारत की आधार शिला रखी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमदबेन एम० जोशी)** : (क) जी हां। दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर की आधारशिला 4-2-1981 को रखी गई थी।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 391 लाख रुपये है। बंगलौर में दूरदर्शन केन्द्र के 1983-84 में चालू होने की उम्मीद है।

**श्री जी० वाई० कृष्णन्** : यह बहुत ही सराहनीय बात है कि छठी योजना के दौरान बंगलौर में टेलीविजन स्थापित होने जा रहा है। जो टेलीविजन केन्द्र आप वहां स्थापित करने जा रहे हैं, वह रंगीन टेलीविजन होगा या काला-तथा सफेद ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बंसत साठे)** : पहले वहां टेलीविजन केन्द्र तो स्थापित हो लेने दीजिए। टेलीविजन के रंग का निर्णय तो वहां टैलीविजन केन्द्र स्थापित हो जाने के बाद ही होगा।

**श्री जो० वाई० कृष्णन्** : क्या हमारे यहां आप टेलीविजन केन्द्र स्थापित नहीं करने जा रहे हैं ? मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि "पहले वहां टेलीविजन केन्द्र तो स्थापित हो जाने दीजिये ।" क्या वहां टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के बारे में अभी कोई संदेह है ?

**श्री बंसत साठे** : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम बंगलौर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने जा रहे है । मैं पहले ही उसका शिलान्यास कर चुका हूं । उसके लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है । राज्य, सरकार को उसके अपने ही अनुरोध के अनुसार वहां जितनी जल्दी हो सके, भवन का निर्माण करने के लिए कह दिया गया है । उनकी जानकारी हेतु मैं उन्हें बता दूं कि हम वहां आगामी छः महीनों में ही एक रिले एन्टीना लगाने जा रहे हैं जिससे कि वह बम्बई तथा मद्रास से भी टेलीविजन देखना शुरू कर दें ।

**श्री जो० वाई० कृष्णन्** : इसे तो वर्ष 1983-84 के दौरान चालू किया जाएगा । इतना अधिक समय क्यों लिया जा रहा है ? यदि इतना अधिक समय लिया जाता है तो इसका अनमानित व्यय, जो कि 341 लाख रुपये दिखाया गया है, वह कुछ लाख रुपये और बढ़ जाएगा । क्या यह सच नहीं है ?

**श्री बंसत साठे** : जो अनुमानित व्यय है वह इतनी ही कालावधि के लिए है । इसका निर्माण करना तो राज्य सरकार का काम है । अतः स्टुडियो तथा टावर का निर्माण कार्य रातोंरात तो नहीं किया जा सकता । यह निश्चय करना तो राज्य सरकार का काम है । कि वहां इस कार्य के लिए जितना समय लेना आवश्यक समझे लें । यदि पहले यह कार्य कर लेते हैं, तो मुझे उससे प्रसन्नता होगी ।

**श्री के० लक्प्पा** : बहुत लम्बे समय से लम्बित पड़ी हुई या चली आ रही बंगलौर जैसे सुन्दर तथा रम्य नगर के लिए टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की मांग को स्वीकार करने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं । वहां वह रंगीन टेलीविजन स्थापित नहीं कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इसका अनुमानित व्यय, निर्माण व्यय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को दिया गया वित्तीय आवंटन क्या होगा ? चूंकि राज्य सरकार सम्पूर्ण भवन तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण निर्धारित समय में करने के लिए सहमत हो गई है; इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है । इसके लिए 1982-83 का जो समय निर्धारित किया गया है, यह काफी लम्बा है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बंगलौर में पूर्ण रूपेण टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के कार्य को शीघ्र पूरा करवायेंगे । हम यह नहीं चाहते हैं कि छः महीने के बाद वहां दूसरे दर्जे का टेलीविजन केन्द्र स्थापित कर दिया जाये । दक्षिण भारत में बंगलौर नगर में हम पूर्ण रूपेण टेलीविजन केन्द्र चाहते हैं । इसे शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए । क्या इस कार्य को शीघ्र करने का मामला मंत्री महोदय वहां के मुख्य मंत्री के साथ उठायेंगे ?

**श्री बंसत साठे** : निर्माण कार्य के लिए हमारे मंत्रालय अर्थात् केन्द्रीय सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार को दिया जाएगा और इस

प्रकार से धनराशि का कोई अभाव नहीं है । जहां तक निर्माण कार्य को शीघ्र कराने का संबंध है, यह इस बात पर निर्भर करता है । कि कर्नाटक लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्य कितनी शीघ्रता से किया जाता है । जैसा कि मैंने कहा है, यदि वह जल्दी करते हैं, तो मुझे इससे खुशी होगी । जहां तक छः महीने में काम करने का सम्बन्ध है, वहां हम पूर्ण-रूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं । यह केवल एक रिले सुविधा होगी जिससे कि मद्रास तथा बम्बई के कार्यक्रमों को भी बंगलौर में देखा जा सके क्योंकि जब तक उनका अपना स्टुडियो नहीं बनता तब तक बंगलौर के लोग कुछ तो देख सकें ।

**श्री जेवियर अराकल** : माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया गया है कि इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने के उद्देश्य से रिले सुविधा 6 महीने के अन्दर उपलब्ध करा दी जाएगी परन्तु कर्नाटक के संसद सदस्यों का कहना है कि उन्हें पूर्ण-रूपेण दूरदर्शन केन्द्र शीघ्र चाहिए । मेरा निवेदन यह है कि त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र ने अभी तक कार्य करना आरम्भ नहीं किया है । यह अभी केवल कागजों पर ही है । इसमें अभी कई वर्ष लगेंगे । अतः क्या माननीय मन्त्री महोदय मेरे इस अनुरोध पर विचार करेंगे कि तब तक त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र में रिले तथा ट्रांसमिशन लगा दें ।

**श्री बसंत साठे** : बंगलौर की तरह त्रिवेन्द्रम को भी छठी योजना में शामिल कर लिया गया है । जब भी केरल सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी, तभी मैं बंगलौर की तरह ही वहां भी दूर-दर्शन केन्द्र स्थापित करना स्वीकार कर लूंगा ।

**श्री सी०टी० दण्डपाणि** : यह प्रश्न केवल बंगलौर से ही सम्बद्ध नहीं है, अपितु यह मद्रास से प्रसारण करने के बारे में भी है । ऐसी स्थिति में तो मैं कोयम्बटूर के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता हू । कोयम्बटूर में पहले ही दूर-संचार टावर लगाया जा चुका है । जांच करने पर यह पता चला है कि 30-40 लाख रुपये की लागत से कोयम्बटूर में दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण किया जा सकता है । क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे तथा यह आश्वासन देंगे कि वह इसे स्वीकार करेंगे ।

**श्री बसंत साठे** : कोयम्बटूर में डाकतार विभाग द्वारा एक सूक्ष्म तरंग टावर स्थापित करवाने जा रहे हैं । केवल सूक्ष्म तरंग टावर लगाकर ही दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारण केन्द्र या स्टुडियो का काम नहीं लिया जा सकता । कोयम्बटूर में जो सूक्ष्मतरंग टावर है, उसका उपयोग कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है । परन्तु रिले स्टेशन पर भी लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च आता है । यदि इसका सुझाव दिया गया है तो हम उस पर विचार करेंगे ।

**श्री आर. एस. स्पेरो** : एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूरदर्शन केन्द्र जिसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है अर्थात् जिससे पाकिस्तान तथा अन्य देशों से सम्पर्क किया जा सकता है; यह जालन्धर में स्थापित किया गया है । अनेक बार यह आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही यह पूर्ण रूपेण कार्य करना आरम्भ कर देगा । मैं मंत्री महोदय से विनम्रता-पूर्वक यह पूछना चाहता हूं कि वह हमें यह बतायें कि निर्धारित कार्यक्रम से इतने महीने पीछे रहने के बावजूद भी तथा इस दौरान अनेक प्रयत्नों के व्यर्थ हो जाने के बाद आज इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति क्या है ?

**श्री बसंत साठे** : जहां तक जालन्धर का सम्बन्ध है, आपको मालूम ही है कि विवाद के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका । अब यह विवाद हल किया जा चुका है । टावर का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा । अब तो यह केवल कुछ महीनों की बात रह गई है । जैसे ही टावर का कार्य पूरा हो जायेगा, जालन्धर एक पूर्ण रूपेण दूर-दर्शन केन्द्र के रूप में कार्य करने लगेगा ।

**असम में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत**

*214. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश की तुलना में असम में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान असम में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी होने की संभावना है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) वर्ष 1979-80 के दौरान असम और अखिल भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 35.66 यूनिट और 130.48 यूनिट थी ।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा दी गई अद्यतन सूचना के आधार पर, वर्ष 1980-81 के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति प्रत्याशित खपत 32.8 यूनिट बैठती है ।

**श्री संतोष मोहन देव** : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में 1979-80 वर्ष के लिए 35.66 किलोवाट के आंकड़े दिए हैं जबकि बिजली के अखिल भारतीय आंकड़े 130.48 किलोवाट हैं ।

लेकिन भाग (ख) में मन्त्री ने कहा है कि 1980-81 के दौरान यह घटकर 32.8 किलोवाट रह जाएगा और यह है कि यह केवल अधिक मांग के ही कारण है ।

इस उत्तर को दृष्टि में रखते हुए और मन्त्री के पहले दिए गए एक दूसरे अतारांकित प्रश्न के उस उत्तर को दृष्टि में रखते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि असम के कुल 40,000 गांवों में से केवल 4658 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, क्या मै मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि असम में बिजली उत्पादन के लिए भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में क्या कदम उठा रही है ?

क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने असम में बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ गैस टर्बाईन खरीदने की अनुमति दी है और यदि हां, तो क्या वे असम के लिए कुछ और गैस टर्बाईन देने पर विचार कर रहे हैं ? मुझे केन्द्रीय बिजली बोर्ड से पता चला है कि आरम्भ की जा चुकी परियोजनाओं को पूरा करने में चार वर्ष और लगेंगे ।

**ऊर्जा मंत्री (श्री ए.बी. ए. गनी खान चौधरी)** : यह सच है कि प्रति व्यक्ति खपत घट गयी है । यह मुख्यतः आसाम के स्थानीय उपद्रवों के कारण है । आसाम में बिजली की प्रति

व्यक्ति खपत 35.66 एकक है जबकि राष्ट्रीय औसत 130.48 एकक है। चालू योजना के अन्त तक अर्थात् 1984-85 तक आसाम में खपत के 75 एकक तक बढ़ने की सम्भावना है जबकि राष्ट्रीय औसत के बढ़कर 200 एकक होने की संभावना है। भारत सरकार ने समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये अनेक परियोजनायें स्वीकार की हैं जो कार्यान्वयन के बाद 1984-85 तक वर्तमान 330 किलोवाट की अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाकर 1000 किलोवाट कर देंगी जिसका अर्थ तीन गुणा वृद्धि होगी। वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता में तीन गुणा वृद्धि से बिजली की खपत सम्बन्धी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और राष्ट्रीय औसत का अंतर कम हो जायेगा।

**श्री संतोष मोहन देव** : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि बोंगाई गांव तापीय परियोजना और बरकडैम परियोजना जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण परियोजनायें हैं, की क्या स्थिति है ?

**श्री विक्रम महाजन** : जहां तक बोंगाईगांव तापीय परियोजना का सम्बन्ध है, इससे 1981-82 के दौरान 60 मेगावाट बिजली मिलने की सम्भावना है और 1984-85 के दौरान 60 मैगावाट और बिजली मिलने की सम्भावना है।

जहां तक बरकडैम परियोजना का सम्बन्ध है, इसके पहले यूनिट का लाभ 1980-81 में होगा और दूसरे का 1981-82 में।

**श्री उत्तम राठौर** : इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुये कि वे प्रति व्यक्ति खपत के राष्ट्रीय स्तर के औसत की तुलना में बहुत पीछे हैं, क्या सरकार द्वारा बिजली उत्पादन के लिये उन्हें विशेष अनुदान दिये जाने की सम्भावना है ?

**श्री विक्रम महाजन** : मंत्री महोदय अपने मूल उत्तर में कह चुके हैं कि आसाम में बिजली उत्पादन में बहुत वृद्धि होने की सम्भावना है। हमें आशा है कि आसाम तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 1984-85 में 1303 मैगावाट फालतू बिजली हो जाएगी और अधिकतम खपत के घंटों में भी 227 मैगावाट बिजली फालतू होगी। आसाम को विशेष अनुदान भी दिये जा रहे हैं।

**श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आसाम की तरह हिन्दुस्तान की और कौन सी बैकवर्ड स्टेट्स में बिजली के मामले में और उसके लिए आपने कौन सी कार्यवाही की है। जिसके जरिए उनकी बिजली की कमी पूरी हो सके ? ... (**व्यवधान**) ... बिहार भी वैसा ही है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिए आप को नया सवाल करना पड़ेगा।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : मंत्री महोदय के विवरण से पता चलता है कि आसाम में बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत की तुलना में एक तिहाई है। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि आसाम की स्थिति में सुधार लाने के लिये मंत्री महोदय कितना समय लेंगे। वहां आंदोलन चल रहा है। केवल आर्थिक उत्थान के लिये ...।

**अध्यक्ष महोदय :** वह इस बारे में पहले कह चुके हैं।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** वह समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बारे में कह चुके हैं। मैं विशेषकर आसाम राज्य के बारे में जानना चाहता हूं कितना समय लगेगा—

**श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी :** उसमें आसाम भी शामिल है। जब हम "उत्तर-पूर्वी क्षेत्र" कहते हैं तो हमारा तात्पर्य आसाम से भी है।

**चौगुले समूह द्वारा कम्पनी कानूनों का कथित उल्लंघन**

*216 **धर्मदास शास्त्री :**

**श्री के० लक्कप्पा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौगुले समूह के स्वामित्वाधीन कई कम्पनियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद कानूनी रूप से निर्धारित अवधि में कम्पनी के तुलनपत्र प्रस्तुत करने के मामले में कम्पनी कानून विनियमों का उल्लंघन कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या इस कम्पनी समूह के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर) :** (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**श्री धर्मदास शास्त्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने, 'येस सर' 'नो सर' कह कर बात खत्म कर दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह उन कम्पनियों की सूची बताएंगे जिन कम्पनियों ने टाइमली बैलेंस शीट सबमिट किया है ? यह जानकारी मैं चाहता हूं।

**श्री पी. शिवशंकर :** श्रीमन्, चौगुले ग्रुप की 18 कम्पनियां हैं जैसी कि हमको इन्फार्मेशन मिली है और सारी की सारी कम्पनियों ने बैलेंस शीट जनरल बाडी मीटिंग के 30 दिन के अंदर ही दाखिल कर दिया है। यह दफा 220 के तहत बिल्कुल सही है।

**श्री के० लक्कप्पा :** मेरे मित्र, श्री शिवशंकर कम्पनी कार्य मंत्री ने स्पष्टरूप से नहीं प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कह दिया है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि श्री चौगुले के स्वामित्व वाली 18 कम्पनियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि श्री चौगुले की छः

कम्पनियों ने छानवीन तथा तुलन पत्र पूरे करने के लिए रखी गयी आम सभा की बैठक के तुरन्त बाद और वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद नियतकालिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए। क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच करवादेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि मंत्रालय द्वारा मंत्री महोदय को दी गयी सूचना ठीक नहीं है।

अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय वहां की स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे और देखेंगे कि चोगुले की कई कम्पनियां कम्पनी कानून नियमों और विनियमों का उल्लंघन किस स्थिति तक कर रही हैं।

**श्री पी० शिवशंकर** : प्रश्न ही चौगुले समूह की कम्पनियों द्वारा उल्लंघन से संबन्धित है।

**श्री के० लकप्पा** : उन्हें इतना टेकनिकल नहीं होना चाहिए। मैं इस बारे में जानता हूं। वकील के नाते आपको इतना टेकनिकल नहीं होना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : वह नहीं चाहते कि आप धोका खायें।

**श्री पी० शिवशंकर** : वह मेरा उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : वह अपने मानदण्ड के अनुसार उत्तर चाहते हैं।

**श्री पी० शिवशंकर** : यह प्रश्न इन कम्पनियों द्वारा तुलनपत्र प्रस्तुत करने के संबन्ध में है। अब वह कहते हैं कि छः कम्पनियों ने तुलनपत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी कानून का उल्लंघन किया है। मुझे इस बारे में सूचना प्राप्त करने में प्रसन्नता होगी। लेकिन जब मैंने सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रार से सूचना लेने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि इन सब कम्पनियों ने समय के अन्दर अपने तुलनपत्र प्रस्तुत कर दिए हैं। लेकिन यदि मेरे मित्र कोई सूचना दें तो मैं आश्वासन देता हूं कि मैं अवश्य इसकी जांच करवाऊंगा और तथ्यों का पता लगाऊंगा। मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा...।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : इसे किसी द्वारा प्रेरित प्रश्न न समझें।

**श्री पी० शिवशंकर** : यह आपका खजाना नहीं है। प्रश्न किसी और ने पूछा है। आप कुछ समय तक प्रतिक्षा कर सकते थे।

**श्री रामविलास पासवान** : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चौगुले शिपिंग सर्विस को सरकार ने अपने हाथ में लिया, क्या इसका कारण यह भी था कि उन्होंने ला का वायलेशन किया था ?

**श्री पी० शिवशंकर** : जहां तक शिपिंग कम्पनी का सम्बन्ध है...(व्यवधान) यदि आप हिन्दी के लिए कहें, तो निश्चय ही मैं हिन्दी में बोलूंगा।

बात यह है कि जहां तक स्टीमशिप कम्पनी का सम्बन्ध है, इसे चौगुले स्टीमशिप कम्पनी कहते हैं। यह कम्पनी अभी भी इसी व्यक्ति के पास है और इस कम्पनी को अधिकार में नहीं लिया गया है। मेरे विचार में यह सूचना गलत है कि चौगुले स्टीमशिप कम्पनी को अधिकार में ले लिया गया है। हमारे पास अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं है...(व्यवधान) नहीं, इसे अधिकार में नहीं लिया गया है।

**पर्वतीय राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य तेज करना**

*217. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू, तथा कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जैसे पर्वतीय राज्यों और क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य राज्यों के दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को पर्याप्त धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान इन बोर्डों में से प्रत्येक को अनुदान या ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 1981-82 और छठी पंचवर्षीय योजना के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के पूर्ण विद्युतीकरण हेतु कोइ कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम, पर्वतीय राज्यों में तथा अन्य राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों, अर्थात् जनगणना रिकार्ड में पर्वतीय क्षेत्रों के रूप में यथा पारिभाषित क्षेत्रों में भी ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। इन क्षेत्रों में 31-1-1981 तक, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 218.34 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता की 506 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। स्वीकृत स्कीमों का राज्यवार ब्योरा, शामिल किए गए गांवों की संख्या तथा स्वीकृत की गई ऋण राशि उपबन्ध 1 में दी गई है।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के सम्बन्ध में (1977-78 से 1979-80) के पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा 72.43 करोड़ रुपये की ऋण किस्तें मुहैया कराई गई हैं। ब्योरा उपबन्ध 2 में दिया गया है।

(ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए संदर्शी योजना प्रस्तावों के अनुसार, पर्वतीय राज्यों तथा अन्य राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों सहित, शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण 1994-95 तक हो जाने की संभावना है बशर्ते कि अपेक्षित साधन उपलब्ध हों। वर्ष 1981-82 के दौरान, ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत देश में 18,000 गांवों के विद्युतीकृत हो जाने की संभावना है। इनमें वे गांव भी शामिल है जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं।

**उपबन्ध-1**

**पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें**

(लाख रुपये में)

| क्र०सं० | राज्य | स्कीमों की संख्या | स्कीम के अन्तर्गत आने वाले गांव | स्वीकृत ऋण राशि (31-1-1981) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | असम | 4 | 233 | 190.010 |
| 2. | गुजरात | 10 | 824 | 505.850 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 50 | 6947 | 2115.588 |
| 4. | जम्मू और कश्मीर | 81 | 4505 | 2955.798 |
| 5. | कर्नाटक | 15 | 609 | 473.280 |
| 6. | केरल | 17 | 57 | 485.161 |
| 7. | महाराष्ट्र | 14 | 610 | 633.312 |
| 8. | मणिपुर | 10 | 544 | 655.116 |
| 9. | मेघालय | 34 | 1023 | 1404.044 |
| 10. | नागालैण्ड | 9 | 178 | 440.616 |
| 11. | उड़ीसा | 162 | 12924 | 6814.042 |
| 12. | राजस्थान | 51 | 2357 | 1955.650 |
| 13. | तमिलनाडु | — | — | — |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 47 | 6710 | 3064.488 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 2 | 104 | 141.349 |
| | जोड़ | 506 | 37625 | 21834.604 |

उपबन्ध-2

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के सम्बन्ध में (1977-78 से 1979-80 के) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वितरित की गई ऋण राशि की राज्यवार स्थिति दिखाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

| क्रम सं० | राज्य | अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1980 तक वितरित की गई राशि |
|---|---|---|
| 1. | असम | 42.560 |
| 2. | गुजरात | 128.724 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 604.805 |
| 4. | जम्मू और कश्मीर | 1150.976 |
| 5. | केरल | 180.401 |
| 6. | कर्नाटक | 146-409 |
| 7. | महाराष्ट्र | 28.203 |
| 8. | मणिपुर | 187.463 |
| 9. | मेघालय | 687.432 |
| 10 | नागालैण्ड | 143.681 |
| 11. | उड़ीसा | 2293.131 |
| 12. | राजस्थान | 646.425 |
| 13. | तमिलनाडु | —— |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 979.853 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 22.954 |
| | जोड़ | 7243.017 |

**प्रो० नारायण चन्द पराशर :** विवरण में दिए गए भाग (ग) के उत्तर से ऐसा लगता है कि पूर्ण विद्युतीकरण 1994-95 तक जाकर होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समय सीमा सारे देश के सम्पूर्ण विद्युतीकरण की है या यह पहाड़ी क्षेत्रों के साथ किया गया तरजीही सलूक है ? यदि ऐसी बात नहीं है तो मन्त्री महोदय हमें बतायेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है ?

**श्री विक्रम महाजन :** जहां तक 1994-95 का सम्बन्ध है चूंकि इसका समस्त देश से सम्बन्ध है तो, स्पष्टतः इसमें पहाड़ी क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष सहायता देने का सम्बन्ध है, मेरे विचार से सभापटल पर रखे गए विवरण के साथ संलग्न परिशिष्ट में मैंने सभी पहाड़ी क्षेत्रों के और उन राज्यों के जिनमें अन्य क्षेत्र हैं। आंकड़े दे दिए हैं परिशिष्ट-1 में मैंने जनवरी, 1981 तक स्वीकृत ऋण राशि का ब्यौरा दिया है। असम के खाते में 190 लाख रुपये दिए गए हैं गुजरात के लिए 505 लाख रुपए। उसमें सभी विवरण दिया गया है। केवल इतना ही नहीं हमने विभिन्न प्रदेशों को वर्गीकृत कर दिया है। इसमें सामान्य विकसित क्षेत्र, सामान्य पिछड़े क्षेत्र और उसके बाद विशेषतः कम विकसित क्षेत्र जैसे वर्ग हैं। इसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हैं। ऐसे वर्ग भी हैं जिनमें हमने पिछड़े, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों को वर्गीकृत किया है।

जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उन्हें अधिकाधिक धन देने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

**प्रो० नारायण चन्द पराशर :** महोदय उत्तर स्पष्ट नहीं है। अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि 1994-95 पहाड़ी और उसके साथ-साथ समस्त देश को बिजली पहुंचाने की अवधि है ? यदि सारे देश का विद्युतीकरण किया जाता है तो स्वाभाविक है कि पहाड़ी क्षेत्र का भी उसमें आ जाएगा। मेरा कहना यह था कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इस अवधि को घटाया जा सकता है। दूसरे, महोदय उन्होंने उन गांवों की संख्या दी है जिनका विद्युतीकरण होना है। क्या सच है कि आजकल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम किसी गांव की वितरण लाईन के गांव में पहुंच जाने पर उसे विद्युतीकृत मान लेता है। तब ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अनुसार गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण की क्या परिभाषा है ?

**श्री विक्रम महाजन :** जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का संबन्ध हैं, जब तक अधिकांश ग्रामीण बिजली नहीं प्राप्त कर लेते हम गांव को उसके अन्तर्गत लाया हुआ नहीं मानते हैं। यदि माननीय सदस्य कोई उदाहरण-विशेष दें तो हम इसकी जांच करायेंगे और समस्या का हल निकालेंगे। जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों को सहायता का सम्बन्ध है मैंने परिशिष्ट में विशेष रूप से यह विवरण दिया है। हम पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों को विकसित करने का भारी प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री चिन्द्रामणि पाणिग्रही** : महोदय, 1980-81 में उन्होंने राज्य बिजली बोर्डों को 218 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। क्या मैं अब तक राज्य बिजली बोर्डों को ऋण के रूप में दी गई कुल धनराशि के बारे में जान सकता हूं और क्या सरकार को यह पता है कि लगभग सभी राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं ? इस सम्बन्ध में, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों से अपनी कार्यविधि को दोषरहित तथा कुशल बनाने के लिए कहा है उनके कार्यकलापों की निगरानी रखने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं।

**ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनीखां चौधरी)** : महोदय, हमने सब कुछ बदल दिया है। हम न केवल धन दे रहे हैं अपितु समग्र उपस्कर पर निगरानी भी रख रहे हैं, जिससे कि वे अपना काम कुशलता से कर सकें···(व्यवधान)।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : महोदय मैंने यह पूछा था कि अब तक राज्य बिजली बोर्डों को कुल कितना ऋण दिया गया है और दूसरे क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि सभी राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं ?

**श्री विक्रम महाजन** : महोदय हमें इसके लिए अलग से सूचना चाहिये। माननीय सदस्य प्रश्न-विशेष पूछ सकते हैं और हम उसका उत्तर देंगे।

**श्री के० ए० राजन** : केन्द्र सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों को बहुत सारा धन दे रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में मैं महोदय से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हम यह समझें कि किसी गांव तक वितरण लाइन खींच देने को ही उस गांव का विद्युतीकरण समझ लिया जाएगा ? यदि नहीं तो इसकी क्या नीति है ? क्या नियम हैं ? इस सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त क्या हैं ? क्या आप उपभोक्ता, घरों की संख्या या इस जैसे किसी मानक को नहीं अपना रहे हैं ? केवल किसी गांव तक लाइन खींच देने और वहां एक चौकी बिठा देने से ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं चलेगा।

**श्री ए० बी० ए० गनीखां चौधरी** : मार्गदर्शन सिद्धान्त स्पष्ट हैं। राज्य बिजली बोर्ड ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से धन प्राप्त कर सकते हैं। जब वे ऋण लेते हैं तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यह पूछता है कि क्या सम्बद्ध राज्य बिजली बोर्ड ऋण को लौटाने की स्थिति में है या नहीं। हमारे कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं, उदाहरण स्वरूप कृषिजन्य क्षेत्र के सम्बन्ध में हम यह जानना चाहते हैं क्या कृषि क्षेत्र का विस्तार होने की सम्भावना है आदि आदि। इसी तरह इन मामलों से सम्बद्ध हमारे निश्चित मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं।

**श्री फूलचन्द वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जो सूची दी है, उसमें मध्यप्रदेश का उल्लेख नही है, जबकि मूल प्रश्न में मध्यप्रदेश के बारे में भी पूछा गया था। मंत्री जी ने बतलाया है कि इस काम पर 218 करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा 18 हजार गाँवों को रूरल-इलैक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जोड़ा जाएगा। मैं जानना चाहता हूं—क्या आप इस

बात की जानकारी अपने मंत्रालय से करेंगे कि जब मूल प्रश्न के अन्दर मध्यप्रदेश का नाम है तो वहां के पहाड़ी क्षेत्रों के कितने गांवों के लिए विद्युतीकरण की योजना है तथा इसका मूल उत्तर में समावेश क्यों नहीं किया गया ?

**श्री विक्रम महाजन** : मैं सूचना एकत्र करके आपको दूंगा ।

**श्री फूल चन्द वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, यह क्या उत्तर है ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह इसको ठीक कर देंगे, उसमें आ जाएगा । (व्यवधान) ।

**श्री वीरभद्र सिंह** : पहाड़ी क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि कहीं अधिक पहाड़ी, पिछड़े हुए और दूरस्थ हैं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा निश्चित किए गए वर्तमान मानकों के अनुसार, ये क्षेत्र ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से सहायता के पात्र नहीं हैं । मैं सरकार से यह पता करना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों के बारे में मानकों में फेर-बदल कर दिया है जिससे कि उन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से सहायता मिल सके । मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि 31-3-80 को सरकार हिमाचल प्रदेश की 50 योजनाओं को पहले ही स्वीकृत कर चुकी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक वास्तव में कितना रुपया बांटा गया है ।

**श्री विक्रम महाजन** : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे उस परिशिष्ट-II को देखें जिसमें सूचना दी गई हैं। 31-3-80 तक हिमाचल-प्रदेश को 604.805 लाख रुपये का ऋण दिया गया है । यह उस ऋण के आंकड़े हैं जो कि पहले ही बांटा जा चुका है और परिशिष्ट-II में दिया गया है । परिशिष्ट-I में मैंने कुछ अन्य वर्गों के बारे में सूचना दी है और मैं यह आंकड़े पहले ही दे चुका हूं ।

**थीन बांध की बिजली का बंटवारा**

*218. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान और हरियाणा सरकारों के इस अनुरोध पर विचार कर लिया है कि थीन बांध परियोजना से उपलब्ध बिजली में उन्हें हिस्सा दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री द्वारा 14-2-1979 को ली गई बैठक में प्रधान मंत्री ने महसूस किया कि चूंकि विवादाग्रस्त मुद्दों पर निर्णय कानूनी अधिकारों के आधार पर लिया जाना है, अतः थीन बांध परियोजना से होने वाले विद्युत लाभों से राजस्थान और हरियाणा के हिस्से की हकदारी के संबंध में वे भारत के महान्यायवादी की राय लेंगी । महान्यायवादी ने अपनी राय

दे दी है, जिसमें विवादग्रस्त मुद्दों के सभी पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। मामले के बारे में अभी अन्तिम राय बढायी जानी है।

**श्री चिरजी लाल शर्मा** : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या फरवरी, 1979 के बाद देश के राजनैतिक ढांचे में परिवर्तन आने के बाद, प्रधान मंत्री महोदय ने राजस्थान और हरियाणा के (**एक माननीय सदस्य** : पंजाब के भी) साथ-साथ पंजाब के भी मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक बुलाई है। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि थीन बांध परियोजना कब पूरी होने वाली है। तीसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के अनुसार महान्याय-वादी ने अपना मत दे दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार को यह सूचना कब मिली थी ? महान्यायवादी के मत पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? और परियोजना के अन्तर्गत आने वाली इस योजना में अनावश्यक रूप से विलम्ब क्यों किया गया है ?

**श्री विक्रम महाजन** : इस परियोजना के सातवीं पंचवर्षीय योजना तक पूरी होने की सम्भावना है। जहां तक महान्यायवादी के मत का सम्बन्ध है मैंने अपने उत्तर में बता दिया है कि अन्तिम निर्णय अभी लेना बाकी है। जहाँ तक तिथि की बात है, यह 2 मई, 1979 को दिया गया था और मुख्य मंत्री की बैठक के बारे में मैं पता करूंगा।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### पाकिस्तान द्वारा तेल की सप्लाई

*208. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या एक लाख टन तेल सप्लाई के लिए भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच जनवरी, 1981 में कोई समझौता हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समझौते की शर्तें क्या हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) वर्ष 1981 के दौरान एक लाख मी० टन मट्टी का तेल आयात करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया गया है।

(ख) मूल्यों आदि के सम्बन्ध में ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा ।

**सिंचाई पम्प सैटों के लिए बिजली देना**

*209. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सिंचाई पम्प सैटों को बिजली देने के किसी कार्यक्रम पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सिंचाई पम्प सैटों के विद्युतीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कोई राशि निर्धारित की गई है ?

**उर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** : (क) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से पम्पसेटों को ऊर्जित करने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । मार्च, 1980 के अन्त तक ऊर्जित पम्पसेटों/ट्यूबवैलों की कुल संख्या लगभग 39.50 लाख थी । 1.4.1980 से 31.12.1980 तक 2 30 लाख अतिरिक्त पम्पसेट ऊर्जित किए गये हैं ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 1,576 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की परिकल्पना है, जिसमें से ग्राम विद्युतीकरण निगम का भाग 880 करोड़ होने की संभावना है । इस योजना में पम्पसेटों के ऊर्जन पर मुख्य तौर से बल दिया जाएगा तथा इस योजना के दौरान देश में 25 लाख पम्पसेटों को ऊर्जित करने का प्रस्ताव है । इसमें से 16 लाख पम्पसेटों को (8 लाख को ग्राम विद्युतीकरण निगम के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा अन्य 8 लाख को ग्राम विद्युतीकरण निगम के विशिष्ट कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत) ऊर्जित करने के लिए वित्त व्यवस्था ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से की जाएगी तथा शेष 9 लाख पम्पसेटों के लिए वित्त व्यवस्था उन निधियों से की जाएगी जो सीधे ही राज्यों को उनके सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए उपलब्ध करायी जाएगी । इस प्रकार, योजना परिव्यय का अधिकांश हिस्सा निगम के माध्यम से राज्य को देने का प्रस्ताव है ।

**अशोधित तेल के प्राप्ति-योग्य भंडार**

*210. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अशोधित तेल के कुल प्राप्ति-योग्य भंडार, जो 1979 में 45 करोड़ 20 लाख टन था, कम होकर जनवरी, 1980 में 36 करोड़ टन रह गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा आकाशवाणी से प्रसारण**

*212. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय का निर्णय लिया है कि राज्यों के मुख्य मंत्री अब आकाशवाणी से प्रसारण कर सकेंगे ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तैयार कर ली गई है ; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उन्हें प्रसारण से पूर्व अपने भाषण की एक अग्रिम प्रति आकाशवाणी द्वारा जांच के लिए भेजनी होगी ; और

(घ) क्या सभी मुख्य मन्त्रियों ने, विशेष रूप से विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने उक्त प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया है और यदि नहीं, तो उनका दृष्टिकोण क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे)** : (क) राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा आकाशवाणी से प्रसारण किए जाने पर कभी भी कोई रोक नहीं रही है ।

(ख) आकाशवाणी महानिदेशक ने 31 जनवरी, 1981 को आकाशवाणी केन्द्रों को अपने पहले के इन अनुदेशों को पुनः दोहराया है कि प्रसारण के लिए मुख्य मन्त्रियों का सदा स्वागत है ।

(ग) जी, हां । अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रसारणों की स्क्रिप्ट की एक अग्रिम प्रति प्राप्त करने और प्रसारण को पहले से रिकार्ड करने की भी आकाशवाणी के केन्द्रों की परिपाटी रही है ।

(घ) क्योंकि यह मामला आकाशवाणी के अधिकार-क्षेत्र में है, अतः राज्य सरकारों से सलाह करना आवश्यक नहीं है ।

**राज्य विद्युत बोर्डों की निधियों के सम्बन्ध में मृत्यु ह्रास सूत्र**

*215. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जिन्होंने विद्युत बोर्डों की निधियों के संबंध में केन्द्रीय प्राधिकरण के मूल्य ह्रास सूत्र को, जो नियत परिसम्पत्ति का 3% निर्धारित था, बदलने का अनुरोध किया है ;

(ख) इस मांग के लिए किन-किन कारणों का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी ।

**हड़तालों के कारण विद्युत उत्पादन में हुई कमी**

*219. **श्रीमति कृष्णा साही** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-1979 में हड़तालों और मंदगति से काम किए जाने के कारण विद्युत उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) वर्ष 1980 में कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित इंजीनियरिंग यूनिटें बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो किसी संयंत्र विशेष में इंजीनियरो तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई हड़तालों या मंद गति से काम करने के आन्दोलनों के समय तापीय तथा जल विद्युत यूनिटों को चला सके ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) हड़ताल और धीरे काम करने के कारण विद्युत की हानि का मूल्यांकन करना संभव नही है। अतः 1977-79 और 1980 की दोनों अवधियों के दौरान हुई विद्युत की हानि का मूल्यांकन करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है । कठिनाई मुख्यतः उपस्करों के जटिल स्वरूप के कारण तथा कभी-कभी होने वाले श्रमिक विवादों की विशेषताओं के कारण है, जो सामान्यतः उद्योग के कामगारों/स्टाफ/इंजीनियरों के केवल एक भाग को ही प्रभावित करते हैं। माननीय सदस्य द्वारा सुझाए गए अनुसार विभिन्न वैकल्पिक योजना कौशलों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है और लोक हित में इस स्थिति में इन्हें बताना संभव नहीं है ।

**नदी जल के बारे में नेपाल से वार्ता**

*220. **श्री एस० एम० कृष्ण** :

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी हाल की नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल सरकार से नदी जल के दोनों देशों के लिए लाभप्रद उपयोग, पन बिजली के उत्पादन, नौगम्यता और बाढ़ नियंत्रण जैसे विषयों पर बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) देवीघाट जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखे जाने के समारोह के संबंध में ऊर्जा मंत्री ने 2 और 3 फरवरी, 1981 को काठमाण्डू का दौरा किया था इस दौरे के दौरान ऊर्जा मंत्री ने नेपाल की महामहिम सरकार के प्रधान मंत्री तथा जल साधन मंत्री के साथ भेंट की थी और उनके साथ विचार-विमर्श किया था। करनाली, पंचेश्वर आदि जैसी विभिन्न बहुद्देशीय परियोजनाओं पर अधिकारियों के स्तर पर पहले हुए विचार-विमर्शों की संक्षिप्त समीक्षा का अवसर भी इन विचार विमर्शों के दौरान लिया गया था। जल साधनों के विकास के क्षेत्र में परस्पर लाभदायक द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर दोनों पक्षों ने बल दिया।

**मध्य प्रदेश को डीजल का आवंटन**

*221. श्री शिव कुमार सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और दिसम्बर, 1980 के बीच मध्य प्रदेश को कुल कितनी मात्रा में डीजल आबंटित किया गया ; और

(ख) गत दो वर्षों में किये गये आबंटन की तुलना में यह कितना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जनवरी और दिसम्बर, 1980 के दौरान मध्य प्रदेश को हाई स्पीड डीजल (एच. एस.डी.) की करीब 4.45 लाख मी. टन मात्रा का आवंटन किया गया था।

(ख) डीजल के मासिक आवंटन की प्रणाली केवल अक्तूबर, 1979 से आरम्भ की गई थी। मध्य प्रदेश के लिए 1980 में डीजल का कुल आवंटन करीब 4,45,000 मी. टन था जबकि 1979 में इसका विक्रय 4,03,000 मी. टन था।

**भारत और सोवियत संघ द्वारा तेल की खोज के लिए संयुक्त कार्य**

*222. श्री राम चन्द्र रथ : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में तेल की खोज के लिए भारत और सोवियत संघ ने संयुक्त रूप से कार्य करना आरभ किया है ;

(ख) क्या उक्त तेल खोज कार्य के लिए दोनों देशों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ग) तेल की खोज का उक्त कार्य हमारे देश में किन-किन स्थानों पर हो रहा है ;

(घ) क्या सरकार का उक्त तेल खोज कार्यक्रम के विस्तार के लिए सोवियत संघ के साथ बातचीत करने का कोई नया प्रस्ताव है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इस समय रूसी-भारतीय दल त्रिपुरा में रोजिया अन्वेषी कूप को खोद रहा है।

(घ) और (ङ) 10 दिसम्बर, 1980 को हस्ताक्षर किए गए आर्थिक और तकनीकी करार के अनुसार रूसी पक्ष भारतीय पक्ष को भारत के अपतटीय क्षेत्रों में से एक संभावित क्षेत्र के कार्यान्वयन में, भू-भौतिकीय तथा व्यधन कार्य सहित तेल और गैस के समेकित निर्माण कार्य में, निक्षेप (डिपाजिट) और उत्पादन सुविधाओं की स्थापना से सम्बन्धित मूल तकनीकी विचारधाराओं को विस्तृत करने में सहयोग प्रदान करेगा। क्षेत्र का चुनाव भारतीय और रूसी पक्षों के आपसी समझौते के अनुसार किया जावेगा।

**फ्रांसीसी परामर्शदात्री कम्पनी की बम्बई हाई की यात्रा**

*223. **श्री जनार्दन पुजारी :**

**श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी फ्रांसीसी परामर्शदात्री कम्पनी ने भारत का तेल उत्पादन बढ़ाने की संभावना का अध्ययन करने के लिए बम्बई हाई की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी द्वारा इस बारे में सरकार को दिये गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, नहीं। वर्तमान परामर्शी समझौते के अन्तर्गत सी. एफ. पी. ने ओ. एन. जी. सी. के साथ आवधिक परामर्शों के दौरान, समझौते की अवधि बढ़ाने और उसके कार्य क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करने आदि की संभावना पर सामान्य रूप से विचार विमर्श किया गया था।

(ख) और (ग) ब्यौरों पर अभी विचार विमर्श और बातचीत की जानी है।

**कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे बिजलीघर**

*224. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तापीय बिजली घर कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में तापीय बिजलीघरों के लिए कोयले की ढुलाई की विद्यमान व्यवस्था पर पुनर्विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :** (क) पिछले वर्ष के पूर्वार्ध में यद्यपि कुछ ताप विद्युत केन्द्र लिक की गई मात्राओं की तुलना में कोयले की कम सप्लाई प्राप्त कर रहे थे, तथापि, अक्तूबर, 1980 से ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में सुधार हो रहा है और इस समय मोटे तौर पर अधिकांश ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई संतोषजनक है ।

(ख) और (ग) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई करने के लिए अपेक्षित विद्युत कोयले और वैगनों जैसे अवसंरचनात्मक निवेशों की सरकार नियमित रूप से समीक्षा कर रही है । अवसंरचनात्मक निवेशों की मानीटरिंग करने के लिए सरकार ने, अवरसंचनात्मक निवेशों पर एक मंत्रीमण्डलीय समिति का भी गठन किया है ।

(घ) अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान तापीय ऊर्जा का कुल उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 7.1% अधिक है । तथापि, नवम्बर, दिसम्बर, 1980 तथा जनवरी, 1981 के महीनों के दौरान हुआ कुल विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष के इन्ही महीनों के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में लगभग 20%, 16.3% और 9.5% तका बढ़ा है तथा तापीय ऊर्जा का उत्पादन पिछले वर्ष के इन्ही महीनों के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 21.8%, 22.3% तथा 14.6% तक बढ़ा है ।

**लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की डिस्ट्री-ब्यूटरशिप के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों को प्राथमिकता**

*225. **श्री के० कुन्हम्बू :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाना पकाने की गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को प्राथमिकता दिये जाने के बारे में भारतीय तेल निगम को कोई निदेश जारी किये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत वर्ष के दौरान कुल कितने व्यक्तियों को डिस्ट्री-ब्यूटरशिप दी गई और उनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां ।

(ख) "ख" स्थल फुटकर बिक्री केन्द्रों (डीलर स्वामीत्व और संचालित) को छोड़कर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए सब प्रकार की एजेंसियों/डीलरशिपों में से 25% आरक्षण करने की नीति इंडियन आयल कार्पोरेशन में 1 जनवरी, 1974 से लागू है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सब प्रकार की एजेंसियों/डीलरशिपों में 25% का आरक्षण करने की नीति 23 सितम्बर, 1977 से इंडियन आयल कार्पोरेशन सहित सब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में लागू है ।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा दी गई कुल 58 एल. पी. जी. एजेंसियों में से यह पता चला है कि 25 एजेंसियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रदान की गई हैं ।

**गैस पर आधारित नयी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना**

*226. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में गैस पर आधारित नौ उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन स्थानों का निर्धारण कर लिया है, जहां इन्हें स्थापित किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत किये गैस पर आधारित पांच उर्वरक प्लांटों अर्थात 2 प्लांट थाल वैशट, महाराष्ट्र में, 2 प्लांट हजीरा गुजरात में और एक प्लांट नामरूप असम के अलावा गैस पर आधारित 6 अन्य उर्वरक प्लांटों को चरणवृद्ध रूप में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित गैस पर आधारित उर्वरक प्लांटों के लिए स्थानों की सिफारिश करने हेतु एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्थानों के बारे में निर्णय किया जायेगा ।

## राज्यों में वक्फ सर्वेक्षण

2001. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों द्वारा कितने राज्यों में वक्फ सर्वेक्षण किये जा रहे हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : वक्फ सर्वेक्षण 5 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में किया जा रहा है और उनके परिणाम निम्नलिखित हैं :—

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | उन वक्फ सम्पत्तियों की संख्या जिनका तारीख 31-12-1980 तक सर्वेक्षण किया गया |
|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | 2399 |
| 2. | केरल | 1073 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 260 |
| 4. | उड़ीसा | 3352 |
| 5. | त्रिपुरा | 94 (30-9-80 तक) |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 3200 |

## सेवा निवृत्ति के बाद अधिकारियों द्वारा रोजगार प्राप्त करना

2002. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री सेवा-निवृत अधिकारियों द्वारा औद्योगिक गृहों में रोजगार लिए जाने के बारे में 9 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2969 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उनके मंत्रालय के एक उप सचिव, जो औषध उद्योग का काम देखा करते थे, ने सेवा-निवृत के बाद ओ० पी० पी० आई० (आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोडयूसर्स इन्डस्ट्री, बम्बई) के यहां नई दिल्ली के रेजीडेन्ट रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में अत्यधिक वेतन और भत्तों पर रोजगार प्राप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नौकरी के लिए उन्होने सरकार से अनुमति ली थी ;

(ग) बड़े औद्योगिक घराने में नोकरी शुरू करने से पूर्व, जब उसने स्वेच्छा से सेवा-निवृती ली, उपयुक्त उत्तर में उल्लिखित श्रेणी दो का अधिकारी किस पद पर नियुक्त था और उस समय वह किस विषय से सम्बन्धित कार्य देखा करता था ; और

(घ) सेवा-निवृत अधिकारियों तथा उद्योग, दोनों के इस प्रकार के कदाचारों की रोकथाम करने के लिए उनका क्या उपाय करने का विचार है ;

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के एक उप सचिव, जो औषध उद्योग से सम्बन्धित कार्य की देख भाल करते थे, को 13 अप्रैल 1978 से इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सरकारी उपक्रम, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० में स्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की अनुमति अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के साथ दी गई थी कि यदि सम्बन्धित अधिकारी की सेवाएं सम्बन्धित सरकारी उपक्रम द्वारा अथवा अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से भारत सरकार की सेवा से सेवा निवृत होने और सरकारी उपक्रम में स्थायी रूप से नियुक्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अन्तर्गत समाप्त किये जाएं तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कोई प्राइवेट रोजगार प्राप्त करने से पहले भारत सरकार की अनमति ली जायगी ।

अधिकारी ने दो वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद सरकारी उपक्रम से त्यागपत्र दिया था और ओ० पी० पी० आई० (भेषज निर्माता उद्योग संगठन) में कार्यभार सम्भाल लिया जिसके लिए सरकार से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी ।

(ग) श्रेणी II अधिकारी जिनका नाम लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2969 दिनांक 9 दिसम्बर 1980 के उत्तर में दिया गया है, सहायक के पद पर कार्य कर रहे थे । वे सवैच्छिक सेवा निवृति के समय सिन्थैटिक फाइबर उद्योग से सम्बन्धित काम कर रहे थे ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रत्येक मामले में उपरोक्त अधिकारियों को सेवा निवृति के बाद प्राइवेट रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं था ।

**मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बोध घाट बिजली परियोजना**

2003. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में बोध घाट बिजली परियोजना का सर्वेक्षण किया गया है और इस परियोजना का कार्य कब शुरू होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो बोध घाट बिजली परियोजना पर कितनी लागत आएगी और इस पर काम कब चालु होगा और यह कब तक पूरा होगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में स्थित बोधघाट जल विद्युत परियोजना (4 X 125 मेगावाट), 209.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1979 में स्वीकृत कर दी गई है । राज्य

प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मार्च, 1981 तक इस परियोजना पर 1.42 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण-पूर्व कार्यों के लिए लगने वाले एक वर्ष के अतिरिक्त यह परियोजना 6 वर्ष में पूरी किये जाने का कार्यक्रम है।

**मुआवजे के मामलों का निपटान**

2004. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री उल्हास नगर (जिला थाना), महाराष्ट्र के विस्थापित लोगों के मुआवजे के दावा आवेदनों के संबंध में 9 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2968 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उल्हास नगर (जिला थाना), महाराष्ट्र के विस्थापित लोगों के मुआवजे के दावों के विचाराधीन मामलों को कम करने के सम्बन्ध में गत दो वर्षों के दौरान क्या प्रयास किए गए और उनमें क्या प्रगति हुई; और

(ख) क्या उन्हें किसी तरह का मुआवजा भुगतान किया गया है और यदि हां, तो कितना मुआवजा दिया गया है और कितने आवेदनकर्त्ताओं को दिया गया है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) और (ख) 41 मामलों में से, पिछले दो महीनों में 2 मामले निपटाए गए हैं जिनमें सम्पत्तियों की सम्बद्ध लागत के प्रति 29,792 रुपये की राशि संमजित की गई है। शेष मामलों को अन्तिम रूप देने की दृष्टि से, राज्य सरकार तथा विस्थापित व्यक्तियों से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं।

**फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य**

2005. **श्री मतिलाल हसदा** :

**श्री सुभाष यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक कार्यालयों सहित फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य कौन हैं ;

(ख) क्या सेंसर बोर्ड के सदस्य संस्कृति, शिक्षा और इतिहास, राजनीति में विशेष जानकारी रखते हैं ;

(ग) प्रत्येक सदस्य की शैक्षिक योग्यता और अनुभव का विवरण क्या है; और

(घ) किसी फिल्म को प्रमाण-पत्र जारी करने में मार्गदर्शी सिद्धान्त और मानदण्ड क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) फिल्म सेंसर बोर्ड के इस समय निम्नलिखित सदस्य है :—

| | |
|---|---|
| (1) श्री हृषिकेश मुखर्जी | अध्यक्ष |
| (2) डा० (श्रीमती) माधुरी शाह | सदस्य |
| (3) कुमारी अनुसूया एम० नादकर्णी | सदस्य |
| (4) श्री एम० भक्तवत्सल | सदस्य |
| (5) श्री एल० वी० प्रसाद | सदस्य |
| (6) श्री तपन सिन्हा | सदस्य |
| (7) श्री वी० वी० जोन | सदस्य |
| (8) श्री के० वी० जगन्नाथन | सदस्य |

(ख) और (ग) बोर्ड का सदस्य होने की कसौटी यह है कि वे योग्य और उपयुक्त होने चाहिएं और वे केन्द्रीय सरकार की राय में इस योग्य होने चाहिएं कि वे फिल्मों का जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को आंक सकें। बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा फिल्मों के प्रमाणीकरण के बारे में चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2009/81]

**बरीपाडा, उड़ीसा में रेडियो स्टेशन की स्थापना**

2006. **श्री मनमोहन दुडु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के बरीपाडा में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) बरीपाडा में अलग रेडियो स्टेशन स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। कटक का

100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर जो इस समय एकल मस्तूल पर काम कर रहा है, उत्तर-पूर्वी उड़ीसा में बरीपाडा जिले को प्राथमिक ग्रेड की दिवाकालीन सेवा प्रदान करता है। अनुदिक एनटेना पद्धति के साथ दूसरे मस्तूल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसके लग जाने पर प्रसारण में और सुधार होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**मद्रास स्थित दूरदर्शन दर्शक अनुसंधान एकक**

2007. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में दूरदर्शन का कोई दर्शक अनुसंधान एकक कार्यरत है; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार का दर्शक अनुसंधान किया गया है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) जी हां।

(ख) श्रोता अनुसंधान एकक दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास द्वारा टेली कास्ट किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों यथा ग्रामीण कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यक्रम, औद्योगिक कार्यक्रम इत्यादि के बारे में गुणात्मक "फीड बैक" करने तथा दर्शकों की राय का मात्रात्मक आकलन करने के लिए समय समय पर सर्वेक्षण/अध्ययन करता है। कार्यक्रमों के विषयों का इन सर्वेक्षणों/अध्ययनों के निष्कर्षों की रोशनी में पुनरीक्षण किया जाता है और कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शोधक उपाय किए जाते हैं।

**रंगीन टेलीविजन शुरू करने के विरुद्ध वैज्ञानिकों का मत**

2008. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वैज्ञानिकों ने देश में रंगीन टेलीविजन शुरू करने के विरुद्ध मत व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या कारण दिये हैं; और

(ग) उनके सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) कुछ वैज्ञानिकों का यह मत है कि दूरदर्शन के क्षेत्र में आंगुलिक पद्धति का परीक्षण किया जा

रहा है और इसके लगभग एक दशक में शुरू होने की संभवना है। इसलिए उनका विचार है कि समूचे विश्व में वर्तमान सदर्श पद्धति के स्थान पर नई टैक्नोलाजी आ जाएगी और हमें वर्तमान सदर्श पद्धति पर रंगीन प्रेषण में जाने से पहले उस टैक्नोलाजी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनका यह भी विचार है कि हम इस समय सादी टैक्नोलाजी में आत्म निर्भर हैं और हमें रंगीन प्रेषण में जाने के बजाए सादी पद्धति का विस्तार करने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

(ग) तथापि, कुछ अन्य वैज्ञानिकों का यह मत है कि टैक्नोलाजी का हर समय विकास होता रहता है और आंगुलिक पद्धति के शुरू होने तक कोई नई टैक्नोलाजी विकसित हो सकती है। रंगीन प्रेषण के प्रश्न का इस बात से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है कि पद्धति सदर्श है या आंगुलिक। संसार में अधिकांश देश इस समय रंगीन प्रेषण में चले गए हैं ताकि रंगीन टेलीविजन सादे टेलीविजन के अनुरूप बन जाए। यह नोट करना उपयुक्त है कि रंगीन प्रेषण शुरू करने से सादे टेलीविजन सैट अप्रचलित नहीं होंगे क्योंकि सादे टेलीविजन सैटों को पहले की भांति सादा प्रेषण प्राप्त होता रहेगा। वीडियो पद्धति शुरू करने से बड़ी संख्या में ऐसे सेटों को रंगीन फिल्म के सेटों को इस्तेमाल करके तैयार किया जा रहा है। संसार के अन्य उन देशों, जो रंगीन प्रेषण में चले गए हैं, के साथ टी० वी० फिल्मों का आदान प्रदान करने की क्षमता का प्रश्न है। हम इन फिल्मों का आदान प्रदान करने मे असमर्थ हैं क्योंकि हमारे पास रंगीन टी० वी० फिल्में नहीं हैं। अन्य महत्वपूर्ण बात, जिस पर तुरन्त विचार किए जाने की आवश्यकता है, आगामी एशियाई खेलों का दूरदर्शन से टेलीकास्ट करना है जब तक यह क्वरेज रंगीन फिल्म में नहीं किया जाएगा, संसार का कोई भी देश इन खेलों पर हमारी टी० वी० फिल्मों को स्वीकार करने का इच्छुक नहीं होगा। जहां तक अतिरिक्त व्यय के प्रश्न का संबंध है यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रंगीन प्रेषण पर अतिरिक्त व्यय केवल 20 प्रतिशत अधिक होगा। किंतु इससे कम कैमरा इत्यादि के रूप में नवीनतम उपकरण भी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि संसार में सभी नवीनतम उपकरण रंगीन प्रेषण के लिए हैं। वैज्ञानिकों के परामर्श से निर्णय लेते समय इन बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

**आकाशवाणी उड़ीसा की बहुत ही असंतोषजनक "कवरेज"**

2009. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उड़ीसा राज्य के आकाशवाणी केन्द्र की "कवरेज" बहुत ही असंतोषजनक थी;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा उस राज्य में "कवरेज" सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उस राज्य में "कवरेज" सुधारने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में निम्न उपायों का प्रस्ताव किया है ;

(i) भवानी पटना में 20 कि० वाट के ट्रांसमीटर वाले नए रेडियो स्टेशन की स्थापना ;

(ii) बरहामपुर और रौडकेला में वी०एच०एफ०(एफ०एम०) ट्रांसमीटर से लैस स्थानीय प्रसारण केन्द्रों की स्थापना ;

(iii) क्योंझर में स्थानीय प्रसारण ट्रांसमीटर की स्थापना ; और

(घ) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के 1980-81 अथवा 1981-82 की वार्षिक योजनाओं में उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित रेडियो स्टेशनों के क्या नाम हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) प्राथमिक ग्रेड की दिवाकालीन सेवा आकाशवाणी के कटक, जेपोर और सम्बलपुर केन्द्रों से इस समय उडीसा की 81% जनसंख्या को उपलब्ध है। यह राज्य महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, जिनमें 80% से भी कम जनसंख्या कवर होती है, जैसे अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी स्थिति में हैं।

(ग) और (घ) भवानीपटना में 20 किलोवाट के एक ट्रांसमीटर और बरहामपुर राउरकेला और क्योंझार में स्थानीय रेडियो स्टेशनों की स्थापना के प्रस्ताव "छठी योजना" 1980-85 के प्रारूप में शामिल किए गए थे, किन्तु वितीय संसाधनों की विकट कमी के कारण केवल क्योंझार में ही स्थानीय रेडियो स्टेशन की स्थापना को ही अन्तिम रूप से स्वीकृत छठी "योजना" में रखा जा सका। इस स्कीम को 1981-82 की वार्षिक योजना में भी शामिल किया गया है।

**रत्नागिरि जिले में पेट्रो-केमीकल कम्प्लेक्स की स्थापना**

2010. **श्री मधु दण्डवते** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में थाल स्थान पर एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के बाद क्या महाराष्ट्र में कोकण के पिछडे क्षेत्र के विकास की संभावनाएं विस्तृत करने को दृष्टिगत रखते हुए रत्नगिरि जिले में पेट्रो-केमीकल काम्पलेक्स की स्थापना किए जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या, प्रगति हुई है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र में ऊसर के स्थान पर एक गैस क्रेकर की स्थापना करने के लिए सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया गया है। अत: रत्नगिरि जिले में किसी पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना की कोई संभावना नहीं है। तथापि ऊसर में पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना से कोंकण के पिछड़े क्षेत्र में पेट्रो-रसायन अनुरूपी उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं हो सकती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म्स डिवीजन द्वारा निर्मित चलचित्र

2011. श्री हरिहर सोरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में फिल्म्स डिवीजन ने विकास कार्यक्रम संबंधी कितने चलचित्रों का निर्माण किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विकास कार्यक्रम सम्बन्धी क्षेत्रीय भाषाओं में कितने चलचित्रों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या उक्त अवधि में फिल्म्स डिवीजन ने उड़िया भाषा में किसी चलचित्र का निर्माण किया है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन चलचित्रों का ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : (क) फिल्म प्रभाग ने विकास कार्यक्रमों पर 1979-80 में 37 फिल्में और 1980-81 में (फरवरी, 1981 तक) 8 फिल्में बनाई हैं।

(ख) सामान्यतया, फिल्म प्रभाग फिल्मों को मूल रूप में अंग्रेजी या हिन्दी में बनाता है। तथापि, फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज करने से पहले उनको सभी मुख्य भारतीय भाषाओं में डब किया जाता है। जिन फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया जाता उनको केवल उन्हीं भाषाओं में डब किया जाता है जिनमें डब करने की प्रायोजक विभागों द्वारा मांग की जाती है।

(ग) जी, हां। उड़िया में मूल रूप से एक फिल्म 1980-81 में बनाई गई थी। उड़िया में मूल रूप से एक और फिल्म 1980-81 के दौरान निर्माणाधीन है।

(घ) फिल्मों के नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1. फिल्म प्रभाग द्वारा विकास कार्यक्रमों पर 1979-80 में बनाई गई फिल्में

1. ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम
2. ऑफ फारेस्ट्स ट्राइबल्स एन्ड प्रोग्रेस
3. बारा बन्दी
4. साइंस एन्ड एग्रीकल्चर
5. स्ट्रेन्थ टू यूनिटी
6. बसन्त बहार

7. मांडूसी
8. दि लैसन आफ सुख मंजरी
9. एयर पौल्यूशन
10. वाटर एंड दि फार्मर
11. प्रोटेक्टिंग दि वर्कर्स
12. नेशनल हाइवेज
13. सर्च फॉर ब्लैक गोल्ड
14. सिन्यूज आफ स्माल इण्डस्ट्री
15. पास्टर डिवलैपमेंट इन ड्राइलैंड एरियाज
16. बैटर यील्ड्ज फार रेन फेड क्राप्स
17. डैवलेपमेंट इन कमाण्ड एरियाज (नार्थ)
18. ए चेन्ज
19. साइंस एड दि फार्मर
20. फ्रीडम फ्रोम वाण्ट
21. स्टोरी आफ वारा नगर
22. माडर्न कल्पतरू
23. फ्राम वेस्ट टू वैल्थ
24. थ्रीशी ए मीन्स आफ प्रास्परिटी थ्रू सेफ यूज
25. पोटेबल वाटर फॉर मीलियन्स
26. टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स फार स्माल फार्मर्स
27. ऑन दि ट्रैक आफ प्रोग्रेस
28. बैटर होम्ज
29. फार दैम टू ब्लूम
30. वेल्ज एंड शोर्ज
31. फार मदर एंड चाइल्ड

32. रिक्लेमिंग रिवाइंस

33. हारनेसिंग दि तापी

34. आफ हिल्स फ्रूट्स एंड मैलो फ्रूटफुलनैस

35. न्यू डाइमेंशन

36. लो कास्ट गोबर गैस प्लांट

37. न्यूक्लीयर पावर-ए नेशनल एचीवमेंट

2. विकास कार्यक्रमों पर 1980-81 में बनाई गई फिल्में

1. नेशनल वाटर प्लांट

2. इम्प्रूव्ड बुलक कार्ट (न्यू बुलक कार्ट)

3. इक्वीटेबल डिस्ट्रव्यूशन आफ वाटर वाराबन्दी

4. हाइड्रोलिक रैम्ज

5. मल्टी स्टोरीड क्रोपिंग

6. न्यू इमेजिज

7. पावर फॉर रूरल प्रास्पैरिटी

8. इलैक्ट्रो कैमिस्ट्री इन एक्शन

3. (क) विकास कार्यक्रम पर 1980-81 में इन्डिया में बनाई गई फिल्में

1. अमी परिवार नियोजन ग्रहण करीचू

(ख) निर्माणाधीन

1. मदर्जलव

**दण्ड कारण्य परियोजना की भांति तदर्थ नियुक्तियां**

2012. **श्री समर मुखर्जी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दण्डकारण्य परियोजना में लम्बी अवधि तक बड़ी संख्या में तदर्थ नियुक्तियां (कुछ मामलों में भर्ती नियमों तथा भर्ती संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करके) करने तथा इस प्रकार भर्ती किए लोगों/कार्मिकों को नैमित्तिक कर्मचारी माने जाने और अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें सांविधिक अस्थाई सेवा नियमों अर्थात् सी०सी०एस० (टी०एस०) नियम,

1965 के अन्तर्गत न्यूनतम सुविधाओं से बंचित रखने में नियोक्ता अधिकारियों द्वारा किए गए पद के दुरुपयोग किए जाने के बारे में मालूम है; और

(ख) दण्डकारण्य परियोजना में तदर्थ आधार पर भर्ती की पद्धति तथा 240 दिन की अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को, जो वहां के प्रशासन के लिए सामान्य कर्मचारी हो जाते हैं, नैमित्तिक कर्मचारी मानने के क्या कारण हैं तथा इस पद्धति में बहुत पहले परिवर्तन क्यों नहीं किया गया और इस प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त क्यों नहीं किया गया ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) कार्य के हित में तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं ।

**दिल्ली और नई दिल्ली में खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शन**

2013. **श्री ए०सी०दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनवरी, 1981 से उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शन देने का विचार था ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और नई दिल्ली के उपभोक्ताओं को जनवरी, 1981 में दिए गए खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ग) 1981-82 में दिल्ली और नई दिल्ली के उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस के कनेक्शन दिए जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) तेल उद्योग की योजना के अनुसार वर्ष 1981 की पहली तिमाही से नये गैस कनेक्शन जारी किये जाने हैं ।

(ख) केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में जनवरी, 1981 में प्रतीक्षा सूची में लोगों को नए गैस कनेक्शन जारी नहीं किये गये ।

(ग) और (घ) बम्बई हाई तथा मथुरा शोधनशाला से इस वर्ष तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की संभावित उपलब्धता होने पर तेल कम्पनियां 1982 में 1 लाख नये उपभोक्ताओं का नाम दर्ज करने का प्रयत्न करेंगी ।

**पटना आकाशवाणी केन्द्र द्वारा विभिन्न समस्याओं पर आयोजित वार्ताएं**

2014. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना आकाशवाणी केन्द्र द्वारा विभिन्न समस्याओं पर वार्ताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें राजनीतिक, नेता, संसद विधायक, संसद और विधान-मंडलों के सदस्य, साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो 1980 में आयोजित की गई वार्ताओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए आमंत्रित किए गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के चयन का मानदण्ड क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)**: (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

**भारत में तेल की खोज के लिए ब्रिटेन का प्रस्ताव**

2015. **श्री वी० वी० देसाई :**

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत के तेल खोज कार्यक्रम में सक्रिया रूप से भाग लेने में अधिक रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को इसके लिए ब्रिटेन सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) जी, नहीं। और न ही ब्रिटिश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा तेल-कुओं का छिद्रण**

2016. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 1979-80 और 1980-81 के दौरान एक साथ छिद्रित किए गए कुओं की संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में उन कुओं से निकाले गए तेल की कुल मात्रा क्या है ;

(ग) क्या 1981-82 के दौरान और अधिक संख्या में कुओं के छिद्रण का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तेल की उस कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है जिसकी इस अवधि के दौरान निकाले जाने की सम्भावना है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड दोनों द्वारा 1979-80 में 110 कुएं और 1980-81 (दिसम्बर, 1980, तक) 80 कुएं खोदे गए हैं।

(ख) यद्यपि केवल इन्हीं कुओं से उत्पादित किए गए तेल की मात्रा बताना व्यवहारिक नहीं है परन्तु इन दोनों संगठनों द्वारा 1979-80 के दौरान 11.73 मि० मी० टन और 1980-81 (दिसम्बर, 1980 तक) के दौरान 7.10 मि० मी० टन क्रूड आयल का उत्पादन किया गया था।

(ग) जी, हाँ।

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान 16.9 मि० मी० टन स्वदेशी क्रूड के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

**दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में इन्सपेक्टरों (विद्युत) की नियुक्ति के लिए पैनल**

2017. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में इन्सपेक्टरों (विद्युत) की नियुक्ति के लिए एक पैनल गठित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें सामान्य वर्गों तथा आरक्षित वर्गों के कितने उम्मीदवारों को शामिल किया गया था और उनमें से कितने उम्मीदवार नियुक्त किए गए थे और किस अनुपात में ;

(ग) क्या इस बारे में सांविधानिक उपबन्धों के अनुसार सामान्य तथा आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित अनुपात के अनुरूप उम्मीदवार नियुक्त नहीं किए गए थे ; और

(घ) पैनल में शेष उम्मीदवारों को कब तक नियुक्त किया जाएगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में निरीक्षकों (तकनीकी) के पद पर नियुक्तियां करने के लिए एक नामसूची मई 1980 में तैयार की गई थी जिसमें सामान्य श्रेणी के 92 उम्मीदवारों के नाम तथा अनुसूचित जाति के 15 उम्मीदवारों के नाम थे। इस नाम सूची में से 26-2-1981 तक सामान्य श्रेणी के 31 उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति के 15 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के सम्बन्ध में पिछले बकाया को ध्यान में रखने के पश्चात, उक्त नाम-सूची से नियुक्तियां निर्धारित नियमों के अनुसार की गई थी।

(घ) नामसूची, जो कि 25-5-1981 तक मान्य है, के अन्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां जब भी रिक्त स्थान उपलब्ध होंगे, तब की जाएंगी।

**लोकतक पनबिजली परियोजना के पर्यवेक्षकों की छंटनी**

2018. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए और लोकतक पनबिजली परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए पर्यवेक्षकों की छंटनी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण उन्हें खपाने की स्थिति में नहीं है जबकि राष्ट्रीय पनबिजली निगम के अधिकारी उन्हें उचित ग्रेडों में लेने और उनकी उचित वरिष्ठता, वेतन तथा सेवा शर्तों के बचाव के लिए इच्छुक नहीं हैं ;

(ख) क्या निगम में इन कर्मचारियों के खपा दिय जाने पर भी 10 वर्ष तक सेवावधि वाले ये कर्मचारी बहुत से अन्य सीधी भर्ती हुए कर्मचारियों से जुनियर बन गए हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय पनबिजली निगम ने इस बारे में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सिफारिस किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय पनबिजली निगम के अधिकारियों द्वारा ऊर्जा मंत्रालय की सिफारिशें स्वीकार करने के क्या कारण है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पर्यवेक्षकों को खपाने के लिए लागू होने वाली शर्तें क्या हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) लोकतक जल विद्युत परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पर्यवेक्षकों को किसी छंटनी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन० एच० पी० सी०) ने इन सभी को पाने के लिए प्रस्ताव रखा है। तथापि निगम में उनका अग्रसर होना, सम्बन्धित ग्रेडों के लिए अपनाए गए पात्रता सम्बन्धि मानदण्डों को उनके द्वारा पूरा किए जाने तथा उनके उपयुक्त पाए जाने पर निर्भर करेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उन्हें उनकी पिछली सेवा के लाभ दिए जाएंगे।

(ग) इन पर्यवेक्षकों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने ध्यान में रखा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं ।

**विवरण**

**सी ई ए से प्रतिनियुक्ति पर आए पर्यवेक्षकों के एब्जार्बेंश को शासित करने वाली शर्तें**

1. **पात्रता :**

सी ई ए से एन एच पी सी में प्रतिनियुक्ति पर आए सभी पर्यवेक्षक ।

2. **पद तथा वेतनमान :**

प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों को उसी पद तथा वेतनमान में एब्जार्ब किया जाएगा जिसमें कि वे एब्जार्ब होने के समय कार्यरत हों (अल्पकालिक रिक्तियों के लिए स्थानापन्न व्यवस्थाओं पर विचार नहीं किया जायेगा), फिर भी, 425-700/425-800 रु० के वेतनमान में 31-12-1980 को 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले पर्यवेक्षकों को 550-900 रु० के वेतनमान में एब्जार्ब करने के लिए विचार किया जायेगा ।

3. **वेतन निर्धारण :**

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर आए पर्यवेक्षक निम्नलिखित वेतन निर्धारण विधियों में से, जो कि उन्हें ज्यादा लाभदायक हों, उसे अपना सकते है :—

(i) यदि कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा है और उसका वेतन कारपोरेशन में उसी वेतनमान के पद पर जिस पर कि वह एब्जार्ब हो रहा है, पहले ही निर्धारित कर दिया गया हो तो वह एब्जर्वेशन के समय के वेतनमान में भी वही वेतन लेता रहेगा । ऐसे मामलों में वेतन का पुनर्निर्धारण नहीं होगा ।

(ii) वेतन का निर्धारण निगम के उस पद के वेतनमान में होगा जिसमें कि कर्मचारी को खपाया जाता है । यह निर्धारण उस अवस्थान के बराबर होगा जो कि खपाने की तारीख को उसके मूल विभाग में मूल वेतन + 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता जोड़कर बनता हो बशर्ते कि यह भत्ता अधिकतम 250/—हो या यदि उस वेतनमान में कोई ऐसा अवस्थान न हो तो अगला उच्च अवस्थान होगा ।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों के एब्जार्ब होने पर लिए जाने वाले सभी भत्ते उसी दर से देय होंगे जिस दर से समय समय पर एन एच पी सी के कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाएंगे ।

(ग) किसी भी हालत में, उपयुक्त वेतन निर्धारण की अनुमति उस वेतनमान, जिनमें प्रतिनियुक्ति पर आया व्यक्ति एब्जार्ब होता है, के अधिकतम से अधिक नहीं होगी। एब्जर्वेशन के समय वेतन निर्धारण के लिए अग्रिम वेतन बृद्धियां देने पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा इसका नियमन केवल बताए गए ढंग से ही होगा।

3 1 एब्जार्वेशन होने पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर आए संबन्धित व्यति द्वारा कारपोरेशन के वेतन में साथ-साथ इससे पूर्व की गई सेवा से अर्जित पेंशन भी ग्राहय होगी बशर्ते कि कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने से निवर्तन की सामान्य तारीख के लिए 3 वर्ष छोड़े गए हो। यह भी शर्त होगी कि :—

(i) उसके मूल संगठन को कारपोरेशन के ऐसा करने में कोई आपत्ति न हो; और

(ii) प्रतिनियुक्ति पर आया व्यक्ति यह वचन दे कि उसके वर्तमान संगठन से मुक्त होने तथा कारपोरेशन में स्थायी एब्जार्ब होने के दो वर्ष के भीतर कारपोरेशन की सेवा छोड़ने में चाहे पहल उस की अपनी तरफ से हो या फिर कारपोरेशन की तरफ से, कोई प्राइवेट रोजगार आरम्भ करने से पहले वह कारपोलेशन की अनुमति प्राप्त करेगा।

4. वरिष्ठता :

4.1 यदि प्रतिनियुक्ति आधार पर आया व्यक्ति उसी ग्रेड में एब्जार्ब होता है जिसमें कि वह आरम्भ में आया था तो उस ग्रेड में उसकी वरिष्ठता उसी तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख से वह उस ग्रेड/समकक्ष ग्रेड में शुरू में नियुक्त हुआ था, चाहे वह कारपोरेशन में हो या मूल संगठन में।

4.2 लोकतक, बैरा स्यूल, सलाल परियोजनाओं और भूतपूर्व कन्ट्रोल बोर्ड में पहले से ही कार्यस्त प्रतिनियुक्ति आधार पर आये व्यक्तियों के एब्जार्बेशन के मामले में ग्रेड/समकक्ष ग्रेड में प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख प्रभावी होगी चाहे ये परियोजना कारपोलेशन को कभी भी हस्तांतरित हुई हों।

4.3 पहले बैच में एब्जार्ब होने वालों को बाद के बैचों में एब्जार्ब होने वालों से वरिष्ठ माना जाएगा, उदाहरणार्थ :—

1980 में एब्जार्ब हुआ प्रतिनियुक्तियों का बैच 1981 या उसके बाद एब्जार्ब होने वाले बैचों से पद में वरिष्ठ होगा चाहे बाद में एब्जार्ब होने वाले प्रतिनियुक्तियों की सेवा अवधि एब्जार्ब होने से पहले उनसे अधिक ही क्यों न हो। मतलब यह है कि यदि दो वर्ष की सेवा अवधि वाला, एक पर्यवेक्षक 1980 में एब्जार्ब हो जाता है

तो वह उस पर्यवेक्षक से वरिष्ठ होगा जो 1981 या उसके बाद एब्जार्ब होता है चाहे 1981 में एब्जार्ब होने वालेपर्यवेक्षक की सेवा दो वर्ष से ज्यादा ही क्यों न हो।

5. भविष्य निधि :

स्थायी रूप से एब्जार्ब होने वाले व्यक्ति कारपोरेशन की अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता के पात्र होंगे, यह पात्रता उस तारीख से होगी जिससे कि उसके मूल पद से उसका त्याग पत्र स्वीकार होता है और वे कारपोरेशन में स्थायी रूप से एब्जार्ब कर लिए गए हों। भविष्य निधि खाते में उसके नाम में जमा अंशदान की राशि तथा उस पर देय ब्याज दोनों कारपोरेशन में उनके नए (अंशदायी) भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित हो जाएंगें वशर्ते कि ऐसा करने के लिए कारपोरेशन और संबंधित प्रतिनियुक्ति के मध्य सहमति हुई हो।

6. छुट्टी :

प्रतिनियुक्तियों के स्थायी रूप से एब्जार्ब हो जाने पर विकल्पी (आप्टी) के मूल संगठन को छोड़ते समय उनके खाते में जमा औसत वेतन पर (अर्जित छुट्टी) छुट्टी के बारे में जिम्मेदारी कारपोरेशन ले लेगा। उसका मूल संगठन छुट्टी के बराबर की राशि एक मुश्त कारपोरेशन को स्थानान्तरित करेगा यदि मूल संगठन किन्हीं बैंध कारणों की वजह से छुट्टी वेतन की जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत न हों तो इस जिम्मेदारी को कारपोरेशन बहन करेगा।

मूल संगठन द्वारा जिम्मेदारी लिए जाने के मामले में इस प्रकार स्थानान्तरित छुट्टी को कर्मचारी अपने विकल्प पर एन० एच० पी० सी० के नियमानुसार शतप्रतिशत भुना सकता है। छुट्टी की जिम्मेदारी मूल संगटन द्वारा वहन न किए जाने की दशा में कारपोरेशन द्वारा अपने खाते में ली गई छुट्टियों, भुनाने के लिए स्वीकार्य नहीं होंगी परन्तु उसके बाद कर्मचारी को उनका वास्तविक रूप से उपयोग करना होगा।

7. सेवा निवृत्ति लाभ

कर्मचारी को एब्जार्ब होने से पहले की सेवा के लाभ/सुविधायें उसके मूल कार्यालय के सम्बद्ध आदेशों में दिए अनुसार प्राप्त होंगे।

एब्जार्ब होने से पूर्व की सेवा से मिलने वाले लाभ संबंधित कर्मचारी और उसके मूल कार्यालय के मध्य सीधे तय किए जाएंगे तथा इस सम्बन्ध में एन० एच० पी० सी० की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

8. मूल पद से त्याग पत्र/सेवा निवृत्ति

एब्जार्ब होने के लिए सम्बन्धित प्रतिनियुक्त को अपने मूल संगठन से त्याग पत्र या सेवा निवृत्ति लेनी होगी और एब्जार्बेशन उसी तारीख से प्रभावी माना जायेगा जिस तारीख से उसके मूल संगठन में त्याग पत्र/सेवा निवृत्ति प्रभावी होती है।

9. एब्जार्बशन के बाद सम्बन्धित कर्मचारी कारपोरेशन के समय-समय पर लागू होने वाले नियमों, विनियमों और निर्देशों से शासित होगा (इसमें कारपोरेशन के अधीन एक परियोजना/कार्यालय से दूसरे में स्थानान्तरण भी शामिल है)।

**केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर आये पर्यवेक्षकों के नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन में एब्जार्ब होने के लिए वैयक्तिक विवरण/विकल्प (बायोडाटा)**

1. नाम

2. वर्तमान पदनाम

3. (क) वर्तमान वेतन और वेतनमान

(ख) प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते की वर्तमान दर

4. जन्म तिथि

5. योग्यताएं, विशेषीकृत प्रशिक्षण, यदि कोई हो

6. मूल विभाग

7. परियोजना में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख

8. वर्तमान पद पर नियुक्ति की तारीख

9. समय क्रमानुसार अनुभव-वर्तमान नियोजन (एसाइनमैंट) शुरू करते हुए पिछला अनुभव दें, प्रत्येक नियोजन की अवधि स्पष्ट दर्शायी जाए।

| क्रम सं० | किस पद पर थे | कब से | कब तक | संगठन |
|---|---|---|---|---|

**एब्जार्बेशन के लिए विकल्प**

10. मैं एतद्द्वारा नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० के स्थायी संवर्ग में एब्जार्ब होने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से आए पर्यवेक्षकों के एब्जार्बेशन के लिए कारपोरेट कार्यालय द्वारा परिचालित शर्तों के आधार पर विकल्प देता हूं ।

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख

**सिलिगुड़ी आकाशवाणी में नेपाली और भोटिया के साथ-साथ कुरूखमुण्डा, खाड़िया को सम्मिलित किया जाना**

2019. **श्री पियूष तिरकी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उत्तरी बंगाल तथा पूर्वी क्षेत्रों में कुरूखमुण्डा खाड़िया जनजातियों की भारी जनसंख्या को देखते हुए आकाशवाणी के सिलिगुड़ी केन्द्र में नेपाली तथा भोटिया के साथ कुरूख मुण्डा, खाड़िया जैसी स्थानीय भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(ख) यदि कोई प्रस्ताव है तो उनका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार पिछड़े पूर्वी क्षेत्रों, उत्तरी बंगाल, दक्षिणी बिहार उड़ीसा तथा आसाम में महाराष्ट्र की तरह स्कूलों के लिए प्रसारण आरम्भ करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और उन प्रस्तावों पर कार्यवाही कब तक आरम्भ की जाएगी ; और

(ड़) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी) :** (क) से (ड़) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

**जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता**

2020. **श्री सुभाष यादव ।**

**श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में आत्म-निर्भर नहीं है ;

(ख) क्या जीवन रक्षक औषधियों का कोई आयात किया जाता है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और 1980-81 में 28 फरवरी, 1981 तक देश में आयात की गई जीवन रक्षक औषधियों का मूल्य क्या है ;

(घ) ये जीवन रक्षक औषधियां किन-किन देशों से आयात की गई हैं ; और

(ड़) देश को जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह)** : (क) से (घ) क्लोरमफैनीकल, स्टैप्टोमाइसीन, टैट्रासाइक्लीन आदि जैसे कुछ जीवन रक्षक औषधों का स्वदेशी उत्पादन माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ ऐसे जीवन रक्षक औषध भी हैं जिनका स्वदेशी उत्पादन नहीं होता है जैसे मेथाइल डोपा, अमोक्सीसिल्लीन आदि। ऐसे मामलों में मांग को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है गत तीन वर्षों के दौरान औषधों, औषध मध्यवर्ती और फार्मुलेशनों के आयात का सी०आई० एफ० मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

| वर्ष | सी०आई०एफ० आयात मूल्य (रूपये करोड़ों में) |
|---|---|
| 1977-78 | 82.41 |
| 1978-79 | 95.32 |
| 1979-80 | 93.81 |

वर्ष 1980-81 (28 फरवरी, 1981 तक) के दौरान ऐसे आयात के सी०आई०एफ मूल्य एकत्र किये जा रहे है और सभा पटल पर प्रस्तुत किये जायेगें। जिन देशों से आयात किया गया है उनमें यू०एस०एम०आर, रूमानिया, बलगारिया, स्विटजरलैंड, इटली, यू०के०, वीन, यू० एस०ए० आदि शामिल हैं।

(ड़) सरकार औद्योगिक लाइसेंसों आशय पत्रों, कारोबार जारी रखने का लाईसेंस आदि जारी करने के लिए औषध उद्योग से प्राप्त प्रस्तावों को शीघ्र निपटाती है। इस वर्ष 55 औद्योगिक लाइसेंस, 69 आशय पत्र और 3 सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी किये गये हैं। तथापि आघात पूर्ण रूप से परिहार्य नहीं है। क्योंकि कुछ औषध ऐसे हैं जिनका प्रौद्योगिकी के अभाव में देश में उत्पादन नहीं होता है अथवा आर्थिक उत्पादन के लिये मांग पर्याप्त नहीं है अथवा जिनका स्वदेशी उत्पादन अनुमानित मांग से कम है। बिजली कटौती, औद्योगिक अशान्ति आदि जैसे स्थानीय पहलुओं के कारण उत्पादन पर प्रभाव पडने से भी स्वदेशी उत्पादन को पूरा करने के लिये आयात करना आवश्यक है।

**बिहार में बिजली का संकट**

2021. **श्री कृष्ण प्रतापसिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बिहार में बिजली की सप्लाई की गम्भीर स्थिति की जानकारी है ; और

(ख) बिहार में बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जी, हां । बिहार में विद्युत की कमी है ।

(ख) बिहार में विद्युत की कमी के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक कारण ताप विद्युत केन्द्रों का असन्तोषजनक कार्य निष्पादन है तथा ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए राज्य बिजली बोर्ड की युनिट-वार संयंत्र सुधार तथा अनुरक्षण कार्यक्रम बनाने की सलाह दी गई है । सुधार कार्यक्रमों के बनाने में राज्य बिजली बोर्ड की सहायता करने के लिए, कमियों तथा अपेक्षित आशोधनों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, तथा भार०है०इले०लि० के विशेषज्ञों ने विद्युत केन्द्रों का दौरा भी किया है । इसके अतिरिक्त, युनिटों से अनुरक्षण के लिए तथा पतरातू विद्युत केन्द्र के लिए सोवियत संघ से फुटकर पुर्जे उपलब्ध कराने में रूस के विशेषज्ञों से भी सहायता ली जा रही है ।

दीर्घकालीन उपायों के रूप में राज्य में कई विद्युत उत्पादन स्कीमें क्रियान्वयन के लिए हाथ में ली गई हैं । स्कीम का ब्यौरा तथा चालू करने की संभावित तारीख नीचे दी गई है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| बरौनी | 2×110 मेगा० | युनिट सं० 6 | 3/82 |
| | | युनिट सं० 7 | 3/83 |
| पतरातू | 2×110 मेगा० | युनिट सं० 9 | 12/82 |
| | | युनिट सं० 10 | 6/83 |
| मुजफ्फरपुर | 2 × 110 मेगा० | युनिट सं० 1 | 1/84 |
| | | युनिट सं० 2 | 7/84 |
| तेनुघाट | 2×210 मेगा० | युनिट सं० 1 | 6/85 |
| | | युनिट सं० 2 | 6/86 |

उपर्युक्त के अतिरिक्त, छठी योजना और सातवीं योजना अवधियों के दौरान पूर्वी क्षेत्र में चालू की जाने वाली केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं से भी बिहार को लाभ प्राप्त होंगे ।

**सत्तारूढ़ दल के घोषणा-पत्र से संबंधित कार्यक्रम**

2022. **श्रीराम विलास पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश का पालन करते हुए उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली के निदेशक ने सभी प्रोग्राम प्रोडयूसरों को अनुदेश जारी किए थे कि वे सातवीं लोक सभा के चुनावों के दौरान अपने कार्यक्रमों में संशोधन करें और सत्तारूढ़ दल के घोषणा-पत्र में शामिल किए गए प्रत्येक विषय पर महीने में कम से कम एक कार्यक्रम देने का लक्ष्य निर्धारित करें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का निदेश जारी करना इस बारे में सरकार की नीति के अनुरूप है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली ने अपने केन्द्र के प्रोडयूसरों को यह सलाह दी थी कि वे राष्ट्रीय महत्व के निम्नलिखित विषयों पर महीने में कम से कम एक कार्यक्रम की योजना बना कर उसे तैयार करें :—

(1) धर्मनिरपेक्ष समाज ।

(2) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा ।

(3) अल्पसंख्यकों को रोजगार के सामयिक अवसर ।

(4) लोकतन्त्र को सुदृढ़ करना ।

(5) महिलाओं का उद्धार।

(ख) जी, हां, क्योंकि ये विषय राष्ट्रीय महत्व के थे और दूरदर्शन इन विषयों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों को अपने सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों के अंग के रूप में प्रस्तुत करता रहा है ।

**कलकत्ता दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा प्रसारण**

2023. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल और वामपंथी समिति के बजाए एक विशेष दल का अधिक प्रसारण करने के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : यह सही नहीं है कि आकाशवाणी, कलकत्ता राज्य में सत्तारूढ़ दल और वामपंथी समिति के बजाए एक बिशिष्ट दल का अधिक प्रसारण करता रहा है । सत्तारूढ़ दल के रूप में राज्य की भारतीय

कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) को अच्छा कवरेज मिलता है। मुख्य मंत्री और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) के नेताओं के वक्तव्यों को समाचार बुलेटिनों में उपयुक्त रूप से कवर किया जाता है। इसके अलावा, कांग्रेस (आई), कांग्रेस (यू), जनता और अन्य दलों के नेताओं के वक्तव्यों को भी उनके समाचारिक महत्व के अनुसार कवर किया जाता है।

जहां तक दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता के कवरेज का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि जनवरी, 1981 के महीने में सत्तारूढ़ दल और वामपंथी मोर्चे की समिति के नीति वक्तव्यों को उस केन्द्र के प्रसारण में 680 सैकंड मिले। इसके विपरित कांग्रेस (आई) को 240 सैकंड मिले और अन्य विरोधी दलों को 190 सैकंड मिले। इन आंकड़ों में उन समारोहों, जिनमें राज्य सरकार के नेताओं ने भाग लिया था, को दिया गया कवरेज शामिल नहीं है।

**गरीबों को मुफ्त विधिक सहायता का न दिया जाना**

2024. **श्री छांगुर राम :**

**प्रो० अजित कुमार मेहता :**

**श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी समय ऐसी घटनाओं का मूल्यांकन करने का कोई प्रयास किया है जहां राज्य सरकारों ने गरीब लोगों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने से इन्कार कर दिया यद्यपि इस तरह की सहायता न्याय संगत थी ;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें राज्य सरकार (उन राज्यों के नाम भी बताए) ने मुफ्त विधिक सहायता देने से इन्कार कर दिया ;

(ग) उसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस तरह का निर्धारण करना क्यों नहीं आवश्यक समझा गया ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई और चलाई जा रही विधिक सहायता की स्कीमों में केन्द्रीय सरकार को प्रश्नगत स्वरूप की किसी रिर्पोट के किए जाने अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे किसी निर्धारण के किए जाने का कोई उपबंध नहीं है। ये स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं और इन्हीं के द्वारा चलाई जाती हैं। अतः विशिष्ट मामलों में उनके प्रवर्तन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी निर्धारण के किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

## मालवीय समिति के प्रतिवेदन पर विचार

2025. श्री रामस्वरूप राम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की समीक्षा समिति जिसका नाम मालवीय समिति रखा गया है के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रति क्रिया है ;

(ख) क्या मालवीय समिति ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए प्रधान मंत्री के अधीन एक पृथक मंत्रालय के गठन की सिफारिश की है ताकि तेल की खोज का कार्य तेजी से हो सके, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ. एन. जी. सी.) के पुनरीक्षण के लिए मालवीय समिति की रिपार्ट कई वर्ष पहले 1972 में सरकार को प्रस्तुत की गई थी और उस समय सरकार द्वारा उस पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था ।

(ख) मालवीय समिति द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया था कि वर्तमान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को भंग किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर देश में तेल की खोज सम्बन्धी कार्य के लिए एक तीन टायर वाले ढांचे का सृजन किया जाए । प्रथमत: यह सिफारिश की गई थी कि तेल अन्वेषण के लिए राष्ट्रीयनीति का उच्चतम स्तर का उत्तरदायित्व तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जैसी निकाय को सौंपा जाना चाहिए । इस आयोग का अध्यक्ष मंत्रिमंडल के मंत्री के स्तर का व्यक्ति होना चाहिए और कुछ वर्षों के लिए तेल अन्वेषण विभाग प्रधान मंत्री जी के पास रहना चाहिए । तेल अन्वेषण विभाग (अर्थात मंत्रालय) को आयोग नीति के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सृजित किया जाना चाहिए । तीसरी बात यह है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जो इस समय कार्य देखे जा रहे हैं वे एक निगम को जिसे भारतीय तेल एवं गैस निगम कहा जाए, सौंपे जाएं ।

इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था परन्तु ये स्वीकार किये जाने योग्य नहीं समझी गई थीं ।

(ग) जी, हां । सरकार द्वारा मालवीय समिति की रिपोर्ट की विभिन्न कार्य-संचालन सम्बन्धी सिफारिशों पर कार्यवाही की गई थी । तथापि मालवीय समिति की रिपोर्ट पर्याप्त समय पहले 1972 में प्रस्तुत की गई थी और तब से कई परिवर्तन हुए और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकलाप भी नाना प्रकार से बढ़ गए हैं पहले तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के

कार्यकलाप अधिकांश रूप से तटीय क्षेत्रों तक सीमित थे। अब यह अपतटीय क्षेत्रों में भी कार्य कर रहा है और बम्बई हाई में इसके द्वारा कई तेल एवं गैस वाले क्षेत्रों का पता लगाया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकलापों में विस्तार होने के फलस्वरूप, ओ. एन. जी. सी. द्वारा स्वदेशी खनिज तेल का उत्पादन जो 1972 में करीब 4.1 मि. मी. टन था बढ़कर 1979-1980 में 9.51 मि. मी. टन हो गया है।

**पोलेंड की सहायता से झरिया कोयला क्षेत्र का विकास**

2026. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलेंड की सहायता से झरिया कोयला क्षेत्र के विकास की 2,000 करोड़ रुपए की योजना, जो वर्ष 1975 से खटाई में पड़ी थी, पर पुन: विचार किया जाना आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि झरिया कोयला क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की जिस योजना की साध्यता रिपोर्ट कोल इंडिया लि० ने पोलेंड की सहायता से तैयार की थी वह 1975 में खत्ते में बन्द पड़ी है। इस संबंध में सरकारी स्तर पर समुचित समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं जिन्हें भूमि अधिग्रहण, सड़क और रेल व्यवस्था के पुनर्गठन, बिजली वितरण प्रणाली आदि समस्याएं हल करने का काम सौंपा गया है। आठ ऐसी परियोजनाएं — जो, अन्य बातों के साथ साथ, इस योजना का अभिन्न समेकित अंश है — अब तक मंजूर की जा चुकी हैं और इनका पूंजी परिव्यय लगभग 149.00 करोड़ रुपए हैं।

**कोरबा मध्य प्रदेश की खानों में पानी भर जाना**

2027. **श्री दया राम शाक्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोरबा क्षेत्र की कुछ खानों में, जहां से कोयला निकाला गया है, पानी भर गया है लेकिन उन्हें रेत और मिट्टी से नहीं भर गया था ;

(ख) क्या इन पानी से भरी खानों से निकट की कोयला खानों और ऐसी खानों को भारी खतरा बना हुआ है, जहां से कोयला निकला जा चुका था ;

(ग) यदि हां, तो अन्य खानों और लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)**: (क) और (ख) कोरबा कोलियरी की दो इन्क्लाइन खानें जून, 1980 में भंडार समाप्त हो जाने पर बन्द कर दी गयी थी। यहां

कोयला केविंग प्रणाली द्वरा निकाला गया था जिसमें कोयला निकालने से हुई खाली जगह ऊपर की पर्तों के धंसाव से प्राकृतिक रूप से ही भर जाती है। अतः इस खान में रेत भराई की जरूरत नहीं थी। यहां पास में ही कोई ऐसी खनन सम्पति या खनन स्थल नहीं है जिनको इन चुकी हुई खानों में पानी भरने से कोई खतरा होने की संभावना हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**पश्चिम बंगाल में नई तापीय बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए निधियों की नियतन**

2028. **श्री चित्त महाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में छठी योजनावधि में नई तापीय बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए निधियों के नियतन की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक तापीय बिजली परियोजना के लिए कितनी राशि का नियतन किया गया है और उस पर पश्चिम बंगाल सरकार की क्या परिक्रिया है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के विद्युत क्षेत्र के अपने प्रस्तावों के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ नई स्कीमों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। योजना आयोग द्वारा विद्युत के लिए गठित कार्यकारी दल में विस्तृत विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात निर्माणाधीन तथा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान की सिफारशें की गई थीं। बाद में राज्य के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् विद्युत क्षेत्र के लिए परिव्यय का निर्धारण कर दिया गया है। छठी योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए समग्र आबंटन के रूप में राज्य सरकार ने 887.50 करोड़ रुपये गृहीत किए हैं। राज्य सरकार से स्कीम-वार ब्यौरा सुझाने के लिए अनुरोध किया गया है. जिसकी प्रतीक्षा है। तथापि, यह आशा की जाती है कि सभी नई स्कीमों के लिए छठी योजना के दौरान 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि उपलब्ध होनी चाहिए।

**कोयले का उत्पादन**

2029. **श्री रणजीत सिंह पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैलेंडर वर्ष 1980 के दौरान विभिन्न कोयला खानों में महीने-वार कोयले का कुल उत्पादन कितना-कितना था ; और

(ख) क्या अन्तिम तीन महीनों, अर्थात् अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1980 में कोयले के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कैलेंडर वर्ष 1980 का माह-वार कोयला उत्पादन नीचे दिया गया है :—

| महीना | अखिल भारतीय उत्पादन |
|---|---|
| | (आंकड़े लाख टनों में) |
| जनवरी, 80 | 99.4 |
| फरवरी, 80 | 100.94 |
| मार्च, 80 | 108.36 |
| अप्रैल, 80 | 88.80 |
| मई, 80 | 88.22 |
| जून, 80 | 81.75 |
| जुलाई, 80 | 82.44 |
| अगस्त, 1980 | 78.47 |
| सितम्बर, 80 | 80.80 |
| अक्तूबर, 80 | 86.32 |
| नवम्बर, 80 | 90.92 |
| दिसम्बर, 80 | 105.39 |

(ख) जी हां। अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1980 की अवधि में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, उत्पादन में हुई वृद्धि नीचे दी गई है :—

| महीना | 1979 | 1980 | वृद्धि |
|---|---|---|---|
| | | (आंकड़े लाख टनों में) | |
| अक्तूबर | 78.72 | 86.32 | 7.60 |
| नवम्बर | 86.87 | 90.92 | 4.05 |
| दिसम्बर | 94.75 | 105.39 | 10.64 |

**राजस्थान में मरहटा रोड के निकट मिले लिग्नाइट के निक्षेप**

2030. **श्री दौलत राम सारन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में मरहटा रोड के निकट लिग्नाइट के भारी निक्षेप मिले हैं जो देश में अब तक लिग्नाइट के मिले निक्षेपों से सबसे उत्तम किस्म के हैं ;

(ख) यह कितनी गहराई पर मिले हैं इसकी परत कितनी मोटी है तथा यह किस क्षेत्र में मिले हैं; और

(ग) क्या इस कोयले के खनन तथा प्रयोग हेतु कोई योजना बनाई गई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**बड़े व्यापारिक गृहों की परिसम्पत्तियां**

2031. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन बड़े व्यापारिक गृहों के नाम तथा संख्या कितनी है जिनकी वर्तमान परिसम्पत्तियां एक करोड़ रुपये से अधिक अथवा ज्यादा है ;

(ख) 1976 के प्रारम्भ में उन बड़े व्यापारिक गृहों में से प्रत्येक की परिसम्पत्तियां क्या थीं ; और

(ग) क्या सरकार उस बात से संतुष्ट है कि गत पांच वर्षों के दौरान उनकी परिसम्पत्तियों में भारी वृद्धि कैसे हुई और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा फरवरी, 1973 में घोषित औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार, उस प्रकार के उपक्रम, जिनकी स्वयं, अथवा अपने अन्त: सम्बन्धित उपक्रमों सहित, कुल 20 करोड़ रुपयों से कम नहीं, की परिसम्पत्तियां हों, तथा जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हों, संघटित वृहद औद्योगिक घराने समझे जाते हैं, जो प्रश्न में बड़े व्यापारिक गृहों के रूप में निर्दिष्ट हैं । संग्लन विवरण-पत्र में इस प्रकार के औद्योगिक घरानों में से प्रत्येक की 1976 के मध्य परिसम्पत्तियों के आकड़े दिए गए हैं, जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत, 30-6-1978 तक के पंजीकरणों पर आधारित हैं ।

(ग) इन औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियां, 1975 में 7494-46 करोड़ रु० से 1978 में 9496,71 करोड़ रु० तक, अथवा प्रतिवर्ष 8.9 प्रतिशत की बराबर वृद्धि होने पर, इन तीन वर्षों में 26.7 प्रतिशत बढ़ गई । इस बाबत यह भी वर्णनीय है कि 1720 माध्यमिक तथा वृहद गैर-वित्तीय, गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, जिनमें से प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी 5 लाख

रु० या इससे अधिक थी, के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक दृष्टान्त अध्ययन के आधार पर, निजी निगम क्षेत्र की परिसम्पत्तियां, 1975-76 में 11271.80 करोड़ रु० से 1977-78 में बढ़कर 13042.79 करोड़ रु० हो गई अथवा दो वर्षों में 1.57 प्रतिशत या वार्षिक 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसे दृष्टि में रखते हुए, बृहद औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि अनावश्यक रूप से भारी नहीं समझी जा सकती। तथापि, कुछ औद्योगिक घरानों की वृद्धि दर, सम्पूर्ण निजी निगम क्षेत्र की दरों की तुलना में उच्चतर थी।

**विवरण**

**एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत 30-6-1978 तक के पंजीकरणों के आधार पर, बृहद व्यौपारिक घरानों की 1976 में परिसम्पत्तियां**

(करोड़ रु० में)

| क्रम सं० | व्यापारिक घराने का नाम | परिसम्पत्तियां | क्रम सं० | व्यापारिक घराने का नाम | पारिसम्पत्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | टाटा | 980.77 | 14. | लार्जन एण्ड ट्रब्रो | 147.74 |
| 2. | बिड़ला | 974.63 | 15. | वालचन्द | 129.42 |
| 3. | मफतलाल | 256.54 | 16. | महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा | 126.06 |
| 4. | जे०के० सिंघानिया | 241.23 | 17. | हिन्दुस्तान लीवर | 122.51 |
| 5. | आयल इन्डिया | 202.59 | 18. | मोदी | 117.79 |
| 6. | थापर | 202.24 | 19. | साराभाई | 116.73 |
| 7. | आई०सी०आई० | 198.99 | 20. | मैकनोल एण्ड मैगर | 113.35 |
| 8. | बांगुर | 195.33 | 21. | कस्तूरभाई लालभाई | 109.63 |
| 9. | सिंघिया | 177.08 | 22. | टी०वी०एस० अयंगार | 105.78 |
| 10. | श्रीराम | 171.70 | 23. | आई०टी०सी० | 105.08 |
| 11. | भिवन्डीवाला | 166.43 | 24. | बजाज | 101.51 |
| 12. | ए०सी०सी० | 160.21 | 25. | खटाऊ (बम्बई) | 100.22 |
| 13. | किलोस्कर | 152.47 | 26. | डदलव | 99.10 |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | पैरी | 91.11 | 55. | किलाचन्द (तुलसीदास) | 40.21 |
| 28. | चौगुले | 80.15 | 56. | घिया | 39.61 |
| 29. | जी०के०डब्ल्यू० | 74.62 | 57. | शावालेस | 38.82 |
| 30. | यूनियन कार्बाइड | 71.31 | 58. | वी० रामाकृष्णा | 38.77 |
| 31. | सालगावकर | 71.19 | 59. | एस०पी०जैन | 38.24 |
| 32. | सिम्पसन | 70.96 | 60. | गोइन्का (के०पी०) | 34 92 |
| 33. | नाइडु जी०वी० | 69.73 | 61. | सोमाइया | 34.81 |
| 34. | बर्ड हीलजर्स | 69.33 | 62. | मैटल बाक्स | 34.62 |
| 35. | कपाडिया (किलिक) | 68.31 | 63. | सैन्ट्रल पल्प | 31.95 |
| 36. | वी०एस० डेम्पो | 67.88 | 64. | साहू जैन | 31.53 |
| 37. | ब्रुड बांड | 65.67 | 65. | स्वेडिश मैच | 30.80 |
| 38. | गोदरेज | 65.17 | 66. | एम०ए० चिदम्बरम | 30.69 |
| 39. | एस्कोर्टस | 64.14 | 67. | रेलियान्स टेक्सटाइल्स | 30.27 |
| 40. | रैलिस | 62.80 | 68. | प्रतापलाल भोगीलाल | 29.80 |
| 41. | अशोक लेलैण्ड | 61.51 | 69. | जारडाइन हैन्डरसन | 29.17 |
| 42. | नौरेजी वाडिया | 59.64 | 70. | कोठारी (मद्रास) | 28.90 |
| 43. | फिलिप्स | 57.02 | 71. | नाइड्र वी०आर० | 28.35 |
| 44. | मदुरा कौट्स | 55.85 | 72. | ठाकरसी | 27.05 |
| 45. | सूरजमल नागरमल | 53.77 | 73. | मद्रास सीमेंट | 26.93 |
| 46. | यूनाइटेड ब्रेवरीज | 52 92 | 74. | गोल्डन टोबाकू | 23.40 |
| 47. | कमानी | 50.38 | 75. | त्यागराजा | 22.98 |
| 48. | जैपुरिया | 49.70 | 76. | एस्बैस्टोज सीमेंट | 20.24 |
| 49. | बम्बई सबरबन | 48.07 | 77. | एंटीजय | 19.70 |
| 50. | ओगराई एम०एस० | 47.29 | 78. | मोहन मीकिन | 18.54 |
| 51. | श्री अम्बिका | 45.26 | 79. | शेशासाई | 14.57 |
| 52. | जी०ई०सी० | 45.08 | 80. | रूइया गोइन्का | 13.49 |
| 53. | रौनक सिंह | 44.43 | 81. | रूइया | 0.54 |
| 45. | मुरुगणा चैट्रिटयार | 43.57 | 82. | एकाकी बृहद उपक्रम | 1006.69 |

**हिल्सा सब-डिवीजन, नालंदा, बिहार में पेट्रोल और डीजल पंपों को मंजूरी देना**

2032. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि बिहार राज्य के नालंदा जिले के अन्तर्गत हिल्सा सब डिवीजन में केवल एक ही पेट्रोल तथा डीजल पम्प है जिससे वाहन मालिकों तथा किसानों को भारी असुविधा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए उपरोक्त सब-डिवीजन में पर्याप्त पेट्रोल तथा डीजल पम्पों की मंजूरी देने का है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की पश्चिमी मुदीदीह और जगत खानों में कार्यरत आदिवासियों की संख्या**

2033. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद जिले में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र संख्या 5 में पश्चिमी मुदीदीह और जगत खानों में कार्यरत आदिवासियों की संख्या में गत पांच वर्षों के दौरान कितनी कमी आई है, तत्सम्बन्धी वर्षवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश आदिवासियों को वहां के उन शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निकाल दिया गया है जो कोई भी उत्पादन कार्य नहीं करते हैं और केवल सूदखोरी का काम करते हैं तथा भारत कोकिंग कोल लि० के कर्मचारी बने हुये है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री के० बी० सक्सेना जो अब बिहार सरकार के सचिव बन गए हैं ने जब वे वहां पर उपायुक्त थे, 1975 में इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी, यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(घ) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र संख्या 5 के स्थानीय अधिकारी इन शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथों में नाचते हैं अथवा उनकी सांठ-गांठ से काम करते है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र संख्या पांच के कार्य-करण की सर्वांगीण जांच कराने का है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

## ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे दूरदर्शन केन्द्र

2034. श्री अशोक गहलोत :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस प्रकार के दूरदर्शन अन्तरिक्ष केन्द्र प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे ;

(ग) इस प्रकार के शहरी और ग्रामीण केन्द्रों पर कितना व्यय किए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को कब कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) गांवों में छोटे दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है । इस कवरेज को नए दूरदर्शन केन्द्रों और "इनसेट-1" के माध्यम से और बढ़ाया जायेगा ।

(ख) "इनसेट-2" के माध्यम से दूरदर्शन प्रसारण के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा ।

(ग) और (घ) दूरदर्शन सेवाओं के लिए "इनसेट-1" का उपयोग करने की स्कीम तैयार की जा रही है । इसका कार्यान्वयन स्कीम की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

## बिड़ला समूह की कम्पनियों द्वारा कम्पनी कानून का कथित उल्लंघन

2035. स्वामी इन्द्रवेश :

श्री राम विलास पासवान :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सांविधिक रूप से निर्धारित अवधि के भीतर तुलन-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कम्पनी कानून विनियमों का बिड़ला समूह के स्वामित्व वाली अनेक कम्पनियां उल्लंघन कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बीच इस प्रकार की दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

**बिजली के वितरण के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना**

2036. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिजली के वितरण हेतु एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या दिल्ली में हाल ही में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में ऐसा कोई प्रस्ताव पेश किया गया था ;

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) बोर्ड की कब तक स्थापना हो जाने की आशा है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

**लंदन में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के एक कार्यालय का प्रस्ताव**

2037. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लंदन में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसे खोलने में किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया है ; और

(ग) यह फिल्म-जगत के लिए किस प्रकार सहायक होगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) से (ग) भारतीय फिल्म विकास निगम ने (1) महत्वपूर्ण मार्केट आसूचना मानिटर करने ; (2) भारतीय फिल्मों का निर्यात बढ़ाने ; (3) भारतीय फिल्मों के वीडियो कैसेटों सहित भारतीय फिल्मों की चोरी की रोकथाम करने और (4) भारतीय फिल्म उद्योग के लाभ के लिए विदेशों

की व्यापार नीतियां और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं संबंधी सूचना एकत्र करने और उसकी तुलनात्मक जांच करने के लिए विदेशों में अपने कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक कार्यालय लंदन में होगा।

**तेल की खोज के लिए योजनाएं**

2038. **श्री डी०एम०पुत्ते गौडा :**

**श्री एच०एन० गोडा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल-क्षेत्रों की खोज करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई अथवा किए जाने का विचार है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेने का भी विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :**(क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडियन लिमिटेड दोनों ने देश में तेल अन्वेषक तथा उत्पादन के लिए अपने प्रयत्नों को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। तटीय क्षेत्र में, असम अराकन, कृष्णा गोदावरी तथा काबेरी बेसन में अन्वेषण कार्य को तीव्र किया जायेगा काम्बे बेसन में अन्वेषण कार्य की गति को कायम रखा जायेगा। पश्चिम बंगाल, गंगा घाटी, हिमालय की तराई, राजस्थान, उड़ीसा तट तथा अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य को उपयुक्त आधार पर गढ़ाया जायेगा। कुछ आशाजनक क्षेत्रों जैसे छिछले स्थानों (धोलस) तथा नदी मुखों (एसटयूअरि) जहां संभार तंत्र समस्याओं के कारण अब तक कार्य नहीं किया गया था, जहां भी आवश्यक होगा विशेषज्ञता प्राप्त ठेके वाली एजेंसियों को लगाकर अन्वेषण कार्य कराया जायेगा। भूमि पर बेसिनों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाने वाली कुल खुदाई 300 कूपों सहित 882,700 मीटर होगी।

अपतटीय क्षेत्र में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा महानदी डेल्टा क्षेत्र में अपना अन्वेषण कार्य जारी रखने की संभावना है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग गहरे पानी तक सीमा बढ़ाते हुए बम्बई अपतटीय बेसन में अन्वेषण कार्य जारी रखेगा। उनके द्वारा सौराष्ट्र में अपतटीय संरचनाओं गल्फ आफ कच्छ में, अण्डेमान तथा निकोबार शैल्फ में तथा पूर्वी तट बेसिनों जैसे कि पालकबे तथा कृष्णा-गोदावरी बेसिनों में अन्वेषण का भी प्रस्ताव है। योजना समय के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा काम पर लगाये गये अपतटीय रिगों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है ताकि विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में 95 अन्वेषणात्मक कूपों की खुदाई की जा सके।

बम्बई हाई क्षेत्र के पूर्ण विकास के अलावा योजना समय में अन्य संरचनाओं अर्थात आर-12, दक्षिण बेसन तथा उत्तरी बेसन क्षेत्र, बी-37, बी-38 संरचनाओं का भी विकास किया जायेगा।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड के प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में 32 खुले हुए खण्डों में अन्वेषण कार्य के लिए सक्षम विदेशी पार्टियों से विविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त अन्वेषण उत्पादन कार्य कलापों को बढ़ाने के लिए जहां भी आवश्यक होगा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० सक्षम संगठनों से तकनीकी सहायता/सलाहकार सेवाएं प्राप्त करेंगे।

**बंगलादेश द्वारा भारतीय चलचित्रों का आयात बन्द किया जाना**

2039. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि बंगलादेश ने भारतीय चलचित्रों का आयात करना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1979 की तुलना में वर्ष 1980 के दौरान उस देश द्वारा कितने चलचित्रों का आयात किया गया ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मत्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी)** : (क) और (ख) नीति के रूप में बंगला देश भारतीय फिल्मों का आयात नहीं करता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**सभी पन विद्युत मात्रा को मिलाया जाना**

2040. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सम्पूर्ण पन विद्युत की मात्रा को मिलाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विचाराधीन प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) जल विद्युत शक्यता के एक अनन्तिम मूल्यांकन के अनुसार 60% भार अनुपात पर देश की जल विद्युत शक्यता 75 एम०के०डब्ल्यू० बैठती है। विशाल जल विद्युत शक्यता की उपलब्धता को स्वीकार करते हुए सरकार ने इसके उपयोग पर बहुत अधिक बल देने का निश्चय किया है। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छठी योजना अवधि के दौरान 4768 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान 15000 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता प्रतिष्ठापित करने का प्रस्ताव है, जिससे जल विद्युत तथा ताप विद्युत क्षमता का अनुपात बराबर हो जायेगा।

यह भी निर्णय लिया गया है कि वृहत जल विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में ली जाएं ताकि उनको शीघ्र चालू किया जा सके। परियोजनाओं का एक ऐसा समूह जो कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध रहे, तैयार रखने की दृष्टि से पहली बार जल विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंपा गया है।

**भारतीय तेल निगम/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड/भारत पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा वितरण-एजेन्सियों का आबंटन**

2041. **श्री भीखा भाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खाना पकाने की गैस, हाई स्पीड डीजल तथा एम० एस० के वितरण के लिए कुल कितनी एजेंसियां दी गई ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वर्ष-वार पृथक-पृथक ऐसी कुल कितनी एजेंसियां दी गई ;

(ग) क्या यह सच है कि जो एजेंसियां पहले आरक्षित समुदायों के लिए आरक्षित थी वे अब अनारक्षित समुदायों को आबंटित कर दी गई हैं ; और

(घ) उन एजेंसियों का आरक्षण समाप्त करने और उन समुदायों को आबंटित करने के क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए समस्त प्रकार की एजेंसियों/डीलरशिपों में 25% आरक्षण की नीति प्रथम बार सार्वजनिक क्षेत्र की समस्त तेल कम्पनियों में 23-9-1977 से लागू की गई थी। इससे पहले "ख" स्थल के फुटकर बिक्री केन्द्रों को छोड़कर अर्थात वे डीलर स्वामित्व और संचालित हो, सब प्रकार की एजेंसियों/डीलरशिपों में आरक्षण केवल इण्डियन आयल कारपोरेशन में प्रभावी था।

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० और भारत की पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आरक्षण नीति आरम्भ से प्रदान की की गई एल० पी० जी० एजेंसियों और रिटेल अडटलेट डीलरशिपों (पेट्रोल/डीजल पम्पों) की संख्या और 1-4-1980 को यथा स्थिति में उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दी गई की संख्या जैसे सूचित किया गया है नीचे दी गई है।

| | पेट्रोल/डीजल पम्प | एल० पी० जी० एजेंसियां |
|---|---|---|
| प्रदान किए गयों की कुल संख्या (जिसमें पूर्व वचन बद्ध, उन्नत किए गए/ द्विशाखन आदि शामिल नहीं किए गए हैं) | 403 | 195 |
| अनुसूचित जातियां/ | 92 | 39 |
| अनुसूचित जन जातियां | 11 | 9 |

वर्ष वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को डिस्ट्रीब्युटरशिपें प्रदान करते समय केवल एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्युटरशिप के संबंध में तेल कम्पनियों द्वारा स्थल गत समय में पहले से निर्धारित कर लिए जाते थे । यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई योग्य उम्मेदवार नहीं मिलता था तो ऐसे स्थान को अश्रेणीबद्ध करके "अन्यों" की श्रेणी में डाल दिया जाता था और किसी एक वैकल्पिक स्थान को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी में डाल दिया जाता था ।

**इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर, नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच करने के लिए विशेषज्ञों का दल**

2042. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर, नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच करने और बिजली उत्पादन में सुधार के सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है;

(ख) क्या इस दल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) ऊर्जा मंत्रालय ने, देश में कई ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा करने के लिए विशेषज्ञों के एफ भ्रमणशील दल की व्यवस्था की है । इस दल ने इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र का दौरा अभी तक नहीं किया है क्योंकि यह काफी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है । इस समय लोड शैडिंग बहुत कम है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**कोल इन्डिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कम्पनियों का विकेन्द्रीकरण**

2043. **श्री कमल नाथ** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोल इन्डिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों का विकेन्द्रीकरण करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कम्पनियों के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की सम्भावना है ।

**तेल की सप्लाई के लिए विभेदक मूल्य नीति**

2044. **श्रीमती माधुरी सिंह** : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन भारत जैसे निर्धन, अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए तेल की सप्लाई के लिए विभेदक मूल्य नीति अपनाने को सहमत हो गया हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार द्वारा इस बारे में कोई पहल की जा रही है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी नहीं । फिर भी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की लम्बी अवधि की नीति समिति (लोंग टर्म स्ट्रेटइजि कमेटी आफ ओपेक) विकासशील देशों के साथ ओपेक सम्बन्धों, और विशेषकर तेल आयात करने वाले विकासशील देशों की समस्याओं को कम करने के लिए राहत प्रदान करने के उपायों के बारे में विचार कर रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

**आकाशवाणी के लेह केन्द्र का स्टूडियो**

2045. **श्री पी० नामग्याल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के लेह स्थित केन्द्र का स्टूडियो प्रारम्भ में आपातकाल के आधार पर 3 घंटों के कार्यक्रमों के लिए लगाया गया था लेकिन अब बिना अतिरिक्त स्टूडियों की सुविधाओं के 9 घंटों के कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपकरण, परिवहन, अतिरिक्त स्टूडियो और कर्मचारियों के लिए आवास के अभाव में कर्मचारी और कलाकार भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिससे कार्यक्रम घटिया स्तर के हो गए हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त के भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उपरिलिखित समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है और उन्हें कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी)** : (क) (ख) और (ग) आकाशवाणी का लेह केन्द्र सीमित स्टूडियो सुविधाओं के साथ परम अग्रता के आधार पर जून, 1971 में चालू किया गया था और उसने प्रतिदिन 4 घटे 45 मिनट की अवधि के कार्यक्रमों का प्रसारण करना शुरू किया। क्षेत्र की जरूरी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब इस अवधि को बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया है। क्योंकि केन्द्र को सीमित सुविधाओं के साथ शुरू किया गया था, अतः कठिनाइयां निःसन्देह पेश आ रही हैं। तथापि, अच्छी कोटि के कार्यक्रम तैयार करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। अधिक स्टूडियो तथा कार्यालय एवं आवास स्थान सहित अतिरिक्त तकनीकी सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिए भी कार्य चल रहा है।

**औषधि निर्माण फार्मास्यूटिकलों में ब्रांड नामों को हटाया जाना**

2046. **श्री एच० एन० नजे गोडा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि निर्माण फार्मास्युटिकनों से सम्बन्धित ब्रांड नामों को हटाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या इस उपाय के खिलाफ कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) सरकार ने औषध और प्रसाधन नियम 1945 में संशोधन करते हुए जनवरी, 1981 में एक गजट अधिसूचना जारी की थी ताकि निम्नलिखित 5 औषधों के अंश वाले फार्मूलेशनों और एक अंश वाले नये औषधों के ब्रांड नामों को समाप्त करने के बारे में किये गये निर्णय को अपेक्षित कानूनी रूप दिया जा सके :—

1. अनलजिन
2. एस्पिरीन
3. क्लोरप्रोमाजाइन और उसके लवण,

4. फेरस सल्फेट

5. पिपराजाइन और उसके लवण

उपरोक्त पांच औषधों के ब्रांड नामों को 1 अगस्त 1981 से समाप्त किया जायेगा ।

(ख) और (ग) ब्रांड नामों को समाप्त करने के बारे में सरकार द्वारा किए गए निर्णय के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त किए गए थे । इन अभ्यावेदनों में उत्पादों की किस्म, उनकी पहिचान, नये औषधों के प्रचलन आदि में संबंधित मुद्दे उठाये गये थे । जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, सरकार ने इन अध्यावेदनों में उठायी गई आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद ब्राण्ड नामों को समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय को कानूनी रूप दे दिया है ।

**चौबीस परगना के दक्षिणी क्षेत्र के लिए आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन के संवाददाता की नियुक्ति**

2047. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुन्दर वन क्षेत्रों के समाचार भेजने की व्यवस्था करते हुए चौबीस परगना के दक्षिणी क्षेत्र में आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन का संवाददाता नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**जून, 1980 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और श्रमिक संघों के बीच हुआ करार**

2048. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबन्धकों और श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के बीच 20 जून, 1980 को हुई एक बैठक में लिए गये निर्णयों का मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इसमें भाग लेने वाले श्रमिक संघों के नाम क्या हैं ; और

(ग) 20 जून, की इस बैठक में लिए गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबन्ध मंडल और मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों की 20 जून, 1980 को हुई बैठक में लिए

गए निर्णयों की मुख्य बातें कामगारों की नयी भर्ती और ई० को० लि० की अन्य खानों से फालतू श्रमिकों के नयी और पुनर्गठित खानों में तबादले संबन्धी नीति से सम्बंधित थीं। इसमें यह संकेत भी था कि स्थानीय व्यक्तियों, मजदूरों के आश्रितों, छंटनी किए गये कामगारों, आदि में से भर्ती के लिए क्या तरीका अपनाया जाये। इन निर्णयों में रोजगार के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए एक संवीक्षा समिति के गठन की बात भी शामिल थी।

(ख) भाग लेने वाली केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इन्डिया ट्रेन यूनियन कांग्रेस, सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स, भारतीय मजदूर संघ। इनके अलावा एक अन्य लेबर यूनियन एस० बी० के० एम० एम० (यू० ट्रे० यू० कां) ने भी भाग लिया।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**महाराष्ट्र के खुलदाबार तालुका के भेंसल में टेलीविजन केन्द्र**

2049. **श्री काजी सलीम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में खुलदाबार तालुका के "भेंसल" में पारेषण और/अथवा टेलीविजन केन्द्र के लिए महाराष्ट्र और केन्द्रीय सरकार की योजनाएं, प्रस्ताव तथा प्राक्कलन क्या है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई सर्वेक्षण किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र को इसके लिए कभी कोई पत्र लिखा है या इस कार्य के लिए किसी विशेषज्ञ अथवा इन्जीनियर या किसी अन्य समिति की नियुक्ति की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ;

(च) क्या इसको स्थापना अथवा विकास के लिए 1977 1978 और 1979 के दौरान तथा 1 फ़रवरी, 1980 से 31 जनवरी 1981 के दौरान विभिन्न वर्गों द्वारा मांग की गई है ;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ज) उक्त पारेषण/टेलीविजन केन्द्र के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है और उसका क्या कार्यकरण होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) महाराष्ट्र में खुलदाबाद तालुका के भेंसल में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं, ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जी नहीं, ।

(छ) तथा (ज) प्रश्न नहीं उठते ।

**पेरियार पन - बिजली योजना**

2050. **श्री ए० नोलालोहियादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने लोअर पेरियार पन-बिजली योजना सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन मंजूरी के लिए भारत सरकार को पेश कर दिया है ;

(ख) प्रस्तावित परियोजना का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त परियोजना को मंजूरी देने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजना को मंजूरी दे दिये जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां । यथा प्रस्तावित इस स्कीम में एक 31 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध का 12.09 किलोमीटर लम्बी एक अनलाइंड विद्युत सुरंग का तथा 60-60 मेगावाट की 3 युनिटों की प्रतिष्ठापना वाले भूतल स्थित एक विद्युत केन्द्र का निर्माण शामिल है। स्कीम की अनुमति लागत 59.76 करोड़ रुपए है ।

(ग) और (घ) परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में की गई है । बांध के अभिकल्प, जल-रचना आदि के पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मांगे गए कुछ स्पष्टीकरणों को छोड़कर, स्कीम की तकनीकी जांच पूरी हो गई है । परियोजना प्राधिकारियों से अपने अधिकारी भेजने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि स्पष्टीकरण शीघ्र प्राप्त हो सकें । जैसे ही केन्द्रीय जल आयोग इस परियोजना को स्वीकृति दे, देगा वैसे ही तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देने की कार्यवाई की जाएगी ।

**जीवन रक्षक दवाओं और विटामिनों के मूल्यों में वृद्धि**

2051. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

**श्री फूल चन्द वर्मा :**

**श्री माधव राव सिंधिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई जीवन रक्षक दवाओं और विटामिनों के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि करने की स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो जिन दवाओं के मूल्यों में वृद्धि की गई है उसकी सूची दें और उनमें किस सीमा तक वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश दवाओं का निर्माण बड़ी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है जो बहुत अधिक लाभ अर्जित कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के निर्णय का आधार क्या है?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) अनेक विटामिनों सहित 111 बल्क औषधों के मूल्य अब तक संशोधित किए गए हैं जिनमें से कुछ में वृद्धि और कुछ में कमी की गई है। अनेक फार्मुलेशनों के मूल्यों को संशोधित किए गए हैं।

(ख) बल्क औषधों के नाम और मल्य में स्वीकृति की गई वृद्धि और कमी दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न हैं।

(ग) बल्क औषधों जिनके मूल्यों में संशोधन किया गया है, सिर्फ बड़े फार्मों द्वारा ही निर्माण नहीं किया जाता। संवीक्षाधीन औषधों का निर्माण सरकारी क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में भारतीय कम्पनी और लघु उद्योग क्षेत्र और कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा भी किया जाता है।

(घ) अधिकतर औषधों के मूल्य, जो पहले मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत थे, अनेक वर्षों तक अपरिवर्तित रहे और मार्च, 1978 में नई औषध नीति के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए विशेष रोक लगाई गई थी। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्पश्चात मूल्य संशोधन अपेक्षित था। इसी बीच कच्चे मालों की लागत में काफी वृद्धि हुई, विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि में परिणामस्वरूप इसलिए यह मूल्य में संशोधन हुआ जिसमें इन सभी मुदों को ध्यान में रखा गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2010/81)

**कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल निकालने के काम का बन्द किया जाना**

2052. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में दिसम्बर, 1980 से तेल निकालने का काम बंद कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस बेसिन में तेल निकालने के काम पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(घ) उस स्थान पर तेल निकालने का काम पुनः आरम्भ करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) अभी तक कृष्णा-गोदावरी बेसिन में केवल अन्वेषण कार्य किया जा रहा है और तेल निकालने का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तटवर्ती और अपतटवर्ती दोनों क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य पर 4.52 करोड़ रुपए के मूल्य ह्रास को शामिल करके 31.3.1981 तक 16-43 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है ।

(घ) तेल निकालने के कार्य का आरंभ करना हाइड्रोकार्बन्स की वाणिज्यिक मात्राओं की खोज पर निर्भर करेगा ।

**एकरूप दण्ड संहिता तैयार करने का प्रस्ताव**

2053. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोवा में तत्कालीन पुर्तगाली शासन द्वारा तैयार की गई एकरूप दण्ड संहिता पर आधारित एकरूप दण्ड संहिता तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक करोल संयंत्र का बन्द होना

2054. श्री छोटू भाई गामित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० एफ० सी० ओ० के एक और उर्वरक करोल संयंत्र (गुजरात) ने अपने टरबाइनों में टूट-फूट के कारण काम करना बंद कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां । 10 जनवरी, 1981 को कलोल (इफको) के अमोनिया प्लांट को प्रोसेर एअर कम्प्रेशर टर्बाइन के बीयरिंग में काफी वाइब्रेशन देखे जाने के कारण बन्द कर दिया गया था । जांच करने के बाद यह पाया गया कि सातवें हवील के एक श्रौंउड खुला हुआ था जिससे रोटर में असंतुलन हो गया और यह भी पाया गया कि टर्बाइन केस में रगड़ लग रही थी । क्षतिग्रस्त रोटर को उपलब्ध स्पेयर रोटर द्वारा बदल दिया गया और प्लांट को 19 जनवरी, 1981 से फिर चालू किया गया ।

सोडा ऐश का उत्पादन

2055. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री ए०सी०दास : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडा-ऐश का उत्पादन कर रही कम्पनियों की संख्या, उनकी उत्पादन क्षमता और वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलों द्वारा कोयले की अपर्याप्त सप्लाई किए गये कोयले की घटिया दर्जे और ट्रकों द्वारा परिवहन के कारण हुई इसके लागत मूल्यों में भारी वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप सोडा-ऐश के मूल्यों में वृद्धि हुई है, के कारण यह उद्योग भारी संकट से गुजर रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संकट पर काबू पाने के लिए विभाग द्वारा दी जा रही अथवा दिये जाने के लिए प्रस्तावित विशेष सहायता का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) देश में सोडा ऐश के चार निर्माता हैं। उनके नाम, कलैण्डर वर्ष 1980 के दौरान उत्पादन क्षमता और उत्पादन नीचे दिया गया है :—

| | उत्पादन क्षमता (टन प्रतिवर्ष में) | वर्ष 1980 के दौरान उत्पादन (टनों में) |
|---|---|---|
| 1. मै० टाटा कैमिकल्स लि०, मिथापुर गुजरात | 3,60,000 | 3,16,513 |
| 2. मै० सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०, पोरबन्दर, गुजरात | 2,30,000 | 1,52,889 |
| 3. मै० धरगधरा कैमिकल्स बक्सं लि०, धरगंधरा गुजरात | 65,000 | 67,907 |
| 4. मै० उड़ीसा सीमेन्ट्स लि०, (हरी फर्टिलाइजर्स), वाराणसी, उ०प्र० (भूतपूर्व न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स) | 39,600 | 11,398 |
| योग | 6,94,600 | 5,48,707 |

(ख) सोडा ऐश के निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कोयला/कोक के परिवहन के लिये वैगनों की पर्याप्त संख्या आबंटित नहीं की जाती और कोयला मानक किस्म का नहीं है कोयला के विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के लिये निर्धारित की गई प्राथमिकता के अन्तर्गत प्रयास किये जा रहे हैं और सोडा ऐश उद्योग को वैगनों की अधिकतम संख्या उपलब्ध कराने के लिए वे प्रयास जारी रहेंगे। जब वैगनों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होगी तब निर्माता कोल का परिवहन सड़क मार्ग द्वारा करते हैं। निर्माताओं ने बताया है कि सड़क मार्ग द्वारा परिवहन की अतिरिक्त लागत, सामान्य बनाने के लिये ईंधन तेल के प्रयोग पर अतिरिक्त खर्च, कोल की कमी और निवेश लागतों में सामान्य वृद्धि आदि सब से कारखाने से बाहर सोडा ऐश के मूल्य में वृद्धि हुई है।

**लघु और छोटे उपभोक्ताओं को कोयले के मासिक कोटे में कटौती**

2056. श्री पी० एस० सईद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु और छोटे उपभोक्ताओं को कोयले के मासिक कोटे में कटौती करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय का मुख्य कारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग कारखाना मालिकों को दिए गए वैगनों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक वैगन खानों के मुहानों से ढुलाई के दायित्व को रेलवे द्वारा इन्कार किया जाना था ;

(ग) रेलवे निर्णयों को बदलने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या मंत्रालय ने संम्बिधत विभागों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया है ताकि कोयले का कोटा कम न हो; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें मत्रालय कहां तक सफल हुआ है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**बिजली सम्बन्धी कुलकर्णी समिति की सिफारिशें**

2057. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बिजली घरों के रख-रखाव, योजना, फालतू पुर्जे, प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में कुलकर्णी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : वृहत ताप विद्युत केन्द्रों में पुनरुक्षण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किए जाने के सम्बन्ध में कुलकर्णी समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

1. प्रत्येक बोर्ड में एक केन्द्रीय अनुक्षरण संगठन की स्थापना की जाए जो एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर कार्य कर सके ।

2. राज्य/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र आदि के परामर्श से प्रणाली में यूनिटों के ओवरहाल की एक समन्वित समय सूची वर्ष के प्रारम्भ में तैयार कर ली जाए ।

3. वार्षिक निरीक्षण तथा बायलरों के ओवरहाल की अवधि 30 दिन के लगभग होनी चाहिए तथा 3 से 5 वर्ष के अन्तराल पर की जाने वाली टरबाईनों के सम्पूर्ण ओवर हाल की अवधि 45 दिन होनी चाहिए ।

4. मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों में शीघ्रता लाने के लिए स्काई क्लाईम्बर्स जैसे आधुनिक औजारों और साज-समान का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

5. उपचारी अनुरक्षण के साथ, सिगनेचर विश्लेषण जैसी सम्प्रेक्षण तकनीकों का तथा कम्पन विश्लेषक, सघनता खोजी जैसे आधुनिक उपस्करों आदि का प्रयोग करते हुए पूर्व सूचक अनुरक्षण आवश्यक है ।

6. प्रबन्ध की नई तकनीकों को अपनाना तथा प्रबंधकीय कार्यात्मक सुधार को शुरू करना (जैसे कि लक्ष्यों का निर्धारण, तकनीकी शिक्षा प्राप्त, सक्षम तथा अनुभवी कार्मिकों को पर्याप्त संख्या में कार्य पर लगाना) इसमें व्यवहारपरक विज्ञान तथा सामग्री प्रबन्ध आदि भी सम्मिलित है ।

7. विद्युत केन्द्र पर वर्कशाप में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी :—

(1) रोटरों के संतोलन

(2) कम्पन परीक्षण

(3) रीब्लेडिंग तथा

(4) वेल्ड आदि का पराश्रव्य परीक्षण ।

8. कम से कम दो वर्ष की आवश्यकताओं के लिए, आयातित फालतू पुर्जों का स्टाक हो तथा देशी पुर्जों की प्राप्ति में लगने वाले समय के अधार पर देशी फालतू पुर्जों का स्टाक पर्याप्त मात्रा में हो ।

9. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड विभिन्न प्रधान/महत्वपूर्ण फालतू पुर्जों तथा सामग्री का आवश्यक स्टाक बनाए रखेगा ताकि विद्युत केन्द्रों को शीघ्रता से सप्लाई की जा सके ।

(ख) कार्यान्वयन के लिए ये सिफारिशें सभी राज्य बिजली बोर्डों को परिपत्रित कर दी गई हैं ।

**छठी योजना के दौरान नई तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव**

2058. **श्री सुनील मैत्रा :**
**श्री अमर राय प्रधान :**
**श्री चित्त नहाटा :**
**श्री नारायण चौबे :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में नई तापीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सभी प्रस्ताव नामंजूर कर दिये गए है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के विद्युत क्षेत्र के अपने प्रस्तावों के एक भाग के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ नई स्कीमों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। योजना आयोग द्वारा विद्युत के लिए गठित कार्यकारी दल में विस्तृत विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात् निर्माणाधीन तथा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए परियोजनना-वार प्रस्तावों की तथा नई परियोजनाओं के लिए एक मुश्त प्रावधान की सिफारिशें की गई थीं। बाद में राज्य के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् विद्युत क्षेत्र के लिए परिव्यय का निर्धारण कर दिया गया है। राज्य सरकार से कहा गया है कि विभिन्न स्कीमों के लिए आबंटनों का ब्यौरा सुझायें, जिसकी प्रतीक्षा है। तथापि यह आशा की जाती है कि सभी नई स्कीमों के लिए छठी योजना के दौरान 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि उपलब्ध होनी चाहिए।

**खाना पकाने की गैस के सिलिंडरों का लागत मूल्य**

2060. श्री गुफरान आजम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हाल ही में खोज की गई खाना पकाने की गैस से नगरीय मांग पूरी हो सकती है ;

(ख) प्रति दिन कितने सिलिंडर भरे जाते हैं और 1981 के कुल कितना वार्षिक उत्पादन होने की आशा है ;

(ग) इन्डेन गैस के (22 किलोग्राम) के प्रति सिलिंडर मूल्य बढ़ाने के क्या कारण हैं जब कि यह भारत में उत्पादित होती है। 22 किलो के खाना पकाने की गैस के सिलिंडर की उत्पादन लागत तथा बाजार में इसके विक्रय मूल्य का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भारत में 31 दिसम्बर, 1980 को खाना पकाने की गैस के कुल कितने कनेक्शन थे और 1981 में कितने कनेक्शन दिये जायेंगे और इस समय कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) यदि अभिप्राय तरल पेट्रोलियम गैस से है तो नगरीय क्षेत्र में मांग को आंशिक रूप से पूरा किया जा रहा है।

(ख) तेल कंपनियों के वाटलिंग प्लांटों में प्रतिदिन कुल करीब 85,000 सिलेंडर भरे जाते हैं। 1981 वर्ष में तरल पेट्रोलियम गैस का उत्पादन 5 लाख मी०टन होने की आशा है।

(ग) तेल कम्पनियां 22 किलोग्राम वाले खाना पकाने की गैस सिलेंडरों का विज्ञापन नहीं करती है। खाना पकाने की गैस तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मुल्य आयातित कच्चे तेल

और पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़े हुए मूल्यों, असम से कच्चे तेल की सप्लाई पर आधारित शोधनशालाओं के लगातार बन्द रहने के कारण अतिरिक्त उत्पाद आयात संचालन लागत में वृद्धि और बम्बई हाई से प्राप्त कच्चे तेल का नई पाइप लाइन के माध्यम से परिवहन किये जाने पर अतिरिक्त व्यय के कारणों से, जनवरी, 1981 में बढ़े थे ;

(घ) 31.3.1980 को देश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की कुल संख्या करीब 31.5 लाख है । 1981-82 के दौरान करीब 12 लाख नये कनेक्शन दिए जाने की आशा है । प्रतीक्षा सूची पर करीब 37 लाख आवेदकों का नाम दर्ज है ।

**राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिदिन छः घन्टे के लिए बिजली सप्लाई करने के लिए आश्वासन**

2061. **श्री० के पी० सिंह देव :**

**श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र के प्रयासों के परिणामस्वरूप अधिकांश राज्य सरकारों ने अब केन्द्रीय सरकार को आश्वासन दिया है कि उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम छः घंटे के लिए बिजली की सप्लाई करना संभव होगा ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का आश्वासन किन राज्यों ने दिया है और कौन से राज्य ऐसा नहीं कर सके हैं ;

(ग) बिजली सप्लाई न कर सकने वाले राज्यों द्वारा क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं और केन्द्र का विचार उन राज्यों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या यह सप्लाई नियमित होगी और प्रत्येक राज्य के लिए अब बिजली की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध होगी ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) जी, नही ।

(ख) से (घ) इस समय सभी राज्य ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई दे रहे हैं । सामान्यतः, इस सप्लाई को जारी रखने में कोई कठिनाई नहीं दीखती ।

**पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा स्थापित कालोनियों को विनियमित करना**

2062. **श्री चित्त बसु :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आये विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पश्चिमी बंगाल में विभिन्न स्थानों पर बनाई गई सभी 'सबवेटर' बस्तियां इस बीच विनियमित कर दी गई है ;

(ख) क्या उनको इस प्रकार विनियमित कालोनियों में उनके कब्जे वाली जमीन के मालिकाना हक दे दिये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उनको मालिकाना हक देने का है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या उन विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्होने अपने आप को दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब में बसा लिया है, "फ्री होल्ड" अधिकार दे दिया गया है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर 1951 से पूर्व की 149 बस्तियां और 1950 के बाद की 175 बस्तियां विनियमित कर कर दी गई हैं।

(ख) भूमियां अर्जन करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा मालिकाना हक दिये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां,। कुछ शहरी तथा छावनी क्षेत्रों को छोड़कर जहां भूमियां पट्टे पर दी गई हैं।

**रानीगंज में घूसिक और बोकारो कोयला क्षेत्र में आशपानी कोयला खानों के विकाश के लिए अमरीका से करार**

2063. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानीगंज में घुसिक और पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र में आशपानी भूतिगत कोयला खानों के एकीकृत विकास कार्य के लिए अमरीका ने भारत के साथ एक विस्तृत करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गये करार का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**राज्यों/कस्बों में खाना पकाने की गैस की व्यवस्था**

2064. **श्री जैनुल बशर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में पचास हजार से कम की जनसंख्या वाले कस्बों में खाना पकाने की गैस की सेवा की व्यवस्था की गई है और कुछ राज्यों में एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों में भी अभी गैस सेवा की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस असमानता के क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) जी, हां ।

(ख) उन नगरों जहां कि जनसंख्या एक लाख से ऊपर है परन्तु जहां तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की सप्लाई नहीं की जा रही है, के नाम तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) हाल तक विभिन्न स्थलों को खाना पकाने की गैस का पिणन शोधनशालाओं की स्थलों से सन्निकटता, परिचालन सुविधाओं के अन्य पहलूओं जैसे कि क्षेत्र में भरण संयंत्र की उपलब्ध क्षमता, सप्लाई के संभार तन्त्र इत्यादि को मुख्यत: ध्यान में रखकर किया जाता रहा है न कि उस स्थान कीजनसंख्या को ध्यान में रखकर । तेल उद्योग की योजना है कि खाना पकाने की गैस की प्रत्याशित अतिरिक्त उपलब्धता होने पर सभी जिला मुख्यालय स्थलों को मार्च, 1981 तक गैस उपलब्ध कराई जायेगी तथा बाद में उन सभी नगरों को जहां कि जनसंख्या 50,000 से अधिक हैं, गैस दी जायेगी ।

**सोवियत रूस की सहायता से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर बड़े विद्युत संयंत्र स्थापित करना**

2065. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस की सहायता से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहुत बड़ा विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) और (ख) जी, हां । उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के समीप मध्य प्रदेश में वैंधान में सोवियत सहायता से 1000 मेगावाट की क्षमता वाला तथा 3000 मेगावाट की क्षमता तक विस्तार किए जा सकने वाला एक समेकित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाना है । 1000 मेगावाट क्षमता के लिए संबद्ध पारेषण लाइनों

के निर्माण के लिये तथा विद्युत संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ही, सिंगरौली क्षेत्र में निगाही कोयला खानों में चरणवद्ध रूप में कोयले के विकास के लिए भी सोवियत सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

**मतदान आयु का कम किया जाना**

2066. **श्री पी०के०कोडियन :**

**श्री सुभाष यादव :**

**श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदान आयु को घटाकर 18 वर्ष किए जाने के प्रश्न की सरकार ने जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) :** (क) और (ख) लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रश्न निर्वाचन सुधारों के लिए व्यापक प्रस्तावों का ही एक अंग है और उस पर विचार किया जा रहा है।

**पनबिजली, तापीय, डीजल और परमाणु बिजली घरों से बिजली उत्पादन की औसत लागत**

2067. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पनबिजली, तापीय, डीजल और परमाणु बिजली घरों से बिजली उत्पादन की औसतन लागत कितनी है ; और

(ख) बायोगैस, सुरज, हवा और लहर से बिजली उत्पादन की तुलना में इनकी क्या स्थिति है ?

**उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के बारे में विद्युत उत्पादन की औसत लागत विवरण में संलग्न है।

(ख) भारत में अभी तक ज्वारीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित नहीं की गई हैं। जहां तक सौर और वायु ऊर्जा का संबंध है, परियोजनाएं अभी विकास और निदर्शन की अवस्था में हैं तथा इसलिए इन स्रोतों से बल्कि उर्जा उत्पादन करने की लागत का हिसाब नहीं लगाया गया है। बायोगैस को भी बिजली के उत्पादन के लिए वाणिज्यिक रूप में इस्तेमाल नहीं किया

जा रहा है । तथापि यह अनुमान लगाया गया है कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किये जाने के लिए विकेन्द्रित वायोगैस संयंत्रों से उत्पन्न बिजली की लागत इन दूर-दराज के क्षेत्रों का परम्परागत रीति से ग्राम विद्युतीकरण किये जाने की लागत के बराबर हो सकेगी ।

विवरण

विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट पैसों में औसत लागत

| क्रम सं० | राज्य का नाम | 1979-80 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | जल विद्युत | ताप विद्युत | परमाणु विद्युत | डीजल विद्युत |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 6.9 X | 24.95 | — | — |
| 2. | असम | — | 16.72 | — | 607 |
| 3. | बिहार | 16.5 | 22.5 | — | — |
| 4. | गुजरात | * 3.43 | * 20.26 | * 16.06 | — |
| 5. | हरियाणा | 5.3 | 31.43 | — | — |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 11.1 | — | — | 3.80 |
| 7. | कर्नाटक | * 6.27 | — | — | — |
| 8. | केरल | * 5.29 | — | — | — |
| 9. | मध्य प्रदेश | * 5.31 | * 12.98 | — | 1495 |
| 10. | महाराष्ट्र | * 4.89 | * 16.87 | — | — |
| 11 | उड़ीसा | * 5.45 | * 18.61 | — | — |
| 12. | पंजाब | * 2.8 | * 27.8 | — | 297 |
| 13. | राजस्थान | * 5.31 | * 12.6 | — | — |
| 14. | तमिलनाडु | * 5.47 | * 32.07 | — | — |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 10.61 | 22.59 | — | — |
| 16. | पश्चिम बंगाल | * 26.16 | * 11.89 | — | * 81.37 |
| 17. | जम्मू और काश्मीर | 15.92 | 103 | — | — |
| 18. | मेघालय | 11.45 ** | | | |

* जहा वर्ष 1979-80 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है वहां 1978-79 के आंकड़े दिए गए हैं ।

** वर्ष 1977-78 के लिए जल/डीजल से उत्पादित विद्युत की औसत लागत ।

हल्दिया फर्टिलाइजर कम्पनी में उत्पादन

2068. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की हल्दिया फर्टिलाइजर कम्पनी ने अपना उत्पादन अभी तक उचित रूप से आरम्भ नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या बाधायें हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या उक्त संयंत्र के लिए आवश्यक गैस टर्बाइन की सप्लाई कर दी गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसकी सप्लाई करने की जिम्मेदारी किस की थी और इसमें विलम्ब क्यों हुआ ; और

(ङ) उक्त सप्लाई कब तक हो जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस संयंत्र में उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अपेक्षित पावर सप्लाई न किया जाना मुख्य बाधा है। सरकार ने संयंत्र की पावर की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए कम्पनी द्वारा एक 20 मेगावाट गैस टर्बाइन की स्थापना की मंजूरी दे दी है। एच०एफ०सी० द्वारा टर्बाइन के लिए आर्डर दिसम्बर 1980 में दिया गया था और उसके सितम्बर 1981 से चालू होने की आशा है।

शान्त घाटी परियोजना के पर्यावरण संबंधी पहलू के बारे में समिति का प्रतिवेदन

2069. श्री० के०ए० राजन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में शांत घाटी परियोजना के पर्यावरण सम्बन्धी पहलू के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के उन कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिया जाना, जो मर गए/डाक्टरी आधार पर सेवा निवृत हो गए**

2070. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों नजदीकी रिस्तेदारों को इन कर्मचारियों की मृत्यु/डाक्टरी आधार पर समय-पूर्ण सेवा-निवत्ति पर रोजगार प्रदान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 14/10/77 इस्टे० (डी) दिनांक 15 जनवरी, 1972 क्रियान्वित कर दिया गया है और यदि नहीं तो सरकारी आदेशों को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारी अप्रैल, 1980 में डाक्टरी आधार पर समय से पहले सेवानिवृत कर दिए गए थे और यदि हां, तो इन कर्मचारियों की तारीखवार संख्या और नाम क्या है और क्या उनके आश्रितों को रोजगार दे दिया गया है, यदि नहीं, तो उनके आश्रितों को रोजगार कब तक दे दिया जायेगा?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) जो कर्मचारी कार्य करते हुए मर जाते हैं, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान उनके आश्रितों में से एक को रोजगार उपलब्ध करवाता है । तथापि, डाक्टरी आधार पर समय से पूर्व सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी के पुत्र/पुत्री निकट संबंधी को इस समय कोई रोजगार नहीं दिया जाता ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित संबंधित कार्यालय ज्ञापन जो कि 8-2-80 से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पर लागू है, भर्ती तथा पदोन्नति सम्बन्धी विनियमों में संशोधन न होने के कारण अभी क्रियान्बित नहीं किया गया है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सलाह दी गई है कि विनियमों में शीघ्र ही संशोधन कर लें ताकि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन का लाभ उसके कर्मचारियों को मिले ।

(घ) केवल श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा, भूतपूर्व दफ्तरी, डाक्टरी आधार पर 30-1-1980 से, समय से पूर्व सेवा निवृत्त हुए थे । परिवार के आश्रित सदस्य को कोई रोजगार नही दिया जा सका क्योंकि इसके लिए इस समय कोई प्रावधान नहीं है ।

**औषध फार्मुलेशनों के मूल्यों में वृद्धि**

2071. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां औषध फार्मूलेशनों के लिए आवश्यक विभिन्न आधारभूत कच्चे सामान के मूल्यों में लगातार वृद्धि की मांग करती रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार और हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल और अन्य कम्पनियों को "लीडर प्राइसिस" में वृद्धि करके मूल्य वृद्धि करने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या भेषज निर्माता संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि "लीडर प्राईसिस" में वृद्धि के बाद औषध फार्मूलेशनों में अनुवर्ती वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है ;

(घ) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जो अन्तिम औषध फार्मूलेशनों के मूल्यों में वृद्धि न किये जाने के परिणामस्वरूप बन्द होने वाली है जो उत्पादन में कमी का सामना कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल द्वारा मांगे गए मूल्यों में और अधिक वृद्धि की प्रतीक्षा किये बिना निर्णय कब लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) मूल्य नियंत्रित बल्क औषधों का निर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों सहित औषध और भेषज उद्योग द्वारा विशेषकर वर्ष 1979 और 1980 में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बाद, औषधों के मूल्यों में संशोधन किये जाने की मांग की गई है ।

(ख) रसायनों और रसायन/औषध मध्यवर्ती पदार्थों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स द्वारा निर्मित रसायन/औषध मध्यवर्तियों में से कम्पनी ने टी०बी० विरोधी औषध पी०ए०एस० और उसके लवण के उत्पादन के लिए अपेक्षित एक मध्यवर्ती अर्थात् मेटा अमीनो-फिनोल के मूल्यों को अक्तूबर 1979 में सरकार की अनुमति से 42.40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 47.30 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया । यद्यपि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वर्ष 1979 और 1980 में बढ़ गए थे लेकिन कम्पनी ने मेटाअमीनो-फिलोन के बिक्री मूल्यों में अभी तक वृद्धि नहीं की है । सरकार ने पी०ए०एस० और उसके लवण के मूल्यों को 19 दिसम्बर 1979 से बढ़ा दिया है और बाद में मेटा-अमीनो-फिनोल के 47.30 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य के आधार पर उनमें पुन: 16 जनवरी 1981 से वृद्धि की है ।

(ग) से (ङ) तक दिनांक 19 दिसम्बर 1979 को घोषित पी०ए०एस० और उसके लवण के मूल्यों पर आधारित फार्मूलेशन के लीडर मूल्यों में पहले ही संशोधन किया गया है । उनमें शीघ्र ही और संशोधन किया जा रहा है ।

**समुद्र में तेल का पता लगाने के लिए गैर सरकारी उद्योगों से सहयोग प्राप्त करना**

2072. श्री जगपाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद में तेल का पता लगाने में गैस सरकारी उद्योगों से सहयोग मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनका सहयोग मांगा गया है ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उठता ।

**आंध्र प्रदेश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करना**

2073. श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए अभ्यावेदन दिया है और तट पर तथा तट से दूर छिद्रण कार्यों के संयोजन के लिए अनुरोध किया है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना के लिए अपेक्षित आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) आंध्र प्रदेश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि तटवर्ती क्षेत्र के लिए एक प्रायोजना प्रबन्धक और सहायक स्थापना ढांचे को अभी पर्याप्त समझा गया है, जबकि इसमें अन्तर्ग्रस्त संभार-तंत्र को दृष्टि में रखते हुए अपतटीय कार्यकलापों को भली भांति मद्रास बन्दरगाह से चलाया जा सकेगा । राज्य सरकार को यह भी सूचित कर दिया गया था कि तटीय और अपतटीय संचालन स्वभाव से भिन्न प्रकार के होते हैं और उनका एकीकरण नहीं किया जा सकता ।

**राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली की मांग**

2075. प्रो० निर्मला कुमारी शकतावत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली की कुल कितनी मांग है ;

(ख) क्या 1980-81 के दौरान बिजली की लगातार कमी रही है ;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या निकट भविष्य में किसी नई परियोजना को स्वीकृत किया जाएगा ताकि बिजली सप्लाई में कोई कमी न हो ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) राजस्थान की (ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की सम्मिलित) वर्तमान आवश्यकता लगभग 16 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है ।

(ख) और (ग) अप्रैल से नवम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान राजस्थान में विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक थी तथापि, दिसम्बर, 1980 से आगे, नदी अन्तर्वाहों में कमी के कारण भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड काम्पलैक्स तथा चम्बल काम्पलेक्स से 18 दिसम्बर, 1980 से 28 जनवरी, 1981 तक राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की युनिट संख्या-एक के बन्द रहने के कारण कम विद्युत उपलभ्यता के कारण राजस्थान में विद्युत की कमी रही ।

(घ) 1980-85 की अवधि के दौरान राजस्थान प्रणाली में लगभग 496 मेगावाट की एक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि होने की आशा है । इसके अतिरिक्त, उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 1980-85 के दौरान चालू की जाने वाली केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान को भी कुछ विद्युत आबंटित की जाएगी ।

**समाचार-पत्रों के विरुद्ध शिकायतें**

2076. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रेस परिषद् को देश में किसी समाचार पत्र के विरुद्ध कोई शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रेस परिषद् द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमुद बेन एम० जोशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दो विवरण (विवरण 1 तथा विवरण 2) जिनमें सूचना दी हुई है, संलग्न हैं ।

विवरण-1

केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई शिकायतें

| संख्या | शिकायत-कर्त्ता | प्रतिवादी | विषय | प्राप्त होने की तारीख | परिषद के निष्कर्ष/ की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 1979 | | |
| 1. | विदेश मंत्रालय विदेश प्रचार विभाग, नई दिल्ली। | "केपीटलिस्ट" | इसके 1-6-1979 के अंक में क्वातार दूतावास के प्रथम सचिव की स्त्रियों के लिए इच्छा और दिल्ली विश्व-विद्यालय में उनके कार्यों के बारे में एक अपमानजनक समाचार का प्रकाशन। | 12-10-1979 | इस बात को देखते हुए कि "कैपीट-लिस्ट" का प्रकाशन बन्द हो गया है, शिकायकर्त्ता ने परिषद् को सूचित किया कि मामले को छोड़ दिया जाय। तदनुसार, मामले को 27-8-80 को समाप्त हुआ समझा गया। |
| 2. | -तथैव- | -तथैव- | इसके 1-6-1979 के अंक में मोरोक्कन राजदूत के बारे में एक अपमानजनक समा-चार का प्रकाशन। | -तथैव- | -तथैव- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | -तथैव- | "नई दिल्ली" | इसके 4-9-1979 के अंक में एक अपमानजनक लेख का प्रकाशन जिसमें दिल्ली में स्थित विदेशी दूतावासों से वीसा के लिए आवेदन करते समय भारतीयों को हुई परेशानी का जिक्र किया गया था। | -तथैव- | परिषद ने 5 मार्च, 1980 की अपनी बैठक में यह महसूस किया कि मामले में पूछताछ करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और इस शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। |
| 4. | विदेश मंत्रालय, विदेश प्रचार विभाग, नई दिल्ली। | "नई दिल्ली" | इसके 4-9-1979 के अंक में एक अपमानजनक लेख का प्रकाशन जिसमें चीन के दूतावास की पार्टियों के बारे में अहानिकर जिक्र किया गया था। | 12-10-1979 | परिषद ने 5 मार्च, 1980 की अपनी बैठक में यह महसूस किया कि मामले में पूछताछ करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और इस शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। |
| 5. | -तथैव- | "दक्कन हैराल्ड" | इसके 2-6-1979 के अंक में इराक के राजनयिकों के अशोक होटल, बंगलौर में कथित दुर्व्यवहार के बारे में एक अपमानजनक लेख का प्रकाशन। | -तथैव- | समाचार पत्र द्वारा भेजी गई प्रारम्भिक टिप्पणियों को देखते हुए शिकायतकर्त्ता ने 17-5-80 को शिकायत वापस लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | -तथैव- | "इण्डियन एक्सप्रेस" | मोरोक्कन राजनयिक के नई दिल्ली के नर्सिंग होम में कथित दुर्व्यवहार के बारे में इसके 12-5-1979 के अंक में एक अपमानजनक लेख का प्रकाशन। | -तथैव- | शिकायतकर्त्ता ने पुनर्विचार करने के बाद 17-5-80 को शिकायत वापस लेने का निर्णय किया। |
| 7. | -तथैव- | "दि हिन्दू" | मोरोक्कन राजदूत की घटना के बारे में इसके 29-6-1979 के अंक में एक अपमानजनक लेख का प्रकाशन। | -तथैव- | -तथैव- |
| 8. | -तथैव- | "इन्डिया टूडे" | तथा कथित राजनैतिक ज्यादतियों के बारे में इसके 1-15 सितम्बर, 1979 के अंक में एक अपमानजनक लेख का प्रकाशन। | -तथैव- | -तथैव- |
| 9. | गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। | "नवभारत टाइम्स" | इसके 14-4-1978 के अंक में इस झूठे समाचार का प्रकाशन कि बिहार के पिछड़े | 24-9-1979 | परिषद ने 26 मई, 1979 की अपनी पहली बैठक में अपनी स्थापना से पहले की अवधि से संबंधित |
| 10. | [illegible] | "[illegible]" | वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन के | 5-5-80 | शिकायतों पर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। तदनुसार इस |
| 1 | 2 | 3 | दौरान 65 औरतों पर बलात्कार किया गया। | 2 | मामले को 17-10-79 को बन्द कर दिया गया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1980 | | |
| 10. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर । | "दैनिक गाथा" कानपुर | इसके 31-8-78, 1-9-78, 9-10-78 और 28-12-78 के अंकों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विरुद्ध झूठे और द्वेषपूर्ण समाचारों का प्रकाशन । | 2-7-80 | परिषद ने 26 मई, 1979 की अपनी पहली बैठक में अपनी स्थापना से पहले की अवधि से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया । तदनुसार, इस मामले को 4-7-80 को बन्द कर दिया गया । |
| 11. | मुख्य प्रोड्यूसर फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार । | "मीरर" | "मीरर" के जुलाई, 1980 के अंक में सूर्य ग्रहण को ठीक प्रकार से कवर करने में फिल्म प्रभाग की असफलता के बारे में फिल्म प्रभाग के विरुद्ध अवांछनीय अपमानजनक टिप्पणियों का प्रकाशन । | 22-7-80 | शिकायतकर्त्ता ने प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर दिया है, अर्थात् सम्पादक का झूठे समाचार की ओर ध्यान आकर्षित करना, कानूनी अदालत में इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई न करने की घोषणा, और उक्त समाचार की मूल कतरन 4-10-1980 को भेजना । "मीरर" के सम्पादक से प्राप्त टिप्पणियों की एक प्रति शिकायतकर्त्ता को 9-2-81 को भेज दी गई थी । इस बीच शिकायतकर्त्ता ने "मीरर" के श्री अब्बास द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को देखते हुए मामले को बन्द करने की अपनी इच्छा व्यक्त की । तदनुसार मामले को 12-2-1981 को बन्द हुआ समझा गया । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | सूचनाअधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, नई, दिल्ली। | "इंडियन एक्सप्रेस" | इसके 27-12-1980 के अंक में सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा कलकत्ता में दिए गए एक कथित वक्तव्य पर एक सम्पादकीय लेख "श्री साठे थ्रेट" का प्रकाशन जिसमें यह कहा गया था कि मन्त्री ने पत्रकारों को जेल भेजने की धमकी दी। | 30-12-80 | 5-1-81 को "इंडियन एक्सप्रेस" के सम्पादक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उससे इस संबन्ध में अपना लिखित बयान भेजने के लिए कहा था। यह 28 जनवरी, 1981 को प्राप्त हुआ। मामला परिषद की जांच समिति की 21 फरवरी, 1981 को हुई बैठक में विचार हेतु आया और उसको इसकी आगे की किसी बैठक के लिए स्थागित कर दिया गया। |
| 13. | -तथैव- | "ट्रिब्यून" | इसके 27-12-1980 के अंक में सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा कलकत्ता में दिए गए एक कथित वक्तव्य पर एक सम्पादकीय लेख "जेल फार जर्नलिस्ट्स" का प्रकाशन, जिसमें यह कहा गया था कि मंत्री ने पत्रकारों को जेल भेजने की धमकी दी है। | -तथैव- | -ट्रिब्यून" के सम्पादक को 6-1-81 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उससे इस संबंध में अपना लिखित बयान भेजने के लिए कहा गया था। यह 11-1-81 को प्राप्त हुआ था। मामला परिषद की जांच समिति की 21 फरवरी, 1981 को हुई बैठक में विचार हेतु आया और उसको इसकी आगे की किसी बैठक के लिए स्थागित कर दिया गया। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | सूचना अधिकारी पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली । | "हिन्दुस्तान टाइम्स" | सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा कलकत्ता में 25-12-80 को दिए गये भाषण को गलत छापना, जिसमें यह कहा गया था कि मन्त्री ने यह कहा था कि उन्होंने पत्रकारों को जेल भेजने की धमकी दी है । | 30-12-80 | "हिन्दुस्तान टाइम्स" के सम्पादक को 6-1-81 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे इस संबन्ध में अपना लिखित बयान भेजने के लिये कहा गया था। इस बीच, इस समाचार पत्र ने इस सम्बन्ध में क्षमा प्रकाशित की । इसको देखते हुए, शिकायतकर्त्ता ने प्रेस परिषद को लिखा कि सम्पादक के विरुद्ध शिकायत को छोड़ दिया जाए और इसको सम्वाददाता के विरुद्ध शिकायत समझी जाए । समाचार पत्र में जो कुछ भी छपता है उसके लिए आमतौर पर समाचार पत्र-संगठन के प्रमुख के रूप में उसके सम्पादक को जिम्मेदार ठहराया जाता है इसलिए पार्टियों को 16-1-81 को यह सूचना दी गई कि शिकायत को सम्पादक के विरुद्ध शिकायत माना जाना है। सम्पादक ने अपना लिखित बयान 14-1-81 को प्रस्तुत किया । मामला परिषद की जांच समिति की 21 फरवरी, 1981 की बैठक में विचार हेतु आया और उसको आगे की किसी बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया । |

विवरण-2

राज्य सरकार द्वारा भेजी गई शिकायतें

| संख्या | शिकायतकर्त्ता | प्रतिवादी | विषय | प्राप्त होने की तारीख | परिषद् के निष्कर्ष/ की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 1979 | | |
| 1. | सूचना और जन सम्पर्क निदेशक, तमिलनाडु सरकार। | "दिनाकरण मद्रादस" | इसके 4 अप्रैल, 1979 के अंक में एक झूठे समाचार का प्रकाशन। | 10-4-79 | शिकायतकर्त्ता से 11 अप्रैल, 1979 को परिषद के जांच विनियमों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध किया गया था। तीन रिमाइन्डरों के बावजूद शिकायतकर्त्ता प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका और मामले को 25-9-79 को बन्द कर दिया गया। |
| 2. | जन संपर्क एवं पर्यटन निदेशक, त्रिपुरा, सरकार। | सामान्य तौर पर स्थानीय समाचारपत्र | कतिपय स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा नाजुक विषयों पर समाचार दिए जाने पर | 18-7-79 | शिकायतकर्त्ता से 13-7-79 को अनुरोध किया गया था कि वे परिषद के जांच विनियमों की |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रेस सलाहकार समिति की चिन्ता। | | प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समाचार-पत्रों के विरुद्ध औपचारिक शिकायतें भेजें। दो रिमाइन्डरों के बावजूद, शिकायतकर्त्ता प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका और मामले को 14-11-79 को बन्द कर दिया गया। |
| 3. | सचिव, गृह विभाग, अमम सरकार। | "साप्ताहिक निलांचल" | इसके 25 जुलाई, 979 के अंक में सम्पादकीय लेख का प्रकाशन, जिसका उद्देश्य असम के गैर निवासियों के विरुद्ध स्थानीय निवासियों की भावनाओं को भड़का कर राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न करना था। | 18-9-79 | संपादक की प्राथमिक टिप्पणियां मांगी गई थी और इस बीच राज्य सरकार से कतिपय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया था। उन्होंने उनको पूरा करने में कुछ समय लिया। इन आवश्यकताओं के पूरा हो जाने पर संपादक को 21-1-81 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे अपना लिखित बयान भेजने के लिए कहा था। उसकी प्रतीक्षा है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1980 | | |
| 4. | जिला मजिस्ट्रेट, पुणे । | "सौबत" | इसके 29-6-80 और 6-7-80 के अंकों में साम्प्रदायिक भावना भड़काने की दृष्टि से लेखों का प्रकाशन । | 16-8-80 | परिषद की जांच समिति ने 29 और 30 नवम्बर, 1980 तथा 20 दिसम्बर, 1980 की अपनी बैठकों में दोनों पक्षों को सुना और अपनी सुनबाई समाप्त कर दी । परिषद द्वारा निर्णय शीघ्र ही दे दिए जाने की सम्भावना है । |
| 5. | आयुक्त और सचिव गृह विभाग, असम सरकार । | "दैनिक असोम" | झूठे, मनगढ़त और तोड़े-मरोडे समाचारों का प्रकाशन । | 16-10-80 | 31 अक्तूबर, 1980 को राज्य सरकार से कतिपय प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध किया गया था । साथ ही 18 दिसम्बर, 1980 को सम्पादक की टिप्पणियां मांगी गई थी । राज्य सरकार ने प्राथमिक आवश्यकताएं 27 दिसम्बर, 1980 अपने पत्र के द्वारा पूरी की । सम्पादक को 21-1-81 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें मामले में उनका लिखित बयान मांगा गया । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | उसकी प्रतीक्षा है। तथापि, 23-1-1981 का सम्पादक से प्राप्त प्राथमिक टिप्पणियों को राज्य सरकार को भेज दिया गया है और दोनों पक्षों से 3-2-81 को कतिपय बातों को स्पष्ट करने/कागजातों को भेजने का अनुरोध किया गया है। |
| 6. | सहायक पुलिस आयुक्त और जन संपर्क अधिकारी अपराध शाखा, सी० आई० डी० बम्बई। | "फ्री प्रेम बुलेटिन" बम्बई। | इसके 13 नवम्बर, 1980 के पल में ए पे समाचार का खण्ड प्रकाशित न करना। | 12-1-81 | शिकायत बिना हस्ताक्षर की थी और शिकायतकर्त्ता से 24-1-81 को यह अनुरोध किया गया कि वे कतिपय प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हस्ताक्षर की हुई प्रति भेजे। शिकायतकर्त्ता ने 23 फरवरी, 1981 के अपने पत्र के द्वारा औपचारिक शिकायत भेजी है जिसकी जांच की जा रही है। |

**राजस्थान को डीजल तथा मिट्टी के तेल का आवंटन**

2077. **श्री चतुर्भुज :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को दिसम्बर, 1980 के दौरान तथा उसके बाद 15 फरवरी, 1981 तक डीजल तथा मिट्टी के तेल कि कितनी मात्रा का आवंटन किया गया और उसमें से कितनी मात्रा वास्तव में सप्लाई की गई तथा कोटे के शेष मात्रा की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या राजस्थान के दूरस्थ गांवों में डीजल की कमी है चूंकि डीजल के वितरक निर्धारित दरों पर इन स्थानों पर अपने टेंडर नहीं भेजते और यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) क्या जनवरी मास के लिए डीजल का कोटा छीपा बारोड, छाबडा तथा उडतार (कोटा, राजस्थान) नहीं पहुंचा है और इस कोटे को किसने और वहां पर बेच दिया है तथा अचय तक डीजल कब पहुंचेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) दिसम्बर, 1980 फरवरी, 1981 के दौरान राजस्थान में हाई स्पीड डीजल तेल (एच०एस०डी०) और मिट्टी के तेल के आवंटन और विक्रय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

आंकड़े मीट्रिक टनों में

| | एच०एस०डी | | मिट्टी का तेल | |
|---|---|---|---|---|
| मास | आवंटन | विक्रय | आवंटन | विक्रय |
| दिसम्बर, 80 | 44300 | 39300 | 12000 | 12340 |
| जनवरी, 81 | 46300 | 40966 | 11300 | 11697 |
| फरवरी, 81 | 45500 | 18297 | 10700 | 4631 |
| | | (15 तक) | | (15 तक) |

चलन बाधाओं और स्थानीय परिवहन समस्याओं के परिणाम-स्वरूप एच०एस०डी० के विक्रय उसके आवंटन की अपेक्षा कम थे ।

(ख) इस प्रकार की कोई विशेष शिकायत मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है ।

(ग) छीपा, बारोड़ छावड़ा तथा उडतार में किसी भी तेल कम्पनी का खुदरा बिक्री केन्द्र (पम्प) नहीं है । इन स्थानों को एच०एस०डी० की सप्लाई बारान से की जाती है । बारान बिक्री केन्द्र से विक्रय उसको किए आवंटनों के लगभग बराबर रहे ।

**अन्तर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में विद्युत समिति की सिफारिशें**

2078. **श्री डी०पी० यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि विद्युत समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि 29 अन्तर्राज्यीय जल विवादों को यदि संबंधित राज्यों में तीन महीनों में नहीं सुलझाया गया, तो इन्हें कानून के अन्तर्गत, निर्णायक के सुपुर्द कर देना चाहिए, जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी और जिसे अपना निर्णय तीन महीनों में देना अपेक्षित होगा, और इस प्रकार के निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में न उठाया जा सकने वाला बनाया जाना चाहिए और तत्पश्चात् "विकल्प के रूप में नदी और झील जल को एक संविधान संशोधन द्वारा केन्द्रीय विषय घोषित किए जाने की सम्भव्यता पर गम्भीरता से विचार किया जाए"; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : जी, हां ।

(ख) मुख्यतः इस विषय का संबंध सिंचाई विभाग से विद्युत समिति की सिफारिश पर विचार करने के लिए सिंचाई विभाग से अनुरोध किया गया है ।

**उर्वरक उद्योग के लिए योजना आयोग की अनुमति**

2079. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने उर्वरक उद्योग के लिए छठी योजनावधि (1980-81) के दौरान भारी मात्रा में परिव्यय की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इससे उर्वरक उद्योग की उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ; और

(ग) विदेशों पर निर्भरता कम करने अथवा आयात पर कितना असर पड़ेगा ।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक कार्यक्रम के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है ।

(ख) छठी योजना के प्रारम्भ में 38.91 लाख टन नाइट्रोजन और 12.3 लाख टन $पी_2$ $ओ_5$ के रूप उर्वरक उत्पादन की स्थापित क्षमता छठी योजना के अन्त तक 65 लाख टन नाइट्रोजन और 79 लाख टन $पी_2$ $ओ_5$ तक बढ़ जाने की आशा है। वर्ष 1989-90

तक यह क्षमता बढ़कर 100 लाख टन नाइट्रोजन और 35 लाख टन पी.2 ओ.5 हो जायेगी उस समय तक छठी योजना में प्रस्तावित नई परियोजनाएं के पूरी होने की आशा है।

(ग) कुल खपत की तुलना में नाइट्रोजन युक्त और फास्फेटिक उर्वरकों के आयात की प्रतिशतता जो छठी योजना के प्रारम्भ में 39% थी, छठी योजना के अन्त तक 29% तक नीचे आ जाएगी और वर्ष 1989-90 तक 15% तक नीचे आ जाएगी।

**एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों पर निर्णय**

2080. **श्री आर० प्रभु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 30 में निर्दिष्ट किया गया है कि इस अधिनियम की धारा 21, 22, और 23 के अन्तर्गत किसी ऐसे मामले संबंधी आवेदन-पत्र पर तीन महीने की अवधि के भीतर सरकार निर्णय ले सकती है; यदि मामला एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को सौंपा गया हो;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम की प्रत्येक धारा 21, 22, और 23 के अन्तर्गत वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान कितने आवेदन-पत्रों पर निर्णय किया गया;

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले का निपटान करने में कितना समय लगा;

(घ) क्या तीन महीने की अवधि में कोई एक भी मामला निर्मित किया गया था; और

(ड़) यदि नहीं, तो संविधान उपबन्धों का पालन करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रशासन के कार्य में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री०पी० शिवशंकर)** : (क) धारा 30 की उपधारा 4 के अनुसार, प्रत्येक नोटिस, आवेदन-पत्र अथवा प्रस्ताव, जो आयोग को संदर्भित नहीं किया गया हो, उस तारीख, जिसको यह नोटिस, आवेदन-पत्र अथवा प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ है, से 90 दिन के अन्दर उसे निपटाना होगा। परन्तु यदि विशिष्ट कारण उपस्थित हों, तो केन्द्रीय सरकार एक नोटिस, आवेदन-पत्र अथवा प्रस्ताव को 90 दिन की अवधि के पश्चात् भी निपटा सकती है। यह उपबन्ध निर्देशक हैं, अधिदेशक नहीं।

(ख) तथा (ग) विवरण-पत्र 1, 2 व 3 संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2011/81]

(घ) हां, श्रीमान् जी, नब्बे दिन की अवधि के अन्दर पैंतीस मामले निपटाये गये हैं।

(ङ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम दूरवानी उपलक्षणों युक्त, एक आर्थिक कानून है, अतः प्रस्तावों को, अन्य सम्बन्धित सरकारी विभागों से परामर्श करके, अनेक सम्बन्धित दृष्टिकोणों से, गहराई से परीक्षा की जाती है तथा मामलों को शीघ्रति-शीघ्र संभव समय के अन्तर्गत निपटाये जाने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

**पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि से हुई अतिरिक्त आय**

2081. **श्री ज्योतिमय बसु :**

**श्री सुभाष यादव :**

**श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पादों की नवीनतम मूल्य वृद्धि से कुल कितनी अतिरिक्त आय होने की संभावना है;

(ख) जून, 1980 में हुए मूल्य वृद्धि से कुल कितनी आय हुई थी ;

(ग) बजट सत्र की पूर्व संध्या पर तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि करने का सहारा लिए जाने के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या वे इस बात से परिचित हैं कि हाल की मूल्य वृद्धि से अन्य वस्तुओं पर भी प्रभाव पड़ा है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) लगभग 1195 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष।

(ख) जून, 1980 की वृद्धि से कुल अनुमानित 2080 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होने की आशा है।

(ग) दिनांक 13-1-1981 से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि किए जाने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) जून 1980 में मूल्यों में वृद्धि के पश्चात जनवरी, 1981 तक ओपेक द्वारा कई बार मूल्य वृद्धि जिसमें जनवरी, 1981 में की गई 10 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है, के कारण आयातित्त तेल का मूल्य 243 रुपए प्रति मीट्रिक के करीब बढ़ गया था।

(2) कमी वाले आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि।

(3) असम में तेल की नाके-बन्दी के कारण कमी को पूरा करने के लिए अधिक आयातः ।

(4) ईरान और ईराक से सप्लाई में बाधा पड़ जाने के कारण 1980 की अन्तिम तिमाही में अधिक दामों पर "स्पाट मार्केट" में खरीद ।

(5) संचालन लागत बढ़ जाने तथा नई पाइपलाइन द्वारा बम्बई हाई खनिज तेल परिवहन पर अतिरिक्त व्यय के कारण अधिक रुपयों का भार ।

(घ) 13-1-1981 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि के कारण, यह अनुमान है कि थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (होलसेल कन्ज्यूमर प्राइस इन्डैक्स) में केवल लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है ।

**दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से मैथन ले जना**

2082. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत बिहार में 24 परियोजनायें और पश्चिम बंगाल में बिहार सीमा के निकट 2-3 परियोजनायें हैं;

(ख) क्या प्रशासनिक सुधारों और कार्य के सूचित अनुरक्षण के अभाव में विद्युत उत्पादन तथा अन्य कार्यों की कार्य कुशलता में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कलकत्ता में बनाए रखना और उस पर बहुत अधिक अनावश्यक व्यय करना न्यायोचित नहीं है, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मुख्यालय को उसकी परियोजनाओं के केन्द्र, मैथन (कलकत्ता से 225 किलोमीटर विहार बंगाल सीमा पर स्थित जल विद्युत कम्पलेक्स में) ले जाने और प्रशासन में सुधार लाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) दामोदर घाटी निगम की बिहार में 7 और पश्चिम बंगाल में 4 परियोजनाएं हैं । अन्य चार परियोजनाएं, बिहार और पश्चिम बंगाल, दोनों ही राज्यों के क्षेत्र में फैली हुई हैं ।

(ख) से (घ) विद्युत उत्पादन कम होने का कारण था औद्योगिक सम्बन्ध खराब होना तथा संयंत्र और मशीनरी की तकनीकी तौर पर अवहेलना । विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले ही उपाय किए गये हैं जिनसे पहले चार महीनों में सुधार हुआ है । दामोदर घाटी निगम का प्रचालन मुख्यालय पहले से ही मैथोन में है, अतः प्रशासनिक मुख्यालय का स्थानान्तरण करना आवश्यक नहीं समझा गया है । प्रशासनिक मुख्यालय कलकत्ता में होने से कुछ लाभ प्राप्त होते हैं, यथा भागीदार राज्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सुलभ सम्पर्क ।

## तेल का आयात

2083. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम निर्यातक देशों द्वारा वर्ष 1979 में रखे गए प्रति बैरल दो डालर से भी कम मूल्य में समक्ष, इस समय तेल का प्रति बैरल मूल्य क्या है और वर्ष 1973-74 के दौरान कुल कितने तेल का आयात किया गया तथा कितना मूल्य अदा किया गया और इस समय कतने तेल का आयात किया गया है और कितनी राशि अदा की गई है ;

(ख) भारत में तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ और भविष्य में इसकी क्या संभावनायें हैं ;

(ग) क्या सरकार ऊर्जा में नये स्रोत ढूंढने और तेल की खपत में किफायत करने के लिए कोई कदम उठा रही है ताकि ऐसे वित्तीय बोझ से मुक्ति मिल सके ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जनवरी, 1979 से जनवरी, 1981 के दौरान भारत द्वारा निरन्तर आयात किए गये विभिन्न प्रकार के कच्चे तेलों का सरकारी विक्रय मूल्य और उनके मूल्य में हुए मुख्य परिवर्तन निम्न प्रकार है : --

(डालर/बैरल)

| कच्चे तेल की किस्म | जन.79 | दिस.79 | जन.80 | अक्तू.80 | जन.1981 |
|---|---|---|---|---|---|
| अरवियत लाइट | 13.34 | 24.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00* |
| ईरानियन लाइट | 13.45 | 28.50 | 31.00** | 35.00 | 37.00 |
| इराक वसरा | 13.29 | 25.96 | 27.96 | 31.96 | 35 96 |
| उम शैफ | 13.78 | 27.36 | 29.36 | 31.36 | 35.36 |

(ख) 1980-81 के दौरान, कच्चे तेल की स्वदेशी उपलब्धता का अनुमान 14 मि० मी० टन है । देश में तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिससे अनुमानित स्वदेशी उत्पादन 1984-85 तक 21.3 मि० मी० टन हो सके ।

* नवम्बर, 1980 से पूर्व प्रभावी

**1 फरवरी, 1980 से प्रभावी ।

(ग) और (घ) बड़े पैमाने के संभावनाओं संबन्धी प्रयोगां जहां इस समय तेल का प्रयोग किया जा रहा है. के लिए सौर ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिए उपयुक्त तकनीक के विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। तथापि प्रारम्भ में, इस समय उक्त तकनीक को अपनाने में परम्परागत विकल्पों की तुलना में अधिक लागत निहित है। इस समय विभिन्न प्रयोगों में प्रयोग होने वाली विभिन्न पद्धतियों में कार्यकुशलता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। परिवहन क्षेत्र में, जो पेट्रोल और डीजल का मुख्य उपयोगकर्ता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रेल सड़क प्रणाली विद्युतीकरण, लम्बी ढुलाई के सड़क परिवहन को रेल परिवहन में बदलना, बैटरी से चलने वाले वाहन जो बाद में थोड़ी ढुलाई आदि के लिए सौर ऊर्जा से चल सकेंगे, पहल की गई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने एक नेशनल स्टियरिंग कमेटी (राष्ट्रीय संचालन समिति) गठित की है जो वायो-गैस के उत्पादन और वायो-गैस को तरल ईंधन जैसे मिथनॉल और इथनॉल में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बनाएगी, का पता लगाये तथा उनकी जांच करेगी। कुकिंग और लाइटिंग के अतिरिक्त कृषि संबन्धी पम्प सेटों को चलाने में वायो-गैस को प्रयोग में लाने के लिए सामुदायिक वायो-गैस प्लांटों की स्थापना की जा रही है।

सौर ऊर्जा का दीर्घावधिक प्रयोग की दूसरी संभावना हाइड्रोजन जैस तेल के स्थान पर स्वच्छ, परिवहनीय ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, का उत्पादन करता है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त हवा-गति उपलब्ध है, वहां कई प्रकार की पवन चक्कियों की जांच की जा रही है।

**रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने का प्रस्ताव**

2084. **प्रो०पी०जे० कुरियन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रंगीन टेलीविजन आरम्भ करने का विचार छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) और (ख) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करने के बारे में सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**केरल में उद्योग मंडल यूनिट में कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन**

2085. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उन्हें केरल में उद्योगमंडल यूनिट के कर्मचारियों की ओर से 17 जून 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन में क्या मुद्दे उठाये गये है ;

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत हुआ कोई भी करार कर्मचारियों द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है यदि वे इस आशय का एक सर्वसम्मत निर्णय अपनी महासभा की बैठक में कर लें ; और

(घ) यदि हां, तो केरल में उद्योग मंडल यूनिट के कर्मचारियों की मांगों पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 17 जून, 1980 को हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स कर्मचारी यूनियन, उद्योग मंडला, केरल से एक अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था ।

(ख) अभ्यावेदन में उठाये गये मुदों की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(i) फरवरी, 1980 में उद्योग मंडल एकक की यूनियन के नेताओं और हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि० (एच० आई० एल०) के प्रबन्धकों द्वारा एक दीर्घकालीन करार पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके बारे में उस एकक के कामगारों को न तो कोई जानकारी थी और न ही उनकी सलाह ली गई थी और उद्योग मंडल एकक के कर्मचारियों द्वारा अपनी आम सभा में उक्त करार को रद्द कर दिया था ;

(ii) समझोते में अनेक धाराएं ऐसी है जो करार के मूल उद्देश्य के लिए घातक हैं जैसे कार्य-अध्ययन उत्पादन प्रोत्साहन योजना, समझोते की अवधि में संशोधन, केन्द्रीय सरकार के मंहगाई भत्ते को औद्योगिक मंहगाई भत्ते में बदलना, वेतन निर्धारित करने की पद्धति, एक ही समय में तदर्थ वृद्धि का एक मुश्त भुगतान, राशि पारी भत्ता, समयोपरि भत्ते का भुगतान, और कर्मचारियों के बच्चों को फैक्ट के स्कूलों में प्रवेश देना ।

(iii) प्रबन्धक उनकी अनेक उचित और कानून सम्मत मांगों पर विचार करने के लिए तैयार नहीं थे ।

(ग) और (घ) सरकार ने एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित किया है जिसका प्रजाईडिंग अधिकारी न्यायमूर्ति चिन्तामन तुकाराम दिये हैं और उद्योग मंडल एकक सहित हिन्दुस्तान इन्सैक टीसाइड्स लि० के सभी एककों के कर्मचारियों से मांग पत्र, निर्णय के लिए उनके पास ..ज किये हैं ।

**वोंगईगांव एकक का उत्पादन और वितरण**

2086. **श्री एन० के० शेजबलकर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वोंगईगांव एकक में उत्पादन पुनः आरम्भ हो गया है यदि हां, तो अब तक कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आन्दोलनकारियों ने सुझाव दिया है कि अब होने वाले उत्पादन को देश के पूर्वोत्तर राज्यों को सप्लाई करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए जो पैट्रोल और मिट्टी के तेल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं ;

(ग) क्या उन्होने इस बात पर भी जोर दिया है कि तेलशोधक कारखाने में उत्पादित तेल को पाइपलाइन के माध्यम से नहीं बल्कि सड़क परिवहन अथवा रेल द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि जरूरतमंद पूर्वी राज्य की आवश्यकता की पूर्ती की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) वोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के कूड आसुत एकक ने 10 फरवरी, 1981 से कार्य आरंभ कर दिया है और ऐसी आशा की जाती है कि यह प्रति माह 25,000 मी० टन उत्पादन करेगा।

(ख) और (ग) आन्दोलनकारी यह चाहते थे कि (i) शोधनशाला में उत्पादित मिट्टी के तेल के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से बाहर न भेजा जाए और उसको केवल इस क्षेत्र के प्रयोग के लिए भेजा जाए (ii) नई जोड़ी गई उत्पाद पाइपलाइन का प्रयोग उत्पादों को रिफाइनरी से बाहर भेजने के लिए नहीं किया जाएगा।

(घ) आन्दोलनकारियों को इस प्रकार के कोई आश्वासन नहीं दिए गए हैं।

**राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स के कनिष्ट कार्यकारी अधिकारियों के लिए रिहायशी आवास का आवटंन**

2087. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० बम्बई के अनेक कनिष्ठ कर्मकारी अधिकारियों को कारखाने में इस तथ्य के बावजूद रिहायशी आवास आंवटित नहीं किया गया है कि उन्होने 4-5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है तथा उन्हें रात और दिन की दौरान असमय में पारी ड्यूटी पर जाना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उनको निकट भविष्य में कारखाना क्षेत्र में रिहायशी आवास किस प्रकार प्रदान करने का है ताकि वे कार्यकारी अधिकारी चैन की सांस ले सकें।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी)** : (क) टाउनशिप में आवास की कमी के कारण राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अपने कुछ कनिष्ठ अभियन्ताओं को आवासीय क्वार्टर उपलब्ध करने में समर्थ नहीं है। तथापि उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान दिया है कि जिन कर्मचारियों को आपात कालीन सेवाओं पर उपस्थित होना आवश्यक है, उनको टाउनशिप में आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ख) निगम अपने कर्मचारियों को अपने मकान बनाने के लिए ऋण प्रदान कर रहा है और मकान बन जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी टाऊनसिप में मकानों को खाली करेंगे। कम्पनी द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार मकानों की समस्या का समाधान दो वर्षों के अन्तर्गत होने की आशा है।

**बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए विद्युत परियोजनाओं का शुरू किया जाना**

2088. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए कितनी विद्युत परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है ;

(ख) बिहार स्थित कई बिजली घरों के विशेष रूप से चन्द्रपुरा और पतरातु स्थित तापीय बिजली घरों के असंतोषजनक ढंग से कार्य करने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन बिजली घरों को ठीक कार्य की हालत में लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धि ब्योरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए बिहार में निम्नलिखित उत्पादन स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। चालू करने की प्रत्याशित तारीख भी बताई गई है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| बरौनी | 2X110 मेगावाट | यूनिट नं० 6 | मार्च, 82 |
| | | यूनिट नं० 7 | मार्च, 83 |
| पतरातु | 2X110 मेगावाट | यूनिट नं० 9 | दिसम्बर.1982 |
| | | यूनिट नं० 10 | जून, 1983 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| मुजफ्फरपुर | 2X110 मेगावाट | यूनिट नं० 1 | जनवरी, 1981 |
| | | यूनिट नं० 2 | जुलाई, 1982 |
| तेनुघाट | 2X210 मेगावाट | यूनिट नं० 1 | जून, 85 |
| | | यूनिट नं० 2 | जून, 86 |

(ख) बिहार राज्य बिजली बोर्ड के अधीन बिहार में दो ताप विद्युत केन्द्र हैं नामशः बरौनी ताप विद्युत केन्द्र तथा पतरातू ताप विद्युत केन्द्र । बारम्बार की जबरन तथा दीर्घकालीन बंदियों, अतिरिक्त पुर्जों की कमी तथा विद्युत केन्द्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में विशेषज्ञ कर्मिकों की कमी के कारण इन दोनों वियुत केन्द्रों का कार्य निष्पादन अपेक्षाकृत असंतोषजनक रहा है ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० के अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय दल ने बिहार के ताप विद्युत केन्द्रों का हाल ही में दौरा किया है तथा संयंत्र सुधार और अनुरक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने में राज्य बिजली बोर्ड को सहायता दी है । इस दल की सलाह पर, बरौनी और पतरातु में ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(1) पतरातू और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों में तथा बोर्ड के मुख्यालय में, अनुरक्षण तथा निर्माण कार्यों की कारगार मानीटरिंग करने के लिए एक-एक मानीटरिंग सैल का गठन किया गया है ।

(2) सर्वेक्षण करके फुटकर पुर्जों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए बोर्ड के मुख्यालय में फुटकर पुर्जों सम्बन्धी एक सैल का सृजन किया गया है । तीव्र गति से चलने वाले और मन्द गति से चलने वाले फुटकर पुर्जों की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

(3) दीर्घ अवधि के अनुरक्षण कार्यों के लिए पर्ट व्यवस्था तथा माइक्रो आयोजना पद्धति अपनाई जा रही है ताकि निर्धारित तारीख तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानीटरिंग की जाय ।

(4) उत्पादन से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने और उनका पता लगाने के लिए उक्त दोनों ताप विद्युत केन्द्रों पर कृतिक बल/दलों का गठन किया गया है । उत्पादन सेटों में बाधाओं का पता लगा लिया गया है ।

(5) सभी ट्रिपिंग्ज बन्दियों और ब्लास्टों का रिकार्ड रखा जाता है । अब प्रत्येक बन्दी और ट्रिपिंग का विश्लेषण किया जाता है और जहां उपचारी उपायों की आवश्यकता होती है वहाँ ये उपाय शीघ्रता से किए जाते हैं । जहां पर गलत

प्रचालन के कारण बन्दी या ट्रिपिंग होती है वहाँ कार्मिकों पर इसकी जिम्मेदारी नियत की जाती है तथा दोषी स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है ।

(6) नियंत्रण तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन उपस्कर का पर्याप्त भंडार रखने के लिए कार्यवाही की गई है और आगे की जा रही है ताकि जहां पर आवश्यकता हो इनको शीघ्रता से प्रयोग में लाया जा सके ।

(7) सोवियत संघ द्वारा सप्लाई की गई यूनिटों के अनुरक्षण के लिए तथा उनसे फुटकर पुर्जे प्राप्त करने के लिए रूसी विशेषज्ञों से भी सहायता ली जा रही है ।

**कोल इंडिया लिमिटेड में पदों का भरा जाना**

2089. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मंत्री कोल इंडिया लिमिटेड में पदों के भरे जाने के बारे में 5 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6840 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पूरी जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे एकत्रित करने में कितना समय और लगने की संभावना है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**आकाशवाणी में प्रोड्क्शन असिस्टेंट तथा ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव्ज की पदोन्नति**

2090. **श्री राजेश पाइलट** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में प्रोडक्शन असिस्टेंट तथा ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव एक ही ग्रेड अर्थात् 425/...750/- रुपये में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव द्वारा अपने संवर्ग में 6 वर्ष की सेवा पूरी करने पर विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से उसको प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के रूप में पदोन्नति कर दी जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी में प्रोडक्शन असिस्टेन्ट्स के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है और लोगों द्वारा प्रोडक्सन असिस्टेंट पद पर 20-25 वर्ष कार्य करने के

बाद भी उन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रोड्यूसर के रूप में कभी पदोन्नत नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी)** : (क) प्रोडक्शन असिस्टेंट स्टाफ आर्टिस्ट है जो 425-750 रुपए के वेतनमान वाले संविदा पदों पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर, ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव नियमित सिविल कर्मचारी हैं जो उन पदों पर काम करते हैं जिनका वेतन मान 425-750 रुपए हैं। इसके अलावा, ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव के लिए 550-900 रुपए के वेतनमान में सलेक्शन ग्रेड है।

(ख) वे ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव, जिनकी इस ग्रेड में पांच साल की स्वीकृत सेवा हो, प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हैं वशर्ते कि पदोन्नति कोटा में रिक्तियां उपलब्ध हों।

(ग) प्रोडक्शन असिस्टेंट, भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार, सीमित चयन द्वारा, प्रोडयूसरों के पदों के लिए स्टाफ आर्टिस्टों की अन्य श्रेणियों के साथ विचार किए जाने के लिए पात्र हैं। उनके लिए अनन्य रूप से पदोन्नति का सीधा चैनल नहीं है।

(घ) सरकार ने एक संवर्ग पुनरीक्षण समिति नियुक्ति की थी जिसने प्रोडक्शन आर्टिस्टों के पदोन्नति के अवसरों के बारे में कतिपय सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

## बीड़ी निर्माता कम्पनियां

2091. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी बीड़ी निर्माता कम्पनियां हैं, उनके नाम क्या हैं तथा उनके मुख्यालय कहां कहां हैं ; और

(ख) इन बीड़ी निर्माता कम्पनियों के शेयरधारियों के नाम और पते क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर)** : (क) 31-3-1980 तक, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत 48 बीड़ी निर्माता कम्पनी थी। इन कम्पनियों के नामों और पंजीकृत कार्यालय के पते संलग्न विवरण-पत्र में दिये जाते हैं।

(ख) इन सभी 48 कम्पनियों के शेयरधारियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने में बहुत ही ज्यादा समय और श्रम लगेगा तथा इसके परिणाम इस प्रयत्न में पूरी तरह अनुकूल नहीं हो सके। इस अभिप्राय से, संलग्न विवरण-पत्र में कम्पनियों के केवल नामों और पतों को ही प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

31-3-1980 तक देश में कार्यरत बीड़ी निर्माता कम्पनियों की सूची

| क्रम संख्या | कम्पनी का नाम | पजीकृत कार्यालय का पता |
|---|---|---|
| (1) | (3) | (3) |
| 1. | असम बीड़ी फैक्टरी प्राइवेट लि० | 10, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-1 |
| 2. | बांधव बीड़ी फैक्टरी प्राइवेट लि० | 2, रूपचन्द राम स्ट्रीट कलकत्ता-7 |
| 3. | बेलाल बीड़ी फैक्टरी प्राइवेट लि० | 26, फीयर्स लेन, कलकत्ता-73 |
| 4. | भगवानदास शोभा लाल जैन टोबाको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | डाल चन्द जैन के भवन में, न्यूवांदी चौक, सागर (मध्य प्रदेश) |
| 5. | भारत बीड़ी बर्कस प्राइवेट लिमिटेड | मकान नं० 123, कदरी रोड, मंगलौर-3 (कर्नाटक) |
| 6. | भीकूसा मामासा क्षेत्रीय प्राइवेट लि० | सोन्नार जि० नासिक, महाराष्ट्र |
| 7. | बस्तीराम नारायन दास शारदा प्राइवेट लिमिटेड | सूना महल, मैरीन ड्राइव, बम्बई-20 महाराष्ट्र |
| 8. | बीड़ी एन्ड अलाइड टोबाको प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड | जहालपुर रोड, कुराई, जिला सिओनी, मध्य प्रदेश |
| 9. | बुन्देल खण्ड बीड़ीज प्राइवेट लि० | 229, बड़ा गौरी गेट, झांसी |
| 10. | कोक ब्रांड सिन्नार बीड़ीज प्रा० लि० | फस्ट फ्लोर, फ्लेट नं० 5 जसविले, 9 न्यू मैरीन लेन्स, बम्बई-1 |
| 11. | दास बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रा० लि० | 2 ए, रामजीदास जेठिया लेन, कलकत्ता-7 |
| 12. | दास टोबाको एन्ड अलाईड एन्टर प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड | पी-34 रविन्द्र सरनी, कलकत्ता-1 |
| 13. | देसाई बीड़ीज प्राइवेट लि० | चात्कातासी मंगोल, नाविवाद, गुजरात |
| 14. | ऐम्ब्राटेक्स प्राइवेट लिमिटेड | 67 बाजार गेट, फोर्ट, बम्बई-1 |

| | |
|---|---|
| 15. देसाई ब्रादर्स लिमिटेड | 1436 कासबा पेठ, पूना-11, महाराट्र |
| 16. जी०बी० ब्रदर्स एन्ड कोन्डर राजगोपाल वैट्रो बीड़ी फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड | 1-1-62, खलाहीस्नोठोरोड, मैल्लोर, जिला (आन्ध्रा प्रदेश) |
| 17. जयप्रकाश सुधूर प्राइवेट लि० | सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र |
| 18. के०सी० साहा एन्ड सन्स (बीड़ी मर्चेन्टस्) प्राइवेट लिमिटेड | 28/8, गरीहाट रोड, कलकत्ता-9 |
| 19. कुमार ब्रादर्स (बीड़ी) प्राइवेट लि० | 167 नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता-7 |
| 20. लल्लू भाई बी. पटेल एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | राधेश्यार भवन सागर (म०प्र०) |
| 21. मलय बीड़ी कम्पनी प्राइवेट लि० | 25-बी मदन मोहन टोला, स्ट्रीट, कलकत्ता-5 |
| 22. मन्टू बीड़ी फैक्टरी प्राइवेट लि० | 56/1 शामपुकुर स्ट्रीट, कलकत्ता-4 |
| 23. मैना बीड़ी वर्क्स प्राइवेट लि० | द्वारा सेन एन्ड राय (सी० आर०) मर्केन्टाइल बिल्डिग, सेकिंड फ्लोर, लाल बाजार स्ट्रीट कलकत्ता-1 |
| 24. मेरठ बीड़ी एन्ड कम्पनी प्रा०लि० | धर्मशाला मुकन्दी देवी घंटाघर, मेरठ सिटी, यू०पी० |
| 25. मृणालिनी बीड़ी मैन्यु० कम्पनी प्रा०लि० | 21ए, रामजीदास जेहिया लेन, कलकत्ता-7 |
| 26. मोहनलाल हरगोबिन्द दास टोबाको प्राइवेट लिमिटेड | जवाहर गंज, जबलपुर, म०प्र० |
| 27. माडर्न टोबाको कम्पनी प्रा० लि० | 22/114 कोल खाना, कानपुर, उ०प्र० |
| 28. नानजीनाद विजनैस प्रा०लि० | 37/4, टाट्टा विलाई, भता मंडी थोवली, टी० जी० लि० कन्याकुमारी |
| 29. निजामाबाद बीड़ी मैन्यु० कम्पनी लि० | महबूब गंज, हैदराबाद, आ० प्र० |
| 30. प्रभूदास किशोरीदास टोवाको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | गोमलीपुर रोड, अहमदाबाद, गुजरात |
| 31. पी०वी०एस० वीड़ीज प्रा०लि० | कोडिमाल बेल, मंगलौर-3 कर्नाटक |

| | |
|---|---|
| 32. पिस्तौल बीड़ी वर्क्स प्रा०लि० | नं० 109 सकरवादी निपने, बेलगांव जिला कर्नाटक |
| 33. प्रकाश बीड़ीज प्रा०लि० | 13-340 कुलिमावेद, मंगलौर, जिला साउथ कनारा, कर्नाटक |
| 34. पायनीभर टोबाको एजेन्सी प्रा०लि० | 5/1, कलाइव रो, कलकत्ता-1 |
| 35. पायल ओवरसीज ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | हाउस नं० 119 चन्दनसर, वाया विभाग तालुकावासी जि० थाना, महाराष्ट्र |
| 36. आर०आर० अग्रवाल प्रा०लि० | शंकर बीड़ी फैक्टरी गांजा खेत, इतवारी, नागपुर-2 महाराष्ट्र |
| 37. आर०आर० लोइमा सन्स (बीड़ी) प्राइवेट लिमिटेड | बिजलपाल, मोनोरीलाल सर्राफ जनरल मर्चेन्टस जोहरी बाजार, जयपुर-3 |
| 38. राजा ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लि० | 23 अलिमार स्ट्रीट, गुडिनाट्य |
| 39. श्री अशोक पटेल बीड़ी मैन्यु० कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | एम०जी०रोड, सागर, म०प्र० |
| 40. एम० गुप्ता बीड़ी मैन्यु प्रा०लि० | 1. नारायण बाबू लेन, कलकत्ता-7 |
| 41. एम.के.नासिरूद्दीन बीड़ी मर्चेन्टस प्राइवेट लिमिटेड | 145 केशब चन्द्रासेन स्ट्रीट, कलकत्ता-9 |
| 42. सुन्दरलाल सुरेन्द्र कुमार जैन एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | 3698 वारा टूटी, सदर बाजार, देहली-6 |
| 43. शिल्पी-ग्रो वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड | 12-डी रामचन्द्र मिर्जा लेन, कलकत्ता |
| 44. सुवासिनी बीड़ीज प्राइवेट लिमिटेड | 3-31, 2645 करनगल पेड्डी मंगलौर-3 कर्नाटक |
| 45. श्री टोबाको सप्लायर्स प्राइवेट लि० | शिवाजी चौक निपारु बेलगांव, कर्नाटक |
| 46. सिन्नार बीड़ी उद्योग लि० | "कांग्रेस भवन" महात्मा गाँधी रोड नासिक-400001 |
| 47. टी० पी० सोकयलाल रामसेत फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड | 14, बी०आई० स्ट्रीट, टी० नगर, मद्रास-17 |
| 48. ठाकुर सावदेकर एन्ड कम्पनी लि० | 377, गुरूवार पेठ, पुना, महाराष्ट्र । |

**नंगल उर्वरक कारखाना**

2092. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंगल उर्वरक कारखाने को पिछले पांच वर्षों में कितनी वार्षिक हानि/लाभ हुआ ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : गत पांच वर्षों के लिए नंगल उर्वरक कारखाने के लाभ निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | | शुद्ध लाभ |
|---|---|---|
| | | (रुपए लाखों में) |
| 1975-76 | | 990 |
| 1976-77 | | 696 |
| 1977-78 | | 313 |
| 1978-79 | (दिगत अवधि समायोजनों के पश्चात्) | 94 |
| 1979-80 | | 115 |

**कच्चे तेल पर स्वामित्व शुल्क की बढ़ी दरों की मांग**

2093. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों ने कच्चे तेल पर स्वामित्व शुल्क की दरों की बढ़ाए जाने की मांग की है ;

(ख) उन राज्यों के नाम तथा कच्चे तेल के उत्पादन पर भुगतान की जा रही स्वामित्व शुल्क की वर्तमान दरें क्या हैं ; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को स्वामित्व शुल्क की कितनी राशि दी गई है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत संघ के अतिरिक्त गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश ।

स्वामित्व शुल्क की वर्तमान दर 42/- रुपए प्रति मी. टन है ।

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भुगतान की गई देय स्वामित्व शुल्क की राशि :—

(करोड़ रुपयों में)

| राज्य | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| असम | 1.68 | 3.50 | 5.71 | 5.70 | 5.54 |
| गुजरात | 6.16 | 11.25 | 18.96 | 17.68 | 15.62 |
| भारत सरकार (अपतटीय कूड के लिए) | — | 1.54 | 8.59 | 13.49 | 17.61 |
| कुल योग | 7.84 | 16.29 | 33.26 | 36.87 | 38.77 |

गत पांच वर्षों के दौरान आयल इंडिया लिमेटिड द्वारा भुगतान की गई/देय स्वामित्व शुल्क की राशि :—

स्वामित्व शुल्क की राशि

| वर्ष | असम | अरुणाचल प्रदेश (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1976 | 7.2 | .0001 (एक हजार रुपए) |
| 1977 | 13.1 | शून्य |
| 1978 | 11.3 | शून्य |
| 1979 | 11.96 | शून्य |
| 1980 | 3.36 | .0087 (सतासी हजार रुपए) |

**जलने के कारण प्राकृतिक गैस का अपव्यय**

2094. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस जलाया जाकर उसका अपव्यय होता है और पिछले पांच वर्षों में जलने का कारण कुल कितनी प्राकृतिक गैस का अपव्यय हुआ ;

(ख) जलने के कारण कुल कितने मूल्य की गैस का अपव्यय हुआ ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार अपव्यय की जा रही गैस को उपयोग में लाने के लिए कोई योजना बनाई है और इस बारे में ब्योरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां । गत पांच वर्षों के दौरान असम में मुख्यत: जहां गैस की उपलब्धता है और वहां उपभोक्ताओं का अभाव है के कारण करीब 3000 मि.घन मी. गैस को जलाया गया था ।

(ख) पूर्वी क्षेत्र में गैस अर्थात जिस भारित औसत मूल्य पर गैस को बेचा जाता है, इस समय प्रति 1000 घन मी० का मूल्य करीब 224 रुपए है।

(ग) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का असम में गैस के उपयोग की योजना निम्न-प्रकार है:—

| | |
|---|---|
| 1. चाय बागानों को की जा रही गैस सप्लाई | 20,000 एस. सी. एम. डी. |
| 2. लकवा के समीप ए. एस. ई. पी. पावर प्लांट को दी जाने वाली गैस | 2,30,000 एस. सी. एम. डी. |
| 3. नामरूप उर्वरक संयंत्र के चरण-III (तीन) के विस्तारके लिए आरक्षित गैस | 4,50,000 एस. सी. एम. डी. |
| 4. 3 × 3 मेगावाट मोबाइल जेनरेटिंग सेट के लिए ए. एस. ई. बी. को दिया गया वचन | 90,000 एस. सी. एम. डी. |
| 5, ओ. एन. जी. सी. द्वारा अपने क्षेत्रों में उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जा रही गैस | 35,000 एस. सी. एम. डी. |

जब तक उपभोक्ता गैस की सप्लाई लेना शुरू नहीं करते है, गैस को जलने से बचाया नहीं जा सकता।

आयल इंडिया लिमिटेड ने असम राज्य विद्युत बोर्ड (ए. सी. बी.) को, असम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड और नामरूप फेस-3 एच. एच. एफ. सी. एल., नामरूप के फेस-3 को अतिरिक्त गैस उपलब्ध करने के लिए और आश्वासन दिया है। असम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली के उत्पादन के लिए कम दबाव वाली गैस का प्रयोग करने के लिए मोबाइल गैस टरबाइनों के लिए आर्डर दिये जा रहे हैं।

**बस्तर और जगदलपुर के आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या**

2095. **श्री लक्ष्मण कर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर और जगदलपुर के आकाशवाणी केन्द्रों में, वर्गवार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी है;

(ख) क्या सरकार ने आकाशवाणी केन्द्रों में इन वर्गों के लिए कुछ कोटा आरक्षित किया है और यदि हां, तो इन वर्गों से अब तक कितनी भर्ती हुई है;

(ग) शेष आरक्षित कोटा कब पूरा किया जाएगा ; और

(घ) क्या सरकार प्रसारण सेवा में स्थानीय गंडी भाषी को शामिल करेगी ताकि बस्तर के आदिवासी प्रसारण को ठीक प्रकार से समझ सकें ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क), (ख) और (ग) आकाशवाणी जगदलपुर बस्तर के 11 कर्मचारी अनुसूचित जातियों और 15 कर्मचारी (एक स्टाप आर्टिस्ट सहित) अनुसूचित जन जातियों के हैं। समूह "क" से समूह "घ" तक के विभिन्न पदों के आरक्षण सम्बन्धी सरकार के आदेश आकाशवाणी, जगदलपुर पर लागू है। 12 सिविल पद और स्टाफ आर्टिस्टों के 9 पद खाली हैं और इनको भरने की कारेवाई चल रही है।

(घ) भर्ती, भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। अर्हताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाता है। स्थानीय भाषा बोलने वाले लोग निःसन्देह प्रसारण सेवा में अधिक उपयोगी होंगे।

**फिल्म्स डिवीजन द्वारा तैयार चल-चित्रों की खरीद**

2096. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म्स डिवीजन का खरीद समिति ने गत तीन वर्षों के दौरान निजी निर्माताओं से कोई तैयार चल-चित्र खरीदे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से चलचित्र किस-किस निर्माता से खरीदे हैं तथा प्रत्येक चलचित्र के लिए कितनी-2 धनराशि का भुगतान किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) फिल्म प्रभाग द्वारा वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 (31 जनवरी, 1981 तक) के दौरान निजी निर्माताओं से खरीदी गई बनी-बनाई फिल्मों के नामों, उनके निर्माताओं के नामों तथा उनमें से प्रत्येक के लिए अदा की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

| वर्ष | क्रम सं० | फिल्म का नाम | निर्माता का नाम | अदा की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | रुपए |
| 1977-78 | 1 | माता गंगा (ईस्टमैन कलर) | मैसर्स भारद्वाज फिल्म्स, बम्बई | 1,20,000/— |
| | 2 | जिम्मेदार कौन (सादी) | मैसर्स राजीव फिल्म्स, बम्बई | 9,000/— |
| | 3 | भुवनेर गालपो (सादी) | मैसर्स उज्जैन फिल्म्स, कलकत्ता | 30,000/— |
| | 4 | जिन्दगी सम्भालो (सादी) | मैसर्स किशोर पिक्चर्स, कलकत्ता । | 22;000/— |
| 1978-79 | 1 | थिंक, थिंक, थिंक (सादी) | मैसर्स टेलीविजन फिल्म्स आफ इन्डिया, बम्बई | 40,000/— |
| | 2 | पतन (सादी) | श्री अमरजीत रानू, मैसर्स यूनिवर्सल फिल्म्स, बम्बई | 30,000/— |
| | 3 | एलिविंग ट्रेडीशन (ओरवो कलर) | मेसर्स सम्राट फिल्म्स, बम्बई | 50,000/— |
| | 4 | मां-ओर-शिशु (सादी) | श्री जी० एस० महाजन मैसर्स कोनार्क फिल्म्स (प्रा०) लि० भुवनेश्वर | 3,120/— (केवल पांच प्रिंटें खरीदी) |
| | 5 | ब्यूटी इन स्टोन (ओरवो कलर) | श्री दिलीप दत्ता, मैसर्स टविन फिल्म्स, कटक | 54,000/— |
| | 6 | लॉक आउट (सादी) | श्री एन० एम० बरुआ, मैसर्स दो रे मे फिल्म्स, जोरहाट, असम | 17,052/— |
| | 7 | वुड कविंग्स आफ उड़ीसा (ओरवो कलर) | श्री दिलीप दत्ता, मैसर्स टविन फिल्म्स, कटक | 54,000/— |
| 1979-80 | 1 | देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद (रंगीन) | श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, मैसर्स कला सृष्टि बम्बई, | 1,74,557.57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | रुपए |
| | 2 | ओड टु द चाइल्ड (सादी) | श्री प्रकाश झा, मैसर्स चलचित्र, बम्बई | 25,000/— |
| | 3 | पतचित्र (ओरवो कलर) | मैसर्स शंकर घोष, कलकत्ता | 75,000/— |
| | 4 | केन्द्र लीफ (फ्यूजी कलर) | मैसर्स सत्यभामा फिल्म्स, कटक | 80,000/— |
| | 5 | मेहनत और मंजिल (ओरवो कलर) | श्री ब्रजभूषण, मैसर्स चित्राश्रम, बम्बई | 60,000/— |
| | 6 | पंकज मलिक (ओरवो कलर) | मैसर्स कलातक, बम्बई | 90,000/— |
| 1980-81 | | | | |
| 31 जनवरी, 1981 तक | 1 | बिजली करे अंधेरा (फ्यूजी कलर) | श्री अमृत नहाटा, नई दिल्ली | 65,000/— |
| | 2 | अनचेन दि वोमैन (सादी) | श्री नरपेन्द्र मोहला मैसर्स एन०बी० पिक्चर्स, बम्बई | 25,000/— |
| | 3 | होम्यौपैथी दि हयूमन मैडिसिन (रंगीन) | मैसर्स एस०एच० प्रोड्क्शन्स, बम्बई | 70,000/— |
| | 4 | दि वे टू दि विलेज (सादी) | श्री आर०सी० संघवी, मैसर्स सिनेग्राफ एसोसिएयन, अहमदाबाद | 65,250/— |
| | 5 | दि बदियाज (फ्यूजी कलर) | मैसर्स चन इन्ट्रप्राइसिज, बम्बई | 90,000/— |
| | 6 | जस्ट प्लेन फैक्ट्स (सादी) | श्री एजरा मीर, मैसर्स इन्डिया फ्रिल्म इन्ट्रप्राइसिज, बम्बई | 50,000/— |
| | 7 | अभिशाप (ओरवो कलर) | मैमर्स मीनाक्षी फिल्म प्रोड्क्शनस, नई दिल्ली | 76,000/— |
| | 8 | अपना हाथ जगन्नाथ (रंगीन) | श्री सतीश चंदराकर, मैमर्स फिल्मीकार, बम्बई | 28,000/— |

**जनजातीय विकास के सम्बन्ध में कार्यकारी दल की रिपोर्ट**

2097. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम अवधि योजना, 1978-83 के दौरान जनजातीय विकास से सम्बन्धित कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार देश के जनजातीय क्षेत्रों में न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय से, उनके मंत्रालय को उनके मंत्रालय से संबंधित सिफारिशें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और उपर्युक्त सिफारिशों के आधार पर उनके मंत्रालय द्वारा अब तक क्या उपाय किय गए हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से जनजातीय क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार कार्यविधि तैयार करने और लोगों को सहज तथा तेजी से प्रशासनिक न्याय देने के लिए कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विधि, न्याय और म्पनी र्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड लि० का उत्पादन**

2098. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान नाशकमार कारखाने का गत तीन वर्षों का, वर्ष वार उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कारखाने का उत्पादन बढ़ाने का है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त कारखाने द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितना लाभ अर्जित किया और इस कारखाने न बोनस के रूप में अपने कर्मचारियों को वर्ष वार कितनी राशि का भुगतान किया;

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइडस लि० की दिल्ली फैक्टरी में उत्पादन :

(टनों में)

| मद | उत्पादन | | |
|---|---|---|---|
| | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 |
| तकनीकी डी० डी० टी० | 3024 | 3119 | 3372 |
| फार्मुलेटिड डी० डी० टी० | 5491 | 5758 | 5761 |

(ख) इस कारखाने की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर कम्पनी द्वारा कमाया गया शुद्ध लाभ और कर्मचारियों को अदा किया गया बोनस वर्षवार निम्न प्रकार था :—

(लाख रुपयों में)

| | 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 |
|---|---|---|---|
| शुद्ध लाभ | 36.56 | 92.45 | 80.49 |
| बोनस | 17.43 | 17.46 | 11.62 |

**परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण**

2099. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे क्या कारण हैं जिनसे सरकार ने परेल इनवेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध का अधिग्रहण किया था और उस समय ये कम्पनियां लाभ में चल रहीं थी अथवा घाटे में ; और

(ख) इन कम्पनियों के प्रबन्ध का अधिग्रहण किये जाने के समय उन्हें कितना मुआवजा दिया गया और वर्तमान में इन कम्पनियों की क्या स्थिति है।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) इन दो कम्पनियों के प्रबन्ध का अधिग्रहण जनहित में किया गया था। सरकार की इस नीति के अनुसार की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के बाटलिंग, परिवहन, विपणन तथा वितरण के संशाधनों के स्वामित्व तथा संचालन को ही उत्तरोतर राज्य में निहित किया जाए तथा इसके द्वारा उन्हें इस प्रकार वितरित किया जाये कि वह आम लाभ के लिए उपयोगी हो। कम्पनी द्वारा दिए गये लेखों की संवीक्षा सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने की थी। जिस तिथि को इनके प्रबन्ध का अधिग्रहण किया गया था इन कम्पनियों की शुद्ध मूल्य (नेट वर्थ) नकारात्मे थी।

(ख) प्रत्येक उस माह के लिए जिनमें की इनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित रहा परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लि० को 750 रूपये तथा डोमेस्टिक गैस प्राइवेट लिमिटेड को 250 रुपये की धनराशि दी जानी थी। चूंकि इन कम्पनियों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकद्मा किये जाने के कारण मामला न्यायाधीन है इस कारण उन्हें अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

**कोसन गैस कम्पनी का अधिग्रहण**

2100. **श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा कोसन गैस कम्पनी का 26 मई 1979 को अधिग्रहण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस समय कम्पनी में कितने कर्मचारी काम कर रहे थे और क्या कम्पनी उस समय लाभ अर्जित कर रही थी या हानि उठा रही थी और हर्जाने (मुआवजे) के रूप में सरकार को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) अधिग्रहण किये जाने के समय, कोसान गैस कम्पनी में 242 कर्मचारी काम कर रहे थे। भूतपूर्व कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरण-पत्रों के अनुसार, कम्पनी के अधिग्रहण किए जाने से पूर्व, कम्पनी घाटे में चल रही थी। इस कम्पनी के अधिग्रहण करने वाले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इस कम्पनी को 10,000 रुपये की राशि दी जानी थी।

**मथुरा में एक औद्योगिक एकक की स्थापना करना**

2101. **श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** मथुरा औद्योगिक कम्पलैक्स स्थापित किए जाने के बारे में 2 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2084 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा में एक औद्योगिक एकक की स्थापना के बारे में गठित समिति का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बिलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

हरियाणा में पेट्रोलियम उत्पादों की मासिक आवश्यकता

2102. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा को प्रति मास कुल कितने कि० लीटर मिट्टी के तेल, पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है ; और

(ख) हरियाणा को प्रतिमास कुल कितने किलो लीटर मिट्टी के तेल, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) विगत पांच वर्षों के दौरान, हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के लिए हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) तथा मिट्टी के तेल की मांग बतलाई थी जो निम्नलिखित रूप में है :—

आंकड़े किलो लीटरों में

| माह | एच.एस.डी. | मिट्टी का तेल |
|---|---|---|
| अक्तूबर, 1980 | 36000 | — |
| नवम्बर, 1980 | — | — |
| दिसम्बर, 1980 | 30000 | 9000 |
| जनवरी, 1981 | 34000 | 9000 |
| फरवरी, 1981 | 30000 | 7000 |

जहां तक पेट्रोल का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार से माह वार आवंटन करने की कोई प्रणाली नहीं है । विगत विक्रय और अन्य सम्बन्धी तथ्यों जैसे कि उत्पादक उपलब्धता, परिवहन क्षमता आदि के आधार पर तेल कम्पनियों द्वारा विभिन्न सप्लाई क्षेत्रों में उत्पादन को भेजा जाता है ।

(ख) नवम्बर, 1980 से जनवरी 1981 तक एच.एस.डी. और मिट्टी के तेल के विक्रय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

आंकडे किलो लीटरों में

| | विक्रय | |
|---|---|---|
| माह | एच.एस.डी. | मिट्टी का तेल |
| नवम्बर, 1980 | 33287 | 8340 |
| दिसम्बर | 32791 | 8507 |
| जनवरी, 1981 | 29288 | 8084 |

हरियाणा में कुकिंग गैस की कमी

2103. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा को कुकिंग गैस की बहुत कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) वर्ष 1981 के दौरान इसकी मांग पूरी करने और नई एजेंसियों की स्थापना के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) हरियाणा में खाना पकाने की गैस की सप्लाई में कुछ कमी है ।

(ख) राज्य में मांग को पूरा करने के लिए जहां तक सम्भव है वैकल्पिक स्रोतों से उत्पाद के परिवहन के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं । राज्य में नई गैस एजेंसियां स्थापित करने की योजनाएं तेल कम्पनियों द्वारा वित्त वर्ष के आधार पर तैयार की गयी हैं । राज्य में वर्ष 1981-82 के दौरान 12 नई गैस एजेन्सियां स्थापित करने की योजना है ।

हरियाणा को डीजल और मिट्टी के तेल का कोटा

2104. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा सरकार ने 1980 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए डीजल और मिट्टी के तेल के कितने कोटे की मांग की है;

(ख) राज्य को इन वस्तुओं की वास्तव में कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई है ; और

(ग) आबंटित मात्रा और की गई सप्लाई में कितना अन्तर है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) हरियाणा सरकार ने 1980 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए डीजल और मिट्टी के तेल की कोई विशिष्ट मांग नहीं की थी । परन्तु उन्होंने सूचित किया था कि अक्तूबर 1980 और दिसम्बर 1980 के लिए हाई स्पीड डीजल तेल की उनकी मांग क्रमशः 30000 मी० टन और 25,000 मी० टन है । मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा केवल दिसम्बर 1980 के लिए करीब 7,000 मी० टन के आबंटन की मांग की गई थी ।

(ख) और (ग) दो तिमाहियों के लिए डीजल और मिट्टी के तेल का आबंटन/विक्रय तथा दोनों के अन्तर निम्न प्रकार है :—

आंकड़े मी० टनों में

| अवधि | हाई स्पीट डीजल | | | मिट्टी का तेल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आबंटन | बिक्री | अन्तर* | आबंटन | बिक्री | अन्तर* |
| 1980 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर, 1980) | 70,600 | 69,592 | (—) 1,008 | 18,030 | 18,030 | (—) 20 |
| 1980 की चौथी तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर, -1980) | 72,780 | 80,840 | (+) 8,060 | 18,040 | 19,540 | (+) 1,500 |

**अधिक तापीय विद्युत केन्द्रों की स्थापना करना**

2105. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में और अधिक सुपर तापीत विद्युत केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबन्ध में आवश्यक सर्वेक्षण कर लिया गया है, क्या प्राक्कलन तैयार कर लिए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र पर कुल कितना खर्च आयेगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) से (घ) राज्य बिजली बोर्डों तथा अन्य युटिलिटीज द्वारा स्थापित किए जाने वाले विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों की आयोजना के अलावा, केन्द्रीय सेक्टर में हाथ में लेने के लिए प्रस्तावित, निम्नलिखित चार क्षेत्रीय सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इनका तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है :

*आबंटन और विक्रय के बीच

| परियोजना का नाम | राज्य | प्रस्तावित चरम क्षमता के लिए कुल व्यय |
|---|---|---|
| | | (करोड़ रु० में) |
| कहलगांव (2800 मेगावट) | बिहार | 1497.17 |
| पेंच (840 मेगावाट) | मध्य प्रदेश | 477.55 |
| तलचेर (2800 मेगावाट) | उड़ीसा | 1472.31 |
| वैधान (3000 मेगावाट) | मध्य प्रदेश | 1364.63 |

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने आंध्र प्रदेश में मानगुरु में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए तथा सिंगरौली क्षेत्र में एक अन्य सुपर ताप-विद्युत केन्द्र के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी आरम्भ किये हैं।

(ङ) और (च) 1000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली वैधान परियोजना तथा इसकी संबद्ध पारेषण और कोयला सुविधाओं वाले प्रथम चरण के विकास के लिए आंशिक रूप से वित्त व्यवस्था करने के लिए सोवियत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सोवियत सहायता के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अन्य परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता संबंधी किसी प्रस्ताव पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

**केजुअल कलाकारों का खपाया जाना**

2106. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन ने कैजुअल-कलाकारों को नियमित सेवा में स्थायी रूप से खपाने के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रत्येक केन्द्र पर गत तीन वर्षों के दौरान कितने-कितने केजुअल-कलाकारों को अब तक नियमित सेवा में खपाया जा चुका है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी) :** (क) जी, हां।

(ख) मोटे तौर पर आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में नैमित्तिक कलाकारों को नियमित करने के लिए अपनाई जाने वाली वर्तमान कसौटी इस प्रकार है :—

आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन नैमित्तिक कलाकारों, जिनको (1) वर्ष 1 974-75 से 1979-80 तक के दौरान किसी भी एक वित्तीय वर्ष में 200 दिन या (2) तीन वित्तीय वर्षों

अर्थात् 1974-77 या 1975-78 के दो ब्लाकों में से किसी भी एक ब्लाक के दौरान 365 दिन के लिए बुक किया गया था, को स्टाफ आर्टिस्टों के खाली पदों पर नियमित किए जाने के लिए विचार किया जाता है, बशर्ते कि उनको जिन पदों पर नियमित किया जाना है, उन पदों के लिए वे शैक्षिक दृष्टि से और अन्यथा अर्हता प्राप्त हों।

जिन नैमित्तिक कलाकारों को आकाशवाणी/दूरदर्शन के प्रत्येक केन्द्र पर पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमित सेवा में खपाया जा चुका है उनकी संख्या से संबंधित सूचना विवरण-1 तथा विवरण-2 में दी हुई है।

विवरण-1

| क्रम संख्या | केन्द्र/कार्यालय | स्टाफ आर्टिस्ट की श्रेणी | नियमित किए व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | विविध भारती सेवा, आकाशवाणी, बम्बई | जनरल असिस्टेंट | 21 |
| 2. | आकाशवाणी, दिल्ली | कापीस्ट | 1 |
| 3. | दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली | जरनल असिस्टेंट | 1 |
| 4. | विदेश सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, दिल्ली | कापीस्ट | 1 |
| 5. | विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, दिल्ली | जरनल असिस्टेंट | 1 |
| 6. | आकाशवाणी, इलाहबाद | कापीस्ट | 1 |
| 7. | अनुश्रवण सेवा, शिमला | मानिटर (भारतीय भाषा) | 16 |
| 8. | दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली | प्रोडक्शन असिस्टेंट | 4 |
| 9. | समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, दिल्ली | समाचारवाचक-व-अनुवादक | 5 |
| 10. | आकाशवाणी, गोरखपुर | —तथैव— | 1 |
| 11. | आकाशवाणी, कोहिमा | सह-सम्पादक (जन जातीय बोली) | 7 |
| 12. | आकाशवाणी, डिब्रूगढ़ | —तथैव— | 2 |
| 13. | आकाशवाणी, त्वांग | —तथैव— | 1 |
| 14. | आकाशवाणी, तेजू | —तथैव— | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | आकाशवाणी, अगरतला | उद्घोषक | 1 |
| 16. | आकाशवाणी दिल्ली | —तथैव— | 1 |
| 17. | विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, दिल्ली | —तथैव— | 1 |
| 18. | विदेश सेवा प्रभाग आकाशवाणी, दिल्ली | —तथैव— | 4 |
| | | | कुल : 70 |

विवरण

| क्रम संख्या | केन्द्र | नियमित किए गए नैमित्तिक कलाकारों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बम्बई | 18 |
| 2. | कलकत्ता | 11 |
| 3. | लखनऊ | 33 |
| 4. | श्रीनगर | 21 |
| 5. | जलन्धर | 20 |
| 6. | दिल्ली | 17 |
| 7. | मद्रास | 11 |
| 8. | उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली | 9 |
| 9. | गुलबर्ग | 2 |
| 10. | हैदराबाद | 6 |
| 11. | कटक | 9 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 12. | रामपुर | 2 |
| 13. | मुजफ्फरपुर | 2 |
| 14. | अहमदाबाद | 4 |
| 15. | जयपुर | 3 |
| 16. | सम्बलपुर | 1 |
| | कुल : | 197* |

**हमीरपुर में क्षेत्रीय प्रचार इकाई की स्थापना**

2107. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में एक क्षेत्रीय प्रचार इकाई की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसकी स्थापना हो जाने की आशा है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक क्षेत्रीय प्रचार सहायक को पहले ही तैनात किया जा चुका है । जैसे ही स्थान उपबन्ध हो जायेगा पूरी संख्या में कर्मचारियों को तैनात कर दिया जाएगा ।

**उत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन के रिले केन्द्रों/ट्रांसमीटरों के नाम**

2108. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी क्षेत्र में मंजूर किए गए दूरदर्शन के नए रिले केन्द्रों/ट्रांसमीटरों के नाम क्या हैं; और

(ख) उनके पूरा होने की संभावित तारीख क्या है ?

*इनमें वे 28 व्यक्ति भी शामिल है जिनको नियमित किए जाने की पेशकश भेजी गई थी, परन्तु इस बीच वे अन्य संगठनों में खपा लिए गए ।

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) छठी "योजना" अवधि (1980-85) के दौरान उत्तरी क्षेत्र में दो टैलीविजन रिले ट्रांसमीटर, एक कसौली में और दूसरा वाराणसी में, स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इन रिले केन्द्रों के 1984-85 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है ।

**कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र**

2109 **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के क्या नाम हैं और उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनमें से कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तालचर और रामगुंडम उर्वरक संयंत्रों की उपकरण समस्याएं दूर करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार हैं ;

(घ) इस तरह के उर्वरक संयंत्रों को स्थायित्व कब मिलेगा और कब निरन्तर उत्पादन देंगे; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह)** : (क) भारतीय उर्वरक निगम लि० (एफ० सी० आई०) के स्वामित्व में कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र है एक तालचर, उड़ीसा में और दूसरा रामागुण्डम आंध्र प्रदेश में ।

(ख) दोनों प्रारम्भिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं ।

(ग), (घ) और (ङ) दिनांक 1-11-1980 से उनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिए जाने के पश्चात संयंत्र ने प्रथम तीन महीनों के दौरान गैलीफायर्स के पैस्ट हीट बायलरों, वायु पृथवकी करण यूनिट, कच्ची गैस कम्प्रेसरों और रेक्टीसोल खण्डों में समस्याओं का सामना किया । इन समस्याओं का पहचान किया गया है और सुधारात्मक कार्यवाही की गई है । यह आशा है कि संयंत्र उत्पादन में स्थिरता कुछ महीनों के परिचालन के पश्चात ही प्राप्त करेगा ।

**छोटे पन बिजली संयन्त्रों की स्थापना**

2110. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 के दौरान देश में कुछ छोटे-पन बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इस तरह के कितने संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) सामान्यतः सिंचाई नहरों के प्रपातों आदि पर उपलब्ध निम्न शीर्षों का उपयोग करके मिनि/लघु जल विद्युत यूनिटों के प्रतिष्ठापन को सरकार बहुत अधिक महत्व देती है। यह एक ऐसी गति विधि है, जिसे उन्हीं राज्यों द्वारा हाथ में लिया जाना है जिनमें यह शक्यता विद्यमान हो। इस सम्बन्ध में संभाव्यताओं का अन्वेषण करने की सलाह ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को दी है तथा इस हेतु विशेषज्ञों की सेवाएं और जिस अन्य तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, वह सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी किया है। इस समय देश में निम्नलिखित निम्नशीर्ष मिनि-लघु स्कीमें क्रियान्वित की जा रही है ;—

| | स्कीम का नाम | प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट) | राज्य | चालू करने की संभावित तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पश्चिम यमुना कनाल | 48 मेगवाट | हरियाणा | 1984-85 |
| 2. | अनूपगढ़ | 9 मेगावाट | राजस्थान | 7 वीं योजना |
| 3. | लोअर मेतुर | 120 मेगावाट | तमिलनाडु | 7 वीं योजना |
| 4. | अपरबारी दोआब नहर चरण-III | 45 मेगावाट | पंजाब | 7 वीं योजना |
| 5. | घनसीरी | 19.95 मेगावाट | असम | 7 वीं योजना |

इस समय देश में प्रचालित की जा रही ऐसी स्कीमों का कुल विद्युत उत्पादन लगभग 300 मेगावाट है।

(ख) उड़ीसा राज्य में मिनि/लघु जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार/उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**उर्वरक उत्पादन में हानि**

2111. **श्री बी०बी० देसाई :**

**श्री पी०एम० सईद** : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उत्पादन जिसे असम आन्दोलन सहित अनेक कारणों से इस वर्ष बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी है, अब धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि गत वर्ष दिसम्बर के दौरान 100 करोड़ रुपया मूल्य के 2.26 लाख टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का रिकार्ड उत्पादन हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो उर्वरक में उत्पान जो यह वृद्धि हुई है क्या उसमें गोआ उर्वरक संयंत्र, जिसे पांच माह पहले बन्द कर दिया गया था, के पुनः चालू होने से और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी उर्वरक परियोजनाओं ने अपना उत्पादन बढ़ाना आरम्भ कर दिया है ;

(ङ) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(च) 1981-82 के दौरान उर्वरक उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क), (ख) और (ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) गोरखपुर और नामरूप संयंत्रों के अलावा उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन, जो पहले फीडस्टाक निवेशों और पावर प्रतिबन्धों से प्रभावित था, में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । इन संयंत्रों पर अभी भी फीडस्टाक की अपर्याप्त उपलब्धता का प्रभाव है ।

(च) वर्ष 1980-81 की तुलना में वर्ष 1981-82 में उर्वरकों के उत्पादन में अच्छा सुधार होने की आशा है ।

**हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन की सहायता का कार्यक्रम**

2112. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों के लिए अपने सहायता कार्यक्रम का विस्तार किया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय स्तर पर दी जाने वाली प्रस्तावित छात्रवृत्तियों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) क्या ये छात्रवृत्तियां उड़ीसा के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाएंगी ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें दी जाने वाली प्रस्तावित छात्रवृत्तियों की कुल संख्या क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) सभी छात्रवृत्तियां कालेज जाने वाले अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन-जातियों छात्रों के लिए हैं। 6 छात्रवृत्तियों सहित यह योजना 1976 में प्रारम्भ की गयी थी। इस संख्या को वर्ष 1980-81 के शैक्षिक वर्ष के लिए बढ़ाकर 25 कर दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में यह योजना केवल शोधनशाला क्षेत्रों अर्थात् बम्बई तथा विजाग तक ही है। जब इस योजना का और विस्तार किया जाएगा तो उड़ीसा में स्थित विश्व-विद्यालयों सहित अन्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार करना संभव हो सकेगा।

**मैसर्ज मेकिन्नोन मेकेन्जी**

2113. **श्री के० लकप्पा :**

**श्री एच० एन० गोडा :**

**श्री ए० एम० पट्टे गोडा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अग्रणी नौवहन कम्पनी मैसर्ज मेकिन्नोन मेकेन्जी का दीवाला निकालने वाला है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त कम्पनी की वर्तमान आस्तियां तथा देयतायें क्या हैं ;

(ग) इसके प्रमुख शेयरधारियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक के पास कित्तने-कितने शेयर हैं;

(घ) इस कम्पनी के कुप्रबन्ध और इसमें भारी घाटे के लिए कोन उत्तरदायी है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस कम्पनी के मामलों की जांच के लिए आदेश दिये है ; और

(च) यदि हां, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) से (ग) सूचना विवरण में दी गई है। उससे प्रतीत होगा कि, जबकि दिसम्बर, 1979 को समाप्ति के तुलन-पत्र के अनुसार, कम्पनी को शुद्ध परिसम्पत्तियां नकारात्मक थीं, तो इस स्तर पर यह अनुमान लगाना सही नहीं होगा कि कम्पनी नष्ट निधित्व की ओर अग्रसर हो रही है।

(घ) गत तीन वर्षों के लेखा-परिक्षित तुलत-पत्रों से संलग्न निदेशक मंडल को रिपोर्टों से यह अवलोकित किया गया है कि कम्पनी द्वारा उठाई गई भारी हानियां, मुख्य रूप से विपरीत संचालन अवस्थाओं के कारण थीं।

(ङ) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा इस कम्पनी के कार्य-कलापों की जांच के कोई आदेश नहीं दिये गए हैं ।

(च) उत्पन्न नहीं होता ।

**विवरण**

भाग (क) मै० मैकीनन मैकेन्जी एण्ड कम्पनी लिमिटेड की इसके 31-12-1979 के तुलन-पत्र के अनुसार वित्तीय स्थिति*

| | लाख रु० में |
|---|---|
| हिस्सा पूंजी | 248.45 |
| आरक्षित तथा अतिरेक | 119.71 |
| | 368.16 |
| विविध व्यय तथा संचित हानियों को घटाकर | 476 67 |
| | (—) 108.5 |

भाग (ख) 31-12-1979 के तुलन-पत्र के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियां तथा देवतायें*

| देयतायें | लाख रु० में | परिसम्पत्तियां | लाख रु० में |
|---|---|---|---|
| हिस्सा पूंजी | 248.45 | सावधि परिसम्पत्तियां | 1254.47 |
| आरक्षित तथा अतिरेक | 119.71 | नियोजन | 12.76 |
| प्रतिभूति ऋण | 1298.75 | वर्तमान परिसम्पत्तियां | 387.40 |
| प्रतिभूति रहित ऋण | 104.47 | ऋण तथा अग्रिम | 149.83 |
| वर्तमान देयतायें | 498.46 | विविधि व्यय | 200.48 |
| व्यवस्थायें | 11.29 | लाख—हानि सेखा | 276.19 |
| | 2281.13 | | 2281.13 |

*1980 के तुलनपत्र अभी देय नहीं हैं ।

भाग (ग) 2000 इससे अधिक के हिस्से धारण करने वाले (प्रमुख) हिस्से धारियों की सूची।

मै० मैकोनन मैकेन्जी

| क्रम सं० | हिस्सेधारियों के नाम | हिस्सों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | लाइफ इन्शोरेन्श कारपोरेशन आफ इण्डिया | 1,00,000 |
| 2. | यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया | 72,650 |
| 3. | इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वैस्टमैंट कारपोरेशन आफ इण्डिया | 54,450 |
| 4. | इन्डस्ट्रियल इन्वैस्टमैंट ट्रस्ट | 2,750 |
| 5. | यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड | 54,450 |
| 6. | नैशनल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड | 45,340 |
| 7. | ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लि० | 36,300 |
| 8. | न्यू इण्डिया एसोरेन्स कम्पनी लिमिटेड | 22,700 |
| 9. | जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन लिमिटेड | 22,700 |
| 10. | बैंक आफ इण्डिया | 81,700 |
| 11. | यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया | 68,100 |
| 12. | सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया | 39,350 |
| 13. | ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नेवोगेशन, यू० के० | 9,99,990 |
| 14. | मिस्टर अनन्त प्रकाश सक्सेना | 2,000 |
| 15. | ,, चन्द्रसैन वलवदास जांगला | 2,000 |
| 16. | ,, छेदीलाल अग्रवाल | 15,320 |
| 17. | ,, चांदवलाल विटल्लदास शाह | 13,300 |
| 18. | ,, एच०एच० यशवन्तर राव मुकने | 5,000 |
| 19. | ,, हरकचन्द वाजली गाला | 17,150 |
| 20 | ,, इन्दुकुमार सन्घवी | 3,000 |

| | | |
|---|---|---|
| 21. | श्रीमती इन्दिरा चन्दुलाल शाह | 14,100 |
| 22. | मिस्टर एम० अनन्त राव | 2,000 |
| 23. | ,, नेनीगोपाल चौधरी | 2,000 |
| 24. | श्रीमती निर्मला हरकचन्द गाला | 16,150 |
| 25. | मिस्टर प्रकाश माथुर | 3,200 |
| 26. | ,, सलिल घोष | 2,500 |
| 27. | ,, टी० ए० जावरी | 4,000 |
| 28. | ,, विनोद रतीलाल डांगरवाला | 10,000 |
| 29. | ,, विजय कुमार चन्द्रलाल | 3,000 |
| 30, | बलईलाल मुकर्जी एण्ड कम्पनी प्रा० लि० | 5,000 |
| 31. | अलक्स मिल्लर शिपचान्दलर प्रा० लि० | 5,000 |
| 32. | इन्डस्ट्रीयल इन्वैस्टमैन्ट ट्रस्ट लिमिटेड | 2,750 |
| 33. | गंगेज रौलिंग इन्डस्ट्रीज प्रा० लि० | 2,500 |
| 34. | श्रीमती अलिया एन० लतीफ एन्ड मिस्टर नजीर लतीफ | 4,000 |

**कोरवा, मध्यप्रदेश में पाए गए कोयले में राख के अन्स**

2114. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कोरवा क्षेत्र की खुली कोयला खानों में पाए गए कोयले में राख का कितना अंश है और क्या यह कोयला ताप-बिजलीघरों के लिए उपयुक्त है और यदि नहीं, तो क्या विद्यमान बिजली-स्टेशनों की मशीनरी को कोयले की उक्त किस्म के योग्य बना लिया जाएगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : कोरवा कोयला क्षेत्र में मानिकपुर और कुसमुन्डा यह दो ओपेनकाष्ट खानें हैं। इन खानों का आयोजन और डिजाइन बनाने का काम मन्य प्रदेश बिजली बोर्ड से परामर्श करके किया गया था—इस बिजली बोर्ड के खान मुहाना ताप बिजलीघर हैं। इन दोनों कोयला खानों के कोयले में राख का अंश नीचे दिया गया है।

| कोलियरी/सीम का नाम | राख का प्रस्ताव |
|---|---|
| (1) मानिकपुर ओपेनकास्ट (जटराज सीम) | 31.4 से 38 8 |
| (2) कुसमुन्डा विस्तार | |
| (क) अपर कुसमुन्डा सीम : | 42.6 से 49.3 |
| (ख) लौअर कुसमुन्डा सीम | 38.0 से 44.3 |

**संयुक्त क्षेत्र में पालिएस्टर संयन्त्रों की योजना**

2115. **श्री आर०एल० भाटिया** : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में पालिएस्टर धागे का उत्पादन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त क्षेत्र में पालिएस्टर एककों की योजना का ब्यौरा क्या है— इन्हें कहां स्थापित किया जाएगा और वार्षिक उत्पादन कितना होगा ;

(ग) इन एककों को चालू होने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) मौजूदा क्षमता का विस्तार करके या नए एककों की स्थापना करके चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र को मंजूर की गई क्षमत्ता का ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) चालू वर्ष के दौरान किसी क्षमता के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

**बिहार सरकार द्वारा मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि की मांग**

2116. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए केन्द्र सरकार की कोई एजेंसी है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग रह रहे हैं, मिट्टी के तेल की भारी कमी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में समुचित प्रबन्ध करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) यह मंत्रालय, बिहार सहित सब राज्यों की मिट्टी के तेल का मासिक आबंटन करता है। राज्य के अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं को शामिल करके विभिन्न क्षेत्रों के बीच उत्पाद का वितरण करना सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वह विभिन्न क्षेत्रों के बीच उत्पाद का साम्य वितरण को सुनिश्चित करें और उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें जो जमाखोरी और चोर बाजारी जैसे कदाचारों में लगे हुए हैं।

तेल उद्योग के राज्य और जिला स्तर के समन्वयक जो क्रमशः राज्य की राजधानियों और राजस्व जिलों के मुख्यालयों में कार्य कर रहे हैं राज्य और जिला प्राधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क कायम रखते हैं और राज्य सरकार द्वारा तैयार की प्राथमिकताओं के अनुसार मिट्टी के तेल के उचित और साम्य वितरण में सामान्यतया उनकी मदद करते हैं।

**भारत के ऊर्जा उत्पादन में सोवियत संघ द्वारा सहयोग की पेशकश**

2117. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने भारत के ऊर्जा उत्पादन में व्यापक रूप से सहयोग देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केवल सोवियत संघ ही ऐसा देश नहीं है जिसने भारत के विशाल ऊर्जा उत्पादन में अपनी रुचि दिखाई है बल्कि अन्य देशों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इस बारे में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) भारत के प्रधान मंत्री तथा सोवियत राष्ट्रपति श्री ब्रेझनेव द्वारा दिसम्बर, 1980 में हस्ताक्षरित, भारत और सोवियत संघ के बीच सम्पन्न हुए आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग करार के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का वचन दिया गया है। भविष्य में 3000 मेगावाट तक विस्तार की संभाव्यता वाले, 1000 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले एक समेकित ताप विद्युत संयंत्र, इसी के अनुरूप कोयला खनन की सुविधाओं तथा सम्बन्ध पारेषण प्रणाली का निर्माण इसमें शामिल है।

निर्यात ऋणों के साथ अथवा सप्लाईकर्त्ताओं के ऋणों तथा/अथवा आंशिक सरकारी सहायता के साथ सम्बद्ध विद्युत उत्पादन उपस्कर की सप्लाई करने के लिए अन्य देशों ने भी प्रतीक

रूप प्रस्ताव किए हैं अथवा इसमें रुचि दिखाई है। ये देश इंगलैंड, रोमानिया तथा पोलैण्ड हैं। जापान की मैसर्स पितसुई एण्ड कम्पनी, पश्चिम जर्मनी की ड्यूटसी, बैंबकाक फ्रांस की अलस्थाम एटलांटिक तथा इटली की अनसालडो जैसी गैर सरकारी विदेशी कम्पनियों ने भी उपस्कर सप्लाई के लिए अन्वेषणात्मक पेशकश की है।

परियोजना के निर्माणार्थ, किसी भी देश ने अभी तक उपस्कर के आयात की लागत अथवा धन के संसाधनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता का प्रस्ताव नहीं किया है। उपरोक्त प्रतीक रूप प्रस्तावों में किसी पर भी अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

**ग्रामीण विद्युतीकरण पर किया गया व्यय**

2118. **श्री के०ए० स्वामी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा खर्च की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) आगामी पांच वर्षों में खर्च किए जाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) गत पांच वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अपने कर्मचारियों, उनके वेतन, यात्रा पर तथा प्रशासनिक खर्च के रूप में प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई और उसके अलग-2 वार्षिक आंकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले पांच वर्षों (1975-76 से 1979-80 तक) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वितरित निधियां नीचे दी गई हैं :—

| वर्ष | (लाख रुपए में) वितरित ऋण राशि |
|---|---|
| 1975-76 | 7342 |
| 1976-77 | 8822 |
| 1977-78 | 11299 |
| 1978-79 | 15610 |
| 1979-80 | 16705 |
| जोड़ : | 59778 |

(ख) योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम को 880 करोड़ रुपए के परिव्यय का आबंटन नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार किया है :—

| | (करोड़ रुपए में) |
|---|---|
| (1) ग्राम विद्युतीकरण निगम का सामान्य कार्यक्रम : | 595.00 |
| (2) विशिष्ट कृषि परियोजना (एस०पी०ए०) | 210.00 |
| (3) ग्रामीण सहकारिताएं : | 33.00 |
| (4) प्रणाली सुधार : | 42.00 |
| जोड़ : | 880.00 |

(ग) निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों (1975-80) के लिए स्टाफ वेतन, यात्रा तथा प्रशासनिक खर्चों पर किया गया वार्षिक व्यय नीचे दिए अनुसार है :—

| वर्ष | (लाख रु० में) |
|---|---|
| 1975-76 | 119 |
| 1976-77 | 147 |
| 1977-78 | 182 |
| 1978-79 | 192 |
| 1979-80 | 220 |
| जोड़ : | 860 |

**उद्योगों को अपने निजी विद्युत उत्पादन एकक स्थापित करने के लिए सहायता**

2119. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार उन राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने को जो इस समय उद्योगों को बिजली संकट से ग्रस्त हैं और उद्योगों को अपने निजी विद्युत उत्पादन एकक स्थापित करने की अनुमति देने की एवम् उन्हें इनकी लागत में केन्द्रीय राज सहायता देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य ही उद्योगों को बिजली देने हेतु अब तक बिजली की अनुपलब्धता के सबसे अधिक अधिक शिकार रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में किस प्रकार का निर्णय लिया गया है और राज्य सरकारों को कितनी राशि की सहायता दी जाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्यों में उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के बारे में सरकार की वर्तमान नीति यह है कि जिन उद्योगों में प्रक्रिया भाप की आवश्यकता होती है अथवा जिनमें अविशिष्ट उष्मा उपलब्ध होती है उनमें 'समग्र ऊर्जा संकल्पना' के अनुसार कैप्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता को प्रोत्सासन दिया जाना चाहिए। देश में विद्युत की मांग को पूरा कराने में क्षमता की कमी को तथा स्टील, उर्वरकों और अल्यूमीनियम जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादक क्षेत्रों को कमी के प्रभाव से मुक्त रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे यूनिटों में कोयले पर आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करने में सरकार हाल ही में अधिक उदार रही है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उद्योगों को या तो अपने आन्तरिक साधनों से अथवा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जुटाने होंगे।

(ख) से (घ) बिहार और पश्चिमी बंगाल स्थित उद्योगों पर विद्युत की कमी का प्रभाव पड़ा है तथा राजस्थान में उद्योगों पर विद्युत की अस्थाई कमी के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया है। देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्पकालिक और दीर्घ-कालिक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं .—

(एक) छुट्टी के दिनों को अलग-अलग करके तथा भार को दिन के समय से रात्रि के समय में अन्तरित करके भार माँग की बेहतर प्रबंध-व्यवस्था करना ;

(दो) प्रणाली में नई विद्युत उत्पादन क्षमता को तेजी से जोड़ना ;

(तीन) परियोजनाओं का शीघ्र पूरा होना सुनिश्चत करने के लिए सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रमों की विस्तृत मानीटरिंग करना ; तथा

(चार) मौजूदा केन्द्रों के प्रचालन की समुचित मानीटरिंग की जा रही है तथा वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत उत्पादन अधिकतम करने की दृष्टि से राज्य बिजली बोर्डों को सहायता दी गई है ताकि वे मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण में सुधार ला सकें।

**धनबाद क्षेत्र में कोयले में कथित घोटाला**

2120. **श्री सतीश अग्रवाल :**

**श्री एस.एम. कृष्ण :**

**श्री एम.राम गोपाल रेड्डी :**

**श्री चित्त महाटा :**

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

**श्री धर्मवीर सिंह :**

**श्री एन.के. शेजवलकर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद क्षेत्र में करोड़ों रुपये के कोयले के घोटाले का पता चलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कोयला उपभोक्ताओं की झूठी फर्मों के नामों पर भारी मात्रा की बिक्री तथा डिलीवरी के आदेश प्राप्त किये गये थे और वे काले बाजार में बेचे गये थे ;

(ग) इस बीच कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में उनके काम के तरीके का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिसम्बर, 1979 से फरवरी 1980 तक छापे मारे थे और उन्होंने तीन ऐसे मामले दर्ज किये थे जिनमें जाली डिलीवरी आदेशों के आधार पर अस्तित्वहीन और जाली पार्टियों को भारी मात्रा में हार्ड कोक देने के कथित आरोप की जांच की जानी है। इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अब तक 17 व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं। और उनमें से 2 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधिकारी हैं। इन मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो अभी जांच कर रहा है।

(घ) ऐसे मामले भविष्य में न हों इस दृष्टि से कोल इंडिया लि० और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बिक्री और विपणन प्रभागों में सतर्कता प्रबंध और कड़ा कर दिया गया है। सरकार ने भी उन अधिकारियों और कर्मचारियों के आवर्ती आधार पर तबादले करते रहने की नीति बनाई है जो इस प्रकार के नाजुक पदों पर तैनात हैं। यह तबादले निश्चित [illegible] किए जाएगें।

**टी०वी० में वाणिज्यिक विज्ञापन सेवा शुरू किये जाने के बारे में निर्णय**

2121. **श्री सतीश अग्रवाल :**
**श्री के०मालन्ना :**
**श्री एन०के० शेजवलकर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने टी०वी० में विज्ञापन सेवा शीघ्र ही शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो देश के किन दूरदर्शन केन्द्रों से यह सुविधा उपलब्ध होगी ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विज्ञापनों के लिए शुल्क का हिसाब लगा लिया है और इस प्रयोजन के लिए कितना समय नियत किया जायेगा ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि इस नई सेवा से आकाशवाणी की विज्ञापन सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी) :** (क) से (घ) मामले का अध्ययन किया जा रहा है । ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

**कोयला खानों का विकास करने के लिये ब्रिटेन द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता किया जाना**

2122. **श्री सतीश अग्रवाल :**
**श्री के०पी०सिंह देव :**
**श्री के०प्रधानी :**
**श्री सुभाष चन्द्र बोस अलूरी :**
**श्री जनार्दन पुजारी :**
**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**
**श्री एन०के०शेजवलकर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन सरकार देश में कायला खानों के समेकित विकास के लिये बड़े पैमाने पर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता करने को सहमत हो गयी है ;

(ख) क्या ब्रिटेन कोयला विकास क्षेत्र में अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ देने के लिए भी सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्रिटेन द्वारा दी गई सही योजनाएं कौनसी हैं और सरकार ने क्या निर्णय दिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रेट ब्रिटेन की सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 21 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड की सहायता दी है जो ग्रेट ब्रिटेन से आधुनिक जटिल खनन उपकरणों के आयात, दो खानों के लिए सहायता रिपोर्ट तैयार करने तथा तकनीकी कार्मिकों के ग्रेट ब्रिटेन में और भारत में प्रशिक्षण के लिए है।

बिटूमन का आबंटन

2123. श्री के० टी० कोसलाराम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के लिए वर्ष 1979-80 में 84,500 मी० टन बिटूमन का जो आबंटन किया गया था उसे 1980 में घटाकर 75000 मी० टन करने के क्या कारण हैं जबकि अन्य सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मामले में बिटूमन का आबंटन 1979 के मुकाबले 1980 में बढ़ा दिया गया है ;

(ख) राज्य सरकार ने बिटूमन की लागत के रूप में भारतीय तेल निगम को कितनी अधिक अदायगी की है और कब से इस राशि का समायोजन नहीं किया गया है ; और

(ग) तमिलनाडु को बिटूमन का आबंटन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए बिटुमन का आबंटन सब राज्यों को उनकी पिछले तीन वर्षों की औसत बिक्री के आधार पर किये गए हैं। तामिलनाडू के 1980-81 के लिए उनके तीन वर्षों के आंकड़ों के आधार पर 75,000 टन रखे गए थे, यह केवल उनके वर्ष 1979-80 के आंकड़ों के आधार पर नहीं रखे गए थे।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन को राज्य सरकार बिटूमन की अग्रिम लागत के रूप में 1413 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें बिटूमन के बढ़े हुए मूल्य भी शामिल हैं। बकाया 4.09 करोड रुपये का इस समय समायोजन किया जाना है।

(ग) उसकी उपलब्धता में आने वाली बाधाओं को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 1980-81 के लिए तामिलनाडु के बिटुमन के आवंटनों को उस समय बढ़ाना संभव नहीं है।

महानगरों में गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

2124. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गैस कनेक्शनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों में 31 जनवरी, 1981 को भी प्रतीक्षा सूची में थे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों में 31-1-1981 की यथास्थिति में विभिन्न तेल कम्पनियों के डीलरों की प्रतीक्षा सूची में गैस कनेक्शनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की लगभग संख्या निम्नलिखित है :—

| | |
|---|---|
| दिल्ली | 414,000 |
| बम्बई | 342,500 |
| कलकत्ता | 49,000 |
| मद्रास | 113,000 |

**फिल्म समारोह में दिखाई जाने वाली फिल्मों में पूर्व प्रदर्शित फिल्म का शामिल किया जाना**

2125. श्रीमती कृष्णा साही : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में आयोजित आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के प्रतियोगी वर्ग में एक ऐसी विदेशी फिल्म, जो विदेशी समारोह में पूर्व प्रदर्शित की जा चुकी थी, शामिल की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे प्रतियोगी समारोह के नियमों का उल्लंघन नहीं होता है ; और

(ग) क्या सरकार ने इसको प्रतियोगिता में शामिल करने की परिस्थितियों की जांच की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) नियम का भारत के आठवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के विनियमों में, जो फिल्मों को समारोह में प्रविष्ट करने की इच्छा रखने वालों को भेज दिये गये थे, विशिष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त, फिल्मों के लिए बातचीत के दौरान इसकी ओर स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था । तथापि, मिस्टर स्लाटर्ज सिल्वर जुबली नामक फिल्म को प्रविष्ट करने वाले निर्माता ने समारोह प्राधिकारियों को इस बात से सूचित नहीं किया कि इस फिल्म ने और कहीं भी प्रतियोगिता की थी । जैसे ही इस बात का पता चला कि इस फिल्म ने कहीं और भी प्रतियोगिता की थी, इसको प्रतियोगिता के अयोग्य कर दिया गया और जूरी को सूचित कर दिया गया कि वह पुरस्कारों के लिए इस फिल्म पर विचार न करें ।

भुवनेश्वर में औषध-कारखाने की स्थापना

2126. श्री राम चन्द्र रथ : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में एक औषध कारखाने की स्थापना किये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने के कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और ऊर्वरक राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, एक सरकारी क्षेत्रीय औषध कम्पनी, इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उडीसा लि० (इपिकोल) के सम्पर्क से उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर में एक औषध फार्मुलेशन यूनिट लगाने का विचार करती है। अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ज्वारभाटा विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञता

2127. श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ज्वारभाटा विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए फ्रांस से विशेषज्ञता प्राप्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या उक्त संयंत्र के लिए स्थल का निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) ज्वारीय-लहरों से ऊर्जा का उत्पादन करने की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने गुजरात में कच्छ की खाड़ी में अन्वेषण तथा अध्ययन हाथ में लेने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 2.18 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में उन क्षेत्रों में विदेशी तकनीकी सहायता के समुपयोजन की परिकल्पना है, जहां पर देश में पर्याप्त सुविज्ञता उपलब्ध नहीं है। चूंकि विद्युत विकास के क्षेत्र में सहयोगी प्रयास करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा इलेक्ट्रिक का फ्रांस (ई० डी० एफ०), पेरिस के बीच समझौता हुआ है, इसलिए प्रस्तावित अन्वेषणों की आयोजना में सहायता हेतु फ्रांस के विशेयज्ञों की सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

**आकाशवाणी, दरभंगा का विकास करने के लिए किए गए, किए जाने वाले उपाय**

2128. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित मसलों के सम्बन्ध में आकाशवाणी दरभंगा के विकास के लिए क्या उपाय किये जा चुके हैं अथवा किये जाने का विचार है ;

(एक) निदेशक का पद तथा अन्य स्वीकृत पदों को भरना ;

(दो) कर्मचारियों को रिहायशी आवास देना ;

(तीन) वर्तमान प्रसारण क्षमता में वृद्धि करना ताकि बिहार और नेपाल तराई में रहने वाले सभी मेथिली भाषी लोग प्रसारित कार्यक्रमों को सुन सकें ;

(चार) विद्युत बोर्ड से बिजली की अत्यन्त अनियमित सप्लाई को देखते हुए, उक्त केन्द्र के लिए अपने ही एक स्वतन्त्र जनरेटर को व्यवस्था करना ताकि 24 घंटे बिजली की नियमित सप्लाई होती रहे ; और

(पांच) स्वतन्त्र मेथिली कार्यक्रमों का समय बढ़ाना ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (1) आकाशवाणी, दरभंगा में केन्द्र निदेशक के पद सहित अधिकांश स्वीकृत पद भरे जा चुके हैं । शेष पदों को भी भरने की कार्रवाई चल रही है ।

(2) आकाशवाणी के वर्तमान केन्द्रों पर अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए छठी "योजना" (1980-85) में 500 लाख रु० का प्रावधान रखा गया है । सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर अन्य केन्द्रों के साथ दरभंगा पर भी विचार किया जाएगा ।

(3) आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र की स्थापना राज्य के मैथली भाषी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए की गई थी न कि सीमापार के क्षेत्रों के लिए मैथली सेवा प्रदान करने के लिए । इसलिए दरभंगा केन्द्र के ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(4) दरभंगा केन्द्र के लिए एक स्टेण्डबाई डीजल जनरेटर की व्यवस्था करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(5) मैथली भाषा के कार्यक्रमों के लिए आबंटित समय की वर्तमान अवधि को पर्याप्त समझा जाता है और इसको बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**दरभंगा स्थित आकाशवाणी केन्द्र का विकास**

2129. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी योजना अवधि में दरभंगा स्थित आकाशवाणी केन्द्र के कार्यकरण में चहुंमुखी विकास करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) से (ग) आकाशवाणी का दरभंगा केन्द्र एक पूर्णरूपेण केन्द्र है और छठी "योजना" में केन्द्र के कार्यकरण में विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आपाती बिजली सप्लाई के स्रोत के रूप में एक डीजल जनरेटर की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

**बरौनी तेल शोधक कारखाने का शुरू किया जाना**

2130. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेलशोधक कारखाने को शुरू किए जाने तथा आसाम के नारेंकगी तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल निकालने से तत्कालिक लाभ क्या है ;

(ख) इससे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तेल आयात किस सीमा तक कम होगा ;

(ग) क्या बेहतर आधार पर अर्थ-व्यवस्था बरकरार रखे जाने को ध्यान में रखते हुए क्या पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की युक्तिसंगत सीमाओं के अन्तर्गत रखा जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) नरंगी पंपिंग स्टेशन में खनिज तेल का पम्प किया जाना बरौनी तथा बोंगाईगांव पुनः प्रारम्भ होने से शोधन-शालाओं में उत्पादन पुनः प्रारंभ हो गया है। इसके फलस्वरूप उत्पाद की अधिक उपलब्धता होने से न केवल क्षेत्र में मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी बल्कि उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

(ख) से (घ) यह अनुमान है कि बोंगाईगांव तथा बरौनी शोधनशालाओं में कार्यकलाप पुनः प्रारंभ होने से चालू वित्त वर्ष में अनुमानित लगभग 567000 मी० टन खनिज तेल को संशोधित किए जाने का अनुमान है। प्रयोग में लाए जा रहे इस खनिज तेल में तदनुरूपी उत्पादों का मूल्य अनुमानतः 125 करोड़ रुपए होगा।

**दूरदर्शन के कार्यक्रम सम्बन्धी कर्मचारियों की तैनाती पद्धति**

2131. **श्री राम अवध** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के कार्यक्रम सम्बन्धी कर्मचारियों की तैनाती-पद्धति के बारे में कर्मचारी निरीक्षण एकक के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) दूरदर्शन की युक्तिकरण और समीक्षा समिति द्वारा एस. आई. यू. के आधार पर की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसकी सिफारिशों की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके कब तक क्रियान्विति होने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) रिपोर्ट में सात मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों में कर्मचारी उपलब्ध करने के मानदण्ड हैं। कार्यक्रम संबंधी कर्मचारियों के लिए मानदण्ड कार्यक्रम वचनबद्धताओं तथा केन्द्र पर उपलब्ध स्टूडियो और तकनीकी सुविधाओं और अन्य सम्बन्धित प्रचालन बातों पर आधारित हैं । इन मानदण्डों के अनुसार, स्टाफ आर्टिस्टों सहित कार्यक्रम सम्बन्धी कर्मचारियों की लगभग 8.5% की कमी थी। मानदण्डों के अनुसार अतिरिक्त मंजूर कर दिए गए हैं।

(ख) समिति ने कर्मचारी निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों के संदर्भ में शुल्कमानों में संशोधन, स्टाफ आर्टिस्टों को सिविल कर्मचारियों में बदलने और दूरदर्शन केन्द्र के स्टाफ ढांचे के बारे में भी सिफारिशें की । इसने विभिन्न श्रेणियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करने, उनके पदनामों में कतिपय परिवर्तन करने और उनका स्थानीय, क्षेत्रीय और अखिल भारतीय संवर्ग में पुनर्वर्गीकरण करने का सुझाव दिया है और कतिपय श्रेणियों के लिए सलेक्शन ग्रेड देने और फिल्म सम्पादन और साउंड रिकार्डिंग के क्षेत्र में एक एक पर्यवेक्षण पद के सृजन की मंजूरी देने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) इन सिफारिशों की विस्तार से जांच की जानी थी । इन सिफारिशों को अब कमोवेश स्वीकार कर लिया गया है और इनको कार्यान्वित किया जा रहा है।

**दूरदर्शन के प्रशिक्षण एवं वर्कशाप के लिए विदेश भेजे गए प्रोग्राम अधिकारियों की संख्या एवं ब्यौरे**

2132. **श्री राम अवध :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दूरदर्शन द्वारा विदेशों में प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्तियों के बारे में 9 दिसम्बर 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3028 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के कितने प्रोग्राम कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रशिक्षणों एवं वर्कशापों के लिए भेजा गया ;

(ख) प्रोग्राम कर्मचारियों के लिए आने वाले वर्ष के लिए विभिन्न देशों में उपलब्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/छात्रवृत्तियों अथवा वर्कशापों की संख्या एवं ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों अथवा वर्कशापों का पिछले तीन वर्षों में लाभ नहीं उठाया जा सका तथा उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) 30 (स्टाफ आर्टिस्टों सहित) ।

(ख) अब तक केवल एक पेशकश एशिया पैसिफिक इन्स्टीच्यूट आफ ब्राडकास्टिंग डेवलैपमेंट, क्वालालाम्पुर से "जनसंख्या संचार" पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त हुई है ।

(ग) दो प्रशिक्षण पाठ्क्रमों/कार्यशालाओं की पेशकशों का उपयोग नहीं किया गया ; एक को उपयोगी नही समझा गया जबकि दूसरी का उपयोग प्रशासनिक कारणों से नहीं किया जा सका ।

**कम्पनियों का पंजीकरण**

2133. **श्री अशोक गहलौत** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1980 से दिसम्बर, 1980 के दौरान भारत सरकार द्वारा कितनी कंपनियां पंजीकृत की गई ;

(ख) इन कम्पनियों पर सम्भवत: कितना पूंजी-निवेश किया जाएगा ;

(ग) इन कम्पनियों में सम्भवत: कितने व्यक्ति नियुक्त किए जायेंगे ;

(घ) इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इन्हें कहां कहां स्थापित करने का विचार है ; और

(ड़) उन में किन किन मदो का उत्पादन होगा और उनकी वार्षिक क्षमता कितनी कितनी होगी ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) 1 मार्च से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, हिस्सों द्वारा सीमित 5213 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था ।

(ख) इन सभी कम्पनियों की कुल अधिकृत पूंजी 626.6 करोड़ रुपये राशि की थी, जो वर्तमान में, उस पूंजी की राशि की सीमा है, जो इन कम्पनियों में नियोजित की जा सकती है ।

(ग) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, इस प्रकार की कम्पनियों के लिये, उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें उनके द्वारा नियुक्त किए जाने की संभावना है, की बाबत सूचना, इस विभाग को भेजा जाना अपेक्षित नहीं है ?

(घ) तथा (ङ) नवीन रूप से विनियमित कम्पनियों के नाम व उनके पंजीकृत कार्यालयों के पते, तथा उनके उद्देश्यों का संक्षिप्त वितरण, उनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाली वस्तु की प्रकृति अथवा उनके व्यापार को सामान्य रेखा सहित, इस विभाग की मासिक पत्रिका "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" में प्रकाशित किए गए हैं, जिनकी प्रतियां, संसद भवन पुस्तकालय को नियमित रूप में भेजी जाती हैं।

इन कम्पनियों की वार्षिक उत्पादन (अधिष्ठापित) क्षमता की बाबत सूचना, उनके वार्षिक लेखाओं में वर्णित की जानी है। तथापि, प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट, नवीन रूप से पंजीकृत 5213 कम्पनियों के वार्षिक लेखे, कम्पनी अधिनियम के अनुसरण में, अभी प्रस्तुत करने के लिए परिपक्व नहीं हुए हैं।

**छठी योजनावधि के दौरान और अधिक गांवों का विद्युतीकरण**

2134. **श्री हरिहर सोरन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास छठी योजनावधि में कुछ अतिरिक्त गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में कितने गांवों को बिजली देने का विचार है ;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा ;

(घ) यदि हां, तो कौन से राज्यों में इस प्रकार की समिति गठित की गई है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) जी, हां।

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना के मसौदे में उड़ीसा राज्य में 13,179 गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की परिकल्पना है।

(ग) से (ङ) ग्राम विद्युतीकरण के लिए जिला स्तर को समन्वय समितियां बनाने का अनुरोध सभी राज्य सरकारों से किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने जिला स्तर की समन्वय समितियां बना ली है। इन समितियों के अध्यक्ष सामान्यतः जिला कलैक्टर/डिप्टी कमिश्नर होते हैं तथा लघु सिंचाई, जिला परिषद, सहकारिता विभाग, ग्रामीण उद्योग डिवीजन, वित्तीय संस्थानों आदि के प्रतिनिधित्व सहित विभिन्न एजेंसियों का प्रतिनिधित्व इन समितियों में होता है। असम, जम्मू

व कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड और उड़ीसा राज्यों ने जिला स्तर पर आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर तथा अन्य स्तर पर समन्वय समितियां बनाई हैं। हरियाणा और पंजाब ने सौ प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण कर लिया है अत: ये ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के समन्वय की आवश्यकता महसूस नहीं करते और उनका ध्यान पम्पसेटों के ऊर्जन पर सकेन्द्रित है। कर्नाटक राज्य, समन्वय समितियों की आवश्यकता महसूस नहीं करता।

**हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय का कलकत्ता स्थानान्तरण**

2135. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय के कलकत्ता स्थानान्तरण के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या उनको पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने साल्टे लेक सिटी दस एकड़ भूमि-दो एकड़ भूमि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के कार्यालय कम्पलैक्स के भवन के लिये तथा आठ एकड़ भूमि कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये देने की पेशकश की थी ;

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) और (ख) मार्च, 1979 में यह निर्णय किया गया था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन को कलकत्ता स्थानान्तरित किया जाय। निगम जब अपने मुख्यालय को कलकत्ता में उपयुक्त स्थल पर स्थानान्तरित करने की सोच रहा था तब पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यालय और कर्मचारियों के स्थान के लिए कुछ प्रस्ताव किया था। इसी बीच सरकार को स्थानान्तरण के खिलाफ कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनके निपटाये जाने तक निगम को सलाह दी गई कि वे इस सम्बन्ध में किसी तरह का कोई वित्तीय करार न करें।

**पश्चिम बंगाल में लकोहल पर आधारित उद्योगों की समस्याएं**

2136. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अलकोहल पर आधारित उद्योगों की समस्याओं के बारे में उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त मंत्रालय का पत्र मिला है ; और

यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री : (श्री प्रकाश चन्द सेठी) :** (क) जी हां। दिनांक 30.12. 1980 को सरकार को लिखे गये अपने पत्र में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा है कि :—

(i) सरकार द्वारा आवंटित अल्कोहल और शीरा को महाराष्ट्र और बिहार सरकारों ने जारी नहीं किया है,

(ii) उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्कोहल पर निर्यात पास शुल्क दो खण्डों में बढ़ा दिया है—

प्रति वल्क लिटर अल्कोहल रु० 0.25 से रु० 0.50 तक और रु० 0.5 से रु० 2 00 तक जिसमें पश्चिम बंगाल के अल्कोहल पर आधारित उद्योग की आर्थिक व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) सरकार शीरा और अल्कोहल के जारी किये जाने के प्रश्न के बारे में महाराष्ट्र और बिहार सरकारों से सक्रियता पूर्वक बात कर रही है। पास शुल्क में वृद्धि के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाये गए मुद्दे पर. उत्तर प्रदेश सरकार से भी विचार करने का अनुरोध किया गया है।

**कम्पनियों के वरिष्ठ प्रबन्धकों के रूप में विदेशियों की नियुक्ति**

2137. **श्री जगदीश टाईटलर : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा भारत में कई विदेशी कम्पनियो के प्रमुख अथवा वरिष्ठ प्रबन्धकों के रूप में विदेशियों की नियुक्ति को आसानी से स्वीकृति दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) तथा (ख) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायकें हैं, में प्रबन्धकीय या पूर्णकालिक निदेशकों के पदों पर प्रवासियों की नियुक्ति/पुर्नियुक्ति के लिए कम्पनी अधिनियम के उपवन्धों के अर्न्तगत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। तर्त्व धारा 269 की उपधारा (3) इस प्रकार के अनुमोदन के लिए मापदण्ड निर्धारित करती है।

नियुक्ति/पुर्नियुक्ति के प्रत्येक मामले में, प्रश्नाधीन व्यक्तियों की योग्यता एवं पृष्ठभूमि तथा सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय की अगर कोई उनकी सेवाओं के अनिवार्य पहलूओं पर राय के गुणदोष को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाता है। गहन नीति के रूप में जहां भारतीय अपेक्षित ज्ञान एवं अनुभव सहित उपलब्ध होते हैं तो, सरकार विदेशियों की नियुक्ति को मना करती है। तथापि, जहां कहीं यह अनुभव किया जाता है कि प्रवासी की नियुक्ति अनिवार्य है, तो प्रस्ताव का सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श पर अनुमोदित कर दिया जाता है।

इस शक्ति का प्रयोग, तथ्यों और प्रत्येक मामले के गुणदोष पर अनुचित जल्दबाजी के बगैर किया जाता है।

**सभी कोयलाखानों में सात दिन काम करने का कार्यक्रम**

2138. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी कोयला खानों में एक "सात दिवसीय" कार्यक्रम आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) उक्त कार्यक्रम सम्भवतः कब लागू किया जाएगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) कोयले का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकार इस सुझाव की जांच कर रही है कि कुछ खानों में प्रति सप्ताह काम की पालियों की संख्या बढ़ा दी जाए ।

**राष्ट्रीय पन विद्युत निगम द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण का विवरण**

2139. **श्री कमल नाथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में नए पन विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय पन विद्युत निगम द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण का स्वरूप और विवरण क्या है ; और

(ख) 1981 में किए जाने वाले प्रस्तावित सर्वेक्षण का विवरण क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम/उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं अन्वेषण तथा कार्यान्वयन के लिए ली जानी है :—

**हिमाचल प्रदेश**

1. कोल बांध जल विद्युत परियोजना
2. पार्वती जल विद्युत परियोजना
3. चामेरा जल विद्युत परियोजना

**मध्य प्रदेश**

1. कोनहान जल विद्युत स्कीम

**उत्तर प्रदेश**

1. पूर्वी रामगंगा जल विद्युत परियोजना

2. धौली गंगा जल विद्युत परियोजना

3. गौरी गंगा जल विद्युत परियोजना

4. टनकपुर जल विद्युत परियोजना

मिजोरम

कोलोडयने (तुइपुई)

घालेश्वरी (त्वालोंग)

चामेरा परियोजना के अन्वेषण के लिए स्वीकृति दी गई है तथा कार्य प्रगति पर है। अन्य स्कीमों के संबंध में, निवेश संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

**1980 के दौरान खोली गई नई कोयला खानों की संख्या**

2140. **श्री कमलनाथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के कलेण्डर वर्ष के दौरान खोली गई नई कोयला खानों की संख्या कितनी है और 1981 के कलेडर वर्ष के दौरान कितनी नई कोयला खानें खोलने का विचार है ;

(ख) नई कोयला खानों के खुलने से 1980 में कुल कितना रोजगार पैदा हुआ ; और

(ग) 1981 में कुल कितना रोजगार पैदा होने की सम्भावना है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**जम्मू एवं कश्मीर की दुल हस्ती पन-बिजली परियोजना**

2141. **श्री पी० नामग्याल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू एवं कश्मीर की दुल हस्ती पनबिजली परियोजना भारत सरकार द्वारा कब स्वीकृत की गई थी, इस परियोजना पर कार्य कब शुरू किया जाएगा और कब इस परियोजना के पूर्ण होने की संभावना है; और

(ख) इसमें अन्तर्विष्ट कुल लागत राशि कितनी है और इसके पूर्ण होने पर इसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 18 दिसम्बर, 1980 को हुई अपनी बैठक में दुल हस्ती जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी थी।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का औपचारिक अनुमोदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। इसी बीच, समस्त प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। परियोजना के लगभग 8 वर्ष में पूरा होने की आशा है। इसमें अवसंरचनाओं के निर्माण में लगे दो वर्ष शामिल हैं।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 182.17 करोड़ रुपए है पूरी हो जाने पर परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट होगी।

**पश्चिम बंगाल को डीजल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई**

2142. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के लिए डीजल तथा मिट्टी के तेल के कोटे में पर्याप्त कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल की विगत 6 महीनों में डीजल तथा मिट्टी के तेल का अलग-अलग कोटा और आबंटन क्या थे ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम बंगाल में अगस्त-दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) और मिट्टी के तेल के आबंटन और विक्रय के ब्यौरे तथा जनवरी से मार्च 1981 के महीनों के आवंटन भी निम्नलिखित रूप में है :—

(आंकड़े मोट्रिक टनों में)

| माह | हाई स्पीड डीजल तेल | | मिट्टी का तेल | |
|---|---|---|---|---|
| | आबंटन | बिक्री | आबंटन | बिक्री |
| अगस्त, 1980 | 55200 | 44817 | 34100 | 31981 |
| सितम्बर, 1980 | 55200 | 48476 | 34100 | 32702 |
| अक्तूबर, 1980 | 41100 | 43240 | 33300 | 34559 |
| नवम्बर, 1980 | 54000 | 48261 | 34830 | 33188 |
| दिसम्बर, 1980 | 57000 | 51505 | 34450 | 31873 |
| जनवरी, 1981 | 57000 | अनुपलब्ध | 34400 | अनुपलब्ध |
| फरवरी, 1981 | 57000 | अनुपलब्ध | 30500 | अनुपलब्ध |
| मार्च, 1981 | 66000 | माह समाप्त नहीं हुआ | 33100 | माह समाप्त नहीं हुआ |

(अनुपलब्ध—उपलब्ध नहीं के लिए है।)

**गुजरात तथा असम द्वारा अशोधित तेल पर रायल्टी की मांग**

2143. **श्री निरेन घोष :**
**श्री नरसिंह मकवाणा :**
**श्री संतोष मोहन देव :** क्या पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा असम सरकारों ने अशोधित तेल पर रायल्टी में वृद्धि की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सही-सही मांग की है ;

(ग) अशोधित तेल पर रायल्टी के भुगतान का हिसाब लगाने के लिए केन्द्र ने क्या पद्धति अपनाई है ;

(घ) क्या शोधित-पेट्रोलियम का मूल्य निर्धारित करने और जहां तक अशोधित तेल के निर्धारण, का सम्बन्ध है, रायल्टी का भुगतान निश्चित करने में दो भिन्न पद्धतियां अपनाई जा रही हैं ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(च) क्या गुजरात और असम की मांग पर शीघ्र विचार किया जाएगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) जी, हां ।

(ख) असम और गुजरात राज्य सरकारों द्वारा कच्चे तेल और केसिंग हैड कंडेनसेट पर रायल्टी की दर में संशोधन करने सम्बन्धी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं ।

सामान्य रूप से इससे सम्बन्धित मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) सभी प्रकार से तेल उत्पादक राज्यों के मालिकाना (स्वामित्व) अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित होने चाहिएं और उन्हें उपयुक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए ।

(2) रायल्टी को -1-1976 से संशोधित किया जाना चाहिए ।

(3) रायल्टी निर्धारित करते समय, खनिज तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, एफ०ओ०आर० भारतीय पत्तन को ध्यान में रखा जाये और मध्य-पूर्वी कच्चे तेल के भारित औसत मूल्य जिसमें 4% का बिक्री कर वा हर्जाना शामिल करके यथा मूल्य के 20% पर रायल्टी निर्धारित की जाये ।

(4) कच्चे तेल के अन्तरर्राष्ट्रीय मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के कारण रायल्टी में हानि को रोकने के लिए, इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान अर्थात् मूल्यों में वृद्धि का अनुच्छेद बनाना रायल्टी की राशि की अदायगी का त्रैमासिक पुनरीक्षण आदि किया जाये ।

(5) असम राज्य ने बताया है कि रायल्टी को 1 जनवरी 1980 से खनिज तेल पर प्रति मीट्रिक टन पर 315 रुपये की दर से निर्धारित की जानी चाहिए, और अगर कच्चे तेल के अन्तरर्राष्ट्रीय मूल्य 5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक तक घटते बढ़ते हैं तो इसका प्रत्येक तिमाही में संशोधन किया जाना चाहिए ।

(ग) रायल्टी देय है और कच्चे तेल पर रायल्टी की दर तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है । इस अधिनियम के खण्ड 6 (क) (4) के परन्तुक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार (क) किसी भी खनिज तेल के सम्बन्ध में रायल्टी की दर तेल क्षेत्र अथवा तेल कूप-शीर्ष जो भी हो, विक्रय मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक निर्धारित नहीं करेगी अथवा (ख) किसी भी खनिज तेल के सम्बन्ध में रायल्टी की दर को चार वर्षों की किसी भी अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ाएगी ।

रायल्टी की 42 रुपये प्रति मीट्रिक टन की वर्तमान दर कच्चे तेल के विक्रय मूल्य जो कि तटीय क्षेत्रों से उत्पादित स्वदेशी कच्चे तेल के लिए प्रति मीट्रिक टन करीब 300 रुपये निर्धारित की गई है, पर आधारित है ।

(घ) और (ङ) जी, हां । पेट्रोलियम उत्पाद मूल्य कच्चे तेल (स्वदेशी, तटीय, अपतटीय, और आयातित कच्चे तेल) के पूल्ड औसत मूल्य से जुड़े हुए हैं ताकि उपभोक्ताओं को स्वदेशी कच्चे तेल के कम दामों का पूरा लाभ सुनिश्चित किया जाए । जैसा कि प्रश्न के भाग (ग) के उत्तरमें बताया गया है कि कच्चे तेल पर रायल्टी का निर्धारण एक अधिनियम के अधीन किया जाता है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तेल मूल्य निर्धारण समिति की सिफारिश पर सरकार के अनुमोदन पर निर्धारित किए जाते हैं ।

(च) जी हां ।

**इदुक्की जिले में पुयानकुट्टी जल-विद्युत परियोजना**

2144. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के इदुक्की जिले में स्थित बेरियान से बेसिन में पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित चल रही जांच की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त परियोजना की परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इसे स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ङ) केरल राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि पुयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना (750 मेगावाट) पर अन्वेषण कार्य पूरे हो गए हैं। तथापि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की राज्य प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है।

**ऊर्जा वितरण में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए एक योजना तैयार किया जाना**

2145. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा वितरण में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है ;

(ग) क्या योजना से प्रत्येक राज्य सहमत हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वे राज्य कौन से हैं जो इस योजना से हहमत नहीं हुए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालम में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (घ) देश में प्रणाली हानियों को कम करने के साथ-साथ ऊर्जा वितरण में कुशलता प्राप्त करने के प्रश्न की ओर सरकार ध्यान दे रही है। राज्य बिजली बोर्ड, साधनों की मौजूदा सीमाओं के भीतर ही, प्रणाली सुधार स्कीमें हाथ में ले रहे हैं। तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं :—

(1) कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, प्रत्येक बिजली बोर्ड में एक विशेष संगठन बनाया जाए।

(2) वितरण आयोजना के लिए बिजली बोर्डों द्वारा पायलट प्रणाली अध्ययन आरम्भ किए जाएं तथा इन अध्ययनों में प्रारम्भिक वितरण तथा एल० टी० तार-जाल को ही नहीं अपितु सम्बद्ध उप-पारेषण तथा पारेषण प्रणालियों को भी शामिल करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं।

(3) हानियों को कम करने की स्कीमें तैयार करने के लिए बिजली बोर्डों में विशेष यूनिट गठित किए जायें।

(4) इन्डक्टिव मोटिव विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अपने-अपने टर्मीनलों में शन्ट केपेसिटरों की प्रतिष्ठापना करना अनिवार्य बनाने के लिए "सप्लाई" की शर्तों में संशोधन किए जायें।

(5) अधिक भार वाली लाइनों की सहायता के लिए नई पारेषण लाइनों तथा उप-केन्द्रों का उत्थान किया जाए। कन्डक्टरों को बदल कर उनके स्थान पर अधिक साइज वाले कन्डक्टर लगाए जाये। विद्यमान लाइनों में, उपकेन्द्रों के क्षेत्र पुनः निर्धारित किए जायें तथा वर्तमान निम्नवोल्टता प्रणालियों की पुनः व्यवस्था की जाये।

(6) वोल्टता की स्थितियों, विद्युत गुणांक में सुधार करने के लिए तथा पारेषण तथा उप-पारेषण लाइनों में भार करने के लिए विभिन्न (क) ग्रिडों तथा (ख) प्राथमिक वितरण उप केन्द्रों पर उच्च वोल्टता केपेसिटरों की प्रतिष्ठापना की जाये।

(7) ऊर्जा की चोरी का पता लगाने के लिए आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए बिजली बोर्डों/विभागों के इंजीनियरों तथा पुलिस निरीक्षक को शामिल करके सतर्कता दल गठित किए जायें।

प्रणाली में सुधार करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम राज्य बिजली बोर्डों को ऋण दे रहा है। इस श्रेणी के अन्तर्गत, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मार्च, 79 तक 66.03 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता की 110 स्कीमें स्वीकृत की गई थीं। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त-पोषित की जाने वाली चालू प्रणाली सुधार स्कीमों के लिए वर्ष 1980-81 के लिए 17.5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।

**कलकत्ता में हुआ पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन**

2146. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हाल ही में पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री ने भी भाग लिया; और

(ग) यदि हां, तो उसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) पूर्वी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन 8.2.1981 को कलकत्ता में हुआ था।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था :—

(एक) प्रत्येक राज्य तथा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति ।

(दो) क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करने की दिशा में हुई प्रगति ।

(तीन) विद्युत कटौतियां तथा इसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किए गए प्रयास ।

(चार) ग्राम विद्युतीकरण ।

(पांच) विद्युत पर राजाध्यन समिति की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं ।

(छः) इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा का गठन ।

**पालना तापीय बिजलीघर के निर्माण-कार्य के लिए वित्तीय मंजूरी**

2147. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालना तापीय बिजलीघर के निर्माण-कार्य के लिए वित्तीय मंजूरी दी गई है और इस बिजलीघर की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(ख) उपरोक्त बिजलीघर का निर्माण-कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ; और

(ग) उपरोक्त बिजलीघर के निर्माण-कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी और यह निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और बिजलीघर कार्य करना शुरू कर देगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) बीकानेर जिले में पालना में, लिग्नाइट पर आधारित 60-60 मेगावाट की दो यूनिटों वाले ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना के लिए स्कीम का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन कर लिया गया है तथा इस पर निवेश संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है । परियोजना पर 6738 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है । इस परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पालना विद्युत परियोजना और पालना खनन परियोजना को एक साथ ही स्वीकृति की सिफारिस की है ताकि अपेक्षित समय-अवधि में लिग्नाइट की उपलब्धता सुनिश्चित हो । लिग्नाइट खनन परियोजना के लिए राज्य सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान किसी वित्तीय प्रावधान के लिए प्रस्ताव नहीं किया है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कीम पर निवेश निर्णय इस समय स्थगित रखा गया है ।

**राजस्थान में पेट्रोल पम्पों की स्थापना**

2148. **श्री बृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले का क्षेत्र 16,000 वर्गमील है फिर भी उपर्युक्त जिले में अब तक केवल जैसलमेर तथा पोखरन में ही पैट्रोल पम्प स्थापित किए गए है ; और

(ख) क्या इस तरह के विस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, चांदना, फलूसद, रामगढ़, साम, नाचना गांवों तथा उपर्युक्त जिले के उन अन्य दूसरे स्थानों पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने का मंत्रालय का विचार है, जिन्हें मंत्रालय अपेक्षित शर्तों, नियमों में ढिलाई करने के उपरान्त, क्षेत्र के ग्रामीण लोगों की मांग पूरी करने के लिए पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए उचित समझता हो और यदि हां, तो कब तक ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड खुदरा बिक्री केन्द्र (रिटेल आउटलेट) कम लागत के बिक्री केन्द्र (लो कास्ट आउटलेट) खोलने की संभाव्यता के मूल्यांकन के लिए तथा जहां आवश्यक है और आगे कार्यवाही करने के लिए इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करा रहा है।

**राजस्थान को डीजल का आवंटन**

2149. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 के महीनों के दौरान राजस्थान को डीजल की कितनी मात्रा आवंटित की गई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन महीनों के दौरान राजस्थान को डीजल की कितनी मात्रा आबंटित की गई थी ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को डीजल आबंटित करने के क्या मानदण्ड अपनाए हुए हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि सूखे से प्रभावित राज्यों में रबी फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए डीजल का कोटा बढ़ा दिया गया है और यदि हाँ, तो राजस्थान के लिए, जहां निरन्तर तीन वर्षों से सूखे की हालत बनी हुई है, डीजल के कोटे में कैसे और कितनी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) राजस्थान को जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान आवंटित हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) तेल के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े मी० टनों में)

| मास का नाम | आवंटित मात्रा |
|---|---|
| जनवरी, 1980 | 32300 |
| फरवरी, 1980 | 36770 |
| मार्च, 1980 | 40000 |
| अप्रैल, 1980 | 39000 |
| मई, 1980 | 39000 |
| जून, 1980 | 42000 |
| जुलाई, 1980 | 42000 |
| अगस्त, 1980 | 36800 |
| सितम्बर, 1980 | 44100 |
| अक्तूबर, 1980 | 39853 |
| नवम्बर, 198० | 42600 |
| दिसम्बर, 1980 | 443000 |
| जनवरी, 1981 | 46300 |

(ख) हाई स्पीड डीजल तेल के मासिक आवंटन की प्रणाली केवल अक्तूबर, 1979 से आरम्भ की गई थी और राजस्थान को अक्तूबर, 79 से दिसम्बर, 79 तक हाई स्पीड डीजल की नीचे दी गई मात्राएं आवंटित की गई थीं।

(आंकड़े मी० टनों में)

| मास का नाम | आवंटित मात्रा |
|---|---|
| अक्तूबर, 1979 | 41377 |
| नवम्बर, 1979 | 41648 |
| दिसम्बर, 1979 | 41421 |

(ग) हाल ही के महीनों में, सभी राज्यों को एच०एस०डी० का आवंटन सामान्यतः उनको पिछले वर्ष के इसी मास में किए गए मूल आवंटन से 5%की वृद्धि के आधार पर किया गया है। राजस्थान की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन आवंटनों के अलावा तदर्थ-वृद्धियां की गयी हैं।

(घ) जी, हां। अक्तूबर, 80 और फरवरी, 1981 के बीच, राजस्थान को एच०एस०डी० का आवंटन मुख्यतः वहां पर बिजली की कमी और सूखे की समस्याओं को ध्यान में रखकर बढ़ाया गया था। इन महीनों के दौरान राज्य को किए गए हाई स्पीड डीजल के अतिरिक्त आवंटन सम्बन्धी ब्यौरे निम्नप्रकार हैं।

(आंकड़े मी० टनों० में)

| मास | अतिरिक्त आवंटन |
|---|---|
| अक्तूबर, 80 | 1,653 |
| नवम्बर, 80 | 2,000 |
| दिसम्बर, 80 | 4,500 |
| जनवरी, 81 | 4,000 |
| फरवरी, 81 | 9,500 |

**राज्यों की मिट्टी के तेल और डीजल की मांग और उसकी पूर्ति**

2150. **श्री वृद्धि चन्द जैन :** पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 से डीजल और मिट्टी के तेल की राज्यवार मासिक मांग कितनी-कितनी है ;

(ख) हमारे देश में मिट्टी के तेल और डीजल की कुल मासिक कमी कितनी है ; और

(ग) इस संकट से उबरने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) राज्यवार हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) और मिट्टी के तेल की मासिक मांग बताना सम्भव नहीं है। तथापि, जनवरी, 1981 के लिए इन उत्पादों का राज्यवार बिक्री और फरवरी, 1981 के लिए आवटन सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण.पत्र में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) देश की शोधनशालाओं में मिट्टी के तेल और एच०एस०डी० के वास्तविक उत्पादन और खपत में अंतर को इन उत्पादों के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। 1980-81 के दौरान, मिट्टी के तेल के करीब 2.40 मि० मी० टन के घरेलू उत्पादन को करीब 2.2 मि० मी० टन आयात करके पूरा किया जा रहा है। 1980-81 के दौरान एच०एस०डी० का 3.9 मि० मी० टन आयात किया जयेगा।

विवरण

(आंकड़े मी० टनों में)

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | एच०एस०डी० | | मिट्टी का तेल | |
|---|---|---|---|---|
| | जन., 1981 (बिक्री) अस्थाई | फर., 1981 (आवंटन) | जनवरी, 1981 (बिक्री) अस्थाई | फरवरी, 198 (आवंटन) |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 62152 | 67300 | 29467 | 27900 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 505 | 800 | 344 | 200 |
| 3. अण्डमान और निकोबार | अनुपलब्ध | 900 | अनुपलब्ध | 100 |
| 4. असम | 15189 | 12300 | 8473 | 7100 |
| 5. बिहार | 38177 | 38300 | 18498 | 19000 |
| 6. चण्डी गढ़ | 1539 | 1500 | 818 | 700 |
| 7. दादरा एंड नागर हवेली | अनुपलब्ध | 400 | अनुपलब्ध | 50 |
| 8. दिल्ली | 31386 | 29300 | 11856 | 12400 |
| 9. गुजरात | 57711 | 64000 | 38905 | 32300 |
| 10. गोवा, दमन और दिव | 5488 | 8500 | 1176 | 1500 |
| 11. हरियाणा | 24203 | 20400 | 6757 | 5300 |
| 12. हिमाचल प्रदेश | 3546 | 3300 | 1475 | 1700 |
| 13. जम्मू और कश्मीर | 5205 | 5600 | 2813 | 2300 |
| 14. कर्नाटक | 45627 | 45100 | 21434 | 40200 |
| 15. केरल | 31314 | 28000 | 11483 | 11600 |
| 16. मध्य प्रदेश | 39520 | 37200 | 17259 | 16900 |
| 17. महाराष्ट्र | 105903 | 105200 | 71282 | 72000 |
| 18. मणिपुर | 780 | 1700 | 751 | 700 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 19. मेघालय | 1260 | 1100 | 285 | 300 |
| 20. मिजोरम | 303 | 600 | 178 | 200 |
| 21. नागालैण्ड | 718 | 600 | 419 | 400 |
| 23. उड़ीसा | 13851 | 14000 | 6467 | 6800 |
| 23. पंजाब | 42550 | 43600 | 12605 | 10100 |
| 24. पांडिचेरी | 830 | 1800 | 551 | 700 |
| 25. राजस्थान | 40966 | 45500 | 11697 | 10700 |
| 26. सिक्किम | 370 | 300 | 454 | 300 |
| 27. तमिल नाडु | 83262 | 76000 | 32045 | 30290 |
| 28. त्रिपुरा | 918 | 1000 | 670 | 800 |
| 29. उत्तर प्रदेश | 92264 | 80500 | 33647 | 30700 |
| 30. पश्चिम बंगाल | अनुपलब्ध | 57000 | अनुपलब्ध | 30500 |
| 31. लक्षद्वीप | अनुपलब्ध | 100 | अनुपलब्ध | 50 |
| कुल योग | 745,537 | 791,900 | 341,827 | 353,700 |

**तेल कम्पनियों द्वारा पट्टे पर लिए गए रिहाईशी मकान**

2151. **श्री के० राममूर्ति : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक तेल कम्पनी ने कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई मद्रास में कुल कितने रिहायशी मकान पट्टे पर लिए;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा पट्टे की अवधि में एक तरफा वृद्धि की जा रही है;

(ग) सरकारी क्षेत्र की इन तेल कम्पनियों द्वारा उपरोक्त चार महानगरों में पट्टे पर लिए गए भूखण्डों पर कितने पेट्रोल पम्प स्थापित किए गए हैं और उपरोक्त पट्टों की अवधि समाप्त होने पर भी इन कम्पनियों ने उक्त भूखण्डों को खाली करने हेतु कदम नहीं उठाये हैं ; और

(घ) इन रिहायशी मकानों तथा भूखण्डों के जिन पर पेट्रोल पम्प स्थित हैं मालिकों ने इन तेल कम्पनियों पर अदालतों में कितने मुकदमें दायर कर रखें हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री ( श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) चार सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन तेल कम्पनियों अर्थात इंडियन आयल कारपोरेशन (आई०ओ०सी०), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (एच०पी०सी०), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बी०पी०सी०) और इंडो-वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी (आई०बी०पी०) द्वारा चार महानगरों में निजी रिहायशी मकान पट्टे पर लिए गए हैं जो निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| आई० ओ० सी० | 283 |
| एच० पी० सी० | 139 |
| बी० पी० सी० | 107 |
| आई० बी० पी० | 29 |

(ख) यह सच नहीं है कि पट्टे की अवधि एक तरफी बढ़ाई जा रही है। पट्टों का नवीकरण बात-चीत करके तथा जहां आवश्यक समझा जाए किराये को बढ़ाकर होता है। इसके अतिरिक्त जहां कहीं आवश्यक हो, रिहायशी कब्जा स्थानीय काश्तकार कानून के अधीन और विदेशी तेल कम्पनियों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिग्रहण अधिनियमों के अधीन तेल कम्पनियों के अधिकारों का प्रयोग करके जारी रखा जाता है। कई मामले भी हैं जहां पट्टे की अवधि के समाप्त हो जाने पर तेल कंपनियों ने मकान वापिस कर दिये हैं ।

(ग) 773 फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र हैं जो पट्टे पर लिए गए स्थानों जिसमें सरकारी प्राधिकरण से लिए गए स्थान शामिल हैं, पर स्थित हैं। 153 मामलों में पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है।

(घ) तेल कम्पनियों के विरुद्ध विभिन्न अदालतों में दायर मामले, फुटकर बिक्री केन्द्रों के सम्बन्ध में 30 और रिहायशी मकानों के सम्बन्ध में 55 है।

**कच्छ की खाड़ी में समुद्री-ज्वार विद्युत केन्द्र की स्थापना**

2152. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्छ की खाड़ी में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से समुद्री-ज्वार विद्युत केन्द्र की स्थापना सम्बन्धी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए 2.18 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस समुद्र ताप विद्युत परिवर्तन योजना को शुरू न करने के क्या कारण हैं, जो तमिलनाडु की सरकार द्वारा तैयार की गई है और जिसके लिए अमरीकी विशेषज्ञों ने सम्भावना का पता लगाने का वचन दिया है।

(ग) क्या देश में सभी ताप विद्युत केन्द्रों की निगरानी रखने के लिए किसी केन्द्रीय निगरानी एजेंसी की स्थापना की गई है; और

(घ) देश में विद्युत केन्द्रों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) ज्वारीय लहरों से ऊर्जा का उत्पादन करने की व्यवहार्यता सुनिश्चत करने के लिए सरकार ने गुजरात में कच्छ की खाड़ी में अन्वेषण तथा अध्ययन हाथ में लेने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसकी अनुमानित लागत 2-18 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में विदेशी तकनीकी सहायता के समुपयोजन की परिकल्पना है। चूंकि विद्युत विकास के क्षेत्र में सहयोगी प्रयास करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा इलैक्ट्रिक दा फ्रांस (ई०डी०एफ०), पेरिस के बीच एक समझौता है, इसलिए प्रस्तावित अन्वेषणों की आयोजना में सहायता हेतु फ्रांस के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(ख) चूंकि समुद्री ताप विद्युत परिवर्तन तकनीक के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास अभी बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में है तथा अभी तक एक मेगावाट का ओ०टी०ई०सी० संयंत्र भी न तो विश्व में प्रचालन में है और न कहीं भी इसका निर्माण हुआ है, इसलिए 25 मेगावाट के ओ०टी० ई० सी० संयंत्र का प्रारम्भिक डिजाइन तैयार करने का अमरीकी विशेषज्ञों का प्रस्ताव इस अवस्था में उपयुक्त नहीं पाया गया; विशेषकर इसलिए कि इससे विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाएगी।

(ग) और (घ) यद्यपि विद्युत आयोजना सम्बन्धी कार्य केन्द्र सरकार के पास है किन्तु विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन, उनका प्रचालन तथा अनुभाग आदि मुख्य रूप से राज्य सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों के पास है। ऊर्जा के क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों की महत्ता का ध्यान रखते हुए, ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन पर नजर रखने तथा इसकी समीक्षा करने के लिए तथा ताप विद्युत केन्द्रों के समुचित प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित उपचारात्मक कार्यवाही करने की सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक प्रचालन और मानीटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। नई ताप विद्युत परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक मानीटरिंग सैल का गठन किया गया है। संयंत्र और उपस्कर समय पर उपलब्ध कराने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा परियोजना प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर विभिन्न बैठकों में की जाती है जहां पर विभिन्न निवेषों तथा उनकी उपलब्धता की बारीकी से मूल्यांकन किया जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। ऊर्जा मन्त्रालय भी परियोजनाओं के निर्माण में हुई प्रगति की तथा उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा समय-समय पर करता है और सामग्री और उपस्कर की आवश्यकताओं को पूरा कराने में जरूरी सहायता देता है ताकि समय सूची से पिछड़ने की स्थितियां न्यूनतम रहें। विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए तथा नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मानीटर करने के लिए विद्युत मंत्रियों के कई सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा तेल का समन्वेषण

2153. श्री वी० डी० सिंह :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तेल के समन्वेषण के लिए कुछ विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से सम्बन्धित एक अलग निदेशालय बनाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यदि कोई निर्णय किया गया है तो क्या : और

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को देश में तेल समन्वेषण कार्य से अलग करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्रसेठी) : (क) जी, हां । सरकार द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों में तेल अन्वेषणात्मक ठेके देने के लिए चुनी हुई विदेशी तेल कम्पनियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है ।

(ख) और (ग) देश में हाइड्रोकार्बन्स के उत्पादन और खोज के सम्बन्ध में विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और उनकी देख रेख करने के लिए एक उपयुक्त संगठन की स्थापना पर विचार किया जा रहा है । परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(घ) जी, नहीं । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को देश में तेल के अन्वेषण कार्य से बंचित नहीं किया जा रहा है । इसके बजाय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अपने प्रयासों को अधिकतम करने के लिए हर सम्भव सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

बिजली उत्पादन की प्रति यूनिट लागत

2154. श्री गुफरान आजम : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पनबिजली, तापीय ज्वारीय हवा, भू तापीय और परमाणु ऊर्जा की प्रति यूनिट (मेगावाट) उत्पादन लागत कितनी है ;

(ख) प्रति वर्ष देश को कुल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है ;

(ग) प्रति वर्ष इसका कुल उत्पादन कितना है ;

(घ) उद्योगों द्वारा कुल कितनी खपत की जानी है और उनके मंत्रालय द्वारा कितनी सप्लाई की गई है ; और

(ङ) आगामी वर्ष के दौरान मांग और पूर्ति का अन्तर पूरा करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) उत्पादन की समग्र लागत, प्रणाली में जल विद्युत तथा ताप विद्युत के अनुपात पर तथा प्रत्येक परियोजनाओं की पूंजीगत लागत पर भी तथा ताप विद्युत केन्द्रों आदि के मामले में ईंधन की लागत पर निर्भर करती है। विभिन्न साधनों से विद्युत उत्पादन की वर्तमान औसत लागत नीचे दिखाई गई है :—

1. ताप विद्युत — 25 से 35 पैसे/यूनिट

2. जल विद्युत—12 से 15 पैसे/यूनिट

3. डीजल—लगभग 100 पैसे/यूनिट

4. न्यूक्लीय —पहले ही चालू की गई यूनिटों तारापुर तथा राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र-1) के लिए 16 से 17 पैसे/यूनिट और नई परियोजनाओं के लिए 30 से 35 पैसे/यूनिट।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 127325 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान 113000 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन प्रत्याशित है।

(घ) 1979-80 के दौरान कुल ऊर्जा की लगभग 60 प्रतिशत ऊर्जा उद्योगों को सप्लाई की गई थी।

(ङ) प्रणाली में विद्युत उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अल्पकालीन तथा दीर्घ कालीन कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

1. छुट्टियों के दिनों को अलग-अलग करके, दिन के भारों को रात्रि में शिफ्ट करके आदि द्वारा विद्युत की भार मांग की बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था करना।

2. प्रणाली में नई उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि करना। 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। परियोजनाओं का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम की विस्तृत मानीटरिंग की जा रही है।

3. विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, यथा समयबद्ध अवधि संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेना, फुटकर पुर्जों की सप्लाई का प्रबन्ध करना, ताप विद्युत केन्द्रों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करना ।

4. जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना ।

**अशोधित तेल का साफ किया जाना**

2155. **श्री गुफरान आजम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम देश में जितना अशोधित तेल उत्पादित करते हैं वह पूर्णतया देश में ही शोधित किया जाता है अथवा विदेशी सहायता की भी आवश्यकता होती है ;

(ख) इन तेल शोधिक कारखानों के नाम क्या है और कार पेट्रोल तथा डीजल (प्रति 200 लीटर) शोधित करने पर होने वाले व्यय सहित उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विमानों के लिए हाई स्पीड ईंधन (फ्यूल) भी भारत में शोधित किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो प्रति 200 लीटर पर कितनी लागत आती है ; और

(ङ) हाई स्पीड ईंधन की हमारी आवश्यकताओं के लिए कुल सप्लाई का ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) देश में उत्पादित समस्त अशोधित तेल का परिशोधन देश में ही किया जाता है ।

(ख) और (घ) शोधनशालाओं के नाम, उनकी स्थापित क्षमता तथा उसके साथ वर्ष 1979-80 के दौरान का उनका क्रूड थ्रूपुट नीचे दिया गया है :-

| शोधनशाला का नाम | स्थापित क्षमता | 1979-80 के दौरान क्रूड थ्रूपुट |
|---|---|---|
| एच पी सी एल (बम्बई) | 3.50 | 3.13 |
| बी पी सी एल (बम्बई) | 5.25 | 4.82 |
| एच पी सी एल (विजाग) | 1.50 | 1.10 |

| | | |
|---|---|---|
| सी आर एल | 3.30 | 2.87 |
| एम आर एल | 2.80 | 2.82 |
| कोयाली | 7.30 | 6.71 |
| हाल्देया | 2.50 | 2.49 |
| बरौनी | 3.30 | 2.29 |
| गोहाटी | 0.85 | 0.64 |
| दिग्बोई | 0.50 | 0.41 |
| बोंगाईगांव | 1.00 | 0.19 |

समस्त शोधनशालाओं के लिए परिशोधन लागतों और लाभों पर होने वाले औसत व्यय को शामिल करके दिल्ली में विभिन्न लागत घटकों के अन्तर्गत एम० एस०, एच० एस० डी० और ए० टी० एफ० (200 लिटरों के) के खुदरा विक्रय मूल्य के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जेट इंजिन वायुयान की विपुल आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से हमारी शोधनशालाओं द्वारा उत्पादित ए० टी० एफ० से पूरा किया जाता है । पिस्टन इंजिन वायुयान के लिए ए० वी० गैस की आवश्यक कम मात्राओं को आयात द्वारा पूरा किया जाता है ।

(ङ) वर्ष 1979-80 के दौरान ए० टी० एफ० और एविरशन गेसोलीन की क्रमश: 1.1 मिलियन मीट्रिक टन और 19,000 मीट्रिक टन की कुल आवश्यकताएं थीं ।

———

विवरण

| | एम एस | | एच एस डी ओ | | ए टी एफ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रुपये/कि० लि० | रुपये/200 लि० | रु०/कि० लि० | रु०/200 लि० | रु०/कि० लि० | रु०/200 लि० |
| 1. अधिशुल्कों सहित खनिज तेल | 2591.64 | 518.33 | 1929.58 | 385.92 | 3110.71 | 622.14 |
| 2. परिशोधन लागत और गुंजाइश | 38.60 | 7.72 | 40.72 | 8.14 | 43.30 | 8.66 |
| 3. विपणन लागत और गुंजाइश | 62.27 | 12.45 | 29.25 | 5.85 | 58.76 | 11.75 |
| 4. एस० टी०/चुंगी सहित कर | 2571.90 | 514.38 | 507.95 | 101.59 | 608.05 | 121.61 |
| 5. आर० पी० ओ० शुल्कों तथा अधिशुल्कों सहित रेल भाड़ा | 182.46 | 36.49 | 141.06 | 28 21 | 146.33 | 29.27 |
| 6. फुटकर विक्रेता की गुंजाइश | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 4.00 | — | — |
| 7 कुल योग | 5496.77 | 1099.17 | 2668.56 | 533.71 | 3967.15 | 793.43 |

**औद्योगिक प्राथमिकताओं के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को आघात**

2156 **श्री गुफरान आजम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्राथमिकताओं के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को आघात पहुंचा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो निकट भविष्य में मध्य प्रदेश के ग्रामीण जिलों (जिनमें बेतुल डिवीजन भी शामिल है) के विद्युतीकरण के लिए उनके मंत्रालय का क्या कार्यक्रम है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई ताजा प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जनवरी, 1981 के अन्त तक 2200 गांव (बैतूल जिले के 30 गांवों सहित) विद्युतीकृत किए जा चुके हैं ।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में (बेतुल जिले के 30 गांवों सहित) 3000 गांवों को वर्ष 1980-81 के दौरान विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम तैयार किया है ।

**मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड में कुप्रबंध**

2157. **श्री गुफरान आजम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के कुप्रबंध अथवा पिछले वर्ष कदाचार अथवा अन्य कारणों से पीड़ित है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में विद्युत वितरण की प्रगति में रुकावटों को दूर करने का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्ड का कार्य-निष्पादन विद्युत संयंत्रों के समुचित अनुरक्षण तथा प्रचालन, बोर्ड के सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध तथा संगठनात्मक ढ़ाँचे आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है । मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के कुप्रबंध के बारे में केन्द्र सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । वास्तव में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड लाभ कमा रहा है और सरकार से प्राप्त हुई आर्थिक सहायता को लेखे में लेने के बाद 31-3-79 की स्थिति के अनुसार बोर्ड का संचित लाभ लगभग 1458 लाख रुपये है । राज्य बिजली बोर्ड राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में है तथा कदाचार तथा कुप्रबंध के मामलों में वही उचित कार्रवाही करेंगी ।

**उड़ीसा में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना**

2158. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान उड़ीसा में कौन से दूरदर्शन स्थापित करने का विचार है ;

(ख) वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल किया गया क्षेत्र कितना है ; और

(ग) इसका विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) छठी "योजना" अवधि के दौरान कटक में दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस समय काम कर रहे सम्बलपुर प्रेषण केन्द्र की सेवा परिधि 40 किलोमीटर है जिसके अन्तर्गत 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है ।

(ग) कटक के प्रेषण केन्द्र के चालू हो जाने पर सेवा क्षेत्र बढ़कर 18,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा । "इनसेट-1" का उपयोग करके देश में दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । इस स्कीम के अन्तर्गत उड़ीसा के कुछ जिलों के कवर होने की संभावना है । तथापि, "इनसेट" के माध्यम से क्षेत्रों का कवर होना स्कीम की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

**मिट्टी के तेल में अन्य पैट्रोलियम उत्पादों की मिलावट**

2159. **श्री के० पी० सिंह देव :**

**श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिट्टी के तेल में मिलावट की जा रही है और इसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के साथ मिलाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मिलावट को रोकने के लिए कदम उठाए हैं ; और

(ग) क्या मिलावट में डीजल और हाई स्पीड डीजल के मूल्यों का अन्तर योगदान दे रहा है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) हाई स्पीड डीजल (एच. एस. डी.) और मिट्टी के तेल के बिक्रय मूल्यों में अन्तर होने के कारण, एच. एस. डी. में मिट्टी के तेल की मिलावट की संभावना के नकारा नहीं जा सकता है ।

(ख) तेल कम्पनियों ने अपने डीजल पम्पों के कार्य संचालन पर निगरानी तेज कर दी है । राज्य सरकारों आदि का ध्यान मिट्टी के तेल की डीजल में मिलावट की ओर दिलाया गया

है और उनसे अनुरोध किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई की गई समस्त उत्पाद की मात्रा उपभोक्ताओं के पास पहुंचती है जिनके लिए भेजी गई थी वहां मिट्टी के तेल की डिलीवरी और उसके विक्रय की बारीकी से जांच करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करें। तेल कंपनियों से यह भी कहा गया है कि वे राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करें और उनको एच. एस. डी. में मिट्टी के तेल की प्रतिस्थापना और मिलावट रोकने में हर संभव सहायता प्रदान करें। हाई स्पीड डीजल तेल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए, मिट्टी के तेल को रंगने का एक प्रस्ताव इंडियन आयल कारपोरेशन के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से पहले इस प्रस्ताव से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की विस्तृत रूप से जांच करना आवश्यक होगा।

(ग) भाग (क) के उत्तर में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

**डीजल जनरेटरों के लिए लद्दाख की मांग**

2160. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख में डीजल जेनरेटरों की मांग को लेकर बहुत तनाव उत्पन्न हुआ है और अभी भी तनाव है क्योंकि लद्दाख के एक बड़े हिस्से में अन्धेरा रहता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस क्षेत्र को कुछ जेनरेटरों की सप्लाई करना वांछनीय समझा है जिससे कि वहां उत्पन्न तनाव को दूर किया जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस मसले को किस तरह हल करने का है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**सौफट कोक का भंडार बनाने की योजना का शुरू न होना**

2161. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भण्डार केन्द्रों तक कोयला ले जाने के लिए रेल वैगनों की अनुपलब्धता के कारण सौफट कोक का भण्डार बनाने की योजना शुरू नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग छः मास पूर्व इस बात का निर्णय कर लिया गया था कि पूर्वीक्षेत्र में कोयले की उपलब्धता आसान बनाने के लिए कोयला विभाग ने सौफट कोक के भण्डार खोलने का निर्णय किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कोयले की ढुलाई का, यदि कोई कार्यक्रम है तो इसका ब्यौरा क्या है तथा यह ढुलाई किन किन राज्यों को की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कुछ राज्यों में साफ्ट कोक के टाल खोलने का निर्णय 1980 में लिया गया था अभी हाल ही में इन कोयला टालों को कोयला पहुचाने के लिए कुछ रेक आवंटित की गई हैं और आशा है कि इन कोयला टालों में शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा । कलकत्ता-हावड़ा क्षेत्र में कोयले के पांच टाल चल रहे हैं ।

**कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रेलवे से मांगे गये वैगनों की संख्या**

2162. **श्री जैनुल बशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक के बीच कोल इन्डिया लिमिटेड द्वारा मांगे गए कोयला-वैगनों की संख्या कितनी है ;

(ख) रेलवे द्वारा सप्लाई किए गए वैगनों की संख्या कितनी है ;

(ग) रेलवे द्वारा मांग के अनुसार वैगनों की सप्लाई न करने के लिए क्या कारण दिये गये हैं ; और

(घ) महीने-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिनांक पहली जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक कोल इंडिया लिमिटेड ने 134277 वैगनों की मांग की और लदान 93,098 वैगनों का हुआ ।

(ग) से (घ) रेलवे के अनुसार कोयले के लदान के लिए वैगनों की सप्लाई में कमी उन विभिन्न कारणों से हुई जो रेल वैगनों के आने जाने के चक्करों को प्रभावित करते हैं। कोलियरियां भी सप्लाई किए गए वैगनों में से औसतन 104 वैगन प्रति दिन का लदान निर्धारित समय में नहीं कर सकी और इस कारण भी और वैगनों की सप्लाई प्रभावित हुई ।

**आंध्र प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र**

2163. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले दूरदर्शन केन्द्र का प्रसारण-क्षेत्र कितना होगा ;

(ख) वर्तमान केन्द्र द्वारा कितने क्षेत्र में प्रसारण पहुंचाये जाते हैं ; और

(ग) उसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) छठी "योजना" अवधि के दौरान विजयवाड़ा में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। चालू हो जाने पर यह रिले केन्द्र 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करेगा।

(ख) हैदराबाद का वर्तमान दूरदर्शन ट्रांसमीटर 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है।

(ग) विजयवाड़ा के रिले केन्द्र के चालू हो जाने पर क्षेत्र बढ़कर 36,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। "इनसेट-1" का उपयोग करके देश में दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों के कवर होने की संभावना है। तथापि, "इनसेट" के माध्यम से क्षेत्रों का कवर होना स्कीम की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

**दूरदर्शन प्रसारणों की परिधि**

2164. **श्री पी.के. कोडियन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के प्रसारण देश की मुख्य 15 प्रतिशत जनसंख्या और देश के कुल छः प्रतिशत भाग में पहुंचते हैं ;

(ख) यदि हां, तो अगले दस वर्षों के दौरान दूरदर्शन प्रसारणों की परिधि को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) दूरदर्शन कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम. जोशी)** : (क) जी, हां।

(ख) छठी 'योजना' (1980-85) के अनुमोदित प्रस्तावों में अहमदाबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम और गोहाटी में पूर्ण रूपेण दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना तथा पणजी, आसनसोल, मदुरै, कोडैकनाल, मुर्शिदाबाद, वाराणसी, विजयवाड़ा, कटक और कसौली में रिले ट्रांसमीटरों की स्थापना शामिल है। इन परियोजनाओं के चालू होने पर दूरदर्शन सेवा क्षेत्र पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा।

'इनसेट-1' का उपयोग करके दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार करने की एक योजना भी तैयार की जा रही है। तथापि, इसका कार्यान्वयन स्कीम की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(ग) दूरदर्शन के कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने के लिए दूरदर्शन द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए अनेक त्वरित उपाय किए गए हैं जिनकी मुख्य बातें इस प्रकार है :—

1. दर्शक अनुसंधान से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, दूरदर्शन केन्द्रों की नियत बिन्दु कार्यक्रम सूची में संशोधन किया गया है ताकि कार्यक्रमों को और रोचक बनाया जा सके तथा विभिन्न वर्गों के दर्शकों की रुचियों को पूरा किया जा सके।

2. समाचार और सामयिक मामलों के कार्यक्रमों को स्वरूप में और अधिक दार्ष्टिक तथा सामयिक बनाकर उनको नया रूप दिया गया है।

3. योजनागत कार्यक्रमों के अन्तर्गत, बाहरी निर्माताओं को टी. वी. डाकुमेंट्री फिल्में बनाने के लिए आमन्त्रित किया जा रहा है। दूरदर्शन के सभी प्रमुख केन्द्रों ने इस प्रकार की संविदाओं की पेशकश की है।

4. आकाशवाणी/दूरदर्शन के अव्यपगमनीय कोष से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, प्रख्यात फिल्म निर्माताओं को लघु टी. वी. फिल्में बनाने के लिए आमन्त्रित किया गया है।

5. राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों पर एक फिल्म शृंखला शीघ्र ही आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इसमें न केवल क्षेत्रीय संस्कृतियों और परम्पराओं से सम्बन्धित दृश्य ही प्रदर्शित किए जाएंगे, अपितु इन राज्यों में हो रहे विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

6. टी. वी. निर्माताओं को उच्चस्तर के दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु डाकुमेंट्री फिल्मों के लिए स्वर्गीय जे. एन. गौड पुरस्कार की तरह के कुछ अन्य पुरस्कार स्थापित किए जा रहे हैं।

7. दूरदर्शन पर दिखाने के लिए बेहतर तथा पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्मों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस दिशा में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है।

8. महानगरीय दूरदर्शन केन्द्रों से अप्रैल, 1980 से राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का एक साप्ताहिक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। दर्शकों की मांग पर बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 45 मिनट कर दी गई थी।

9. दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि उनकी कुशलता बढ़ सके।

10. मित्र देशों के टेलीविजन संगठनों से टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान में तेजी लाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इससे दूसरे टेलीविजन संगठनों से अपनी पसन्द के कार्यक्रमों को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।

**केन्द्रीय क्षेत्र में और अधिक तापीय विद्युत संयंत्र**

2165. **श्री पी०के०कोडियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र में और अधिक तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कितने संयंत्र स्थापित किए जायेंगे ;

(ग) प्रत्येक संयंत्र पर कितनी लागत आयेगी और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(घ) प्रस्तावित संयंत्र कहां-कहां होंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ और ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उनकी तकनीकी आर्थिक दृष्टि से जांच की जा रही है :—

| परियोजना का नाम | राज्य | प्रस्तावित चरम क्षमता के लिए कुल व्यय |
|---|---|---|
| | | (करोड़ रुपये में) |
| कहलगांव (2800 मेगा०) | बिहार | 1497.17 |
| पेंच (840 मेगा०) | मध्य प्रदेश | 477.55 |
| तलचेर (2800 मेगा०) | उड़ीसा | 1472.31 |
| वैधन (3000 मेगा०) | मध्य प्रदेश | 1364.63 |

**गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना**

2166. **श्री अनादि चरण दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में गैस पर आधारित कुछ उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना किन स्थानों पर की जाएगी ;

(ग) क्या इस प्रकार के किसी संयंत्र की स्थापना ब्रिटिश सरकार के सहयोग से की जाएगी ;

(घ) उक्त प्रस्तावों के कब तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) जी, हां। पांच गैस पर आधारित उर्वरक प्लांट—दो-दो महाराष्ट्र के थाल वैशठ और गुजरात के हजीरा में तथा एक असम के नामरूप के अलावा बम्बई हाई/वसीन गैस पर आधारित 6 और प्लांट लगाने का विचार है।

(ख) प्रस्तावित प्लांटों के लिए सही स्थल की सिफारिश करने के लिए एक स्थल चयन समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सही स्थल के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(ग) फिलहाल इन प्लांटों में से किसी के भी यू०के० सरकार के सहयोग से स्थापित करने का विचार नहीं है।

(घ) और (ङ) छठी योजना के दौरान इन प्लांटों पर कार्य चरणबद्धरूप में शुरू किए जाने का विचार है।

**गुजरात में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता और उसकी मांग**

2167. **श्री रणजीत सिंह पी० गायकवाड़ :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विद्युत की कुल मांग की तुलना में उसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या गुजरात में विद्युत की उत्पादन क्षमता से विद्युत की मांग कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और आगामी 5 वर्षों में विद्युत की कितनी मांग हो जाने की आशा है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र से प्राप्त होने वाले 50% हिस्से को मिलाकर गुजरात की कुल प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2404 मेगावाट है तथा वर्तमान अनुमानित मांग 2050 मेगावाट है।

(ग) अगले 5 वर्षों में उत्पन्न होने वाली सम्भावित मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(एक) 1980-85 की अवधि के दौरान लगभग 1175 मेगावाट नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ना। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र के कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र से भी राज्य को कुछ विद्युत का आबंटन किया जाएगा।

(दो) मौजूदा प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत का उत्पादन अधिकतम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।

(तीन) मरम्मत किए जा रहे यूनिटों को पुनः चालू करने तथा चालू किए गए नए विद्युत उत्पादन यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के प्रयास किए गए हैं।

**गुजरात में बिजली की कमी**

2168. **श्री रणजीत सिंह पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में बिजली की भारी कमी है और वहां सप्ताह में दो दिन बिजली की कटौती करनी पड़ रही है;

(ख) गुजरात में विभिन्न उद्योगों को की जाने वाली बिजली की सप्लाई में इस भारी कटौती के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में कब तक सुधार हो जाने की आशा है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) गुजरात में विद्युत की कमी के बारे में सरकार को मालूम है।

(ख) गुजरात में किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता को विद्युत की सप्लाई में कोई ऊर्जा कटौती नहीं है। वाह क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण उकई जल विद्युत में 150 मेगावाट विद्युत उत्पादन की हानि के कारण, उकई में दो ताप विद्युत सेटों की बन्दी के कारण 320 मेगावाट की

हानि के कारण, जिसमें से 200 मेगावाट के उत्पादन पुनः चालू कर दिया गया है, परन्तु अभी सुस्थिर नहीं हुआ है तथा तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना से, जिसमें पुनः ईंधन डाला जा रहा है, 80 मेगावाट की हानि के कारण केवल मांग कटौतियां लागू की गई हैं।

(ग) गुजरात राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति में मई, 1981 तक सुधार होने की सम्भावना है।

**कलकत्ता के मेट्रो सिनेमा के अधिग्रहण की मांग**

2169. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के मेट्रो सिनेमा के स्वामित्व की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार को जनता और इसके कर्मचारियों द्वारा की गई इस मांग की जानकारी है कि इस सिनेमा को सरकार अपने अधिकार में ले ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) मैट्रो सिनेमा, कलकत्ता के स्वामित्व का अब मैसर्स फूलेवियम प्रोपर्टीज लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा दावा किया जाता है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल की सरकार ने आम लोगों के लिए शैक्षिक और अनुदेशात्मक फिल्मों के प्रदर्शन के सार्वजनिक प्रयोजन, जो केन्द्रीय सरकार का प्रयोजन है, के लिए उस भूमि जिस पर मैट्रो थियेटर कलकत्ता का भवन बना हुआ है, का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अधिग्रहण करने की कार्यवाहियां पहले ही शुरू करा दी हैं। अधिग्रहण की इन प्रक्रियाओं को कलकत्ता के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और न्यायालय में अन्तरिम स्टे जारी कर दिया है। सरकार मामले की शीघ्र सुनवाई और स्टे-आर्डर को समाप्त कराने के लिए प्रयास कर रही है।

**नैप्था और गैस के मूल्यों में वृद्धि का प्रस्ताव**

2170. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नैप्था और प्राकृतिक गैस की लागत को मिलाकर और समान ऊर्जा अव्यवों के आधार पर एक समान मूल्य निर्धारित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार जानती है कि इसके बिना नैप्था पर आधारित उर्वरक और अन्य पेट्रो-कैमिकल्स उत्पादों के संयंत्र को प्रत्यक्ष हानि होगी ; और

(ग) यदि हां, तो (क) और (ख) पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** (क) मुझे इस प्रकार कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**लघु-जल विद्युत बिजली घरों की स्थापना**

2171. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में लघु जल विद्युत बिजली घरों का निर्माण करने तथा उस भाग में स्वीकृत कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपने हाथ में लेने का कोई विचार है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को पश्चिम बंगाल में बड़ी/मध्यम दर्जे की कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना है और यदि हां, तो क्या इन्हें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या राख की अधिक मात्रा वाले घटिया किस्म के ईंधन के प्रयोग से ताप बिजली घरों के बार-बार खराब हो जाने सहित विभिन्न कारणों की वजह से उत्पन्न कमी की स्थिति में सुधार लाने के लिए पश्चिम बंगाल में ताप और जल विद्युत परियोजनाओं के बीच असन्तुलन को दूर करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) रामन जल विद्युत परियोजना चरण-11 (4 × 12.5 मेगावाट) को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से इस परियोजना का निर्माण कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंपने की संभाव्यता पर विचार करने के लिए अप्रैल, 1980 में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से औपचारिक अनुरोध किया गया था । इस संबंध में राज्य सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में जल विद्युत केन्द्रों का निर्माण केन्द्रीय सेक्टर में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के जरिये कराने के लिए कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) इस समय पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में जलढाका जल विद्युत परियोजना चरण-दो (8 मेगावाट) तथा रामन चरण II (50 मेगावाट) परियोजना निर्माणाधीन है । इसके अतिरिक्त, ताप विद्युत और जल विद्युत में असन्तुलन को समाप्त करने की दृष्टि से, केन्द्रीय

विद्युत प्राधिकरण ने 1980-85 के दौरान लाभ देने वाली जल विद्युत स्कीमों का पता लगाने के लिए कार्रवाई की है। ये स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

| | |
|---|---|
| रामन चरण-1 | 30 मेगावाट |
| तीस्ता केनाल फाल | 67.5 मेगावाट |
| किशातोबाजार पम्पड जलाशय स्कीम | 1050 मेगावाट |
| रामन चरण-III तथा 4 एकीकृत | 63 मेगावाट |
| रामन चरण-5 तथा रणजीत एकीकृत | 420 मेगावाट |
| बालासन चरण-1 | 12 मेगावाट |

इसके अतिरिक्त, चूखा जल विद्युत परियोजना (4 × 84 मेगावाट) (भूटान) के चालू हो जाने पर भारत को 1985-90 में पूर्वी ग्रिड के जरिए बिजली का पारेषण आरंभ हो जाएगा जिसे संबंधित राज्यों में वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोयल-कारो जल विद्युत परियोजना (710 मेगावाट) जोकि अनिवार्यतः एक पीकिंग केन्द्र है, निर्माण के लिए केन्द्रीय सेक्टर में हाथ में लिया जा रहा है। यह परियोजना भी उसी अवधि (1985-90) में प्रचालन में आएगी।

**तालचेर में सुपर तापीय विद्युत केन्द्र**

2172. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने तालचेर में प्रस्तावित सुपर तापीय विद्युत केन्द्र को केन्द्रीय क्षेत्र में चालू करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा उस पर निवेश करने का निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है क्योंकि उक्त परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करली गई है और इसका कार्य कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) उड़ीसा में तलचेर में केन्द्रीय क्षेत्र में एक क्षेत्रीय सुपर ताप विद्युत केन्द्र हाथ में लिए जाने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमति उड़ीसा के मुख्य मंत्री को भेज दी गई। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इस परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करली गई है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी आर्थिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी—आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिए जाने के बाद इस परियोजना पर निवेश संबंधी निर्णय लिया जाना है।

## उड़ीसा में कोयला खानों का विकास

2173. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने प्रस्तावित सुपर तापीय बिजलीघर तथा रक्षित विद्युत संयंत्र को ध्यान में रखते हुंए उड़ीसा में कोयले के उत्पादन तथा कोयला खानों के विकास के लिए क्या उपाय किए हैं ;

(ख) उनके मंत्रालय ने तालचेर तथा "इफ वेली फील्ड" से 1985 तक प्रति वर्ष लगभग अस्सी लाख मि० टन तक कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) तालचेर तथा "इफ बैली" से इस समय पृथक पृथक कोयला का कुल कितना वार्षिक उत्पादन होता है ; और

(घ) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में दोनों योजनाओं में कोयला खानों के विकास के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है और छठी योजना अवधि में कौन-कौन सी योजनाओं और प्रावधान की संभावना है और उसके लिए 1981-82 की वार्षिक योजना क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) प्रस्ताव है कि वर्तमान उत्पादन (1979-80 ) तालचेर कोयला क्षेत्र में 1.5 मिलियन टन और इब घाटी कोयला क्षेत्र में 1.07 मिलियन टन से बढ़ाकर 1984-85 में क्रमश: 3.45 मिलियन टन और 2.51 मिलियन टन किया जाए ।

इस उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रस्ताव है कि नई खानें खोली जाएं और जहां कहीं संम्भव हो वहां वर्तमान खानों का पुनर्गठन किया जाए ।

वर्ष 1980-81 (अप्रैल- दिसम्बर) 1980, में तालचेर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन क्रमश:1.33 मिलियन टन और 0.89 मिलियन टन रहा ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथा समय रख दी जायगी ।

## बिड़ला ग्रुप की कम्पनियां

2174. **श्री रामविलास पासवान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला ग्रुप के सदस्यों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण/स्वामित्व वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी द्वारा किस प्रकार का व्यवसाय किया जाता है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक कम्पनी को कार्य शुरू करने पर और वर्तमान परिसम्पत्तियां क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री०पी० शिवशंकर)** (क) से (ग) वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस नीति और एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के प्रसंग में केवल वे ही कम्पनियां, बिड़ला समूह की कम्पनियों के रूप में समझी जाती है, जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत उपक्रम के रूप में पंजीकृत हैं तथा जिन पर अधिनियम की धारा 20 (क) लागू होती है तथा जिन पर उसी समय पर या तो वे (I) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा समझी गयी कम्पनियों की सूची में बिड़ला वृहद औद्योगिक घराने से सम्बन्धित कम्पनी के रूप में अंकित की गई हैं या (II) इस प्रकार की बिड़ला कम्पनियों के साथ अन्तः सम्बन्धित हैं ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1-6-1970 में लागू हुआ । बिड़ला समूह की प्रत्येक कम्पनी को परिसम्पत्तियों के ब्यौरे उनके शुरू होने के समय से या अधिनियम के प्रारम्भ होने से उपलब्ध नहीं है । तथापि, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरणों के अनुसार इस प्रकार की कम्पनियों को प्रत्येक के द्वारा सम्पन्न किए जा रहे व्यापार की प्रकृति के सम्बन्ध में 31-12-1979 तक की सूचना और वर्ष 1972 और 1979 की प्रत्येक कम्पनी की परिसम्पत्तियों के मूल्य की सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी जाती है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2012/81]

**पेट्रोलियम मात्रा का स्तर**

2175. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पेट्रलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी 2 अथवा तीन वर्षों में देश में पेट्रोलियम मात्रा "पैट्रोलियम इवैन्ट्री" को बढ़ाकर 45 दिनों तक करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सामान्य स्तर क्या है ;

(ग) क्या इससे भण्डारण क्षमता में बढ़ोत्तरी करनी होगी ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को अतिरिक्त भण्डार क्षमता के निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ेगी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या वह सच है कि 20 लाख टन क्षमता की अतिरिक्त टेंकिया बनवाने की कुल लागत 100 करोड़ रुपए के आसपास होगी ;

(च) यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(छ) क्या भण्डार बनाने के स्थानों के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है ?

**पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी)** : (क) से (छ) आने वाले वर्षों में "पेट्रोलियम इन्वेन्ट्री" में उपयुक्त वृद्धि का प्रस्ताव है। और ब्यौरे देना जनहित में न होगा।

**सरकारी क्षेत्र द्वारा बल्क दवाओं का उत्पादन**

2176. **श्री बी.वी. देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र द्वारा बल्क दवाओं के उत्पादन के आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि किसी सैक्टर के लिए बल्क दवाओं के उत्पादन के आरक्षण को पूर्णतया न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता अथवा कठोरतः लागू नहीं किया जा सकता है ;

(घ) क्या 1978 की औषध नीति को संशोधित किए जाने अथवा बदले जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मुख्य संशोधन करने का विचार है ;

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 1978 की नीति की घोषणा करते समय सरकार ने यह निर्णय किया था कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा उचित मूल्य पर औषधों की किस्म को बनाये रखते हुए उचित और कठिन प्रतियोगिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन सूचियों को अधतन बनाने और उनको लागू करने में कुछ शिथिलता आवश्यक होगी।

(ङ) एक परिवर्तन किया गया है एरिथ्रोमाइतीन को सरकारी सूची से भारतीय सूची में बदला गया है जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा प्राइवेट भारतीय क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित औषध शामिल हैं।

**शक्तिशाली ट्रांसमीटरों का आयात**

2177. **श्री बी० वी देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी अपनी विदेश सेवाओं का प्रसारण करने के लिए प्राकृतिक विषमताओं को कम करने के लिए दो अत्यधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटरों का आयात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका आयात किस देश से किया जायेगा ;

(ग) इसमें व्यय की कुल कितनी लागत अन्तर्गस्त है ; और

(घ) इन ट्रांसमीटरों के स्थापित होने के बाद विदेश सेवा के प्रसारण में कितना सुधार होगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) दो उच्च शक्ति वाले शार्ट वेव ट्रांसमीटरों के लिए आर्डर दे दिया गया है। ये स्विट्जरलैण्ड से आयात किए जा रहे हैं।

(ग) इस स्कीम की कुल लागत लगभग 790.00 लाख रु० होने का अनुमान है। इसमें से 421.00 लाख रु० केवल प्रेषण उपकरणों की बावत हैं।

(घ) ये दो नये ट्रांसमीटर आकाशवाणी की अपनी विदेश सेवाओं में पर्याप्त सुधार लाने में सहायता करेंगे। सुधार का मात्रात्मक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

**बम्बई हाई से उत्पादन बढ़ाने के लिए पैट्रो-केमिकल्स काम्पलैक्स बढ़ाने के लिए विदेशों से सहयोग**

2178. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई से उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात एवं महाराष्ट्र में पेट्रो-कैमिकल काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए सरकार ने विदेशों से सहयोग मांगा था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) फ्रांस, इटली, रोमनिया से प्राप्त सरकारी निमंत्रणों के संदर्भ में पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री ने हाल ही में फ्रांस, इंग्लैंड, रोमानिया तथा इटली की यात्रा की थी। हालांकि यात्रा का विशेष उद्देश्य किसी देश से सहयोग प्राप्त करना न था, मंत्री जी ने इस अवसर का उपयोग सम्बद्ध सरकारों के साथ, तेल अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग जैसे कि उपकरणों की सप्लाई इत्यादि के बारे में विचार विमर्श के लिए किया। फ्रांस में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने सी०एफ०पी० (जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के साथ बम्बई हाई में पहले ही सहयोग कर रहे हैं) के साथ बम्बई हाई के और अधिक विकास के बारे में बातचीत की।

जब पेट्रो-रसायनों का विषय विचार-विमर्श के लिए आया तो विदेशी सहयोग में हमारी दिलचस्पी निदेशित हुई थी। फ्रांस और इटली दोनों ने पेट्रो-रसायन समूहों की स्थापना में हमें सहायता के लिए रुचि प्रकट की है।

**सिनेमा घर**

2179. **श्री हीरालाल आर. परमार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, कुल कितने सिनेमा घर हैं;

(ख) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक कितने सिनेमाघर हैं ;

(ग) अधिक सिनेमाघर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) इस बारे में क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) देश में सिनेमाघरों की कुल संख्या 10,889 है। सिनेमाघरों की राज्य-वार सूची संलग्न है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में सिनेमाघरों की लगभग संख्या 3046 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 7843 है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ग्रामीण, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाले सिनेमाघरों के निर्माण के लिए आसान शर्तों पर ऋण देता है।

**विवरण**

31 दिसम्बर, 1980 के दिन की स्थिति के अनुसार भारत में सिनेमाघरों की संख्या दर्शाने वाले विवरण :

| क्रम संख्या | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | सिनेमाघरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अण्डमान व निकोबार | 2 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1904 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | असम | 205 |
| 5. | बिहार | 326 |
| 6. | चण्डीगढ़ | 8 |
| 7. | दादरा व नागर हवेली | 1 |
| 8. | दिल्ली | 707 |
| 9. | गोवा दमन और दीव | 17 |
| 10. | गुजरात | 516 |
| 11. | हरियाणा | 111 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 30 |
| 13. | जम्मू व कश्मीर | 34 |
| 14. | कर्नाटक | 1021 |
| 15. | केरल | 1122 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 461 |
| 17. | महाराष्ट्र | 1064 |
| 18. | मणिपुर | 8 |
| 19. | मेघालय | 7 |
| 20. | मिजोरम | 2 |
| 21. | नागालैण्ड | 6 |
| 22. | उड़ीसा | 159 |
| 23. | पाण्डिचेरी | 43 |
| 24. | पंजाब | 158 |
| 25. | राजस्थान | 222 |
| 26. | सिक्किम | 2 |
| 27 | तमिलनाडु | 1814 |
| 28. | त्रिपुरा | 6 |
| 29. | उत्तरप्रदेश | 909 |
| 30. | पश्चिम बंगाल | 659 |

**बम्बई हाई की प्राकृतिक गैस का उपयोग**

2180. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने केन्द्र सरकार से बम्बई हाई द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस की खपत बम्बई में उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है ;

(ख) उपभोक्ताओ के लिए बम्बई हाई द्वारा उत्पादित गैस की कुल उपलब्धता कितनी है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ;

(ग) बम्बई हाई में 1978-79 और 80 के दौरान कुल कितनी मात्रा में गैस का उत्पादन किया गया और इसका वितरण कैसे किया गया ; और

(घ) बम्बई हाई से 1981 और 1982 के दौरान प्राकृतिक गैस के सम्भावित लक्ष्य क्या हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) अभी हाल ही में इन राज्यों से बम्बई हाई गैस की घरेलू उपभोक्ताओं को बम्बई में सप्लाई के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । यह बताया जाता है कि महाराष्ट्र में अपतटीय गैस के उपयोग के लिए 1977 में गठित कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुशंसा की थी कि महाराष्ट्र सरकार अपतटीय गैस की पाइपलाइनों के तन्त्रजाल द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई और साथ ही प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कपड़ा मिलों द्वारा गैस के स्थान पर एल० एस० एच०एस० तथा ईंधन तेल के सम्मिश्रण के प्रयोग सहित दल की रिपोर्ट में वर्णित 45 कपड़ा मिलों को गैस की सप्लाई के प्रस्ताव से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं पर विचार करें । तदनुसार महाराष्ट्र सरकार ने सितम्बर, 1978 में आवश्यक अध्ययन के लिए अध्ययन दल की स्थापना की थी । अध्ययन दल की रिपोर्ट अभी केन्द्र सरकार को प्राप्त नही हुई है तथा इस मामले पर आगे कार्यवाही रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद की जाएगी ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में उत्पादित की गयी तथा वितरित की गयी गैस की कुल मात्रा नीचे दी गयी है :

**मिलयन मीट्रिक घन मीटरों में**

**वितरित की गयी गैस**

| वर्ष | उत्पादित कुल गैस | टी. ई. सी. को सप्लाई | आर. सी .एफ. एल. को सप्लाई | ओ. एन. जी. सी. द्वारा उपयोग गई | उडाई गई |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | 385.88 | 167.72 | 28.69 | 7.76 | 181.71 |
| 1979-80 | 541 69 | 190.54 | 172.65 | 8 69 | 169.81 |
| 1980-81 (सितम्बर, 80 तक) | 306.84 | 95.82 | 96.12 | 4 21 | 110.69 |

(घ) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए बम्बई हाई से गैस सप्लाई का लक्ष्य नीचे दिया गया है।

| वर्ष | गैस की सप्लाई |
|---|---|
| 1980-81 | 514 मिलयन मीट्रिक घन मीटर |
| 1981-82 | 652 ,, ,, ,, ,, |

**सभी विद्युत केन्द्रों में पारेषण हानि**

2181. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि राज्य-प्रबंधित एककों सहित सभी विद्युत केन्द्रों में "पारेषण हानि" का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने टाटा आदि द्वारा संचालित गैर-सरकारी विद्युत केन्द्रों में "पारेषण हानि" से इसकी तुलना की है और वहां इस हानि का प्रतिशत कम होने के कारणों का पता लगाया है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में "पारेषण हानि" द्वारा कुल कितनी ऊर्जा की क्षति हुई है ; और

(घ) क्या सरकार ने "पारेषण हानि" को कम करने की रूसी पद्धति को चालू करने के लिए सोवियत संघ के ऊर्जा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) पारेषण, ट्रांसफार्मेशन, वितरण और वाणिज्यिक (तकनीकी कारणों के अलावा अन्य कारणों से होने वाली विद्युत की हानियां) कारणों से देश में विद्युत प्रणाली की हानियों के स्वरूप की जानकारी सरकार को है।

(ख) निजी तौर पर प्रचालित टाटा, अहमदाबाद, कलकत्ता आदि बिजली कम्पनियों के विद्युत प्रचालनों में कम प्रणाली हानियों का मुख्य कारण यह है कि ये कम्पनियां मुख्यतः संकेन्द्रित भार केन्द्रों को तथा शहरी क्षेत्रों में सप्लाई कर रह रही है। ग्राम विद्युतीकरण में वितरण लाइनें व्यापक क्षेत्र में फैली होती हैं जिससे पर्याप्त हानियां होती हैं।

(ग) पारेषण हानियों को ट्रांसफार्मेशन, वितरण और वाणिज्यिक हानियों से अलग करना संभव नहीं है। पिछले तीन वर्ष के दौरान युटिलिटीज में हुई प्रणाली हानियों के अखिल भारतीय आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

| | |
|---|---|
| 1979-80 | 20.45 प्रतिशत (अनुमानित) |
| 1978-79 | 20.02 प्रतिशत |
| 1977-78 | 19.26 प्रतिशत |

(घ) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग के मामलों पर भारत और यू०एस०एस०आर० के प्रतिनिधियों के बीच नवम्बर, 1980 में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में दोनों देशों के बीच विद्युत प्रणालियों के विकास के क्षेत्र में अनुभव और जानकारी के आदान-प्रदान की वांछनीयता का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

**विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को विशेष ऋण सहायता**

2182. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को विशेष ऋण सहायता दी है : यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान राज्य बिजली बोर्डों को दी गई सहायता की राज्यवार धनराशि कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य बिजली बोर्ड प्रभावीरूप से कार्य नहीं कर रहे है और उन्हें भारी नुकसान हुआ है, यदि हां, तो 31 मार्च, 1980 को घनहानि की राशि सहित राज्य बिजली बोर्डों की सूची क्या है ;

(ग) गत पांच वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्य कर रहे क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के माध्यम से कितनी बिजली वितरित की गई;

(घ) गत पांच वर्ष के दौरान राज्य बिजली बोर्डों तथा सरकारी क्षेत्र की बिजली इकाइयों द्वारा उत्पादन की विभिन्न पद्धतियों द्वारा कितनी मात्रा में बिजली उत्पादित की गई ; और

(ङ) छठी पंचीवर्षीय योजना के लिए सभी संसाधनों के माध्यम से कुल बिजली उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य कितना है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) भारत सरकार किसी भी राज्य बिजली बोर्ड में सीधे ही कोई निवेश नहीं करती। विद्युत विकास के लिए केन्द्रीय सहायता को राज्य योजना के लिए समग्र तौर पर दी गई केन्द्रीय सहायता के एक भाग के रूप में शामिल किया जाता है।

(ख) निम्नलिखित को हिसाब में लेने के बाद, 31 मार्च, 1979 तक 10 राज्य बिजली बोर्डों को संचयी हानि हुई है :—

(1) निम्नलिखित के लिए किए गए प्रावधान :—

(क) सरकारी ऋणों पर ब्याज

(ख) मूल्य ह्रास ? तथा

(ग) राजस्व सम्बन्धी अन्य घाटे यदि कोई हों ;

(2) ग्राम विद्युतीकरण आदि के लिए सरकार से आर्थिक सहायता ; और

(3) राजस्व आरक्षित निधियां, अर्थात्

(क) सामान्य आरक्षित निधियां ;

(ख) निवेश छूट आरक्षित निधियां ;

(ग) विकास आरक्षित निधि;

(घ) टैरिफ आरक्षित निधि ! और

(ङ) ऋण मोचन आरक्षित निधि ।

तथापि, इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर गणना किए जाने पर, 1978-79 के दौरान इनमें से केवल छः हानि उठा रहे हैं ।

असम, जम्मू और कश्मीर, तथा मेघालय को छोड़कर जिनके सम्बन्ध में वर्ष 1978-79 के लेखे उपलब्ध नहीं हैं, 31 मार्च, 1979 तक पांच राज्य बिजली बोर्डों ने संचयी आधार पर लाभ कमाया है ।

कुल मिलाकर नौ राज्य बिजली बोर्डों ने वर्ष 1978-79 के दौरान हानि नहीं उठाई है ।

राज्य बिजली बोर्डों के लाभ/हानियों को दिखाने वाला विवरण (1 और 2) संलग्न हैं ।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन कार्य कर रहे क्षेत्रीय बिजली बोर्ड केवल ऊर्जा के आदान-प्रदान से सम्बद्ध है । अतः, वे ऊर्जा का वितरण नही कर रहे हैं । ऊर्जा के अन्तः राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय आदान-प्रदान की मात्रा विवरण 3 में दी गई है ।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य यूनिटों द्वारा विभिन्न स्रोतों से वर्ष 1975-76 से 1979-80 के दौरान किए गए बिजली उत्पादन का ब्यौरा विवरण 5 में दिया गया है ।

(ङ) योजना आयोग के अनुसार, 1984-85 में विद्युत के कुल उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के अनुसार, 191 बिलियन यूनिट रखा गया है ।

विवरण I

राज्य बिजली बोर्डों की हानियां

(सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को हिसाब में लेने के व

(लाख रुप

| राज्य बिजली बोर्ड | क | ख |
|---|---|---|
| 1. उत्तर प्रदेश | 42271 | 914 |
| 2. पंजाब | 8655 | ग |
| 3. हरियाणा | 5401 | 36 |
| 4. बिहार | 5294 | — |
| 5. उड़ीसा | 4391 | 166 |
| 6. गुजरात | 3730 | 39 |
| 7. हिमाचल प्रदेश | 2494 | 43 |
| 8. आंध्र प्रदेश | 1801 | ग |
| 9. केरल | 1240 | ग |
| 10. पश्चिम बंगाल | 591 | 12 |
| जोड़ | 75868 | 1212 |
| 11. मेघालय क्रमशः 31-3-77 तक और 31-3-77 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संचयी) | 1505 | 92 |

क=31-3-79 तक संचयी ।

ख=31-3-79 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ।

ग=31-3-79 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ लाभ ।

पंजाब=512; आन्ध्र प्रदेश=668; केरल=2215

विवरण-2

राज्य बिजली बोर्डों के लाभ

(सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को हिसाब में लेने के बाद)

(लाख रुपए में)

| राज्य बिजली बोर्ड | क | ख |
|---|---|---|
| 1. महाराष्ट्र | 7992 | 1139 |
| 2. तमिलनाडु | 6914 | 598 |
| 3. कर्नाटक | 3964 | 1463 |
| 4. राजस्थान | 1611 | 1221 |
| 5. मध्य प्रदेश | 1458 | 74 |
| जोड़ | 21939 | 4495 |
| 6. असम (क्रमश: 31-3-78 तक और 31-3-78 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संचयी) | 1124 | ग |

क=31-3-79 तक संचयी ।

ख=31-3-79 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ।

ग=31-3-78 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान हुई हानियां=331

विवरण-3

विद्युत का अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय आदान-प्रदान

(मिलियन यूनिट)

| वर्ष | अन्त: राज्यीय | अन्त: क्षेत्रीय |
|---|---|---|
| 1977-78 | 7731 | 891 |
| 1978-79 | 7878 | 1142 |
| 1979-80 | 6800 | 784 |
| 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) | 3816 | 616 |

विवरण-4

1975-76 से 1979-80 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों तथा सार्वजनिक सेक्टर द्वारा विद्युत का उत्पादन

(मेगावाट आवर में)

| मद | 1975-76 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जल विद्युत | भाप वि० | डीजल वि० | गैस वि० | न्यूक्लीय विद्युत | जोड़ |
| 1. सार्वजनिक क्षेत्र | | | | | | |
| (क) राज्य बिजली बोर्ड | 24596.06 | 26474.38 | 28.67 | 482.76 | — | 51581.87 |
| (ख) विद्युत विभाग/ सरकारी उपक्रम/ निगम/केन्द्रीय क्षेत्र | 7327.89 | 9500.65 | 30.02 | — | 2626 51 | 19485.07 |
| (ग) म्युनिसिपल कमेटियां | 11.15 | 1492.82 | 0.65 | — | — | 1504.62 |
| उप जोड़ (सार्वजनिक क्षेत्र) | 31935.10 | 37467.85 | 59.34 | 482.76 | 2626.51 | 72571.56 |
| 2. निजी क्षेत्र | 1366.67 | 5292.20 | 0.49 | — | — | 6659.36 |
| जोड़ (अखिल भारत) (1+2) | 33301.77 | 42760.05 | 59.83 | 482.76 | 2626.51 | 79230.92 |
| | 1976-77 | | | | | |
| 1. सार्वजनिक क्षेत्र | | | | | | |
| (क) राज्य बिजली बोर्ड | 26619.41 | 41959.69 | 20.48 | 446.04 | — | 59045.98 |

| मद | जल विद्युत | भाप वि० | डीजल वि० | गैस वि० | न्यूक्लीय विद्युत | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1976-77 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (ख) विद्युत विभाग/ सरकारी उपक्रम/ निगम/केन्द्रीय क्षेत्र | 6874.77 | 11217.01 | 34.07 | — | 3252.28 | 21378 13 |
| (ग) म्युनिसिपल कमेटियां | 4.15 | 1568.46 | 0.14 | — | — | 1572.75 |
| उप जोड़ (सार्वजनिक क्षेत्र) | 33498.33 | 44745.16 | 55.05 | 446.04 | 3252.28 | 81996.86 |
| 2. निजी क्षेत्र | 1337.80 | 4998.65 | — | — | — | 6336.45 |
| जोड़ (अखिल भारत) (1+2) | 34836.13 | 49743.81 | 55.05 | 446.04 | 3252.28 | 88333.31 |
| | | 1977-78 | | | | |
| 1. सार्वजनिक क्षेत्र | | | | | | |
| (क) राज्य बिजली बोर्ड | 30094.29 | 34028.04 | 29.00 | 470.24 | — | 64621.57 |
| (ख) विद्युत विभाग/ सरकारी उपक्रय/ निगम/केन्द्रीय क्षेत्र | 6492.48 | 9707.10 | 31.75 | — | 2272.17 | 18503.50 |
| (ग) म्युनिसिपल कमेटियां | 3.39 | 1591.26 | 1.94 | — | — | 1596.59 |
| उप जोड़ (सार्वजनिक क्षेत्र) | 36590.16 | 45326.40 | 62.69 | 470.24 | 2272.17 | 84721.66 |
| 2. निजी क्षेत्र | 1417 00 | 5240.37 | — | — | — | 6647.37 |
| जोड़ (अखिल भारत) (1+2) | 38007.16 | 50556.77 | 62.66 | 470.24 | 2272.17 | 91369.03 |

| मद | जल विद्युत | भाप वि० | डीजल वि० | गैस वि० | न्यूक्लीय विद्युत | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1978-79 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. सार्वजनिक क्षेत्र** | | | | | | |
| (क) राज्य बिजली बोर्ड | 39045.78 | 35516.51 | 21.05 | 514.94 | — | 74098.28 |
| (ख) विद्युत विभाग/ सरकारी उपक्रम/ निगम/केन्द्रीय क्षेत्र | 7627.08 | 9697.84 | 31.17 | — | 2769.68 | 20125.77 |
| (ग) म्युनिसिपल कमेटियां | — | 1410.03 | 3.08 | — | — | 1413.11 |
| उप जोड़ (सार्वजनिक क्षेत्र | 45672.86 | 46624.38 | 55.30 | 514.94 | 2769.68 | 95637.16 |
| **2. निजी क्षेत्र** | 1486.00 | 5399.36 | — | — | — | 6885.36 |
| जोड़ (अखिल भारत) (1+2) | 47158.86 | 52023.74 | 55.30 | 514.94 | 2769.68 | 102522.52 |
| | | 1979-80 | | | | |
| **सार्वजनिक क्षेत्र** | | | | | | |
| (क) राज्य बिजली बोर्ड | 37180.10 | 39637.50 | 27.92* | 499.98 | — | 77345.50 |
| (ख) विद्युत विभाग/ सरकारी उपक्रम/ निगम/केन्द्रीय क्षेत्र | 7003.88 | 9380.36 | 24.68 | — | 2876.59 | 19285.51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ग) म्युनिसिपल कमेटियां | — | 1465.38 | 1.38* | — | — | 1466.76 |
| उप जोड़ (निजी क्षेत्र) | 44183.98 | 50483.24 | 53.98 | 499.98 | 2876.59 | 98097.77 |
| 2. निजी क्षेत्र | 1308.00 | 5310.00 | — | — | — | 6618.00 |
| जोड़ (अखिल भारत) (1+2) | 45491.98 | 55793.24 | 53.98 | 499.98 | 2876.59 | 104715.77 |

**अ-कोककर कोयले तथा घरेलू खपत के कोयले की खुली बिक्री की योजना**

2183. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया ने अ-कोककर कोयला तथा घरेलू खपत के कोयले को खुली बिक्री करने की योजना तैयार की है ;

(ख) क्या इससे कोयले की जमाखोरी तथा काला बाजारी बंद हो जायगी और इससे घरेलू कोयले तथा अ-कोककर कोयले की कीमतें कम हो जाएंगी ;

(ग) क्या खुली बिक्री वाले कोयले को सहकारी समितियों तथा सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री के लिए जारी किया जाएगा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्यों ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर आपत्ति की है और कोयले के परमिट जारी करने की शक्तियां बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की है ; यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम है ; और

(ङ) क्या वितरण के लिए कोल इंडिया के भंडारों को खोलकर कोयले की खुली बिक्री के लिए दूसरे राज्यों को इजाजत देने का विचार है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) कुछ विशिष्ट खानों से अ-कोककर कोयले की ही, खुली बिक्री शुरू की गई ताकि कोयले के उत्पादन में वृद्धि का लाभ उपभोक्ताओं तक भी पहुंचाया जा सके ।

(ग) यह खरीदारों को सीधे ही बेचा जाएगा ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) कोयले की खुली बिक्री कोलियरियों से की जाती है और इसके लिए कोयला-टाल खोलने की जरूरत नहीं है ।

**सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए सुझाव**

2184. **श्री आर० के० महालगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नवम्बर, 1980 में हुए सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में महाराष्ट्र सरकार की ओर से कई मांगे और सुझाव पेश किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा तुरन्त करने का विचार है ; और

(घ) यदि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है अथवा न करने का विचार है, तो क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमद बेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) नवम्बर, 1980 में नई दिल्ली में हुए राज्यों के सूचना मंत्रियों के 15वें सम्मेलन की कार्यसूची में शामिल किए जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए थे । महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुझाये गए विषय संक्षेप में इस प्रकार थे : सामुदायिक अवलोकन योजना के विस्तार के लिए सहायता ; सामुदायिक टी० वी० सेटों को बदलना ; विज्ञापन दरों में असमानता ; केन्द्रीय सूचना सेवा में राज्य का कोटा ; राजस्व मुख्यालयों पर पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालय ; डाकुमेन्ट्री फिल्मों और न्यूजरीलों को उत्पाद शुल्क से छुट ; फिल्म समारोहों में भाग लेने का अवसर ; बम्बई के लिए सिनेमाघर ; राज्य सरकारों की डाकुमेन्ट्री फिल्मों की डबिंग ; कोरी फिल्मों को बिक्री कर से छूट ; राज्य सरकार सेंन्सरबोर्ड ; डाकुमेन्ट्री फिल्मों के निर्यात के लिए समन्वय ; डाकुमेन्ट्री फिल्मों का परस्पर आदन-प्रदान ; और मुद्रक-प्रकाशकों का दायित्व ।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त बड़ी संख्या में विषयों को ध्यान में रखते हुए, उक्त सम्मेलन के लिए व्यापक कार्यसूची का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें सामान्य हित और रुचि की मदें शामिल की गई थी राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट, फिल्मों का निर्माण और वितरण ; सेंसरशिप का उल्लंघन ; सामुदायिक अवलोकन श्रवण योजना ; रेडियो/टेलिविजन ट्रांसमीटरों की स्थापना/सुदृढ़ करना ; राज्य सरकारों तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के केन्द्रों के प्राधिकारियों से सम्पर्क ; छोटे और मझोले समाचारपत्रों को सुविधाएं ; "एम्प्लायमेंट न्यूज" को विज्ञापन, सूचना केन्द्रों को सुदृढ़/स्थानान्तरित करना ; प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 ; केन्द्रीय और राज्यों के जन-सम्पर्क माध्यमों की गतिविधियों का

समन्वय, आदि। विस्तृत विचार विमर्श के बाद सम्मेलन द्वारा विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लिए गए। उक्त सम्मेलन का कार्यवृत सभी सम्बन्धितों को आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

**"वीर सावरकरजी" पर फिल्म**

2185. **श्री आर० के० महालगी** : क्या सुचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1978 में वीर सावरकर जी के जीवन पर एक फिल्म बनाने का कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) इस परियोजना के वित्तीय प्राक्कलन क्या हैं ; और

(घ) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम०जोशी)** : (क) से (घ) "वीर सावरकर जी" पर एक फिल्म, फिल्म प्रभाग के वर्ष 1977-78 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल की गई थी। तथापि, बाद में इस फिल्म को निर्माण कार्यक्रम से निकाल दिया था क्योंकि निर्माण कार्यक्रम में जीवनी संबंधी फिल्मों की संख्या अधिक हो गई थी। अब इस फिल्म को वर्ष 1981-82 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है। परियोजना का वित्तीय अनुमान 2,00,000 रु० और 2,50,000 रु० के आस पास होगा।

**बिहार के प्रत्येक बिजली घर की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता और उसका वास्तविक विद्युत उत्पादन**

2186. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के डीजल, कोयले और जल पर आधरित बिजली घरों में से प्रत्येक की नवीनतम अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता और उसका वास्तविक विद्युत उप्पादन कितना कितना है ; और

(ख) बिहार में पूरी क्षमता के अन रूप विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जनवरी, 1981 में बिहार के विद्युत केन्द्रों की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता, सकल ऊर्जा उत्पादन तथा संयंत्र भार अनुपात के बारे में केन्द्र-वार ब्यौरा नीचे दिया जाता है।

| केन्द्र | विवरण | जनवरी, 1981 |
|---|---|---|
| **ताप विद्युत** | | |
| पतरातू | क्षमता (मेगावाट) | 620 |
| | उत्पादन (मिलियन यूनिट) | 157 |
| | संयंत्र भार अनुपात (%) | 34 |
| बरौनी | क्षमता (मेगावाट) | 145 |
| | उत्पादन (मिलियन यूनिट) | 37 |
| | संयंत्र भार अनुपात (%) | 34 |
| **जल विद्युत** | | |
| कोसी | क्षमता (मेगावाट) | 15 |
| | उत्पादन (मिलियन यूनिट) | 2 |
| सुवर्णरेखा | क्षमता (मेगावाट) | 130 |
| | उत्पादन (मिलियन यूनिट) | 8 |

विहार में डीजल यूनिटों की उत्पादन क्षपता नगण्य है तथा ये यूनिटें केवल अनिवार्य उपभोक्ता को आपातकालीन सप्लाई करने के लिए ही प्रचालित की जाती हैं तथा उनके प्रचालन की मानीटरिंग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाती ।

(ख) जल विद्युत केन्द्रों का समुपयोजन संयंत्र की अभिकल्प शक्यता तथा जल उपलब्धता पर निर्भर करता है । बिहार में ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए है :—

1. ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सिफारिशें करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड से एक उच्च स्तरीय दल ने पतरात् और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा किया है ;

2. पतरातु और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों में तथा बोर्ड के मुख्यालय में, अनुरक्षण तथा निर्माण कार्यों की कारगर मानीटरिंग करने के लिए एक-एक मानीटरिंग सैल का गठन किया गया है,

3. सर्वेक्षण करके फुटकर पुर्जों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए बोर्ड के मुख्यालय में फुटकर पुर्जो संबंधी एक सैल का सृजन किया गया है । तीव्र गति से चलने वाले और मन्द गति से चलने वाले फुटकर पुर्जों की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति के लिए भी कार्यवाई की जा रही है ;

4. दीर्घकालिक अवधि के अनुरक्षण कार्यों के लिए पर्ट तैयार करने की व्यवस्था की गई है तथा माइक्रो आयोजना की जा रही है तथा निर्धारित तारीख तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानीटरिंग की जाती है ।

5. उत्पादन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने और उनका पता लगाने के लिए उक्त दोनों ताप विद्युत केन्द्रों पर कृतिक बल/दलों का गठन किया गया है । उत्पादन सेटों में बाधाओं का पता लगा लिया है और इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की योजना तैयार करली गई है ।

6. सभी ट्रिपिंग्ज और बंन्दियों का रिकार्ड रखा जाता है और अब प्रत्येक बन्दी और ट्रिपिंग का विश्लेषण किया जाता है और जहां उपचारी उपायों की आवश्यकता होती है वहां ये उपाय शीघ्रता से किए जाते है । जहां पर गलत प्रचालन के कारण बन्दी या ट्रिपिंग होती है वहां पर यूनिटों का उचित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यवाई की जा रही है ।

7. नियंत्रण तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन उपस्कर का पर्याप्त भंडार रखने के लिए कार्यवाही की गई है और की जा रही है ताकि जहां पर आवश्यकता हो इनको शीघ्रता से प्रयोग में लाया जा सके ।

**राज्यों में खासकर राजस्थान में बिजली संकट**

2187. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्य गम्भीर बिजली संकट का सामना कर रहे हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस संकट में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं ;

(ख) क्या बिजली संकट के संबंध में राजस्थान की स्थिति गत वर्ष की तुलना में ज्यादा बदतर है ;

(ग) क्या सरकार को कृषि और उद्योग दोनों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव के विस्तार की कोई जानकारी है ; और

(घ) इस बिजली संकट पर काबू पाने के लिए निकट भविष्य में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) उत्तरी क्षेत्र में पंजाब राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य, दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य, पूर्वी क्षेत्र में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं ।

(ख) अप्रैल से नवम्बर, 1980 की अवधि के दौरान राजस्थान में विद्युत की औसत उपलब्धता पिछले वर्ष की इसी अवधि की औसत उपलब्धता से लगभग 3.6% अधिक थी। राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की 220 मेगावाट की यूनिट सं० 1 में 18 दिसम्बर, 1980 से 28 जनवरी, 1981 तक बंदी हो जाने के कारण तथा इस वर्ष नदी अन्तर्वाहों के कम होने के

कारण चम्बल तथा भाखड़ा ब्यास काम्पलैक्स ने कम उत्पादन होने के कारण राजस्थान में दिसम्बर, 1980 में विद्युत सप्लाई की स्थिति संकट पूर्ण हो गई थी। 28 जनवरी, 1981 से राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र यूनिट सं० 1 के पुनः चालू हो जाने से राजस्थान में विद्युत उपलब्धता में कुछ सुधार हुआ है।

(ग) उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर 50 से 70% तक विद्युत कटौतियां/ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तथापि, मध्यम और लघु उद्योगों पर अब कोई विद्युत कटौती नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों को भी कम से कम 6 घन्टे प्रतिदिन विद्युत सप्लाई की जाती है।

(घ) 1980-85 की अवधि के दौरान राजस्थान प्रणाली में लगभग 496 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में 1980.85 के दौरान चालू होने वाली कुछ केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से भी राजस्थान को लाभ प्राप्त होंगे।

**राजस्थान की ऐसी विद्युत परियोजनाएं और ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं जो केन्द्र के पास विचाराधीन पड़ी हैं**

2188. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा प्रेषित उन विद्युत परियोजनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के नाम और संख्या कितनी है जो केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हैं ;

(ख) ये योजनाएं कब से विचाराधीन हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं और योजनाओं पर कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) से (ग) राजस्थान सरकार/ राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से जल विद्युत तथा ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए प्राप्त हुए जो प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में लम्बित हैं वे प्रस्ताव तथा उनकी अद्यतन स्थिति विवरण-1 में दिखाई गई है। राजस्थान बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई 17.25 करोड़ रुपए के ऋण परिव्यय की 62 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास स्वीकृति के लिए लम्बित हैं। इन स्कीमों के ब्यौरे विवरण-2 में दिखाए गए हैं। 8.41 करोड़ रुपए के ऋण परिव्यय की 23 अन्य ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम को प्राप्त हुई थी लेकिन ये स्कीमें राजस्थान बिजली बोर्ड को संशोधन/स्पष्टीकरणों के लिए लौटा दी गयी है। इन स्कीमों के ब्यौरे विवरण-3 में दिए गए हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम

द्वारा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की स्वीकृति, इनकी तकनीकी-आर्थिक व्यहार्यता पर तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। नई स्कीमों के लिए प्रथम वर्ष की किस्त के रूप में वितरण के लिए किये गये निधियों के आबंटन के आधार पर, ग्राम विद्युतीकरण निगम चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 2,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की और नई स्कीमों को स्वीकृति प्रदान करने की स्थिति में होगा :

**विवरण-1**

जल विद्युत तथा ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए राजस्थान सरकार/राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुए तथा स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में लम्बित प्रस्ताव तथा उनका उद्यतन स्थिति को दर्शाने वाला विवरण।

| क्रम सं० | परियोजना | प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट) | अनुमानित लागत (करोड़ रु० में) | प्राप्ति की तारीख | अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | दांई मुख्य नहर (चम्बल परियोजना) जल विद्युत | 4×2 | 5.58 | फरवरी, 1980 | परियोजना रिपोर्ट का परीक्षण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया गया था और उनकी टिप्पणियों को परियोजना प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है। उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है। |
| 2. | माउन्ट आबू जल विद्युत स्कीम | 2×1.25 | 5.16 | अक्तूबर, 1979 | के० वि० प्रा०/के० ज० आ० की टिप्पणिया परियोजना प्राधिकारियों के पास भेज दी गई हैं। के० ज० आ० ने राय दी है कि के० वि० प्रा०/के० ज० आ० की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना को बहुद्देश्यीय परियोजना में बदल दिया जाए। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | पालना लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना | 2 × 60 | 67.38 | फरवरी, 1979 | स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है। तथा निवेश निर्णय की प्रतीक्षा है। |

**विवरण-2**

राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई 62 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के नाम तथा उनकी अद्यतन स्थिति

| क्र० सं० | स्कीम का नाम | ऋण राशि (लाख रु० में) | स्कीम/संशोधित स्कीम की प्राप्ति की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | भरतपुर में टी आर. डब्ल्यू. | 15.550 | 21.10.80 |
| 2. | कोटा में टी. आर. डब्ल्य. | 12.096 | 21-10-80 |
| 3. | पोंडवा पी. एस. नागौर जिला | 98 821 | 12-11-80 |
| 4. | संकरा पी.एस. जयसलमेर जिला | 29.493 | 20-1-81 |
| 5. | साम पी. एस. जयसलमेर जिला | 25.029 | 20-1-81 |
| 6. | सुल्तानपुर पी. एस. कोटा जिला | 49.352 | 17-11-80 |
| 7. | सगवारा पी. एस. डुंगरपुर जिला | 60.358 | 17-12-80 |
| 8. | चौहतन पी. एस. बाड़मेर जिला | 90.749 | 19-12-80 |
| 9. | चौहतन पी. एस.-1 बाड़मेर जिला | 67.686 | 19-12-80 |
| 10. | सूरतगढ़ पी. एस. श्रीगंगानगर जिला | 120.477 | 4-7-80 |
| 11. | सदमपुर पी. एस. श्रीगंगानगर जिला | 74.086 | 21-10-80 |
| 12. | संगोद पी. एस. कोटा जिला | 19.547 | 20-1-80 |
| 13. | केशरीपतन पी. एस. बूंदी जिला | 83.738 | 26-2-80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | तालीरा पी. एस. बूंदी जिला | 17.335 | 12-11-80 |
| 15. | गढ़ी पी. एस. बांसवाड़ा जिला | 20.175 | 17-12-80 |
| 16. | तलवाड़ा पी. एस. बांसवाड़ा जिला | 14.119 | 17-12-80 |
| 17. | रामगढ़ पी. एस. जलवर जिला | 46.450 | 20-12-80 |
| 18. | बेयाना पी. एस. भरतपुर जिला | 54.798 | 23 12-80 |
| 19. | झुनझुनू पी. एस. झुनझुनू जिला | 12.527 | 23-12-80 |
| 20. | रानीवाड़ा पी. एस. जालोर जिला | 63.201 | 7-1-81 |
| 21. | जसवन्तपुर पी.एस. जालोर जिला | 11.965 | 29-1-80 |
| 22. | दुदु पी. एस. जयपुर जिला | 52.586 | 24-1-81 |
| 23. | सकतोरा पी. एस. अजमेर जिला | 37 971 | 24-1-81 |
| 24. | पिंडवाड़ा पी. एस. सिरोही जिला | 17.734 | 31-1-81 |
| 25. | रायपुर पी. एस. पाली जिला | 49.281 | 31-1-81 |
| 26. | रिजनवाड़ी पी. एस.-1 नागौर जिला | 36.684 | 29-12-80 |
| 27. | रिजनबाड़ी पी. एस.-2 नागौर जिला | 49.876 | 17-1-81 |
| 28. | बाम पी. एस. जयपुर जिला | 52 198 | 6-1-81 |
| 29. | देवगढ़ पी. एस. उदयपुर जिला | 25.284 | 29-12-80 |
| 30. | भीनमल पी. एस. जालौर जिला | 49.659 | 29-12-80 |
| 31. | सुमेरपुर पी. एस. पाली जिला | 17.653 | 29-12-80 |
| 32. | खानपुर पी. एस. झालवाड़ जिला | 24 865 | 6-1-81 |
| 33. | नाघई पी. एस. (दक्षिण) भरतपुर जिला | 51.668 | 6-1-81 |
| 34. | नाघई पी. एस. (उत्तर) भरतपुर जिला | 48 544 | 6-1-81 |
| 35. | करन्ती पी. एस. एस. माधोपुर जिला | 29.887 | 6-1-81 |
| 36. | जयतरण पी. एस. जोधपुर जिला | 49.859 | 24-1-81 |
| 37. | शावगंज पी. एस. सिरोही जिला | 15.308 | 24-1-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 38. | नवलगढ़ पी. एस. झुनझुनू जिला | 31.794 | 29-1-81 |
| 39. | महुवा पी. एस एस. माधोपुर जिला | 0.526 | 1-9-80 |
| 40. | टोदाभीम पी. एस. माधोपुर जिला | 0.338 | 1-9-80 |
| 41. | करौली पी. एस. माधोपुर जिला | 1.392 | 1-9-80 |
| 42. | केकरी आर. ई. सी. सब डिवी. अजमेर जिला | 0.943 | 12-6-80 |
| 43. | भरतपुर ओ. एण्ड एम. सब डिवी. भरतपुर जिला | 2.767 | 20-6-80 |
| 44. | देवग ओ. एण्ड एम. सब-डिवी. भरतपुर जिला | 0.850 | 20-6-80 |
| 45. | श्री माधोपुर सब डिवी. सिकार जिला | 0.787 | 20-6-80 |
| 46. | शानपुर सब-डिवी. भीलवाड़ा जिला | 0.365 | 19-2-80 |
| 47. | देगना आर. ई. सी. सब डिवी. नागौर जिला | 0.281 | 12-6-80 |
| 48. | कंकरौली ओ. एण्ड एम. सब डिवी. उदयपुर जिला | 0.368 | 9-7-80 |
| 49. | भिडर ओ. एण्ड एम. सब डिवी. उदयपुर जिला | 0.126 | 9-7-80 |
| 50. | उदययुर सी. एस. एल.-II उदयपुर जिला | 0.290 | 9-7-80 |
| 51. | बांसवाड़ा ओ. एण्ड एम. सब डिवी. बांसवाड़ा जिला | 0.430 | 9-7-80 |
| 52. | बियानबारी मर्टेसिटी-I नागौर जिला | 1.440 | 7-1-81 |
| 53. | रोजनबाड़ी मर्टेसिटी-II नागौर जिला | 1.174 | 7-1-81 |
| 54. | पर्बतसर नागौर जिला | 1.333 | 7-1-81 |
| 55. | दीववानगर नागौर जिला | 0·042 | 7-1-81 |
| 56. | अरायन पी. एस.-II अजमेर जिला | 0.246 | 7-1-81 |
| 57. | अरायन पी. एस.-II अजमेर जिला | 0.264 | 20-1-81 |
| 58. | पर्बतसर नावा पी. एस. नागौर जिला | 1.413 | 7-1-81 |
| 59. | कचामन सिटी नागौर जिला | 0.202 | 7-1-81 |
| 60. | रेलमंगजा सब डिवी. उदयपुर जिला | 0.667 | 20-1-81 |
| 61. | कंकरोली ओ. एण्ड एम. सब डिवी. उदयपुर जिला | 0.284 | 20-1-81 |
| 62. | सलम्बर और सिरवा पी. एस. उदयपुर जिला | 0.211 | 20-1-81 |
| | | 1725.228 | |

विवरण—3

राजस्थान बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई किन्तु संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए लौटा दी गई 23 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के नाम दिखाने वाला विवरण

| क्रम सं० | स्कीम का नाम | ऋण राशि (लाख रु० में) | ग्रा. वि. नि. में प्राप्ति की तारीख | राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को लौटाये जाने की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | फालोदी और बाप पी. एस. जोधपुर जिला | 33.171 | 31-10-79 | 16-9-80 |
| 2. | राजेव और गुसायसार चुरु जिला | 33.972 | 31-10-79 | 16-9-80 |
| 3. | रामपुरा और वुचवास चुरु जिला | 32.261 | 31-10-79 | 16-2-80 |
| 4. | डूंगला पी. एस. चितौड़गढ़ जिला | 57.854 | 22-9-80 | 1-8-79 |
| 5. | चेचात पी. एस. कोटा जिला | 26.509 | 2-4-80 | 3-6-80 |
| 6. | गंगापुर पी. एस. एस. माधोपुर जिला | 45.254 | 2-4-80 | 6-8-80 |
| 7. | हिन्डौन पी. एस. एस. माधोपुर जिला | 39.762 | 7-7-80 | 5-8-80 |
| 8. | बालटोरा पी. एस.-I बाडमेर जिला | 86.327 | 31-7-81 | 22-10-80 |
| 9. | बालोत्रा पी. एस.-II बाड़मेर जिला | 52.235 | 2-9-80 | 22-10-80 |
| 10. | मन्दौर पी. एस. जोधपुर जिला | 17.341 | 28-5-80 | 5-9-80 |
| 11. | रेवधार पी. एस. सिरोही जिला | 23.190 | 6-6-80 | 13-11-80 |
| 12. | तिजारा पी. एस. अलवर जिला | 15.077 | 9-9-80 | 6-1-81 |
| 13. | किशनगढ़ पी. एस. अलवर जिला | 19.060 | 12-11-80 | 1-6-81 |
| 14. | दौसा पी. एस. जयपुर जिला | 49.348 | 12-11-80 | 6-1-81 |
| 15. | कुचामन पी. एस. ग्र. वि. नि. सब-डिविजन नागौर जिला | 47.635 | 15-11-80 | 7-1-81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. | कुचामन पी. एस. माकराना ग्रो. एण्ड एम. सबडिविजन नागौर जिला | 32.147 | 27-11-80 | 6-1-81 |
| 17. | जामबरामगढ़ पी. एस. जयपुर जिला | 31.072 | 8-10-80 | 6-1-81 |
| 18. | वेयर पी. एस. भरतपुर जिला | 29.487 | 8-12-80 | 12-1-81 |
| 19. | रूपवास पी. एस. भरतपुर जिला | 49.284 | 16-12-80 | 12-1-81 |
| 20. | ढोड पी. एस. सिकार जिला | 24.895 | 22-12-80 | 22-1-81 |
| 21. | लक्ष्मणगढ़ सिकार जिला | 23.528 | 29-12-80 | 22-1-81 |
| 22. | झालवाड़ (एस. आई.) जिला | 40.490 | दिसम्बर, 78 | दिसम्बर, 80 |
| 23. | कंकरोली, उदयपुर | 32.010 | मार्च, 79 | दिसम्बर, 80 |
| | | 841.849 | | |

**फिल्म निर्माण के लिए फिल्म वित्त निगम और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा दिया गया धन**

2189. **श्री जार्ज फर्नांडीस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिल्म निर्माण के लिए फिल्म वित्त निगम और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कलेंडर वर्ष 1980 के दौरान कितना धन दिया गया है ;

(ख) जिन निर्माताओं/निदेशकों को धन मिला है उनके नाम क्या हैं और यह धन उन्हें किन शर्तों पर दिया गया है ; और

(ग) ऋण के लिए कितने तथा कितनी राशि के आवेदन सरकार के विचाराधीन है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :** (क) फिल्म वित्तनिगम/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा स्वीकृत ऋणों का वितरण किश्तों में किया जाता है। उदाहरणार्थ, 1980 में स्वीकृत किसी ऋण का कुछ भाग 1980 में और कुछ भाग बाद के वर्षों में दिया जा सकता हैं। कैलेण्डर वर्ष 1980 में फिल्म वित्त निगम/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्मों के निर्माण के लिए 24 निर्माताओं/निर्देशकों को 26,15,696.50 रु० के ऋण दिए ।

(ख) 1980 के दौरान जिन निर्माताओं/निदेशकों को ऋण मिले, उनके नाम तथा उनको मिली धन-राशि संलग्न बिवरण में दी गई है। निगम जिन शर्तों पर ऋण स्वीकृत करता है वे मोटे तौर पर ये हैं :—

1. ऋण लेने वालों को ऋण के भुगतान की गारंटी या प्रत्याभूति (समर्थक या अन्यथा) देनी होती है ;

2. निगम को विश्व अधिकारों के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ, फिल्म, इसकी तस्वीर और ध्वनि नेगेटिवों, सभी आकार की रशप्रिन्टों और वीडियो अधिकारों पोशाक, स्क्रिप्ट, दृश्य, गीतों, कापीराइट, आदि प्रथम प्रभार और सर्वोच्च लियन दिया जाता है,

3. प्राप्त ऋण की वापसी, फीचर फिल्मों के मामले में, पहली किश्त दिए जाने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति पर या फिल्म के कहीं भी रिलीज होने की तारीख से 30वें दिन पर, इनमें से जो भी पहले हो, करनी होती है, डाकुमैंट्री फिल्म या लघु फिल्मों के मामले में, ऋण की वापसी की तारीख पहली किश्त दिए जाने की तारीख से 6 महीने या उस डाकुमैंट्री/लघु फिल्म को उसके, प्रायोजकों को सौंपे जाने की तारीख से 30वां दिन, इनमें जो भी पहले हो, हैं और

4. 15% वार्षिक दर पर ब्याज लिया जाता है।

(ग) 31-12-1980 को निगम के पास 59.61 लाख रु० के ऋणों के लिए 16 आवेदन-पत्र पेंडिंग थे।

**विवरण**

फिल्म वित्त निगम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कैलेण्डर वर्ष 1980 के दौरान जिन निर्माताओं/निर्देशकों को ऋण दिए गए उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण

| क्रम सं० | निर्माता का नाम | फिल्म का नाम | दी गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | रुपए |
| 1. | युक्त फिल्म सोसाइटी लि० | अरविन्द देसाई की अजीब दास्तान | 11,988.68 |
| 2. | प्रेमसिंह वर्मा | टाईगर अंकल | 15,255.61 |
| 3. | एस. सुखदेव | मीना कुमारी पर डाकुमेंट्री | 13,267.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | एन. पटवर्धन | 22 जून, 1897 | 37,852.22 |
| 5. | कृष्णा मुवीज | संकेत आक्रोमी | 72,328.44 |
| 6. | जाहनू वरुआ | अपरूपा | 25,054.77 |
| 7. | चित्र भारत | (विक्षिप्पु) सूराबली | 80,593.63 |
| 8. | संचार फिल्म को-अप सोसाइटी लि० | भवानी भवाई | 1,59,774.93 |
| 9. | सैयद अख्तर मिर्जा | अलवर्ट पिन्टों को गुस्सा क्यों आता है | 1,13,053.49 |
| 10. | कलिंगा फिल्म इन्टरनेशनल | (गर्म भाट या भूत कहानी) शोध | 89,259.60 |
| 11. | एम. एस. साधू | बड़ा | 2,14,182.23 |
| 12. | भारत चलचित्र | (हरिजन चौपाल) नया जीवन | 23,000.00 |
| 13. | न्यू फिल्म्स | चक्र | 3,55,000.00 |
| 14. | तनवीर अहमद प्रोडक्शन | चिरुथा | 3,38,645.46 |
| 15. | दुर्गा खोटे प्रोडक्शन | अबोर्शन | 38,910.25 |
| 16. | विनोद चोपरा प्रोडक्शन | सजाए मौत | 3,36,239.09 |
| 17. | कविता फिल्म्स | प्रतिशोध | 74,863.15 |
| 18. | एम. सरकार प्रोडक्शन | अम्बमेघर घोड़ा | 2,09,428.22 |
| 19, | फिल्मक्लाज | 36 चौरंगी स्ट्रीट | 2,25,000.00 |
| 20. | बलवंत गार्गी | यामिनी कृष्ण मूर्ति | 50,000.00 |
| 21. | बी. डी. गर्ग प्रोडक्शन | सीप्ज | 30,000.00 |
| 22. | प्रकाश अरोड़ा | ड्रोश दैट काउन्टस (पेट्रोलियम कन्जर्वेशन) | 5,000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | बी. डी. गर्ग | पे यूअर टैक्स एंड रिलेक्स | 38,000.00 |
| 24. | कलात्मक | पंकज मलिक | 59,000.00 |
| | | कुल : | 26,15,696.50 |

**औद्योगिक उपक्रमों में सार्वजनिक न्यासों द्वारा पूंजी लगाया जाना**

2190. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि कुछ सार्वजनिक ट्रस्ट (न्यास) अपने धन को औद्योगिक उपक्रमों में लगा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन न्यासों तथा न्यासधारियों के क्या नाम है ; और

(ग) प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) :** (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) तथा (ग) इन लोक न्यासों के न्यासियों द्वारा प्रस्तुत सूचना, जहां औद्योगिक उपक्रमों को सम्मिलित करते हुए कम्पनियों में उनके द्वारा किये गए निवेश, कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं, पर आधारित विवरण-पत्र संलग्न किया जाता है।

(ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० 2013/81)

**भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा इलाहबाद में की गई टिप्पणी**

2191. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

**श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने 1 जनवरी, 1981 को इलाहबाद उच्च न्यायालय की बार एसोसियेशन के सामने भाषण देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की थी कि बार के कुछ सदस्यों ने मुझसे यह शिकायत की है कि न्यायाधीशों के वे पुत्र और पुत्रियां जो कुछ उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय कर रहे हैं, मुकदमे (ब्रीफ) लेने में अपने पिता के पद का अनुचित लाभ ले रहे हैं ;

(ख) क्या उन्होंने ऐसे न्यायाधीशों से जिनके बच्चे उन्हीं उच्च न्यायालयों में विधि व्यवसाय कर रहे हैं जिनमें वे काम कर रहे हैं, यह अपील की कि वे स्वयं अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरण की प्रस्थापना करें; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने इलाहबाद उच्च न्यायालय की बार के सदस्यों के समक्ष तारीख 1 जनवरी, 1981 को भाषण दिया था और अपने भाषण में उन्होंने यह कहा था कि स्वयं न्यायाधीशों पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता है किन्तु इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि न्यायाधीशों के निकट नातेदारों को अपनी नातेदारी के कारण कुछ फायदा प्राप्त होता है । भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने उस भाषण में यह भी कहा था कि न्याय प्रशासन के व्यापक हित में उन न्यायाधीशों को जिनके निकट नातेदार उन्हीं के न्यायालयों में विधि व्यवसाय कर रहे हैं स्वयं आगे आकर स्वेच्छा से अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरित किए जाने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए ।

(ग) यदि कोई न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालय को अपने स्थानान्तरण का अनुरोध करता तो उसके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ।

**राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के लिये वार्षिक कार्यक्रम**

2192. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार क, ख और ग राज्यों के लिए राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को यह कार्यक्रम नियमित रूप से प्राप्त होता है;

(ग) यदि हां तो वर्ष 1980 के लिए राज्यों की इन तीनों श्रेणियों के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां तो वर्ष 1980 के दौरान राज्यों की इन सभी तीनों श्रेणियों में राजभाषा के रूप में हिन्दी के उपयोग में हुई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी.शिवशंकर)** : (क), (ख) और (घ) जी हां ।

(ग) और (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। जहां तक विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधीन अधिकारियों का सम्बन्ध है, राज्यवार जानकारी सभा के पटल पर रख दी गई है, कंपनी कार्य विभाग के अधीन अधिकारियों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2014/81)

**दिल्ली और जिला क्रिकेट ऐसोसियेशन में कुप्रबन्ध की शिकायतें**

2193. **श्री कमल नाथ** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसियेशन, जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत है के विरुद्ध कदाचार, कुप्रबन्ध और खातों में जोड़-तोड़ करने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) ये शिकायतें किस तरह की हैं; और

(ग) इसमें सुधार के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) से (ग) कम्पनी के विरुद्ध अन्तिम शिकायत वर्ष 1975 में प्राप्त हुई थी। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत, कम्पनी के निरीक्षण का आदेश दिया गया था और वह जुलाई 1976 में कार्यान्वित किया गया था। रिपोर्ट में कतिपय अनियमितता प्रकट हुई थीं, जिसमें अन्य के साथ-साथ सम्मिलित थे :—

1. कि समय पर वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रस्तुत करने में असफल होना,

2. कम्पनी के गोदाम से प्राप्त किराये का गलत लेखादेय,

3. कतिपय आवतियों के सम्बन्ध में अनुसूची VI के साथ पठित धारा 211 के अंतर्गत कुछ उल्लंघन,

4. गोदाम किराये पर लेने के सम्बन्ध में धारा 297/ 301 के उपबन्धों के पालन करने में असफल होना,

5. अस्थायी सदस्यों के संबंध में उद्देश्यों के अनुच्छेद का कुछ उल्लंघन,

6 प्रतिनिधित्व पत्र रजिस्टर को अनुचित ढंग से रखना,

7. कतिपय अग्रिम राशियों की गलत ढंग से "अयुक्त ऋण" के रूप में समझा जाना,

8. विज्ञापन प्रभारों को वसूल करने में चूक करना ।

इन निष्कर्षों पर उचित रूप से उपचारक कार्यवाही की जा रही है ।

**कोचीन में ऐरोनोटिक्स कंप्लेक्स**

2194. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने कोचीन में ऐरोनोटिक्स कंप्लेक्स के लिए आशय-पत्र हेतु कब आवेदन किया है;

(ख) भारत सरकार द्वारा उक्त आवेदन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि भारत सरकार द्वारा डा० तिलक की अध्यक्षता में नियुक्त की गई स्थान चयन समिति ने यह परियोजना कोचीन में स्थापित करने की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) भारत सरकार का विचार आशय-पत्र कब जारी करने का है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) सितम्बर, 1980 में ।

(ख) प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निश्चय किया गया है क्योंकि बुनियादी कच्चे माल की सप्लाई के लिए संसाधनों का अभी पता नहीं चला है ।

(ग) एरोमेटिक्स के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना करने के लिए तकनीकी आर्थिक आधार पर विभिन्न स्थलों के लिए सिफारिश करने के लिए गठित स्थल चयन समिति द्वारा अभी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**पीतमपुरा डी० डी० ए० कालोनी के आर० पी० ब्लाक में स्ट्रीट लाइट**

2195. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारी कालोनियों का स्वयं दौरा नहीं करते और इनके निवासियों को क्षेत्र निरीक्षक के रहम पर छोड़ देते हैं, जो लोगों के कल्याण की परवाह नहीं करते ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि वे दौरा करते हैं, तो उन्होंने पीतमपुरा आवासीय योजना, जो डी०डी०ए० की एक काफी बड़ी कालोनी, है, का कितनी बार दौरा किया है और आर०पी० ब्लाक में लगे सभी खम्भों पर जहां बहुत ही कम खम्भों पर बल्ब लगे हैं, जो रात को जलते हैं, स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जा रहे पीतमपुरा आवास कापलैक्स में विद्युतीकरण की विभिन्न स्कीमें तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के संबंध में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इंजीनियर/अधिकारी विभिन्न कालोनियों का दौरा समय-समय पर करते रहते हैं पिछले एक वर्ष के दौरान, वितरण विभाग के इन्जीनियरों द्वारा 17 स्थल निरीक्षण भी किए गए थे। उपर्युक्त दौरों के अतिरिक्त, जब कभी कोई संकटपूर्ण स्थिति होती है, तब अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते है ।

पाकेट 'आर' पूर्वी में स्ट्रीट लाइट के सभी खम्भों में ट्यूब या बल्ब आदि समेत स्ट्रीट लाइट फिटिंग उपलब्ध की गई बताई जाती है तथा इस पाकेट में सड़क प्रकाश व्यवस्था संतोषजनक ढंग से चल रही है ।

**सेशन न्यायालयों में अधीक्षकों के रिक्त पद**

2196. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेशन न्यायालयों में अधीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और कब से ;

(ख) पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी कब तक भरे जाने की संभावना है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**मै० पर्कों इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लघंन**

2197. **श्री एच० एन० गौडा :**

**श्री के० लक्कप्पा :**

**श्री एन० ई० होरो** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० पर्को इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे पहले फिलिप्स इन्डिया लिमिटेड बम्बई के नाम से जाना जाता था, के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लघंन करने सम्बन्धी कुछ शिकायतें/आरोप आदि हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कम्पनी ला बोर्ड द्वारा इस बारे में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) स्पष्टत: माननीय सदस्य, भूतपूर्व में "फिलिप्स इन्डिया लिमिटेड" के नाम से जानी जाने वाली, मै० पर्को इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की बाबत सूचना प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस कम्पनी की बाबत, इसके 31 दिसम्बर, 1980 तक के तुलन पत्र में मात्रात्मक ब्यौरे प्रकट न करने के लिए, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची के भाग 2 के साथ पठित, धारा 211 के उल्लंघन के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। यह मामला विचाराधीन है।

हिस्सा आवेदन-पत्र धन के वापिस करने में देरी के लिए भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, परन्तु पुन: जांचों से, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के किसी उल्लंघन का पता नहीं चला।

(घ) तथा (ग) विभाग द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया में एक निरीक्षण के आदेश हाल ही में दिए गए हैं तथा इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**कलकत्ता कैमिकल्स कम्पनी के विरुद्ध आरोप**

2198. **श्री नीरेन घोष** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल के दिनांक 4 नवम्बर, 1980, 5 दिसम्बर, 1980 और 12 दिसम्बर, 1980 के 'दैनिक बसुमति' तथा दिनांक 10 अक्तूबर, 1980 के 'बिजनेस स्टैण्डर्ड' में कलकत्ता कैमिकल्स कम्पनी, पश्चिमी बंगाल के विरुद्ध लगाए गए गम्भीर आरोपों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी ला बोर्ड द्वारा कोई जांच कराई गई है ;

(ग) क्या कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ;

(ङ) क्या यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(च) यदि नहीं, तो क्यों ; और

(छ) क्या इस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही की जाएगी ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) दिनांक 4-11-1980, 5-12-1980 और 12-12-1980 के "दैनिक बसुमति" (कलकत्ता से प्रकाशित) अंकों की प्रतियां तुरन्त उपलब्ध नहीं है किन्तु दिनांक 10-10-1980 के 'बिजनैस स्टेन्डर्ड' में इस कम्पनी के सम्बन्ध में कोई सूचना की रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है, । तथापि, संदर्भित प्रेस रिपोर्ट पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय सदस्य से विभाग को एक पत्र दिनांक 27-1-1981 को प्राप्त हुआ था ।

(ख) से (घ) कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा बहियों के निरीक्षक के आदेश दिसम्बर, 1979 में दिए गये थे क्योंकि कम्पनी के शेयरधारियों और भूतपूर्व निदेशकों से विभाग को काफी ज्यादा संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं । निरीक्षण रिपोर्ट (30 अक्तूबर, 1980 को विभाग में प्राप्त) ने विभिन्न अनियमितताएं और कुप्रबन्ध के किए गये कार्य को प्रकट किया । महत्वपूर्ण निष्कर्ष, प्रकाशित लेखों में जालसाजी करने और कम्पनी के 30 जून, 1976, 30 जून, 1977, 30 जून, 1978 और 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्षों के कार्य परिणामों को दोषपूर्ण ढंग से करने और कम्पनी की बढ़िया वित्तीय स्थिति करने की दृष्टि से सम्बद्ध थे जैसे श्री डी० पी० बरुआ की जो न तो कम्पनी का निदेशक था और ना ही कर्मचारी था, कम्पनी के दिन प्रतिदिन के प्रबन्ध में भाग लेने, प्रबन्ध समिति की बैठकों में आमंत्रित किये जाने, श्री डी० पी० बरुआ द्वारा शेयरों का अभिग्रहण किया जाना, जो कम्पनी के नियंत्रण और प्रबन्ध में अहित होकर अन्ततोगत्वा परिवर्तन कर सकता था, मैसर्स अपर्ण डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ए०वे० फार्मास्यूटिकल्स एजेन्सीज लिमिटेड नेपाल के साथ विक्रय व्यवस्थाएं करके कम्पनी के हित के विपरीत कार्य करने मैसर्स गंगा सोप फैक्टरी से उसके अनुचित होने पर भी निम्नस्तरीय तेल की काफी खरीद करने, वर्ष 1977-78 में तथा 1979-80 में अविधिवत ऊंची दरों पर चर्बी की खरीद, अधिनियम के उपबन्धों के उलंघन में कम्पनी के कार्यों के सही और स्वच्छ दृष्टिकोण को 30 जून, 1977 से 30 जून, 1979 तक के लेखाओं में स्टाक की अत्यधिक कमी और सभी को अन्तिम रूप दिए बगैर ही चित्रित करना ।

(ङ) तथा (च) प्रश्न के पहले भागों का उत्तर मुख्य अनियमिताओं पर प्रकाश डालता है । तथापि, सदन के पटल पर निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति रखना सामान्यत. जनहित में नहीं होगा, इसलिए कि यह निरीक्षण करने वाले अधिकारियों द्वारा दी गई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष राय को प्रभावित करेगी और क्योंकि रिपोर्टों में निरीक्षकों के एकपक्षीय दृष्टिकोणों का भी उल्लेख करे तथा निरीक्षित कम्पनी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित संकेतों के स्पष्टीकरण का अवसर भी नहीं दिया गया हो ।

(छ) निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर, कम्पनी तथा सभी उसके निदेशकों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 (1) के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्यों नहीं कम्पनी के कार्यों को जो कम्पनी के किन्हीं सदस्यों पर अत्याचारी व्यवहार में सम्पन्न किया जा रहा है या कम्पनी या जनहित के विपरीत किए जा रहे हैं, के निवारणार्थ उपरोक्त उपबन्धों के अन्तर्गत निदेशकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। चूंकि कम्पनी का उत्तर प्राप्त हो गया है इसलिए मामला विचाराधीन है। कम्पनी के निदेशकों में से एक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 409 के अन्तर्गत शिकायत के आधार पर, इससे आगे, कम्पनी विधि बोर्ड ने अपने आदेश दिनांक 19-12-1980 के द्वारा निर्देश दिया था कि कम्पनी अधिनियम की धारा 409 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जांच के पूर्ण होने तक, कम्पनी या उसके निदेशक मंडल का कोई संकल्प पारित न किया जाय या पारित किया जा सके या कोई कार्यवाही की जाए या जो निदेशक मंडल में परिवर्तन करें की जाए जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी पुष्टि नहीं हो जाए। धारा 409 के अन्तर्गत जांच प्रगति पर है।

**उत्तर प्रदेश तथा बिहार विधान सभाओं में रिक्त स्थान**

2199. **श्री राम अवतार शास्त्री : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार विधान सभाओं में कुछ स्थान रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निर्वाचन क्षेत्रों में उप-चुनाव कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उपरोक्त रिक्त स्थानों के लिये उप-चुनाव कब तक कराये जाने का विचार है।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) जी हां। इस समय बिहार विधान सभा में पांच तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में सात स्थान रिक्त हैं ?

(ख) बिहार राज्य विधान सभा के रिक्त स्थानों के लिए उप-निर्वाचन पहले इसलिए नहीं कराए जा सके क्योंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ क्षेत्र पहले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित थे और राज्य सरकार के लिए वहां मतदान कराना संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश विधान सभा के रिक्त स्थानों के मामले में राज्य सरकार ने सभी रिक्त स्थानों में मुख्य रूप से विधि और व्यवस्था के आधार पर उप-निर्वाचन कराने में असमर्थता व्यक्त की थी।

(ग) देश भर में जनगणना कार्य पूरा हो जाने पर निर्वाचन आयोग लम्बित उप-निर्वाचन कराने के बारे में विनिश्चय करेगा।

**वकीलों की सामाजिक सुरक्षा**

2200. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी स्तर पर अधिकांश वकीलों को पैसा देने वाले मुवक्किलों के मुकदमे मिलने में कमी के कारण आर्थिक विषमता का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निधि, सरकारी खर्च पर निश्चित संख्या में मुकदमे, रिहायशी भूमि आदि की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या बिहार के छपरा, मधुबनी और अन्य जिलों के युवा अधिवक्ताओं ने विधि व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण आदि की मांग करते हुए 24 जनवरी, 1981 को न्यायालयों का बहिष्कार किया था ; यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) और (ख) सरकार ने विधि व्यवसायियों की आर्थिक और भौतिक दशाओं का कोई सर्वेक्षण आरम्भ नहीं किया है और इसलिए उसके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है ।

(ग) जी नहीं । यदि सरकार सामाजिक सुरक्षा की कोई स्कीम प्रारम्भ करती है तो वह पूरे समुदाय के लिए होगी न कि उसके किसी सीमित वर्ग के लिए ।

(घ) इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि बिहार के छपरा, मधुबनी और अन्य जिलों के युवा अधिवक्ताओं ने विधि व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण आदि की मांग करते हुए तारीख 24-1-81 को न्यायालयों का बहिष्कार किया था किन्तु सरकार को सीतामढ़ी बार एसोसिएन, सीतामढ़ी (बिहार) द्वारा तारीख 20-2-81 को पारित संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई है । उस एसोसिएशन ने दो संकल्प पारित किए थे । प्रथम संकल्प जिला युवा वकील एसोसिएशन, मधुबनी की मांगों का समर्थन करता है और दूसरे संकल्प द्वारा यह संकल्प किया गया कि तारीख 24 और 25 फरवरी, 1981 को न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए । सरकार को छपरा या मधुबनी के अधिवक्ताओं से कोई मांगपत्र प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु जिला युवा वकील कल्याण समिति, गोदा, बिहार से एक अपील प्राप्त हुई है । उस अपील में उल्लिखित मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) वकीलों के बीच सरकार द्वारा मामलों का समान वितरण ;

(2) सरकारी अधिवक्ताओं, सहायक लोक अभियोजक आदि की प्रणाली को समाप्त करना और उसके स्थान पर बार एसोसिएसन से लिए गए अधिवक्ताओं को रखना ।

(3) कुछ और असुविधाग्रस्त वकीलों के लिए आवास, पुस्तकालय, बीमा, पेंशन, जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(4) मजिस्ट्रेटों और न्यायाधीशों की अधिवक्ताओं में से नियुक्ति ।

सरकार विधि व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण अथवा उसके द्वारा नियोजित काउन्सेल से भिन्न काउन्सेलों के बीच मुकदमों (ब्रीफ) के वितरण के विनियमन के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है ।

---

## मन्त्रालयों द्वारा सदस्यों को विषय की जानकारी उपलब्ध कराने के बारे में

**श्री रामविलास पासवान** (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हमने एजोनमेंट मोशन दिया है कि श्री जैल सिंह ने कांग्रेस (आई) के सम्बन्ध में होम मिनिस्ट्री के एडीशनल सेक्रेटरी को लिखा है कि वे उनको ब्रीफ करें । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार और पार्टी में कोई अन्तर है या नहीं ? ···(व्यवधान)···।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी ओर ध्यान दीजिए । (व्यवधान) इसका निर्णय मैंने करना है, आज सुबह मुझे समाचार-पत्रों में आज प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले कई नोटिस प्राप्त हुए हैं कि बताया जाता है कि गृह मन्त्री महोदय ने पार्टी कार्यालय के माध्यम से सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों को विषय की कुछ जानकारी दिए जाने के लिए निदेश दिए हैं । इस मामले से मुझे चिन्ता हुई और मैंने तुरन्त इस मामले को सरकार के पास भेजा । कुछ ही मिनटों पहले मुझे गृह मन्त्री का पत्र मिला जो स्वतः स्पष्ट है । गृह मन्त्री महोदय ने अपने पत्र में कहा है :

"श्री प्रकाश महरोत्रा, सचिव, कांग्रेस (आई) से दिनांक 9 फरवरी 1981 का पत्र प्राप्त होने पर, जिसमें संसद में उठाये जाने वाले मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित मामलों के बारे में सदस्यों के प्रयोग के लिए पृष्ठाधार जानकारी देने को कहा गया है, मैंने मामले में आवश्यक कार्यवाही के लिए अपने मंत्रालय के अधीन विभागों को अनुदेश जारी किए थे । उस समय मैंने सोचा था कि इससे माननीय सदस्य वाद-विवाद में लाभप्रद योगदान दे सकेंगे···।"

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमण्ड हार्बर) : केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को···(व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि ऐसी स्थिति आती तो हम उसका सामना कर लेते। यदि ऐसे समस्या आती तो हम उसका समाधान कर लेते। (व्यवधान) नियमों के अनुसार जो भी संभव होता मैंने तद्नुसार निर्णय लिया होता। (व्यवधान) अनुमति नहीं दी जाती है। (व्यवधान)* मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)*।

मैं यह कह रहा हूं कि आप चार-पांच बोलेंगे तो किसी को पता नहीं लग सकता कि आप क्या बोल रहे हैं और मैं क्या बोल रहा हूं। आप मेरी अनुमति के बिना क्यों बोल रहे हैं जबकि मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं.....? आप भी मेरी अनुमति के बिना बोल रहे है। (व्यवधान)* मैं सुन सकता हूं परन्तु इस प्रकार नहीं। बैठ जाइये।

**श्री रामविलास पासवान** : आपने पहले मुझे बुलाया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका मैंने जवाब दे दिया है।

**श्री रामविलास पासवान** : होम मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। इस प्रकार का डेमोक्रेसी में नहीं होता। आप होम मिनिस्टर से माफी मंगवाइये, होम मिनिस्टर माफी मांगे (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने यह किया है ; कोई परिकल्पित स्थिति नहीं है (व्यवधान)।

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे)** : सूचना मांगना एक सदस्य का अधिकार है; सूचना देना एक मन्त्री का अधिकार है। इसमें विशेषाधिकार हनन की क्या बात है ? हम इससे कतई सहमत नहीं हैं। विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है, माफी का कोई प्रश्न नहीं है। और अध्यक्ष महोदय को धमकाने का प्रयास मत करो।

**अध्यक्ष महोदय** : आप ऐसा क्यों कर रहे हो ? आप क्यों बोल रहे हैं ?

**एक माननीय सदस्य** : उन्हें इस बात की शर्म आनी चाहिए।

**संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन)** : हमें इस बात की शर्म नहीं है। यह हमारा अधिकार है; यह हमारा दायित्व है। विशेषाधिकार का प्रश्न उस समय उठता है, जब हम...।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे उसका निर्णय करना है। क्या आपको उसका निर्णय करना है ? उन्हें कहने दो, क्या नुकसान है ?

**श्री सी० एम० स्टीफन** : तब तो सब ठीक है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसका आप पर कैसे असर पड़ता है ? आप क्यों उत्तेजित होते हैं ? (व्यवधान)।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**एक माननीय सदस्य** : आप माफी मगवाइये ।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है (व्यवधान) ।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : हम वैसा करते रहेंगे । मेरा मन्त्रालय विषय की जानकारी देगा ; यह मेरा अधिकार है और मेरा दायित्व है (व्यवधान) ।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : यह सभी का रवैया है (व्यवधान) ।

**श्री सी०एम० स्टीफन** : यदि आप चाहते हैं तो हम इस पर वाद-विवाद कर सकते हैं ।

**श्री वसन्त साठे** : मैं भी विषय की जानकारी दूंगा ।

**श्री सी०एम० स्टीफन** : हम विषय की जानकारी दे सकते हैं···(व्यवधान) ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : व्यवस्था के प्रश्न पर···(व्यवधान)* ।

**अध्यश्र महोदय** : मैं सुनना चाहता हूं परन्तु तभी जब कोई सुनने दें ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं विषय 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । यदि सम्बन्धित पत्रकारों ने यह महत्वपूर्ण सेवा नहीं की होती·····।

**अध्यक्ष महोदय** : यह परिकल्पित प्रश्न है, इसके लिए अनुमति नहीं दी जाती है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : दूसरी बात यह है कि क्या आप यह अनुभव करते हैं कि यदि उन्होंने यह किया होता तो इससे सरकारी गुप्त बात अधिनियम का उल्लंघन हुआ होता ?

**अध्यक्ष महोदय** : जब वह आयेगा तो मैं देखूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए (व्यवधान) ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैंने आपको अनुमति दी है । आपको बोलने के लिए मेरी अनुमति नहीं है । (व्यवधान)* अनुमति नहीं दी गई है । मैं आप सब की बात सुनूंगा·····।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मेरा अन्तिम निवेदन यह है कि श्री स्टीफन ने अपने विवेक से अभी कहा है···।

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ नहीं, अस्वीकृत कर दिया गया ।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**श्री सी०एम० स्टीफन :** मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। आप विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। मेरे मन्त्रालय में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में सदस्यों को जानकारी देना मेरा दायित्व है (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय :** आप उत्तेजित क्यों होते हैं ? (व्यवधान)* श्री सोमनाथ चटर्जी। (व्यवधान) कृपया···शान्त रहिए। (व्यवधान)* आप उपहास करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं ? मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाता है। हां, श्री सोमनाथ चटर्जी, उन्हें मेरी अनुमति है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर): श्रीमान् आपने अभी कहा कि आपने वास्तव में इस मामले में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए स्वेच्छा से कार्यवाही की और आपने गृह मन्त्रालय से जानकारी मांगी। आपने एक पत्र पढ़कर सुनाया है। क्या मैं मामले की गम्भीरता को देखते हुए आप से यह अनुरोध कर सकता हूं कि आप स्वेच्छा से हस्तक्षेप करें और इस बात का पता लगायें कि क्या किसी अन्य माननीय मंत्री ने अपने मंत्रालय को ऐसे निदेश जारी किये है (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय :** जब यह आयेगा तो हम देखेंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** आपने पता नहीं लगाया तो यह सम्भव नहीं है (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं पता लगाऊंगा हां, श्री गुप्ता (व्यवधान)।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बशीरहाट) : हम आपके निर्णय की बड़ी प्रशंसा करते है। मैंने आप को यह कहते सुना: यह बड़े महत्व का विषय है कि संसदीय परम्पराओं का पालन किया जाता है यहां पर जो कठिनाई उत्पन्न हो गई है और इसीलिए में खड़ा हो रहा हूं और आपकी अनुमति मांग रहां हूं वह यह है —या तो आपका निर्णय माना जाये या जो कुछ मंत्री अब कह रहे है उसे माना जाए। दोनों को नहीं माना जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं मैं भी समझता हूं कि मैं इस पर भी निर्णय दे सकता हूं। मैं देखूगा ; जब कभी मुझे इस परम्परा के उल्लंघन का पता चलता है, मैं उस पर ध्यान दे सकता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या आपके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है ? वे यहां पर शोर मचा रहे है (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, वह दूसरे संदर्भ में हो सकता है। मैं उसको देखूगां हां, जी श्री शेजवलकर।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके निर्णय को चुनौती दी गई है। दो मंत्री महोदय बड़े जोरों के साथ शोर मचा रहे है। आपको इसके लिए उनकी निन्दा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे उल्लंघन करते हैं तो मैं देखूंगा; यह किसी अन्य सन्दर्भ में कोई और बात हो सकती है। वह नियमानुसार हो सकती है। मैं किसी बात को निश्चित नहीं समझ सकता हूं। चिन्ता मत करो मैं इस पर ध्यान दूंगा। हां, जी, श्री शेजवलकर (व्यवधान)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे कहते है "हम जो कुछ भी चाहेंगे हम करेंगे।"

अध्यक्ष महोदय : यह बात दोनों पक्षों पर लागू होती है।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। मैं नोटिस देना चाहता हूं; और मैंने इसी विषय पर आपके विचारार्थ विशेषाधिकार के लिए नोटिस दिया। मैंने इसको आज दिया।

अध्यक्ष महोदय : इसको निपटाया जा चुका है।

श्री एन० के० शेजवलकर : जरा मेरी बात सुनिये। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ? मुझे मालुम है कि इसकी मुझे सूचना दी जा चुकी है आपने इसका निपटान कर दिया है। यहां पर प्रश्न यह है कि जहां तक तथ्य का प्रश्न है मुझे यह जानकारी दी गई थी कि मामले में छानबीन की जा रही थी ? गृह मंत्री महोदय का एक पत्र है जिसमें हमारे द्वारा लगाये गये आरोप की पुष्टि होती है अर्थात कुछ निदेश का उल्लंघन करते हुए जारी किये जा चुके है ...?

अध्यक्ष महोदय : उसे वापस ले लिया गया है। अब कुछ नहीं।

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये मैं शोर नहीं मचाता हूं। मैं कभी खड़ा नहीं होता हूं मुझे अपनी बात को स्पष्ट करने दो ? निर्णय लेने के लिये आप स्वतन्त्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अनुसार उत्तर यह है वे कह चुके हैं कि उन्होंने उसे अब वापस ले लिया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने पहले तो अनुदेशों को जारी कर दिया था जिसके लिये आपको उनसे पूछना चाहिए ...(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : बिना किसी बात के वापस नहीं लिया जा सकता है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मेरा प्रश्न है : अब मामला सभा के समक्ष है कुछ किया गया है; और बिना क्षमा याचना के जिसकी हम मांग कर रहे हैं यह आपके ऊपर है ...।

अध्यक्ष महोदय : नहीं वह इसमें नहीं आता है।

श्री एन० के० शेजवलकर : तकनीकी रूप से मेरा निवेदन है कि यह विशेषाधिकार का हनन है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री फैलीरो ।

**श्री एन० के० शेजवलकर** : आप निर्णय दीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं निर्णय दे चुका हूं । श्री फैलीरो ।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** (मारमागाओ) : कृपया मेरी बात ध्यान पूर्वक तथा धैर्य पूर्वक सुनिये । यह संसद सदस्यों तथा सरकार के बीच संबंध के बारे में परम्परा से संबंधित है । यह मान्य प्रथा है कि जब कभी संसद सदस्य सरकार से कोई सूचना मांगते हैं तो सरकार इसे देती है, यदि यह गुप्त नहीं होती । इसमें एक अपवाद है । संसद सदस्यों से इस सूचना को बाहर उन हितों को प्रकट करने की उम्मीद नहीं की जाती जो सरकार तथा संसद के विरुद्ध है । इस मामले में इस बात का ध्यान रखा गया है । एक संसद सदस्य ने इस बात का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा कि बंगाली लेखक ने एक योजना तैयार की है जिसमें भारत के एक भाग को चीन के एक भाग के रूप में दिखाया गया है और विदेश मंत्री महोदय से पूछा कि उसकी क्या प्रति क्रिया है । विदेश मंत्री ने कहा है कि हमें मामले की जानकारी है, हमें इसके बारे में पता है, यह विचाराधीन है । इस संसद सदस्य ने यह सूचना चीनी दूतावास को दी है और इसे...।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैंने ऐसा किया···(व्यवधान) ।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** : यह एक शर्मनाक बात है । (व्यवधान)* (व्यवधान) यह संसद के लिए शर्म की बात है । (व्यवधान) ।

**अध्यक्ष महोदय** : शांत रहिए, शांत रहिए ।

**श्री हरिकेश बहादुर** : मैंने···के बारे में वित्त मन्त्री के खिलाफ एक और विशेषाधिकार का नोटिस दिया है । (व्यवधान) ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने वह भेज दिया है । मुझे ब्यौरा मिल जाएगा । (व्यवधान) मैंने ब्यौरा मांगा है और तब मैं आगे की कार्यवाही करूंगा···(व्यवधान) ।

**श्री नीरेन घोष** : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । हमें आपकी व्यवस्था चाहिए । (व्यवधान) ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप किस नियम के अधीन बोलना चाहते हैं ?

**श्री नीरेन घोष** : नियम 376 के अधीन । लेकिन मुद्दा यह है कि क्या मंत्री महोदय आपकी व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : वह किया जा चुका है । यह रद्द हो चुका है ।

*अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया ।

**श्री नीरेन घोष** : आपको उन मंत्रियों को फटकारना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : अस्वीकृत । (व्यवधान) ।

**नीरेन घोष** : मैं यह जानना चाहता हूं क्या पीठासीन अधिकारी उन्हें फटकारेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ मैं कर सकता था, कर चुका हूं ।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : आपकी अनुमति से जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, वह महत्व-पूर्ण है ।

**अध्यक्ष महोदय** : हर एक सदस्य महत्वपूर्ण बात ही कहता है ।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : मुझे एक सीख मिली है और आपने हमें वह सीख देकर बड़ी दया की है । अध्यक्ष की कुर्सी का आदर करना चाहिए और हम हमेशा आपकी व्यवस्था का पालन करते हैं । आज सुबह श्री स्टीफन ने खुले आम आपकी व्यवस्था का उल्लंघन किया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं अभी नहीं । मैं उस पर विचार करूंगा । (व्यवधान) ।

**श्री सत्यसाधन चक्रवती** : यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । (व्यवधान) क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे ? यदि मैं कुछ करूं तो क्या आप करने की अनुमति देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय**: न तो मैं आपको बिना अनुमति के बोलने दूंगा और न ही श्री स्टीफन को ।(व्यवधान) राव बीरेन्द्र सिह । (व्यवधान) ।

**श्री रशीद मसूद** : खड़े हुए ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या चाहते हैं ?

**श्री रशीद मसूद (सहारनपुर)** : जो शोर करते हैं उनको तो आप मौका दे देते हैं । मैं चुप बैठा था और मुझे नहीं दिया जा रहा है । प्रिवलेज का सवाल जो फैलीरो साहब ने उठाया है मैं उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सीक्रेट मैटर्स हैं उनके बारे में इनफर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए और मैं इससे मुत्तफिक हूं । मेरा आवजैक्शन यह है कि होम मिनिस्टर कांग्रेस आई के मैम्बर्ज को ही नही बल्कि जो भी मैम्बर इनफर्मेशन मांगे उसको दी जानी चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह निपटाया जा चुका है । आपने मेरी बात सुनी नहीं है । (व्यवधान) आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते । आपने अपने कान खुले क्यों नहीं रखे ? यदि आपने ऐसा किया होता तो आप मेरी बात सुन लेते । मैं इसे निपटा चुका हूं ।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर)** मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था । उसका क्या हुआ है ? आज देश के सारे अखबारों में यह फोटो छपी है और मोटे-मोटे हैडिंग में यह चीज आई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं मैं पहले ही नियम 377 के अधीन इसकी अनुमति दे चुका हूं। मैं नहीं सुनुंगा।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : मेरी बात सुन लीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : राव बीरेन्द्र सिंह। (व्यवधान)।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : उसको क्यों खारिज कर दिया गया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : खारिज नहीं किया है, 377 में एलाउ दिया है। (व्यवधान) मैं इसकी अनुमति पहले ही दे चुका हूं। कृपया बैठ जाइए। इसे रिकार्ड मत कीजिए। (व्यवधान)*।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### धान कटाई उद्योग (विनियमन और लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1980

**कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन)** : मैं राव बीरेन्द्र सिंह की ओर से धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धान कुटाई उद्योग (विनियमन और लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 732 (ङ) में प्रकाशित हुए थे को सभा पटल पर रखता हूं।

(सभा पटल पर रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1987/81)

### बीमा दावा बोर्ड (संशोधन) नियम, 1981

**पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951 की धारा 57 के अन्तर्गत, बीमा दावा बोर्ड (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 193 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं।

(सभा पटल पर रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1988/81)

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारणों के विवरण सहित समीक्षा और 'भारत में प्रेस' 1979 पर भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन ।

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(सभा पटल पर रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 1989/81)

(3) 'भारत में प्रेस, 1979' पर भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(सभा पटल पर रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 1990/81)

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या चाहते हैं । (व्यवधान) नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं । (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए । मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाये । (व्यवधान)* ।

---

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### सोलहवां प्रतिवेदन

**श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर)** : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के बिधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 16 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## दिल्ली में लूटपाट और डकैती की घटनाओं में वृद्धि

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं :

"दिल्ली मघ राज्य क्षेत्र में लूटपाट और डकैती की बढ़ती हुई घटनायें ।"

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा किए गए कड़े उपायों से पिछले वर्ष दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी हुई है । वर्ष 1980 में डकैती के 33 मामले सूचित किए गए हैं जबकि पिछले वर्ष 64 मामले सूचित किए गए थे । जहां तक लूटपाट के मामलों का सम्बद्ध है, 1980 में 293 मामले सूचित किए गए थे जबकि 1979 में 621 मामले सूचित किए गए थे । चालू वर्ष के पहले महीने के दौरान डकैती का कोई मामला सूचित नही किया गया और लूटपाट के 17 मामले दर्ज किए गए ।

2. वास्तव में यह स्वागत-योग्य प्रवृति अपराध के अन्य शीर्षों के अन्तर्गत भी देखी जा सकती है । दिल्ली पुलिस की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विशेष उपायों के कारण ऐसा हुआ । इन उपायों मे कुछ इस प्रकार हैं :—

1. 1980 के आरम्भ में 6 नये थाने और 12 नई पुलिस चोकियां स्थापित की गई हैं । इसके अतिरिक्त वर्तमान थानों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है ।

2. नये वाहन खरीदे जाने तथा पुराने वाहनों के बदले जाने से दिल्ली पुलिस को उपलब्ध मोटर परिवहन में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

3. वर्तमान रिक्तियों को भरने और पुलिस बल को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों के 1776 पद बनाए गए हैं ।

4. बेहतर पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी राजधानी को दो पुलिस रेंजों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक रेंज को एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के प्रभार में रखा गया है ।

3. इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने स्थिति को सुधारने और नागरिकों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए उपाय किए है । इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार है :—

1. वायरलेस लगी मोटर साइकिलों सहित वाहनों की डकैती-विरोधी और लूटपाट-विरोधी गश्त और कड़ी कर दी गई है और महत्वपूर्ण स्थानों पर नाकाबंदी की गई है ।

2. संवेदनशील स्थानों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

3. आसूचना एकत्र करने के लिए साधन जुटाए गए हैं।

4. जिन अपराधियों की कार्य प्रणाली एक जैसी है उनसे पूछताछ करने के लिए अपराध रिकार्ड देखे गए हैं।

5 24 घटे गश्त लगाई जाती है और चुने हुए स्थानों पर बेरियर लगाए गए हैं जहां रात में वाहनों की जांच की जाती है।

6. गश्त ड्यूटियों के लिए लगभग 2000 होमगार्डों का उपयोग किया जा रहा है।

4. दिल्ली पुलिस के प्रशंसनीय प्रयासों के परिणामस्वरूप संघ शासित क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। परन्तु हमारे प्रयासों में ढ़ील नही हुई है और चालू वर्ष में हम और अच्छे परिणामों की आशा करते हैं।

**श्री नवल किशोर शर्मा** : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा नजर आता है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में खास तौर से डकैतियों और लूटपाट की घटनाओं में पिछले एक साल में कमी हुई है।

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : कमी ? अरे कितनी गलत बात कह रहे हो।

**श्री नवल किशोर शर्मा** : और इस कमी के बारे में हम संतोष कर सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि देश के अनेक भागों में खासतौर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह डकैतियों की घटनायें बहुत बढ़ती जा रही हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : अपने आपको केवल दिल्ली तक ही सीमित रखें।

**श्री नवल किशोर शर्मा** : मैं ऐसा ही करूंगा। मैं ध्यानाकर्षण के विचार क्षेत्र में ही रहने का प्रयास कर रहा हूं। उनकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों में नेशनल हाई-वेज पर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और वह चिन्ता का विषय है। राजस्थान की राजधानी···।

**अध्यक्ष महोदय** : अपने आपको दिल्ली तक सीमित रखें।

**श्री नवल किशोर शर्मा** : मैं केवल दिल्ली के बारे में ही बोल रहा हूं।

**श्री मनीराम बागड़ी** : आपके राज्य में तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब अमन-चैन है।

**श्री नवल किशोर शर्मा :** जयपुर के आस पास पिछले कुछ दिनों में काफी घटनाएं हुई हैं। ऐसा लगता है कि चाहे वह दिल्ली की घटनाएं हों, या दूसरे प्रांतों की घटनाएं हों चम्बल के क्षेत्र में जो डकैती की।

**अध्यक्ष महोदय :** आप चम्बल का हवाला देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते।

**श्री नवल किशोर शर्मा :** मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि यह अच्छी बात है कि मंत्री महोदय ने ऐतिहासी उपाय किए हैं और पुलिस प्रशासन को मजबूत किया है किन्तु जब तक स्रोत पर नियन्त्रण नहीं किया जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता और स्रोत चम्बल घाटी है। इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मै इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

**श्री नवल किशोर शर्मा :** असल में इस देश में जो डकैतों का सबसे बड़ा अड्डा दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में है, वह चम्बल रेवाइन्स हैं वहां के डकैतों को सैटल करने के बारे में, उन्होंने जो कुछ अच्छे आचरण करने के बारे में बात कही और कुछ लोगों ने सरैन्डर किया, उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि प्रधान मंत्री ने राज्य के मुख्य मन्त्रियों को मई में एक चिट्ठी लिखी थी और उसके जरिये उन्होने लिखा था कि जिन डकैतों ने सरैन्डर किया है, उनके रिहैब्लीटेशन के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए ? अगर उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी थी, तो उसके बाद कोई कदम उठाया गया है या नहीं ?

दूसरे यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो घटनाएं डकैती और रोबरी की होती हैं, इन घटनाओं के पीछे किसी विशेष गैंग का हाथ है क्या ? कौन से लोग इसमें सम्मिलित हैं ? क्या आपने इन डकैतियों और रोबरी की घटनाओं के बारे में यह जानकारी करने की कोशिश की है कि ये लोग कहां से आते हैं और उनको हथियार कहां से मिलते हैं ? क्योंकि अभी-अभी पिछले दिनों में वैस्ट बंगाल में कुछ बन्दूकें पुलिस से छीनने की घटनायें 22, 23 और 24 तारीख को हुई हैं। वैस्ट बंगाल सरकार उन बन्दूक छीनने की घटनाओं को रोक नहीं सकती हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

**श्री मनीराम बागड़ी :** तुम्हारा दिल्ली में तो दिवाला निकल रहा है, वैस्ट बंगाल में जा रहे हो।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को दिल्ली तक ही सीमित रखें। यदि आप दिल्ली के अलावा अन्य व्यापक क्षेत्रों को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे तो मैं उसे रद्द कर दूंगा। कल यही निर्णय हुआ था।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं केवल प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इधर-उधर की बातें नहीं कर सकते ।

श्री नवल किशोर शर्मा . मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या पश्चिम बंगाल से जब्त किए गए हथियारों को···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आपका इससे क्या सम्बन्ध है ? मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं इसे छोड़ देता हूं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि दिल्ली में जो घटनाएं घटी हैं, उनमें से कितनी डकैतियों की और कितनी चोरी की घटनाओं को अन-अर्थ किया है, कितना माल मालूमात किया है ? इनके बारे में अब तक क्या हुआ है ? इसके साथ साथ ।

अध्यक्ष महोदय : बस करिये अब ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन घटनाओं के पीछे क्या कारण हैं कि इन घटनाओं को हम पूरी तरह से इन्डीकेट नहीं कर पाये हैं ? इसके बारे में मंत्री महोदय बतायें ।

श्री मनीराम बागड़ी : कांग्रेस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अमन-चैन नहीं कर पा रही है ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : माननीय सदस्य ने अन्तर्राज्यीय डकैतियों का उल्लेख किया है । यह आज के ध्यानाकर्षण का विचारणीय विषय नहीं है । परन्तु उन्होंने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बारे में दो प्रश्न पूछे है जिसके बारे में मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहूंगा ।

वह डकैतियों, लूटपाट की घटनाओं और अन्य किस्म के अपराधों का पता लगाए जाने के बारे में जानना चाहते थे । 1980 के दौरान डाकूओं के 14 गिरोहों का पता लगाया गया था और 202 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे ।

श्री मनी राम बागड़ी : कहां पर ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : दिल्ली में 119 मामलों को हल किया गया था । उनसे 132,050/- रुपए की सम्पति बरामद की गई थी ।

जहां तक लूट-पाट की घटनाओं का संबंध है, 43 गिरोहों का पता लगाया गया था और 139 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे । उनसे 7,79,603/- रुपए की सम्पति बरामद की गई थी । 236 मामलों को हल कर लिया गया था । यदि माननीय सदस्य अन्य प्रकार की

आपराधिक घटनाओं के बारे में सूचना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं। यह मेरे पास उपलब्ध है।

खाड़ी बावली वाले मामले का पता लगा लिया गया है और दोषियों को पकड़ लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उनसे चीजें बरामद कर ली हैं। चार अभियुक्त, जिनके नाम सुधीर कुमार, अनवर, हेमराज और बलबीर उर्फ विल्ला उर्फ टाईगर है गिरफ्तार किये गये हैं। दो और अभियुक्तों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं। 7,000/- रु० की नकद राशि उनसे बरामद नहीं की जा सकी है क्योंकि उसे उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है।

जहां तक अन्तर्राज्यीय डकैतियों का संबंध है, दिल्ली पुलिस ने कुछ गिरोहों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अम्बैसडर कार वाले गिरोह, सफारीसूट वाले गिरोह और रामकिशन के गिरोह का दिल्ली पुलिस ने पता लगा लिया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे लाखों रुपए की सम्पती बरामद की गई है। दिल्ली में लूट-पाट की घटनाओं में अत्यधिक कमी हुई। यह 50 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से मुद्रा स्फीति और मूल्य-वृद्धि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय लक्षण हमारी अर्थ-व्यवस्था में आ गये है, उसी तरीके से कानून और व्यवस्था का प्रश्न, आर्थिक अपराधों का बढ़ना, कहीं राजनैतिक अपराधों और कहीं सामाजिक अपराधों का बढ़ना भी केवल डेवलपिंग कन्ट्रीज का ही नहीं, बल्कि डेवेलप्ड कन्ट्रीज का एक आम लक्षण हो रहा हैं।

लेकिन जैसा कि हमारे गृह मंत्री ने कहा है, बहुत कुछ सुधार दिल्ली की कानून-व्यवस्था की स्थित में हमारी सरकार में आने के बाद हुआ है। उसमें दिल्ली के सब नागरिक महसूस करते हैं और उसके लिए मैं गृप मंत्री और दिल्ली प्रशासन को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं समझता हूं कि इससे आपोजीशन के हमारे मित्र भी सहमत होंगे। जो हमारी तरह सोचने वाली सरकारें है विभिन्न प्रान्तों में, जो नाक को सीधे हाथ से पकड़ना चाहती हैं, यदि वहां भी कहीं कहीं कानून- व्यवस्था की स्थिति में कोई खामी है, तो जो लोग उलटे हाथ से, पीठ के पीछे हाथ घुमा कर, नाक पकड़ना चाहते हैं, उनके यहां भी*..... में भी कानून-व्यवस्था की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं है। दिल्ली को लीजिए।

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : मैं तो जेनरल रेफरेंस में कह रहा था। मुझे तो उनकी बात से एक बात याद आती है। मैं आपकी इजाजत से एक उर्दू शेर की दो लाईनें कहना चाहता हूं :—

हम आह भी करते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम,
वो कत्ल भी करते है, तो चर्चा नहीं होती।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं दी जाती है। आप स्वयं को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के क्षेत्र विषय तक सीमित रखें।

**श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत** : *.....

**श्री हरिश चन्द्र सिंह रावत** : हम अपनी बात को इलस्ट्रेट करने के लिए आम संदर्भ में भी बात को न कहें, ऐसी तो कोई बात है नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, छोड़िये साहब इस बात को।

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : मैं दो सवाल गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। एक सवाल तो यह है कि आर्थिक अपराध जो हैं, जहां तक मैं समझता हूं बिना पुलिस के मिले हुए ये नहीं होते हैं, तो यह जो आर्थिक अपराध हुए हैं जैसे डकैती, रावरी, या छीनने झपटने वाली बातें हुई हैं, इनमें जो पुलिस मैन इन्वालव्ड पाए गए, या जिस एरिया में ये चीजें हुई हैं उस एरिया के पुलिस मैन को या थाने के इन्चार्ज को कहीं कोई पनिशमेंट दिया गया या नहीं दिया गया ? जो आर्थिक अपराध हैं, जिस तरीके से कहीं डकैती पड़ी है, कहीं रावरी होती है, इस तरीके से जिस हलके में ये अपराध होते हैं, उस हलके में बिना पुलिस के मिले हुए ये अपराध नहीं होते हैं .....(व्यवधान).....।

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो आप दोहरा रहे हैं।

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : इस में जहां गहराई से छानवीन की गई है वहां यह पाया गया है कि पुलिस ऐसे मामलों में शामिल रही है, तो क्या दिल्ली में जहां जहां इस तरीके के अपराध हुए हैं उस हलके के थाने के इन्चार्ज को कहीं दण्डित किया गया, कहीं उस के ऊपर कोई स्टर्न ऐक्शन लिया गया एक तो मैं यह जानना चाहता हूं।

दूसरा यह है कि जो राजनैतिक और सामाजिक अपराध होते हैं जिन को कुछ राजनैतिक दल और ये लोग अपनी तरफ से इन्स्टीगेट करते है, बहुधा यह पाया गया है जैसे हम ने यू पी और बिहार में देखा.....।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नही दी जाती है।

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : यहां दिल्ली में भी हमारे मन में यह शंका है कि हम से पहले जो लोग थे उन्होंने इस प्रकार की भर्ती की है ...।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं दी जाती है नहीं मैंने इसे अनुमति नहीं दी है आप स्वयं को दिल्ली तक ही सीमित रखें। यदि आप कुछ प्रश्न उठाना चाहते हैं तो स्वयं को मुख्य प्रश्न तक ही सीमित रखें। यदि आप प्रश्न के क्षेत्र से बाहर जाते है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** मैंने तो बिलकुल साफ बात कही और जो आपकी आज्ञा थी उसको शिरोधार्य करके बात कह रहा हूं।

तीसरी बात जो मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं वह यह है, जैसा मैंने कहा, कानून और व्यवस्था की स्थिति में दिल्ली में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन उसमें और भी सुधार की जरूरत है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने भी पेट्रोलिंग इत्यादि कर के इस स्थिति में सुधार लाने में पुलिस की बड़ी मदद की है। तो क्या इस तरीके से और अधिक से अधिक पब्लिक के इन्वाल्वमेंट के लिए गृह मन्त्रालय तैयार है ? इस तरीके की कोई योजना क्या गृह मन्त्रालय के पास है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से यह कहा जाए कि वह अधिक से अधिक पब्लिक के लोगों को कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने में इन्वाल्व करे ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** महोदय, यह केवल एक प्रश्न है जिसके लिए आपने माननीय सदस्य को अनुमति दी है, और वह पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से सम्बन्धित है। जब भी किसी पुलिस अधिकारी को दोषी या किसी मामले से सम्बद्ध पाया जाता है तब उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

**श्री जैनुल बशर** (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी के स्टेटमेंट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था में व्यापक रूप से सुधार हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि दिल्ली की पुलिस को बड़े आड्स के सामने काम करना पड़ता है। दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी है।···(व्यवधान)···दिल्ली में क्राइम के कंट्रोल के अलावा बहुत सी राजनैतिक घटनाओं से भी पुलिस को निपटना पड़ता है। आए दिन यहां घरना, सत्याग्रह, रैली ये सारी चीजें होती रहती हैं।···(व्यवधान)···मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं। आप क्यों परेशान हैं ? ऐसी हालत में यह सही है कि अगर हम पूरे देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखें (व्यवधान) मैं दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान के बारे में नहीं कह रहा हूं (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय :** सूची में जिन सदस्यों का नाम है केवल वे ही बोलने के अधिकारी हैं। और कोई नहीं।

**श्री जैनुल बशर :** देश में जो दूसरे स्थान हैं वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति के कंपेरिजन में अगर हम दिल्ली को देखें तो हम संतोष की सांस ले सकते हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां एक घटना भी हो जाती है तो वह राष्ट्रीय अखबार, जोकि यहां से निकलते हैं, उनकी हेड-लाइन बन जाती है और उसकी बहुत चर्चा होती है जबकि दूसरे स्थानों पर ऐसी अनेकों घटनायें होती हैं वह अखबारों की हेड-लाइन नहीं बन पाती और न ही पूरे देश में उन पर चर्चा होती है। इस कंपेरिजन में अगर दिल्ली को देखा जाए तो दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत संतोषजनक है।

इस सिलसिले में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** अभी तो सवाल करने की बात है ।

**श्री जैनुल बशर :** सवाल भी करूंगा ।

दिल्ली में पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन यह दुःख की बात है अभी तक पुलिस वालों की तनख्वाह अधिक नहीं बढ़ी है ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्रीमान जी, आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं ।

**श्री जैनुल बशर :** मैं सब्जेक्ट से बाहर नहीं कह रहा हूं । बड़े अदब से मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सब्जेक्ट से बाहर नहीं बोल रहा हूं ।

दिल्ली की पुलिस को 24 घंटे काम करना पड़ता है, उनकी तनख्वाहो को बढ़ाया जाना चाहिए । इस समय उनकी तनख्वाहें बैंक और एल. आई. सी. के चपरासी से भी कम है । पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और इन्स्पेक्टर की तनख्वाह बैंक और एल. आई. सी. के क्लर्क से भी कम है, इसलिए उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी ।

दूसरी बात यह है कि जो ऐन्टी राबरी, डकैती स्क्वैड्स हैं उनमें आमतौर पर ऐसे पुलिस वालों को भेजा जाता है जिनको कि सजा देनी होती है । अच्छे अफसर उन स्क्वैड्स की पेट्रोलिंग में नहीं जाते हैं । इसलिए अच्छे अफसरों को वहां भेजा जाना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप सवाल करें ।

**श्री जैनुल बशर :** मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं ।

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या दिल्ली पुलिस वालों की तनख्वाहें बढ़ाने का उनका विचार है—खासकर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर के ग्रेड तक, जिनको कि 24 घटे काम करना पड़ता है । इसके साथ ही साथ पुलिस कर्मचारियों के रहने के लिए, अपने परिवार रखने के लिए क्या अधिक से अधिक आवास सुविधा प्रदान करने का विचार है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह तो बजट स्पीच में बोलने की बातें हैं ।

**श्री जैनुल बशर :** मैं सब्जेक्ट पर ही बोल रहा हूं, सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहा हूं । इस सब्जेक्ट पर आप इतने सेंसिटिव हैं, मुझे मालूम नहीं था ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं चाहूंगा कि आप समस्या पर आएं ।

**श्री जैनुल बशर :** मैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या राजस्थान का नाम नहीं ले रहा हूं । मुझे नहीं पता कि आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं कि आप किसी अधिक रचनात्मक बात तक सीमित रहें। वे सुझाव अधिक···(व्यवधान)।

**श्री जैनुल बशर** : मैं कांस्ट्रक्टिव थिंग्ज ही दे रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता आज आपका मूड कैसा है ? मैं बिल्कुल कांस्ट्रक्टिव चीजें कह रहा हूं क्या मंत्री जी पुलिस वालों को मकान वर्दी और दूसरी सारी सुविधायें देने के लिए तैयार हैं ?

दूसरी बात यह है कि ऐन्टी स्क्वैड्स में जो पुलिस के लोग रहते हैं क्या उनको आप विशेष ट्रेनिंग देने की बात सोच रहे हैं ? आजकल जो क्रिमिनल्स हैं, उनके पास नए-नए टेकनीक आ गए हैं और नए-नए तरीके के काम करना सीख गए हैं। उनके पास अच्छे-बढ़िया हथियार आ गए हैं। क्राइम का जो इन्टरनेशनल तरीका है, वह उनको मालूम हो गया है। क्या सरकार उस से निपटने के लिए गृह मंत्री जी हमारी पुलिस के लोगों को कोई विशेष ट्रेनिंग देने की बात सोच रहे हैं और क्या उन्होंने उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था कर रखी है ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : माननीय सदस्य ने विभिन्न मूल्यवान सुझाव दिए हैं। मैंने उन्हें नोट कर लिया है (व्यवधान)* ··।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। नहीं, वे इसके अधिकारी नही है।

**श्री मुकुन्द मन्डल** : (व्यवधान)।

**श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर)** : सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान माननीय मन्त्री द्वारा कल और आज दी गई सूचना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कल वक्तव्य में उन्होंने...।

**अध्यक्ष महोदय** नहीं, कल नहीं। केवल आज की बात कीजिए।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : मैं उल्लेख कर सकता हूं...।

**अध्यक्ष महदोय** : नहीं।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : कल डकैतियों की संख्या 295 बताई गई थी, आज 293 बताई गई है। कल बताया गया था कि 31 डकैतियां पड़ीं, आज संख्या बढ़ गई है। यह सख्या 33 है। यह वर्ष 1980 के सम्बन्ध में है। परन्तु ऐसा कैसे हुआ ? मैं केवल इस बात के स्पष्टीकरण को चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह केवल दिल्ली के संबंध में हैं।

---

* *कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।*

**श्री मुकुन्द मण्डल :** जी हां ।

प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया था कि पिछले वर्ष के पहले पांच महीनों में स्थिति इस प्रकार थी—डकैती—118, हत्या—82, हत्या के प्रयास-120, बलात्कार;10, यदि आप समाचार पत्र पढ़ें तो आप पाएंगे कि दिल्ली में प्रतिदिन कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है । दिल्ली के लोग बहुत अधिक परेशान हैं शाम के बाद लोग सड़कों पर घूम नहीं सकते । यह बात महिला वर्ग पर अधिक लागू होती है ।

पूंजीवादी समाज का यह एक आवश्यक तत्व है कि धनी व्यक्ति शासन करता है और निर्धन का शोषण होता है । इसीलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति उठती है और सभाज-विरोधी कार्रवाईयां बढ़ती हैं ।

पुलिस हिरासत में, नृशंसता की जाती है...।

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा सामान्यतः डाकुओं के साथ होता है । (व्यवधान) कृपया स्वयं को दिल्ली तक सीमित रखें और एक मिनट में अपना प्रश्न रखें ।

**श्री मुकुन्द मण्डल :** पहले मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अपराधियों को पुनः बसाया जाएगा ? क्या अपराधियों को सुधारने के लिए तथा उन्हें फिर से बसाने के लिए नियम बनाने के उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं ? हम ज्यादातर देखते हैं कि एक बार का अपराधी पूरी पीढ़ी तक अपराधी ही रहता है । इसीलिए अपराधियों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाना आवश्यक है । क्या सरकार का पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की कोई राष्ट्रीय नीति अपनाने का विचार है ताकि वे अभियुक्त तथा सिद्धदोषी के साथ उचित ढंग से पेश आ सकें क्योंकि यह प्रशिक्षण अपराधियों को इसके बाद सामाजिक बनने में सहायक होगा ? मैं पूछना चाहता हूं—क्या सरकार वर्तमान संघजीवी प्रकार की जेल प्रणाली में सुधार करेगी ताकि अपराधी दोबारा सामाजिक भावना तथा गुण प्राप्त कर सकें । क्या सरकार कम-से-कम अस्थायी हल खोजने के लिए विपक्षी दलों का एक सम्मेलन बुलाएगी क्योंकि समस्या को पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सकता ? सभी प्रकार के गिरोहों को समाप्त करने के लिए हम, और ज्यादा समय नष्ट किए बिना, समन्वित प्रयास कर सकते हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पुलिस कर्मचारियों को लोकतांत्रिक संघ या संगठन बनाने की अनुमति देगी ताकि वे अपनी समस्याओं पर स्वतन्त्र रूप से चर्चा कर सकें ।

अन्त में, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने पिछड़े वर्गों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए क्या उपाय किए हैं जहां से ये लोग आते हैं ?

**श्री योगेन्द्र मकवाणा :** माननीय सदस्य ने मेरे द्वारा दिए गए कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है । मुझे नहीं पता कि वह कौन से आंकड़ों का उल्लेख कर रहे हैं । मैंने सभा में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया है, न ही मैंने इस सभा या दूसरी सभा में किसी प्रश्न का उत्तर दिया है ।

यदि माननीय सदस्य मुझे आंकड़े दें तथा बताएं कि मैंने कौन से वक्तव्य में ये आंकड़े दिए थे, तो मैं उनका स्पष्टीकरण कर सकता हूं।

उन्होंने बहुत से प्रश्न रखे हैं। एक तो अपराधियों की पुनः प्रतिष्ठा के बारे में है, जेल में सुधारात्मक दण्ड के बारे में है तथा जेल में कैदियों को कोई प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में है ताकि वे जेल से बाहर आने के बाद ..।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : मैंने पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण के बारे में पूछा था।

**श्री योगेन्द्र मकवाणा** : मैं उसी पर आ रहा हूं। जहां तक पुलिस के व्यवहार का संबंध है, पुलिस आयोग के प्रतिवेदन में कतिपय उपायों तथा पुलिस प्रशिक्षण के नए पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया है हमने पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया है ताकि व जनता के साथ उचित व्यवहार करें। जहां तक जेल प्रणाली में सुधार का संबंध है, हमने पहले ही एक समिति नियुक्त की हुई है। तिहाड़ जेल पर प्रतिवेदन हमारे पास है। अन्य जेलों के सम्बन्ध में हमें प्रतिवेदन बाद में मिलेगा।

अन्तर्राज्यीय गिरोहों को समाप्त करने के संबंध में, मैंने पहले ही बता दिया है कि दिल्ली में कई गिरोहों का सफाया कर दिया गया है ...।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : मैंने अन्तर्राज्यीय गिरोहों का उल्लेख नहीं किया है।

**श्री योगेन्द्र मकवाणा** : माननीय सदस्य का अन्तिम प्रश्न एक सुझाव के रूप में था। मैंने उसे नोट कर लिया है।

**श्री हरिकेश बहादुर** : माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अन्दर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आज कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं रह गई है ...।

**श्री रणवीर सिंह (केसरगंज)** : देश की नहीं, दिल्ली की बात कहिए।

**श्री हरिकेश बहादुर** : दिल्ली की ही बात कह रहा हूं, जो देश की राजधानी है।... (व्यवधान) आज यहां कानून और व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ऐसा लगता नहीं है कि देश में कोई गृह मंत्रालय है या किसी को कानून और व्यवस्था सम्भालने की चिन्ता रह गई है...(व्यवधान)...।

**श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद)** : वह राष्ट्र के विषय में बात कर रहे हैं, किसी राज्य विशेष का उल्लेख नहीं कर रहे हैं।

**श्री हरिकेश बहादुर** : मैं कह रहा हूं, दिल्ली भारत की राजधानी है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह तथ्य है।

**श्री हरिकेश बहादुर** : यहां कोई कानून और व्यवस्था नहीं है, यहां कोई गृह मंत्रालय नहीं है। गृह मन्त्रालय का पूरा संचालन गतिहीन तथा विकृत हो गया है (व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस लोक सभा के अध्यक्ष हैं···।

**अध्यक्ष महोदय** : यह भी तथ्य है।

मुझे आज पता लगा है। आज काम पक्का हो गया है।

**श्री ज्योर्मिय बसु (डायमंड हार्बर)** : अतः आज आप स्थायी हो गए।

**श्री हरिकेश बहादुर** : लेकिन मान्यवर, मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारी इस सभा के अध्यक्ष भी आज सुरक्षित नहीं हैं। आप राजस्थान गए थे।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझे बीच में न घसीटें।

**श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची)** : वह कहते हैं यहां कोई संसद नहीं है ; यहां कोई गृह मन्त्री नहीं है। यदि यहां कोई संसद नहीं है और कोई गृह मन्त्री नहीं है तो वह प्रश्न किससे पूछ रहे हैं। (व्यवधान)।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सवाल को दिल्ली तक ही रखिए।

**श्री हरिकेश बहादुर** : मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूं।

**अध्यक्ष महोदय** : स्वयं को दिल्ली तक सीमित रखें . इसके सिवाय कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

**श्री हरिकेश बहादुर** : इस दिल्ली के अन्दर किस नीयत से एक अपराधी ने भारत सरकार के एक मंत्री के घर में जाकर उन के सैक्यूरिटी गार्ड की हत्या की और उन के घर में घुसा लूटने के लिए या वह किसी और काम के लिए गया था, यह बहुत ही दर्दनाक और भयानक घटना हुई है, जिस से न केवल दिल्ली के ही बल्कि पूरे देश के सारे नागरिक आतंकित हुए हैं। यहीं पर निरंकारी चीफ की हत्या की गई और आज तक सरकार अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। प्रधानमंत्री पर यहीं पर छुरा फेंका गया, इसी लोक सभा के परिसर के अन्दर। यह सारे काम इस सरकार की देखरेख में दिल्ली के अन्दर और संसद भवन तक के अन्दर हो रहे हैं। फिर हम यह कैसे मानें कि इस देश के अन्दर कोई सरकार है या कोई गृह मंत्रालय है जोकि कानून व व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है। मान्यवर, अभी एक एस० पी० को किडनैप कर लिया गया, ऐसी रिपोर्ट अखबार में आई है। दो अखबार निकलते हैं 'स्वतन्त्र भारत' और 'पायनियर' और उसमें एक खबर यह निकली थी कि डाकुओं ने एक एस०पी० को किडनैप कर लिया। यह बात इन अखबारों में दी गई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि आज आप के दिल्ली के अन्दर चारों तरफ सूबों के अन्दर जो डकैतियां हो रही हैं, वहां से वे डकैत यहां आ रहे हैं और खास तौर से*···।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, अनुमति नहीं दी जाती है । स्वयं को दिल्ली तक सीमित रखें ।

**श्री हरिकेश बहादुर** : उन के दिल्ली आने की संभावना है। इसलिए यह सवाल उठा रहा हूं । क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से डकैत और अपराधी दिल्ली आकर अपराध करते हैं ? अगर ऐसी सूचना है तो उस का विवरण आप दीजिए और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अन्दर जो भयंकर डकैतियां हो रही हैं, उनमें भाग लेने वाले डकैत कहीं दिल्ली न आ जांए ।

**अध्यक्ष महोदय** : नां ।

**श्री हरिकेश बहादुर** : मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि उनके यहां आने से और खतरा बढ़ जाएगा । इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं । अगर इस बात की जानकारी है, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है और मुख्य मंत्रियों से आप को इस दिशा मे क्या सहयोग मिलने वाला है या मिल रहा है या आपने किसी सहयोग की याचना की है या नहीं ?

मान्यवर, मैं पुलिस की अक्षमता के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । जब आपने यहां पर पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया, तो कम से कम 200 सीनियर पुलिस अफसरों को सुपरसीड करके किया । इससे पूरा पुलिस फोर्स डीमोरेलाइज हुआ है । यही कारण है कि आज पुलिस ठीक ढंग से यहां पर कोई काम नहीं कर रही है और दिल्ली के अन्दर अपराध बढ़ रहे हैं । तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस अक्षमता को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? क्या भविष्य में फिर आप इस तरह से पुलिस अफसरों को सुपरसीड करके नई नियुक्तियां करने वाले हैं या नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : देट इज आल ।

**श्री हरकेश बहादुर** : प्रदेशों की तो कौन कहे, विदेशों से अपराधी आए हैं । अभी माफिया किलर की बात हुई है । वह यहां पर ठहरा था और काफी दिनों से ठहरा हुआ था । अगर इस तरह से प्रदेशो से और विदेशों से आकर अपराधी दिल्ली में रहने लगेंगे, दिल्ली के संरक्षण में तमाम जगहों पर रहने लगेंगे, तो देश के अन्दर किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा । इसलिए माननीय मंत्री जी इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं और अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी पुलिस अगर किसी को पकड़ती है, तो वह उस से हाथ जोडकर निवेदन करता है कि जितना चाहे पीट लो लेकिन अंधा मत बनाना । ऐसी स्थिति देश के अन्दर पैदा हो रही है । इसलिए पुलिस फोर्स को नियंत्रण में रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : माननीय सदस्य ने नई बातें जो कही तो वे तकरीर के तौर पर कही और कोई खास सवाल तो पूछा नहीं लेकिन उन्होंने यह कहा कि दिल्ली में कहीं बाहर से आकर डेकायट्स और रोबर्स रहते हैं । इतना बड़ा शहर है और इतने बड़े शहर में लोग आएंगे और जाएंगे भी । अब बाहर से कौन आता है और कौन जाता है, उस पर कोई चैकिंग नहीं

रह सकती । लेकिन इतना जरूर है कि जो यहां बाहर से डकैत लोग आते हैं और राबरी करते हैं, पुलिस उन पर बराबर नजर रखती है और उनको पकड़ती भी है । मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में बताया । जब एक आनरेबल मेम्बर ने प्रश्न पूछा था कि कई गैंग बाहर से आये और यहां पर गुनाह किया । उनको पकड़ा गया, उनकी प्रापर्टी भी जप्त की गई, उन्हें जेल में भी भेजा गया । सब कुछ किया गया । यह सब बताने के बाद भी आनरेबल मेम्बर यह सब कुछ कह रहे हैं ।

माननीय सदस्य ने यह कहा कि मुख्य मंत्री का सहयोग नहीं है। हमें हर स्टेट के मुख्य मंत्री और हर स्टेट गवर्नमेंट का इसके बारे में सहयोग प्राप्त है । हमारी पुलिस राज्यों की पुलिस के साथ सहयोग करती है और उनका सहयोग लेती है ।

श्री हरिकेश बहादुर : पुलिस अधिकारियों की बरखास्तगी के विषय में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : अब सभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 6 मिनट पर पुन: समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे बजट पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं । संसदीय कार्य मंत्री का विचार है कि सभा 6 बजे के बाद भी बैठे । मुझे उम्मीद है कि इस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य : ठीक है ।

---

## तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक

पेट्रलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमण्ड हार्बर) यह विधेयक उन अधिकारियों से निपटने के लिए लाया जा रहा है । जो आज्ञाकारी नहीं है तथा जो व्यक्तियों, और पार्टियों आदि के हित में काम

करने में अड़चनें पैदा करते हैं। मूल अधिनियम को देखिए। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 में कहा गया है।

"चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों का सेवा काल और उन पदों की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि निर्धारित की जायें, परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि उचित समझे तो आधिकारियों की पदाविधि की समाप्ति के पूर्व कारण बताओ" "नोटिस देने के बाद, जिसमें उन्हें कारण बताने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा उन्हें पदों से मुक्त कर सकती है।"

वर्तमान विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में कहा गया है :

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 5 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य की पदावधि समाप्त होने से पूर्व ही उसकी नियुक्ति, उसे उसके विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् खत्म कर सकती है। तेल के कारबार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होती है और उसका संबंध ऐसी बातों से है जो देश के हितों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आयोग के कार्यकरण से यह प्रतीत हुआ है कि किसी सदस्य की नियुक्ति को, उसे हेतुक दर्शित करने की सूचना दिए बिना खत्म करने की लोकहित में आवश्यकता पड़ सकती है। वे बिना "कारण बताओ" नोटिस दिये उन्हें बरखास्त करना चाहते हैं।

अत: इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति को, जो केन्द्रीय सरकार का सेवक नहीं है, उसे कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात् या उसके बदले में उसे, उसके तीन मास की अवधि के वेतन और भत्तों के बराबर रकम का संदाय करने के पश्चात्, खत्म कर सके।

श्रीमान, अब मैं इस संदर्भ में मैं संविधान के अनुच्छेद 311, 312 और 3 9 का उल्लेख करत्ता हूं। यह अत्याचारपूर्ण कार्यवाही है यदि कोई व्यक्ति उन्हें असुविधाजनक लगता है तो वे उसे हटा देना चाहते है। इस समय क्या असुविधा है ? इस समय वे सी० एफ० पी० कहलाने वाले फ्रांसीसी संकाय के साथ मिले हुए हैं। वे जानते हैं कि बंबई हाई और कच्छ की खाडी के मध्य 2.2 करोड़ टन तेल प्रतिवर्ष भेजा जा सकेगा। अब यह फ्रांसीसी कम्पनी जलाशय प्रबन्ध के विषय में संयुक्त क्षेत्र तकनीकी समझौता करने वाली हैं। मैं मानता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेल की खोज में बहुत से क्षेत्रों में प्रवाणता प्राप्त करली है, परन्तु जलाशय प्रबन्ध के बारे में वे उतने आश्वस्त नहीं हैं। अब वे फ्रान्सीसी कम्पनी के साथ सहयोग कर रहे है ताकि हमारे वैज्ञानिकों की निन्दा की जा सके। वे आत्म निर्भरता प्राप्त करने एवं देश में पहले ये उपलब्ध तकनीकी जानकारी के आयात पर रोक लगाने की बात करते हैं पर यह सब बातें भ्रामक हैं। उनका कहना कि तकनीकी जानकारी के बारे में उनका पुराना समझौता है तथा सी० एफ० पी० के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। वे निकलने वाले तेल का प्रतिशत लेना चाहते है जिसका अभिप्राय है बंबई हाई में फ्रांसीसी सहयोग के लिए चार गुणी अदायगी करनी पड़ेगी।

**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वह विधेयक का नियम 72 के अन्तर्गत विरोध कर रहे हैं ? वह अधिनियम की कानूनी वैधता को चुनौती दे रहे हैं। पहले वह कानूनी सक्षमता पर बोलें। अन्य बातें हम बाद में लेंगे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : श्रीमान्, मैं इस बारे में बताता हूं मंत्री महोदय इन मुद्दों पर सभा को संतुष्ट नहीं कर सकते ? मैंने कहा था कि यह संविधान के अनुच्छेद 309, 311 और 312 का उल्लंघन करता है। सभा द्वारा पारित मूल अधिनियम की धारा 5 में कर्मचारियों को स्वाभाविक न्याय का अधिकार दिया गया है। वह श्रमिक संगठन में रहे हैं। 'कारण बताओ' नोटिस दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान विधेयक द्वारा वे उसे समाप्त कर रहे हैं। यह प्रत्येक कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। मैं एक बात कह कर अपना स्थान लूंगा। क्या यह सच है कि श्री वीणूगोपाल तथा श्री वुडवर्ड, एक चेयरमैन तथा दूसरे सदस्य हैं फ्रांसीसी कम्पनी के साथ अतिरिक्त रियायतों वाला समझौता करने में विफल रहे है और इसीलिए वे यह विधेयक ला रहे हैं ताकि ऐसे लोगों से पीछा छुड़वाया जा सके ? मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ...।

**श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली)** : इसका विधेयक के पुर:स्थापित किये जाने से क्या संबन्ध है ?

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं सारे विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं। धन्यवाद।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री जार्ज फर्नान्डीस अनुपस्थित। श्री मुकुन्द मंडल आप संक्षेप में बोलें।

**श्री मुकुन्द मंडल ( मथुरापुर)** : अत्यन्त संक्षेप में केवल दो पंक्तियां।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री बसु ने बहुत अच्छा किया।

**श्री मुकुन्द मंडल** : श्रीमान, मैं दो पंक्तियों में केवल यही बात कहना चाहता हूं। मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ( संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के विरुद्ध है। दूसरे यह कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। इस विधेयक द्वारा कर्मचारियों के लोकतन्त्रीय अधिकारों को छीना जा रहा है सरकार कम्पनी की सेवा में रत किसी सदस्य की सेवा को कभी भी समाप्त कर सकती है। इसलिए सरकार यह विधेयक ऐसे कर्मचारियों से पीछा छुड़वाने के लिए ला रही है जिन्हें सरकार पसंद नहीं करती। इस प्रकार वे पूरे प्रशासन में अशान्ति पैदा कर रहे है ? श्रीमान, मैं बताना चाहता हूं कि यह विधेयक असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। इसीलिए मैं इस विधेयक के पुर: स्थापित किये जाने का विरोध करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री हरिकेश बहादुर-अनुपस्थित, श्री पासवान-अनुपस्थित, श्री अजय विस्वास कृपया संक्षेप में बोलें।

**श्री अजय विश्वास** (त्रिपुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान, मैं इस विधेयक के रःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं। श्री ज्योतिर्मय बसु तथा श्री मुकुन्द मंडल पहले ही कई बातों का उल्लेख कर चुके है ? यह ससोधन भारत के संविधान के विरुद्ध है। सभी कर्मचारियों के पास चाहे वे ऊंचे पदों पर हों अथवा छोटे पदों पर अपनी सफाई देने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। परन्तु इस संसोधन द्वारा उस अधिकार को वापस लिया जा रहा है इसलिए यह असंवैधानिक है। मैं इस विधेयक की पुरः स्थापना का विरोध करता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता क्या है। सरकार पहले ही 33 बहु-राष्ट्रिकों से समझौते कर चुकी है। उन्हें भारत में काम करने के लिए बुलाया गया है। यहां पर यह कहा गया है कि यह संशोधन देश के हित में है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन देश के हितों के विरुद्ध जाएगा, क्योंकि सरकार ने 33 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौते किए हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 25% से 30% कच्चे तेल पर अधिकार होगा जिसे वे देश से बाहर ले जाएंगे। कुछ सदस्य तथा अधिकारी इस समझौते के पक्ष में नहीं हैं। वे इस समझौते के विरुद्ध हैं जोकि देश के हितों के विरुद्ध है। इसलिए इस संशोधन को वापिस लिया जाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब सरकार कोई निर्णय लेती है तो वह देश के हितों के विरुद्ध कैसे हो सकता है ?

**श्री अजय विश्वास** : परन्तु समझौता देश के हितों के विरुद्ध है। यह पहला अवसर है कि सरकार ने उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौता किया है जोकि हमारे कच्चे तेल को बाहर ले जायेंगे। कुछ अधिकारी इस समझौते से खुश नहीं है। इस संशोधन द्वारा सरकार कानून को अपने हाथ में लेना चाहती है तथा वह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित है। मैं इस विधेयक के पुरः-स्थापित किए जाने का विरोध करता हूं।

**श्री प्रकाशचन्द्र सेठी** : यह एक सरल संशोधन है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम संसद द्वारा पारित हुआ था और संसद इसे पारित करने में सक्षम है। जहां तक संवैधानिक स्थिति का प्रश्न है इससे अधिनियम के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं पड़ता जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए सभा को बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रावधान पहले से कई संगठनों में विद्यमान हैं, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन अधिकरण में यह व्यवस्था है। भारतीय स्टेट बैंक और औद्योगिक वित्त निगम में यह व्यवस्था मौजूद है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : इस व्यवस्था का आशय ठीक नहीं है क्योंकि आपका मूल्य 8 डालर है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 32 से 40 डालर है। इसलिए आप फ्रांसीसी कान्साशियम को देना

चाहते हैं। इसीलिए अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। आप उनसे पीछा छुड़वाने की चेष्टा कर रहे हैं (व्यवधान)।

**श्री आनन्द गोपाल मुख्योपाध्याय** (आसनसोल) : श्री बसु को पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से राज्य सरकार की सबसे बड़ी परियोजना 'दुर्गापुर परियोजना लि०, में यह व्यवस्था विद्यमान है (व्यवधान)।

**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी** : अतः खण्ड का कोई संशोधन संविधान के विरुद्ध नहीं है। यह स्वाभाविक ही है कि यह संशोधन आवश्यक है। पहले ही इसी प्रकार का उपबन्ध दूसरे संगठनों में मौजूद है। प्रश्न यह है कि इस कम्पनी के अधिकारियों को, जो इसमें इस समय लगे हुए हैं, तीन महीने का नोटिस देकर कम्पनी को छोड़ने की स्वतन्त्रता मिली हुई है। परन्तु, पारस्परिक आधार पर सरकार इस उपबन्ध के द्वारा अपने लिए और शक्ति प्राप्त कर रही है। (व्यवधान) अभी आप कह रहे थे कि वे कमीशन वसूल कर रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि आप कमीशन वसूल कर रहे हैं। आप ठीक बात बता रहे हैं। जहां तक इसका सम्बन्ध है इसमें कुछ भी नया नहीं है। हम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम को दूसरे अधिनियमों के समान बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा कही गई अन्य बातों के सम्बन्ध में यद्यपि, उनका विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के विरोध से सम्बन्धित नहीं हैं, जिसका उल्लेख वे कर रहे हैं, फिर भी मैं उनकी ओर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकता क्योंकि उन्हें पहले ही कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जा चुका है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सी०एफ०पी० के साथ अभी तक कोई करार नहीं किया है और यह कहना गलत है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के चेयरमैन, श्री वेणुगोपाल और तेल खोज आयोग (तट पर) के सदस्य, श्री वुडवर्ड सी०एफ०पी० के साथ सहयोग का विरोध कर रहे हैं और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस तरह से महसूस किया है कि सी०एफ०पी० के साथ सहयोग, जोकि एक नई कम्पनी नहीं है, जिसके साथ 6 अप्रैल तक पहले ही करार किया हुआ है, आवश्यक है।

उन्हे दिये जाने वाले तेल के हिस्से के संबंध में, इस बारे में अभी तक आन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है। सी० एफ० पी० दल 12 तारीख को भारत आ रहा है और इसलिये यह बात पहले नहीं कही जा सकती है कि हमने उसके साथ किसी प्रकार के ठेके के बारे में करार किया हुआ है मैं माननीय सदस्यों के कथन में सुधार करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई करार नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य श्री विश्वास को याद भी कराना चाहता हूं कि जहां उन्होंने तेल की खोज के संबंध में विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करने के संबंध में हमारे द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर आपत्ति की है, वहां यह बात विचित्र है कि जब चीन ने इस प्रकार के करार विदेशी कम्पनियों के साथ किये थे, तब माननीय सदस्यों ने इसका विरोध नहीं किया था। वे केवल यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिकारी...(व्यवधान)...।

जहां तक इस प्रकार के सहयोगों का संबंध है इनके बारे में बातचीत की जाती है। यह कहना गलत है कि हम उनके साथ 20 से 30 प्रतिशत तेल दे रहे हैं। यह बात देश के हित में ही है कि हम इन कम्पनियों के साथ सहयोग करने के लिए करार करने हेतु, निर्णय लेने में समझ बूझ कर सतर्कता बरत रहे हैं ऐसा हम इसी कारण से कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि तेल का उपभोग बहुत ही बढ़ने वाला है। 1984-85 तक इसका उपभोग 450 लाख मीटरी टन हो जायेगा और 1989-90 वर्ष तक यह उपभोग लगभग 650 लाख मीटरी टन हो जाएगा। इस समय हम केवल 140 लाख मीटरी टन तेल का उत्पादन कर रहे हैं। और इसलिए हम स्वयं ही 'ओपेक' मूल्यों के वर्तमान दर पर 5800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से विदेशी मुद्रा को बाहर के देशों में भेज रहे हैं। अतः, जितना अधिक तेल हम उत्पादित कर सके, उतना अधिक समूचे देशों के हित में होगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वसन दे सकता हूं कि राष्ट्रीय हित के लिये हम उनसे तथा अधिकारियों से अधिक जागरूक है। अधिकारी और हम एक दूसरे के साथ, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से परामर्श करके, पूर्णतयः उचित ढंग से कार्य कर रहे हैं। और उनके हित को दृष्टि में रखते हुए हम निर्णय करेंगे। यह बात पहले से नहीं कही जा सकती कि हमने इस प्रकार का कोई करार किया है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी :** मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

---

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड (महाराष्ट्र) द्वारा पालेकर पंचाट को लागू करने से मना किया जाना

**श्री बी० एन० गाडगिल** (पूणे) : उपाध्यक्ष महोदय, सकल पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड पूणे से दैनिक सकाल, बम्बई से मुम्बई सकाल और कोल्हापुर से कोल्हापुर सकल प्रकाशित करता है, तालाबन्दी घोषित की है जिसका श्रमजीवी पत्रकारों की काफी बड़ी संख्या पर प्रभाव पड़ा है।

प्रबन्धकों ने न्यायमूर्ति पालेकर की सिफारिशों को लागू करने से मना किया है जिसके अनुसार सकाल ग्रुप दो में आता है क्योंकि इसकी कुल आय दो करोड़ से चार करोड़ रुपए

के बीच होती है। प्रबन्धक ग्रुप तीन से संबंधित सिफारिशों को इस आधार पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं कि पूना, बम्बई और कोल्हापुर से प्रकाशित हो रहे सकल तीन स्वतन्त्र एकक है। उन तीनों का एक एक साझा निदेशक मंडल है, उनके संतुलन पत्रों को समान्वित किया जाता है और उनके कर्मचारियों का स्थानांतरण भी किया जा सकता है। कोल्हापुर सकल के आवासीय सम्पादक सहित पांच कर्मचारियों को पूना सकाल से वेतन प्राप्त होता है।

प्रबन्धकों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण 57 पृष्ठ पर न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किये गए मानदण्ड के विपरीत है जिसमें बताया गया है। "कि एक से अधिक केन्द्रों से समाचार पत्र के प्रकाशित किए जाने के बावजूद यह एक ही समाचार पत्र प्रतिष्ठान है क्योंकि इसकी विभिन्न विशिष्टताएं हैं जो इसकी कार्यात्मक एकता को उद्घोषित करती है।"

अतः, सरकार को तुरन्त इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायमूर्ति पालेकर न्यायाधिकरण की सिफारिशों को इसके प्रबन्धकों द्वारा लागू किया जाये।

(दो) केरल में हथकरघा उद्योग की समस्यायें

**श्री बी० एस० विजयराघवन*** (पालघाट) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामलों को उठाना चाहता हूं।

सथकरघा क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करने और अनेक क्षेत्रों से कड़ी प्रतियोगिता के होते हुए भी विदेशी मुद्रा अर्जित करने और विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में कई तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र ने केवल केरल क्षेत्र के 2 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है। सूत और रसायनों के मूल्यों में वृद्धि और इनकी कमी के अतिरिक्त हथकरघा कपड़े के अनबिके स्टाफ के जमा हो जाने से वास्तव में इस क्षेत्र को अत्यधिक हानि पहुंची है।

7 करोड़ रुपए मूल्य के हरकधा उत्पाद केवल केरल में ही अनबिके पड़े हुए हैं छूट आदि जैसी प्रोत्साहन योजनाएं जमा हुए भारी स्टाफ को बेचने में सहायता नहीं कर सकती हैं। हरकधा विकास निगम की वित्तीय क्षमता नहीं है कि वह समूचे स्टाफ को प्राप्त कर सके। इस प्रकार इस क्षेत्र में बहुत ही जटिल बेरोजगारी व्याप्त है। राष्ट्रीय हरकधा विकास निगम का शीघ्र गठन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि यह उत्पादन, विपणन, कच्ची सामग्री के विवरण आदि जैसे इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके साथ ही नियंत्रित कपड़े के उत्पादन को हथकरघा उद्योग को सौंपा जा सकता है और हथकरघा उत्पादन की बिक्री के लिए मंडी की खोज की जानी चाहिए। हथकरघा की सुरक्षा के संबंध में

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

बहुत ही महत्वपूर्ण बात उत्पादन में आरक्षण की है उसे पूरी तरह नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारें जिनकी यह जिम्मेदारी है कि आरक्षण को लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए, पर्याप्त रुचि नहीं दिखा रही हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण पग, जिसे उठाया जाना चाहिये, वह यह है कि सूत के मूल्य को कम किया जाये और उसकी कमी को दूर किया जाए। केरल को सूत के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः, छठी योजना के दौरान स्वीकृत किए जाने वाले अतिरिक्त करघों का उपयोग करने के लिए केरल में एक कताई मिल की स्थापना की जानी चाहिए। चूंकि सूत के मूल्य अथवा वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसके मूल्यों में अचानक उतार चढ़ाव होता है। इसलिए, एक अस्थायी उपाय के रूप में सरकार द्वारा सूत का कम से कम मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस उद्योग को बचाने के लिए आवश्यक पग उठाये जाएं क्योंकि यह लाखों लोगों के लिए आजीविका का साधन है।

**(तीन) राजस्थान में बिजली की सप्लाई में सुधार करने के उपाय**

**श्री रामसिंह यादव** (अलवर): आणविक विद्युत परियोजना के रावत भट्ट (कोटा) राजस्थान में दो एकक हैं। पहला एकक वर्ष 1973 में चालू किया गया था और यह 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। इस परियोजना के दूसरे एकक को नवम्बर, 1980 में चालू किया गया है और इसकी क्षमता 200 मेगावाट बिजली के उत्पादन करने की है। दुर्भाग्यवश ये दोनों एकक अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार बिजली का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। न केवल यह बात है, प्रस्तुत इनके कार्यकरण में बार-बार खराबी हो जाने के कारण भी दोनों एकक बन्द रहे हैं। काम के दिनों की तुलना में अधिक दिन बन्द रहे हैं। आणविक विद्युत एककों के बन्द रहने के फलस्वरूप बिजली की सप्लाई न होने के कारण सिंचाई के क्षेत्र में किसानों की फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंची है।

इस महीने के दौरान कोटा आणविक विद्युत संयंत्र को रखरखाव कार्य के कारण बन्द करना पड़ा है जैसा कि आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

राजस्थान को गांधी सागर बांध जल विद्युत परियोजना, भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना और हिमाचल प्रदेश में व्यास जल विद्युत परियोजना में हिस्सा मिला हुआ है किन्तु सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों द्वारा इस राज्य को उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। कोटा स्थित तापीय विद्युत परियोजना को अभी तक चालू नहीं किया गया है। धीमी गति से कार्य के कारण यह परियोजना अभी अपूर्ण है।

राजस्थान में बिजली की न्यूनतम आवश्यकता 180 लाख यूनिट की है, परन्तु जुलाई से फरवरी तक की अवधि के दौरान बिजली की अधिकतम सप्लाई 80 लाख यूनिट से कम रही है। इस बात की असानी से कल्पना की जा सकती है कि बिजली की उपलब्धता पर निर्भर किसानों और औद्योगिक एककों को कितनी अधिक हानि हुई है।

राजस्थान के 22 जिलों को सिंचाई का कोई आश्वासन साधन प्राप्त नहीं हैं और वे अपनी फसलों की सिंचाई के लिए भूमिगत जल पर निर्भर है। नलकूप और गडे वाले नलकूप केवल बिजली, मोटरों और पम्पों की सहायता से ही पानी दे पाते हैं। चूंकि किसानों के खुले कुओं और गडे वाले नलकूपों में स्थापित बिजली की मोटरों को ऊर्जा की सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए सिंचाई के न होने के कारण उनकी फसलों को बुरी तरह हानि पहुंची है।

वर्तमान स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं :—

1. कि राजस्थान को अन्य राज्यों से अधिक बिजली की सप्लाई की जानी चाहिए।
2. कि राजस्थान विद्युत बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए बिजली दरों की वसूली राजस्थान के कृषकों से नहीं की जानी चाहिए।
3. राजस्थान के कृषकों को, जिनकी फसलों को बिजली की सप्लाई न होने के कारण क्षति पहुंची है, मुआवजा दिया जाना चाहिए।
4. रावत कोटा भट्ट स्थित राजस्थान आणविक विद्युत परियोजना के बार-बार बन्द हो जाने की जांच करने के लिए विशेषज्ञों और आणविक विद्युत परियोजना के इन्जीनियरों की एक समिति गठित की जानी चाहिए।

## (चार) वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए पूर्व आंशिक परिष्कृत धागे का आयात करने की अनुमति देने का कथित निर्णय

**श्री नीरेन घोष** (दमदम) : 28 जनवरी, 1981 को वाणिज्य मंत्रालय ने आंशिक रूप से पूर्व परिष्कृत धागा (प्री ओरिएन्टेड यार्न) का आयात वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए करने की अनुमति देने के अपने निर्णय घोषणा की चौन भारत की राज्य रासायनिक तथा फार्मास्यूटिकल्ज निगमों को इसे मंगाने का माध्यम माना गया है, इसका आयात पहले केवल 3 महीने की कालावधि के लिए करने की अनुमति दी गई थी। यह निर्णय औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम तथा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथायें अधिनियम में निर्धारित सभी प्रतिमानों का उल्लघंन करके किया गया है और इससे सूती वस्त्र उद्योग तथा नाईलोन के धागे की कताई करने वाली की केवल कुछ एक एककों को ही लाभ होगा।

इस निर्णय विशेष को लेते समय वाणिज्य मंत्रालय ने डी० जी० टी० डी० के परामर्श तथा पी० ए० वी० के उस निर्णय की पूर्णतया अवहेलना कर दी है जिसमें कहा गया था कि 'क्रिम्पिंग' की प्रक्रिया बुनाई का ही अंग नहीं है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि पोलिएस्टर फिलामेंट धागे का उत्पादन करने वालों को ही आंशिक रूप से पूर्व परिष्कृत पोलिएस्टर धागे के वास्तविक उपभोक्ता माना गया है। आयात के उद्देश्य से नाईलोन की कताई करने वालों के रूप में उनकी पात्रता सूती वस्त्र आयुक्त द्वारा प्रमाणित की जायेगी। बुनकरों को उनकी क्षमता के अनुसार अपनी मांग को आयतित करने का अवसर नहीं दिया गया है बल्कि

उन्हे केवल अपनी 'क्रिम्पिग' क्षमता के अनुरूप ही आयात करने दिया गया है। इस प्रका से बुनकरों को इसको आयात करने की पात्रता प्रदान नहीं की गई है, जबकि इससे पूर्व तक आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत उन्हें वास्तविक उपभोक्ता स्वीकार किया गया था। इससे पहले बुनकरों को 'पोलिएस्टर स्टैपिल फाइबर' का आयात करने की अनुमति थी, जिसका उपयोग वह अपने उपक्रमों में करते थे तथा स्वतन्त्र रूप से उसे धागे में बदलने का अधिकार उन्हें था।

अतः कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग में इस धारणा का फैलना स्वाभाविक ही है कि विकेन्द्रीकृत बुनकर समुदाय के हितों को नाईलोन धागे की कताई करने वालों तथा बड़े सूती तथा कृत्रिम क्षेत्र की एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रभागों की एककों की वेदी पर चढ़ा दिया गया है। और इस निर्णय से मुख्यतया उन्हें ही लाभ होगा।

व्यापक रूप से फैले हुए सूती कपड़ा उद्योग की मिलों को, लघु क्षेत्र में उत्पादन करने वाले बुनकरों के कार्य क्षेत्र में पर्दापण नहीं करने दिया जाना चाहिये, क्योंकि इससे विकेन्द्रीकृत बुनकर क्षेत्र को गहरा आघात पहुंचेगा।

इस सम्पूर्ण मामले की जांच करवाई जानी चाहिए।

**(पांच) केरल की छः नई पन-बिजली परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना**

**श्री के० ए० राजन** (त्रिचूर) : केरल की निम्नलिखित छः नई जल विद्युत योजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं और जांच के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजे जा चुके हैं तथा योजना आयोग द्वारा इसकी मंजूरी दी जानी बाकी है।

(एक) लोअर पेरीयार हाईड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम : इसका परियोजना प्रतिवेदन 1976 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा गया था और अभी तक इसकी मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है।

(दो) कुरियार कुट्टी-काशपाड़ा बहु प्रयोजनीय स्कीम : इस परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन, जिसके अनुसार योजना पर 4855 लाख रुपए खर्च आएगें 1978 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को मंजूरी के लिए भेजा गया था। केन्द्र द्वारा अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी गई है।

(तीन) कुट्टीयादि आग्रमेटेशन हाईड्रो-इलैक्टिक स्कीम : इसका परियोजना प्रतिवेदन 1976 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा गया था और अभी तक इसकी मंजूरी लम्बित पड़ी है।

(चार) केरल पानदियार पुलापुजदा हाईड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम : इसका योजना प्रतिवेदन 1972 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा गया था और इसकी मंजूरी अभी केन्द्र के पास लम्बित पड़ी है।

(पांच) मानासथेडी बहुप्रयोजनीय स्कीम : इसका योजना प्रतिवेदन अप्रैल, 1980 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा गया था ।

(छः) काल्लादा पावर जनरेशन स्कीमः इसका परियोजना प्रतिवेदन मंजूरी हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दिया गया है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन योजनाओं की मंजूरी के लिए शीघ्र कदम उठाए ।

**(छः) मेरठ पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की कथित हत्या**

**श्री सूरज भान (अम्बाला)** : बूढ़ी तथा विधवा और अनेक बच्चों की मां राम पराई के पुत्र रमेश की (22 वर्षीय) जिसे कि मेरठ पुलिश द्वारा 26 फरवरी को हिरासत में लिया गया था, मृत्यु हो गई है । उस पर यह आरोप है कि उसने तक पुलिस की जीप को अपने ट्रक से आगे नहीं निकलने दिया था, तथा उस ट्रक को अब जब्त कर लिया गया है। ट्रक के क्लीनर रवि का कहना है कि उसने अन्तिम बार रमेश को पुलिस की हिरासत में देखा जहां कि उसे पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा था और वह वहां से वापिस दिल्ली शाहदरा आ गया जहां कि वह उसके भाई किशनलाल को सूचित करना चाहता था । श्री किशनलाल को पुलिस स्टेशन से केवल ट्रक, ट्रांजिस्टर तथा रमेश की घड़ी जिसे कि दरोगाजी पहने हुये थे प्राप्त हुई । रमेश का कुछ पता नहीं चला ।

इसके बाद तीसरे दिन अर्थात 1 मार्च को यह जानकारी मिलने पर कि मेरठ पुलिस एक ऐसे मृतक की लाश को ठिकाने लगाने जा रही है जिसका कोई दावेदार नहीं है किशनलाल फिर मेरठ गया और उसने रमेश की वह लाश जिसका कोई दावेदार नहीं था प्राप्त करली और वह लाश भी उसे तब दी गई जबकि लोगों ने पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन किया ।

क्या रमेश भी पुलिस स्टेशन में पुलिस के अत्याचार का एक अन्य शिकार हुआ है ? मेरठ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी ) द्वारा जांच करने के आदेश दे दिए गये हैं । मेरठ के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि रमेश ने आत्म हत्या की है। और इस बात पर अनेक कारणों से संदेह किया जा सकता है ।

मेरठ में की गयी शव परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि रमेश की मृत्यु 27 फरवरी की प्रातः को हुई जबकि मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि रमेश ने २७ फरवरी को प्रातः किसी व्यक्ति से बात की ।

गृह मंत्री ज्ञानी जैलसिंह ने कल स्वयं मृतक के शव को देखा था और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी जांच करवाने के लिए कहा था ।

मैं गृह मंत्री से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि वह तथ्यों तथा लोगों के उचित संदेहों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच के आदेश देने

के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कहे। ऐसा करने से न केवल बूढ़ी मां रामपराई को ही न्याय मिलेगा अपितु इससे लोगों के मन में मेरठ पुलिस के बारे में व्याप्त संदेहों का भी निकारण हो जायेगा यदि वास्तव में ही पुलिस ने कुछ नहीं छिपाया है।

इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि सम्बद्ध पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित किया जाना चाहिये और न्यायिक जांच में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले की जांच करने के लिए कहा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज शाहदरा बन्द है और उन्होंने धमकी दी है कि वे कल जी०टी० रोड बन्द करेंगे ... (व्यवधान)...।

**श्री एच०के०एल० भगत (पूर्व दिल्ली)** : गृह मंत्री यहां बैठे है। मैं भी मांग करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें। उन्हें तथ्यों की जानकारी है।...(व्यवधान)।

**गृह मंत्री (श्री जैलसिह)** : डिप्टी स्पीकर साहब, कल मेरे निवास-स्थान पर रमेश जी की लाश को लेकर कुछ लोग पहुंचे, उन में स्त्रियां भी थी और मर्द भी थे। उन्होंने कहा कि यह साबित करने के लिए कि यह रेल के नीचे नहीं आया है, पुलिस ने मार दिया है, सबसे पहले तो इसका री-पोस्टमार्टम कराया जाय। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसकी जुडीशियल एन्कवायरी हो और कुछ ने कहा कि सी० बी० आई० एन्कवायरी करे और पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाये। उसके बाद मैंने कहा कि री-पोस्टमार्टम तो बहुत जरूरी बात है। मैंने उसी वक्त अपने अफसरों को कहा कि वहां के स्थानीय अफसरों से कहिये और यू०पी० गवर्नमेन्ट से कान्टैक्ट कीजिये कि री-पोस्टमार्टम करने के बाद इनकी जो दूसरी शिकायतें हैं उनका निवारण करने के लिये उन्हें सुनें और अगर इस बात में थोड़ा बहुत भी शुब्हा है कि पुलिस की वजह से इसकी जिन्दगी गई है तो उनके खिलाफ केश रजिस्टर करने में दरेग न किया जाए। सी०बी० आई० की एन्क्वायरी तभी हो सकती है जब स्टेड गवर्नमेन्ट इस बात को माने। इसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेन्ट को सुझाव दिया ...।

**श्री सूरजभान** : आप मनवा सकते हैं।

**श्री जैलसिह** : शाम तक मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं मिल सके थे, लेकिन शाम को मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि री-पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अफसर मान गये हैं और वे दिल्ली पहुंच रहे है और जो पहले पोस्ट-मार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट भी साथ ले जायेंगे। वे कल शाम यहां पहुंच गये थे।

मेरे पास दिल्ली प्रदेश कांग्रेस(आई) के प्रेसिडेन्ट श्री एच० के० एल० भगत दो बार पहले एक डेपुटेशन लेकर और फिर दूसरा डेपुटेशन लेकर आये थे ...(व्यवधान)।

**श्री एच० के०एल० भगत** : मृतक के सम्बन्धी भी वहीं थे।

श्री सूरजभान : आप उन्हीं से एन्कवायरी करा दो ।

श्री एच०के०एल० भगत : यह शिष्टमंडल दो बार गृह मंत्री के घर भी गया था । मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं कि इस मामले की जांच केन्द्रीय जाँच ब्यूरों द्वारा करवाई जाये (व्यवधान) ।

श्री जैलसिंह : भगत जी ने अपने डेपुटेशन के साथ इस बात पर जोर दिया कि स्टेट गवर्नमेन्ट को आप मनवाइये और मनवाकर सी०बी०आई० एन्कवायरी करवायें ।

उन्होंने बहुत जोर से कहा । मैंने कहा कि कायदे की बात यह है कि यह स्टेट की बात है, हम स्टेट को एडवाइज कर सकते है, स्टेट मान ले और हम से रिक्वेस्ट करे तो सी० बी० आई० की इन्कवायरी भी हो सकती है । उस डेपूटेसन में भी दो राय थीं लेकिन भगत जी ने जोर देकर कहा कि सी०बी आई० की इन्कवायरी हो ताकि जल्द से जल्द मामला निपट जाए और असलियत बाहर आ जाए । इनके कहने के बाद मैंने दो, तीन बार स्टेट गवर्नमेन्ट को कांटेक्ट किया । जब सी० एम० नहीं मिले, तो हमारी होम मिनिस्ट्री के अफसर वहां के होम सैक्रेटरी और चीफ सैक्रेटी के साथ बातचीत कर रहे है लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि जो री-पोस्ट मार्टम होना था, वह नहीं हुआ । इसके बारे में हमें खबर नहीं मिली है मगर मैंने यह एडवाइज किया है कि इस लाश को, क्योंकि कई दिन हो गये हैं, किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जाए ताकि खराब न हो और री-पोस्टमार्टम के काबिल रह सके और कल लाश को उठाकर पुलिस वाले, दिल्ली की पुलिस वाले सफदरगंज अस्पताल में छोड़ आए थे और मेरठ की जो पुलिस है, उसके डिप्टी सुपरिण्टेडेंट और कुछ और अफसर भी गये थे । मैंने कहा था कि आप भी सामने बेशक खड़े रहो और आप का जो पोस्ट-मार्टम का सर्टीफिकेट है, वह दिखलाओ लेकिन दिल्ली में ही री-पोस्ट मार्टम हो और मेरठ में नहीं । इस बात को भगत जी और डेपूटेशन वाले मान गये । हम चाहते हैं कि दिल्ली में री-पोस्ट मार्टम हो और आयन्दा की जो कार्यवाही है उस पर हम निगाह रख रहे है और हम चाहते हैं कि उनको इन्साफ मिले । (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा । यह कार्यवाही वृतान्त में नही जायेगा (व्यवधान)* ।

(सात) भरतपुर (राजस्थान) में डाकुओं की गतिविधियों के कारण कथित आतंक

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : श्रीमानजी, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान निम्न विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । राजस्थान के जिला भरतपुर की 3 तहसीलों अर्थात् काका, नगर तथा दीग में आजकल आतंक तथा भय का वातावरण बना हुआ है । पिछले 21 दिनों में वहां 13 डाके पड़े हैं । इन तहसीलों में डाकुओं के इस विशेष दल के कारण आतंक

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

फैला हुआ है। राज्य सरकार को इसकी सूचना दी गई है। परन्तु अभी तक इसके बारे में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। राज्य सरकार से उस क्षेत्र के लोगों में विश्वास की भावना जागृत करने के लिए कहा जाना चाहिए।

---

## रेल बजट, 1981-82, सामान्य चर्चा–जारी

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा में रेल बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ की जाएगी।

**श्री नित्यानन्द मिश्र (बोलनोगरि) :** श्रीमान जी, मैं रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय को उनकी निर्णयात्मक परिपक्वता, जिसका प्रदर्शन उन्होंने बजट बनाने में किया है, के लिए बधाई देना चाहता हूं। बजट के अन्तर्गत अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपेक्षित प्राथमिकता प्रदान करते हुये उन्होंने रेलवे के समक्ष आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी बहुत यथार्थपूर्ण ढंग से किया है।

हम में से सभी इस बात को जानते हैं कि भारतीय रेल एक ऐसा विशाल तथा व्यापक संगठन है जिसमें 17 लाख के करीब कर्मचारी है और रेलों का जाल देश के हर कोने में फैला हुआ है। हमारे देश की आर्थिक गतिविधियां, देश की अर्थ-व्यवस्था तथा आर्थिक प्रगति बहुत हद तक रेलवे के कुशल, सुचारू तथा सुव्यवस्थित कार्यकरण पर निर्भर करती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि अब से 13 महीने पूर्व जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो उस समय रेलों की स्थिति बहुत खराब थी तथा कार्यकुशलता का स्तर काफी गिरा हुआ था। उस विषम स्थिति में से इसे बाहर निकालने के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता थी। हम सब के लिए यह बहुत संतोष की बात है कि अब फिर से रेल का कार्य सुचारू रूप से होने लगा है। हाल ही में कुछ सुधार किए गए हैं जो कि पूर्णतया स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आए हैं और आंशिक रूप से इसका श्रेय रेल मंत्री को ही दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के केवल 3 महीने के समय में ही इन सुधारों को लागू करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी।

मैं समझता हूं कि माल परिवहन में प्राथमिकता प्रदान करना उचित कार्य ही है क्योंकि इससे उद्योगों तथा तापीय बिजलीघरों के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे पूर्णक्षमता का उपयोग तथा अधिक उत्पादन भी सुनिश्चित हो जायेगा। जोकि हमारा आधारभूत उद्देश्य है। इसके साथ ही इससे रेलवे को अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ तथा स्थाई बनाने में भी सहायता मिलेगी जोकि रेल की कार्यकुशलता तथा सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें रेलों के विद्युतीकरण को बढ़ावा दिया गया है और भाप से चलने वाले अधिकाधिक इंजनों को समाप्त किया जा रहा है। इससे

रेलवे को कम व्यय पर अच्छा कार्यकरण करने में सहायता मिलेगी। रेल मंत्री द्वारा क्षेत्रीय तथा विभागीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करने तथा इस बात का व्यापक रूप से पता लगाने के लिए कि रेल द्वारा देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और छठी पंचवर्षीय योजनायें उसे अधिक राष्ट्रीय दायित्व का वहन करने के लिए उपयुक्त बनाने हेतु, के प्रश्न पर विचार करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञों की समिति का गठन करने की सराहना तथा स्वागत करता हूं।

रेल बजट की आलोचना करते समय कहा गया है कि भाड़े में की गई वृद्धि के परिणाम-स्वरूप देश की अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव और बढ़ेगा। यद्यपि कुछ हद तक ऐसा कहना सही है परन्तु देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत मामूली प्रभाव पड़ेगा। परन्तु सरकार को इस बात पर दृढ़तापूर्वक अड़े रहना चाहिए कि यह मूल्यवृद्धि नहीं होने देगी। बेईमान व्यापारी तो सदा ही इस ताक में रहते हैं कि जब कभी बजट के समय उन्हें कोई थोड़ा बहुत बहाना मिले, वह मूल्य-वृद्धि कर दें। अतः सरकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह सख्ती से काम ले और मूल्य-वृद्धि न होने दे। क्योंकि भाड़े में जो वृद्धि की गई है। वह बहुत मामूली है।

इस अवसर पर मैं अपने राज्य के बारे में भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। उड़ीसा अविकसित तथा पिछड़ा हुआ राज्य है। यह बहुत विचित्र बात है कि यद्यपि हमारे राज्य में खनिज संसाधन काफी अधिक है, परन्तु उनका खनन तथा उपयोग नहीं किया गया है। इनकी सम्भाव्यता तथा सम्भावना बहुत अधिक है परन्तु इस बात को महसूस नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे पास इससे सम्बद्ध आधारभूत सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध नहीं है। वह कुशल संचार व्यवस्था नहीं है और रेल द्वारा हमारे राज्य की अवहेलना की गई है।

अब नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए रेल मंत्रालय लागत-लाभ अनुपात अर्थात् पूंजी-निवेश से होने वाले लाभों के मापदंड पर जोर दे रहा है। यदि नई रेलवे लाइनों के लिए इस मापदंड का सख्ती से पालन किया जाये तो एक अविकसित क्षेत्र हमेशा के लिए अविकसित ही बना रहेगा और इसके आर्थिक विकास के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। अतः मैं रेल मन्त्री से इन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं जो बहुत वर्षों से आर्थिक रूप से पिछड़े तथा अविकसित रहे हैं।

क्षेत्रीय असंतुलनों तथा असमानताओं से सामाजिक तथा राजनैतिक समस्यायें बढ़ती रही हैं और रेलवे इन क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, यदि इन अविकसित तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछाने का निर्णय लिया जाता है।

मैं कुछ उदाहरण दूंगा। बांसपनी से दैतारी के बीच रेल लाईन बिछाने की योजना है, जो एक आदिवासी क्षेत्र होकर गुजरेगी। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के निक्षेपों में बहुत समृद्ध है। वहां एक स्पंज लौह संयंत्र बन रहा है और यदि वहां रेलवे लाईन हो तो बहुत से

उद्योग स्थापित हो सकते हैं। इस लाईन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। मैं रेल मन्त्री से इस रेल लाईन को प्राथमिकता देने का अनुरोध करूंगा, क्योंकि इससे इस क्षेत्र तथा राज्य के आर्थिक विकास करके लोगों की आंकाक्षाएं पूरी होंगी जिससे समूची राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में काफी योगदान मिलेगा।

एक दूसरी लाईन का सर्वेक्षण भी हुआ था और इसका नाम सम्भलपुर तालचर है। उड़ीसा को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग पश्चिमी उड़ीसा है जो खनिजों, कृषि तथा बन संसाधनों में बहुत समृद्ध है लेकिन अभी भी पूर्णतः अविकसित है और दूसरा भाग तटवर्ती क्षेत्र है। पश्चिमी उड़ीसा तथा तटवर्ती क्षेत्र के बीच कोई रेलवे सम्पर्क नहीं है जिसके फलस्वरूप राज्य की आर्थिक समृद्धि को बहुत वर्षों तक काफी धक्का पहुंचा है। मैं रेल मन्त्री से इस सम्भलपुर-तालचर रेल-लाईन को प्राथमिकता देने का अनुरोध करता हूं, ताकि राज्य का आर्थिक विकास सम्भव हो सके।

अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करता हूं। वहां बोलनगिर से बुर्धा तथा कालाहांड़ी पटना भवानी पटिया जिले के मालियम होकर केलिंगा से कोरापुट नामक दो रेलवे लाईनें बनाने का प्रस्ताव है। मेरा जिला बोलनगिर सारे उड़ीसा में सबसे पिछड़ा जिला है। मेरा सुझाव है कि इन लाईनों का सर्वेक्षण कार्य यथाशीघ्र किया जाये। मैं रेल मंत्री से इस जिले की ओर विशेष ध्यान देने की उदारता बरतने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है।

नीलांचल एक्सप्रेस हमारे राज्य से गुजरने वाली लम्बे फासले की एक सुपर-फास्ट गाड़ी है लेकिन दुर्भाग्यवश इस गाड़ी में पेंटरीकार का कोई प्रबन्ध नहीं है जिसके फलस्वरूप यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस गाड़ी में सुरक्षा का भी कोई प्रबन्ध नहीं है, इसलिए वहां डकैतियां भी हो रही हैं। संसद सदस्यों ने इस बात को कई बार मन्त्री महोदय के ध्यान में लाए है। अतः मैं मन्त्री महोदय से उस गाड़ी में उचित सुरक्षा प्रबन्ध करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

**उपाध्यक्ष महोदय** : रेल मन्त्री से अधिक मांगें न करें--ये इन्हें पूरी नहीं कर सकेंगे। एक या दो मांगें काफी हैं।

**श्री नित्यानंद मिश्र** : और यह सप्ताह में तीन बार चलती है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसे रोजाना चलायें।

एक कलिंग एक्सप्रेस नामक दूसरी गाड़ी भी है जो सप्ताह में एक बार चलती है। यह न केवल पश्चिमी उड़ीसा में चलती है बल्कि मध्य प्रदेश में भी चलती है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसे सप्ताह में तीन बार चलाया जाये।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

मेरे कुछ प्रस्ताव ये हैं। मुझे आशा है कि रेल मंत्री उदारता के साथ इन प्रस्तावों को प्राथमिकता देंगे ताकि इन्हें निकट भविष्य में कार्यान्वित किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार और रेल बजट का समर्थन करता हूं ।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा)** : रेल मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को मैं असन्तुलित और अव्यवहारिक मानता हूं । इसका कारण यह है कि रेलवे बजटों के इतिहास में पहला बजट है जो 27 पन्ने का है और उसके बावजूद भी सभी बातें सामने नहीं आ पाई हैं । इन्होंने माल भाड़े यात्री भाड़े आदि में वृद्धियां की हैं । यात्री भाड़े में दस प्रतिशत से लेकर पंद्रह प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है । इनको नैट इससे जो इनकम है शुरू में जो आमदनी है वह 11.42 करोड़ की है । लेकिन खेद है कि थैफ्ट और बिलफ्रेजिज पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है । इस पर करीब 25 करोड़ रुपया रेलवे का जाया हो जाता है हर साल 1 क्लेम्ज पर करीब बारह करोड़ हर साल जाया हो जाता है । इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है । लगता है कि मन्त्री जी को स्केपगोट बनाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है । वास्तव में अधिकारियों ने जो बजट प्रस्तुत किया है लगता है कि इन्होंने ज्यों का त्यों पढ़ दिया है । अगर इन्होंने ध्यान दिया होता तो इस तरह की जो मुख्य बातें हैं वे नहीं छूट सकती थीं ।

रिजर्वेशन चार्ज भी इन्होंने बढ़ाया है, सुपर चार्ज भी बढ़ाया है, एक रात से ज्यादा रातें होने पर जो चार्ज लगता है उसको भी बढ़ाया है । इस तरह से यह कुल मिला कर बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है, बजाय दस परसेंट के । गरीब आदमी को जो सैकिंड क्लास में सफर करता है अब बीस परसेंट अधिक देना होगा एक अप्रैल से ।

एक अप्रैल से माननीय सदस्यों को भी यह बजट एडवर्सली एफैक्ट करेगा । सैकिंड क्लास ए सी सी में पन्द्रह रुपये की एक हजार किलोमीटर तक और उससे ज्यादा पर पच्चीस रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी । रेल अधिकारी मुझे बता रहे थे कि अगर हम कम्पैनियन को साथ ले जाएंगे, स्पाऊज को साथ ले जायेंगे तो वे बिना सरचार्ज के नहीं उनको जाने देंगे । मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय का मंशा क्या है इसको भी वे साफ करें ।

मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि वह चाहते हैं कि फ्रेट ओरिएंटिड साइकोलोजी मुल्क में उभरे हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि गुड्ज ट्रेफिक का मूवमैंट बढ़ा है जो कुछ हद तक ठीक है लेकिन माननीय सदस्य और सारा देश जानता है कि प्रयास करने के बावजूद भी आज तक एक भी गाड़ी समय पर नहीं चल पा रही है । तो एक तरफ आप कहते हैं कि फ्रेट ओरियेंटेड साइकोलोजी होगी, तो दूसरी तरफ यह आपका सामाजिक दायित्व भी होता है कि कम पैसे पर लोगों को समय पर पहुंचायें । इस बात की आप पूर्ति करेंगे कि नहीं, इसका कोई जिक्र आपके भाषण में नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि संतुलन लाया जाय । ठीक है फ्रेट ओरियेन्टेड साइकोलाजी डेवलप करना चाहते हैं देश में, लेकिन साथ ही आप पैसेंजर गाड़ियों को नजरंदाज नहीं कर सकते । मन्त्री जी ने कहा कि रेलवे कमर्शियल आर्गेनाइजेशन है । तो बेसिक कमर्शियल बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती कि जहां कोई खरीददार ज्यादा चीज खरीदता है उसको छूट दी जाती है । यह व्यवस्था पहले थी कि ज्यादा दूर जाने वाले को छूट दी जाती थी लेकिन इस बजट में आपने उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है ।

रेल किसी भी जगह की तरक्की का बड़ा माध्यम है, और इससे पहले भी एक यूनीफार्म पौलिसी रेलवे की रही है कि बैकवर्ड रीजन में रिटर्न की बात नहीं की जाती है । अगर ऐसा करेंगे तो बैकवर्ड रीजन में रेल कभी नहीं हो सकती । वास्तव में बैकवर्ड रीजन को नेगलेक्ट किया गया है, जबकि सरकार बराबार कहती है कि हम रीजनल इम्बैलेंस को दूर करना चाहते हैं । वास्तव में बैकवर्ड रीजन को नैगलेक्ट करके सरकार ने रीजनल इम्बैलेंस को और बढ़ाने का प्रयास किया है । इसलिए सरकार की पहले से जो ऐडोप्टेड पालिसी रही है कि बैकवर्ड रीजन में रिटर्न आधार नहीं होगा नई लाईनें देने का, उस पर सरकार को अमल करना चाहिए । अगर बैकवर्ड एरिया को आपको आगे बढ़ाना है तो वहां नई रेल लाईनें दी जायें ।

आज रेलवे में टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है । यह बात इनका प्रशासन भी मानता है । गत एक साल में अफसरों की बढ़ोतरी हुई है इसका मंशा एक ही था कि यह चाहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन का डीसेन्ट्रेलाइजेशन हो और वर्किंग इम्प्रूव करें । आप इस बात को रिव्यू करें कि जब अफसरों की बढ़ोतरी की है और क्लास तीन और चार के पदों में कटौती है तब से परफारमेंस इम्प्रूव किया है घट रही है ।

आज रेलवे विभाग को रेल ऐक्सीडेंट का विभाग कहा जाता है । कोई गाड़ी समय पर नहीं आती है । इससे माना जाएगा कि वास्तव में इसकी कार्यकुशलता घटी है । लेकिन चूंकि रिकमन्डेशन आयी और इन्होंने मान लिया कि अफसरों को ऐकोमोडेट करना है । उसके आधार पर आपने 18 ऐडीशनल जी० एम० और एक डी० एम० की जगह 3, 4 डी० एम० बना दिए मुझे अफसोस है कि अफसरों के बढ़ने के बाद भी किसी जोन या डिवीजन में या इंडियन रेलवेज ऐज सच में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आयी हैं ।

मंत्री जी ने अपने भाषण में डीजलाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कही है । उनका मंशा नेक है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस बदकिस्मत इलाके का क्या होगा जहां न डीजल की और न बिजली की गाड़ी चलती है, केवल कोयले से चलने वाली गाड़ियां ही चलती है आपके पास 500 कोयले के इंजन में जिनकी स्टीम डिक्लेस किया जाना है और में जिस क्षेत्र से आता हूं, एन० ई० जोन में, वहां आज भी दर्जनों गाड़िया रद्द पड़ी हुई है जिनको रेस्टोर नहीं किया गया है । इस इलाके के लोगों को सुविधा के लिए भी कुछ होगा कि नहीं ? आप डीजलाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन जरूर करें, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहना चाहूंगा कि कोयले के इंजनों पर भी. जिनसे खास एरियाज में गाड़ियां चलती हैं, तवज्जह दें ।

उसका इम्प्रूवमेंट हो ताकि उस इलाके में भी गाड़ी ठीक से चल सके और वहां के लोगों को सुविधा मिल सके ।

आज रेल विभाग को यदि एक्सीडेन्ट का विभाग कहा जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । उसके कुछ कारण हैं । आज डिब्बों की प्रापर मैन्टीनेन्स नहीं होती है, लेकिन पता नहीं प्रशासन के लोग क्यों उसको नजरन्दाज करते हैं । वह कहते हैं कि हमें तो स्पीड चाहिए । मैं पूछता हूं कि क्या स्पीड सेफटी के औसत पर कोई भी गाड़ी उन्हें चाहिए ?

दूसरा कारण यह है कि सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं होता है। जो सेफ्टी रूल्स इन्होंने बनाये हैं, इसका मंशा है कि उसके हिसाब से सेफ्टी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन रूल्स में संशोधन लाये जायें। इनका अभी कहीं पूरी तरह पालन नहीं होता है। किसी कर्मचारी ने अगर पालन की बात कही तो वर्क टू रूल हो गया और रूल नहीं माना तो एक्सीडेंट हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि जो रूल बनाए गए हैं, वह मनवाने की मंशा से बनाए गए हैं या न मनवाने की मंशा से ? मेरा कहना है कि रूल मानते हुए अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाये तो कम-से कम कर्मचारी को दोषी न समझा जाये।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी नये मंत्री आते हैं, यह एक फैशन सा हो गया है कि वह कुछ नई गाड़ियां इन्ट्रोडयूस करते हैं। लेकिन खुद उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि जो गाड़ी बढ़ाने जा रहे हैं उसके मुताबिक डिब्बे भी बढ़े हैं या नहीं। होता क्या है कि 2, 3 डिब्बे इस गाड़ी से काट लिए और 2, 3 किसी और से और इस तरह से एक नई गाड़ी बना दी जो पूरी गाड़ी थी, उसमें डिब्बे कम हो गए और जो नई बनी है उसमें भी पूरे नहीं हुए। यदि वास्तव में मंत्री जी चाहते है कि देश में गाड़ी बढ़ें, लोगों को सुविधा मिले तो डिब्बे भी बढ़ाये जाने चाहिऐ। अगर गाड़ियों में डिब्बे नहीं बढ़ाये जायेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी मंत्री आये और नई गाड़ी अपने देश में दे दी, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

अभी अखिल भारयीय गार्ड काउंसिल की तरफ से सेफ्टी सैमिनार हुआ था। मैं यह मानता हूं कि ट्रेड यूनियन की मूवमैंट में यह पहला मौका है कि किसी आर्गेनाइजेक्शन ने अपनी तरफ से पैसा खर्च कर के इस तरह का सैमिनार किया कि सेफ जर्नी कैसे हो। मंत्री महोदय ने इस सैमीनार का उद्घाटन किया था। उसमें कुछ सुझाव आया था, मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाऊंगा कि उस पर अगर ध्यान दिया गया तो उससे एक्सीडेंट कम होंगे। अगर पूरे एक्सीडेंटस खत्म नहीं भी होते तो इससे कम जरूर होगे।

मेरा सुझाव है कि ट्रेन में आपरेटिंग स्टाफ की बढ़ोतरी होनी चाहिए, आप कमर्शियल के स्टाफ को बढ़ा रहे हैं लेकिन आपरेटिंग स्टाफ, जिनके माध्यम से ट्रेन आपरेट होती हैं, उनको बढ़ाना जरूरी है।

दूसरा सूझाव है कि कोई भी गाड़ी बिना अच्छे ब्रेकवान के न चलाई जाए। ब्रेकवान यदि अच्छा रहेगा तो गाड़ी को रोका जा सकेगा लेकिन आज तो हालत बड़ी खराब हैं, गुड्स ट्रेन में अच्छे ब्रेकवान नहीं होते, आप उनको तेजी से चलाना चाहते है जिससे गुडज का मूवमैंट अच्छा हो सके, लेकिन इसमें अच्छे ब्रेकवान भी लगाये जायें ताकि जो कर्मचारी उसमें चलते है वह भी आदमी का जीवन बसर कर सकें और एफीशियेंसी उसमें हो।

गार्ड और ड्राइवर के बीच कम्युनिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं गाड़ी दो मिनट रुकती है, कहीं 3 मिनट रुकती है, संभव है कि किसी डिब्बे में कोई डिफिकल्टी हो, गार्ड के

सामने या ड्राइवर के सामने दिखता न पड़े तो वह आपस में कोई विमर्श कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई व्यवस्था हो ताकि गार्ड और ड्राइवर के बीच कम्युनिकेशन हो सके।

कर्मचारी को केअर-फ्री अवश्य होना चाहिए। जब पीछे स्ट्राईक हुई थी तो किसी कर्मचारी के परिवार पर अत्याचार हुआ था, इसलिए स्ट्राइक हुई थी। जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर जा रहा है, उसको विश्वास होना चाहिए कि उसके घर में उसका परिवार सेफ है, उसके लिए राशन-पानी की व्यवस्था है। आज जो मंहगाई बढ़ रही है, रेल बजट ने और बढ़ाई है, मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारी केअर-फ्री नहीं हो पायेंगे।

इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय कर्मचारियों को आश्वस्त करें कि उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी और उनके खाने-पीने का समुचित प्रबन्ध किया जायेगा।

कई गाड़ियां डबल क्रू के साथ चलती हैं, ताकि एक सरटेन डिसटेंस के बाद दूसरा क्रू टेक ओवर कर ले। लेकिन बदकिस्मती से क्रू के लिए रैस्टवैन की व्यवस्था नहीं होती हैं, जिसके कारण वे लोग आराम नहीं कर पाते हैं और दोनों क्रू परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो एक कर्मचारी को लगातार 70घंटे तक काम करना पड़ता है। मंत्री महोदय को हर तरफ तवज्जूह देनी चाहिए।

मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में मीटरगेज को ब्राडगेज में कनवर्ट करने की बात को डेक्राई किया है। उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों में एम जी पर गाड़ियां 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन मुल्कों में किसी दूसरे गेज की गाड़ियां भी चलतीहै। वहां पर केवल एक ही गेज की गाड़ियां चलती हैं। किसी भी मुल्क में यूनिमेज की जरूरत होती है, क्योंकि अलग अलग गेज होने से ट्रांसशिपमेंट की प्राबलम होती है और उसमें समय लगता है। एक तरफ तो मंत्री महोदय कहते हैं कि वी जी में कनवर्शन की जरूरत नहीं है और दूसरी तरफ वह उसी पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। वास्तव में वह चाहते क्या हैं? क्या वह चाहते हैं कि मुल्क में एक ही गेज हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो? इसलिए यह बात कोई मानी नहीं रखती है कि दूसरे मुल्कों में एम जी पर गाड़ियां 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं, जबकि हम केवल 130 किलोमीटर की रफ्तार तक ही पहुंच सके हैं।

आज भारतीय रेलवे के जान्ज की रीआर्गनाइज करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि जोन इतने लम्बे-चौड़े हैं कि जोनल हैडक्वाटर में एक जेनरल मैनेजर के अलावा तीन एडीशनल जेनरेल मैनेजर्ज रहते है फिर भी मैनेज नहीं हो पाता। बिहार एक ऐसा बदकिस्मत प्रदेश है, जहां बहुत जोन्ज की गाड़ियां चलती हैं, लेकिन वहां आज तक एक भी जोन की स्थापना नहीं हो पाई है। मैं चाहता हूं कि बिहार में एक जोन की स्थापना हो।

हमें लगता है कि चूंकि रेल मंत्री महोदय बिहार से आते हैं, इसलिए वह बिहार को कोई सुविधा देने में थोड़ा एमबैरेस फील करते हैं। एक दफा रेल मंत्री, स्वर्गीय श्री एल०एन० मिश्र,

बिहार के सांसदों से मिल रहे थे। लोगों ने कहा कि आप पूरे देश के रेल मंत्री हैं, आपको बिहार को कोई सुविधा देने में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक्सेप्टिड पालिसी है कि रिजनल इमबैलेंसिज को दूर किया जाये। यदि वास्तव में सरकार की यह नीति है, तो चूंकि बिहार को रेल की दृष्टि से कम सुविधाएं मिली हुई हैं, इसलिए बिहार को यह कहने का अधिकार है कि उसे वाजिब हिस्सा मिले। उसमें एमबैरेस फील करने की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं बिहार की उन मांगों के बारे में कहना चाहता हूं, जिनका मंत्री महोदय ने अपने बजट-भाषण में जिक्र नहीं किया है। बरौनी से कटिहार तक की लाइन को बी जी में कनवर्ट किया जाये, जिसके बारे में मंत्री महोदय ने नहीं कहा है। फतुहा-इस्लामपुर रेलवे लाइन को टेक ओवर किया जाये। जमालपुर वर्कशाप की तरक्की के लिए कदम उठाये जायें, जहां लाखों लोग काम करते हैं। कोसी पर सरायगढ़ और निर्मली के बीच में पुल बनाया जाये, जो सहरसा और दरभंगा इन दो जिलो को जोड़ सकता है। ललित बाबू ने इसे शुरू किया था, लेकिन मालूम होता है कि आदमी बदलने के साथ पालिसी भी बदल जाती है। इस काम को पूरा किया जाये।

मेरे क्षेत्र में दौरम मधेपुरा से सिंहेश्वर तक की साढ़े नौ किलोमीटर की लाइन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। बार-बार सरवे हो चुका है, जिस पर काफी पैसा लगा है।

बिहारीगंज से सिमरी बख्तियारपुर तक की लाइन के काम को भी हाथ में लिया जाये। उसका सरवे भी हो चुका है।

मैं अपने यहां आता हूं तो पटना से बरौनी में जाकर पांच घंटे मुझे रुकना पड़ता है। मैं जैसे जाता हूं कानपुर या समस्तीपुर एक्सप्रेस से तो 8 बजे रात को पहुंचता हूं बरौनी और 1 बजे रात में हमें फिर जामडीह एक्सप्रेस मिलती है। पांच घंटे में हम दूसरी गाड़ी से वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन 5 घंटे हमें वहां इंतजार करना पड़ता है। इसलिए इस ओर मंत्री जी ध्यान दें।

मैं स्वागत करूंगा लोको कर्मचारियों को जिन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। लेकिन मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने बार-बार आस्वासन दिया है कि वह विडिक्टिव नहीं होना चाहते। मैं चाहता हूं कि वह उसी दृष्टिकोण से देखें, वह आपके ही कर्मचारी हैं। उनके ऊपर जो भी कार्यवाही हुई हो, अगर उन्होंने स्वतः हड़ताल काल आन्फ्रेस ली है तो उनको भी चाहिए कि उन्हें माफ कर दें क्योंकि वह उन्हीं के कर्मचारी हैं और बिना उनके वह काम नहीं चला सकते।

मंत्री जी जो स्वयं भी ट्रेड यूनियन लीडर रहें और वास्तव में यह चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पीस हो तो बार-बार यह बात आती रही है कि एक इंडस्ट्री में एक यूनियन हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि रेलवे की ट्रेड यूनियन्स के अन्डर भी डेमोक्रेटाइजेशन के दृष्टिकोण से भी उसको वह चाहे सीक्रेटवैलट के आधार पर हमें कर लें, लेकिन एक यूनियन ही रहने दें तो

मल्टिप्लिसिटी आफ यूनियन्स उनके सामने नहीं रहेगी। मेरा विश्वास है कि मंत्री जी खुद इस तरफ ध्यान देंगे तो इसे कर पाएंगे और इसमें बहुत सारे विरोधी दल के लोगों का भी सहयोग होगा। ...(व्यवधान)।

बहुत दिनों से रेलवे की और हमारी यह मान्यता रही है कि यह जो कैटरिंग चल रही है वह डिपार्टमेंट को दी जाय और उसमें जो कर्मचारी हैं उनको सुविधा दी जाय खासकर के वह युनिट जो फायदे में चल रहे हैं। हमें खेद है कि अभी जयन्ती जनता में हमने सुना है कि किसी प्राइवेट कॉंट्रैक्टर को यह काम दे दिया गया है जिसमें सैकड़ों कार्यकर्त्ता जो काम करते हैं उनकी नौकरी खतरे में हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इसको वह देखें। स्टीमर पर भी उन्होंने पटना में किसी प्राइवेट कांट्रेक्टर को दे दिया है। ये दोनों के दोनों युनिट्स मुनाफा दे रहे थे।...(व्यवधान)।

एक टाइम-टेबल की बात मैं कहना चाहता हूं। आप देखेंगे कि बहुत दिनों से एक आल इंडियन टाइम-टेबल चलता था। पैसे के दृष्टिकोण से भी उसमें फायदा था। अगर किसी को एक टाइमटेबल खरीदना होता था तो वह पूरा टाइम टेबल खरीद लेता था। अब हमको जोन जोन के टाईमटेबल से कठिनाई हो रही है। हमको पूरे देश में चलना पड़ता है, जब हर एक जोन का इन्होंने अलग अलग दे रखा है, उसमें से एक कहीं गुम हो गया तो बड़ी कठिनाई पड़ती है। जो एक मुख्य टाईमटेबल इनका है उसमें ब्रांच लाइनों का कोई टाइम टेबल नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा कि इस ओर वह ध्यान दें और देखें कि एक ही टाइम टेबल हो जिसमें कि इनका भी फायदा हो और दूसरे लोगों को भी सुविधा हो।

**श्री जे०सी० बरवे** (रामटेक) : सभापति महोदय, रेल मंत्री जी ने बजट जो 1981-82 का सदन के सामने रखा है उसका समर्थन करने के लिए में खड़ा हुआ हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो लोग सौ किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक आते जाते हैं उनको रेलवे मंत्री जी ने रियायत दी है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

रेलवे का मुहकमा है यह बहुत बड़ा मुकहमा है। इसकी गतिविधियां अगर सही तरीके से चलें तो मेरा ख्याल है कि देश का उत्पादन बढ़ेगा और देश में जो आने जाने वाले लोग हैं जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जाते हैं उनको आने जाने में सहूलियत होगी। माल डिब्बे की बात मैं कहना चाहूंगा, आज हमारे पास जो माल डिब्बे हैं जिनमें लदान करते हैं और यहां से वहां माल जाता है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय तो अच्छा होगा।

अभी तक इस प्रकार का नियम था कि माल ढोने वाले जो डिब्बे हैं, उनको दस रोज में डैमरेज देकर के छुड़ा सकते हैं। परन्तु अब एक ऐसा नियम विचाराधीन है कि उसको 20 दिन किया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उसको 20 दिन कर दिया जाएगा तो उसका वहां पर एक गोडाउन बन जाएगा और दूसरी तरफ वहां पर वेगन्स भी नहीं मिलते हैं। अगर इस प्रकार के पक्के माल को गोंडाउन में जमा करके रखने के लिए 20 दिन की छूट दी जाएगी तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर ध्यान देंगे।

मैं रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं। हमने बार-बार जनता पार्टी के टाइम में भी और कांग्रेस के टाइम में भी यह कोशिश की कि हमारी जो नरखेड़-अमरावती लाइन है, उसका जल्दी से जल्दी सर्वे कराया जाये और उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि नरखेड-अमरावती का इलाका एक अरबन एरिया है। वहां होता यह है कि वहां पर जो माल तैयार होता है, पकता है, उस माल को पहले मध्य प्रदेश, मुलतायी स्टेशन पर, ट्रक से 80-90 किलोमीटर दूरी तय के, लाया जाता है और फिर उसको रेलवे द्वारा दूसरी जगहों पर भेजा जाता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस लाइन को जल्दी से जल्दी हाथ में लेकर पूरा कराएं, ताकि वहां जो संतरा पैदा करने वाले किसान हैं, उनको फायदा हो सके तथा उनको ट्रक से माल न ढोना पड़े और उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके।

मैं माननीय मंत्री जी के सरचार्ज के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने पक्के माल पर सरचार्ज लगाया है, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, परन्तु जैसे संतरा, केला आदि फल हैं, उन पर उन्होंने 15 टके सरचार्ज लगाया है, इससे किसानों के लिए और उत्पादक लोगों के लिए बडी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें और जो 15 टके सरचार्ज लगाया है, उसको रद्द करें- ऐसी मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं।

अब कुछ बातें मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां छत्तीसगढ़ ट्रेन, चत्तीसगढ़ से होते हुए दिल्ली आती है, लेकिन यह ट्रेन कामटी स्टेशन पर दो मिनट के लिए भी नहीं रुकती है, जोकि मिलीटरी एरिया है, नागपुर जिले का दूसरे नम्बर का शहर है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि मिलीटरी के आने-जाने वाले लोगों को उसे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को रोककर के उनको भी फायदा दिया जाए। इसी प्रकार के नरसेड़ रेलवे स्टेशन है, जहां पर संतरे का बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन वहां सदर्न एक्सप्रेस चाहे दिल्ली से जाने वाली हो या नागपुर से दिल्ली जाने वाली हो, रुकती नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सी कठिनाई होती है-उम्मीद है मंत्री जी इस पर भी ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, जब हमारे क्षेत्र में रेलवे का चलना शुरू हुआ तो सिर्फ एक दफा सवेरे और एक दफा शाम को रामटेक से नागपुर और नागपुर से रामटेक के लिए चलती थी, लेकिन अब भी उसी रफ्तार से रेलवे चलती है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अगर वहां पर बीच में एक दफा रेलवे और चलाई जाए तो वहां के लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि वहां पर ट्रेफिक में भी कोई कमी नहीं है।

वहां इस वक्त यह पोजीशन है कि बसों के किराए दुगने हो जाने के बावजूद बसों में जगह नहीं मिलती है इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि दोपहर के समय में एक गाड़ी नागपुर से रामटेक और रामटेक से नागपुर के बीच में चलाई जाय।

इन शब्दों के साथ माननीय रेल मंत्री जी ने सदन में जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

**श्री रणवीर सिंह** (केसर गंज) : चेअरमैन साहब, मैं रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बड़ी अच्छी बात है—यादव जी रेल मंत्री जी के पास से उठकर आ गए हैं, 40 मिनट तक तो यहां अपने भाषण में बतलाते रहे और फिर उनके पास जाकर बतलाते रहे। अब मुझे मौका मिलेगा कि मैं भी कुछ कह सकूं।

मैं, मंत्री जी, आपको आपके साहसयुक्त कदम के लिए बधाई देता हूं। जो विभाग आप को मिला है, वह पिछले प्रशासन के समय में न केवल पटरी से उतर गया था, बल्कि रास्ते से भी हट गया था, पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया था, चरमरा गया था। हमारे पिछले शासन-काल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह थी कि गाड़ियां समय से चलती थीं और लोग अपनी घड़ियां उनसे मिलाया करते थे। हमने उस समय एक ऐसा उदाहरण देश के सामने रखा था कि हम जो वायदा करते हैं उसे पूरा करते हैं, समय से रेलगाड़ियां चला सकते हैं-लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं उसमें जाना नहीं चाहता। वाजपेयी जी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये, अन्य विरोधी दलों को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं उन की यादों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। रेलें उस समय समय से नहीं चलती थीं-इन यादों को वे अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो रखें, उनको ये यादें मुबारक हों।

पिछले समय में जब हमारे उस समय के रेल मंत्री श्री त्रिपाठी जी बोल रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक बहुत ही अनुकरणीय बात कही थी, जो हमेशा स्मरण रहेगी। उन्होंने कहा था-जब रेलें समय से चलती हैं ठीक चलती हैं तो ऐसा लगता है कि राष्ट्र समय से चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन जब वे ठीक नहीं चलती हैं तो यह मालूम होता है कि राष्ट्र ठीक नहीं चल रहा है, समय से नहीं चल रहा है। अपनी छोटी सी बुद्धि से मैं एक बात इसके साथ जोड़ना चाहता हूं-जब सवारियां डिब्बे के भीतर यात्रा करती हैं तो ऐसा लगता है कि अनुशासन हमारे हाथ में है, लेकिन जब डिब्बों की छतों पर बैठ कर चलती हैं तो ऐसा लगता है कि अनुशासन कूदकर, हमें छोड़कर बाहर जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय दोनों तरफ ध्यान दें।

पिछली दफा जब प्रो० पाराशर भाषण दे रहे थे, तो उधर जहां वाजपेयी जी बैठे हैं, विरोधी दल के एक माननीय सदस्य महालंगी भी आर्तनाद कर रहे थे। वे प्रो० पाराशर से बड़े दुख के साथ कह रहे थे—मैं बाजपेयी जी से कहना चाहता हूं, वे भी शायद उनकी उस भावना में भागी होंगे—अब तो जनता पार्टी की बहुत बुराई कर चुके हो, कुछ आगे कहो, इसको जाने दो, मैं भी यही सोच रहा हूं कि अब इसके बारे में कुछ न कहूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की बहुत सतर्क आंखें हैं, वे हर बात को बहुत जल्दी देखते हैं—जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर वे अपना भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि और-कोई उपलब्धि आपकी हो या न हो, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि है कि आपने हाई-जैकर्स को बहुत बड़ा

स्थान दे दिया है। मैं मंत्री महोदय को एक बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं—आज हमारी कैबिनेट में रेलों को डाइनामाइट से उड़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं रह गया है, वे अपनी रेलों को प्रगति के पथ पर बिना किसी भय के चला सकते हैं, उनको अब यह भय नहीं रह जाना चाहिए कि रेलें डाइनामाइट से उड़ाई जा सकती हैं।

आपके पास इस समय लगभग 60 हजार रेलवे स्टेशन्ज हैं जिनमें प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप उस कार्यकुशलता से कार्यकरें कि वे 60 हजार रेलवे स्टेशन आपकी प्रशंसा के तीर्थस्थल हों और जो एक करोड़ यात्री आपकी रेलों में यात्रा करते हैं वे आपकी प्रशंसा के अनवरत समूह के रूप में कार्य करते रहें। रेल मन्त्री जी ने तमाम कठोर कदम उठाए हैं रिन्यूअल्स करने के, रिनोवेशन्स करने के और रेलवे लाइनें बदलने के लेकिन मैं रेल मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सब कुछ वे बदल सकेंगे लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य उनको करना है और वह है 'विल टू वर्क'। पिछले कुशासन में जो हमने खो दिया है, हमारी कार्य करने की इच्छा हमको शक्ति नष्ट हो गई है, उसकी पुनर्स्थापना करनी होगी। सब चीजें खरीदी जा सकती हैं लेकिन यह नहीं। गो स्लो, गो लेट, नेवर वर्क और रास्ता रोको, लोगों में जो यह प्रवृत्ति बीच में आ गई है, उसको खत्म करने के लिए भगीरथ प्रयत्न करने पड़ेंगे लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमारे रेलवे मंत्री जी जो रेलवे के प्रत्येक तंत्र से पूरी तरह से परिचित हैं, उसके मनोविकार के सही चिकित्सक हो सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं।

आज कल हम विद्युतीकरण की बात कर रहे हैं, हम भाप के इंजन को छोड़ चुके हैं, डीजल से अभावग्रस्त हैं, बड़ी मुश्किल से वह मिलता है और उसकी महंगाई से सारा देश पीड़ित होता है मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा—हमारे ख्याल से वे दूसरों से बात कर रहे हैं लेकिन मै समझता हूं कि हमारी बातों पर भी ध्यान दे रहे हैं—कि वे विद्युतिकरण की बात पर ज्यादा ध्यान दें और मैं यह चाहूंगा कि रेलवे विभाग को अपने पावर हाऊसेज बनाने चाहिए। और उनके पास पावर हाऊस होंगें, उनमें अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन होगा, तो मैं समझता हूं कि वे रेलें सही चला सकेंगें, उनको गति भी दे सकेंगें। आज वे स्थान जहां वेगन बना करते हैं, इनमें भी उनका बड़ा भारी योगदान हो सकता है। विद्युतिकरण की जब बात आती है, तो लोग कहा करते हैं कि विद्युतिकरण बड़ा खर्चीला है लेकिन मैं इसका अध्ययन कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि अन्ततोगत्वा विद्युतिकरण से रेलें चलाना सही साबित होगा और वे कम खर्चीली होंगी। इसके अलावा उनमें कार्यकुशलता आएगी और उनको हम अच्छी तरह से चला सकेंगें।

जहां तक वैगनों की बात है, यह वाकई में एक अजीब सी बात है। अब रेलें खाली कोयला ही नहीं ढोती हैं। ये आवश्यक वस्तुएं लेकर जाती हैं और इनकी कार्य प्रणाली सीमित नहीं है। इनके द्वारा हमें पूरे राष्ट्र का बाजार भाव एक करना है। जहां भाव बहुत ऊंचा है, वहां सामान पहुंचाना है और जहां नीचा है, वहां से ले जाना है। पिछली दफा जब वैगन उपलब्ध नहीं थे तो जहां फारूखाबाद में आलू का ग्लेट हो रहा था, वहां आसाम और बंगाल, सभापति

महोदय, आपके प्रदेश में, भाव बहुत ऊंचे थे। अगर वैगन उपलब्ध होते तो शायद ऐसी स्थिति न होती। यह भी कहा जाता है कि वैगनों की कमी भ्रष्टाचार का कारण है। माननीय त्रिपाटी जी ने कहा था कि पहले जब वैगनों की कमी थी तो लोग यह कहा करते थे कि पिछले शासन के जमाने में बड़ी मुश्किल से और बड़े भ्रष्टाचार के बाद वैगन मिलते थे लेकिन त्रिपाठी जी ने इसको ठीक कर दिया था। जिस जादुई डंडे का प्रयोग त्रिपाठी जी ने किया था और इनकी कमी दूर हुई थी और शीघ्र ही इस पर विजय वे प्राप्त कर सके थे, वैसा ही पांडे जी, आप करें।

जहां तक पुरानी लाइनों का प्रश्न है, श्रीमन्, मैं अब अपने उस स्थान पर जाता हूं जहां पर वाजपेयी जी बार-बार गए हैं। उन्होंने भी उसको देखा होगा क्योंकि वह उनका बड़ा अच्छा कार्य-स्थल रहा है। उन लाइनों को मैंने देखा है और खास तौर पर मैं उस लाइन की चर्चा करने जा रहा हूं जो गोरखपुर से बहराइच होते हुए नेपाल गंज जाती है और अब मेलानी तक जाती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि चाहे रजत जयन्ती मनी हो, स्वर्ण जयन्ती मनी हो और हरिक जयन्ती मनी हो लेकिन इन जयन्तियों का इस लाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आपने सुना होगा कि इस सदन में यह बात हो रही थी कि जब लाइनों में बहुत दिनों तक परिवर्तन नहीं किए जाते हैं, सुधार नहीं किए जाते हैं, तो फ्रेक्चर हो जाते हैं मल्टीविल फ्रेक्चर हो जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं लेकिन उस लाइन से दुर्घटना नहीं होती है। दुर्घटना न होने का कारण यह नहीं है कि रेल की लाइन ठीक है बल्कि कारण यह है कि लाइनों के लिए जो इन्जन दिये जाते हैं, वे बड़े पुरातन महारथी हैं, जीर्णशीर्ण हैं, उपहासध्योग्य हैं उपेक्षित हैं। और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे ये कुंभकरण के वंशज हैं और विश्राम में विश्वास करते हैं, गति में नहीं। जब मन में आया, तो चल दिये और मन में आया तो विश्राम करते रहते हैं। आज तक हमारे क्षेत्र के लोगों को यह नहीं मालूम है कि रेलों की गति 80 किलोमीटर भी हो चुकी है। इस विपदा के साथ-साथ एक विपदा और है। जब मैं किसी मंत्री जी से कहता हूं कि हमारे यहां की रेलों को थोड़ा सा दिखवा लीजिए, तो मंत्री जी कहते हैं कि मैं खुद आऊंगा। बड़े-बड़े अधिकारियों से कहा, तो उन्होंने भी वही वायदा किया। इससे हम भी खुश हो जाते हैं और अपने क्षेत्र में जाकर कह देते हैं लेकिन वे वहां जाते नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब तक रेल की गति नहीं बढ़ेगी, यह चीज जारी रहेगी। यह तो मैं नहीं जान पाता कि रेल की गति में सुधार होगा या नहीं लेकिन क्या आप मुझे यह बतायेंगे कि आप वहां जाकर उसे देखेंगे या नहीं। रेल की गति बढ़े या न बढ़े लेकिन आप जा कर देखें जरूर।

पिछले दिनों जो गीताजंली एक्सप्रेस चली उसी उम्मीद से मैं कह रहा हूं कि आप गोरखपुर से बहराइच और नेपालगंज के बीच और गोरखपुर से बहराइच होते हुए मथुरा तक गाड़ी चला दें। इससे राम और कृष्ण की जन्मभूमियां जुड़ जायेंगी। पिछले वर्षों में जैसे प्रोफेसर मधु दण्डवते ने गीताजंली चला कर उसकी प्रशंसा, की यह उन्होंने उनकी प्रशंसा नहीं की बल्कि अपनी प्रशंसा की कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया कि एक अमर कवि की अमर कृति के नाम से एक रेल गाड़ी का नाम जोड़ दिया और यह गीताजंली कई स्टेटों से गुजरती है। देअरफोर इट एज ए सोर्स आफ नेशनल इन्टेग्रेशन। मैं जिन स्टेशनों के लिए

गाड़ी चलाने के लिए कह रहा हूं वह गाड़ी हिन्दुस्तान से नेपाल को कनेकट करती है, देअरफार इट इज ए सोर्स आफ इन्टरनेशनल इन्टेग्रेशन यह कहने का मुझे लालच हो रहा है। कम से कम यह बात हमारे मंत्री जी को स्वीकार करनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि नेपाल की ओर जो इस क्षेत्र की विपुल सम्पदा है वह यहां से दूसरी जगह ले जायी जाती है। क्षेत्र में मछली इत्यादि हैं जो कि ट्रेन से जाती हैं। एक बात और है कि ट्रेन के डिब्बों में हम लिखा देखते हैं कि भारत के दो पर्यटक केन्द्र विश्वविख्यात श्रावस्ती और सैय्यद सैलार गाजी की मजार वहां है। यह पर्यटकों के लिए डिब्बों में हम पोस्टर लगे देखते हैं। लेकिन बड़ी बिडम्बना है कि डिब्बों में पोस्टर तो रहते हैं लेकिन रेल लाइन उधर नहीं जाती है। पर्यटकों की बड़ी दुर्गति होती है। इसी दृष्टिकोण से हमारे रेल मन्त्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जो नहर निकल रही है, वह बड़ी भारी है। उसके लिए आवश्यक है कि वहां की जो उपज बढ़ेगी उसके लिए आप पहले से व्यवस्था कर लें ताकि वहां का उत्पादन दूसरी जगह भेजा जा सके।

एक बात प्रोफेसर दंडवते साहब कह रहे थे कि रेलवे के ऊपर सोशल बर्डन होता है। चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि उन्होंने इस सोशल बर्डन को गीताजंली चला कर और बम्बई के चारों तरफ ट्रेनें चलाकर डिस्चार्ज किया था। अपनी कांस्टीच्युएंसी के चारों तरफ काम कर लिया और सोशल बर्डन डिस्चार्ज हो गया। मैं मन्त्री जी से सोशल बर्डन डिस्चार्ज करने के लिए कहना चाहता हूं बिहार हमसे दूर नहीं है। आप बहराइच की रेलवे की समस्या को सुलझा कर सोशल बर्डन दूर कर सकते हैं।

एक बात में आऊट गोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत बार कहा जाता है कि समस्तीपुर से बाराबंकी के बारे में लेकिन जनता पार्टी का प्रोमीस भी खत्म हो गया और जनता पार्टी भी खत्म हो गयी। आप इसे गति दें और शीघ्रता से इसके कंवर्शन को पूरा करने के आप प्रयास करें। हमारे त्रिपाठी जी ने एक अच्छा काम किया था जिसको मधु दण्डवते जी ने मटियामेट कर दिया। वह था ए० टी० मेल के जरवल में रुकने का काम। प्रोफेसर दंडवते उसे बंद कर गए लेकिन त्रिपाठी जी ने आकर फिर उसे कैंसिल कर दिया। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि शाने अवध मेल को वे जरवल में रोकें ताकि वहां के लोगों को सुविधा हो सके।

एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गोरखपुर से गोंडा, बहराइच, मैलानी होते हुए वगैर किसी खर्चे के मथुरा तक एक गाड़ी चला सकते हैं। इसका प्रस्ताव आपके कार्यालय में है। वहां घोषणा भी हुई थी कि आप शीघ्र मथुरा के लिए गाड़ी चलाने वाले हैं। पता नहीं बीच में क्या हो गया। आप इस विषय में ध्यान दें।

चेअरमैन साहब, हमने आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से नया कुछ नहीं मांगा है। एक नवीकरण का निवेदन किया है। आपका समस्तीपुर-बाराबंकी लाइन वाला तमाम सामान वहां

बचेगा और उससे बहुत कम खर्चे में दिल्ली से गैलाती, नहराइच होते हुए असम जाया जा सकता है। असम के लिए इससे छोटी दूरी कोई नहीं होगी और बहुत कम खर्चे में यह काम पूरा हो सकता है। अगर यह लाइन आप बिछा दें तो बड़ी सुविधा होगी। हम यह तो नहीं कहते कि आप हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सब कुछ मिला दें लेकिन आपके थोड़े से प्रयास से यह राम और कृष्ण की जन्मभूमियां मिल जायेंगी और इसको कर के आप एक महान् पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे हिन्दुस्तान और नेपाल भी जुड़ जाएगा और गरीबों को बहुत राहत मिलेगी। वहां की बेरोजगारी की समस्या को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा।

क्षेत्रीय असंतुलन जो हो गया है, उसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में रेल डिब्बों में रेक्सीन की जगह टाट लगा हुआ होता है। किराया सब के लिए बराबर है लेकिन उस क्षेत्र में यह असंतुलन है कि रेक्सीन की जगह टाट लगा हुआ है। उसमें भी खटमल और कीटाणुओं का प्रजनन केन्द्र बन गया है जिसके कारण यात्री अपना स्वयं सतत प्रहरी बनकर अपनी सुरक्षा करता है, वैसे वहां कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहती है। अगर ये सब कार्य आप कर दें तो राम और कृष्ण के नगर को आप मिला देंगे, नेपाल और हिन्दुस्तान को जोड़ देंगे और दिल्ली के वैभव को गरीब पूर्वी भारत तक पहुंचा कर थोड़ा सा उन्हें भी अहसास करा सकेंगे। क्षेत्रीय असंतुलन को इससे आप धक्का देंगे, आज पूर्वी भारत सो रहा है उसे आप जगा देंगे और उसे विकास की ओर अग्रसर करेंगे।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़े से खर्चे से महान उपलब्धि हो सकती है, जिसका अवश्य आपको आकर्षण होगा और आप अवश्य ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और चेयरमैन साहब आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री ए० के० राय** (धनबाद) : कामरेड सभापति ..... ...(व्यवधान)।

**सभापति महोदय** : आप कह सकते हैं ; कृपया अपनी आगे बात कहें।

**श्री के० ए० राजन** : इसमें कोई दोष नहीं है..... (व्यवधान)।

**श्री ए० के० राय** : 'कामरेड सभापति' शब्द पूर्णरूप से संसदीय ..... है..... (व्यवधान)।

**सभापति महोदय** : जब मैं खड़ा हूं तो आपसे अपना स्थान ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है, अनेक माननीय सदस्यों ने पहले ऐसा किया है ; यह पहली बार नहीं है और यदि सभापति उसे अपवाद नहीं मानते तो मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति होनी चाहिए।

श्री राय कृपया अपनी बात जारी रखें।

**श्री के० ए० राजन** : श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी इस तरह से संबोधित किया है; कृपया पहले की कार्यवाही का अध्ययन कीजिए .. .. .. .... (व्यवधान)।

**श्री जमीलुर्रहमान** : आप गलत मिसाल कायम कर रहे है। हम भी कांग्रेसी अध्यक्ष और कांग्रेसी सभापति जैसे शब्दों से संबोधित करेंगे।

**श्री ए० के० राय** : शब्दों से परेशान न होइये। कामरेड सभापति, बिहार विधान सभा के दिनों के हमारे अच्छे पुराने साथी श्री केदार पांडे को अच्छा आदमी होने परन्तु बुरा मंत्री होने की ख्याति मिली है। इसीलिए तो उसके मंत्री रेल मंत्री बनने के बाद उसने उम्मीदें तथा चिन्तायें दोनों पैदा कर दी हैं, वर्तमान रेल मंत्री महोदय ने न केवल पिछली जनता सरकार के कार्य से बल्कि अपने पूर्ववर्ती पिछले कांग्रेसी मंत्रियों के कार्य का श्रेय लेने का दावा करने का प्रयास किया है। मैं कांग्रेसी शासन के पहले वर्ष के कार्य निष्पादन की जनता शासन के पहले वर्ष के कार्य के साथ तुलना नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जनता पार्टी के संसद सदस्य उसे करने योग्य है।

पिछले दशक में केवल चार वर्षों के दौरान रेलवे ने बचत दिखाई है और उसमें से दो वर्ष गैर-कांग्रेस शासन के थे अर्थात कार्य निष्पादन 1977-78 तथा 1978-79 का है जिसमें अधिकतम बचत तथा उत्पादकता हुई है और यह ऐसी बात है जिसे अभी तक मात नहीं दी गई है। जनता शासन तथा कांग्रेस शासन का कार्य निष्पादन बड़ा स्पष्ट है। मैं जनता पार्टी को भी पसंद नहीं करता हूं परन्तु मैं रेलवे में उनके कार्यनिष्पादन कम से कम कांग्रेस शासन की तुलना में को पसंद करता हूं यद्यपि मैं पिछले तीन महीनों के कार्य निष्पादन की तुलना पहले के नौ महीनों के कार्य-निष्पादन के साथ करना चाहूंगा। यह अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले बैंगलोर में सलाहकार समिति की बैठक हुई थी जिसमें पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने रेलों की पिछले आठ महीनों की उपलब्धियों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दी थी और अब जब रेल बजट प्रस्तुत किया गया तो हमे पिछले तीन महीनों के कार्य निष्पादन के बारे में जानकारी मिली। सलाहकार समिति की गत बैठक में क्या कहा गया था ? पिछले वर्ष की अपेक्षा चार लाख टन अधिक खाद्यान्न, दस लाख टन अधिक कोयला ढोये गये, 161 आने वाली और 161 जाने वाली रद्द की गई रेलगाड़ियों को पुनः चलाया गया, 16 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों समेत 51 नई गैर-उप-नगर रेल गाड़ियां चलाई गई और अन्य 18 रेलगाड़ियों के गन्तव्यों को बढ़ाया गया है। अक्तूबर के पिछले सप्ताह में बड़ी लाईन पर कुल दैनिक प्रारंभकारी शुरु में माल लदान के लिए 24000 माल डिब्बे थे। और मीटर गेज पर 52000 माल डिब्बे थे हिसाब लगाने से यह इतना बनता है प्रति-दिन माल ढुलाई 6 लाख टन होगी। इसका अर्थ यह है कि कुल कार्य निष्पादन 2200 लाख टन से अधिक हुआ होगा। परन्तु मंत्री महोदय ने हमारे समक्ष 1950 लाख टन के आंकडे प्रस्तुत किये हैं। अतः या तो पहले वाले मंत्री जी अब मंत्री नहीं रहे हैं, ने कुछ गलत कहा है या वर्तमान यह मंत्री महोदय कुछ गलत कह रहे हैं। एक मात्र निष्कर्ष जो हम निकाल सके हैं वह यह है कि पिछले तीन महीनों के दौरान कार्य निष्पादन अपने पूर्ववर्ती मंत्री की अपेक्षा भी अत्याधिक निराशाजनक है। एक और बात को भी स्पष्ट किया जाना है अर्थात 6 महीने का कार्य-निष्पादन कैसे एक बात बतलाता है

और एक वर्ष का कार्य-निष्पादन कैसे दूसरी बात बताता है। एक व्याख्यान श्री आर० के० हजारी द्वारा दिया गया है। वह भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। उन्होंने इस प्रकार कहा है: 'रेलों पर बल देते हुये मैंने अपनी बात शुरू की क्योंकि हम ऐसी घोटाले वाली स्थिति में पहुंच गए हैं कि रेलवे की अवक्षपित परिसम्पत्तियों को भी नहीं बदला जाता" इस कारण गाड़ियां देर से चलती हैं और दुर्घटनायें होती हैं जिसके लिए गरीब रेल कर्मचारी मजदूर तथा लोको कर्मचारी शिकार बनाये जाते हैं। मंत्री महोदय ने भी कहा है कि वह अपने अपना समय मरम्त और बदलने पर लगायेंगे शायद इसके लिए उन्हें आंवटित 980 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। उन्हें इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि पहले वाले आबंटन का क्या हुआ क्योंकि रेलवे न तो मरम्त पर खर्च करती है और नहीं बदलने पर और न ही वह अपनी क्षमता को बढ़ाने पर खर्च करते है। इस चरण में रेलवे द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाने पर लगाई जाने वाली दर धीरे-धीरे घट गई है। 1965-66 में 450 किलोमीटर मार्ग बढ़ाया गया था। अब यह घटकर 200 कि० मी० मार्ग से भी कम रह गया है। यही स्थिति विद्युतीकरण की है। वह दर भी घट चुकी है अब 170 कि० मी० लाइन का विद्युतीकरण किया जा रहा है इस ढंग से तो सम्पूर्ण भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण में हमें 400 वर्ष लगेगें।

उन्होंने यह भी दावा किया है कि रेलवे में वे औद्योगिक विवाद अधिनियम का पालन करते हैं। भारत सरकार ने अन्राष्ट्रीय श्रम सगंठनको इस प्रकार रिपोर्ट दी है;

"भारत सरकार की रिपोर्ट है कि भारतीय रेलों में कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियक लागू होता है जिसमें अनिर्णीत विवादों के निपटान के लिए समझौते के माध्यम से और जब वह सम्भव न हो तो मध्यस्थ-निर्णय से तथा न्यायनिर्णयन के माध्यम से निपटाने का उपबन्ध है।

परन्तु व्यवहार में जब कभी भी कार्मिकों की बरखास्तगी या उत्पीड़न के किसी मामले के बारे में कोई विवाद आर० एल० सी० के समक्ष आता हैं तो उनका कहना यह होता है कि हमारा अपना तंत्र है। इस तंत्र को विवाद भेजे जाते हैं। इसलिए उन्हें औद्योगिक न्यायाधिकरणों को विवाद नहीं भेजने चाहिए। यह तंत्र मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के लिए कार्य करता है; परन्तु उत्पादन की स्थिति में उनके लिए क्या होता है जो मान्यता प्राप्त यूनियनों के सदस्य नहीं हैं? उनके मामलों को न तो संयुक्त तंत्र को और न औद्योगिक न्यायाधीकरणों को भेजा जाता है। उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरणों के समक्ष जाने से भी रोका हुआ है। सामान्यतः औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरणों में जाना अनिवार्य है। वह अधिनियम सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य है। रेल मन्त्री महोदय को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

एक और बात हैं: हाल में हमने किसान स्पेशल गाड़ियां देखी हैं। मार्च और अप्रैल अन्त में हजारों असली किसान उतरी बिहार तथा छोटा नागपुर से लेकर पंजाब तक के किस आये जो भू-स्वामी किसान नहीं बल्कि भूमिहीन किसान है रेल गाड़ियों में उनके साथ क्या हुआ (व्यवधान) माइगरेंट लेबरर्स इन रूरल पंजाब नामक एक पत्र है—जो मनजीत सिंह त

के० गोपाल अय्यर, समाज शास्त्र विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लुधियाना स्टेशन पर रेल कर्मचारी मजदूरों से किस तरह दर्ताव करते हैं, जो उत्तर बिहार से पंजाब में काम करने के लिए आते हैं। मैं पंजाब के अनुसंधान पत्र से पढ़ रहा हूं। इसमें निम्न प्रकार से कहा गया है।

इस अनुभाग के अन्तर्गत चर्चा का सम्बन्ध मजदूरों को दिये जाने वाले उत्पीड़न से है जब वे विभिन्न रेल गाड़ियों से लुधियाना तथा खन्ना, राजपुत, जालंधर आदि अन्य स्टेशनों पर उतरते हैं। तथापि जो नीचे कहा है वह मार्च, 1980 के अन्त में तथा अप्रैल, 1980 के पहले दो दो सप्ताहों में लुधियाना रेलवे स्टेशन पर देखे गए हाल पर आधारित है। यह अवधि गेहूं की फसल काटने तथा गेहूं निकालने के समय की है, जिसमें श्रमिकों की अधिक जरूरत होती है। गाड़ियों से मजदूर यात्रा करते हैं वे मुख्य रूप से सियालदाह एक्सप्रेस, हावड़ा-अमृतसर मेल, हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस तथा देहरादून एक्सप्रेस हैं। रेल गाड़ियों के डिब्बों के मजदूर अन्दर खचा-खच भरे रहते हैं, रेल गाड़ियों की छतों पर तथा दो डिब्बों के बीच की जगह में रहते हैं। बिहार से लेकर पंजाब तक की सारी यात्रा में छत पर यात्रा करने वाले मजदूरों की संख्या डिब्बों के अन्दर बैठे हुए मजदूरों जितनी होती है।

लुधियाना रेलवे स्टेशन पर 'बाज' जिनमें टिकट कलेक्टर तथा रेलवे पुलिस होती है, इन अबोध मजदूरों को लूटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे ही [illegible] की घोषणा की जाती है, तो वे अपना-2 स्थान सम्भाल लेते हैं। प्रायः प्रत्येक डिब्बे के पास एक टिकट कलेक्टर पुलिसमैन समेत उन मजदूरों को पकड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, बिना टिकट यात्रा करने वाले माने जाते हैं। अनेक मिसाले हैं जब असली टिकट लिये मजदूर को भी टिकट कलेक्टर तथा सिपाही पकड़ लेते हैं और उनको यात्रा किराया पुनः देने के लिए कहा जाता है। (हिन्दी ट्रिब्यून, 17 अक्तूबर, 1980)।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यों को मेरे ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। यह उचित नहीं है।

**श्री ए० के० राय** : इसमें आगे इस प्रकार कहा गया है :

"मार्च के अन्त तथा अप्रैल के मध्य के बीच प्रत्येक रात में वे 40 से 50 तक मजदूरों को पकड़ते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। ऐसे अभागे मजदूर जो इस प्रकार पकड़े जाते है उन्हें टिकट कलैक्टरों के कमरों में लाया जाता है, जिसमें "क्या मैं आपकी सदद कर सकता हूं।" अंकित पट्ट लगा होता है। ऐसे मजदूरों को जिनके पास धन होता है, मांगी गई धनराशि देने पर छोड़ दिया जाता है। दूसरों की पूरी तरह से यहां तक कि उन्हें नंगा करने तक तलाशी ली जाती है। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उन्हें ट्रकों, ट्रैक्टरों बस आदि के साथ लुधियाना रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में एकत्रित हुए नियोजकों को बेच दिया जाता है। इन नियोजकों को

मजदूर विभिन्न दरों पर, प्रति मजदूर 60 रुपये पर बेच दिया जाता है। पुलिस मैनों द्वारा मजदूरों की रेलवे स्टेशन पर बुरी तरह से पिटाई भी की जाती है।

इस पत्र के आधार पर इस मामले की जांच की जानी चाहिए और माननीय मन्त्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस वर्ष इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद।

**सभापति महोदय :** श्री राम सिंह यादव।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) :** जब तक आप पीठासीन हैं, आप ए न्यायाधीश के रूप से व्यवहार करें। जिस समय आप अपने आबंटित स्थान को ग्रहण करते आप दल के सदस्य बन जाते हैं।

**सभापति महोदय :** मैं श्री रेड्डी का आभारी हूं क्योंकि वह मेरा बचाव करने का प्रया कर रहे हैं।

**श्री रामसिंह यादव (अलवर) :** माननीय सभापति जी, मैं रेल मन्त्री जी द्वारा सदन प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मन्त्री जी ने इन बजट प्रस्तावो माध्यम से रेलवे मन्त्रालय को, रेलों को, एक नई गति, नई दिशा दी है और नया कार्यक्रम दि है जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। आप जानते हैं कि एशिया में सबसे अधिक लम्बी रे लाइनें भारत में ही हैं और सारी दुनियां में रेल की दृष्टि से हमारा चौथा स्थान है। यही न रेल मन्त्री जी ने जो इन्नोवेशन्स और इमेजिनेशन्स इस बजट में दिये हैं और जो फ्रेट टैरि ओरियेन्टेड पौलिसी रखी है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत दिन से यह मांग रही कि रेल मन्त्रालय जब तक स्वयं में अपने रिसोर्सेज डेवलप नहीं करेगा तब तक वह जनरल बज पर आश्रित रहेगा और अपने आप में एक आर्थिक क्षमता पैदा नहीं होगी। रेल मन्त्री जी जो नई पौलिसी लेकर चले हैं और फ्रेट टैरिफ को लेकर सामने आये हैं उसमें नये सुझाव दिये हैं और अब तक जो बेदल पैसेंजर टैरिफ की पौलिसी रही है उसको एक नई दिशा और न दिया है।

आप जानते हैं कि जहां तक पैसेंजर ट्रैफिक का सवाल है उसने गत दिनों में 17 प्रतिशत की तरक्की की है, आगमोटेशन हुआ है और पिछले तीन साल के अन्दर ही केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आप अगले वर्ष के बजट में इस दृष्टि से जो आपके रिसोर्सेज डेवलप हों तो पुनः सोचना होगा कि वास्तव में फ्रेट टैरिफ पौलिसी ही नहीं बल्कि पैसेंजर टैरिफ पौलिसी की तरफ भी फिर दोबारा ध्यान देना होगा। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था कि जो रेल में सफर करने वाले हैं, व केवल यात्री कम्पार्टमेंट में ही नहीं छत पर भी बैठे रहते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि व छत पर बैठने में बहुत खुश हैं, उसमें केवल 1,2 परसेंट ऐसे होंगे जो छत पर बैठना चा

लेकिन जो रेल 1950 में केवल 32 करोड़ की दृष्टि से चलती थी वहां आज वह 70 करोड़ की आबादी के मुल्क में चल रही है। आपके द्वारा काफी कैपेसिटी बढ़ाने के बाद भी पैसेन्जर को एकमोडेट करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।

आप जानते हैं कि आपने जो कुछ भी इस मीटर गेज को ब्राडगेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रयत्न किया है उसको और ज्यादा बढ़ावा आपको देना होगा। आज सारे मुल्क में केवल 51 प्रतिशत ब्राडगेज है और 42 प्रतिशत मीटरगेज है और सिर्फ 7 परसेंट नैरोगेज है। आपका यह कहना है कि ब्राडगेज में जितना भी माल ढोते है या पैसेन्जर्स ट्रैफिक को ले जाते हैं वह 77 और 80 परसेंट से ऊपर है। आपके प्रपोजल्स से मालूम होता है कि ब्राडगेज पर जो आपकी लागत है, उसका रिटर्न मीटरगेज के मुकाबले में ज्यादा हो गया है। आपको इस पर पुनर्विचार करना होगा।

आपने जो किताब पेश की है, उसके पेज 24 पर दिया हुआ है कि दूसरे मुल्कों में जो रेलें चलती हैं, वहां पर मीटर गेज की रफ्तार 150 किलोमीटर है। इसलिए उसको ब्राडगेज में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इससे इत्तिफाक नहीं करता हूं। इसको दोबारा सोचना चाहिए।

लांग रन में, आर्थिक दृष्टि से और उपयोगिता की दृष्टि से ब्राडगेज ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है, इसलिए इस पर आपको सोचना होगा। इस देश में आज रेल केवल आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज भी रेल की उपादेयता और उपयोगिता इस क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए उतनी ही अधिक है जितनी 1853 में थी जिस समय रेलों को प्रारम्भ किया गया था। मैं निवेदन करूंगा कि आपको अपनी पालिसी में, चाहे वह कन्वर्जन की पालिसी हो चाहे नई लाइन बिछाने की पालिसी हो, उसमें कुछ प्रायर्टीज तय करनी होंगी और इनको तय करने के लिए जैसे कि आजकल खासतौर से इन्डस्ट्रियल ओरिएन्टेड पालिसी हो एग्रीकल्चरल ओरिएन्टेड पालिसी हो, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको नई रेल कायम करने और मीटरगेज को कन्वर्ट करने के लिए देखना होगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बहुत बड़ी मांग इस सदन में आज से ही नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से मैं सुनता आ रहा हूं कि दिल्ली से अहमदाबाद की मीटरगेज लाइन को ब्राडगेज में कन्वर्ट किया जाए। यह केवल वहां के स्थानीय लोगों की मांग नहीं है, यह केवल गुजरात और राजस्थान के लोगों की ही मांग नहीं है, बल्कि ऐसी मांग है, जिसको मैं कहूंगा कि नेशनल प्रोजैक्ट के रूप में आपको इसे स्वीकार करना चाहिए।

यह इसलिए कि आपको मालूम है कि एशिया में सबसे बड़ी नहर राजस्थान कनाल है। उसका 9 करोड़ रुपया इसलिए काम में नहीं आ सका कि आप वहां पर कोयला, लोहा और दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सके हैं। इसका कारण यह है कि आपके पास रेल और रेल वैगन पर्याप्त रूप से नहीं है। इस बारे में आपको सोचना होगा।



[श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन]

राजस्थान में जो सीमेंट प्लान्ट लगाए हुए हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 3 मिलियन ट है । राजस्थान नहर का फर्स्ट फेज कंपलीट हो चुका है और उसकी वजह से राजस्थान में फूड ग्रेन्स की पैदावार 5 मिलियन टन है । आप इस बात पर गौर कीजिए कि जहां पर केवल मिलियन टन सीमेंट और 5 मिलियन टन फूडग्रेन्स और उसके साथ जितने भी मिनरल्ज हैं, चा सोपट स्टोन हो, सिलीका सैंड या जिंक फास्फेट हो या दूसरा रा-मैटीरियल हो — लाइम स्टोन मारबल स्टोन, कोटा स्टोन हो, उस सारे माल को ले जाने के लिए राजस्थान के अन्दर पर्याप्त साधन नहीं है । जितना माल राजस्थान में निकलता है, उतना हिन्दुस्तान के किसी और सूबे में नहीं है । इस सब के ट्रांस्पोर्ट के लिए आपको रेल की व्यवस्था करनी होगी ।

भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान के हिस्से में केवल सवाई माधोपुर तक ब्राडगेज की लाइन जाती है और कहीं दूसरी जगह नहीं है ।

जब पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी की सजा हुई, तो उसने अदालत में एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेवा यह की है कि शाह आफ ईरान राजस्थान कैनाल को कम्पलीट करने के लिए भारत को पैसा देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और पैसा नहीं देने दिया, क्योंकि राजस्थान कैनाल सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण परियोजना है ।

राजस्थान कैनाल की सहायता से हम फूडग्रेन्स पैदा कर रहे हैं, दूसरे साधन पैदा कर रहे है, लेकिन जब तक वहां रेलवे लाइन नहीं होगी, तब तक वहां की पैदावार राष्ट्र के दूसरे हिस्सों में नहीं जा सकेगी । इसलिए राजस्थान में मीटरगेज का एक रेलवे जोन कायम करना चाहिए । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है, सारे देश में जो नौ रेलवे जोन्ज हैं, मन्त्री महोदय को साइंटिफिक और जियोग्राफिकल दृष्टि से और इंडस्ट्रियल तथा एग्रीकल्चरल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए । यदि इस प्रकार जोनल सिस्टम का पुनर्गठन किया जाएगा, तो रेलवे में इफिशेंसी और वर्कमैनशिप बढ़ेगी और रेगुलेरिटी तथा पंक्चुएलिटी से काम होगा । जोनल सिस्टम को रिवाइज करने के बारे में बजट प्रस्तावों तथा सम्बद्ध लिट्रेचर में जो कुछ कहा गया है, उससे जाहिर होता है कि मन्त्री महोदय के पास इस महकमे को आगे बढ़ाने के लिए एक साइंटिफिक एपरोच और पोलिटिकल विल है, और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

मन्त्री महोदय ने जिन लाइनों का सरवे करने या जिन नई लाइनों के बिछाने की बात कही है, दिल्ली-अहमदाबाद लाइन को उनमें शामिल नहीं किया गया है । मन्त्री महोदय इस पर पुनर्विचार करें और इसको ब्राडगेज में कनवर्ट करें । इसका सर्वे पूरा हो चुका है और प्लानिंग कमीशन के पास रिपोर्ट गई हुई है । मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रगति की नीति के अन्तर्गत इस लाइन को बनाने की घोषणा करेंगे और इसी बजट में इसके लिए रुपये की व्यवस्था करेंगे ।

मीटरगेज की सबसे अधिक किलोमीटर रेलवे लाइन राजस्थान में है, लेकिन वहां पर मीटरगेज का कोई जोन नहीं है। अजमेर और जयपुर सेंट्रली लोकेटिड प्लेसिज हैं, जो अहमदाबाद और दिल्ली दोनों से नजदीक है। इसलिए अजमेर या जयपुर में रेलवे जोन कायम किया जाये। इससे वहां की एफिशेंसी बढ़ेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**डा० बी० एन० सिंह (हजारी बाग)** : महोदय, मैंने रेल मंत्री के बजट प्रस्तावों को बड़े ध्यान से पढ़ा है। आरम्भ में ही मैं उन्हें यह सूचित करना चाहूंगा कि किराये और भाड़े में वृद्धि के कारण बजट का न तो यात्रा करने वाले लोगों ने स्वागत किया है न उद्योग पतियों ने स्वागत किया है और न उपभोक्ताओं ने स्वागत किया है क्योंकि उन्हें सामान अधिक मूल्यों पर मिलेगा और नहीं राजनीतिज्ञों ने स्वागत किया है जिन्हें यह पढ़कर निराशा हुई हैं कि 1981-82 के दौरान केवल 171 कि० मी० नए रेल मार्ग खोले जायेंगे। इतनी बात बजट के स्वागत के बारे में है। इसके साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि रेलवे प्रशासन में उन्होंने निश्चित रूप से कुछ सुधार अवश्य किए है। इससे उनके मंत्रालय में नई शक्ति का संचार हुआ है। तीन महीने के भीतर ही उन्होंने माल यातायात में सुधार लाकर और माल यातायात से प्राप्त होने वाले राजस्व में आने वाली कमी को रोकने का प्रयास करके वह कुछ अच्छे परिणाम सामने लाये हैं।

इसी प्रकार, रेलवे, जैसा कि स्वयं रेलमंत्री ने स्वीकार किया है, सबसे बड़ा सरकारी नियोजक एकक है जिसमें लगभग 17 लाख लोग काम करते है। यह बहुत विशाल संगठन है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के अनुसार रेलवे की आय का लगभग 60 से 65 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन परिलब्धियों और उनके कल्याण पर व्यय किया जा रहा है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि रेल मंत्री को अपने विभाग में अतिआवश्यक प्रशासनिक सुधार लाने का प्रयास करने और कार्मिक प्रबंधकों को देखने के विशालतम कार्य को करने का समय नही मिला है। उन्हें काम के बंटवारे पर ध्यान देने का और यह देखने का कि उनके विभाग में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक तो नहीं है और उनसे किस प्रकार अच्छे से अच्छा काम लिया जा सकता है, का भी समय और अवसर नहीं मिला है। तथापि बजट प्रस्तावों से ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बारे में विचार किया है वह कर्मचारियों के कार्मिक पक्ष के प्रबंध संबंधी कार्यों की देख भाल के लिए प्रशिक्षित कार्मिक प्रबंधकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं वह एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का विचार कर रहे हैं जो रेलवे प्रशासन के पुनर्गठन और उसे सुदृढ़ और सुचारु बनाने के सामान्य प्रश्न पर विचार करेगी। यह बात स्पष्टतः समझी जा सकती है कि जब तक मंत्री महोदय कर्मचारियों की संख्या में कुछ कटौती नहीं करेंगे और उनकी छटनी करने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से अधिकांश निष्क्रय भार के रूप में हैं मुझे इसमें बहुत सन्देह है कि वह रेलवे मंत्रालय के संचालन में अपेक्षित सितव्ययता और दक्षता ला सकेंगे। मैं यह पूरी तरह समझता हूं कि एक सरकारी संगठन लाभ दिखाने के लिए कठोर

कदम नहीं उठा सकता। लेकिन इसके साथ ही यह भी समझ लिया जाना चाहिए कि जब तक इस मामले पर उचित ध्यान नहीं दिया जायेगा फुजूल खर्जी को नियन्त्रित नहीं किया जायेगा चोरी नहीं रोकी जायेगी और श्रम शक्ति और यन्त्र शक्ति के बीच उचित तालमेल नहीं बिठाया जायेगा मैं नहीं समझता कि वह रेलवे प्रशासन में सुधार लाने में सफल हो सकेंगे। मैं जानता हूं कि सभी आदानों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। वेतन बिलों की राशि भी बढ़ती जा रही है। पिंशन देयता भी बढ़ती जा रही है। इन सबका रेलवे पर प्रभाव पड़ता है। और भाड़े वाले यातायात से आय में होने वाले सुधार तथा यात्रियों से प्राप्त किराये में आनुमानित वृद्धि के बावजूद 344.84 करोड़ रुपये का विशाल बजटीय अन्तर है। मेरे विचार से इस अन्तर को फिलहाल अस्थायी तौर पर बिना पूरा किये ही छोड़ दिया जाना चाहिए था और इस दौरान वह, जैसा कि उन्होंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है, विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति कर देते और उन्हें विशेष रूप से एक ही विषय की जांच के लिए, अर्थात, प्रशासन में सुधार लाने, जहां भी आवश्यक हो छटनी करने, अनावश्यक व्यय रोकने, चोरी रोकने, आदि, के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम दे देते और तब मेरे विचार से यदि सारा का सारा नहीं तो कम से कम इस घाटे का अधिकांश भाग पूरा हो जाता मुझे संदेह है कि ऐसा करने की बजाय रेल मंत्री छोटे रास्ते अपनाने में जल्दबाजी करने या यात्री किराये में वृद्धि करके, यातायात पर भाड़ा दर में वृद्धि करने का प्रयास करके अत्यधिक शुल्क लगाने के नौकर शाही तरीकों के दबाव में आ गये हैं और उन्होंने इस प्रकार रेलवे के लिए 365.26 करोड़ रुपये की विशाल राशि जुटाने की व्यवस्था की है जिससे उन्हें 11.42 करोड़ रुपये का फालतू राजस्व प्राप्त होगा। किराये और भाड़े की दरों में हुई वृद्धि के तत्काल बाद लगने वाले इन करों से राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा और इससे सभी चीजों की लागत में वृद्धि होगी और मुझे संदेह है कि इससे आय में ह्रास का सिद्धान्त क्रियाशील हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि जन शक्ति प्रबंध में सुधार करके वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। यद्यपि मंत्री महोदय श्री चन्द्रशेखर से बात-चीत में लगे हैं मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

**सभापति महोदय** : शायद वे उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो आप यहां उठा रहे हैं

**डा० बी० एन० सिंह** : हो सकता है कि उनका ध्यान कहीं और हो लेकिन मैं चाहूंगा कि कम से कम वह एक कान से तो मेरी बात सुनें।

**रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे)** : मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं।

**डा० बी०एन० सिंह** : रेल मंत्री का चाहे जो भी तर्क हो मैं उन से यह अपील करूंगा कि वह द्वितीय श्रेणी के किराये में एकदम से दस प्रतिशत की वृद्धि करने के बारे में एक बार फिर से विचार करें। द्वितीय श्रेणी, न्यूनतम श्रेणी है और वे लोग जो खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं अति आवश्यक होने पर ही द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हैं। अतः मैं चाहूंगा कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय यह विशेष रूप से इस विषय पर सरकार की नीति को स्पष्ट करें। उनके वातानुकूलित या श्रेणी या वातानुकूलित शायिका का किराया बढ़ाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं

है। वह किराया बढ़ाकर स्वयं को प्रसन्न कर सकते हैं। परन्तु जहां तक द्वितीय श्रेणी के किराये का संबंध है इसमें वृद्धि नहीं की जानी चाहिए थी। आखिर केवल मजबूरी की स्थिति में लोग द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते हैं, अन्यथा नहीं। अब उन्होंने केवल 100 कि०मी० की यात्रा तक के किराए में छूट दी है। यह प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए।

माल भाड़े के संबंध में उन्होंने केवल तीन वस्तुओं, अर्थात लकड़ी के कोयले, ईंधन लकड़ी तथा घरेलू प्रयोग के लिए नमक के मामले में ही छूट दी है। मैं सुझाव दूंगा कि अनाज खाद्य पदार्थों, जो रेलों द्वारा लाये ले जाये जाते हैं, जैसी चीजों को भी इस सूची में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए।

**सभापति महोदय :** आपने उन्हें उनकी उदारता के लिए बधाई दी है।

**डा० बी० एन० सिंह (हजारीबाग) :** उनको उनकी उदारता के लिए बधाई देते हुए, मैं उनसे यह अनुरोध कर रहा हूं की मांस, मछली, सब्जियों, फलों आदि के मामलों में भी छूट दी जाए। वस्तुतः, जल्दी नष्ट होने वाली सभी वस्तुओं के मामले में छूट दी जानी चाहिए।

**सभापति महोदय :** अब वह अब अपना भाषण समाप्त करें।

**डा० बी० एन० सिंह :** मुझे अभी अपने मुख्य प्रश्नों पर आना है। महोदय, आपको पता है कि हम बिहार के बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र से आए हैं।

**सभापति महोदय :** इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि आप सीधे अपने मुख्य प्रश्न पर आइए।

**डा० बी० एन० सिंह :** बहुत अच्छा। परन्तु मैंने जो कुछ कहा है वह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इन वस्तुओं के मामलों में भी छूट दें। अन्यथा इससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इसके बाद मैं 1981-82 में केवल 171 कि० मी० नई लाइनें बनाये जाने के प्रश्न पर आता हूं। यदि इसी गति से वह लाइनें बिछाने जा रहें हैं तो मुझे नहीं पता कि पूरे भारत में, जो एक उप-महाद्वीप है, रेल लाइनें बिछाने के प्रयास में उन्हें कितनी सदियों की आवश्यकता होगी।

रेल लाइन बिछाने के लिए चयन करने के मामले में पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है तथा केवल ऐसे ही क्षेत्रों को लिया जाता है जहां राजनैतिक दबाव है या जहां उन्हें राजनीतिक हलचल होने का भय है। नई लाइन बिछाने के संबंध में छोटा नागपुर की उपेक्षा की गई है। शायद मंत्री महोदय जानते है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति रेल लाइन बहुत कम है। हम

स्वतन्त्रता पूर्व से सुनते आ रहे हैं कि हजारीबाग को रेल से जोड़ा जाएगा। कभी न समाप्त होने वाले सर्वेक्षण की कड़ी चलती रही है, परन्तु कोई अन्तिम रेल मार्ग नहीं चुना गया है। अप्रैल-मई, 1980 में जब हमारी प्रधान मंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने हजारी बाग, जो उत्तरी छोटानागपुर का सम्भागीय मुख्यालय है, का दौरा किया था तब उन्होंने वायदा किया था कि हजारी बाग को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। परन्तु, दुर्भाग्यवश रेल बोर्ड की उदासीनता के कारण कुछ नहीं किया गया। स्वतन्त्रतापुर्व से सर्वेक्षण चल रहे हैं। एक दिन मंत्री महोदय ने इसी सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है तथा इस सर्वेक्षण में रांची-हजारी बाग टाउन, कोडरमा-गिरिदीह मार्ग को चुना गया है। और मेरे 11-12-80 के पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो कुछ बताया था उसे मैं उन्हीं के शब्दों में नीचे उद्धृत करता हूं माननीय मंत्री ने कहा था :

> "माननीय सदस्य ने यह सवाल रखा है कि वह पिछड़ा हुआ इलाका है। यह बात सही है कि वह ट्राईबल एरिया है और उस पर विशेष ध्यान है, सर्वे कम्पलीट हो चुका है और छठी पंचवर्षीय योजना में इन्क्लूड होने जा रहा है।"

**श्री रघुनंदन लाल भाटिया (अमृतसर)** : इन्कार कब किया है।

**डा० बी० एन० सिंह** : इन्कार किया है, वही मैं बताने जा रहा हूं। जब मैंने पृष्ट 85 पर उनके बजट प्रस्तावों को पढ़ा कि दूसरे मार्ग के सर्वेक्षण का प्रस्ताव किया जा रहा है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। स्वीकृत मार्ग हजारीबाग-कोडरमा-गिरिदीह-रांची था और जिस मार्ग का अब सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है वह हजारीबाग - हजारी बाग रोड-गिरिदीह है, जिसका 1975 में सर्वेक्षण किया गया था तथा उसे रद्द कर दिया गया था। कोडरमा को छोड़ दिया गया है। अतः 26 फरवरी को हमने मंत्री महोदय को अभ्यावेदन दिया तथा उन्होंने रेल बोर्ड के प्रस्तावों की निस्सरता को देखने की कृपा की थी। उनका भण्डा फोड़ कर दिया गया। रेल बोर्ड ने उनका भण्डाफोड़ कर दिया। जो कुछ उन्हें रेल बोर्ड ने दिया उन्होंने उसे निष्कपट भाव से पढ़ दिया।

**रेल मंत्री (श्री केदार पांडे)** : मैं इसे ठीक करूंगा। (व्यवधान) और हमने माननीय सदस्य को बताया कि इस हजारीबाग रोड़ को निकाल दिया जाएगा (व्यवधान)।

**डा० बी० एन० सिंह** : तभी मैंने कहा कि उन्होंने निस्सरता को देखने की कृपा की थी। मैं यही कह रहा था।

**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय ने अपनी राय को काफी बदल लिया है।

**डा० बी० एन० सिंह** : उन्होंने कहा है कि इसे छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाएगा। बजट में एक नगण्य राशि की व्यवस्था की गई है जैसे 12 लाख रुपए की अनुमानित लागत के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए 3,50,000 रुपए। हमारे मुख्य मंत्री, श्री जगन्नाथ

मिश्र बहुत उत्सुक हैं कि छोटा नागपुर को रेल लाइन दी जाए तथा इस क्षेत्र को विकसित किया जाए क्योंकि यह खनिजों से भरपूर है, परन्तु यह विचित्र बात है कि छोटा नागपुर के 70 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।

**सभापति महोदय :** मेरे विचार से विचित्र बात यह है कि दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हैं।

**श्री चन्द्र शेखर सिंह (बांदा) :** वे पूरी तरह से एक दूसरे से सहमत हैं।

**डा० बी० एन० सिंह :** मैंने अपने मंत्री को इसे देखने के लिए राजी कर लिया है। दूसरी ओर, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं ··· (व्यवधान) ··· मैं यह कह रहा हूं···।

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) :** आखिर यह बिहार का मामला है ...(व्यवधान)···।

**डा० बी० एन० सिंह :** त्रिकोण पूरा है। मैं यह कह रहा था कि यदि माननीय रेल मंत्री बिहार सरकार के पास यह प्रस्ताव रखें तो मुख्य मंत्री इस क्षेत्र के विकास के लिए उत्सुक हैं। वह काफी अधिक सहयोग देंगे और अन्तिम अभियांत्रिक सर्वेक्षण एक वर्ष में ही पूरा किया जा सकता है तथा जैसा कि मंत्री महोदय ने इस सभा में वायदा किया था रेल लाइन बिछाने का काम 1981-85 में ही पूरा किया जा सकता है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) :** सभापति जी, लगभग एक वर्ष के भीतर किराये और माल भाड़े की दर में तीस फीसदी की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि असाधारण है और मंत्री महोदय ने इसका औचित्य यह कह कर छोड़ा है कि ईंधन का खर्चा बढ़ा है, कर्मचारियों को अधिक भुगतान करना पड़ेगा। इस से इंकार नहीं कर सकते कि ईंधन का खर्चा बढ़ा है लेकिन उसी मात्रा में रेलवे की अक्षमता और इनएफीशियेंसी में भी वृद्धि हुई है।

एक बात जो मैं विशेष रूप से उठाना चाहता हूं कि रेलवे में कोयले की खपत क्यों बढ़ रही हैं, कोयले का खर्चा क्यों बढ़ रहा है ? सारे प्रयत्न डीजेलाइजेशन और उससे आगे जा कर इलेक्ट्रिफिकेशन करने की ओर हैं। अगर हम आंकड़े देखें तो यह पायेंगे कि कोयले का खर्चा पहले से बढ़ रहा है। यह कैसा रहस्य है ? इसका उद्घाटन आवश्यक है।

सभापति महोदय, पर थाउजेण्ड ग्रोस किलोमीटर पेसेंजर्स और गुडस सर्विसिज के हिसाब से अगर आप कोयले का कंजप्शन देखें तो जो 1970-71 में पर थाउजेण्ड 59.0 परसेंट था वह 78-79 में 70.25 परसेंट हो गया। यह 22.28 परसेंट इंक्रीज पेसेंजर्स सर्विसिज की है। यह कैसे हो सकता है। अब आप मालगाड़ियों के बारे में देखें। 1970-71 में 60.3 परसेन्ट थी और 1979-80 में 81 परसेंट हो गयी। इस तरह से 34.3 परसेंट कोयले का खर्चा बढ़ा है। मुझे तो कोयले में बड़ा गोलमाल दिखाई देता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोयले की दलाली

में कोई हाथ काला कर रहा है । इस पर कड़ी नजर रखनी होगी । मंत्री महोदय को आंकड़े दे कर यह सिद्ध करना पड़ेगा । जब डिजेलाइजेशन की कोशिश हो रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम जा रहें है तो फिर कोयले का खर्च बढ़ने का औचित्य क्या है ?

इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हुई । 81-82 में हम 1418 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण करना चाहते हैं । पांच साल में आपको 45 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की जरूरत होगी । हमारी क्षमता 300 या 350 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की है । इस से ज्यादा तैयार करने की नहीं है मैं जानना चाहता हू कि बाकी के लोकोमोटिव्ज कहां से आने है या इनके निर्माण करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे है ? हो रही उल्टी बात है । आप डीजल लोकोमोटिव्ज का उत्पादन बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं । इसमें भी फिजुलखर्ची को टाला जा सकता है । अभी पटियाला में 30 करोड़ रुपए की लागत से डीजल कम्पोनेंटस के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है । मंत्री महोदय, इस बात की जाँच करें कि वाराणसी में डी० एल० डबल्यू० कारखाने जिसमें कि अभी तक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है, क्या उसका लाभ उठा कर डीजल लोकोमोटिव्ज का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता ? क्या उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है ? फिर पटियाला के कारखाने को क्यों बनाया जा रहा है ।

सभापति महोदय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले सचिवों की बैठक हुई ।

उसमें यह तय किया गया था कि हमें ऊर्जा की नीति बनानी है उसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रो लोकोमोटिव्स को हमें प्राथमिकता देना है, विद्युतीकरण का हमें विस्तार करना है । लेकिन ऐसा लगता है कि रेल मंत्रालय ने इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है । कहीं इसका कारण यह तो नहीं है कि रेलवे बोर्ड के जो सदस्य हैं वे मकेनिकल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंन्ट के हैं । बिजली का सारा कार्य मकेनिकल इन्जीनियरिंग के अन्तर्गत जाता है । जब बिजली के विस्तार की बात होती है, चाहे वह इंजन बनाने की बात हो या विद्युतीकरण की बात हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल मंत्रालय में जो परस्पर प्रतियोगिता चलती है, प्रतिस्पर्धा चलती है, विद्युतीकरण का सारा प्रोग्राम उसका शिकार बन जाता हो यह सिफारिश की गई थी कि इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग विभाग का भी एक प्रतिनिधि रेलवे बोर्ड में होना चाहिए । मैं नहीं जानता कि उस सिफारिश का क्या हुआ लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के कारण डिपार्टमेंन्टल राइवलरी है और जो अलग-अलग विभागों को बांटकर देखते हैं, उसकी समग्रता को नहीं देखते वे रेलवे प्रशासन की सेवा नहीं कर सकते और नही देश का कल्याण कर सकते हैं । इस प्रतिस्पर्धा को हमें समाप्त करना होगा , मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ।

सभापति महोदय, नई टेक्नालाजी हम लाना चाहते हैं । हमारा रेल-मंत्रालय किस तरह से नई टेक्नालाजी ला रहा है इसका एक उदाहरण मेरे सामने लाया गया है । अमेरिका के कोलाबरेशन से बगलौर में कास्ट-स्टील व्हील्स बनाने का प्लांट बना लिया, व्हील बनाने

का फैसला कर लिया, मगर यह कास्ट व्हील कहां काम में आएगा, इसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। क्या वह लोकोमोटिव्स···।

**सभापति महोदय :** वह कौन सी चीज है जिसका पता नहीं चला।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सभापति महोदय, हम दो तरह से पहिए बनाते हैं। यह नई टेक्नालाजी में कास्ट व्हील तैयार किया जाएगा, लेकिन यह व्हील कहां काम में आएगा, यह अभी तक पता नहीं है। इस प्लांट पर 34 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया था अब 132 करोड़ हो गए हैं और जब तक प्रोजेक्ट पूरा होगा तब तक खर्चा 200 करोड़ तक पहुच जाएगा। लेकिन यह पहिया कहां लगेगा ? क्या इंजन में लगेगा ? इंजन में तो लगेगा नहीं। सवारी डिब्बों में भी नहीं लगेगा ? मंत्री महोदय ने वाक्य वैगंस का उल्लेख किया है उसमें भी नही लगेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि यह कास्ट व्हील कहां काम में आएगा मुझे इसका उत्तर चाहिए।

सभापति महोदय, गेज परिवर्तन की बड़ी चर्चा हो रही है। हमने तो यहां मंत्री परिवर्तन देखा है। पांच साल के लिए रेल मंत्रालय की गाड़ी पंडित कमलापति त्रिपाठी के गार्ड के रूप में चलेगी, हम तो यही समझते थे, लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई। त्रिपाठी जी चले गए, पाण्डे जी आ गए। मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, मगर साल भर के भीतर यह मंत्रियों का परिवर्तन समझ में न आने वाली बात है। या तो त्रिपाठी जी की नियुक्ति गलत थी या उनको हटाना गलत था, दोनों बातें सही नहीं हो सकती। मगर मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा यह सत्तारूढ़ दल का घरेलू मामला है।

**एक माननीय सदस्य :** आप चर्चा कर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करना चाहते ?

**अटल बिहारी बाजपेयी :** सभापति महोदय, थोड़ा-बहुत इशारा तो करना ही पड़ता है। मैं जो बात कह रहा हूं वह दूसरी है। मंत्री महोदय ने एक बड़ा ही साहसपूर्ण ऐलान किया है, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं कि मीटर गेज को ब्राड गेज में बदलने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। देश के अनेक भाग ऐसे हैं जहां रेल लाइन नहीं है, वहां रेलवे लाइन ले जाना प्राथमिकता का काम है। हमें सड़क यातायात को बढ़ावा देना है। हमारे साधन सीमित हैं। मैं तो समझता हूं कि यह नीति संबंधी फैसला हमने पहले क्यों नहीं किया ?

यह ठीक है कि यह फैसला लोकप्रिय होने वाला नहीं है। जिन क्षेत्रों में ब्राड गेज नहीं है और जो सदस्य या मंत्री वहां से आते हैं वे इसको वहां के लिए मांग करेंगे ···।

**सभापति महोदय :** इसकी आलोचना हो चुकी है और आगे भी होगी। हिन्दू जैसे पत्र ने अपने सम्पादकीय में इसकी आलोचना की है।

**अटलबिहारी बाजपेयी :** आप तो बड़े पंडित हैं और विद्वान भी हैं।

**सभापति महोदय :** पंडित नहीं हूं।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** सभापति महोदय, एक श्रेय होता है और एक प्रेय होता है। श्रेय और प्रेय में लगातार संघर्ष चलता रहता है। मंत्री महोदय का कदम श्रेयपूर्ण है लेकिन वह प्रिय नहीं होगा। मैं अप्रिय बात कह रहा हूं। जब फैसला कर लिया है कि गेज परिवर्तन नहीं होगा तो फिर ग्यारह सैक्शंज में गेज परिवर्तन के वास्ते सर्वे कराने की क्या जरूरत है ? क्या यह परस्पर विरोधी बात नहीं है ? क्या राजनीतिक दबाव में ऐसा नहीं किया जा रहा है। मऊ शाहगंज सेक्सन का किस के दबाव में आकर कराया जा रहा है ? किसकी चिट्ठी उसके लिए प्राप्त हुई है ? क्या योजना आयोग ने स्वीकृति दी है ? सतारूढ़दल के एक माननीय मंत्री हैं - मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता - वह इस कनवर्शन में रुचि रखते हैं और मंत्री महोदय को मानना पड़ा है। लेकिन रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड ने या किसी दूसरे विभाग ने विचार नहीं किया है, कितना खर्चा पड़ेगा इसका अंदाज पत्र नहीं बनाया। एक कनवर्शन और है बंगलौर से मैसूर तक का। वह भी राजनीतिक दबाव में हुआ है।

**एक माननीय सदस्य :** दंडवते जी ने यह किया था।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** कर्ता धर्ता यहां बैठे हैं। लेकिन अब तो नीति नई बनी है। नीति में परिवर्तन की घोषणा भी है। लेकिन नीति का निर्धारण एक ओर है और आचरण दूसरी ओर हैं इससे रेल मंत्री की विश्वासनीयता नहीं बढ़ेगी और न रेल मंत्रालय की। आप्रेशनल या फाइनेंशियल कारणों से गेज परिवर्तन की बात कही जाए तो मैं समझ सकता हूं लेकिन राजनीतिक दबाव में यह चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिये।

दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं इसकी गहराई में जाने की जरूरत है दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक सीकरी कमेटी बनी थी। उसने सिफारिशें की थीं। उन पर अमल क्यों नहीं किया गया ? क्या यह संभव नहीं था कि दो तीन जोनल रेलवेज में उन सिफारिशों पर अमल करके देखा जाता ? समिति ने दुर्घटनाओं की चर्चा करते हुए एक टिप्पणी की थी। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं।

**सभापति महोदय :** इसी के साथ समाप्त कर दें।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** खत्म कर दूंगा अगर बच गया तो।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) :** दुर्घटनाओं के ऊपर दूसरी दुर्घटना ये न करें।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** सीकरी कमेटी ने यह लिखा था :

सुरक्षा संगठन के नीचे दिए गए पांच प्रमुख विभागों में से किसी के भी अधिकारियों से रक्षित होना चाहिए जो रेल प्रचालन में सुरक्षा के साथ मुख्यतया सम्बद्ध हैं जैसे, प्रचालन,

सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, सिगनल तथा दूर-संचार इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रिक सेक्शन ।

अभी तक तो यह होता है कि सारे सेपटी के मामले ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमैंट देखता है । सीकरी कमेटी की सिफारिशों के प्रकाश में क्या इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है ? इस बारे में जो विभागीय प्रतिस्पर्धा है इसको हावी होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए । रेलों में जो यात्रा करते हैं वे सुरक्षित पहुंचे - भले ही देर से पहुंचें—इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । लेकिन हमारी रेलें इतनी क्षमता वाली हो गई हैं कि आप कहीं का टिकट लें, आपको पहुंचा कहीं और दिया जाता है लेकिन ऐसी जगह न पहुंचायें जहां से वापिस आना सम्भव हो जाए, मुश्किल हो जाए । धन्यवाद ।

**श्री कमल नाथ झा (सहरसा)** : रेलवे बजट का समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मौजूदा रेल मन्त्री महोदय राष्ट्रवादी हैं, समाजवादी भी और प्रगतिशील आदर्शों में आस्था रखने वाले भी । समयाभाव के कारण बहुत कुछ तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन इसके पहले की मैं मूल विषय पर आऊं एक निवेदन करना चाहता हूं । डैमोक्रेटिक सोशलिज्म के आदर्श की बहुत चर्चा होती है और हमारी सरकार भी उसमें आस्था रखती है । रेलवे पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे पुरानी इंडस्ट्री भी और हमारे मौजूदा मंत्री महोदय समाजवादी भी हैं । तो क्या हम आशा करें कि जो कर्मचारी, जो श्रमिक दिन रात मेहनत करके रेल के पहिये को, रेल गाड़ी को चलाते हैं उन श्रमिकों, मजदूरों का रेल के संचालन में कोई अधिकार है ? या अंग्रेजों द्वारा वरासत में जो अफसरशाही रेलवे बोर्ड में बैठकर के एक नौकर-शाही दृष्टिकोण से रेलवे को चलाती है वही चलाता रहेगा, और इसी चलने का नाम डैमोक्रेटिक सोशलिज्म, नई सभ्यता का रूप दिया जाएगा ? सभापति जी, आप अच्छे ट्रेड यूनियनिस्ट हैं इसलिए मैं आपके सामने विचार के लिए रखता हूं कि रेल के प्रशासन में कोई परिवर्तन करने की आपकी योजना है या नहीं ? और अगर है, तो उस रेल में काम करने वाले श्रमिकों और मजदूरों की उसके प्रशासन में कोई हिस्सेदारी है या नहीं, इस पर आप रोशनी डालने की कृपा करेंगे क्योंकि आप कहते हैं कि हम समाजवादी भी हैं और ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं ।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है, 25 सौ सदस्यों ने यहां कहा कि नेशनल इंटेगरेशन, इमोशनल इन्टेगरेशन में रेलवे बहुत बड़ा माध्यम है, और मैं इसको स्वीकार करता हूं । लेकिन मैं एक उदाहरण रखता हूं, मैंने मन्त्री जी से भी कहा है कि जब कोसी बैराज वीरपुर के पास नेपाल में बना, पश्चिमी तट बंद और पूर्वी तट बंद, उत्तर में हिन्दुस्तान का कुछ हिस्सा इस प्रकार बंट गया कि अगर हम हिन्दुस्तान से हिन्दुस्तान में जाते हैं तो 50 किलोमीटर नेपाल में होकर हमें गुजरना पड़ता है । हम संसद सदस्य हैं, हम उस क्षेत्र को रिप्रजेन्ट करते हैं, मुझसे पहले भी माननीय सदस्य उस कांस्टीट्यूएंसी को रिप्रजेन्ट कर चुके हैं, जहां हम नेपाल में प्रवेश करते हैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाने के लिए तो हमारा ध्वज उतार लिया जाता है, हम झंडा फहराकर नहीं जा सकते । अगर कोई संकट हो जाय और बिहार सरकार अपनी पुलिस या बी० एस० एफ० या सी० आर० पी० को भेजती है तो बीरपुर के पास बाराज के निकट हमारी फौज और पुलिस

के जवानों को डिसआर्म कर दिया जाता है और नेपाल की मिलिट्री के संरक्षण में 50 किलोमीटर में भारत में हमारी फौज के जवानों को पार पड़ता है। 90,000 करोड़ रु० की योजना बन रही है तो क्या हिन्दुस्तान इतना दरिद्र है, इतना अकिंचन है, ऐसा भिखमंगा है कि भारत से भारत में जाने के लिए यह यातायात का मार्ग नहीं बन सकता ? शायद दुनिया के किसी देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि अपने देश से अपने देश में जाने के लिए 50 किलोमीटर दूसरे देश होकर जाना पड़े और हमारा राष्ट्रीय ध्वज खोल दिया जाए, हमारी पुलिस और फौज को डिसआर्म कर दिया जाय। एक कोसी के पुल के बिना। लैटरल रोड़ जो पश्चिम से आती है दरभंगा में वह रुक जाती है। और जो पूर्व से आती है वह फार विलगज में समाप्त हो जाती है। उसी तरह नार्थ इस्टर्न रेलवे की लाईन सहरसा से आगे बढ़ कर भपतियही (थरमिट्टा) में और दरभंगा से आगे बढ़कर निमली में सिर्फ 93 किलोमीटर की दूरी पर काशी पुर एक पुल के अभाव में जुट नहीं पाती है। इस 93 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 450 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती-रेल से या सड़क से।

यह नेपाल की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। अगर आज चीन का हमला हो, उत्तर से आक्रमण हो तो एक दिन में पुल नहीं बनेगा, एक दिन में सड़क नहीं बनेगी। यह है यातायात का हाल। यह नेशनल इम्पार्टेन्स की बात है। इन्टेग्रेशन की हालत यह है कि हिन्दुस्तान से हिन्दुस्तान में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, 5,5 योजनाएं समाप्त हो गई और अब छठी योजना चल रही है। रेलवे से समान और माल ढोना बड़ी चीज है, इस देश में सामान का मूल्य हो सकता है, खान और खदान का मूल्य हो सकता है, लेकिन क्या इन्सान का मूल्य नहीं हो सकता है ? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल्य नहीं है। क्या पिछड़े क्षेत्र के विकास का मूल्य नहीं है ? यदि भूगोल के विद्यार्थी को पूछें कि दुनियां की घनी आबादी वाला हिस्सा कौन सा है तो जवाब मिलेगा कि चम्पारन से लेकर सीतामढ़ी तक दरभंगा और मधुबनी का हिस्सा है जहां कि 15 सौ आदमी एक स्कवायर किलोमीटर में रहते हैं। सारण भी उत्तर बिहार में है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेंसली पापुलेटेड और सबसे ज्यादा पिछड़ा एरिया है।

यहां उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है, विकास की कोई चोज नहीं है लेकिन उस ऐरिये की हालत यह है कि वहां 25 करोड़ का पुल पिछले 30 साल की आबादी के बाद भी नहीं बन सका है मैं अपने माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रक्षा विभाग में मिलकर एक ऐसी योजना बनायें जिससे हिन्दुस्तान से हिन्दुस्तान में जाने के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो, हमारी फौज की बन्दुकें और संगीने रखवा ली जायें और नेपाल की आर्मी के प्रोटेक्शन में हमारी फोर्स न जाये। हिन्दुस्तान का सबसे घनी आबादी वाला यह एरिया आगे अंडर-डेवलप न रहे। रेल तथा सड़क से हिन्दुस्तान के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए जितनी पहाड़ में कोसी पर तुरन्त पुल बनाया जाए।

एक लिंक ललित बाबू ने हमारे आदरणीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से छितौनी से बगाहा के लिंक को जो गंडक ने तोड़ा था, आज जोड़ दिया और कोसी के लिंक को जो

टूटा था, उसको जोड़कर सम्पूर्ण उत्तर भारत के एक सूत्र में बांधा जाये। तो फिर जम्मू से लेकर गोहाटी तक नेपाल की सीमा से सट कर सड़क और रेल मार्ग हो जाएगा और विकास, सुरक्षा एवम् नेशनल इनटीग्रेशन की योजना पूरी होगी। इससे उत्तर बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष, हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वह एक जुट होगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप निमलों में तुरन्त कोशी पर पुल बनाने की घोषणा करें। अभी मेरे पहले श्री अटल विहारी वाजपेयी जी से कनवरशन तथा नान कनवरशन की नीति को एक सैद्धांतिक जामा पहनाने का प्रयास किया। यह कोई इंटरनल सिद्धांत नहीं है। नीति शास्वत नहीं होती हैं। वह रिलटिविटि से गाइडेड होती है, सापेक्षता से गाइड होती है। आज जो नीति सही है वह कल पुरानी हो सकती है और बदल दी जाती है। इसलिए अगर रेल मन्त्री जी ने कनवरशन के प्रश्न पर बहुमुखी नीति का अनुसरण किया है तो उसमें विरोधाभास नहीं है। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

**श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय)** : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने सदन में जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करती हूं। विरोध पक्ष की ओर से रेल बजट के बारे में बहुत सारी बातें कही और सुनी गई हैं। यह बात ठीक है कि दूसरे में खोट निकालना बहुत आसान है, लेकिन खुद को उसके अनुरूप ढालना बहुत कठिन होता है। यदि विरोधी पक्ष के लोग आइने को सामने रखकर जनता पार्टी की सरकार और उसकी छवि को देखेंगे तो उसमें अनुशासन-हीनता, तोड़फोड़ और अराजकता तथा अव्यवस्था के अलावा कोई दूसरी छवि नजर नहीं आयेगी।

कुछ देर पहले श्री अटल विहारी जी ने अपनी बातें कहीं, लेकिन वह हम लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि वह सुनना नहीं चाहते, इसी तरह श्री ए० के० राय ने बड़ी-बड़ी बातें कहीं और वह भी चले गए।

आप सभी जानते हैं कि 1974 में रेल कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल हुई और उनके कार्यकलाप जन-हित और राष्ट्र हित के विरुद्ध थे। उसके बाद भी हमारी सरकार ने, जिन्होंने थोड़ी बहुत गलती की थी, उनको तो नौकरी में वापिस बुला लिया लेकिन वह सारे ऐसे लोग जो राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे थे, जो कि जनहित में नहीं था, जो असामाजिक तत्व थे, जिन पर हिंसा, अपराध, तोड़फोड़ और अनुशासनहीनता को फैलाने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों को पुनः नौकरी पर रख लिया गया। उसका मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव प्रशासन पर पड़ा। उन लोगों को उन बड़े पदाधिकारियों, उस सुपरवाइजरी स्टाफ के अधीन काम दिया गया, जिसने उनके विरुद्ध शिकायत की थी। जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी कार्य किये थे, उन्हें पुनः नौकरी पर रख दिया गया। इसलिए आज की अनुशासनहीनता कीपरिस्थिति के लिए जनता पार्टी के लोग, नेता और उसका प्रशासन उत्तरदायी हैं।

उन्होंने दावा किया है कि उनका 1977-78 का रेलवे का बजट सरप्लस था। वे दम भरते हैं कि वह बजट बचत का बजट था। लेकिन वे भ्रांति और गलतफहमी के शिकार हैं। भूतपूर्व रेल मंत्री

और जनता पार्टी के नेता, श्री मधु दंडवते, इस बात का श्रेय लेना चाहते थे कि 1977-78 का बजट उनकी देन है। लेकिन उसका कारण हमारी सरकार द्वारा दिया गया मोमेंटस था, 1976-77 में हमारे सुदृढ़ प्रशासन का फल उन्हें मिला था। उसके बाद जब 1978-79 में उन्होंने दूसरा बजट प्रस्तुत किया, तो उनकी पोल खुल गई। उनका टारगेट 210 मिलियन टन माल-वहन का था, लेकिन वह 193 मिलियन टन पर आकर ही अटक गया।

हमारे देश में करीब 1,10 लाख से ज्यादा लोग प्रति-दिन रेल पर सवारी करते हैं। मंत्री महोदय ने यह महसूस किया कि इतने लोगों को कुछ मुट्ठीभर कर्मचारियों का शिकार नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल का बड़ी मुस्तैदी के साथ और प्रभावकारी ढंग से मुकाबला कर के देश को एक बड़े संकट से बचा लिया है।

देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अनाज, खाद, सीमेंट, इस्पात और दूसरी आवश्यक चीजें पहुचाने का काम रेलों के जिम्मे हैं। जब देश में अराजकता बढ़ती है और अनुशासनहीनता होती है, तो सब से पहले रेलें ही उसकी शिकार होती हैं। रेल मंत्री का ध्यान इस तरफ है और इस बारे में मुस्तैद है।

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसी बात बतायें, जिससे वह कुछ और मुस्तैद हों।

**श्रीमती कृष्णा साही :** जिस तरह से मुगल साम्राज्य में बाबर ने एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ शासन हुमायूं के हवाले किया, लेकिन हुमायूं ने अकबर को जो दिया, वह एक खोखला राज्य था, उसी प्रकार जनता पार्टी ने हम लोगों के सुपुर्द जो कुछ किया है, आप देखते है कि उसकी वजह से हम कितनी परेशानियों में पड़े हुए हैं।

किराये और माल-भाड़े में जो बढ़ोतरी हुई है, वह उचित नहीं है। हमारे यहां की आम जनता उसकी शिकार हुई है। जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, इस बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव उन पर पड़ा है।

**सभापति महोदय :** यह भी बताइये कि रास्ता क्या था।

**श्रीमती कृष्णा साही :** उसमें कुछ कमी होनी चाहिए थी। यह ठीक है कि उनकी लाचारी थी, क्योंकि रेल-संचालन के साधनों-ईंधन, कोयले आदि—के दामों में बढ़ोतरी हुई, इसलिए कुछ न कुछ जरूर करना था। लेकिन मैं इसकी ताईद नहीं करती हूं कि यह बहुत अच्छा हुआ है। इस से आम जनता के ऊपर काफी इसका प्रभाव पड़ा है।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि हमारी ट्रेनों में सब से पहले मंत्री महोदय को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि समय की पाबन्दी होनी चाहिए। समय की पाबन्दी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि एक व्यक्ति था जो भीलोग आते हैं एक निर्विष्ट स्थान पर किसी प्रयोजन से जाते हैं और समय पर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाते हैं ...।

(व्यवधान)... इस की ओर रेल मंत्री महोदय का ध्यान खाना अत्यावश्यक है क्योंकि यह बात सब से आवश्यक है।

ट्रेनों में भोजन, रोशनी और पानी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इस की ओर रेल विभाग कुछ उदासीनता बरत रहा है। इसको उन्हें देखना चाहिए क्योंकि गाड़ी चलती है और उस में पानी नहीं मिलता है। इसकी ओर ध्यान देना होगा और समय की जो पाबन्दी है उसमें कड़ाई बरतनी होगी। वहां पर अफसर ऐसा होता है कि कालेज और स्कूलों के इतने लड़के चले आते हैं और वह कहते हैं, एक लड़का मेरे सामने ही कह रहा है कि क्या करेंगे, केदार पांडेय के बाप भी हम को नहीं रोक पाएंगे ···।

**सभापति महोदय :** आप कृपया उस भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए।

**श्रीमती कृष्णा साही :** मैं इसको वापस लेती हूं। मैंने कहा कि लड़के लोग ऐसा बोल रहे थे।

**सभापति महोदय :** आप को ऐसा नहीं कहना चाहिए।

**श्रीमती कृष्णा साही :** उसको मैं विदड्रा करती हूं। मैंने ऐसे ही उनकी बात कही कि वह कहते हैं कि मंत्री महोदय क्या करेंगे ?

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं बहुत अरसे से बहुत सारी लाइनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है जिन पर काम शुरू नहीं हुआ है। अक्सर कुछ दबाव में आकर या हम लोग भी कभी कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको कर दिया जाए तो उसका सर्वेक्षण हो जाता है लेकिन सर्वे करने के बाद बहुत दिनों से वह पुरानी फाइलों में पड़ा हुआ है। उसमें एस्टैब्लिशमेंट कास्ट बढ़ती है और अनावश्यक परेशानी बढ़ती है। इसलिए मैं यह कहूंगी कि जो हमारे साधन हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो अधूरे काम हैं उनको पहले पूरा किया जाए और नये कामों को अभी न लिया जाये।

रेल मन्त्री महोदय की इस बात का मैं समर्थन करती हूं जो उन्होंने एक निश्चय लिया है और कहा है कि मीटर गेज से ब्राडगेज में कन्वर्शन की जो बात है उसमें मीटर गेज में भी तेजी आ सकती है, उस लाइन का भी आधुनीकीकरण हो सकता है, मैं कहना चाहती हूं कि यह अच्छी नीति है और अपने साधन और आमदनी के स्रोत को देखते हुए यह करना चाहिए।

इसके बाद मैं अब वह बात कहना चाहती हूं जो सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिहार हमारा बहुत पिछड़ा हुआ प्रांत है। आज रीजनल इम्बैलेंसेज की बात होती है। ईस्ट इन्डिया कम्पनी के समय में बेगूसराय, बरौनी और क्यूल स्टेशनों की जो हालत थी आज भी वह उसी हालत में पड़े हुए हैं।···(व्यवधान)···।

**सभापति महोदय :** बरौनी बदल गया।

**श्रीमती कृष्णा साही :** जी नहीं। बरौनी का इन्टरनेशनल महत्व है। वहां पर फर्टिलाइजर का कारखाना है, इन्डियन आयल की रिफाइनरी है वहां पर थर्मल पावर स्टेशन है··· (व्यवधान)···मेरा बहुत सा समय तो इसी तरह बीच में चला गया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जो ईस्ट इन्डिया कम्पनी के टाइम में इन स्टेशनों का स्थान था, आज भी इनका वही स्थान है। उनका आधुनीकीकरण और एक्सपेंशन किया जाय।

एक बात और कहना चाहती हूं कि मन्दार हिल से वासी तक जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर भी मंत्री महोदय का स्थान जाना चाहिए और कटिहार से जोगबनी की बात भी कही गई है। उसकी तरह भी उनको ध्यान देना चाहिए।

इन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है, उसका भी मैं समर्थन करती हूं। वह कमेटी यह देखे कि कहां पर जोनल आफिस की जरूरत है, कहां पर रेलवे कमीशन की जरूरत है। मैं समझती हूं कि बहुत दिनों से पटना हैडक्वार्टर पर जोनल आफिस खोलने की चर्चा चली आ रही है। रीजनल इम्बैलेंस को समाप्त करने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यबाद देती हूं···(व्यवधान)।

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि इन्होने छोटी योजना में 12 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन 5 हजार 100 करोड़ रुपये ही इनको मिले। तो ठीक है, साधन सीमित हैं, जो आर्थिक स्रोत हमारे हैं वह बहुत ही कम हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहती हूं, जो पुराने माल के डिब्बे हैं या जो यात्रियों के डिब्बे हैं वह सब पुराने हो गए हैं और वह रिजेक्ट हो गए इसके लिए एक कारखाने का शिलान्यास अभी तिरुपति में उन्होंने किया है, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, उसके पहले इनका रेनोवेशन होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यबाद देती हूं।

**श्री पीयूष तिरकी** (अलीपुरद्वार) : सभापति जी, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की कुव्यवस्था के संबंध में बहुत से सदस्य बोल चुके है, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इस अवसर पर रेलवे मिनिस्टर से कुछ अपील करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारा पूर्वांचल प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा भाग है। इसमें रेलवे लाइनों का ठीक से चलाना बहुत आवश्यक है। हमारे यहां से कल ही चिट्ठी आई है--हमारे पूर्वांचल में जितने भी स्टेशन हैं - उनमें रिजर्वेशन के लिए किसी भी दिन जाओ, एक महीने आगे तक का रिजर्वेशन हो चुका होता है -- ऐसा लोगों को जवाब दे दिया जाता है। वहां पर इतनी कम गाड़ियां चलती हैं कि भीड़ के कारण लोग उनमें बैठ ही नही सकते। बहुत दफा ऐसा होता है कि स्टेशन पर आकर जगह न मिलने के कारण लौट जाना पड़ता है। इसलिए मन्त्री महोदय से मेरा पहला अनुरोध यह है कि पूर्वांचल में जो गाड़ियां दिल्ली से आसाम की ओर जाती हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाय ताकि लोगों को गाड़ियों में जगह मिल सके। इसके साथ ही हर स्टेशन पर रिजर्वेशन के लिए व्यवस्था की जाय तथा ज्यादा से ज्यादा स्थान दिए जांय।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हमारे आंचल में बेलूर घाट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हैडक्वार्टर रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। वहां के लोगों ने अभी तक रेल गाड़ियों को नहीं देखा है। मेरा सुझाव है कि मालदा-बेलूर घाट होते हुए दिल्ली तक रेल लाइन से जोड़ा जाय। इसका तीन-चार बार सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है।

इसी सम्बन्ध में मेरा यह भी निवेदन है कि "केनिंग से गोलाबारी" तक तथा "केनिंग से दागाखाली" तक रेलवे लाइन की व्यवस्था की जाय। इनका भी बहुत दिनों से सर्वे चल रहा है। मैं चाहता हूं कि इन पर भी जल्दी से जल्दी काम शुरू करा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मैं अब आप को कोई गाली नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि पहले ही बहुत से लोग आपको गालियां दे चुके हैं, परन्तु यह बात सही है कि रेलवे में कुव्यवस्था बहुत बढ़ चुकी है। आप ने पास-होल्डरों को बहुत सुविधायें दी हैं। जितनी सुविधायें आज आपकी तरफ से गवर्नमेंट एम्पलाइज, मिनिस्टर्ज, एम० पीज, एम० एल० एज०, को दी जा रही है। उतनी आम जनता को नहीं मिल रही हैं। आम जनता को सुविधायें देना सबसे ज्यादा जरूरी है, पास-होल्डर्स को सुविधायें देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए में आप से अपील करता हूं कि रेलवे में से फर्स्ट क्लास को बिलकुल समाप्त कर दीजिए, रेलवे में केवल एक ही क्लास रहे। आप समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, इसलिये किसी को भी स्पेशल सुविधा गाड़ियों में नहीं दी जानी चाहिए।

मेरी दूसरी अपील यह है -- आपके रिकार्ड बतलाते हैं कि हमारे देश में 1979 तक 12 मिलियन एजूकेटेड-अनएम्पलाएड थे। इन लोगों के पास कोई नौकरी या काम धन्धा नहीं है और सही बात यह भी हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। वे नौकरी के लिए यदि कहीं से बुलाये जाते हैं तो पैसे के अभाव में वहां जा नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा निर्णय करें कि जब तक उनको नौकरी न मिले, रेलवे की तरफ से उनको पास दिया जाय।

हमारे हिन्दुस्तान में 70 प्रतिशत आदमी बिलो-पावर्टी लाइन है। हमारी स्टेट एक वेलफेअर-स्टेट कहलाती है, इसलिये एक वेलफेअर-स्टेट में जो आदमी बिलो-पावर्टी लाइन है वह रेल का किराया कैसे दे सकता है। इसीलिये मैंने सुझाव दिया है कि ऐसे लोगों को फ्री पास दिये जांय ताकि वे रेलवे में मुफत यात्रा कर सकें।

हमारे यहां डिसएबल्ड पर्सन्ज बहुत बड़ी संख्या में है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, मेरा सुझाव है कि उनको भी फ्री पास दिये जांय, तभी हम कह सकेंगे कि हमारी सरकार आम जनता की भलाई के लिए चेष्टा करती है, समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करती है। यदि आप ऐसी व्यवस्था कर दें तो आप पहले मंत्री होंगे जिनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि हमारे रेल मंत्री पांडे जी रेलों में समाजवादी व्यवस्था को लाये, उन्होंने बेकारों के लिए, बूढ़ों के लिए जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हो गये थे, बच्चों के लिए, पास का जुगाड़ किया। मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन पोलिटीकल लीडरों को आपने पास ईशू किए हुये हैं उन सबको रद्द कर दीजिए और इन लोगों को पास दीजिए जिनका मैंने जिक्र किया है।

इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें पहले ही कही जा चुकी हैं।

**श्री प्रताप भानु शर्मा** (विदिशा) : माननीय सभापति जी, मैं रेल बजट 1981-82 का पुरजोर समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होने इस वर्ष के रेल बजट में रेलवे में व्यापक सुधार एवं विकास को प्राथमिकता दी है तथा देश की आवश्यकता को समझते हुए हर नए निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का संकल्प लिया है।

भारतीय रेल सेवा करीब 125 वर्ष पुरानी देश की एक प्रतिष्ठित एवं सबसे बड़ा संस्थान हैं, जो कि एशिया में सबसे प्रथम है और राष्ट्र की परिवहन एवं आर्थिक व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी के समान है विशेषकर जब पूरे विश्व में आयल एवं पेट्रोलियम की कमी के कारण ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है तब आधुनिक समय के इस यातायात एवं परिवहन के महत्वपूर्ण साधन को पूर्ण सक्षम बनाकर राष्ट्र की प्रगति में पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

इस बजट में देश की प्रमुख लाइनों पर लगभग 1418 किलोमीटर विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है जोकि निश्चित ही स्वागत योग्य है परन्तु यह यहां ध्यान देने की बात है कि पिछले वर्ष में सिर्फ 437 किलोमीटर का ही विद्युतीकरण हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिये 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है एवं प्रति वर्ष कम से कम 1,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण करने की बात कही गई है जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे रेल मन्त्री की प्रशासनिक क्षमता और अनुभव से हम इन लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। पिछले 30 वर्षों में पेसेन्जर एवं वैगन ट्रैफिक में 300 गुना वृद्धि हुई है जबकि कोच एवं वैगन की वृद्धि तथा उपलब्धि सिर्फ 100 प्रतिशत ही हो पाई है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि देश की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए इस गेप को पूरा किया जाये। रेल विशेषज्ञों का अनुमान है कि हमारी बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको अगले 20 वर्षों में करीब 30,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। अतः योजनाओं को बनाते समय इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है।

वैगन ट्रेफिक एवं पैसेन्जर ट्रेफिक रेलवे की आय के प्रमुख स्रोत हैं। लगभग 60 प्रतिशत हमें माल भाड़े से होती है और 30 फीसदी आय पैसेन्जर किराये से होती है। इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि हमारी सरकार को भाड़ा वृद्धि पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए वरन् हमको अपने वैगनों की उपलब्धि एवं गति में तेजी करनी चाहिए, जिससे हम उपरोक्त साधनों का पूरा-पूरा उपयोग कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि इन साधनों को गति देने से और मूवमेंट तेज करने से हम 25 परसेन्ट और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अभी वर्ष 1981-82 के लिए अनुमानित लदान 2150 लाख टन का माना है। यदि वैगन समय पर उपलब्ध हों एवं इनका मूवमेंट तेजी से हो, तो मेरा विश्वास है कि वर्तमान समय में ही हम 2500 लाख टन का लदान आसानी से कर सकते हैं और प्रतिवर्ष हम इतना लदान कर सकते हैं।

स्टीम इंजनों को जल्दी से जल्दी फेज आऊट करके बिजली एवं डीजल के इंजनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए, जिससे वर्तमान गति एवं क्षमता दोनों को, हमारी बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सके। अभी जिस कोयले का उपयोग हम स्टीम इन्जनों के चलाने में करते हैं, उसका उपयोग नये थर्मल पावर स्टेशनों पर किया जाना चाहिए,जिससे कि हमको बिजली मिल सके। जहां देश में हमें एक ओर बिजली का उत्पादन बढ़ाना है, वहां दूसरी तरफ हमें अपनी रेल व्यवस्था का आधुनिकीकरण भी करना है। हमारे एक साथी ने सुझाव दिया है कि हमारे रेलवे विभाग के, हमारे रेल मंत्रालय के अपने पावर स्टेशन होने चाहिए। मैं उनके इस सुझाव का स्वागत करता हूं। मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे रेलवे विभाग के लिए पावर स्टेशन बनाना जल्दी संभव न हो सके तो हमारे रेलवे विभाग को सतत ऊर्जा मंत्रालय के सम्पर्क में रहना चाहिए जिससे कि हमारे अगले वर्षों की जो आवश्यकता है उसके अनुसार हम उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकें।

जहां तक आर० डी० एस० ओ० एवं आर० आई० टी० ई० का सवाल है दोनों की सेवायें एवं कार्य हमारे लिए प्रशंसनीय रही है जिनमें भारतीय इन्जीनियरों एवं तकनीशियनों ने अपनी कुशलता को नये अनुसंधान करने एवं रेलवे में सुधार एवं आधुनिकीकरण में उपयोग किया है। उनकी यह सफलता निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।

अध्यक्ष जी, यदि रेल बजट पर चर्चा करते समय मैं प्रदेश की स्थिति से भी रेल मंत्री जी को अवगत नहीं कराऊं तो मेरी यह बात अधूरी रह जाएगी। मध्यप्रदेश एक विशाल एवं पिछड़ा हुआ प्रदेश है। जहां पर रेल लाइनों का समुचित इन्फ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण खनिज एवं वन-सम्पदा पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है। रेलवे के विकास के बारे में जो स्थिति मध्यप्रदेश की सन् 1956 में थी लगभग आज भी वही स्थिति बनी हुई है। जहां देश भर में 60,691 किलोमीटर रेल लाइन है वहां इस प्रदेश में केवल 5,715 किलोमीटर रेल लाइन है जिसका औसत प्रति सौ किलोमीटर सिर्फ 1.3 किलोमीटर ही आता है जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति सौ वर्ग किलोमीटर 1.9 किलोमीटर है।

इसी प्रकार मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत का 13.4 प्रतिशत है। वहां पर उच्चकोटि के लौह अयस्क डिपाजिट्स 30 प्रतिशत हैं, बाक्साइट खनिज 44 प्रतिशत हैं और कोयला 36 प्रतिशत है एवं वन सम्पदा 22 प्रतिशत है। परन्तु रेल लाइनों की सुविधा के अभाव में हम इन विशाल सम्पदाओं का उपयोग राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए नहीं कर पा रहे हैं।

उपरोक्त आंकड़े बताने का मेरा तात्पर्य यह है कि मेरे प्रदेश में रेलवे का समुचित विकास एवं विस्तार सिर्फ प्रदेश के लोगों की ही आवश्यकता नहीं है वरन् यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है जिसकी शीघ्र पूर्ति होनी चाहिए। इतने बड़े रेल बजट में मध्यप्रदेश में कोई नई सर्वे या नई रेल लाइन निर्माण की बात नहीं कही गयी है जो कि दुखद एवं आश्चर्य जनक है। जब कि रेल मन्त्री जी ने स्वयं अपने पत्र में कहा है कि गुना-सिरोंज-विदिशा-रायसेन, नरसिंहपुर की 330

किलोमीटर लम्बी रेल लाइन की आवश्यकता है । अत: उनसे मेरा अनुरोध है कि आप कम से कम इस नयी लाइन से सर्वे को तो इस वर्ष के बजट में जोड़ लें । बड़ी कृपा होगी । आशा है शीघ्र इसका सर्वे कराया जाएगा ।

इसी प्रकार देश के हर प्रदेश की राजधानी को दिल्ली से जोड़ने का हमारे रेल मंत्री जी ने योजना स्वीकार की थी । उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भी भोपाल दिल्ली से जुड़ा हुआ नहीं है जबकि हर प्रदेश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है । अत: भोपाल-दिल्ली के मध्य चलने वाली सांची एक्सप्रेस जो कि 6 मास से प्रतिक्षित है को शीघ्र ही चलाया जाना चाहिए ।

मेरे संसदीय क्षेत्र विदिश का नाम छात्र उपद्रव एवं रेलों पर पथराव के लिए जोड़ा जाता है और ऐसा कई बार हो भी चुका है । परन्तु इसका मूल कारण क्या है ? उसको समझ कर उसको दूर करने के प्रयास रेल विभाग द्वारा नहीं किया गया है । विदिशा स्थित इन्जीनियरिंग कालेज एवं अन्य सभी कालेज नगर के बाहर रेल लाइन के उस पार हैं जिसके कारण छात्रों को लगातार रेलवे स्टेशन एवं गेट क्रासिंग पर से आना-जाना पड़ता है । परन्तु आज तक उन स्थानों पर एक फुट ब्रिज एवं एक ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया है । अत: मेरा सुझाव है कि इन स्थानों पर एक पुल का निर्माण बहुत ही आवश्यक है । प्रदेश सरकार से आपके पास प्रस्ताव आ चुका है कि वहां पर ओवरब्रिज की आवश्यकता है । अत: मन्त्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें ।

अन्त में मैं सदन में प्रस्तुत रेल बजट 1981-82 का जोरदार समर्थन करता हूं और मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि उनके द्वारा अनुमानित शुद्ध लाभ 49.89 करोड़ रुपये इस वर्ष अवश्य ही रेलवे को प्राप्त होगा । इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

**श्री रणजीत सिंह (चतरा)** : सभापति महोदय, मैं इस रेलवे बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस बजट से विकास की नई दिशा दिखाई पड़ रही है, इसमें बहुत से प्रोग्रेसिव प्लान दिए गए हैं । जितना 1979-80 के वर्ष में यातायात से भाड़ा मिलना चाहिए था उतना भाड़ा न मिलने की वजह से 6624 करोड़ का घाटा दिखाया गया है । इसी तरह से माल-भाड़े में भी घाटा हुआ है । इस घाटे की पूर्ति के लिए मन्त्री महोदय द्वारा कुछ प्रभार रखा गया है, जिनका मैं समर्थन करता हूं । जब आमदनी नहीं होगी तो किसी भी क्षेत्र में उन्नति कैसे होगी । अपोजीशन के लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं । वे लोग गलत समझ रहे हैं । बिना पैसे के रेलवे मन्त्री के पास ऐसा कौन सा रास्ता है, जिससे रेलवे में प्रोग्रेस करवा दें ।

सभापति महोदय, राजस्व संभार पिछले वर्ष में 1996 लाख की तुलना में घटकर 1931 लाख रुपए रह गया और इसी तरह से जनता पार्टी के शासनकाल में माल ढुलाई में भी कमी आई थी । यातायात राजस्व में भी कमी आई थी । रेलवे लाइनें भी कम बिछाई गई थीं । अब छठी योजना में वर्ष 1980-81 में रेलवे की उन्नति के लिए 5100 करोड़ रुपया रखा गया है जो कि 1978-79 की तुलना में काफी अधिक है । उस समय 3.4 करोड़ रुपया रखा गया था ।

सभापति महोदय, इस सबके बावजूद प्रशासनिक खर्च के अनुपात में योजनागत व्यय में कमी आई है, यह चिंता का विषय है। वैगन की बढ़ोत्तरी का काम भी पिछड़ा हुआ है, मैं समझता हूं कि अगर प्रशासनिक खर्च इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो प्रोग्रेसिव काम नहीं हो पाएंगे।

सभापति महोदय, योजना के अन्तर्गत 14 हजार किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान है। एक लाख वैगनों का और 5680 यात्री डिब्बों, 1990 विद्युत और 7:0 डीजल बिजली के इंजनों का निर्माण किया जाएगा। 2200 किलोमीटर लाइन के विद्युतीकरण की योजना है। इस वर्ष 1880 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई जाएंगी और 934 किलोमीटर लाइनों को मीटर गेज से ब्राड गेज में बदला जाएगा। 1415 किलोमीटर लाइनों को डबल करने की योजना है। 1981-82 में योजनागत खर्च को बढ़ाकर 9 करोड़ रुपया कर दिया है। इन सब योजनाओं को देखने से पता चलता है कि रेल मंत्री महोदय छटी योजना में भारत में रेल के विकास के लिए बहुत अधिक खर्च करने जा रहे हैं। इन योजनाओं से लोग कम खर्च में यात्रा कर सकेंगे। नई लाइने बिछाने के लिए और मीटर गेज से ब्राड गेज में बदलने के लिए कई जगह सर्वेक्षण किए जा चुके हैं और काम भी शुरू हो चुका है 1980-81 में अब तक 126 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई गई है। गेज बदलने के 13 सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। रेल मंत्री का यह दावा अक्षरशः सत्य है 1980 के पहले सात महीने में औसत लदान की मात्रा नवम्बर 80 में 161.9 लाख टन, दिसम्बर 1980 में 178.2 लाख टन और जनवरी 1981 में 190 लाख टन हो गयी है।

पहले सात महीनों के दैनिक औसत लदान की तुलना में वर्तमान रेल मंत्री जी के आने के बाद नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी के महीनों में लदान बढ़ता गया है। इस तरह से रेल मंत्री जी ने रेलों को एक नई दिशा दी है।

इस बार इस बजट में पहले के बजटों की अपेक्षा बहुत अच्छी योजनायें शामिल रह गई हैं। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। कर्मचारियों के वास्ते क्वार्टर बनाने के लिए भी इसमें काफी ..... धनराशि का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल बनाने के वास्ते भी इसमें अच्छी अच्छी योजनायें रखी गई है। इन सब से कर्मचारी वर्ग को बड़ा लाभ होगा।

मेरा क्षेत्र चतरा है जो बिहार में है। हजारीबाग गया और पलामऊ, इन तीनों जिलों में बिहार में यातायात के कोई साधन नहीं हैं, यहां एक भी रेलवे लाइन नहीं है। मैंने इसके बारे से मंत्री जी से बात भी की थी और उनको एक पत्र भी दिया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि शेरघाटी से लेकर चतरा और चतरा से हजारीबाग और चतरा से पलामऊ तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह काम आज तक नहीं हुआ है। सरकार की यह घोषित नीति है कि जो बैकवर्ड हरिजन मजदूरों का एरियाज हैं, जो ..... पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां यातायात के कोई साधन नही हैं, वहां यातायात के साधन सुलभ करने की कोशिश की जाएगी। हमारा क्षेत्र पूर्णतया आदिवासी और हरिजनों से भरा हुआ है। वह जंगली इलाका

है। वहां कोई यातायात के साधन नहीं हैं। बसें भी नहीं चलती है। मजदूर लोग, आदिवासी लोग पैदल आ जा कर ही अपना काम चलाते हैं उधर रेल मंत्री जी का ध्यान नहीं है। उधर उनका ध्यान जाना चाहिए। चतरा में इमामगंज क्षेत्र से पार करने वाली लाइन जो हजारीबाग जाने वाली थी और जिस का सर्वेक्षण भी हुआ था उसकी प्रगति भी नहीं हुई है और कोई काम वहां शुरू नहीं किया गया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उस ओर भी ध्यान दिया जाए। हमारे वर्तमान रेल मंत्री योग्य हैं, बिहार के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, बिहार के कोने-कोने को जानते हैं। वहां उनका प्रशासन भी बहुत अच्छा था। वह रेलवे प्रशासन पर भी नजर रखे जिससे चेनपुलिंग न हो, चोरियां न हो, घाटा न हो। इति।

**चौधरी मुलतान सिंह** (जलेसर) : इस रेलवे बजट के सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। यह बजट गरीबों का शोषण करने वाला है और अमीरों को राहत पहुंचाने वाला। आए साल रेलों का किराया भाड़ा बढ़ा दिया जाता है। जैसे यहूदी चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं उसी तरह से ये भी ले रहे हैं और उनसे भी ये आगे बढ़ चुके हैं।

जब तक चोरियां बन्द नहीं होती है रेलों का घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता है। जब तक फर्स्ट क्लास और एयरकंडिशड क्लास को हटा नहीं दिया जाता है और एक ही क्लास नहीं बना दी जाती है तब तक घाटा रहेगा। इन क्लासिस में पासहोल्डर ही बैठते हैं या एम०पीज एम०एल०एज० और मिनीस्टर आदि बैठते हैं या कुछ हद तक व्यापारी वर्ग बैठता है और जो इनकम टैक्स से छूट पा जाता है। अगर एक ही क्लास कर दी जाए तो अरबों खरबों का फायदा रेलों को हो सकता है। देखने में आता है कि दो हिस्से गाड़ी फर्स्ट और एयरकंडिशड की ही होती है। इनमें कुल चार यात्री बैठते हैं और चार उनको पंखे मिले होते हैं। सैकिन्ड क्लास में एक यात्री को एक फुट जगह भी प्राप्त नहीं होती है जबकि फर्स्ट क्लास में एक यात्री को लगभग बारह फुट जगह दी जाती है। इस हिसाब से उनका किराया बारह गुना होना चाहिए जबकि होता है चार गुना ही। फर्स्ट क्लास की गैलरी खाली पड़ी रहती है जबकि सैकिंड क्लास में यात्रियों को खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। फर्स्ट क्लास में चार यात्रियों को दो पंखे और चार बत्तियां प्राप्त है जबकि सेकेन्ड क्लास के पचास यात्रियों को एक पंखा और एक बत्ती ही प्राप्त होती हैं जो कभी कभी जलती भी नहीं है या पंखा चलता भी नहीं है। एयरकंडिशंड डिब्बे बिल्कुल खाली जाते हैं या उनमें पासहोल्डर जाते हैं टिकट वाला कोई नहीं जाता है। या व्यापारी वर्ग जाता है जो इन्कम टैक्स में उस किराये पर छूट लेता है। इसलिए एक क्लास बना दी जाय और चोरी बन्द कर दी जाय इससे रेलवे का काफी फायदा हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि ए०सी०सी० और फर्स्ट क्लास के गुसलखाने में दो बत्तियां है जब कि सेकेन्ड क्लास में यह सुविधा 250 यात्रियों को मिलती है। फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन्ड डिब्बों की हर बड़े स्टेशन पर सफाई होती है लेकिन सेकेन्ड क्लास के डिब्बों में साल में एक आध बार ही सफाई होती होगी। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्री अगर जंजीर खींचे तो उस पर

कोई जुर्माना नहीं होता: लेकिन सेकेन्ड क्लास में अगर कोई जंजीर खींचे तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। जैसा मैंने पहले कहा यह किराया बढ़ाने का चक्कर चक्रवर्ती ब्याज की तरह से चल रहा है। इसी तरह से फर्स्ट क्लास के रिजर्वेशन पर शायद अब कुछ बढ़ाया है सेकेन्ड क्लास के यात्री पर बैठने के रिजर्वेशन चार्जेज को 8 आने से बढ़ाकर 1 रु० कर दिया है और हर रात का सोने के चार्जेज 6 रु० 50 पैसे कर दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किराया तो बढ़ा रहे हैं लेकिन सेकेन्ड क्लास के यात्रियों के लिए आपने क्या सुविधायें बढ़ायी हैं ? सेकेन्ड क्लास के डिब्बों में लोग जमीन पर और छतों पर बैठकर चलते हैं। उसको आप कौनसी क्लास मानेंगे। कितनी सुपर और मेल गाड़ियां हैं यह सब बड़े आदमियों के लिए हैं। गरीबों को इनसे कोई फायदा नहीं है। 90 प्रतिशत जनता आज भी पैसेजर गाड़ी से चलती है। जितनी पैसेंजर गाडियां 1937, 1947 में चलती थीं उतनी ही आज भी चल रही हैं। दिल्ली से अहमदाबाद और टुंडला से इलाहाबाद एक पैसेंजर गाड़ी चलती थी वही आज भी चल रही है। इसलिए जो मेल और एक्सप्रैस ट्रेन हैं इनको कम कीजिए और पैसेंजर गाड़ियों की तादाद बढ़ायें। क्योंकि जनता दुखी है, किराया भी देती है फिर भी बैठने को जगह नहीं मिलती।

एक और झंजट है सुपर ट्रेन आपने चलायी है जिसमें बिना रिजर्वेशन के कोई आदमी बैठ नहीं सकता। मेरी मांग है कि हर सुपर फास्ट और मेल ट्रेन में दो, दो जनरल डिब्बे लगाये जायें। एक और बात है कि नार्थन रेलवे में अगर कोई यात्री टिकट लेकर बैठ जाए और रिजर्वेशन न कराये तो 11 रु० पेनल्टी लेकर और उसको धक्का देकर बीच में ही उतार दिया जाता है। ऐसा शायद और किसी रेलवे में नहीं है।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : जहां तक मैं समझता हूं, ऐसा तो नहीं है।

**चौधरी सुलतान सिंह** : ऐसा ही होता है। इसलिए मेरी मांग है कि पैसेंजर ट्रेन्स की तादाद बढ़ायी जाये।

रेलवे में करीब 300 आदमी मरे दिखाये हैं, 600, 700 घायल दिखाये हैं एक्सीडेंटस में। उनको सिर्फ 5 लाख रुपया मुआवजा दिया बताते हैं। वह भी माननीय मंत्री जी के बजट में है। मैं पूछना चाहता हूं कि हवाई जहाज में मरने वाले को एक लाख रुपया दिया जाता है, फर्स्ट क्लास में मरने वाले को 50 हजार रुपया दिया जाता है और सैकिन्ड क्लास में जो मरता है उसको 20 रुपये में ही टाल दिया जाता है। इसकी क्या वजह है ? क्या वह इंसान नहीं है, वह अपने मां-बाप का बच्चा नहीं है, क्या उसके मां-बाप को उससे प्यार नहीं है ? क्या उसको गरीब के हिसाब से ही देंगे। मैं सुझाव दूंगा कि जो हवाई जहाज में मरता है या रेलवे के फस्ट क्लास या सैकिन्ड क्लास में मरता है, सबको एकसा मुआवजा दिया जाये।

हमारे यू०पी० के पहाड़ों में नाम बताने में समय लगेगा, सन् 1928 में सर्वे हुआ था, कि रेलवे लाइन बिछाई जायेगी, लेकिन आज तक वह सर्वे पड़ा ही है। पहाड़ी क्षेत्र है, टिहरी,

गढ़वाल, नेपाल के बार्डर और चाइना के बार्डर से मिलता है, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं है हालांकि वहां के 2, 3 मुख्यमंत्री रहे हैं।

मेरा सुझाव है कि टूंडला से एटा होते हुए कासगंज तक लाइन बिछाई जाए। आगरा से वाह होते हुए लखनऊ तक लाइन चलाई जाये। वहां पैसेंजर ट्रेन नहीं है। वाह से भिंड और शिकोहाबाद के लिए रेल चलाई जाए। भिंड डकैतों का क्षेत्र है, इसमें अगर आप रेलवे लाइन बिछा दें तो इससे बहुत फर्क पड़ सकता है।

टूंडला स्टेशन पर पुल को ढका जाये। साहिबाबाद का पुल तो ढका हुआ है, क्योंकि वहां पर सेठ लोग बैठते हैं, इन्कम टैक्स देने वाले,* लेकिन टूंडला का स्टेशन जो करीब-करीब आधा मील लम्बा है, सदियों से 5, 6 लाइनें वहां से जाती हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि यह एक औपचारिक डिबेट होती है, किसी की कोई बात सुनी नहीं जाती है। लेकिन आज तक पुल को कवर नहीं किया गया। वेटिंग रूम के बारे में कहा गया लेकिन वह नहीं बनाया गया। पेसेन्जर्स के लिए पानी पीने की जगह नहीं है, बाहर इन्क्वायरी नहीं है। फाटक एक बड़े आदमी ने मिलकर एतमादुद्दौला के पास टूंडला के पास बनाया। हाईकोर्ट में किसी ने रिट कर दिया, अफसर मिल गये और उसे बन्द करा दिया। इधर के मुर्दे इधर रहते हैं और उधर के मुर्दे उधर रहते हैं, वहां जमना घाट है।

मैंने चार-पांच साल पहले भी सुझाव दिया था, लेकिन यह लगता है कि औपचारिक होता है। हमारे सभापति जी बार-बार घंटी बजा रहे हैं, सारी बातें कही नहीं जा सकती। मैं माननीय मंत्री जी को अपने सुझाव लिखकर भेज दूंगा, यहां कहने का तो समय नहीं रह गया है।

**सभापति महोदय :** मुझे आशा है कि माननीय सदस्य ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। हम इसे देखेंगे।

**श्री गिरधारी लाल व्यास :** इसको एक्सपंज कीजिए,* कहा है।

**सभापति महोदय :** हम इसे देखेंगे। उपमंत्री महोदय।

**चौधरी मुलतान सिंह :** आपको नहीं कहा है। मैंने कहा है कि जहां पुल ढका हुआ है, वहां * है। जहां भले आदमी बैठते हैं, वहां नहीं ढका है। मैंने इसमें क्या कह दिया है ?*

**सभापति महोदय :** आप बैठिए।

**रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मालिकार्जुन) :** मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा...(व्यवधान)।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**सभापति महोदय :** इनके भाषण के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। वह केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमें बैठना होगा। यह एक हस्तक्षेप है। आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)।

माननीय उपमंत्री केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह उत्तर में नहीं है आपको एक अवसर मिलेगा। आप इस बारे में चिन्तित क्यों हैं।

**श्री मल्लिकार्जुन :** मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं और उन भावनाओं की सराहना करता हूं।

रेलें राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण मूल ढांचे के रूप में भूमिका निभाती है। चूंकि रेलों ने राष्ट्र के निर्माण की भूमिका निभानी होती है, इसलिए मैं विभिन्न बातों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त व्यथा तथा उनके द्वारा की गयी सराहना की सराहना करता हूं। कि यह सच है रेलों के कार्य निष्पादन में समय की पाबन्दी न केवल हम सम्मानित सभा के माननीय सदस्यों, प्रत्युत संसद से बाहर भी लोगों के मन को भी उत्तेजित कर रही है।

गाड़ियों का समय पर आना जाना रेलों की संचालन क्षमता पर ही निर्भर नहीं करता है। इसका उन लोगों से भी कुछ सम्बन्ध है जो रेलों से संबंधित नही हैं। अभी हाल ही में अराजकता का एक कटु अनुभव रहा है विशेष कर कि जंजीर खींचने और कपलिंगस को हटाने के बारे में ऐसा हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप गाड़ियों के सुचारु रूप से चलाये जाने में एक बड़ी बाधा पड़ी है। अतः जब गाड़ी प्रारम्भिक स्टेशन से समय पर चलती भी है तो उसका गंतव्य स्टेशन पर समय पर पहुंचना कठिन हो जाता है। समाज का एक विशेष वर्ग, समाज विरोधी तत्वों और गैर-जिम्मेदार लोगों द्वारा ये सोचे समझे बिना जानबूझ कर प्रयास किये जा रहे हैं कि यात्रा करने वाले लोगों को अपने विभिन्न कार्यों को करने के लिये अपने गतव्य स्थान पर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्मानित सभा को समाज के एक विशेष वर्ग द्वारा अपनाये गये इस प्रकार के गैर-जिम्मेदार रवैये की आलोचना करनी चाहिये। केवल आलोचना के लिये इस प्रकार की आलोचना नहीं की जानी चाहिये और ऐसा दृष्टि कोण नहीं अपनाया जाना चाहिए वास्तविकता को समझना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यदि हम लोगों को सब तरह से सतुष्ट करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि सभा को भी विद्यमान कमियों को समझ लेना चाहिये।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि रेलवे देश का एक बड़ा उपक्रम है। मैं इस बात को समझता हूं कि जब तक एक यात्री गाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो वह चाहता है कि उसे आराम तथा आवश्यक सुविधायें मिलें। आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए हमारा निरंतर प्रयास रहा है।

ऐसी बात नहीं है कि चूंकि कोई हमें बता रहा है, इसलिए हमें अनुभव हो रहा है। जब से रेल आरम्भ हुई है तभी से रेल प्रशासन का यही विचार सदा रहा है कि यात्रियों को आवश्यक सुबिधायें उपलब्ध कराई जायें।

अभी माननीय सदस्य ने पानी उपलब्ध न होने के बारे में बताया यह सर्वथा गलत है। गर्मियों के दिनों में यात्रियों को पेय जल उपलब्ध करने के लिए हम विशेष व्यवस्था करते है। गर्मी के अतिरिक्त भी पानी की सुविधा तो सारा वर्ष उपलब्ध कराई जाती है। चूंकि यह संगठन बहुत बड़ा है, इसलिए हो सकता है कि यात्रियों को ये सूविधायें पूर्णतया संतोषजनक न लगती हो।

**श्री दौलत राम सारण** : (चुरु) : कई स्टेशनों पर प्याऊ नहीं हैं (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन** : मैं माननीय सदस्य की बात को कोई महत्व इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वह विरोधी पक्ष में बैठे है और इसीलिए वह पानी उपलब्ध न होने की बात करते हैं। सभी महा प्रबंधकों को अपेक्षित निदेश जारी कर दिये गये हैं और उन्होंने भी आगे मंडलीय प्रबन्धकों को निदेश जारी कर दिये हैं कि ये सुविधायें उचित ढंग से उपलब्ध कराई जायें। हम कुछ धनराशि का आवंटन करते हैं जिससे कि उन्हें यात्रा के दौरान वे सुविधायें तो उपलब्ध कराई जायें, जो बहुत जरूरी होती हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल यात्री यातायात ही नहीं, अपितु माल यातायात भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम माल यातायात की ओर भी अपेक्षित ध्यान देते हैं।

मैं अति महत्व पूर्ण क्षेत्र, अर्थात तापीय बिजली घरों, जिनसे कि बिजली का उत्पादन किया जाता है तथा बाद में कोयले के बारे में कहूंगा।

जहां तक रेलों के कार्यकरण का सम्बन्ध है, हमें निश्चय ही इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए आज 32,000 से अधिक वेगन आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य ऐसी वस्तुओं के परिवहन में लगे हुए हैं, जो समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

परन्तु फिर भी इस उद्योग के स्टीम कोयले के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सदस्य श्री वाजपेयी ने रेलवे के कार्यकरण की सराहना करते हुए, एक प्रश्न उठाया था। उन्होने कहा था कि कोयले की खपत रेलों में बढ़ रही है। (व्यवधान) जहां घटिया माल मिले, वहाँ बढ़िया सेवा नहीं रह सकती। बढ़ती है। भारतीय रेलों में कोयले की खपत बढ़ी है। भारतीय रेलों के लिए प्रति वर्ष लगभग 125 लाख टन कोयले की आवश्यकता होती है। यदि रेल ही कोयले को ले जाने वाली तथा उसका वितरण करने वाली हों तो उद्योगों को दिये जाने वाली कोयले में कटौती की जाती है और उद्योग जैसे कि लघु उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी के बर्तन का उद्योग तथा शीशे के समान बनाने का उद्योग आदि कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन्हें इसके कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने भारतीय रेलों में स्टीम कोयले की खपत पर स्वैच्छिक कटौति लगा दी थी और वह कोयला उन उद्योगों को भेज दिया था। प्रत्येक माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है। हमें 3,100 वैगन स्टीम कोयला प्रतिदिन चाहिए। परन्तु हम इतने अधिक कोयले की खपत नहीं कर सकते।

हमारे पास स्टाफ में इतना कोयला नहीं होता । हम प्रतिदिन 2000 स्टीम कोयला वैगनों का परिवहन करते है । हम स्वेच्छा से ही अपनी कोयले की खपत पर कुछ कटौती कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप कुछ सकारी तथा माल गाड़ियों को रद्द कर दिया जाता है । ऐसा हम इसलिए करते है क्योंकि हमें कुछ अन्य उद्योगों का भी ध्यान रखना होता है । इस तथ्य को सभी जानते हैं कि संसद सदस्य अन्य उद्योगों को चलने का मामला आये दिन उठाते रहते हैं । मुझे इस तथ्य को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि कोयले की खपत में की गई स्वेच्छिक कटौति के परिणाम स्वरूप 5 फरवरी से पहले रेलगाड़ियों के 282 जोड़े रद्द करने पड़े थे ।

सदन को यह जानकर भी आशचर्य होगा कि 25 फरवरी, तक 175 रेल गाड़ियों के जोड़े पुन: आरम्भ कर दिये गये ।

कोई किसान रैली तथा अन्य ऐसे मामलों को उठाकर भले ही अलोचना करे । परन्तु वह एकदम भिन्न बात है ।

आपको निश्चय ही यह मालूम होना चाहिए कि 175 रेल गाड़ियों के जोड़े पहले ही पुन: लागू कर दिये गये हैं । मैं यह बात बिना किसी निहित इरादे के कह सकता हूं । 25 फरवरी तक स्टीम कोयले की कमी के कारण 107 रेल गाड़ियां रद्द कर दी गई थी । यह स्थिति है ।

हम समाज के प्रति अपने दायित्व के लिए जागरूक हैं । जहाँ तक तापिय बिजली घरों को कोयला सप्लाई करने का सम्बन्ध है, हमारे यहां प्रतिदिन लगभग 4,000 वैगनों का लद्दान किया जाता है । आज यदि आप बरौनी जायें, तो आप इस बात की सराहना करेंगे कि आज भी वहां 29 दिनों के कोयले का स्टाक पड़ा हुआ है । पटराटू में भी 29 दिन तक का कोयले का स्टाक है । इसी प्रकार चक्रम्परपुर में भी 28 दिन का स्टाक है तालचेर में लगभग 35 दिन का स्टाक है । मुज़ाबल में लगभग 13 दिन का कोयला स्टाक में है । मेरे अपने राज्य में रामागुंडम में भी लगभग 17 दिन का कोयले का स्टाक है विजय वाड़ा में 14 दिन का कोयले का स्टाक है — (एक माननीय सदस्य : भटिण्डा की स्थिति क्या है ?) भटिण्डा में 2 दिन का स्टाक पड़ा है । श्रीमान जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि भटिण्डा तथा बदरपुर सदा ही कठिनाई की स्थिति में रहते हैं । बदरपुर में केवल एक दिन का स्टाक है । यह तापीय बिजली घरों में कोयले की स्थिति है । विभिन्न उद्योगों के लिए विद्युत का होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए हम तापिय बिजली घरों को कोयला भेजते रहते हैं ताकि बिजली उत्पादन रुकावट न पड़े । उत्तरी रेलवे में खाद्यान्न के लिए लगभग 1200 वैगनों का लद्दान प्रतिदिन किया जा रहा है जिससे कि उसे देश के विभिन्न भागों में भेजा जा सके । इसलिए मैं बहुत विनम्र भाव से निवेदन करना

चाहता हूं कि रेलवे के कार्यकरण का मूल्यांकन उचित परिप्रेक्ष में किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यों ने नई लाइनों तथा लाइनों को बदलने की बात की है। परन्तु इन सभी मामलों के सन्दर्भ में हमें इस बात को दृष्टिगत रखना चाहिए कि हमारे संसाधन सीमित हैं, जब आपके संसाधन सीमित हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी नई रेल लाइन को बिछाने या लाइन को बदलने का कार्य चरण बद्ध ढंग से ही किया जा सकता है।

सभापति महोदय, आपको मालूम ही है कि आपके अपने राज्य में जागपुरा से दातराई तक 33 किलोमीटर लम्बी नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। इसका कार्य लगभग पूरा हो गया है। सभापति महोदय, इस रेलवे लाइन के बन जाने के परिणामस्वरूप पाराद्वीप पट्टन से लौह अयस्क का निर्यात करना आसान हो जायेगा। आपको मालूम है, इसके फलस्वरूप समूचे देश को कितना लाभ होगा।

इसी प्रकार से आपटा से पेन तक कोंकण रेल में एक 20 किलोमीटर की रेल लाइन है। यह लाइन भी पूरी की जा चुकी है इससे सम्पूर्ण क्षेत्र के शीघ्र विकास में सहायता मिलेगी।

जहां तक संसाधनों का सम्बन्ध है, सम्पूर्ण योजना की अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा हमें केवल 5100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अनेक सर्वेक्षण किये जाने हैं। विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में उचित अध्ययन अभी किया जाना बाकी है। हमें यह मालूम है कि योजना आयोग द्वारा हमेशा मंजूरी नहीं दी जाती है वे विभिन्न पहलूओं का अध्ययन करने के बाद ही इसके बारे निर्णय करते हैं। प्रगति एक दम तो नहीं की जा सकती। हमारे जैसे विकासशील देश में प्रगति चरण बद्ध ढंग से ही की जा सकती है।

श्रीमान जी, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस सम्बन्ध में मैं सरकार की स्थिति पर पुन: बल देना चाहता हूं। विरोधी दल के हमारे कुछ सदस्यों ने जो यह संदेह व्यक्त किया है कि कोयला कोयला-खानों के मुहानों पर तो उपलब्ध है परन्तु उसे ले जाने के लिए वैगन उपलब्ध नहीं हैं या यह कहना कि वैगन तो उपलब्ध हैं परन्तु कोयला उपलब्ध नहीं है, सर्वथा गलत बात है। ये सभी संदेह निराधार हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास में रेलवे का योगदान अत्याधिक महत्वपूर्ण रहा है। मैं यह बात फिर कहना चाहता हूं कि उनके मन में ऐसी आशंका नहीं होनी चाहिये। सरकार में समुचित तालमेल है। हम सबको सांझी जिम्मेदारी है। हम सब सरकार के अंग हैं और सरकार के नाते हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं उस ढंग से नहीं जैसे विपदा के सदस्य सोचते हैं।

**श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग)** : हमने ब्रिटिश परम्परा को राजनैतिक दृष्टि से ठुकराया है लेकिन हमने दो बदनाम संस्थाओं अर्थात नौकरशाही प्रणाली तथा रेलवे के लिए पृथक बजट रखने की प्रणाली को अपनाया है। हमने रेलवे को राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार नहीं ढाला है। हम रेलवे से अर्थ-व्यवस्था तथा समाज की जरूरत पूरा करने की आशा रखते

है। लेकिन हम इसके बोझ को नहीं सहते। मेरा सुझाव है कि रेलवे बजट के सामान्य बजट का भाग बनाया जाए। देश के सारे भाग किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं जिसमें रेलवे का योगदान काफी अधिक है। इसे एक राष्ट्रीय समस्या समझना चाहिए क्योंकि सारे देश से सम्बन्धित है।

रेलवे ने जम्मू-कश्मीर राज्य की उपेक्षा की है। जहां तक जम्मू-कश्मीर का सम्बन्ध है, रेलवे लाईन जम्मू से आगे कश्मीर घाटी तक नहीं बढ़ायी गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसे एक राष्ट्रीय समस्या समझें और इस बात का ध्यान रखें कि राज्य में नई रेलवे लाईनें बिछायी जायें। रेलवे की समस्या दिल के रोगी की समस्या की तरह है। लेकिन हम इसका इलाज उसी गोली से कर रहे हैं जिसके उपयोग से सिर दर्द दूर होता है। हमें इस बिमारी के लिए एक आपरेशन करने की बात सोचनी होगी उसी दशा में रेलवे इस देश के लोगों की जरूरतों तथा सभा में की गयी मांगों को पूरी कर सकती है। सरकार को कश्मीर घाटी में रेलवे लाईन बिछाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

यह बजट नई दिशा की ओर केवल एक शुरुआत है। लेकिन असली उद्देश्य प्राप्त करने के लिए इसमें एक बड़े पैमाने पर कार्यवाही करना जरूरी है। हम आशा रखते हैं कि यह बजट घाटे का बजट नहीं होना चाहिये लेकिन ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि रेलवे सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना था तथा कुछ राज्यों की अविलम्बनीय मांगों को पूरा करना था। इस संबंध में मैं एक यह प्रश्न अपने राज्य के बारे में भी पूछना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि मेरे राज्य की अवहेलना ही नहीं की गई बल्कि मेरे राज्य में जम्मू से कश्मीर घाटी तक नई रेलवे बिछाने के लिए भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। आपने जम्मू से कश्मीर घाटी के अन्य सामरिक महत्व के स्थानों तक रेलवे विस्तार का काम नहीं किया है। राज्य में कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां सुरक्षा सेनाओं द्वारा तीव्रगति से आवागमन के साधनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए विशेषकर जब चीन, रूस और पाकिस्तान हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। सेनाओं के लिए आवश्यक माल का परिवहन करने पर जितनी राशि हम खर्च करते हैं, उसे नई लाईनों के निर्माण पर आसानी से व्यय किया जा सकता था। इसके लिए जितनी भी राशि व्यय होगी वह एक वर्ष के अन्दर वसूल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आय का एक और साधन जम्मू-कश्मीर से देश के अन्य भागों को वाणिज्यिक माल परिवहन भी होगा। हमारे पास आवागमन का दूसरा साधन भी होना चाहिए। इस समय हमारे पास आवागमन का केवल एक ही साधन है अर्थात सड़क परिवहन। वह सामरिक दृष्टि से बहुत खतरनाक है। अब वहां प्रति वर्ष तीन लाख पर्यटक आते हैं। वाणिज्यिक और सामरिक दृष्टि स रेल सम्पर्क का होना अनिवार्य है। इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भी कश्मीर घाटी को भारत से रेल द्वारा मिलाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण के व्यवहार्य समझा गया। खुड से काजीगुंड के बीच नई सुरगें बनाने से कश्मीर के लिए रेल सम्पर्क सम्भव है। इससे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी।

हम सदैव खतरे में हैं। यदि वाणिज्यिक दृष्टि से नहीं तो कम से कम सामरिक दृष्टि से तो सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिए। यहां तक कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी, जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण मौजूद हैं परन्तु उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। यदि हम इस पर दो करोड़ रुपये व्यय भी कर दें तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अन्य बातों के अलावा सेना की गाड़ियों पर लगभग 500 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय किए जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक विचार से भी लगभग 8000 टन फल प्रतिवर्ष कश्मीर से देश के अन्य भागों को भेजे जाते हैं। केवल इसी से ही रेलवे को उतनी आय होगी जितनी कि इस परियोजना में उसे निवेश करनी पड़ेगी।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय जो काश्मीर के बारे में सब कुछ जानते हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य की जनता की इस मांग को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

**श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** (शिमला) : माननीय चेयरमेन साहब, मुझे खुशी है कि मुझे भी बोलने के लिए समय मिल गया। जो हमारे माननीय मंत्री जी ने इस माननीय सदन में रेलवे बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

जहां तक मुखालिफ पार्टी के लोगों का सवाल है, प्रोग्राम तो उनके पास कुछ है नहीं। पिछले तीस महीनों मे उनका यही काम रहा था कि उन्होंने इस देश कि अर्थव्यवस्था को खराब किया, ला एण्ड आर्डर को खराब किया। रेलवे में डाके पड़े और उस ढंग से पड़े जैसे कि पुराने जमाने में लूटमार होता था। यही काम उनके जमाने में चल रहा था।

आज जो रेलवे की लाइनों में गड़बड़ी पैदा करते है ये वही लोग है जो पहले भी रेलवे में गड़बड़ी पैदा करते थे। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 1975-76 में रेलवे में जिन कर्मचारियों ने गड़बड़ी पैदा की और मुल्क के अन्दर एकता नहीं रहने दी, उन्हीं लोगों के लीडर आज यहां नुमाइन्दगी करते हैं। ये भी उस वक्त की गड़बड़ी में इन्वाल्व थे। इसलिए आज भी वे गड़बड़ी पैदा करते है। जहां ये यह कहते है कि इन्होने अपनी हुकूमत में बहुत काम किया वहां मैं नहीं समझता कि जनता पार्टी के मंत्रिमण्डल ने देश के लिए कुछ काम किया हो। इन्होंने केवल एक काम किया कि आपस में लड़ाई पैदा की। न कोई सड़क बनाई न कहीं कोई रेल पहुंचाई।

सभापति महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हमारे यहां ब्रिटिश टाइम से रेलवे बनी हुई है अंग्रेजों के समय में शिमला रेल पहुंची थी। उसके बाद से एक फुट लाइन नही बन पायी है।

जो हिमाचल प्रदेश का इलाका है उसका एक सर्वे तलवाड़ा से हुआ था और उसका उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री जी ने किया था। वह भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। इसी तरह से जगाधरी,

पौण्डा के लिए रेलवे लाइन का सर्वे करने की बात थी। पिछले मंत्री जी ने पत्र द्वारा मुझे सूचित किया था कि उसका कम्पलीट सर्वे करने का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। मैं अज करूंगा कि जहां हिमाचल प्रदेश में इण्डस्ट्रीज, उद्योग लगाने का बड़ा भारी स्कोप है, वहां खेती की उपज बढ़ाने का भी बड़ा स्कोप है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर सेव पैदा होता है, आलू पैदा होता है। उसके लिए हमें माल गाड़ियां नहीं मिलती, आनन्दपुर से नहीं मिलती, पौण्डा से नहीं मिलती, कालका से नहीं मिलतीं। हमारी सारी प्रोडक्शन जो है वह काम में नहीं आती और हमारे लोग सफर करते हैं। इससे माली हालत पिछड़ी हुई रह जाती है।

हमारी भारत सरकार के रेल मंत्री बिहार को बिलोंग करते हैं। वहां पर भी सड़कों की बड़ी भारी कमी है जिसके लिए बहुत काम हुए हैं। अभी कोसी के पुल की बात कही गयी।

सभापति महोदय, रेलवे बजट में 5-/ किलोमीटर रेलवे लाइन किसी क्षेत्र में दे देने से किसी क्षेत्र का भला नहीं होता है इसलिए कम दूरी की रेलवे लाइनों के बजाए लम्बी दूरी की रेलवे लाइने बिछाने की योजना बनानी चाहिए। हमारा पहाड़ी क्षेत्र तिब्बत से चाइना के बार्डर से लगता है, वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है। शिमला से रामपुर सर्वे ब्रिटिश टाइम में हुआ था, लेकिन उस पर आज तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में भी कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई है। मेरा निवेदन है कि माननीय कमला पति त्रिपाठी जी जो कि अब मंत्री नहीं हैं, ने वादा किया था कि कालका से परमाणु तक सर्वे हो चुका है और शीघ्र ही काम शुरू करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और शीघ्र ही काम शुरू करवाएंगे। इसी प्रकार तलवाड़ा से भी एक लाइन का सर्वे कंप्लीट हो चुका है इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे पहाड़ी क्षेत्र की ओर ध्यान दें।

हिमाचल प्रदेश में सेव अधिक मात्रा में होता है, इस पर बढ़ी हुई दर माफ होनी चाहिए। इसी प्रकार आलू, टमाटर, केला, संतरा जो ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, इन पर भी बढ़ी हुई दर में छुट दी जानी चाहिए। ये चीजें अगर ट्रकों से लाई जाती हैं तो दुर्घटनाओं का खतरा रहता है, कई मोतें होती हैं। अभी रामपुर के पास 34 आदमी मर गए हैं, गाड़ी का सफर सब लोग पसंद करते हैं। मैदानी इलाके में तो चोरी-डकैती का डर रहता है, लेकिन हमारे पहाड़ी इलाके में चोरी-डकैती का कोई डर नहीं है। हमारे अन्य साथियों ने भी सुझाव दिया है कि पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन निर्माण के बारे में ध्यान दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में रेलवे का विकास कर प्रदेश की आर्थिक हालत सुदृढ़ की जा सकती है।

पंजाब में अनाज अधिक पैदा होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां से अनाज के लिए भी बढ़े हुए भाड़े में छूट दी जाए ताकि लोगों को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सके। इसी प्रकार फर्टिलाइजर की ढुलाई पर भी छूट दी जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके और उत्पादन में वृद्धि हो।

पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जगाधरी से पोंटा, जोगिन्दर नगर से मण्डी, रोपड़ से नालागढ़ रेलवे लाइन निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। इससे पहाड़ी क्षेत्रों को लाभ होगा। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक इंच भी रेलवे लाइन का निर्माण नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें।

माननीय बाजपेयी जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार रेलवे विकाश के लिए कुछ नहीं कर रही है। वाजपेयी जी तो विदेश मंत्री थे। बाहर ही घूमते रहे, हिन्दुस्तान में कहां-कहां रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए, इसका उन्हें पता नहीं है श्री रामावतार शास्त्री जी के भाषण में भी बे-बुनियाद बातें कहीं गईं, उन सब बातों का मैं खन्डन करता हूं और इस रेल बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा)** : मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं। मैं अपने सुझाव संक्षेप में रखना चाहता हूं।

खंडवा दोहद मार्ग के लिए सर्वेक्षण करने की काफी समय से मांग की जा रही है। वे आदिवासी जिले हैं। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए वनों के विकास के लिए और वनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इस मार्ग का सर्वेक्षण कराया जाए।

पूना-जेहलम चलने वाली जेहलम एक्सप्रेस बरहनपुर में रोका जाना चाहिये। श्री त्रिपाठी जी के समय से यह मांग चली आ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको वहां रोकने के आदेश जारी कर दिए जाऐंगे।

बम्बई लखनऊ एक्सप्रेस को हुसूर में रोकने की व्यवस्था की जाए। बम्बई वाराणसी जो गाड़ी चलती है उसका टाइम टेबल इस तरह से संयोजित किया जाए ताकि बरहनपुर से दिल्ली आने वाले यात्रियों को इटारसी में जी०टी० एक्सप्रेस मिल सके।

कांचीगुडा एक्सप्रेस जो पानी लेने के लिए तुकाईथड़ रेलवे स्टेशन पर रुकती है वहां टिकट इशू नहीं किए जाते है। तुकाईथड़ रेलवे स्टेशन से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों के लिए वहां पर कांचीगुडा एक्सप्रेस के लिए टिकट देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

खंडवा इन्दौर जो शटल चलती थी और जिस को बन्द कर दिया गया है उसको फिर से प्रारम्भ किया जाए।

कोयले की कमी बताकर हमेशा पैसेंजर गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं इटारसी-भोसावल को भी बार-बार रद्द कर दिया जाता है और अब भी वह बन्द है। उसे फिर से चालू किया जाए।

एक पैसेंजर इटारसी से झांसी पहले चलती थी । उसे फिर से चलाया जाए ताकि गरीब लोगों को लाभ हो ।

बरहनपुर नगर में सिटी रिजर्वेशन आफिस की बहुत आवश्यकता है । बरहनपुर प्लेट फार्म को चार ट्रैक का बनाया जाए, उसको चौड़ा किया जाए । यह बहुत जरूरी है। सुपर फास्ट ट्रेनों को इस वजह से काफी देर तक वहां रुकना पड़ता है निम्बोलाग्राम के पास स्टेट हाई वे पर ओवर ब्रिज बनाना भी बहुत जरूरी है । यह मांग भी बहुत समय से की जा रही है और इसको पूरा किया जाना चाहिये ।

ओमकारेश्वर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के वास्ते सुविधाओं की बड़ी कमी है । कल महा-शिवरात्रि है । आज बहुत शुभ अवसर है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय घोषणा करें इन सुविधाओं के बारे में । पीने के पानी की वहां कमी है, ठहरने के शैड की बड़ी मांग है समय समय पर रेल अधिकारियों को इन कमियों के बारे में अवगत कराया जाता रहा है । इन कमियों को दूर किया जाना चाहिये ।

केला मध्य प्रदेश के बरहनपुर, महाराष्ट्र के भोसावल और जल गांव तथा मध्य प्रदेश के खंडवा जिलों से आता है । आपने पंद्रह परसेंट का सरचार्ज लगाया है । हिमालय के सेव के बारे में वहां के माननीय सदस्य ने वैसे कहा है और रामटेक के सन्तरे के क्षेत्र में आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह से मांग की है उसी तरह से मैं भी पुरजोर मांग करता हूं कि यह सरचार्ज वेलों पर न लगाया जाए, इसको वापिस लिया जाए ।

बरहनपुर में, बाघोड़ा में, निम्भोरा में, सावदा रोवर में अधिक से अधिक वैगंज दी जाएं । वेला एक पैरिशेवल कमोडिटी है । इसको दिल्ली आने में काफी समय लग जाता है । इसको जल्दी पहुंचाने आदेश दिए जाएं ।

गुना से इटावा तक रेलवे लाइन प्रदान की जाए और ग्वालीयर से इन्दौर वाया भोपाल के लिए भी एक नई यात्री गाड़ी प्रारम्भ की जाए । भोपाल से दिल्ली आने वाली जी टी. एक्सप्रेस में एक यात्री बोगी लगाई जाए ताकि भोपाल से दिल्ली आने वाले यात्रियों को लाभ पहुंच सके ।

इटारसी से झांसी के बीच आपने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं । साथ ही निवेदन है कि भूसावल इटारसी सैक्शन का भी आप इलैक्ट्रिफिकेशन करें ताकि रेलों में गति आए और खर्चा भी कम हो ।

उपाध्यक्ष जी, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि गाड़ियां लेट हो रही हैं । मेरा निवेदन है कि जो सामाजिक तत्व गाड़ियों में चेन पुलिंग कर के उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ताकि अन्य यात्रियों को परेशानी न हो । टर्न राउण्ड में जो 16 दिन का समय वैगन्स लेते हैं उनको सख्ती से ऐनफोर्स कराया जाय और इस समय को कम किया जाए वरना माल ढुलाई

पर इसका असर पड़ता है जिससे हमारी आय भी कम होती है और यही कारण है कि 21 करोड़ 40 लाख टन माल ढोने का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की ताकि वैगन का इस्तेमाल शीघ्र माल ढुलाई के लिए बढ़े। 18,000 वैगन बेकार पड़े हैं और 35,000 वैगन की मरम्मत की आवश्यकता है। इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दें जिससे उनकी ढुलाई के काम में लाया जा सके।

दूसरे जो प्रगतिशील देश हैं वहां रेलों को नो प्रौफिट नो लास के आधार पर चलाया जाता है। परन्तु हमारे रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट से सामान्य बजट के भार को भी कम किया है यह बधाई की बात हैं। मैं रेल मंत्री जी और अधिमारियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं। रेलवे की वर्किन्ग में भी काफी सुधार आया है हमारे देशवासियों को रेल मंत्रालय से काफी अपेक्षायें हैं।

अन्त में मैं पुनः कहूंगा कि जेलम एक्सप्रेस को बरहनपुर में रोका जाय।

**श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** (आरा) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। यह बजट देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था को डगमगा देगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और इस प्रकार देश के लोग तबाह और बर्बाद होने वाले हैं। सारे देश के लोग इस बजट से परेशान हैं। सरकारी पक्ष के सदस्यों ने इस बढ़ोत्तरी का विरोध किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री एम० एस० गुजराल ने भी इनको स्वीकार किया है और कहा है कि इस तरह का बजट कभी नही आया था जिसमें इतना ज्यादा घन भाड़ा बढ़ा हो और माल किराया बढ़ा हो। उन्होंने कहा है : रेलवे यात्री किराये तथा भाड़े की दरों में अबेली वृद्धि ही अब तक सबसे बड़ी वृद्धि है।

आज काफी किराया बढ़ गया। यदि इस पर समझदारी से काम लिया गया होता तो इतना किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। फिजूल खर्ची को कम करने से काम चल सकता था। तीन महीने पहले की बात माननीय पांडे जी ने उठायी थी कि उससे पहले रेल की हालत बहुत खराब थी और इन्होने इनके अनुसार रेल का परिपालन फिर से पटरी पर ला दिया है। उपाध्यक्ष जी, रेल पटरी पर अभी नहीं आती है। यदि आयी होती तो यह भाड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज हड़तालें नहीं होती, दुर्घटनायें नही होती। आम जनता को इससे 356 करोड़ 26 लाख रु० कर के रूप में देने पड़ेगे। इस तरह का बजट कभी नहीं आया था जिससे जनता को इतना भार उठाना पड़ा हो। काफी दुर्घटनाएं हुई हैं। त्रिपाठी जी के समय में तो दो गाड़ियां लड़ती थीं, लेकिन इनके समय में एक साथ तीन गाड़ियां लड़ती हैं। तीन ट्रेनों की दुर्घटना एक साथ हो गई।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि श्री कमलापति त्रिपाठी मन्त्री बने रहते तो यह दुर्घटना न घटी होती।

**श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : बजट भाषण में कहा गया है कि भिन्न-भिन्न भागों में कम्पनी स्वामित्व वाली 6 निजी रेलें चल रही हैं। शायद मंत्री जी को यह मालूम होगा कि उपरोक्त

6 निजी रेलें, अलग-अलग दरारों पर भारतीय रेल द्वारा चलाई जाती हैं। लेकिन एक ही ऐसी रेलवे है फतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे, जिसे स्वयं एक कम्पनी चलाती है इस तरह की और सब रेलों को भारतीय रेल द्वारा चलाया जा रहा है। इसका भी सबसे पहले राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके ऐसी दो रेलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जो भारतीय रेल द्वारा चलाई जा रही थीं। इस लाइन की हालत बहुत खराब है, मजदूरों को वेतन 6,6 महीने से नहीं मिल रहा है, इनकी हालत बदतर हो रही है। 60 से लेकर 250 रुपये तक ही वेतन इनको मिलता है। साल में 15, 20 लाख रुपये सरकार उस रेल लाइन को चलाने के लिए देती है, जो रेल वास्तव में पटरी पर नहीं चलती है। पांडे जी जानते हैं, इन्होंने एक आम सभा में हाल ही में कहा था कि इस रेल लाइन का राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य है। आज भी वह समझते हैं कि अनिवार्य है, लेकिन किया नहीं है। इसका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जो रेल भारतीय रेल द्वारा चलाई जा रही थीं, उनका राष्ट्रीयकरण इतना आवश्यक नहीं था, जितना इसका आवश्यक है।

जब तक आप इसका राष्ट्रीयकरण नहीं करते, हम चाहेंगे कि यहां के मजदूरों को आप एवजार्व कर लीजिये, जैसा कि आरा सासाराम लाइट रेलवे के मजदूरों का हुआ है। अगर ऐसा कर लेंगे तो इनका कल्याण हो जायेगा। जब तक यह मजदूर एवजार्व नहीं होते हैं, तब तक इन रुपयों को आप सीधे कम्पनी को न दीजिए, जो दानापुर में आपका मंडल कार्यालय है, उसको दे दीजिये जिससे कम-से-कम इन रुपयों में से इन लोगों को वेतन तो मिल जाये। अगर उसमें से कुछ रुपया बच जाये तो आप इनको दे सकते हैं। लेकिन इन लोगों के वेतन का प्रबन्ध भारतीय रेल को करना चाहिये।

आरा-सासाराम लाइट रेलवे के बारे में कहा गया है कि इसका सर्वेक्षण हाथ में है। यह बहुत दिनों से हाथ में है, एक साल से अधिक हो गया। आपसे हम आग्रह करेंगे कि इसका सर्वेक्षण शीघ्र करा दीजिए, ताकि यह जो उपजाऊ इलाके से लाइन चलती है इससे काफी लोगों को फायदा हो सके। यह दक्षिण और उत्तर बिहार को मिलाने वाली लाइन है।

विगत वर्ष भी मैंने कहा था कि बक्सर से पटना, मोकामा से पटना, पटना से जहानाबाद के एरिया को सबर्बन एरिया घोषित कर दीजिए, इससे काफी लोगों को लाभ होगा। आज जो इस इलाके में चेन-पुलिंग की घटनाएं हो रही है, वह आगे नहीं होगा क्योंकि उस इलाके के काफी लोग आते हैं, सिर्फ आप यात्रीगण ही नहीं, बिहार और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी आते जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी इन इलाकों से पटना आते-जाते हैं। इस इलाके को सबर्बन एरिया, अर्द्धशहरी क्षेत्र, घोषित करने से सरकार को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि उन लोगों को रहने का किराया नहीं देना पड़ेगा।

पटना-गया लाइन बिहार की राजधानी को औद्योगिक केन्द्र से जोड़ने वाली लाइन है और यह सिंगल लाइन है। काफी दिनों से इसे दोहरी लाईन करने पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है। इस काम को शीघ्र करने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि पटना में दीघाघाट के पास गंगा नदी पर रेलवे पुल बनाया जाएगा। शायद सेंट्रल वाटर रिसर्च इंस्टीटयूट, पूना से इस बारे में नेगेटिव उत्तर आया है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बावजूद यदि वहां कहीं खामी हो, यदि पटना कटने का कोई डर है, तो उस कमी को दूर करके इस पुल को बनाया जाए, वर्ना उत्तर और दक्षिण बिहार में यह अन्तर बना रहेगा।

**श्री केदार पाण्डे :** नेगेटिव उत्तर नहीं आया है, पोजिटिव उत्तर आया है। जो साईट सदाकत आश्रम की तरफ थी, उसको उन्होंने एम्प्रव् नहीं किया है। जो रोड ब्रिज बन रहा है, उससे 200 मीटर डाउन करेंट की साइट को उन्होंने एम्प्रूव किया है।

**श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** धन्यवाद। लेकिन दीघाघाट वाला साईट अच्छा था। पटना से बक्सर और पटना से मोकामा तक गाड़ियों की बहुत कमी है। गाड़ियों की कमी की वजह से लोग सुपरफास्ट गाड़ियों की भी जंजीर खींच कर उतर जाते हैं। ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि वहां पैसेंजर गाड़ियां अधिक चलाई जायें और समय पर चलाई जायें। यदि वे समय पर नहीं चलेंगी, तो फिर वही हालत होगी।

आरा, बिहटा और पटना शहर स्थित राजेन्द्रनगर में यात्रियों के आने-जाने की सुविधा के लिए रोड ओवरब्रिज की आवश्यकता है। शायद वह स्वीकार भी हो गया है। अब इस काम को शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए। पटना में एक ही ब्रिज है, जिससे लोग आते-जाते हैं। इससे लोगों को बहुत असुविधा और क्षति होती है।

कर्मचारी जीवन भर रेलवे में काम करने के बाद जब रिटायर होते हैं, तो उनके परिवार के एक भी आदमी को नहीं लिया जाता है। यह अच्छा नहीं है। यह आवश्यक है कि जिस रेलवे कर्मचारी ने अपना पूरा जीवन रेलवे की सेवा में लगाया है, उसकी रिटायरमेंट पर उसके परिवार के एक सदस्य को तो कम से कम सेवा में लिया जाये। इस बारे में बहुत दिनों से विचार हो रहा है। हम चाहेंगे कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में निर्णय लें।

प्रति-दिन गाड़ियों में लूट-पाट, डकैतियों और हत्याओं की खबरें मिल रही हैं, लेकिन सरकार ने ऐसी घटनाओं की रोक-थाम के लिए अभी तक कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया है। इस बारे में लड़ाई और सख्ती से कदम उठाये जाने चाहिएं। नहीं तो इससे आगे आने वाले दिनों में भारी खतरा होने वाला है।

पटना से हावड़ा के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है। लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि वहां एक सीधी गाड़ी चलायी जाय। लोकल गाड़ियां जो चलती हैं उसमें न पंखा होता है और न कोई और सुविधा होती है। पाखाना इतना गन्दा रहता है कि दुर्गन्ध के मारे उस डिब्बे में बैठना मुश्किल होता है। इसलिए लोकल गाड़ियां में सुधार किया जाय।

पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल में हम चाहते हैं कि कुल्हड़िया और नेऊरा स्टेशनों पर प्लेटफार्म को ऊंचा कर दिया जाय क्योंकि वहां यात्री बहुत ज्यादा संख्या में चढ़ते उतरते हैं। उनकी सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि इन स्टेशनों पर प्लेटफार्म को ऊंचा कर दिया जाय। कोइलवर कपीसाथ और कुल्हड़िया में एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वहां इस पुल की आवश्यकता है जिससे कि दुर्घटनाएं न हों। कोइलवर में तो यह बहुत जरूरी है। बगल में सोन नदी पर पुल है और लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है।

सोन नदी पर एक रेलवे का पुल बना हुआ है। वह बहुत पुराना हो गया है। अंग्रेजों के समय का ही बना हुआ है। जैसी कि हमको खबर मिली है, उसमें कई खामियां हैं। यदि उस पर तुरन्त कोई कार्यवाही नहीं की गई तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोइलवर का जो पुल है या तो उसकी अच्छी तरह से मरम्मत हो या इसको नये और आधुनिक ढंग से बनाया जाय।

पटना जिले में बिहटा से अनुग्रहनारायण रोड तक एक नई रेलवे लाइन की योजना बनायी जानी चाहिए। यह इलका बहुत ही सघन कृषि का इलाका है और इन लोगों को काफी कठिनाई होती है। एक नयी लाइन वहां बनाने की आवश्यकता है।

कुछ दिनों पहले जब मंत्री महोदय पटना स्टेशन पर गए थे और वहां एक आम सभा थी तो उसमें उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि पटना में एक जोन वह स्थापित करेंगे। बिहार में रेलवे का एक जोन आवश्यक है। अभी कलकत्ता में उसका मुख्य कार्यालय है। बिहार के लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। यहां बिहार में काफी रेलवे लाइन्स हैं। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहां एक जोन वह बनाएं।

आरा से छपरा को एक बड़ी लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है। यदि यह काम हुआ तो बहुत फायदा इससे होगा। सीधे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का रास्ता खुल जायगा। यह बहुत ही अच्छा है। उसमें सिर्फ यह है कि गंगा पर पुल बनाना होगा और उसमें खर्च तो होगा लेकिन लाभ बहुत होगा।

सीताराम पुर पटना मोगलसराय लाइन के विद्युतीकरण की तुरन्त आवश्कता है। आप ने किया भी है। इसके लिए आप को बधाई है।

दानापुर मंडल में आरा और बिहटा दो बड़े स्टेशन हैं। इनकी हालत बहुत खराब। इन स्टेशनों को आधुनिक ढंग से बनाने की जरूरत है। उस पर अच्छी तरह से सोच विचार करने की आवश्यकता है।

रेलवे में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जाली टिकट बेचने वालों का तांता लगा हुआ है। अभी हाल ही में अखबारों में आया था कुछ समय पहले कि जाली टिकट बेचने वाले पकड़े गए

और वह जेल में हैं। वह जमानत पर छूट गए हैं। लेकिन उन पर ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि इस तरह का काम आगे न चले। इससे बहुत घाटा हो रहा है। बहुत जगहों पर जाली टिकट चल रहे हैं।

रेलवे में खान-पान की व्यवस्था दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस बात को यहां पर कहा है। इसलिए इसमें सुधार लाने की बड़ी आवश्यकता है।

आपने सोनभद्र एक्सप्रेस चलाई है। यद्यपि आपने इसका सोनभद्र नाम रखा है लेकिन आप इसको सोन वाले इलाके में रोकते नहीं हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सोनभद्र एक्सप्रेस को सोनभद्र के इलाके में, आरा में रोकने की व्यवस्था करें।

पूर्व रेलवे में वालंटियर असिस्टेन्ट बुकिंग क्लर्क कार्यरत है जिन्हें एक रुपया प्रति घंटा दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप उनको स्थायी रूप से रख लीजिए क्योंकि वे रेलवे एम्पलाईज के लड़के वगैरह ही हैं। मेरा आग्रह है आप यह अवश्य करें।

आपकी दस हजार किलोमीटर रेलवे लाइन खराब है। इसके कारण एक्सीडेन्ट्स भी ज्यादा होते हैं। आप उसको ठीक करवाने की व्यवस्था करें। यदि आप उसको ठीक करवा लेंगे तो काफी लाभ होगा।

इतना कहने के बाद में पुनः प्रस्तुत रेल बजट का घोर विरोध करता हूं।

**श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (आमालापुरम)** : श्रीमान मैं सदन के दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों की बात सुन रहा हूं जो रेलवे किराये व भाड़े में वृद्धि के बारे में गम्भीर सन्देह व्यक्त कर रहे है।

अब मैं इस के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। सम्पूर्ण एशिया में हमारी रेलवे प्रणाली सबसे बड़ी है। प्रायः हमारी जनसंख्या का सातवां भाग रोजाना हमारी रेलगाड़ियों में यात्रा करता है जो सम्पूर्ण देश में लगभग 60,000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। सरकारी स्वामित्व वाली बड़ी रेलों में रूस के बाद हमारा दूसरा स्थान है। इस राष्ट्रीय उद्यम में 17 लाख लोग काम करते हैं और विश्व में एक संगठन के अन्तर्गत यह सबसे बड़ी संगठनों में से एक है। अपनी रेलवे प्रणाली की इन विशेषताओं का उल्लेख करने का कारण यह है कि भौगोलिक फैलाव रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई, कुल प्रचालन तथा कर्मचारियों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए हम इस संगठन की दक्षता को अलग से नहीं माप सकते यह हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था तथा सम्पूर्ण समाज से जुड़ी हुई व्यवस्था है। यह संगठन हमारी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हमारी समग्र अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाले कारण रेलवे प्रणाली को भी समान रूप से प्रभावित करते है। वास्तव में जिस गति से हमारी रेलवे प्रणाली में सामग्री की लागत में वृद्धि हुई हैं उसी गति से विभिन्न रेलवे प्रणाली में किराये व भाड़े में वृद्धि नहीं हुई है। विशेष रूप से 1966 के बाद से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। परिणाम यह हुआ है कि हम रेलवे लाइनों की मरम्मत उनके रख-रखाव तथा विशेष रूप से हमारी रेलवे प्रणाली के विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दे सकते

है । इसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण प्रणाली इस विचार से लाभप्रद नही बनी है कि हमारी रेलवे लगाई गई पूंजी पर लभांश देने के लिए पर्याप्त धन राशि अर्जित नहीं कर सकती है । इसके अतिरिक्त, रेल प्रशुल्क जांच समिति ने अप्रैल 1980 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय दो विचार व्यक्त किये थे पहला विचार यह है कि रेलवे लाईनों की मरम्मत उनके रख-रखाव तथा विशेष रूप से हमारी रेलवे प्रणाली के विस्तार के लिए निर्धारित धन-राशि पर्याप्त नहीं थी । दूसरा विचार जो उतना ही महत्वपूर्ण विचार है, यह है कि हमारी रेल प्रणाली की वित्तीय दशा तभी सुधारी जा सकती है जबकि किराये तथा भाड़े में पर्याप्त वृद्धि की जाए । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी रेल प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के विचार से इस उद्देश्य पर जोर दिया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन हो और आखिरकार आम आदमी का हित हो । किराये व भाड़े में अधिक वृद्धि करने के लिए कारण होते हुए भी हमारे रेल मंत्री ने रेल यातायात के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को न छुते हुए प्रशासनीय नियंत्रण रखा है । उदाहरणार्थ, उप-नगरीय रेल यातायात के लिए मासिक सीजन टिकटों की वर्तमान दरों में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं किया गया है । इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता के सभी छात्रों को बम्बई के छात्रों के समान मासिक सीजन टिकटों में 33-1/3 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की और छुट दी गई है । यह अत्यधिक संतोषजनक बात है कि असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से आने तथा जाने वाले सारे माल यातायात के भाड़े पर 6 प्रतिशत की छुट देने का सराहनीय प्रस्ताव हैं । जब मैं इन राज्यों में एक संसदीय समिति के सदस्य के रूप में गया तो मैंने उन में भेदभाव तथा उपेक्षा की भावना पायी इस प्रकार की छूट का उनकी बिगड़ी अर्थव्यवस्था तथा वहां पर चल रहे आन्दोलन के विचार से बड़ा स्वागत है । यदि यह छट 6% से बढ़ा कर 10% कर दी जाती है तो मुझे खुशी होगी । इसके अलावा यह बहुत अच्छी बात है कि रेल मंत्री ने कुछ आवश्यक वस्तुओं के उदाहरणार्थ घरेलू उद्देश्य के उपभोग के लिए नमक, काठ कोयला ईधन पर 15% अधिभार से छुट दे दी है । यहां पर मैं माननीय मंत्री महोदय के सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए एक सुझाव देना चाहूंगा । नमक पर पूरी तरह से छूट दी जाए क्योंकि यह सबसे सस्ता है और सीजनल उपज है जिसमें पिछड़े वर्गों तथा कमजोर वर्गों के लाखों लोग अपनी जीविका के लिए काम पर लगे हुए है । इस पर पूर्ण रूप से छूट दिये जाने की अपेक्षा की जाती है । एक और वस्तु है जिसमें लाखों महिलायें अकुशल श्रमिक अपनी जीविका के लिए काम पर लगे हुए है । यह नारियल का रेशा तथा नारियल धागा है । वास्तव में, रेल टैरिफ जांच समिति ने नारियल के रेशे पर इस अधिकार से छूट के लिए पुरजोर सिफारिश की है । अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने से पहले मैं यात्री किराये में कमी करने के लिए रेल टेरिफ जांच समिति द्वारा व्यक्त विचार को प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

"यात्री सेवाओं के मामले में सामान्य दूसरे दर्जे के यात्रियों से मिलने वाले राजस्व से इस सेवा को प्रत्यक्ष लागत पूरी होनी चाहिए और मेल तथा एक्सप्रैस सेवाओं से प्राप्त राजस्व से न केवल उनकी पूर्णतः वितरित लागत पूरी होनी चाहिए बल्कि सामान्य सेवा में होने वाली कमी को भी पूरा करना चाहिए ताकि यात्री सेवा समग्र रूप में कुल लागत के अपने हिस्से को पूरा कर

सकें। अब इस विचार से मैं माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो दूसरे दर्जे की यात्रा पर 10% अधिभार लगाया गया है जिससे 150 किलोमीटर तक की यात्रा को छूट दी गई है, यह अधिभार बिल्कुल हटा दिया जाए। दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले लोग तभी यात्रा करते है जब यात्रा करना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य होता है उनकी वित्तीय स्थिति के विचार से यह छूट अवश्य दी जाए।

संसद की प्राक्कलन समिति के 69 वें प्रतिवेदन में साफ तौर पर इस प्रकार बल दिया गया है :

"पिछड़े तथा सघन आबादी वाले क्षेत्रों में रेल सम्पर्क स्थापित करने से तथा उपयुक्त संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने से उनके विकास तथा राष्ट्र की संतुलित प्रगति में भारी मदद मिलेगी।"

यह सुझाव इस तथ्य को देखते हुए दिया गया है कि यदि वहां के लोगों को देश के दूसरे भागों से नहीं जोड़ा जाता तो उनमें भेदभाव तथा उपेक्षा की भावना उत्पन्न होती है जिसके परिणामस्वरूप लोग धीरे-धीरे महानगरों में आने लगते हैं। इससे अधिक मुसीबतें पैदा हो जाती है। इसलिए रेल लाइनों के बढ़ाने की नीति रेल सम्पर्कों के संतुलित विकास पर आधारित होनी चाहिए। वास्तव में अंग्रेजों ने सुविधा तथा लाभ की नीति का अनुसरण किया और उन्होंने कभी रेलवे को राष्ट्रीय एकता का साधन नहीं समझा। मुझे डर है कि हमारी रेलवे अभी तक उसी नीति का अनुसरण कर रही है। आखिरकार हमारी रेलवे राष्ट्रीय एकता के लिए है न कि लाभ के लिए है। इसलिए राष्ट्र का संतुलित विकास रेलवे के संतुलित विकास पर आधारित है और घन ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए, मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा कि रेलवे लाइनों को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने के लिए भारतीय रेलवे लाइनों के संतुलित विकास की तत्कालिक समस्या के अध्ययन को तुरन्त हाथ में लेना चाहिए। इसलिए इस समस्या का अध्ययन करने के लिए रेल लाइन विस्तार समिति का गठन किया जाए। वह समिति हमारी रेल लाइनों के संतुलित विकास के लिए विशेष रूप से सुझाव देगी।

अब मैं अपने क्षेत्र से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण समस्या की चर्चा करता हूं तथा अपनी इस समस्या के समर्थन में रेल टैरिफ जांच समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश प्रस्तुत करता हूं :

"जब भी संभव हो, वर्तमान मार्गों को उनके साथ दोहरे तथा तेहरे मार्ग बनाने की बजाय वैकल्पिक मार्गों तथा उप मार्गों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।"

मैं आंध्र प्रदेश के अपने पूर्वी गोदावरी जिले का उदाहरण दे रहा हूं। राजमुन्द्री में कुछ वर्ष पहले एक रेल सड़क यह पुल का पुराने रेल पुल के सामान्तर निर्माण किया गया। यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और यह बिलकुल औचित्यपूर्ण है। निर्मित सड़क यह रेल पुल वर्तमान पुराने पुल का प्रतिस्थापक है। परन्तु हाल में निःसंदेह पुराने पुल को बदल कर करोड़ों रुपये लगाकर एक अन्य पुल का निर्णय लिया गया है।

मेरा प्रश्न है कि दोहरी लाइन बिछाना सदैव लाभदायक है। परन्तु रेलवे टैरिफ जांच समिति द्वारा व्यक्त विचारों की दृष्टि से हमें वर्तमान लाइन को दोहरी या तेहरी बनाने के स्थान पर वैकल्पिक मार्गों तथा उपमार्गों को वरीयता प्रदान करनी चाहिये। मैं यह महसूस करता हूं कि यदि वही रकम, यदि आवश्यक हो तो इसमें थोड़ी और राशि मिलाकर, पूर्ण कोना सीमा द्वीप, जो आलमपूरन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है और जिसकी 10 लाख उपेक्षित लोगों से अधिक की जनसंख्या है, पर खर्च करके मुख्य रेल लाइन से जोड़ा जा सकता है। दूसरे रेलवे पुल के लिए निर्धारित धनराशि को आलमपुरम के जोड़ने के लिए कोटी पल्ले में सड़क व रेल पुल के निर्माण में सरलता से ले लगाया जा सकता है। 1928 से 1940 तक का किनाडा से कोटी पल्ले तक एक रेल लाइन हुआ करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे अंग्रेजों ने हटा दिया था। अंग्रेज सदा सुविधा तथा लाभ के रास्ते का अनुसरण करते थे। उन्होंने कभी राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में नहीं समझा। जिस क्षण उद्देश्य पूरा हो गया तो उन्होंने रेल लाइन को हटा दिया।

मैंने हटायी गयी रेल लाइन के बारे में कुछ संगत जानकारी मांगी और दक्षिण मध्य रेलवे के प्राधिकारियों ने मुझे तुरन्त जानकारी भेजने की अति कृपा की थी। मैं माननीय रेल मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए कुछ संगत तथ्य पढ़ रहा हूं। मैं नई लाइन के लिए कुछ दलील पेश नहीं कर रहा हूं। वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुये रेल उप मंत्री महोदय ने कहा कि धन राशि की अड़चनों के कारण वे नई लाइनों का कार्य शुरू नहीं कर सकते हैं। परन्तु मैं नई लाइनों का मामला तैयार नहीं कर रहा हूं। मैं हटाई गयी लाइन को पुनः चालू करने का मामला तैयार कर रहा हूं जिसे न्यूनतम लागत से शुरू किया जा सकता है। दक्षिण मध्य रेलवे प्राधिकारियों द्वारा दिये गए नोट से संगत तथ्य इस प्रकार है :

(1) काकीनाडा से कोटीपल्ले तक की हटाई गई लाइन की दूरी केवल 40 कि० मी० है।

(2) अधिकांश पुश्ते बरकरार स्थिति में बताए गए हैं।

(3) अधिकांश भूमि अभी तक रेलवे के पास है।

(4) काकीनाडा तथा कोटीपल्ले के बीच की हटाई गई रेल लाइन की पुनः डालने की लागत केवल 6 करोड़ रुपये आएगी।

(5) सही-सही लागत का अनुमान केवल सर्वेक्षण करने के बाद ही लगाया जा सकता है।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से तुरन्त सर्वेक्षण करने के आदेश देने के लिये अनुरोध करना चाहूंगा। यदि सर्वेक्षण हो जाता है हटाई गई लाइन पर कार्य शुरू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि राजामुन्दी में दूसरे रेल पुल के लिये निर्धारित धनराशि आलामपुरम को

जोड़ने के लिये कोटीपल्ले में एक सड़क-रेल पुल निर्माण करने के लिये लगा दी जाती है तो कोना सीमा के उपेक्षित सारे 10 लाख लोगों को सुविधा जनक स्थान से मुख्य लाइन से जोड़ा जा सकता है और उन्हें बाकी देश से मिलाया जा सकता है। इस प्रकार दूसरी रेल लाइन फिर से राजामुन्द्री से जाने की बजाए इसे काकीनाडा से कोटि-पल्ले के रास्ते से आलमपुरम को तथा वहां नानकेपुर को होते हुए मुख्यलाइन से जोड़ा जा सकता है।

उसके बाद, पिछले रेल बजट में माननीय रेल मन्त्री महोदय ने एक महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया था कि रेलवे के कुशल संचालन के लिए महत्वपूर्ण बात कर्मचारियों के सहयोग की है। रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लगभग 3,13,000 कर्मचारी है॥ यह सबसे बड़ा उपक्रम है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। रेल मन्त्रालय ने अनुसूचित जातियों तथा/ अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के आरक्षित कोटे को मूर्त रूप देने के लिये सभी संभव उपाय किये हैं। परन्तु नियंत्रण के बारे में गंभीर कमियां हैं।

जब स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र रेल मन्त्री थे, तब उन्होंने इस सभा में राष्ट्रीय स्तर पर एक सेल की व्यवस्था करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा था। जिसमें तैनाती के अवसर केवल रेलवे बोर्ड तक ही सीमित न रह कर किसी भी रेल मंडल के कर्मचारियों के लिये भी उपलब्ध थे। रेलवे बोर्ड में राष्ट्रीय स्तर पर एक सेल है, जो उचित ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद प्रणाली बदल गई तथा सेल में तैनाती के अवसर केवल रेल बोर्ड के कर्मचारियों तक नियंत्रित कर दिये गये। इससे वर्तमान वेतन-क्रमों की अवनति आयेगी। अतः हम विभिन्न मंडलों के सभी कर्मचारियों को अवसर देने में असमर्थ हैं। सेल केवल रेलवे बोर्ड तक ही सीमित नहीं है। यह राष्ट्रीय स्तर का सेल है। इस त्रुटि को तत्काल ठीक किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री ने अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति को एक और वचन दिया था कि बम्बई तथा कलकत्ता में प्रभारी अधिकारियों के क्रमशः दो पद बनाये जायेंगे तथा उनमें से एक अनुसूचित जाति तथा दूसरा अनुसूचित जन जाति का होगा। कलकत्ता में कार्य प्रभारी अधिकारी अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है जबकि वित्तीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है। पद अनुसूचित जाति से संबंधित है। दो क्रेश कार्यक्रमों के दौरान इन अधिकारियों ने सेवा में बैक लाग समाप्त करने के लिए प्रशंसनीय कार्य है। इस दोष का तत्काल निवारण करना चाहिए ताकि सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान का प्रभावशाली तथा उचित कार्यान्वय किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री को ऐसा प्रगतिशील बजट लाने के लिये बधाई देता हूं और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस रेल बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं क्योंकि यह बढ़ते हुए मूल्यों में और वृद्धि करने जा रहा है। कुल मिलाकर

यह हमारी अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालेगा। जो थोड़ा बहुत लाभ वित्त मन्त्री ने मध्य-वर्गीय कर्मचारियों को दिया है उसे रेल मंत्री द्वारा बढ़ाए गए टिकट प्रभारों के द्वारा वापस ले लिया जाएगा अतः, लोगों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी तथा यह बजट वास्तव में जन-विरोधी बजट है। सताधारी दल के सदस्यों ने भी यही विचार प्रकट किया है कि किराए में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वे भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं।

कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में, मैं रेल मंत्री का भाषण सुन कर भौंचक्की रह गई। वे कह रहे थे कि रेलवे में कर्मचारियों के सम्बन्ध पूरे साल स्नेहपूर्ण रहे हैं। इस पर मुझे एक कहावत याद आती है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसूरी बजा रहा था। संसद के समक्ष रखी गयी आर्थिक समीक्षा रेल मंत्री के वक्तव्य को (व्यवधान) अस्वीकार करती है। आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ 70 के पैरा 4 के अनुसार :

"औद्योगिक अनुशासन, में पर्याप्त कमी आयी है। लगातार आन्दोलनों और धीरे काम करो से कार्य तथा उत्पादकता में काफी प्रभाव पड़ा है।"

जब 30,000 लोको कर्मचारी हड़ताल पर थे और स्टेशन मास्टर अपनी मांगों पर जोर देने के लिए अनुपयुक्त वर्दियों को जलाने के लिए बोट कलब पर एकत्र हुए थे, तो यह कहना निर्दयता की चरमसीमा होगी कि रेल कर्मचारियों के बीच संबंध सद्भाव पूर्ण थे। (व्यवधान)।

सवारी डिब्बा तथा माल डिब्बा कर्मचारियों, वाच एंड वार्ड कर्मचारियों, व्यवसायिक लिपिकों, कार्यालय लिपिकों, टिकट जांच कर्मचारियों तथा दूर संचार कर्मचारियों द्वारा 1980 के दौरान आन्दोलन किए गए। संसद के समक्ष कई याचिकाएं थीं। वे लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन पड़ी हैं तथा मेरा विचार है कि उन्होंने याचिकाओं को याचिका समिति को भेज दिया है। वे उनके पास विचाराधीन पड़ी हैं। ऐसा इसलिए है कि एक तिहाई कर्मचारियों के लिए अपनी शिकायतों पर खुले आम विचार-विमर्श करना संभव नहीं है। रेल मन्त्रालय के साथ विचार-विमर्श करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है।

हमारा रेल मंत्रालय न्यायालय के निर्णयों का भी आदर नहीं करता है। पालघाट मंडल में सहायक स्टेशन मास्टरों का वेतन कनिष्ठ अधिकारियों के वेतन से बहुत कम है। इसलिए चार सहायक स्टेशन मास्टरों ने रेलवे बोर्ड को उनके वेतन को कम-से-कम कनिष्ठ अधिकारियों के वेतन के बराबर लाने का अनुरोध किया था। परन्तु उन्होंने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे न्यायालय में गए। तब न्यायालय ने उन्हें वेतनमान संशोधित करने के लिए कहा। कनिष्ठ अधिकारियों का वेतन घटा दिया गया। दोनों को पुनः न्यायालय में जाना पड़ा था और उन्होंने कहा था कि यह बात ठीक नहीं है। न्यायालय ने वेतनमानों में संशोधन करने के लिए आदेश दिए। परन्तु रेलवे बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। उन्हें पुनः न्यायालय में जाना पड़ा। मामला पिछले एक वर्ष से न्यायालय में विचाराधीन है। रेलवे बोर्ड न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन तक की परवाह नहीं कर रहा है। वे इस मामले में लापरवाह हैं।

अधिकरण के निर्णयों का क्या हुआ ? जबकि बातचीत चल रही है और विवाद औद्योगिक अधिकरण के विचाराधीन है, तब भी अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जा रहा है। वास्तव में ऐसा ही हो रहा है।

पिछली बार जब मैंने भाषण किया था तब ठेके पर काम करने वाले मजदूरों का उल्लेख किया था। मुझे रेल मन्त्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि ठेका श्रमिकों को नियमित सेवा में समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे केवल ठेके पर काम करते हैं। अतः हम उन्हें नियमित सेवा में लेने में असमर्थ हैं। यह उनका उत्तर है। परन्तु क्या ठेके पर काम करने वाले श्रमिक रेलवे में निविदा श्रमिक अधिनियमन के अधीन आते हैं। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहती हूं कि क्या ठेके पर काम करने वाले मजदूर इन निविदा श्रमिक उन्मूलन अधिनियमों द्वारा प्रकाशित होते हैं। इन श्रमिकों में से किसी को भी निविदा श्रमिक उन्मूलन अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा है।

वे यह शिकायत क्यों करते हैं कि आप उन्हे इन शब्दों में उत्तर क्यों देते हैं कि वे ठेका श्रमिक कानूनों के अधीन आते हैं। परन्तु इन कानूनों से इन गरीब लोगों को लाभ नहीं पहुंचा है।

श्रीमान, मेरे पास विस्तार में जाने का अवसर नहीं है। रेल मन्त्री ने इन गरीब लोगों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर रखा है। इस प्रकार का युद्ध समाप्त होना चाहिए। यदि आप देश का प्रशासन अच्छी तरह चलाना चाहते हैं तो श्रमिकों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री ए० के० गोपालन ने विपक्ष के नेता के रूप में, दिए गए अपने पहले भाषण में कहा था राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत के लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। अब आप कह रहे हैं कि रेलवे बजट रेल कर्मचारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। (व्यवधान)।

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :** रेलवे कर्मचारी हमारे कार्मिक हैं। हम उनके साथ उचित व्यवहार कर रहे है। हम आम लोगों में से ही हैं। हम वस्तुस्थिति लोगों के समक्ष रख रहे हैं।

**श्रीमती सुशीला गोपालन :** लोको कर्मचारियों की मांग क्या है ? 1967 से वे ही मांग कर रहे हैं कि आप उनके कार्य के समय को वर्तमान 14 घंट की सीमा से घटायें। 1973 में उनके कार्य के समय को घटाकर 12 घंटे किया गया था तथा 10 घंटे करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उसके लिए उन्हें हड़ताल करनी पड़ी। जब वे शिकायत करते हैं तब उन्हें दण्ड दिया जाता है। अब आपने जुम्बू वैगनें जारी की हैं। इन गरीब रेल कर्मचारियों को 14 से 16 घटे निरन्तर कार्य करना पड़ता है। यदि वे काम बन्द करते हैं तो आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। यदि वे शिकायत करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इसलिए जब लोग कुण्ठित होते हैं तब वे हड़ताल करते हैं। स्वतन्त्रा के 34 वर्ष बाद यह स्थिति है। श्रीमान, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता।

रेलवे क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरकार के पास रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। हमारे जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए नीति क्या होनी चाहिए ? आपकी नीति अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने की होनी चाहिए। परन्तु आप तीसरी और चौथी पीढ़ी के संगणक को कम्प्यूटरों का उपयोग करने जा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व आपने दूसरी पीढ़ी के संगणको का प्रयोग आरम्भ किया था परिणाम स्वरूप 10000 व्यक्ति प्रभावित हुए थे।

**श्री सी० के० जाफर शरीफ :** मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि संगणकों के उपयोग में लाये जाने से कोई छटनी नहीं की गई थी। हम उन्हें अन्य रोजगार दे रहे हैं तथा उसके लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम उन्हें यथासंभव अच्छी तरह अन्यत्र खपा रहे हैं। संगणकों के चालू होने से किसी की छंटनी नहीं की गई उसके लिए किसी को भी सेवा से अलग नहीं किया गया।

**श्रीमती सुशीला गोपालन :** यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप रोजगार के अधिक अवसर दे सकते हैं। इन तीन वर्षों में 10% अधिक कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते थे। जबकि आप देखते हैं कि आपकी नीति के कारण लाखों व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल सका।

श्रीमान, आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल की उपेक्षा की गई है। इस बजट में भी वही बात दोहराई गई है। केरल के बारे में रेल बजट में कोई नया प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान वर्ष में अलप्पी लाइन के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ? केवल 2 करोड़। कुल राशि कितनी है ? केवल 7 करोड़। 1983 के लगभग आप काम पूरा करना चाहते हैं। यह किस प्रकार संभव है ? अगले वर्ष आपका विचार 4 करोड़ रुपए आवंटित करने का है। यह जनता को उल्लू बनाने का कार्य है ; हमें इसमें विश्वास नहीं है। हमें इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि इस परियोजना में अधिकाधिक विलम्ब किया जाएगा। आपने केरल के लोगों की संतुष्टि के लिए दो सर्वेक्षणों का आदेश दिया है अपने प्रतिवेदनों में आपने कहा है कि सर्वेक्षण किए जायेंगे। परन्तु इस सर्वेक्षण के हाथ में लिए जाने की कोई संभावना नहीं है।

**श्री सी० के० जाफर शरीफ :** केरल को आभारी होना चाहिए कि वहां पर बड़ी लाइनें विस्तृत रूप से विद्यमान हैं।

**श्री पी० के० कोडियन (अडूर) :** मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पूरी रेलवे लाइन मीटर गेज की है।

**श्रीमती सुशीला गोपालन :** यह सच है कि मेरे राज्य में रेलवे लाइनों का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था। आप उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। फिर मेरे राज्य में वर्कशाप खोलने के बारे में आपने कुछ नहीं किया है। इस समय केरल में एक भी वर्कशाप नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करती हूं कि राज्य का दौरा करें तथा स्थिति का स्वयं अध्ययन करें। रेलवे स्टेशनों तक सड़कें नहीं हैं। कई मामलों में तो रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए दो फर्लांग तक

भी चलना पड़ता है. सड़कों का रख रखाव दुरी दशा में है। निःसन्देह आप यह कहेंगे कि सड़कों का निर्माण राज्य सरकार करती हैं।

श्रीमान, आपको पता चलेगा कि केरल में बिजली पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है। परन्तु बजट में केरल की रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। शुरू में आप कम से कम एक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण क्यों नहीं करते।

फिर वैगनों के आवंटन के बारे में प्रतिदिन हमें मंत्री महोदय से मिलना पड़ता है। फिर बीड़ी बनाने के पत्ते उड़ीसा से लाने पड़ते हैं और यह उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। हमने कई बार उन पत्तों को लाये जाने के लिए वैगनों की मांग की थी। परन्तु स्थिति में सुधार नहीं आया फलस्वरूप बीड़ी के पतों का मूल्य बढ़ गया है।

**श्री सी० के० जाफर शरीफ :** हमने कार्यवाही की है।

**श्रीमती सुशीला गोपालन :** टाइल उद्योग में परिवहन सुविधाओं के अभाव में लाखों लोग बेरोजगार पड़े हैं। टाइलों के परिवहन के लिए विशेश प्रकार के वैगनों की आवश्यकता होती है है। अब हम वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। परन्तु हम चावल के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर करते हैं।

**श्री सी० के० जफर शरीफ :** आप कर्मचारियों को कार्य करते रहने का परामर्श दें ताकि उत्पादन बढ़े तथा वस्तुएं आप तक पहुंच सकें।

**श्रीमती सुशीला गोपालन :** आपको उनका सहयोग मिलेगा। आपको ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अब हमें कई राज्यों से चावल लेना पड़ता है। प्रश्न उसे राज्य में लाये जाने का है। चावल के पुराने मूल्य में 1/3 वृद्धि हो चुकी है। हम अपनी जनता को 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल देने के लिए वचनबद्ध है। और हम अपना आश्वासन पूरा करेंगे।

एक अन्य बात मैं कहना चाहता हूं कि केरल वासी विभिन्न उद्योगों में सरकारी तथा निजी उद्योगों में कार्य करते हैं जोकि पूरे देश में फैले हुए हैं। इन व्यक्तियों को प्रति वर्ष अपने मूलस्थान केरल आने में कठिनाई होती है। इस बारे में मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि अहमदाबाद से चलने वाली नवजीवन एक्सप्रेस में कुछ सवारी डिब्बे और जोड़ें ताकि केरलवासी अपने घर जा सकें। जयपुर से भी मुझे मलयाली संघ के लोगों से पत्र प्राप्त हुआ है। वहां के रहने वाले मलयाली लोग भी उसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि वहां से कम से कम पांच सवारी रेल डिब्बे केरलवासियों के लिए एक्सप्रेस गाड़ियों से जोड़े जायें ताकि उन्हें नागपुर से केरल जाने में कठिनाई न हो। उनके लिए यात्रा करना बहुत कठिन है। ये सब गौण बातें हैं। परन्तु सरकार की इन मामलों में भी बहुत ही लापरवाही है और इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हमारा यही अनुभव सही है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करती हूं कि इन सभी मामलों पर ध्यान दें तथा आवश्यक कार्यवाही करें। जैसा कि मैंने कहा, केरल राज्य की उपेक्षा समाप्त होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करती हूं।

**श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा)** : वैस्टर्न रेलवे का जो डिविजन है उसमें जो जिले पड़ते हैं, जो इलाका पड़ता है वह बहुत बेकवर्ड है। वहां ज्यादा से ज्यादा लाइनें बिछाई जानी चाहिए। हम बराबर इसके बारे में निवेदन करते आ रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया हैं। मेरा पहला सुझाव यह है कि वैस्टर्न रेलवे जो घाटे वाली रेलवे नहीं है और बहुत ज्यादा मुनाफा देती है इसका सैपेरेट जोन बनाया जाए। ऐसा किया गया तो नई लाइनें बिछ सकेंगी और इस बैकवर्ड एरिया का बहुत तेजी से विकास हो सकेगा। इस मीटर गेज का अलग जोन वैस्टर्न रेलवे का बनाया जाना चाहिये जिसमें राजस्थान मध्य प्रदेश और कुछ इलाका गुजरात का हो। इसके बारे में हम बराबर निवेदन करते रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इससे इस पिछड़े हुए इलाके की उन्नति हो सकेगी।

वैस्टर्न रेलवे और नार्दर्न रेलवे राजस्थान में से होकर गुजरती हैं। दोनों की पब्लिक सर्विस कमिशंज अलग अलग हैं। एक की बम्बई में और दूसरी की इलाहाबाद में है। राजस्थान तथा अन्य प्रान्तों को इससे बहुत घाटा होता है। वहां के लोगों को निश्चय तौर पर नहीं लिया जाता है। जहाँ पर हैडक्वार्टर होता है, पी एस सी होती है वहीं के लोग ले लिए जाते हैं और दूसरे प्रान्तों के लोगों को आने का मौका नहीं मिलता है। बम्बई वैस्टर्न रेलवे के एक किनारे पर है और वहीं पी एस सी का हैडक्वार्टर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रान्तों के लोगों को भर्ती होने का अवसर नहीं मिलता है मेरा सुझाव है कि वैस्टर्न रेलवे की पी एस सी का हैडक्वार्टर अजमेर किया जाए ... जोकि बीच में पड़ता है और इससे सब लोगों को लाभ मिल सकता है।

नार्दर्न जोन का जो हैड़क्वार्टर है इसको या तो बीकानेर में या जोधपुर में रखा जाए ताकि यहां के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा भरती के अवसर मिल सकें। वैस्टर्न रेलवे का जो नया जोन बने उसको अजमेर या जयपुर में स्थापित किया जाए।

हम दस बारह साल से अहमदाबाद और दिल्ली को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की मांग करते आ रहे हैं। इसके अभाव में जो ट्रासशिपमेंट की दिक्कत होती है, सामान को इधर उधर ले जाने की जो दिक्कत होती है और उसमें जो बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है उससे बचा जा सकेगा। ब्राडगेज न होने की वजह से उद्योगपति भी यहां उद्योग स्थापित नहीं करते हैं। इस वजह से राजस्थान तथा अन्य इलाके पिछड़ गए हैं। और ब्राड गेज हो जाए तो पिछड़े हुए क्षेत्र काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में पिछली बार भी मैंने कहा था। तब कहा गया था कि यह मामला प्लानिंग कमिशन में पड़ा हुआ है। 10, 12 साल हो गये प्लानिंग कमीशन में और उस पर रेल मंत्रालय तथा प्लानिंग कमीशन कोई निर्णय नहीं लेते जिसकी वजह से सारा का सारा इलाका पिछड़ा हुआ रह गया है और जिस प्रकार का वहां विकास होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। इसलिये नितांत आवश्यक है कि रेल मंत्री जी

इसकी कोशिश करें और प्लानिंग मिनिस्टर से बात कर के इस ओर ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दिलायें ताकि इस रेलवे लाइन की वहां स्वीकृति हो और सारे क्षेत्र का विकाश हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए।

आपने टोडा रायसिंह से नाथद्वारा, कोटा से देवगढ़ और लाम्बिया से व्यावर रेलवे लाइन के सर्वे की स्वीकृति दी है जिसके लिये आपके हम अभारी हैं। मगर यह सर्वे सालों तक न चले, बल्कि एक साल के अन्दर इसका सर्वे पूरा हो जाना चाहिये। क्योंकि आपने माना है कि राजस्थान का भीलवाड़ा, चितौड़, ठोंक और उदयपुर जिले यह सारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है जिसका निश्चित रूप से डेवलपमेंट होना चाहिये। इसीलिये आपने दोनों लाइनों के सर्वे की स्वीकृति दी है। मगर सर्वे होने के बाद निश्चित रूप से इस क्षेत्र की तरक्की के लिए इन लाइनों को जल्दी से जल्दी बिछाकर वहां के लोगों को राहत पहुंचायें। हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपने सर्वे की प्रार्थना स्वीकार की है उसी प्रकार से इन लाइनों को बिछाने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे।

एक और मांग है और रेल मंत्री महोदय ने भी सुबह कहा था कि राजस्थान कैनाल के पैरलल रेलवे लाइन बिछायी जाय। क्योंकि राजस्थान कैनाल एक नैशनल प्रोजेक्ट है जिसका फर्स्ट फेज पूरा हो गया है, लेकिन सेकेन्ड फेज बनने में कठिनाई आ रही है क्योंकि न सीमेंट और न कोयला पहुंच पाता है और इसके कारण इतना बड़ा प्रोजेक्ट सालों से रुका हुआ है। राजस्थान कैनाल का सेकेन्ड फेज तीसरी और चौथी योजना काल में पूरा हो जाना चाहिए था, मगर छठी योजना में भी राजस्थान कैनाल पूरी नहीं हुई है। उसका मुख्य कारण यह है कि वहां रेलवे की व्यवस्था नहीं है। अगर राजस्थान कैनाल के पैरलल रेलवे लाइन बिछा दी जाए तो उससे कैनाल भी जल्दी बन सकेगी और हम अपने डिफेंस का मसला भी हल कर सकेंगे। क्योंकि राजस्थान कैनाल बौर्डर लाइन पर जायगी, रेलवे लाइन हो जाने से अपने डिफेंस को मजबूत बना पायेंगे तथा मिलिट्री को भी जल्दी से जल्दी पहुंचा सकेंगे तथा उनके लिए आवश्यक साधनों को भी जल्दी पहुंचा सकेंगे। इसलिये हमारे लिए, डिफेंस के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए यह नितांत आवश्यक है कि कैनाल के पैरलल रेलवे लाइन जल्दी से जल्दी बिछायी जाय, इस की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाय ताकि हम अपनी सारी व्यवस्था को मजबूत बना सकें।

जयपुर से सवाईमाधोपुर तक बड़ी लाइन बिछा दी जाय। यहां आज मीटर गेज लाइन है जिसके कारण काफी कठिनाई पड़ती है और वहां का विकास नहीं हो पा रहा है। सवाईमाधोपुर से लेकर कोटा बूंदी, झालावाड़ तक सारे इलाके में लाइम स्टोन के भंडार हैं और इस कारण पांच साल के अन्दर निश्चित तरीके से 15, 20 सीमेंट के कारखाने वहां लगने वाले हैं। अगर यहां बड़ी रेल लाइन हो जाती है तो सीमेंट के कारखानों से होने वाले उत्पादन को हम देश के कोने-कोने तक आसानी से भेज सकेंगे और हमारी जो विकास की गति रुकी हुई है सीमेंट के अभाव में उसको भी पूरा कर सकेंगे।

हमने कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में भी कहा है। पर किन कारणों से इस लाइन को स्वीकृति नहीं दी यह समझ में नहीं आता। मैं फिर निवेदन करूंगा कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर से सवाईमाधोपुर के बीच में बहुत ही विकसित क्षेत्र है तथा बड़े-बड़े उद्योग यहां लगे हुए हैं इसलिए बड़ी लाइन से अगर जयपुर को मिला दिया जाता है तो उस क्षेत्र का बहुत विकास होगा और तेजी से उद्योग बढ़ेंगे। इसलिए यह लाइन ब्राडगेज में परिवर्तित कर दी जाय, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा।

मैं एक बात मीनाक्षी ट्रेन के बारे में कहना चाहता हूं जो अजमेर से काछीगुड़ा चलती है और हफ्ते में दो दिन चलती है। और कोई फास्ट ट्रेन अजमेर से काछीगुड़ा खंडवा के लिए नहीं है। बारबार निवेदन किया है, कंसल्टेटिव कमेटी में भी कहा है, लेकिन जवाब मिला है कि लोड बहुत है, इसलिए संभव नहीं है कि इसे रोजाना में कर दिया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में इसके अलावा और कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, इसको डेली कर दें तो वहां के पेसेन्जर्स को ज्यादा लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र को ज्यादा तरक्की का अवसर मिलेगा।

मैंने भीलवाड़ा स्टेशन के बारे में भी निवेदन किया था। यह एक लाख की आबादी का शहर है। जब पहले स्टेशन बना था तो मुश्किल से यहां की आबादी 5, 7 हजार थी, लेकिन उसमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल 40, 50 फुट का एक शैड जरूर बनाया गया है।। लाख की पापूलेशन के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, जो साधन होने चाहियें, उनको पूरा कराना जरूरी है, एक छोटा सा वेटिंग रूम वहां बना रखा है, उसमें 50, 40 फुट का शैड है। यह सारे स्टेशन को कवर नहीं करता है, अन्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मेरी मंत्री जी से दरख्वास्त है कि वह इस सम्बन्ध में जरूर तय करें।

भीलवाड़ा एक इंडस्ट्रियल टाउन भी है, तरह तरह की इंडस्ट्रीज वहां पर बराबर सैट होती जा रही हैं, इसलिए इस स्टेशन को माडर्नाइज करने और डैवलप करने के लिए मेरा ख्याल है माननीय मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे। इससे वहां के बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पब्लिक और दूसरे मजदूरों को भी सुविधा मिल सकेगी।

इसी तरह गुलाबपुरा और रायला स्टेशन भी उसी क्षेत्र में पड़ते हैं, उनको भी पूरा स्टेशन बनाने के लिए कहा था। वहां भी दो-दो तीन-तीन इंडस्ट्रीज हैं लेकिन वहां फ्लेग स्टेशन ही बना रखे हैं, उसकी वजह से लोडिंग और अन-लोडिंग में हर प्रकार की कठिनाई होती है। बराबर निवेदन करने के बाद भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब भी निवेदन करते हैं, आप भी कह देते हैं कि हम पूरी सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन कोई भी सुविधा वहां नहीं है। इसलिए इनको पूरा स्टेशन बनाया जाए। यह दोनों मंडियां हैं, इससे इस क्षेत्र को ज्यादा लाभ मिल सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। हमें उमीद है कि माननीय रेल मंत्री, जिन्होंने सर्वे की व्यवस्था की है, वह इन छोटी-छोटी मांगों पर निश्चित तरीके से कार्यवाही करेंगे।

मेरा एक छोटा-सा सुझाव और है, जिसको पहले भी मैंने कहा था। आपने सैकिंड क्लास पर सरचार्ज लगाया है, 150 किलोमीटर तक इसे छोड़ दिया है। मेरा कहना है कि सैकिंड क्लास में गरीब लोग सफर करते हैं, आपने जो 10 परसेंट सरचार्ज लगाया है, इसमें कुछ रियायत देने की कृपा करें, क्योंकि गरीबों के प्रति आपके दिल में कुछ हमदर्दी है। इसी के साथ साथ फ्रेट पर जो आपने 15 परसेंट सरचार्ज लगाया है उसको भी किसी तरीके से कम करने की व्यवस्था करें।

लोको के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की हड़ताल के बारे में आपने बहुत मजबूती से उसे फेस किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन इस बात को भी देखिए कि रेलवे में जो तोड़फोड़ करने वाले संघ हैं, वह सी० पी० एम० के द्वारा चलाये जाते हैं, यह जार्ज फर्नान्डीज की यूनियन है। इस प्रकार की यूनियन को अगर बढ़ावा मिलता है, तो उससे हमारी रेलवे की प्रापर्टी को नुकसान होता है। आपने देखा है कि जार्ज साहब ने कितनी रेल लाइनें उडाई हैं और किस तरीके से उन्होंने सैकड़ों आदमियों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसी यूनियन को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो निश्चित तरीके से हमारी रेलवे को कभी लाभ नहीं मिल सकता है।

मुझे अच्छी तरह याद है कि 1974 की जो रेलवे की हड़ताल हुई थी, उसमें रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से काम किया, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय नहीं था। जो रेलवेज के लायलिस्ट्स थे, जिन्होंने उस खतरे में रेलवे को मजबूत बनाने के लिए काम किया, जबकि लोग-बाग उन्हें जान से मार सकते थे, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। लेकिन जिन अधिकारियों ने जार्ज फर्नान्डीस की यूनियन के साथ मिलकर उस हड़ताल को मजबूत बनाने के लिए काम किया, उनको प्रोत्साहन मिला। जो लोग हमारी मदद करते थे, जिन्होंने चौबीस चौबीस घंटे काम करके रेलें चलाई, उनको किसी प्रकार प्रोत्साहन नहीं मिला। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बढ़ोत्तरी मिलनी चाहिए, पदोन्नति मिलनी चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। जो लोग रेलों में तोड़-फोड़ करते हैं, उनको प्रोटेक्शन न मिले। जो लोग रेलवे को मजबूत बनाना चाहते है, उनका ख्याल मंत्री महोदय के दिलो-दिमाग में होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में रेल-बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री के० मायातेवर** (डिन्डगल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सभी उपस्थित सदस्यों को अवसर दूंगा।

**श्री के० मायातेवर** : मैं बजट का स्वागत करता हूं। परन्तु मैं न केवल तमिलनाडु राज्य की अपितु पूरे भारत की जनता की ओर से कुछ रियायतों की मांग करता हूं। रेलों का न्यूनतम

व्यय से अधिकतम कार्य कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। यही बात हम समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक वक्तव्यों में पढ़ सुन रहे हैं। रेल मंत्री से एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं। हम नई लाइनों के निर्माण के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। हम मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने एवं लाइनों को डबल करने का भी अनुरोध करते रहे हैं। रेलों के सुधार के लिए ये तीन प्रस्ताव हम करते हैं ताकि लोगों को परिवहन की सुविधायें उपलब्ध हो सकें। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन तीनों प्रस्तावों को यथाशीघ्र क्रियान्वित करें ताकि लागत भी कम की जाये। क्योंकि कई बार लागत दुगुनी, तिगुनी तथा चौगुनी भी हो जाती है। इन प्रस्तावों के शीघ्र कार्यान्वयन का कार्य राष्ट्र के हित में है तथा मैं रेल मन्त्री तथा सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि संबद्ध अधिकारियों को आदेश दिये जायें कि वे इसे अधिकतम कार्य कुशतला एवं न्यूनतम व्यव पर राष्ट्रहित में कार्यान्वित करें।

तमिलनाडु के लोग पिछले 25-30 वर्षों से कारूर-डिन्डिगुल तूतीकोरिन तक एक बड़ी रेल लाइन की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तथा द्रुमुक के सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है तथा मंत्री महोदय राज्य मंत्री महोदय तथा हमारी माननीय प्रिय नेता, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से भी यह सुनकर हमें अतीव प्रसन्नता हुई है कि सरकार इस नई रेल लाइन की छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा करना चाहती है। अतः मैं मांग करता हूं, पुनः प्रार्थना एवं आग्रह करता हूं कि इस काम को अग्रता दें क्योंकि इससे न केवल तमिलनाडु को अपितु पूरे क्षेत्र का औद्योगिक विकास संभव होगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसका कार्यान्वयन छठी योजना में पूरा किया जाये।

हम तिरुनेलवेली से कन्याकुमारी तक बड़ी लाइन को भी सम्मिलित किये जाने की मांग करते रहे है। मन्त्री महोदय हंस रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि किस लिए मैं इसकी मांग कर रहा हूं। यह लाइन कुल 159 किलोमीटर है तथा इसमें से 128 किलोमीटर तमिलनाडु में है और शेष 31-किलोमीटर केरल में है। यदि यह लाइन सम्मिलित करली जाती है तो तमिलनाडु को आर्थिक विकास करना संभव होगा। जिसकी मांग करना तमिलनाडु के लोगों का न्याय संगत अधिकार है। भौगोलिक दृष्टि से भी हम काश्मीर को कन्या कुमारी के साथ मिलाने की बात करते हैं कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और भारत का दक्षिण छोर है। हमारी यह मांग न्याय संगत है। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक आधार पर भी हमें इस नयी लाइन की मांग करने का अधिकार है जिसे मुदुरै डिवीजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मन्त्री महोदय मद्रास गए थे तथा मेरे नेता कलिंगार करूणानिधि से मेरे सामने मिले थे। मंत्री महोदय को यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं वकील हूं। मैं उसका साक्षी हूं तथा उन्हें मुझे न्यायालय में जाने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। निःसंदेह हम गवाही देने न्यायालय में नहीं जा रहे हैं। यह बात नहीं है। परन्तु मैं इस तथ्य का साक्षी हूं कि राज्य मंत्री महोदय मद्रास आये थे उन्होंने तमिलनाडु के लोगों को आश्वासन दिया था कि सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी तथा नेल्लाई—कुमारी लाइन को मदुरै डिवीजन में सम्मिलित करेगी।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैंने वचन दिया था कि पिता और माता को इकट्ठा रहना चाहिए।

श्री के० मायातेवर : जब तक उनका तलाक नहीं होता मां-बाप सदा इकट्ठे रहने चाहिएं जब तक कोई कठिनाई न हो, बहुत से बच्चों को जन्म देना तथा देश के लिए गम्भीर समस्या पैदा करना, यह एक मित्र मामला है। हम तलाक के लिए न्यायालय में नहीं जायेंगे।

वर्तमान मंत्री के पूर्ववर्ती मंत्री ने भी मुझे, मेरे दल के नेताओं को तथा तमिलनाडु के संसद सदस्यों को इसे मदुरै डिवीजन में सम्मिलित करने का वचन दिया था। राज्य मंत्री महोदय जानते हैं। कि तमिलनाडु में एक सप्ताह अथवा 10 दिन से गाड़ियां नहीं चल रहीं हैं। वे उन हड़ताली रेल कर्मचारियों को शान्त करने गये थे, जोकि अपनी न्यायसंगत मांगों के लिए हड़ताल कर रहे थे। इसलिए आपको तमिलनाडु के लोगों को इस नयी लाइन की मांग के मामले में पुनः हड़ताल करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यह तमिलनाडु की मुख्य लाइन है। मेरा अभिप्राय है कि डिन्डीगुल कारुर लाइन तमिलनाडु एवं दक्षिण भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण लाइन है। जैसे कि आपने हमारे नेता केलिगांर करुणानिधि को बचन दिया था, इसे मुदुरै मंडल में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

आप बीच-ताम्बरम विद्युत लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का वचन देते रहें हैं। मद्रास दक्षिण जोन के अधिकारियों ने, जिनके साथ हमारी बातचीत हुई थी, हमें बताया है कि उन्होंने रेलवे बोर्ड तथा सरकार को इस मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर विचार करने की सिफारिश की है। परन्तु रेल मंत्री के भाषण से मुझे दुःख हुआ है कि सरकार अधिकारियों से बदलने तथा सर्वेक्षण के प्रस्ताव प्राप्त करेगी। मुझे दक्षिण जोन के महाप्रबन्धक तथा अन्य अधिकारियों ने भी दो सप्ताह पूर्व मद्रास में बताया था कि इसका सर्वेक्षण पहले ही हो चुका था तथा उसे बड़ी लाइन में बदलने के बारे में प्रतिवेदन सरकार को भेजा जा चुका है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मामले पर यथाशीघ्र विचार करें क्योंकि मद्रास की आबादी अति सघन है तथा वर्तमान मीटर गेज लाइन तमिलनाडु की परिवहन की मांग को पूरा करने में असमर्थ है।

हमारे रेल विभाग ने बंबई कलकत्ता तथा अन्य नगरों में महानगरीय रेल विकास के लिए केवल 50 करोड़ रुपए रखे हैं। रेल विभाग द्वारा किये जाने वाले इतने भारी कार्य के लिए इतनी राशि बहुत कम है। मद्रास के लिए हम महानगरीय लाइन के विकास के लिए दीर्घकाल के लिए मांग करते आ रहे हैं। सरकार मद्रास महानगर के लिए महानगरीय रेल को क्रियान्वित करने का वचन देती रही है। परन्तु मुझे खेद है कि उसे इस वित्तीय वर्ष में अथवा छठी योजना में नहीं लिया गया है। मेरा सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने तथा अधिक धन आवंटित करने का अनुरोध है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मद्रास नगर के लिए भी महानगरीय परियोजना की व्यवस्था की जाये और अधिक धन आवंटित किया जाये।

ऐसा लगता है कि विश्व बैंक के अधिकारी मद्रास में एक और इंटेग्रल कोच फैक्टरी की स्थापना करने के प्रस्ताव का स्वयं अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु गये थे उन्होने मद्रास में एक और आई०सी०एफ० की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के अधिकारी मद्रास के पर्यावरण से संतुष्ट थे। परन्तु तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं केरल के लोगों को बधाई देता हूं कि उनके दो मुख्य मंत्री हैं एक मुख्य मंत्री तो मद्रास में है तथा दूसरा उनके राज्य में। मेरे मुख्य मंत्री केरल की सहायता कर रहे हैं। मेरी केरल के लोगों के प्रति कोई जलन नहीं है। परन्तु उन्हें धोखा नही···*।

तमिलनाडु की जनता ने उन्हें मत देकर सत्ता सौंपी है। उन्होंने तमिलनाडु के लोगों को धोखा दिया और उनके कल्याण के विरुद्ध कार्य किया। कांग्रेस आई और डी.एम.के. के संसद सदस्य तमिलनाडु के लोगों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। इसलिए कृपया आप तमिलनाडु में एक और आई०सी०एफ० की स्थापना करने का विचार करें। आपको तमिलनाडु सरकार की ओर नहीं देखना चाहिए। हम अनभव करते हैं कि तमिलनाडु में राजनीतिक रूप से विख्यात व्यक्ति हमारा नेतृत्व नहीं कर रहा है। वह राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है।

पूर्वी रेलवे में 6 नीजि स्वामित्व वाली रेलें हैं जिनका राष्ट्रीयकरण आजादी के 34 वर्ष बाद भी नहीं हुआ है। इन छः कम्पनियों को सरकार द्वारा शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने का यह उचित अवसर है।

तथ्यों और आंकड़ों के अनुसार रेलवे में 15 लाख कर्मचारी स्थायी तौर पर काम कर रहे हैं।

श्री केदार पांडे : 17½ लाख स्थायी कर्मचारी।

श्री के० मायातेवर : आपकी रिपोर्ट के अनुसार 23½ लाख कर्मचारी अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। खलासी अब भी अस्थायी तौर पर काम कर रहे है। कुछ कर्मचारी 25,30 वर्षों से काम कर रहे हैं। आई. सी. एफ. के स्टोर विभाग के कर्मचारियों ने मुझे एक याचिका दी है। जिसमें कहा गया है कि वे 25 वर्षों से काम कर रहें हैं लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया है और उनकी मूल वरियता निश्चित नहीं की गयी है। मैं मंत्री महोदय से उनके मामले पर विचार करने और उन्हें स्थायी करने का अनुरोध करता हूं ताकि उन्हें सेवानिवृति के समय कुछ लाभ मिल सकें। मान लो उनमें से कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके परिवारों को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी।

मुझे भाड़े के दरों के बारे कोई शिकायत नहीं है। मैं मंत्री महोदय से केवल इतना ही अनुरोध करता हूं कि वे द्वितिय श्रेणी के किराये को कम करने पर विचार करें जिसमें 10

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

प्रतिशत की वृद्धि की गयी है और इस प्रकार गरीब पिछड़े तथा मध्य वर्ग के लोगों को राहत दें। रेलों में बहुत सी दुर्घटनायें हो रही हैं इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए हम पिछले 25 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि प्रत्येक आरक्षित फाटक पर हमें गेट कीपर तैनात करने चाहिए। यद्यपि सभी संसद सदस्य तथा नेता इसकी मांग करते आये हैं, फिर भी इस बारे अभी तक नहीं हो पाया है।

हर क्षेत्र में लोग लेवल-क्रासिंग चाहते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी लोग लेवल क्रासिंग की मांग कर रहे हैं। लेकिन रेलवे हर लेवल क्रासिंग के लिए 40,000 रुपए की मांग करती है। इतनी बड़ी राशि का औचित्य क्या है? स्थानीय पंचायतें 40 से 50 हजार रुपए की राशि नहीं दे सकती। आप या तो कुछ रियायतें करें या राज्य सरकार पर इस व्यय को पूरा करने के लिए दबाव डालें। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, द्रमुक तथा कांग्रेस दल के सदस्य राज्य सरकार को रजामंद नहीं कर सकते क्योंकि इस सरकार को कोई दूसरा दल चला रहा है। अतः अधिक लेवल-क्रासिंग बनाकर हम अपने चुनाव क्षेत्र की सहायता नहीं कर सकते। कृपया इस बारे में हमारी सहायता करें।

अब मैं डिंडीगुल में ऊरी पुल बनाने के सुझाव पर आता हूं जो मुख्यालय है और मदुराई के बाद तमिलनाडु का एक बड़ा शहर है। जब हमने रेलवे बोर्ड को लिखा तो उनसे यही उत्तर आया कि वे 50 प्रतिशत व्यय करने के लिए तैयार हैं बशर्ते राज्य सरकार शेष 50 प्रतिशत व्यय करने के लिए सहमत हों। जब मैंने इस बारे राज्य सरकार को लिखा तो उनकी ओर से मुझे कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ संसद सदस्यों, विधायकों अथवा अन्य जन प्रतिनिधियों के पत्रों का उत्तर न देना तामिलनाडु सरकार की परम्परा ही है। चूंकि हमारे पास इस समस्या का समाधान करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं मांग करूंगा कि राज्य सरकार को तमिलनाडु के उन सभी ऊरी पुलों को बनाने के लिए निदेश जारी किया जाये। जिससे कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके आपको हर खुली लेवल क्रासिंग पर गेट कीपर भी नियुक्त करने चाहिये।

आई० सी० एफ० में 14000 कर्मचारी हैं और वे हर वर्ष 750 कोच बनाते हैं जिससे 35 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। आपका यह एकक बहुत ही लाभदायक कार्य कर रहा है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि अधिक कोच का निर्माण करने के लिए उन्हें अधिक राशि दी जाए ताकि हम अधिकाधिक निर्यात करके अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमा सकें।

अब रामेश्वरम को केवल एक ही गाड़ी जाती है। हमें इस बात का भय है कि यह गाड़ी कहीं बंद न कर दी जाये ऐसी आशंका है कि रेलवे इस गाड़ी को बंद कर रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसे बंद न करें क्योंकि रामेश्वरम जाने वाली यही एक गाड़ी है। आप रामायण तथा रामेश्वरम का महत्व जानते ही हैं।

**श्री केदार पांडे** : क्या उस गाड़ी को बंद कर दिया गया है?

**श्री के० मायातेवर** : रेलवे इसे बंद करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि रामेश्वरम जाने वाली यही एक गाड़ी है, इसलिए रेल मंत्री इसे बंद नहीं करेंगे।

**श्री के० मायातेवर** : अभी तमिलनाडु एक्सप्रेस सप्ताह में तीन बार दोनों तरफ चलती है। संसद सदस्य तथा तामिलनाडु के लोग मांग करते आये हैं कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उसे रोजाना चलाया जाये। इसी तरह के० के० एक्सप्रेस को भी रोजाना चलाया जाये।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का नाम भी बदल कर भारती एक्सप्रेस रखा जाये। इसके लिये कोई खर्च नहीं होगा। ऐसा क्रांतिकारी राष्ट्रीय कवि का आदर करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : तमिलनाडु के सुब्रामणियम भारती के नाम पर।

**श्री के० मायातेवर** : भारतीधर एक राष्ट्रीय कवि है। उनकी कविताओं का अनुवाद सभी भाषाओं में हो चुका है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप कौन सा नाम चाहते है ? भारती एक्सप्रेस ?

**श्री के० मायातेवर** : जी हां, भारती एक्सप्रेस।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमारे मंत्री जानते हैं कि वे एक राष्ट्रीय नेता हैं।

**श्री के० मायातेवर** : मैं बजट का समर्थन करता हूं। मैं बजट का स्वागत करता हूं और मंत्री को अनेक योजनाओं के कुशलतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए बधायी देता हूं। साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि उन्हें तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों के लोगों के लिए कुछ अधिक काम करना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री कृष्ण प्रताप सिंह अपना भाषण दें मेरा अनुरोध है कि हर माननीय सदस्य 5 मिनट का समय लें। हमें सभा को कम से कम 8 बजे स्थगित करना होगा।

**श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज)** : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं — 4-5 घन्टे इन्तजार के बाद आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया। ठीक इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, हर को एन० ई० रेलवे में चढ़ने के लिए इन्तजार करना पड़ता है। कभी भी स्टेशन जाने पर गाड़ी समय से नहीं मिली। परन्तु इस बात के लिए मुझे खुशी है — मैं इस बात के लिए रेल मंत्री जी को बिशेष रूप से धन्यवाद

देना चाहता हूं — कि बाराबंकी, लखनऊ से लेकर सोनपुर तक आपने उस लाइन के मान-परिवर्तन का काम तेजी से कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, उत्तर बिहार के रहने वाले सभी लोग आप को हृदय से धन्यवाद देते हैं और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उस लाइन का मान-परिवर्तन हो जाने के बाद हरी झण्डी दिखा कर आप हमें दिल्ली से लेकर समस्तीपुर तक बड़ी लाइन की गाड़ी में चढ़ने का अवसर देने वाले है।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे के सम्बन्ध में काफी अच्छे-अच्छे सुझाव आये हैं। मैं नहीं समझता हूं कि उन सुझावों के बाद कोई विशेष चर्चा करने की आवश्यकता है या कोई विशेष सुझाव देने की आवश्यकता है। लेकिन मैं दो बातों की और माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे भी माननीय मंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। जब वे बिहार राज्य के मुख्य मंत्री थे, उस समय विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपनी कार्यक्षमता और दक्षता से जिस काम को अपने हाथ में लेंगे विशिचित रूप से उस को पूरा करेंगे। उस समय, उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में परीक्षायें बहुत भारी चिन्ता का विषय थीं, उनमें काफी अनियमिततायें होती थी, लेकिन आप के आने के बाद उन पर ऐसा नियन्त्रण हुआ कि आज तक बिहार के लोग मंत्री जी का नाम याद करते हैं। उसी तरह से मेरा आप से अनुरोध है कि आप रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कीजिए। भारतीय रेलें एक ऐसी संस्था है जिस पर हमारे भारतवर्ष की पूरी इकानामी आधारित है, निर्भर करती है। हमारी इकानामी तभी सुदृढ़ हो सकती है जब रेलों की कार्यक्षमता बढ़े, दक्षता बढ़े, इसमें विकास हो। इसी सन्दर्भ में मैं दो बातों की और आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक — मैटीरियल मैनेजमैंट और दूसरा — परसोनल मैनेजमैंट। आप जानते हैं — रेलवे कितनी भारी मात्रा में सामान खरीदता और निर्माण करता है, लेकिन क्या उसका हम सही-सही उपयोग कर पाते हैं,। जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको समय पर पहुंचा पाते है ? नहीं पहुंचा पाते हैं। आज हम बार-बार कहते है कि हमारे पास साधन नहीं है लेकिन जितने साधन हैं उनका उपयोग हम किस हद तक कर पाते हैं ? इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप मटीरियल मैनेजमैंट की तरफ ध्यान दें।

मेरा दूसरा सुझाव — मैन मैनेजमेंट के बारे में है। आपने कहा है कि इस समय रेलवे में 17 लाख लोग काम करते हैं। मैं नहीं समझता कि इस देश में किसी संस्था में इतने लोग काम करते होंगे। आप के बजट भाषण में मैंने देखा कि आपने उनकी सुविधाओं के लिए, मनोरंजन के लिए, खेल के लिए, चिकित्सा के लिए भारी रकम की व्यवस्था की है। लेकिन इस के बावजूद भी क्या कारण है कि हमारे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है ? हमें इसकी गहराई तक जाना होगा। मात्र पैसा बढ़ा देने से, चिकित्सा और मनोरंजन के साधन उपलब्ध करा देने से, मैं नहीं समझता हूं कि उन की कार्यक्षमता में कोई परिवर्तन आयेगा। जब तक रेल कर्मचारियों को एक-सूत्र में नहीं बांधेगे, वे जिस अन्तर को महसूस करते हैं — छोटा कर्मचारी और बड़ा कर्मचारी, बड़ा अधिकारी और छोटा अधिकारी — जब तक इस भावना को नहीं मिटायेंगे, मैं

नहीं समझता हूं कि हम मैन-मैनजमेंट कर पायेंगे तथा जो हमारे 17 लाख कर्मचारी है उनकी शक्ति का भरपूर उपयोग कर पायेंगे — रेलों के चलाने में, माल के ढोने में। इसलिए मैं यह मांग मंत्री महोदय से करूंगा कि आप मैन-मैनेजमेंट के लिए इस तरह की व्यवस्था करें। केवल कुछ अफसरों का तबादला कर देने से या कुछ परिवर्तन कर देने से काम नहीं चलने वाला है जब तक कि ऊपर से नीचे तक आप इस में सुधार नहीं लाते है और मैं जानता हूं और मुझे भरोसा है कि आप इस काम को कर के दिखायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कुछ बातें अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। मेरा हैडक्वाटर महाराजगंज है, जोकि एन० ई० रेलवे पर पड़ता है। आप मान परिवर्तन करने जा रहे हैं मीटरगेज से ब्रोडगेज में लेकिन यह 4 किलोमीटर का टुकड़ा है। महाराजगंज एक बहुत पुराना बाजार है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है। इसके मान-परिवर्तन का प्रस्ताव भी आया था और आपने भी इसके परिवर्तन का निश्चय किया था। मैंने एक पत्र भी पंडित जी को इसके बारे में लिखा था कि इसका मान-परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया था कि इसके निर्देश दे दिये गए हैं कि बाराबंकी से ले कर सोनपुर तक मान-परिवर्तन किया जाए मेरा कहना यह है कि आप दारोदा से महाराजगंज तक मान-परिवर्तन करा दीजिए। सुनने में यह आया है कि यह कहा जा रहा है कि यह अनएकोनोमीकल है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो गाड़ी है, वह ठीक समय से नहीं चलती है। अगर समय से माल नहीं पहुंचेगा, तो फिर इस गाड़ी का उपयोग क्या रहेगा। मेरा यह दावा है कि जो गाड़ी चलती थी, उस का समय ठीक नहीं था और इस वजह से जो गाड़ी से आने-जाने वाले लोग हैं, वे भी उस से नहीं जाते थे। आज भी वह रेल लाइन है और आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश रीजीम से वह रेलवे लाइन है और हमारी मांग यह है कि उसका मान-परिवर्तन मंत्री महोदय करवाएं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री सत्यदेव सिंह ने छपरा और सीवान पर ओवर ब्रिज के लिए कहा है। ये दोनों जिले संयोग से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। दोनों जिलों के बीच से एन० ई० रेलवे जाती है और उस पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए कई बार कहा जा चुका है। मैंने इसके बारे में एक प्रश्न भी किया था और मुझे यह एसोरेंस दिया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर पार्टीसिपेशन हो, तो ओवरब्रिज बना देंगे।

**श्री केदार पांडे :** इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर प्रस्ताव आए, तो उसको बनाने में हमें कोई कठिनाई नहीं है। पैसे की कमी इसके लिए नहीं है।

**प्रो० सत्य देव सिंह (छपरा) :** हम आप से निवेदन करेंगे कि आप इस को बनवा दें।

**श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** ठीक है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे राज्य सरकार से। अब जो मान-परिवर्तन आप करने जा रहे हैं और जो रेलवे की मीटरगेज की लाइन है, आप वहां से कहां ले जाएंगे, *उसका उपयोग कहां करेंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपने ठीक कहा है कि मीटर गेज अनुपयोगी नहीं है।* इसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए मैं यह

आग्रह करूंगा कि आप जो मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तन करेंगे, तो मीटर गेज की जो पटरी है, उसका उपयोग नजदीक में कीजिए। इसी संदर्भ में एक निवेदन और करना चाहूंगा और मैंने इस बारे में पत्र भी लिखा है कि महाराजगंज से मसरिख तक जो लाइन है, इसका विस्तार किया जाए और मीटर गेज की लाइन जो छपरा से गोरखपुर जाती है और वहां शूगर फैक्टरी है, उससे इसको अगर आप कनेक्ट कर देंगे, तो हम समझते हैं कि यह उपयोगी हो जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं कि वारा बंकी से जो सोनपुर तक ब्राड गेज बनाने की बात आप कर रहे है और सीतारामपुर, पटना और मुगल सराय में जो विद्युतीकरण करने का काम आपने हाथ में लिया है, इसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं और पुनः मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

**श्री कमला मिश्र मधुकर** (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी कई घंटे बैठने के बाद आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

रेल बजट में द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए जो वृद्धि की गयी है उसका मैं विरोध करता हूं और अपील करता हूं कि उसके भाड़े में वृद्धि नहीं की जाए। आशा है इस पर मंत्री जी सोचेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने रेलवे में प्रबंध को सुधारने के विषय में काम तो जरूर किया है लेकिन जितना काम किया है उससे रेलवे के आम वर्कर्स में यह प्रेरणा पैदा नहीं हो रही है कि रेलवे राष्ट्रीय सम्पति है और उसके विकास में उनका भी योगदान होना चाहिए। लोकोमेंस ने अपनी हड़ताल तो वापस ले ली है लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गयी हैं। उनकी मांगें पूरी करने की दिशा में भी मंत्री जी काम करें। मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि उनके साथ बदले की भावना से काम नहीं लिया जाए।

वारा बंकी, गोरखपुर, छपरा, सोनपुर, को बड़ी लाइन में कंवर्ट करने में लगे हुए साढ़े सत्तरह हजार कर्मचारियों ने गोरखपुर में प्रदर्शन किया था। मंत्री जी उनकी मांगों पर ध्यान दें। उनकी मांगों के बारे में मैंने आपसे भेंट भी की थी और आपने आश्वासन दिया था कि आप उनकी मांगों को हल करेंगे। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा।

मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद दूंगा कि लगातार 1967 से 1980 तक मैंने जबर्दस्ती रेल बजट पर बोल कर और सभापति जी से विशेष आज्ञा मांग कर यह मांग की है कि मुजफ्फरपुर से बड़ी लाइन नरकटियागंज तक जाए आपने इस बजट में उसके सर्वेक्षण का प्रावधान किया इससे मेरा पुराना चला आ रहा स्वपन साकार हुआ। लेकिन आगे के लिए भी मेरी मांग थी और वह मांग भी मैं उसी समय से कर रहा हूं कि एक ब्रांच लाइन खोली

जाए जो हाजीपुर से बेतिया तक जाए जिसका हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, साहबगंज, केसरिया, अरेराज, पहाड़पुर, हरदिद्धि, नौतन मार्ग हो। यह हमारे ही जिले की मांग नहीं है और न ही हमारे क्षेत्र की ही मांग है। इसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण भी पड़ते हैं यानी पूरा गण्डक कमान एरिया पड़ता है। आपके लिहाज से भी वहां रेलवे लाइन बनाने में आपको कोई घाटा नहीं होगा क्योंकि लालगंज, हाजीपुर और केसरिया व्यापार के केन्द्र है जो कि इस लाइन से संम्बन्धित होते हैं। साथ ही हिन्दुस्तान में प्रथम रिपब्लिक अर्थात प्रथम जनतन्त्र की राजधानी वैशाली जो कि बौद्ध और जैन काल में रही है, वह भी उपेक्षित पड़ा हुआ है। वह भी इस से सम्बन्धित है। आम धर्म पर विश्वास करने वाले हैं। वहां के अरेराज के महादेव के स्थान पर जाने के लिए यात्रियों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है, वह भी इस लाइन से सम्बम्धित है। इसलिए इस लाइन पर ध्यान दीजिए और इसका सर्वेक्षण कराइये।

मेरी आपसे दूसरी मांग है कि मोतीहारी, बेतिया, सोन, नरकटियागंज पर इन क्षेत्रों के लिए जयन्ती जनता में कोटा बढ़ाइये। अभी तक कोटा नहीं है। इससे जयन्ती जनता में जाने वाले यात्रियों को सुविधा हो सकेगी।

मेरी तीसरी मांग है जिसके लिए आपको बार-बार लिखा भी है कि मुजफ्फरपुर से आसाममेल में जो बोगी जोड़ी जाती है उस बोगी की अवस्था बहुत बुरी है। उसको ठीक किया जाए न उसमें पानी, न पाखाने की लाइट की, न पंखे की व्यवस्था रहती है। उसका फाटक भी बहुत खराब रहता है और न उसकी कोई देखभाल करने वाला होता है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए और जो बोगी जोड़ी जाए वह सही बोगी हो।

मेरी चौथी मांग है कि छितौनी पुल के निर्माण में शीघ्रता लायी जाए जिससे चम्पारण और उत्तर प्रदेश का सीधा रेलवे सम्बन्ध हो सके।

मेरी पांचवी मांग है कि जयन्ती जनता को सप्ताह में तीन बार चलाया जाए।

मेरी छठी मांग है कि मोतीहारी में ओवरब्रिज बनाना नितांत आवश्यक है। उसका निर्माण कराइये। मेहसी रटेशन पर रेलवे शेड बनाने की भी परम आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अन्तिम मांग है कि पटना में रोड कम रेल ब्रिज बनाया जाए। यह अकेले उसी क्षेत्र की मांग ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की मांग है। इस मांग को पूर्ण किया जाए। इसी प्रकार मोती हारी स्टेशन को पूर्ण स्टेशन बनाया जाए इससे पूरे चंपारण को लाभ होगा। इससे पूरे चंपारण क्षेत्र की आशाएं पूर्ण होंगी और पूरे चंपारण में आपका यश फैलेगा।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** लगभग 8 माननीय सदस्यों ने बोलना है। मैं चाहता हूं कि आप सब बोल पायें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण रेल बजट है। मैं केवल इतना सुझाव दूंगा कि हर माननीय सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखें ताकि मंत्री महोदय उन्हें नोट करके उनका उत्तर दें। अतः मैं हर सदस्य को अपना भाषण देने के लिए तीन मिनट देता हूं और उन्हें केवल अपने चुनाव क्षेत्र की ही समस्याएं सामने रखनी चाहिये। कृपया मेरी सहायता कीजिए। अब मैं श्री रावत को बुलाता हूं। मैं हर एक को बुलाता हूं। मैं अखिल भारतीय दृष्टिकोण से काम करता हूं।

**श्री ईरा अनवारासु (चिंगलपट्ट) :** मैं तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को प्रकट करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि मेरे मित्र श्री हरिश रावत चर्चा में भाग नहीं ले रहे है। अतः मेरा अनुरोध है कि मुझे कुछ और समय दिया जाये।

मैं यहा रेलबजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। यह कई पहलुओं से बहुत ही सराहनीय बजट है फिर भी मुझे यह कहना है कि रेल मंत्री ने भाड़े और किराये में और वृद्धि की है। इसके बजाय रेल मंत्री को वर्तमान रेल किराये को बनाये रखने पर अधिक ध्यान देना चाहिये था। किराये की दर को बनाये रखकर घाटे के बजट को पेश करके श्रेय लेना आसान है जैसे कि भूतपूर्व रेल मंत्री ने किया था।

लेकिन यहां हमें इस बात की सराहना करनी है कि रेल मंत्री इस बात को मान गये हैं कि 30 प्रतिशत वैगन रूग्णावस्था में रहे। हमें मंत्री महोदय द्वारा दिए गये इस आश्वासन की सराहना भी करनी चाहिये कि उनकी स्थिति सुधारने के लिये उचित कदम उठाये जा रहे हैं।

रेल मंत्री ने जब यह कहा कि तमिलनाडु के लिए कोई परियोजना नहीं है। कोई नई परियोजना स्थापित करने या नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है। बजट में कोई भी प्रावधान नहीं था। इस सभा को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के बाद तमिलनाडु में कोई भी नई परियोजना लागू नहीं की गयी, कोई भी नई रेल लाइन नहीं बिछायी गयी। पिछले अधिवेशन के दौरान भी मैंने ताम्बरम से चिंगलपुट तक दोहरी लाईन के बारे में प्रश्न उठाया था। मुझे बताया गया कि योजना स्वीकार करली गई है और इसके कार्यान्वियन का काम शुरू किया जायेगा।

मुझे यह विश्वास दिलाया गया था कि इस पर शीघ्र विचार किया जायेगा। परन्तु जब मैंने बजट को देखा तो मुझे उसमें कोई प्रावधान दृष्टिगोचर नहीं हुआ। और इसलिए मैं इस बात पर जोर देता हूं कि ताम्बरम से चिंगलपुट तक की लाइन को बिछा दिया जाए।

महाबलिपुरम से कलपक्कम रेल मार्ग पर एक नई रेलवे लाइन के लिए तुरन्त इसी बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए। यह अत्यन्त ही आवश्यक है क्योंकि अन्य रेल यात्रियों के

अतिरिक्त लगभग 50,000 पास धारक चिंगलपुट से लेकर ताम्बरम तक यात्रा करते हैं। पुल तो पहले ही तैयार हो चुके हैं। ताम्बरम से चिंगलपुट रेलवे लाइन को दोहरी करने में न ही तो किसी प्रकार की उलझन भरी प्राक्रिया की और न ही भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस परियोजना के निर्माणकार्य को तुरन्त हाथ में लें।

उत्तर प्रदेश का पहाड़ी प्रदेश भी एक उपेक्षित क्षेत्र है। मैं अपने मित्र श्री रावत की ओर से बोल रहा हूं, चूंकि वे चर्चा में शायद भाग नहीं ले पायेंगे। उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जिलों में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। यह बड़ी विचित्र बात है कैसे लगभग 35 लाख लोगों को रेलों की सुविधाओ से वंचित रखा गया और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में उनकी उपेक्षा की गई। यदि इन दो लाइनों को यथा, टनकपुर-घाट बागेश्वर और रामनगर वाया भीकीसेन-चौखूटिया पर कार्य आरम्भ कर दिया जाए तो वे 35 लाख लोगों की आवश्यकता को पूरा करेंगी। अतः मैं रेल मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वे इन नई रेलवे लाइनों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करें।

मैं रेलों में बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं मेरा सुझाव है कि प्रशासन को प्रभावकारी ढंग से सजग बनाया जाए। महोदय, मन्त्री महोदय को हाल ही में बनीयामबाड़ी में हुई गम्भीर दुर्घटना का पता है। उन अभागे यात्रियों को जो इस विपत्ति का शिकार हुए काफी देर तक कोई चिकित्सा सहायता उपलब्ध न हो सकी। उन्हें लगातार कई घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इन आहत, घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए मद्रास या वेल्लूर से चिकित्सा सहायता आनी थी मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक दुर्घटना- सैल या आपात-सैल हेना चाहिये। यदि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का फासला कहीं अधिक है तब तो इस प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए उनके बीच में एक मेडीकल-सैल स्थापित किया जाना चाहिए। मैंने मद्रास की इन्टिगर्ल कोच फैक्टरी का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया हैं। मैं और कोनम भी गया हूं और मैंने वहां कार्यशाला को देखा है मैंने मद्रास के कैरिज वर्क्स का भी दौरा किया है। वहां पर कामगारों की सोचनीय स्थिति वास्तव में दयनीय है। जो कामगार अग्नि-स्थल के निकट सेवारत हैं उन्हें उपयुक्त, या विशेष अथवा अग्नि-सिद्ध पोशाक नहीं दी जाती है। उन्हें न किसी प्रकार का विशेष भत्ता या ऐसी ही कोई सुविधा दी जाती है। उनकी स्थिति वास्तव में भयानक है। उन्हें कई-कई घन्टे तक कार्य करना पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं, लाभ दिलवाने के लिए कुछ विशेष रुचि लें।

फिर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़-अग्रिम राशि दक्षिण-रेलवे में केवल उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो कि मद्रास की नजर-सीमा के आदिवासी हैं। यह उन्हें नहीं दी जाती है जो नगर की सीमा से बाहर रह रहे हैं। मैंने इसके बारे में महाप्रबन्धक को एक अभ्यावेदन भी दिया था। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे इस पर विचार करें। मेरा उनसे निवेदन है कि जो लोग नगर सीमा से बाहर मद्रास रेलवे इकाइयों में सेवारत हैं और उनको हुई हानि वास्तविक है तो, वे वह इस बात पर ध्यान दें कि उन्हें भी बाढ़-अग्रिम राशि मिले। मंत्री

महोदय से मेरा यही निवेदन है और मैं उनसे विनती करता हूं कि वे इस सुझाव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें क्योंकि वह भी तो समानरूप से भुक्तभोगी हैं।

इसके बाद, महोदय, मैं एक शब्द बोनस के बारे में कहना चाहता हूं। बोनस केवल कर्मचारियों को दिया जा रहा है, यह उन अधिकारियों को नहीं दिया जा रहा है जो उत्पादन-एककों में कार्य कर रहे हैं। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यह सरासर अनुचित है। उत्पादन की साज सम्भाल तो इन एककों में सेवारत अधिकारी ही करते हैं। अन्य कामगारों की तरह उन्हें भी बोनस मिलना चाहिए। अतः मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे इस मुद्दे पर विचार करें।

जब मैंने मद्रास इन्टिगर्ल फैक्टरी का दौरा किया तो मैंने पाया कि वहां बहुत सी चीजें बेकार जा रही थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि रेल-मन्त्रालय किस मूल्य-नीति का पालन करता है। मुझे विश्वसनीय स्रोत से पता चला है कि ऊपरी खर्चे जितने वास्तव में होने चाहिए उनसे कहीं अधिक है। इसीलिए एक कोच की लागत बहुत अधिक पड़ती है। यह बिल्कुल अनुचित बात है और इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह ऊपरी खर्चों को कम करने का प्रयत्न करें और इस प्रकार रेलवे-वैगनों की उत्पादन लागत को कम करें। इस प्रकार विदेशों में सस्ती दरों पर इन वैगनों का विक्रय करके, हम और अधिक विदेशीमुद्रा कमा सकेंगे। अतः उन्हें इस सम्बन्ध में नई मूल्य नीति तैयार करनी चाहिए।

महोदय, अब मैं रेलवे के श्रमिक-संघों की बात करूंगा। दक्षिण-रेलवे में पहले से ही दो मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ हैं और हाल ही में मद्रास में लगभग 5 ऐसे पृथक-पृथक संगठन बन गए हैं जो अपने को श्रमिक-संघ मानते हैं। ये सभी पृथक-पृथक संघ इकट्ठे होकर एक संघ हो गए हैं और उन्होंने अपना नाम दक्षिण रेलवे कर्मचारी कांग्रेस रख लिया है। यह संघ स्वच्छ रेलवे प्रशासन, जनता के कल्याण और रेल-कर्मचारियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। लगभग एक लाख लोग इस संघ के सदस्य बन गए हैं, परन्तु इस श्रमिक संघ को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है। श्री जार्ज फर्नान्डीस की अध्यक्षता वाले श्रमिक संघ को तो आपने मान्यता दे दी है, जो मजदूरों को हिंसा के लिए और सभी प्रकार की गैर-कानून गतिविधियों के लिए सदैव भड़काते रहते हैं। हाल ही में हुई एक बैठक में उन्होंने मजदूरों को बताया कि यदि वे 21 दिन तक काम बन्द कर देते हैं तो सारा देश गतिहीन हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जायेगी। क्या ऐसी बातें करना किसी नेता को शोभा देता है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ों को ही काट डाले ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे नेताओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जो देश हित के विरुद्ध कार्य करते हैं ? लोकतंत्र का यह अर्थ नहीं है कि आपको लोगों को निन्ध कर्मों में लगाने के लिए भड़काने की स्वतन्त्रता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उन्हें इन सभी श्रमिक-संघों के लिए नियम तैयार करने चाहिए। यदि कोई संघ ऐसे अवैध कार्य-कलापों में लिप्त होता है तो उसकी मान्यता शीघ्र वापिस ले लेनी चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संघ की सही मांग पर उसके पक्ष में विचार किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को

पता है कि 1974 में रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण देश को बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार की स्थिति की पुनरावर्ती को रोकने के लिए, अनेक संघों की मान्यता का पुनरीक्षण होना चाहिये। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि श्री जार्ज फर्नान्डीस की अध्यक्षता वाले संघ की मान्यता तुरन्त समाप्त की जाए और दक्षिण रेलवे कर्मचारी कॉंग्रेस के नाम से हाल ही में बने संघ को एकदम मान्यता प्रादान की जाए।

महोदय, मुझे पता चला है कि रेलवे स्टेशनों और प्लेट फार्मों पर गरीब फेरीवालों द्वारा खाने-पीने की चीजों को बेचने के लाइसेन्सों को वापिस लिया जा रहा है और उनके स्थान पर रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर अब इन वस्तुओं को ठेकेदार बेचेंगे। आज इस धन्धे में लगे हुए ऐसे 25,000 गरीब फेरीवाले हैं जो इस छोटे से काम से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। यदि उनके स्थान पर ठेकेदारों को यह धन्धा सोंपा जा रहा है तो इन गरीब लोगों की रोजी-रोटी छीनकर, अमीरों के हाथ में यह व्यवासय दे दिया जायेगा। अतः मैं निवेदन करूंगा कि वर्तमान व्यवस्था को चालू रहने दिया जाए जिससे इस लघु और मामूली व्यवसाय से गरीब फेरीवाले अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।

इस सम्बन्ध में, मेरा निवेदन है कि लम्बी-दूरी की गाड़ियों में दिये जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार होना चाहिए। तमिलनाडु एक्सप्रेस में दिए जाना वाला भोजन बिल्कुल बेकार होता है। मैं नहीं जानता कि उन लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई जो इन गाड़ियां में इस प्रकार का निकृष्ट भोजन देने के लिए जिम्मेवार हैं। मुझे पता चला है कि कई वर्षों से एक ही ठेकेदार इन गाड़ियों में इस भोजन की पूर्ति के काम को करता चला आ रहा है और इसलिए उसके द्वारा सप्लाई किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में बहुत कमी आई है। मेरा यह सुझाव है कि हर दो या तीन वर्ष बाद ठेकेदार को बदल देना चाहिये। उसी ठेकेदार को भोजन सप्लाई का काम अधिक समय के लिए नहीं सौंपा जाना चाहिए। अन्यथा वह करेंगे कि इन्हें इस व्यवसाय में बने रहने के लिये वे किसी न किसी ढंग से नौकरशाहों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करते रहेंगे और इस प्रकार बिना रोक-टोक के घटिया किस्म का भोजन सप्लाई करते रहेंगे। इसलिये इन गाड़ियों में सप्लाई किये जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार करने के लिये, दो या तीन वर्षों में एक बार अनुबन्ध को बदला जाना चाहिये।

महोदय, अपने मित्र के जी० टी० एक्सप्रेस को भारती एक्सप्रेस नाम देने के सुझाव का मैं समर्थन करता हूं। जी० टी० एक्सप्रेस को भारती एक्सप्रेस नाम दिया जाना चाहिए। महोदय जैसा कि आप भली-भांति जानते हैं तमिलनाडु एक्सप्रेस शुरू से ही पूरी क्षमता का उपयोग करते हुये चल रही है। आजकल यह गाड़ी मद्रास और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन बार चलती है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कृपा करके इस गाड़ी को दैनिक कर दें जिससे तमिलनाडु एक्प्रेस में स्थान प्राप्त करने के लिये मन्त्रियों को कई दिन तक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं और रेल मन्त्री महोदय को इसके लिए बधाई देता हूं। मैं नहीं जानता कि वे मेरे सुझावों पर विचार करेंगे या नहीं। इसके बावजूद

भी जिन विभिन्न सुझावों को मैं रखना चाहता था उनकी ओर उनका ध्यान दिलाना मेरा कर्त्तव्य था। मैं उन्हें ऐसा अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं।

**श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपको ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि देर से ही सही, लेकिन आपने मुझे समय दिया है, मैं अपनी बात को जल्दी ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा क्योंकि जैसी मुझे व्यग्रता थी, वैसी हमारे मित्रों को भी होगी।

मैं सर्वप्रथम इस रेल बजट पर, जो हमारे रेल मंत्री श्री पांडे जी ने प्रेजेन्ट किया है, उनको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने रेल बजट बहुत अच्छा प्रेजेन्ट किया है। जब से उन्होंने रेल मंत्रालय का प्रभार लिया है, मैं ऐसा सहसूस करता हूं कि रेलवे के काम में काफी प्रगति है और सुधार हो रहा है।

रेल मंत्री ने जो अपना भाषण दिया है, जो बजट में समावेश किया है, उससे ऐसा लगता है कि उनका ध्यान रेल के हर विभाग की ओर गया है, वह हर चीज में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। बजट और उनकी स्पीच के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ सारे इन्फ्रा-स्ट्रक्चर की ओर उनका ध्यान है और उन्होंने पूरी मजबूती से काम करना शुरू किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं, वह एक कर्मठ और एफीशियेन्सी क्रिस्ट करने की मेटेलिटी के व्यक्ति हैं। मैं अपनी ओर से पांडे जी को धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही जो रेलवे के प्रशासन में गोलमाल करने वाले लोग हैं, वह आपके सामने सदन में कुछ बोलते हैं और बाहर जाकर गोलमाल कराते हैं। पांडे जी ने इस बारे में जो सख्त रास्ते का अविलम्बन किया है, इसका भी मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और आश्वासन देता हूं कि हमारा उनको सहयोग प्राप्त होगा।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं 2, 4 सुझाव भी देना चाहता हूं।

एक तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा है कि रेलवे के एम्पलाईज की हाउसिंग की प्राबलम है, मैं चाहता हूं कि उनको रिपीट न करूं। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस बात को सदन के सामने रखा है। इस हाउसिंग की प्राबलम को सोल्व करने के लिए हमारे आदरणीय मंत्री जी का ध्यान है और इस बारें में जो उनको फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज हैं, उनको दूर करने के लिए वह को-ओपरेटिव बनाना चाहते हैं। को-आपरेटिव्ज के सिद्धान्त में ये विश्वास करते हैं। मैं चाहूंगा कि को-आपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करके हाउसिंग की प्राबलम को हल करें, इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो बैंक से भी लोन मिल सकेगा।

इसके अलावा बड़ी-बड़ी बातें इस हाउस के सामने कही गई हैं। एक तरफ विरोध-पक्ष के भाई कटु आलोचना करते हैं किराये और माल-भाड़े में वृद्धि की और दूसरी तरफ वही इस बात की चर्चा करते हैं कि रेलवे के एम्पलाईज, जो कि लगभग 17 लाख और ढाई लाख कैजुअल हैं, लगभग 20 लाख लोग है वह इससे वेतन पाते है और 20 लाख ही नहीं इससे भी बहुत ज्यादा

संख्या है उन लोगों की जो भारत के जन-जीवन में रेलवे के काम से, दूसरे बिजनेस से और दूसरे तरीकों से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। जब इसमें किराये की वृद्धि होती है तो वह एफीशियेन्सी की मांग करते हैं, वे चाहते हैं कि जो काम करने वाले है, उनको सुविधाएं बढ़ें, उनकी तनख्वाहें बढ़ें, बोनस ज्यादा मिले। जब रेलवे के बजट में कहीं देखते हैं कि वृद्धि हुई है तो कहते हैं कि यह बड़ा गलत बजट है, यह जनता का शोषण करने वाला बजट है। लेकिन उनकी आलोचना के बारे में मैं मानता हूं कि विरोधी पक्ष है, उनको विरोध में कुछ बोलना है। इसलिए बोलते है। रेल मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि सैकंड क्लास के किराये में जो वृद्धि हुई है, उसपर वह पुनर्विचार करें और उसमें जो कमी वह कर सकते है, वह करने की चेष्टा करें।

एक अत्यन्त आवश्यक विषय की ओर मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले बजट सत्र में भी मैंने अपने भाषण में इस बारे में कहा था। रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि आरा से सासाराम तक रेल लाइन बनेगी। सदन में सब सदस्यों ने कहा है कि यहां से वहां तक रेलवे लाइन बननी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आरा-सासाराम रेलवे लाइन 1910-11 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बनाई थी। आप यह जान कर चकित होंगे कि जनता पार्टी की सल्तनत ने 1978 में सौ किलोमीटर लम्बी उस रेलवे लाइन को बन्द कर दिया। कांग्रेस पार्टी की सल्तनत तो सबसिडी देकर उस रेलवे को चलाती थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार और उसके मंत्री ने उसको केवल बन्द करने का आदेश ही नहीं दिया, बल्कि उनकी सारी सम्पति बेच देने का आदेश भी दिया। आज जनता की आंखों के सामने रेल की पटरियां बिक रही है, रेल के स्टेशन बिक रहे हैं, और रेल की जमीन बिक रही है।

जिस इलाके के लोगों ने कभी रेलवे लाइन नहीं देखी है, उनकी मांग तो जरूरी है, लेकिन जिन लोगों की पांच जैनिरेशन्ज 78 साल तक रेलवे लाइन पर चलती रही हैं, उन्हें उस सुविधा से वंचित कर दिया गया है। इस रेलवे लाइन के बन्द होने से लगभग एक करोड़ लोगों की आजादी प्रभावित हुई है। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में भी कहा है, पिछले बजट सत्र में भी कहा गया, कि इस रेलवे लाइन का सर्वे कराया जा रहा है। जब श्री जगजीवन राम रेलमंत्री थे, तब भी इसका सर्वे कराया गया था। लेकिन अभी तक इस सर्वे का काम नहीं हुआ है। मेरा आग्रह है—कनसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में भी मैंने कहा था—कि सर्वे का काम जल्दी से जल्दी किया जाये, ताकि उस क्षेत्र की जनता आश्वस्त हो कि उसके क्षेत्र में ब्राडगेज रेलवे लाइन बनने की तैयारी हो रही है।

मैं रेल मंत्री से कहना चाहता हूं कि सर्वेक्षण करने वाले लोग इकोनोमिक वायेबिलिटी की बात करते है। मैं चाहूंगा कि रेलमंत्री महोदय स्वयं इस मामले को देखें। हमारा केश दूसरे केसिज से बिल्कुल भिन्न है। हमारे यहां के लोगों ने 78 वर्षों से जिस रेलवे लाइन का प्रयोग किया है, जनता पार्टी के राज्य में उसको छीन लिया गया। हम चाहते हैं कि जनता पार्टी के राज्य में जिस रेलवे लाइन को छीन लिया गया था, उसको रेस्टोर किया जाये।

बहुत दिनों से यह मांग की जा रही है कि दानापुर या पटना में एक रेलवे पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। वहां के लोगों को पहले कलकत्ता जाना पड़ता था। अब मुजफ्फरपुर में रेलवे का पब्लिक सर्विस कमीशन है। बिहार देश में यू. पी. के बाद दूसरी बड़ी स्टेट है। मैं चाहूंगा कि दानापुर में कीशन की स्थापना की जाये।

हम बहुत दिनों से यह मांग करते आ रहे हैं कि आरा, सासाराम आर डेरी-आन-सोन में रेलवे क्रासिंग्ज पर ओवरब्रिज बनाये जाये। इस बारे में कई बार जांच की जा चुकी है और सरकार की ओर से बताया गया है कि इन्हें बनाया जायेगा। वहां ट्रेफिक काफी है और गाड़ियां भी बहुत चलती हैं, इसलिए बहुत लोगों को असुविधा होती है। मैं मांग करता हूं कि वहां पर ओवरब्रिज बनाये जायें।

सोनभद्र एक्सप्रेस दिल्ली से एक ट्रेन चलती है। नाम तो बड़ा सुन्दर रख दिया गया। सोनभद्र बिहार की बड़ी इम्पार्टेंट नदी है। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां से सोनभद्र बहती है वहां यह सोनभद्र एक्सप्रेस रुकती नहीं है। मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि सोनभद्र एक्सप्रेस को सोनभद्र के किनारे आरा को भोजपुर का मुख्यालय है, वहां अवश्य रुकवाइए।

को-आपरेटिव सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन-कम-डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो हमारी है उससे कन्ज्यूमर्स को काफी सहायता दी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बहुत बड़े पैमाने पर एन. सी. सी. एफ, नेशनल कन्ज्यूमर्स कोअपारेटिव फेडरेशन और नाफेड की ओर से मदद मिलती है। लेकिन रेलवे में उसको (सी) प्रापरिटी दी जाती है सामान को ढोने में, चाहे वह फूड ग्रेन्स हों, चाहे फर्टिलाइजर्स हों या चाहे और कन्जम्पशन के आइटम्स हों। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको (बी) प्रायरिटी दिलवाइए ताकि वह लोगों की सहायता और मजबूती के साथ कर सके।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक को बोलने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। अन्य सदस्यों को बोलने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य रेल बजट पर कुछ कहना चाहेंगे। आप अगले वर्ष बोल सकते हैं। आप अपने मुद्दों को रेल मंत्री को भी भेज सकते हैं। वह आपके राज्य के है (व्यवधान) मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं। आप भी अनुरोध करते हैं।

**श्री तपेश्वर सिंह :** एक बात और कह कर समाप्त कर रहा हूं। रक्सौल-दत्तिया-बानेयापुर-नैनी-छपरा नई लाइन की जो मांग प्रोफेसर सत्यदेव सिंह ने की है उसका मैं समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल मंत्री महोदय को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री रामेश्वर नीखरा। आप केवल 3 मिनट लें। हमें सभा 8 30 बजे म० पू० स्थगित करनी है। आपको सहयोग देना होगा। अन्य चीजें आप श्री मल्लिकार्जुन या मंत्री महोदय को दे सकते हैं। इसको ऐसा समझिए कि मानो आप यहां बोल चुके है।

**श्री रामेश्वर नौसरा (होशंगाबाद)** : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि दस घंटे के उपरान्त आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। एक मिनट एक घंटे का दिया जाता तो भी दस मिनट होता है। तब भी चार मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

रेल मन्त्री जी ने जो रेल बजट संसद में पेश किया है उसके लिए वह बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक और जनता पार्टी के शासन में रेलवे प्रशासन पूरी तरह से ठप्प हो चुका था, चारों ओर अराजकता का वातावरण था, पूरी रेलवे की आय समाप्त होती जा रही थी, उस व्यवस्था को फिर से बनाने और उसको आगे ले जाने का काम इस बजट के माध्यम से उन्होंने किया है। मैं बहुत थोड़े से शब्दों में अपना सुझाव देना चाहता हूं।

भोपाल में उन्होंने रेल मंडल बनाने की घोषणा की है। इस घोषणा के कारण सरकार का करीब करीब 60 करोड़ रुपया आवश्यक रूप से खर्च हो जाएगा। मैं भूतपूर्व रेल मन्त्री महोदय से मिला था, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मिला था और वर्तमान रेल मन्त्री जी से भी मिला था और उनसे अनुरोध किया था कि भोपाल की जगह यह रेल मंडल इटारसी में स्थापित किया जाय। इटारसी में स्थापित करने से निश्चित ही जो बहुत बड़ा खर्च इस पर होने वाला है उसमें बचत होगी। उसका कारण यह है कि इटारसी में मार्शलिंग यार्ड है करीब दस करोड़ का, डीजल का कारखाना है। वहां पर पचास एकड़ जमीन रेलवे की पड़ी हुई है। इन सारी बातों की व्यवस्था उनको भोपाल में करनी पड़ेगी जिससे रेलवे प्रशासन का करीब 50 करोड़ रुपया और खर्च होगा। मेरी उनसे पुरजोर प्रार्थना है कि इसे इटारसी में स्थापित किया जाए। वह इस बात के औचित्य को स्वीकार करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह बात तो सही है। जब वह इस बात के औचित्य को स्वीकार करते हैं तो क्यों इटारसी में रेल मंडल की स्थापना नहीं की जा रही है? मैंने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा की आप लोग ऐसी जगह रेल मंडल बनवा लेते हैं, जैसे मांगलसराय में बन गया, समस्तीपुर में बन गया, वहां पर अधिकारी लोग जाते नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक छोटी सी जिद के कारण यह अनावश्यक रूप से रेलवे पर 50 करोड़ रुपये का भार बढ़ रहा है।

रेलवे के अन्दर कैंटीन की व्यवस्था हर ट्रेन में की जाती है, हर स्टेशन पर की जाती है तो उस ओर उनका ध्यान अवश्य ही जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जितने डायनेमिक तरीके से और जितने जोरदार तरीके से उन्होंने रेलवे प्रशासन को सुधारने और उसको बढ़ाने की तैयारी की है, जो बात मैं बोल रहा हूं उस पर भी वह उसी तरीके से ध्यान देंगे।

रेलवे कैंटीन की व्यवस्था बड़े बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दी जाती हैं और वह ठेकेदार स्टेशन्स पर छोटे छोटे पान बेचने वालों और मिठाई बेचने वालों, पुस्तक बेचने वालों, फल बेचने वालों और चाय बेचने वालों को सबलेट कर देते हैं और 50-50, सौ सौ रुपया रोजाना वसूल करते हैं जबकि रेलवे प्रशासन से केवल 1200 रुपये में वे पूरी कैन्टीन का ठेका ले लेते हैं। यही कारण है कि स्टेशन्स पर सामान भी मंहगा मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती

है। जब बड़े ठेकेदार केन्टीन्स को सबलेट ही कर देते हैं तो मेरा सुझाव है कि रेलवे प्रशासन इसका अध्ययन कराकर समस्त स्टेशन्स पर उन बड़े ठेकेदारों को ठेका न देकर डायरेक्टली पान वाले, फल वाले, पुस्तक वाले, मिठाई वाले जो हैं उन्हीं को ठेका दे दिया जाए। इस प्रकार से बेरोजगारी भी दूर होगी और रेलवे में कैन्टीन लेने में नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार होता है वह भी समाप्त हो जायेगा।

इसी प्रकार से मेरा अनुरोध है कि छठी योजना में जो वैगन बनाने का कारखाना रेलवे द्वारा प्रस्तावित है उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान होशंगाबाद का सोहागपुर नगर है क्योंकि वहां पर हजारों एकड़ जमीन उपलब्ध है, पानी की व्यवस्था है तथा लड़की भी वहां पर उत्पन्न होती है। यदि वहां पर रेलवे वैगन का कारखाना खोल दिया जाता है तो उस क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचेगा क्योंकि वहां पर कोई इण्डस्ट्रियलाईजेशन नहीं है। वह देश के बीचों बीच है। चारों तरफ वहां से रेल वैगन को मिला सकता है। वह बहुत पिछड़ा हुआ एक गरीब क्षेत्र है।

इसी प्रकार से मैं कुछ और भी सुझाव देना चाहता हूं। हर प्रदेश की राजधानी से एक ट्रेन दिल्ली को जोड़ती है परन्तु अभी तक भोपाल के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। मेरा सुझाव है कि भोपाल से 50 मील दूर इटारसी से एक ऐसी रेलगाड़ी नयी दिल्ली के लिए चलाई जाए।

इसी प्रकार से कुछ छोटी-छोटी समस्यायें हैं जो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं। महानगरी एक्सप्रेस और गंगा कावेरी एक्सप्रेस जो चलाई जाती है वह जबलपुर और इटारसी में रुकती हैं लेकिन बीच में जो बड़ी बड़ी अनाज मण्डियां हैं जैसे नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, पिपरिया, सोहागपुर खिलनीमालता इन स्थानों पर इन गाड़ियों के न रुकने से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन स्टेशन्स पर दोनों गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए।

गाड़ियां जो लेट चलती हैं उसका एक कारण प्रशासनिक क्षमता का दोष भी हो सकता है परन्तु साथ ही साथ आर. एस. एस. के लोगों को जानबूझ कर बिठाया जाता है जो कि गाड़ियों की चेन खींचते हैं ताकि रेलवे प्रशासन बदनाम हो सके। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी प्रकार से अभी हमारे जबलपुर डिवीजन में बीना इटारसी तक एक पसेंजर चलती है उसको फास्ट पसेंजर बनाकर भोपाल तक बढ़ा दिया जाए। इससे जबलपुर से भोपाल तक के पसेंजर्स को बहुत बड़ी सुविधा हो जायेगी। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं करना पड़ेगा और कोई नई गाड़ी भी नहीं चलानी पड़ेगी।

इसी तरह से एक सबसे बड़ी समस्या जबलपुर से गोंदिया नैरो गेज की है। इसका सर्वेक्षण हो चुका है। इसको जल्दी से जल्दी ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाए।

सेन्ट्रल रेलवे का जो मेन आफिस है वह बाम्बे में है। उसके एक कोने में होने की वजह से यहां के लोगों को किसी प्रकार की नौकरी की सुविधा नहीं मिलती है। मेरा सुझाव है कि सेन्ट्रल रेलवे का आफिस जबलपुर में, जो कि देश के मध्य में है, स्थापित किया जाए जिससे कि हमारे यहां की प्रतिभाओं को स्थान मिल सके तथा रेलवे प्रशासन में भी सुधार आ सके।

इन शब्दों के साथ ही मैं प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री सुन्दर शर्मा (जबलपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, अनेक सुधार रेलवे बजट में प्रस्तावित हैं, उसके लिए तो मैं रेल मन्त्री को बधाई देता हूं। लेकिन एक उलाहना देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश रेलवे बजट में कहीं नहीं है। कारण क्या है – यह समझ में नहीं आता है। अनेक विद्वानों ने यह कहा है कि अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो, आवागमन के साधन परमावश्यक है। मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े प्रांत में जहां कि जंगल और पहाड़ दिखाई देते हैं, अगर वहां आवागमन की सुविधा न हो तो उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश में खनिज पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में है कि यदि वहां पर आवागमन की सुविधा को ठीक कर दिया जाए तो उस क्षेत्र का विकास हो सकता है।

जैसे अभी श्री निसरा जी ने कहा कि जबलपुर से गोदिया, जो नैरो-गेज लाइन है, वह ऐसा इलाका है, जहां कोयले का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इस स्थान से अन्य क्षेत्रों में कोयला जाता है, बिजली के लिए, औजार बनाने के लिए और इस्पात कारखानों के लिए लेकिन उस क्षेत्र में आज भी ब्रिटिश जमाने से नैरो-गेज लाइन ही है। इस सम्बन्ध में कई बार यहां प्रश्न उठाया गया, तो उत्तर दिया गया कि जांच हो रही है, लेकिन अभी तक यह निश्चय नहीं है कि जांच कहां तक हुई है और कहां तक नहीं हुई है। इसलिए राष्ट्रीय-हित में और विशेषकर उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए यह परमावश्यक है कि जबलपुर और गोंदिया लाइन, जो कि नैरो-गेज है, उसको ब्राड-गेज मे परिवर्तित किया जाए—यह बहुत ही आवश्यक है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक नियम बना लेना चाहिए कि जितने जिले-मुख्यालय हों, चाहे वह देश के किसी भी कोने में हों, यह क्राइटेरिया बनाकर चलना भी चाहिए कि उनको रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाएगा। अगर जिलों के मुख्यालय को रेलवे लाइन से नहीं जोड़े जायेंगे, तो जिलों की उन्नति कैसे हो सकती है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं, जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, जैसे सतना-रीवा-लोधी होते हुए मिर्जापुर चाहे वराणसी से मिलाया जा सकता है इसी तरह से महोदय राजधानी को पटना राजधानी से मिलाने की भी बात है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग वहां पर काम करते हैं। मध्य प्रदेश में विशेषकर भोपाल को यदि पटना लाइन से मिला दिया जाता है, किसी भी रास्ते से ले जाकर, तो वह जनहित में होगा और उस क्षेत्र का भी विकास हो सकेगा।

इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश को दक्षिण से मिलाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, जो जबलपुर से त्रिवेन्द्रम या अहमदाबाद जाती हो।

जैसा कि कहा जाता है कि वहां का मार्केट बहुत सस्ता है अन्य मार्केटों की अपेक्षा, यदि इसको जोड़ दिया जाएगा तो न केवल आवागमन की सुविधा होगी बल्कि व्यापार में भी सहूलियत मिल सकती है। विशेषकर केरल और गुजरात के लोग, वहां पर सुरक्षा संस्थान होने के नाते, मांग करते हैं कि इस लाइन को जोड़ना परमावश्यक है।

अब मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। रेलवे महत्वपूर्ण विभाग समझकर ही इसको आप बजट से अलग रखा गया है—इसलिए वित्त मंत्रालय को भी और मंत्रिमंडल को भी रेलवे विभाग को अधिक से अधिक पैसा देना चाहिए क्योंकि इसमें राष्ट्र की उन्नति सन्निहित है। इसके साथ ही साथ अदायगी बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि जो इसमें चोरियां होती हैं, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत ही आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि कोयले की चोरी की तरफ अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। न जाने हमारा कितना पैसा इसमें बर्बाद हो रहा है।

जनहित में रिजर्वेशन की जो प्रणाली है, उसमें विशेषकर जनता को महान कष्ट हो रहा है। इस संबंध में मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि बम्बई अथवा अन्य स्थानों के चार्ट पर लिखा रहता है 15-20 दिन पूर्व रिजर्वेशन के लिए जाने पर भी यदि लेकिन कोई उस दिन भी जाता है, तो उसको कुछ पैसा खर्च करने पर रिजर्वेशन मिल पाता है। यह हमारे लिए रेलवे मंत्रालय तथा शासन के लिए और अधिकारियों के लिए शर्म की बात है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उधर भी अवश्य ध्यान देवें। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है मैं आपको कल का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं—जब मैं भोपाल से जी. टी. एक्सप्रेस से चला, तो कुछ लड़के आकर बैठ गए। उन्होंने मिलिटरी के डिब्बों में भी प्रवेश किया और उनसे झगड़ा कर लिया, मिलिटरी वालों को हमें अधिक से अधिक सुविधा देनी चाहिए। लड़कों ने झगड़ा ही नहीं किया, बल्कि वे महिलाओं के डिब्बों में भी घुस गए और महिलाओं के आभूषण छीन लिए, कान के टॉपस उतार लिए उनके कान से खून बहता हुआ देखा गया। केवल लड़के ही नहीं बल्कि रेलवे के कर्मचारी प्रथम श्रेणी में बैठ जाते हैं, पुलिस के भी कान्स्टेबिल बैठ जाते हैं, फर्स्ट-क्लास के डिब्बों में और कहने से उतरते नहीं हैं।

कुछ गुण्डे और बदमाश चढ़ आये थे। लेकिन जो लोग पैसा देकर आप की रेलों में चढ़ते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप को है, उनको अधिक से अधिक सहूलियत मिल सके, इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

बहुत से क्षतिग्रस्त डिब्बे आप की रेलों में चल रहे हैं। जब आप जनता से किराया लेते हैं तो आपको यह भी देखना चाहिए कि ठीक डिब्बे गाड़ियों में लगाए जाएं।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि गाड़ियां समय पर चलाई जाएं। आपने भी इस बात का उल्लेख किया है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। आप चाहे जो उपाय करें—रेल कर्मचारियों को इस काम के लिए पुरस्कार दें या दण्डित करें, लेकिन गाड़ियों के समय पर

चलाने की व्यवस्था करें, इससे आप बहुत ज्यादा प्रशंसा के पात्र होंगे और जनता को भी इसमें बहुत सहूलियत मिलेगी।

मैं भी यही कहूंगा—यदि द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को रेल भाड़े में आप कुछ राहत दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। हम लोग जो इधर बैठते हैं उनको देखने में उपाध्यक्ष जी आपको थोड़ा कष्ट होता है, मंत्रियों की भी पीठ हमारी ओर होती है, फिर भी आपने हमारी तरफ देख लिया और हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

**श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अलमोड़ा)** : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जिलों में एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के हित में टनकपुर-घाट-बागेश्वर तथा रामनगर रामनगर-भीखियासेन-चौखटिया-इन दो लाइनों के निर्माण का कुछ प्रबन्ध कर दें। इस वर्ष यदि यह काम नहीं हो सकता है तो कम से कम उसके सर्वेक्षण की घोषणा आवश्यक कर दें।

दूसरी बात—लखनऊ से काठगोदाम के लिए इस समय एक गाड़ी चलती है, यदि वहां दो गाड़ियों की व्यवस्था हो जाए तो उससे बहुत सहूलियत हो जाएगी। उस लाइन पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की तुरन्त जरूरत है।

टनकपुर से पीलीभीत तक के लिए नैनीताल एक्सप्रेस में जो बोगी लगती है उसमें पिथौरागढ़ जिले के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन एक बोगी बिल्कुल अपर्याप्त है, कम से कम दो बोगियां लगाई जाएं। इसमें एक तो थ्री-टायर की व्यवस्था कर दीजिए, दूसरे—4 बर्थ का फर्स्ट-क्लास का कूपे लगवा दीजिये। इससे उस जनपद के लोगों को बहुत लाभ होगा। उसके आरक्षण की व्यवस्था पिथौरागढ़ में एक आउट-एजेंसी खोल कर करवा दीजिए, साथ ही अल्मोड़ा में भी उसकी व्यवस्था करा दीजिए।

बरेली से काठगोदाम तथा मुरादाबाद से रामनगर को बड़ी लाइन में बदलने की घोषणा आपने की है इसके लिए बहुत धन्यवाद। कृपा कर इस काम को जल्दी करवा दीजिए।

**श्री भोला रावत (बगहा)** : उपाध्यक्ष जी, आपने भले ही थोड़े समय के लिए मुझे बोलने के लिए मौका दिया, मैं इसके लिए आप का आभारी हूं। मैं रेलवे बजट को अपना समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं, साथ ही मैं कुछ जरूरी सुझाव नट-शैल में आप के सामने रखूंगा। हमारे माननीय रेल मंत्री जी का क्षेत्र मेरे क्षेत्र से सटा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी बातों को रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मंत्री जी उनको स्वयं भी जानते हैं।

मेरे क्षेत्र में 9 लाख आदमी रहते हैं, जिनमें 6 लाख ऐसे हैं जिनको रेल सेवा से कोई फायदा नहीं है। वे ऐसी-ऐसी जगहों में रहते हैं जहां से 20-30 किलोमीटर आने पर ही उनको स्टेशन नजर आता है और बड़ी मुश्किल से वे गाड़ी पकड़ते हैं। हमारा क्षेत्र ऐसा है जिसके एक तरफ यू०पी बार्डर है और दूसरी तरफ नेपाल की तराई का इलाका है। इस क्षेत्र में बीकर

सेक्शन के लोग ज्यादा रहते हैं। आज सरकार की यह नीति है कि बीकर सेक्शन और पिछड़े वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए। माननीय मंत्री जी का वहां घर है — रामनगर क्षेत्र में, उस रामनगर क्षेत्र में ही···वह जानते हैं···"दोन" इलाका ऐसा है जहां सब पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, वहां बस भी नहीं जाती है। इसलिए मैंने मंत्री जी से कहा था कि बगहा से लेकर दोन साइड से डिगनाटोरी तक लाइन दे दें, ताकि बीकर सेक्शन के लोग, कमजोर वर्ग के लोग उस साइड में जा सकें। दूसरी तरफ खासकर पांडे जी जिस कांस्टीटुयेन्सी से अभी चुने गये हैं और जहां से वे 15 वर्ष तक एसेम्बली के मेम्बर थे, नोतन-बेरिया में एक इंच भी रेलवे लाइन का दर्शन नहीं है। वहां के लोगों को 15-20 किलोमीटर चल कर बेतिया स्टेशन जाकर गाड़ी पकड़नी पड़ती है। मधुकर जी ने ठीक ही कहा है कि हाजीपुर से एक रेलवे लाइन लालगंज नोतन-बेरिया, नवलपुर बाजार, पतिनाड़ होते हुए बगहा तक मिला दी जाए। इससे हमारा जो बैकवर्ड एरिया है, वह कवर हो जाता है और पांडे जी का क्षेत्र जो है, वहां के लोग भी परेशानी महसूस करते हैं और उन्होंने कहा भी है कि वहां पर रेलवे लाइन होनी चाहिए। मुझे हैरत इस बात की है कि रेल बजट जो पेश किया गया है, उसमें मंत्री जी ने कोई गुंजाइश उस लाइन के लिए अभी भी नहीं रखी है और मैं यह चाहूंगा कि कभी कोई और मौका आवे, तो उस क्षेत्र के लिए लाइन के बारे में मंत्री जी विचार करें।

अब मैं छतौनी ब्रिज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज से पांच वर्ष पहले हमारी लीडर माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उसका फाउन्डेशन ले लिया था और जनता पार्टी के रीजीम में उसका सर्वे भी हो गया था और जो थोड़े बोर्डर उस समय गिराए गये थे वे भी अब खत्म हो गए हैं। पांडे जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि उसको बनाया जाएगा लेकिन मैं समझता हूं कि अब तक प्रत्यक्ष रूप से उसका काम नहीं लगा है। सिर्फ सर्वे हुआ है और देखने के लिए कुछ बोर्डर हैं लेकिन प्राथमिकता के साथ उसका काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसी रीजीम में उस ब्रिज को पूरा करके स्वयं पांडे जी उसका उद्घाटन करें, तो बहुत बड़ा क्रेडिट उनको मिलेगा। इन्दिरा गांधी जी ने उसका फाउन्डेशन दिया है और इनको वाह-वाही मिल जाएगी लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि वहां जिस तरह से यह काम चलता है, उससे मालूम पड़ता है कि इस रीजीम में वह पूरा नहीं होगा। इसलिए इस तरफ मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

एक चीज के ऊपर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाऊंगा और वह यह है कि क्लास 4 में जो अपाइंटमेंट होता है, उसमें बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसमें कुछ छूआछूत तो दूर हुआ लेकिन जो हरिजन मजदूर हैं वे इस तरह से छूआछूत से जकड़े हुए हैं कि सफाई पेशा करने वाले हरिजन मजदूर चाहे मेट्रीकुलेट हों, वे अगर क्लास 4 में चले जाते हैं, तो उनको सफाई की ही नौकरी में लगाया जाता है, सफाई पेशे में ही लगाया जाता है। कई जगहों से ऐसी रिपोर्टें आई हैं। मैं अपने रेल मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अगर वे सफाई पेशे में एक दफा चले जाते हैं, तो फिर जिन्दगी भर सफाई पेशे में ही रहते हैं और उनकी तरक्की का कोई रास्ता

नहीं है, किसी तरह की तरक्की उनके लिए नहीं है। इस तरह के 50 हजार आदमी रेलवे में हैं, जो सफाई पेशे से सम्बन्धित कार्य में कार्यरत हैं और उन लोगों की जिन्दगी बिलकुल डूम्ड है। उनकी तरक्की का कोई रास्ता नहीं है। आज ही मैंने एक चिट्ठी लिखी है कि 19 वर्ष से काम करने वाला सफाई मजदूर जो मेट्रीकुलेट है, वह वहीं पर है। रेलवे में जो डिपार्टमेंटल परीक्षा होती है, हर साल लोगों को कुछ मौका मिलता है प्रोमोशन के लिए बैठने के लिए लेकिन सफाई मजदूर वर्ग को उसका मौका नहीं दिया जाता है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक डेपूटेशन पांडे जी से मिलने वाला है इसके पश्चात्‌ और वह डेपूटेशन अपनी मांगें मेमारेण्डम में रखेगा।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह एन० ई० रेलवे से सम्बन्धित है। एन०ई० रेलवे के लिए अगर कहा जाए कि वह निगलेक्टेड है और रिजेक्टेड है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहां पर रेल गाड़ियों में कोई सुविधा नहीं है। काठ की पटरी बैठने के लिए है। न पंखा है, न बत्ती है और न बाथरूम की कोई सुविधा है और बरसात में वह चूता है। तो इस तरह की सब रेल गाड़ियां इकट्ठी कर के एन० ई० रेलवे में दे दी जाती है और उनमें कोई सुधार नहीं होता है। नयी रेल गाड़ियों का तो वहां दर्शन ही नहीं होता।

अधिकतर देखा जाता है कि दूसरी श्रेणी का भाड़ा बढ़ा दिया जाता है लेकिन उसके यात्रियों को सुविधाएं क्या दी जाती हैं। आप जरा पटना जंक्शन पर खड़े होकर देखिए, वहां पर जितनी गाड़ियां आती-जाती हैं उन पर लोग छतों पर बैठे रहते हैं।

एक तरफ सरकार से आशा की जाती है कि संसद सदस्यों की अमेनिटीज को बढ़ाया जाए और दूसरी ओर रेल मंत्रालय ने जो हम लोगों को ए०सी० सेकिंड क्लास के टू टायर में जाने की सुविधा दे रखी है उसके लिए रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने पांडे जी को सुझाव दिया है कि वह सुविधा हमें न दी जाए। यह हमारे हक पर कुठाराघात किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे हक को खत्म न किया जाए और हमारी यह सुविधा बरकरार रहे।

मैं पांडे जी को अन्त में कहूंगा कि कम से कम चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने इलाके में रेल लाइन का विस्तार करना चाहिए जिससे कि 6 लाख लोग जो वीकर सेक्शंस के वहां रहते हैं जिनको कि रेल लाइन की सुविधा नहीं है, उनको आने जाने की सुविधा मिल जाए। वह लाइन हाजीपुर, लालगंज, नोतन होते हुए बगहा जा कर मिल जाए। इससे बहुत बड़ा एरिया वहां का कवर हो जाएगा।

आशा है मंत्री जी मेरी इन सब बातों पर ध्यान देंगे।

श्री शान्तुभाई पटेल (साबरकंठा) : मैं रेल बजट का स्वागत करते हुए रेल मंत्री जी को कुछ सुझाव दूंगा। रेल मंत्री जी ने, नडयाड-कपड़गंज मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने का और कपड़गंज से मोडासा को ब्राडगेज नई लाइन बनाने का जो काम दो साल से चलता है उस काम में 5.6 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है लेकिन अभी तक दो सालों में

इन कामों पर एक करोड़ रुपया खर्च हुआ है और इस साल के बजट में हमने देखा है कि सिर्फ दस लाख रुपए का प्राविजन किया है। इस बारे में मैं रेल मंत्री जी से विनती करता हूं कि इस ढंग से तो यह काम बहुत सालों में भी पूरा न होगा। सौ किलोमीटर से ऊपर का काम है जिसमें कंवर्शन होना है और नई लाइन बनाने की मंजूरी की गयी है। अगर इस ढंग से काम चलेगा तो मेरे ख्याल से 20-25 साल तक भी यह काम पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती है कि इसके लिए ज्यादा रुपये का प्रोविजन किया जाए और जल्दी से जल्दी काम पूरा किया जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि इस काम के लिए जो लोहा और दूसरा मेटीरियल लाया गया था उसे दूसरी जगह पर ले जाया गया। गये सालों के बजट में इस काम के लिए जितना प्रोविजन किया गया था वह पूरा पैसा इस काम पर खर्च नहीं हुआ है। इस साल भी इस काम के लिए केवल दस लाख रुपये का प्राविजन किया गया है। दस लाख रुपये में तो एक ब्रिज भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती है कि इस काम के लिए ज्यादा पैसे की मंजूरी दें और इस काम को जल्दी से जल्दी और तेज गति से पूरा करें जिससे कि उस पिछड़े इलाके के पिछड़े हो सके और पिछड़े लोगों का विकास इलाके के लोग इसका उपयोग कर सकें।

हमारी गुजरात गवर्नमेंट ने अहमदाबाद से खेडरम्मा ए० पी० मीटर गेज लाइन पर हिम्मतनगर के पास में स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज के क्रासिंग पर एक ब्रिज बनाने का प्रपोजल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा है। मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि इस बारे में भी वे गौर करें। यह रास्ता अम्बाजी तक चलता है और यह बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार से अहमदाबाद-उदयपुर वाया हिम्मतनगर जो लाइन है, उस लाइन से सामराजी लाईन को मिलाने हेतु सर्वे काम चल रहा है, उसको जल्दी से पूरा किया जाए। इसी तरह से मेरी एक विनती और है कि ए.पी. मीटर गेज लाइन पर जो गाड़ी चलती है वह कभी राइट टाइम नहीं चलती। महीने में दो-चार दिन ही सही समय पर चलती होगी। इसका मेंटिनेंस भी सही नहीं होता है। न पंखे चलते हैं न लाइट जलती है, दरवाजे भी नहीं खुलते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ताकि जनता की तकलीफ दूर हो सके।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उनका प्रावीजन किया जाए। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री कालीचरण शर्मा (भिण्ड):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं और मैं मंत्री जी को इस सुधारवादी बजट के लिए बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से समय में कुछ मुद्दे माननीय रेल मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश के एक कोने में है। यहां पर गुना, इटावा, भिण्ड ब्राड गेज लाइन का काम जल्दी ही पूरा होने की स्थिति में है। मेरा मंत्री महोदय से

निवेदन है कि एक तो उस क्षेत्र में आबादी घनी है और दूसरा ट्रेफिक भी ज्यादा है। इधर चंबल के इरीगेशन की बजह से गल्ले का सरपलस भी है, इसलिए उसको जल्दी ही बजट के अन्तर्गत लाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को लाभ हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि दतिया जिला हैड-क्वार्टर है और झांसी के पास है, उस पर पूर्वी साइड में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म या यार्ड नहीं है। इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें। मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से मंत्री महोदय को लिखकर दूंगा।

मान्यवर, भोपाल से कोई रेलवे लाइन दिल्ली के लिए सीधी नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि दिल्ली, भोपाल और इंदौर के लिए एक फास्ट ट्रेन चलाई जाए। इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि द्वितीय श्रेणी का जो किराया बढ़ाया गया है, वह सुविधाओं को देखते हुए अधिक है। इससे मध्यम श्रेणी के लोगों को कठिनाई होगी। गाड़ियों में भीड़ बहुत होती है। इन सब बातों को देखते हुए इसमें कमी हो सके तो काफी अच्छा होगा। इसी प्रकार माल भाड़े के बारे में सब्जी और फ्रूटस पर जो भाड़ा बढ़ाया गया है, इसमें भी छूट दी जाए।

अन्त में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कई स्थानों पर चैनपुलिंग की बजह से आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक विशेष फोर्स बनाया जाए जो समय-समय पर ऐसे स्थानों पर जाकर इसको देखे, जिससे आम जनता को सुविधा मिल सके। इसी प्रकार छात्रों द्वारा स्टेशनों पर किए जाने वाले ऊधम पर रोक लगाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली-बांबे लाइन पर गाड़ियों की सबसे ज्यादा कमी है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस लाइन पर झांसी और भोपाल होती हुई एक राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाए।

अन्त में मैं प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हू कि माननीय रेल मंत्री महोदय के कार्यकाल में सुधार होगा और मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी।

मध्य प्रदेश को कोई नई रेलवे नहीं दी गई है और नही सर्वे जो होना है उसमें इसको कोई स्थान दिया गया है ऐसा मालूम पड़ता है कि उसमें इस बजट से अलग ही रख दिया गया है। वह सबसे बड़ा प्रदेश लम्बाई में है। खनिज और बन सम्पदा से वह भरपूर प्रदेश है। हम मध्य प्रदेश के एम.पी. उनको एक मैमोरेंडम भी देने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश को जो अछूता छोड़ दिया गया है उसकी ओर मंत्री महोदय ध्यान देंगे और उसको भी रेल बजट में शामिल करने की कोशिश करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री उत्तम राठौर** (हिंगोली) : अजीब भाग्य की विडम्बना है कि मैं बंजारा में पैदा हुआ हूं और मेरे बाप दादा बैलों के माल एक जगह से दूसरी जगह ढोने का किया करते थे। इस रेलवे बजट पर बोलने से लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमको रेलों के आने के बाद अपने धंधे से उखाड़ा गया है और आज मैं इसी रेलवे बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा भी हो रहा हूं। समर्थन करते हुए मुझे बड़ी खुशी का अनुभव भी हो रहा है।

मुझे दुख है कि महाराष्ट्र के साथ इस बजट में बड़ा अन्याय किया गया है। शुरू में रेल मीटर गेज, नैरो गेज और ब्राड गेज बनाई गई थीं। हमारे मीटर गेज को ब्राड गेज बनाने का वादा किया गया है। यह वादा तीन साल पहले दिया गया था, तब इसका अहसास लिया गया था। मैं मनमाड और औरंगाबाद के बीच की लाइन की बात कर रहा हूं। इस साल बहुत ही कम रकम इसके लिए रखी गई है। इसको देखकर बड़ी शर्म आ रही है। अगर आप इसको करना नहीं चाहते हैं तो इसका मैशन भी आपको नहीं करना चाहिए था। मैशन करके आप असन्तोष ही फैला रहे हैं लोगों में। मेहरवानी करके अगर आप चाहते हैं तो आप इस काम को जल्दी करें और काफी पैसा इसके लिए मुहैया करें।

दूसरी वर्ल्ड वार और उसके बाद जब रिफ्यूजी आए उसकी वजह से रेलों का काम बिल्कुल चोपट हो गया था। उसको सुधारा गया। यह खुशी की बात है कि वैकुम ब्रेक का सिस्टम शुरू हुआ है, वैगंज, लोकोमोटिव्ज और पैसेंजर बोगीज लगाई गई है। यह सब होते हुए भी मैं चाहता हूं कि जो इलाके अभी भी पिछड़े हुए है जहां रेलों की अभी भी या तो व्यवस्था नहीं है या है तो बहुत ही स्लो चलती है उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे एक किस्सा याद आ गया। श्री एस० के० पाटिल उस जमाने में रेल मंत्री थे। मेरे एक दोस्त जो इंग्लैंड में पैदा हुए और वहीं बड़े हुए और जो उनको हर वक्त प्लेन में ही देखा करते थे आखिर उनसे एक बार पूछ बैठे, माफ कीजिये, क्या आप एस० के० पाटिल हैं ? उन्होंने कहा जी हां। तब उन्होंने पूछा कि क्या आप रेल मन्त्री भी हैं, उन्होंने कहा जी हां। इस पर उन्होने पूछा कि क्या वजह है कि मैं देश भर में घूमता हूं लेकिन आप मुझे रेल पर कभी नजर नहीं आए ? यह बात नहीं होनी चाहिए। पांडे जी, मल्लिकार्जुन साहब, जाफर शरीफ साहब को चाहिए कि वे सवर्वन ट्रेन्ज में चलें, देहातों में और पिछड़े एरियाज में जाकर हालात को देखें। मुतखेड़-आदिलाबाद, खंडवा-हिंगोलीसैक्शन की हालत है जाकर देखें। जी०एन० तीन-तीन साल तक नहीं जाते हैं। डिविजनल मैनेजर जिसका नाम आपने बदल दिया है उसको भी एक-एक साल तक जाने का मौका नहीं मिलता है बोर्ड के चेयरमैन को बदल देने से ही मामला नहीं बन जाएगा। आपको उन लोगों को भी मजबूर करना पड़ेगा कि वे इस तरह के इलाकों में जा कर देखें। जिस तरह से तहसीलदार होता है और वह गांवों में बीस दिन बिताता है उसी तरह से आपको भी लोगों की वहां जाकर तकलीफों को देखना चाहिये और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

तीन महीने पहले हमारे कमला पति त्रिपाठी जी रेल मंत्री थे। आज सुबह कमल नाथ जी से मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त मैंने एक लैटर दिया था जिसका मुझे जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

क्यों ऐसा होता है ? आपने तीन महीने में अच्छा काम किया है खुशी की बात है। मराठवाडा का जो पूर्ना डिविजन है उसकी मांग को मैंने उठाया था। मनमाड से निजामाबाद और पूर्ना से ले कर खंडवा जो कि सैंट्रल रेलवे के तहत है और जिसके पास न तो रेलें हैं और न लोकोमोटिव्ज हैं उसको आप सेंट्रल रेलवे से निकाल करके पूणे को दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वह पिछड़ा हुआ इलाका है। मेहरबानी करके उसको आप हमको दे दें और नया डिविजन बना दें तो बहुत अच्छा होगा। इसके बारे में मैं आपको एक महीना पहले लिख भी चुका हूं। एक महीने पहले मैंने लिखा है जिसका उत्तर मुझे मिलना है।

छोटी-छोटी चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं क्योंकि समय महत्व का है। एक रोड सिरली-चौंडी स्टेशन है जो पूर्ना और हिंगौली सेक्शन में है जिस पर एक लेविल क्रौसिंग सिर्फ 500 रुपये में बनना है। लोकल बोर्ड ने मैटल्ड रोड बना दी है लेकिन लेविल क्रौसिंग इसलिए नहीं बना क्योंकि 500 रु० किसी ने नहीं दिये, न लोकल बोर्ड ने और न जिला परिषद् ने। तो 500 रु० के लिए आज इस काम को न रोकिये।

**श्री सी० के० जाफर शरीफ :** वह क्यों नहीं भरवाते लोकल आदमियों से :

**श्री उत्तम राठौर :** वह भी चिट्ठी माननीय त्रिपाठी जी के लिए आपके हाथ में ही मैंने दी थी।

**श्री केदार पांडे :** आप उसको भरवा दीजिए, 500 रु० में आपको दे दूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप इसे स्वयं कर सकते हो। आप इसे क्यों नहीं करते हो ? इसे कर दीजिये।

**श्री उत्तम राठौर :** हिंगौली से खंडवा लाइन जो है इसके बारे में मैंने सवाल पूछा था कि 33 पौंइट समथिंग जो जादा चार्ज किया जा रहा है यह किस लिये ? क्या वहां के लोग पिछड़ेपन का टैक्स दे रहे हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उन लोगों को आपने पीछे रखा है। वह रेल लाइन इसलिये आपने सोची थी कि दक्षिण से उत्तर तक मीटर गेज की आपको लाइन बनानी है। इसलिए उसकी तरफ अब आप तवज्जह दीजिए, और लोगों से पैसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए। छोटे स्टेशनों का इलैक्ट्रिफिकेशन कीजिये। जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं उनकी मदद को आप क्यों नहीं स्वीकार करते। जैसे करखेली के लोग हैं···।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जैसे ही आप पत्र लिखे तो आप अनुवर्ती कार्यवाही के लिए भी मन्त्री महोदय से मिलें।

**श्री उत्तम राठौर :** वहां करखेली के लोगों ने कहा कि इन्जन के लिए हम पानी सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। काचीगुडा-मनमाड़ लाइन पर पानी की कमी होने की वजह से इंजन रुक जाते हैं। जब लोग पानी देने के लिए तैयार हैं तो उसको लेकर लाइन को चलाइये। करखेली लेविल क्रौसिंग इस समय अनमैंड है, उनको मैन्ड कीजिये।

रेल में लिखा जाता है कि यह भारतीय जनता की प्रोपर्टी है। एक मेरे जैसा शरीफ पहुंच गया उसने कहा ठीक है, पंखा निकाल दिया और लिख दिया कि मैं अपना शेयर ले जा रहा हूं। इसको आप रोकिये। इतना ही कहूंगा। मुझे आशा है कि आपके जमाने में पूर्णा डिवीजन बनेगा और जो मराठवाड़ा की ब्रोडगेज की मांग है वह पूरी होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं।

डा० गोलम यजदानी (रायगंज) : श्रीमान् मैं रेलवे के मामले में उत्तर बंगाल के पश्चिम में दीनाजपुर जिले में अति दयनीय दशा की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब देश का विभाजन हुआ तो यह पश्चिम दीनाजपुर जिला सियालदाह से पार्वतीपुर होते हुये सिल्लीगुड़ी तक मुख्य लाइन से बचित हो गया था और यहां केवल बारसोई से राधिकापुर तक ही एक मीटर गेज रेलवे लाइन रही। इस समय लोगों को इससे बहुत थोड़ा लाभ है। उत्तर बंगाल में पश्चिम दीनाजपुर के जिला मुख्यालय बलूरघाट को जिला मालदा में एक लक्की से बलूरघाट तक एक रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रस्ताक था। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था परन्तु अभी तथा यह क्रियान्वित नहीं हुआ है। मुजे इसके कारण मालूम नहीं है।

अब चूंकि यह लाइन आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है अत: मैं एक नया प्रस्ताव देना चाहूंगा। यह लाइन एकालक्की से बुनियादपुर होते हुए बलूरघाट-हिली तक होनी चाहिए और बुनियादपुर से कल्याणगंज तक एक छोटी लिंक रेलवे लाइन बनायी जानी चाहिए। बाद में इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा सकता है। मुख्य लिंक लाइन बलूरघाट से एक ओर बुनियादपुर कल्याणगंज, रायगंज होकर तथा दूसरी ओर बुनियादपुर होकर मालदा तक होगा। यदि इस नये प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाता है तो यह लाइन व्यावहारिक होगी। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं। इस प्रस्ताव का कृपया सर्वेक्षण कर दीजिए और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कीजिए। यही मेरा निवेदन है।

श्रीमान् अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मालदा स्टेशन पर प्रतीक्षालय बहुत छोटा है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि मालदा में इस प्रतीक्षा गृह को बड़ा किया जाए।

कटिहार-मालदा लाइन पर भालूका रोड नामक एक स्टेशन है। भालूका स्टेशन पर ऊपरी पुल नहीं है। रेलवे स्टेशन की दूसरी ओर बाजार पड़ता है। लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए रेल लाइन को पार करना पड़ता है। जनता के फायदे के लिए वहां पर एक ऊपरी पुल बनाना चाहिए। डाल कोला तथा सिलीगुड़ी रेलवे फाटकों पर भी ऊपरी पुल बनने चाहिए। इन स्थानों पर यातायात रेलवे फाटकों पर जाम हो जाता है। यातायात को निकलने में बहुत समय लग जाता है।

मालदा में गोड़ तथा पड़आ नामक दो बहुत प्रसिद्ध स्थान है। पड़ुआ में मुसलमानों के तीर्थस्थल है। रमजान से एक महीने पहले वार्षिक उर्स उत्सव के लिए यहां हजारों लोग आते है।

इसके लिए कोई विशेष रेलगाड़ी नहीं दी जाती है और न ही बोगियां की संख्या बढ़ायी जाती है तथा यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है बोगियों की संख्या को बढ़ाया जाये और इस लाइन पर नियति नियमित गाड़ियों के नियत समय के बीच और गाड़ियां चलायी जाये ताकि पड़ुआ तीर्थ जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि आप मालदा जायें तो आपको मालूम होगा कि गाड़ियों का देर से चलना सामान्य बात है। दार्जलिंग मेल कामरूप एक्सपैस और एन० ने० पी० यात्री गाड़ी में आमतौर पर डकैतियां पड़ती रहती हैं। हाल ही में कटिहार के पास एक डकैती पडी थी। दार्जलिंग मेल की एक बोगी में डाकू घुस गये और वे अग्नेस्भों से लैस थे। उन्होंने यात्रियों को घायल कर दिया और उनका सामान लूट लिया। मालदा एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है और इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्रीमान् पश्चिम दिनाजपुर से कलकत्ता वाले यात्रियों को बस से या गाड़ी से जाना पड़ता है। उन्हें बस से यात्रा करने में 9 घंटे या 10 घंटे लगते हैं। यदि वे गाड़ी से जाने के लिये मालदा स्टेशन आते हैं तो कभी कभी उन्हें बिल्कूल भी स्थान नहीं मिलता है दिल्ली आने के लिए प्रथम श्रेणी का कोटा केवल दो का है। तिनसुखिया मेल से दिल्ली आना बहुत कठिन है। मुझे कभी कभी स्वयं मालदा के लिए प्रथम श्रेणी के डिब्बे में जगह नहीं मिलती है। मेरा नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है। मुझे टी०टी० की कृपा पर ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मालदा स्टेशन से प्रथम श्रेणी का कोटा बढ़ा दिया जाना चाहिए मालदा स्टेशन की वर्तमान दशा को सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसी महीने की 5 तारीख को माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

**रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) :** जी हां, मैं 5 तारीख को उत्तर दूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय :** सभा अब 5 मार्च, 1981 को 11 बजें म० पू० समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

**9.00 म० पू० तत्पश्चात लोकसभा गुरुवार, 5 मार्च, 1981/14 फाल्गुन, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**